पंचदश माला, खंड 33, अंक 31

मंगलवार, 7 मई, 2013
17 वैशाख, 1935 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
## (हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 88
Dated 12 Sept 2016

(खंड 33 में अंक 21 से 32 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

**सम्पादक मण्डल**

**टी. के. विश्वानाथन**
महासचिव
लोक सभा

**देवेन्द्र सिंह**
अपर सचिव

**सरिता नागपाल**
निदेशक

**अजीत सिंह यादव**
अपर निदेशक

**अरूणा वशिष्ठ**
संयुक्त सम्पादक

**इंदु बख्शी**
सम्पादक

**कीर्ति यादव**
सहायक सम्पादक

**© 2013 लोक सभा सचिवालय**

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए क पया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीक ति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

# विषय सूची

*पंचदश माला, खंड 33, तेरहवां सत्र, 2013/1935 (शक)*

**अंक 31, मंगलवार, 7 मई, 2013/17 वैशाख, 1935 (शक)**


| **विषय** | **कॉलम** |
|---|---|
| **निधन संबंधी उल्लेख** ........ | 1 |
| **प्रश्न का मौखिक उत्तर** | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 561 ........ | 2-5 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 562 से 580 ........ | 5-155 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 6424 से 6653 ........ | 155-765 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** ........ | 766-771 |
| **कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति** | |
| 36वां और 37वां प्रतिवेदन ........ | 771 |
| **मंत्री द्वारा वक्तव्य** | |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति | |
| श्री तारिक अनवर ........ | 771-772 |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | |
| (एक) देश के विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलकर्मियों की शिकायतों को दूर किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री एंटो एंटोनी ........ | 773 |
| (दो) कर्नाटक में चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मैसूर-बन्नूर-मालावलि, कोलेगल-मेट्टूर सलेम तथा नंजनगुड चामराजनगर राज्य राजमार्गों का उन्नयन करके राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने की आवश्यकता | |
| श्री आर. ध्रुवनारायण ........ | 772-773 |
| (तीन) उत्तराखंड में संबंधित विभागों द्वारा संविदा कामगारों को सीधा रोजगार दिए जाने की आवश्यकता | |
| श्री सतपाल महाराज ........ | 773-774 |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

**विषय** **कॉलम**

(चार) केरल के विशेषत: वयनाड जिले में हैजा उन्मूलन के लिए तत्काल प्रभावी उपाए किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.आई. शानवास ........................................ 774

(पांच) तमिलनाडु के अरानी में रेशम पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. कृष्णास्वामी ........................................ 775

(छह) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड को अपने ग्राहकों के भुगतान का निपटान करने के लिए राहत पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल ........................................ 775-776

(सात) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश करने वाली समस्याओं से निपटने के लिए अर्थोपाय सुझाने हेतु एक विशेष केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार ........................................ 776-777

(आठ) राजस्थान के जैसलमेर जिले में चिन्नेवाला टिब्बा गैस क्षेत्र के ओ.एन.जी.सी. द्वारा गैस भंडार का दोहन किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां ........................................ 777

(नौ) गुजरात में साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की हिम्मतनगर तहसील में किसानों को रेल लाइनों के नीचे पानी की पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण ........................................ 777-778

(दस) देश में बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने तथा बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु उपयुक्त व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार ........................................ 778

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में किसानों को गेहूं का लाभकारी मूल्य दिए जाने की आवश्यकता

श्री आर.के. सिंह पटेल ........................................ 778-779

(बारह) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बरहज बाजार से फैजाबाद तक रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल ........................................ 779

| विषय | कॉलम |
|---|---|


(तेरह) बिहार के काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टिहरी प्रखंड में रसोई गैस लीक होने के कारण हुए हुए जान-माल के नुकसान की घटना की जांच कराने तथा प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री महाबली सिंह .................... 779-780

(चौदह) कंधमाल जिले तथा देश के अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड के टावरों को चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री रूद्रमाधव राय .................... 780

(पन्द्रह) महाराष्ट्र के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छावनी क्षेत्र के निकट घोषित रक्षा भूमि को खाली कराए जाने संबंधी आदेश का कार्यान्वयन निलंबित किए जाने की आवश्यकता

श्री चंद्रकांत खैरे .................... 780-781

(सोलह) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत तमिलनाडु के केरोसीन आबंटन कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. सेम्मलई .................... 781-782

(सत्रह) पारादीप पत्तन न्यास, ओडिशा में कार्यरत संविदा कामगारों को पर्याप्त मजदूरी तथा अन्य सेवा लाभ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री बिभू प्रसाद तराई .................... 782

(अठारह) बिहार के शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में नक्सल प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिए जाने तथा इन जिलों में विकास योजनाएं भी शुरू किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह .................... 782-783

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011**

श्री भक्त चरण दास .................... 783-784

| विषय | कॉलम |
|---|---|
| **अनुबंध-I** | |
| तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका | 785-786 |
| अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका | 786-794 |
| **अनुबंध-II** | |
| तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका | 795-796 |
| अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका | 795-798 |

# लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्रीमती मीरा कुमार

**उपाध्यक्ष**

श्री कड़िया मुंडा

**सभापति तालिका**

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह

डा. एम. तम्बिदुरई

डा. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

**महासचिव**

श्री टी.के. विश्वानाथन

## लोक सभा

---

*मंगलवार, 7 मई, 2013/17 वैशाख, 1935 (शक)*

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

**[अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं***]**

*[अनुवाद]*

### निधन संबंधी उल्लेख

**अध्यक्ष महोदया:** माननीय सदस्यों, मुझे सभा को श्री चन्द्रमणी त्रिपाठी के दुःखद निधन की सूचना देनी है। वह बारहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य के रीवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है।

वह 1977 से 1980 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे।

एक सुयोग्य सांसद, श्री त्रिपाठी ऊर्जा, उद्योग, ग्रामीण विकास और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समितियों के सदस्य भी रहे। वह कोयला मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

श्री चन्द्रमणी त्रिपाठी का निधन 66 वर्ष की आयु में 23 मार्च, 2013 को गुड़गांव में हुआ।

हम श्री त्रिपाठी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं सभा की ओर से और अपनी ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करती हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

**पूर्वाह्न 11.02 बजे**

*तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।*

---

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** अब प्रश्न काल।

प्रश्न संख्या 561, श्री वैजयंत पांडा।

*...(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.03 बजे**

*इस समय श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी, श्री घनश्याम अनुरागी, शेख सैदुल हक, श्री शेर सिंह घुबाया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।*

*...(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.03½ बजे**

### प्रश्न का मौखिक उत्तर

*[अनुवाद]*

#### मूल्य-वृद्धि को विनियमित करना

*561. **श्री वैजयंत पांडा:**

**श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जमाखोरी को रोकने सहित आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार बढ़ती कीमतों की समस्या का समाधान करने के लिए बाजार हस्तक्षेप निधि के गठन को सुकर बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य बातें क्या हैं और उक्त निधि को प्रशासित करने के लिए किस एजेंसी को अभिहित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

#### *विवरण*

(क) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण तथा उनकी उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे कि शून्य अथवा रियायती आयात शुल्क पर आम उपभोग की विभिन्न वस्तुओं के आयात की अनुमति देना और इसके साथ-साथ उन वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक होल्डिंग सीमाएं निर्धारित करना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वहनीय दरों पर खाद्यान्नों आबंटन करना आदि। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम संलग्न अनुबंध-I में दिए गए हैं।

उपभोक्ताओं को बेईमान व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर-बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 अधिनियमित किया है। प्रशासनिक एवं विनियामक उपायों के माध्यम से कदाचार, मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी को रोकते हुए आवश्यक

वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने में राज्य सरकारों की मुख्य भूमिका है। सभी राज्य सरकारों को इन दोनों अधिनियमों का यथोचित उपयोग करने के लिए समय-समय पर परामर्श दिया जाता है।

थोक मूल्य सूचकांक जो सामान्य मूल्य प्रवृत्ति का संकेतक है, यह दर्शाता है कि प्राथमिक खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जो वर्ष 2010 में 17.70% तक पहुंच गई थी, वर्ष 2011 में गिर कर 9.09% हो गई थी तथा वर्ष 2012 में और कम होकर 8.46% रह गई।

मुद्रास्फीति दर, फरवरी, 2013 माह के 11.38% की तुलना में मार्च, 2013 में गिरकर 8.73% हो गई। इस अवधि के दौरान चावल और गेहूं जैसे खाद्यान्नों, चना दाल, मसूर दाल तथा उड़द दाल जैसी दालों, आलू, प्याज तथा टमाटर जैसी सब्जियां, दूध, चीनी तथा खाद्य तेलों की मुद्रास्फीति दर में भी गिरावट आई।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सूचना प्राप्त हुई है जो संलग्न अनुबंध-II में दी गई है।

(ख) और (ग) बाजार हस्तक्षेप निधि की स्थापना को सुगम बनाने संबंधी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**अनुबंध-I**

**सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:**

- गेहूं, प्याज, दालों के लिए आयात शुल्क को घटाकर शून्य किया गया और रिफाइन्ड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को घटाकर 7.5% और किया गया।
- चीनी पर आयात शुल्क को 10% रखा गया है।
- खाद्य तेलों (नारियल तेल और वन आधारित तेल के 5 कि.ग्रा. के उपभोक्ता पैकों में न्यूनतम निर्यात मूल्य 1500 यू.एस. डॉलर प्रति मीट्रिक टन को छोड़कर) तथा दालों (काबुली चना और जैविक दलहन तथा मसूर के अधिकतम 10 हजार टन प्रतिवर्ष को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं जैसे कि दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के मामले में समय-समय पर 30.09.2013 तक तथा धान और चावल के संबंध में 30.11.2013 तक स्टॉक सीमा अधिरोपित की गई।
- चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रुपये प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा.) और गेहूं (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 4.15 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा.) के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को वर्ष 2002 से कायम रखा गया।
- चावल, उडद, और तूर जैसी वस्तुओं के भावी सौदों को स्थगित कर दिया गया।
- सरकार ने ओ.एम.एस.एस. स्कीम के तहत चावल और गेहूं का आबंटन किया।
- सब्सिडीकृत आयातित खाद्य तेलों की स्कीम को इस अवधि के लिए 10 लाख टन तक खाद्य तेलों के आयात के लिए 15 रु. प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी के साथ 30.09.2013 तक आगे बढ़ाया गया है।

***अनुबंध-II***

*आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई*

| वर्ष | छापों की संख्या | गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या | अभियोजित किए गए व्यक्तियों की संख्या | दोषसिद्ध पाए गए व्यक्तियों की संख्या | जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य (लाख रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20011 | 180785 | 4498 | 4486 | 30 | 7164.8068 |
| 2012 | 151544 | 4249 | 3454 | 414 | 23797.88 |

स्रोत: ई.सी.आर. एंड ई. प्रभाग, उपभोक्ता मामले विभाग

**श्री वैजयंत पांडा:** महोदया, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उनके द्वारा सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य के आलोक में कि यह संकेत दर्शाता है कि जहां थोक मूल्य सूचकांक ...*(व्यवधान)*

महोदय, क्या माननीय मंत्री जी जवाब देंगे कि उन्होंने जो उठाये गए कदमों के बारे में सभा में बताया है, क्या उनमें से किसी भी कदम से इन आवश्यक खाद्य उत्पादों, जो कि मुद्रास्फीति को प्रभावित कर रहे हैं, की जमाखोरी को नियंत्रित करने पर कोई विशेष प्रभाव पड़ रहा है?...*(व्यवधान)*

---

*[अनुवाद]*

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### शिक्षा और रोजगार में आरक्षण

*562. **श्री मनोहर तिरकी:**

**श्री के. सुधाकरण:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शिक्षा और रोजगार में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को कब से शुरू किया गया है;

(ख) क्या देश में उक्त वर्गों के लिए आरक्षण उनकी वास्तविक जनसंख्या के अनुरूप है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों में और जातियों को जोड़ने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (कुमारी सैलजा):** (क) सरकार द्वारा दिनांक 21.09.1947 को अनुसूचित जातियों के लिए रिक्तियों में आरक्षण प्रदान करने हेतु अनुदेश जारी किए गए थे। संविधान के प्राख्यापन के उपरांत, सरकार के अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरक्षण हेतु दिनांक 131.09.1950 को संकल्प जारी किया था। सरकार ने दिनांक 08.09.1993 को भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण आरंभ किया था। वर्ष 1957 से कई चरणों में विभिन्न प्रकार की पदोन्नतियों में आरक्षण प्रदान किया गया है। 93वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के अनुसरण में संसद द्वारा 3 जनवरी, 2007 को केन्द्रीय शैक्षिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 पास किया गया था जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, रखरखाव की गई अथवा सहायता प्राप्त कतिपय केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं (सी.ई.आई.) में अनुसूचित जातियों (एस.सी.)/अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.)/अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ.बी.सी.) के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है।

(ख) और (ग) संविधान का अनुच्छेद 16(4) यह निर्धारित करता है कि राज्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकता है जिनका राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इन्द्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था दी है कि खंड (4) पर्याप्त प्रतिनिधित्व का उल्लेख करता है न कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का। उच्चतम न्यायालय की राय थी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकार करना संभव नहीं है।

केन्द्रीय शैक्षिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के अनुसार, अध्ययन अथवा संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक स्वीकृत संख्या में से 15% सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, 7.5% अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा 27% अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए केन्द्रीय शैक्षिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 3 के परन्तुक के अध्यधीन, आरक्षित होंगी।

(घ) और (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों की सूचियों में समावेशन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के ब्यौरे तथा उन पर की गई कार्रवाई की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

### *विवरण*

*अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में समावेशन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध तथा उन कार्रवाई की स्थिति*

| क्र.सं. | राज्य | प्रस्तावों की संख्या | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **अनुसूचित जातियां** | | | |
| 1. | केरल | 2 | संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 में शामिल प्रस्ताव जिसे दिनांक 21.05.2012 को लोक सभा में पेश किया गया था तथा इस समय विचारण और पारित करने के लिए लम्बित है। |
| 2. | मध्य प्रदेश | 1 | |
| 3. | ओडिशा | 4 | |
| 4. | त्रिपुरा | 3 | |
| 5. | हरियाणा | 1 | किसी विधेयक को पेश करने के लिए अपेक्षित मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। |
| 6. | कर्नाटक | 1 | |
| 7. | ओडिशा | 6 | |
| 8. | मध्य प्रदेश | 1 | प्रस्ताव भारत के महापंजीयक (आर.जी.आई.) को अपनी टिप्पणियां देने के लिए भेज दिए गए थे। |
| 9. | झारखंड | 5 | |
| 10. | दादरा और नगर हवेली | 1 | |
| 11. | उत्तर प्रदेश | 3 | |
| 12. | केरल | 2 | प्रस्तावों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन.सी.एस.सी.) को भेज दिया गया था। |
| 13. | ओडिशा | 16 | प्रस्ताव समावेशन के लिए पात्र नहीं पाए गए थे चूंकि आर.जी.आई. ने दूसरी बार भेजने के बावजूद भी समर्थन नहीं किया है। |
| 14. | छत्तीसगढ़ | 2 | |
| 15. | उत्तराखंड | 1 | |
| 16. | केरल | 2 | |
| 17. | झारखंड | 1 | |
| **अन्य पिछड़ा वर्ग** | | | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 4 | एन.सी.बी.सी. ने अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों के समावेशन के लिए सलाह दे दी थी। |
| 2. | गोवा | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | हिमाचल प्रदेश | 4 | |
| 4. | झारखंड | 2 | |
| 5. | कर्नाटक | 9 | |
| 6. | केरल | 4 | |
| 7. | महाराष्ट्र | 2 | |
| 8. | तमिलनाडु | 5 | |
| 9. | पश्चिम बंगाल | 37 | |
| 10. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 9 | |
| 11. | पुदुचेरी | 1 | |
| 12. | आन्ध्र प्रदेश | 14 | प्रस्ताव सलाह के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) को भेज दिए गए थे। एन.सी.बी.सी. ने सूचित किया है कि यह मामला न्यायाधीन है, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किए जाने को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्राप्त होने तक स्थगित रखा गया है। |
| 13. | हरियाणा | 5 | प्रस्ताव सलाह के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) को भेज दिए गए थे। हरियाणा की 5 जातियों/समुदायों के संबंध में एन.सी.बी.सी. की सलाह अभी प्रतीक्षित है। |
| **अनुसूचित जातियां** | | | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 2 | सभी राज्यों के प्रस्तावों पर अनुमोदित कियाविधियों के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विचार किया गया है। |
| 2. | असम | 10 | |
| 3. | बिहार | 4 | |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 14 | |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 2 | |
| 6. | जम्मू और कश्मीर | 2 | |
| 7. | झारखंड | 6 | |
| 8. | कर्नाटक | 4 | |
| 9. | केरल | 4 | |
| 10. | मध्य प्रदेश | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11. | पुदुचेरी | 1 | |
| 12. | राजस्थान | 1 | |
| 13. | सिक्किम | 11 | |
| 14. | तमिलनाडु | 6 | |
| 15. | त्रिपुरा | 1 | |
| 16. | उत्तराखंड | 2 | |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 5 | |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 7 | |

*[हिन्दी]*

**निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारी**

***563. श्री यशवंत लागुरी:**

**श्री मनसुखभाई डी. बसावा:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों में पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारी/उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान, राज्य-वार, ऐसे कुल कितने मामलों का पता लगा तथा दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारी को कोई परामर्श जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए अन्य क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) जी हां, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) द्वारा पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में 30.04.2013 तक की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्राप्त गैर कानूनी नजरबंदी की शिकायतों के आधार पर पंजीकृत किए गए मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है। उपर्युक्त अवधि के दौरान अवैध गिरफ्तारी के 43 मामलों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 28.96 लाख रुपये की आरंभिक राहत की संस्तुति की है। गैर कानूनी नज़रबंदी के 60 मामलों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 26.55 लाख रुपये की आर्थिक गिरफ्तारी तथा गैर कानूनी नजरबंदी के चार मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी अनुशंसा की है।

(ग) और (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। इसलिए, यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक अपराध में कार्रवाई करे। तथापि, सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रासंगिक मामलों जैसे-हिरासत में हुई मौतों, व्यक्तियों की गिरफ्तारी आदि के बारे में किए जाने वाले आवश्यक उपायों के बारे में समय-समय पर परामर्शी-पत्र जारी किए गए हैं। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 19.09.2001 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, राज्यों की पुलिस की कार्यशैली में ज्यादा से ज्यादा जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के मद्देनजर गिरफ्तारियों सहित विभिन्न मुद्दों पर परामर्शी-पत्र/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जो विवरण-II के रूप में संलग्न है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो उनकी वेबसाइट - http://nhrc.nic.in/documents/sec-3.pdf पर उपलब्ध है।

(ङ) मानवाधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए एन.एच.आर.सी. द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

### *विवरण-I*

*राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग*

*पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में 30.04.2013 तक की अवधि के दौरान गैर कानूनी गिरफ्तारी (पुलिस) के संबंध में राज्यवार पंजीकृत मामलों की संख्या (यथा 03.05.2013 के.सी.एम.एस. के अनुसार आंकड़े)*

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2010-2011 | | | 2011-2012 | | | 2012-2013 | | | 2013-2014 (30/04/2013 तक) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पंजीकरण | निपटान | लंबित | पंजीकरण | निपटान | लंबित | पंजीकरण | निपटान | लंबित | पंजीकरण | निपटान | लंबित |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| आन्ध्र प्रदेश | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| असम | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिहार | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| गुजरात | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| हरियाणा | 13 | 13 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| जम्मू और कश्मीर | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कर्नाटक | 13 | 13 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| केरल | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| महाराष्ट्र | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| मणिपुर | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ओडिशा | 8 | 8 | 0 | 15 | 13 | 2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| पंजाब | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| राजस्थान | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| तमिलनाडु | 16 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| त्रिपुरा | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उत्तर प्रदेश | 1546 | 1539 | 7 | 1101 | 1047 | 54 | 589 | 360 | 229 | 48 | 0 | 48 |
| पश्चिम बंगाल | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिल्ली | 30 | 30 | 0 | 38 | 26 | 12 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| झारखंड | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| उत्तराखंड | 44 | 43 | 1 | 23 | 21 | 2 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| कुल योग | 1716 | 1699 | 17 | 1249 | 1167 | 82 | 703 | 424 | 279 | 55 | 2 | 53 |

*पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में 30.04.2013 तक की अवधि के दौरान गैर कानूनी नजरबंदी (पुलिस) के संबंध में राज्य-वार पंजीकृत मामलों की संख्या (यथा 03.05.2013 को सी.एम.एस. के अनुसार आंकड़े)*

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2010-2011 | | | 2011-2012 | | | 2012-2013 | | | 2013-2014 (30/04/2013 तक) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पंजीकरण | निपटान | लंबित | पंजीकरण | निपटान | लंबित | पंजीकरण | निपटान | लंबित | पंजीकरण | निपटान | लंबित |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| आन्ध्र प्रदेश | 28 | 25 | 3 | 20 | 18 | 2 | 25 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| असम | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| बिहार | 7 | 6 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| गोवा | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गुजरात | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| हरियाणा | 37 | 36 | 1 | 29 | 24 | 5 | 33 | 17 | 16 | 5 | 1 | 4 |
| हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| जम्मू और कश्मीर | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| कर्नाटक | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| केरल | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 14 | 14 | 0 | 11 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| महाराष्ट्र | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| मणिपुर | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मिजोरम | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ओडिशा | 9 | 9 | 0 | 13 | 13 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| पंजाब | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| राजस्थान | 30 | 29 | 1 | 22 | 22 | 0 | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| तमिलनाडु | 47 | 32 | 15 | 20 | 18 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| उत्तर प्रदेश | 728 | 726 | 2 | 889 | 795 | 94 | 1331 | 825 | 506 | 123 | 0 | 123 |
| पश्चिम बंगाल | 13 | 13 | 0 | 19 | 9 | 10 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| चंडीगढ़ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 56 | 55 | 1 | 61 | 54 | 7 | 53 | 25 | 28 | 1 | 0 | 1 |
| पुदुचेरी | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़ | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| झारखंड | 14 | 14 | 0 | 8 | 6 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| उत्तराखंड | 22 | 22 | 0 | 16 | 15 | 1 | 39 | 21 | 18 | 3 | 0 | 3 |
| कुल योग | 1058 | 1034 | 24 | 1161 | 1030 | 131 | 1596 | 969 | 627 | 140 | 2 | 138 |

### *विवरण-II*

गृह मंत्रालय
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
सितम्बर, 19, 2001

अ.शा.सं. 15011/55/2001-एच.आर.

प्रिय...........

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य तथा जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, उसके समक्ष दायर की गई रिट-याचिका में कतिपय दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं जिन्हें व्यक्तियों की गिरफ्तारी के समय अनुपालन में लाया जाना और इसके द्वारा गिरफ्तारियों से संबद्ध कानूनों को उस सीमा तक आशोधित किया जाना अपेक्षित है। डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को इस मंत्रालय द्वारा 02 जुलाई, 1997 को अनुपालन एवं रिपोर्ट के लिए पहले ही सभी गृह सचिवों के साथ-साथ सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पुलिस महानिदेशकों को परिचालित कर दिया गया था।

2. तथापि, ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, जिनमें प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी के समय इन सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया है। इससे न केवल देश के कानून का उल्लंघन होता है, अपितु इसके परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का भी बहुतायत से उल्लंघन होता है, जिसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। मैं, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए 11 सिद्धांतों को अनुपालनार्थ संक्षेप में नीचे दोहरा रहा हूं।

(i) गिरफ्तारी को अंजाम देने तथा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से पूछताछ करने वाले पुलिस कार्मिकों को सही-सही पठनीय और स्पष्ट पहचान-पत्र तथा उसके पदनामों सहित नामों की पट्टी पहननी चाहिए। ऐसे सभी पुलिस कार्मिकों, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ का दायित्व संभालते हैं, का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

(ii) गिरफ्तारी का दायित्व निबाहने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी-ज्ञापन तैयार करेगा और ऐसे ज्ञापन को, कम से कम एक गवाह, जो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के परिवार का या तो सदस्य हो या फिर उस बस्ती/स्थान का, कोई सम्मानीय व्यक्ति हो, जहां से गिरफ्तारी की गई हो, द्वारा सत्यापित किया जाएगा। इसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा भी प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा इस पर गिरफ्तारी का समय व तारीख अंकित की जाएगी।

(iii) कोई भी व्यक्ति, जिसे गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया गया हो और उसे पुलिस थाने या पूछताछ केन्द्र अथवा अन्य लोक-अप में, हिरासत में रखा गया हो, इस बात के लिए पात्र होगा कि उसके किसी मित्र या रिश्तेदार या उसे जानने वाला कोई अन्य व्यक्ति अथवा उसके कल्याण में रुचि लेने वाले किसी व्यक्ति को, जितना जल्दी संभव हो यह सूचित किया जाए कि उसे गिरफ्तार किया गया है और उसे अमुक जगह (जगह का नाम) पर नजरबंद करके रखा गया है, जब तक कि गिरफ्तारी के ज्ञापन को सत्यापित करने वाला गवाह स्वयं, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मित्र अथवा रिश्तेदार न हो।

(iv) पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का समय, स्थान तथा हिरासत की जगह के बारे में, गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे की अवधि के अंदर टेलीग्राफी के माध्यम से जिले और संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने में कानूनी सहायता संगठन के द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, जहाँ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का दूसरा मित्र अथवा रिश्तेदार उक्त जिले अथवा नगर के बाहर रहता हो।

(v) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही कैद अथवा नजरबंद किया जाता है, तो उसे, उसके इस अधिकार के बारे में बताया जाना चाहिए कि वह अपनी गिरफ्तारी अथवा नजरबंदी के बारे में किसी को सूचित कर सकता है।

(vi) नजरबंदी के स्थान पर डायरी में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनिवार्य रूप से एक प्रविष्टि की जानी चाहिए जिसमें उसके दूसरे मित्र अथवा व्यक्ति के नाम का भी उल्लेख हो जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई है और उन पुलिस अधिकारियों के नाम तथा विवरणों का उल्लेख किया जाना चाहिए जिनकी हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति रखा गया हो।

(vii) गिरफ्तार व्यक्ति की, जहां वह इस बात के लिए अनुरोध करे, गिरफ्तारी के समय जांच भी की जानी चाहिए तथा बड़ी और छोटी चोटें, यदि उसके शरीर पर हों, भी उस समय दर्ज की जानी चाहिए। "जांच ज्ञापन" पर गिरफ्तार व्यक्ति तथा गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और इसकी एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को मुहैया करायी जानी चाहिए।

(viii) गिरफ्तार व्यक्ति को, हिरासत में रखे जाने के दौरान प्रत्येक 48 घंटे में, संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा नियुक्त अनुमोदित डाक्टरों के पैनल के किसी प्रशिक्षित डाक्टर द्वारा चिकित्सा जांच के अध्यधीन किया जाना चाहिए, निदेशक, स्वास्थ्य सेवा को सभी जिलों के साथ-साथ सभी तहसिलों के लिए पैसा एक पैनल तैयार कर लेना चाहिए।

(ix) गिरफ्तारी मेमो (ज्ञापन) सहित ऊपर संदर्भित सभी दस्तावेजों की प्रतियां रिकार्ड हेतु मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए।

(x) गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान, लेकिन संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं, अपने वकील से मिलने की अनुमति प्रदान की जाए।

(xi) सभी जिलों तथा राज्य मुख्यालयों में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष मुहैया कराया जाना चाहिए, जहां गिरफ्तारी के 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी तथा गिरफ्तार व्यक्ति के हिरासत के स्थान के बारे में सूचना दी जाएगी तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष में इसे नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

3. अत: मैं पुन: दोहराता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऊपर संदर्भित मामले में निर्धारित किए गए सिद्धान्तों का अक्षरश: क्रियान्वयन करने के अनुदेश जारी किए जाएं।

सादर,

आपका,

(एस.बी. महापात्रा)

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के समस्त मुख्य सचिव
(संलग्न सूची के अनुसार)

*[अनुवाद]*

**पेंशन योजना की समीक्षा**

***564. श्री यशवीर सिंह:**

**श्री नीरज शेखर:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना की समीक्षा/इसमें संशोधन करने के लिए विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कुल कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए;

(ग) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और स्वतंत्रता सेनानियों की दशा को ध्यान में रखते हुए उक्त पेंशन योजना की समीक्षा करने और उसमें संशोधन करने के लिए किसी आयोग/समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पेंशन को कब तक संशोधित/इसकी समीक्षा किए जाने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना में संशोधन के लिए विभिन्न स्वतंत्रता सेनानी संगठनों एवं व्यक्तियों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सम्मान पेंशनधारियों के मूल पेंशन में अंतिम संशोधन वर्ष 2006 में किया गया था। मूल पेंशन के अतिरिक्त केंद्रीय सम्मान पेंशनधारी, महंगाई राहत प्राप्त करते हैं, जिसमें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बारह माह की औसत वृद्धि के आधार पर प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाता है। दिनांक 01.08.2012 से सम्मान पेंशन 16,775 रु. प्रति माह दी जा रही है, जिसमें 6,330 रु. का मूल पेंशन और 165 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत शामिल है। वर्तमान में स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना में संशोधन के लिए किसी आयोग/समिति का गठन नहीं किया गया है। तथापि, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की एक समिति मौजूद है।

**ग्रामीण अनाज बैंक**

***565. श्री हरिभाऊ जावले:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ग्रामीण अनाज बैंक की स्थापना हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और कितने प्राप्त किए गए और बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा उनकी प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण अनाज बैंक योजना के उचित कार्यान्वयन हेतु कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) 10वीं योजना के दौरान, 15084 ग्रामीण अनाज बैंकों (बी.जी.बी.) की मंजूरी का लक्ष्य था, इसकी तुलना में 14495 ग्रामीण अनाज बैंकों को मंजूरी दी गई। 11वीं योजनावधि के दौरान 12823 ग्रामीण अनाज बैंकों का लक्ष्य था जबकि इसकी तुलना में 10,278 ग्रामीण अनाज बैंकों को मंजूरी दी गई। लक्ष्य की प्राप्ति मुख्यत: राज्य सरकारों से पर्याप्त पात्र प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण नहीं हो सकी। 12वीं योजनावधि के दौरान, 6021 ग्रामीण अनाज बैंकों को स्थापित करने का लक्ष्य है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ग्रामीण अनाज बैंकों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। इस मुद्दे को समय-समय पर उनके साथ की गई समीक्षा बैठकों में भी उठाया गया है।

(ग) और (घ) जनवरी, 2008 में ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम के लिए जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनाज बैंकों की स्थापना खाद्य की कमी वाले क्षेत्रों जैसे सूखा-प्रवण इलाकों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानी इलाकों, जनजातीय क्षेत्रों और दुर्गम पर्वतीय इलाकों तथा बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण मुख्यधारा से कट जाने वाले क्षेत्रों में की जारी है। गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना वाले लगभग 30-40 परिवार एक अनाज बैंक की स्थापना कर सकते हैं। प्रमाणित ट्रैक-रिकार्ड रखने वाले ग्राम पंचायत/ग्राम सभा, महिला स्व-सहायता समूह अथवा गैर सरकारी संगठन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा चिन्हित प्राकृतिक आपदा प्रवण, खाद्य की कमी वाले गांवों या कस्बों में अनाज बैंक स्थापित करने

के पात्र हैं। इस योजना में दो घटक हैं अर्थात खाद्य घटक और नकद घटक। प्रत्येक बी.पी.एल./ए.ए.वाई. परिवार को एक क्विंटल खाद्यान्न भारत सरकार द्वारा एकमुश्त अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है।

*[हिन्दी]*

**ग्रामीण क्षेत्रों में एफ.एम. रेडियो सेवा को बढ़ावा देना**

*566. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:**

**श्री दानवे रावसाहेब पाटील:**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी कंपनियों द्वारा और आकाशवाणी द्वारा संचालित किए जा रहे/चलाए जा रहे एफ.एम. चैनल मुख्यत: शहरी श्रोताओं पर ही ध्यान दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में एफ.एम. चैनलों को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में एफ.एम. चैनलों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) से (ङ) एफ.एम. रेडियो क्षेत्र सहभागिता हेतु वर्ष 1999 में उस समय खोला गया जब एफ.एम. चरण-I की नीति की घोषणा की गई थी। तदनंतर, प्राइवेट एजेंसियों के जरिए एफ.एम. रेडियो प्रसारण के विस्तार (चरण-II) संबंधी नीतिगत दिशानिर्देशों की घोषणा वर्ष 2005 में की गई। राज्यों की राजधानियों के अतिरिक्त, 3 लाख और उसमें अधिक की आबादी वाले शहरों/कस्बों को एफ.एम. रेडियो प्रसारण के पहले दो चरणों के दौरान बोली प्रक्रिया हेतु चुना गया। इस समय, 85 शहरों में 242 चैनल कार्यशील हैं। यद्यपि इन दो चरणों में केवल शहरों/कस्बों को लिया गया तथापि, ट्रांसमीटरों के कवरेज क्षेत्र का नजदीकी ग्रामीण क्षेत्रों तक भी विस्तार हुआ।

चरण-II के अनुभव ने यह सुझाया कि एफ.एम. रेडियो क्षेत्र में भावी विकास हेतु अत्यधिक अदोहित क्षमता है। तदनुसार, चरण-II के शहरों/कस्बों के रिक्त चैनलों के अतिरिक्त, चरण-III में 2001 की जनगणना के अनुसार एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले सभी अन्य शहर/कस्बे, यदि उन्हें नजदीकी शहरों/कस्बों द्वारा कवर नहीं किया गया है, को कवर किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर (जे. एण्ड के.) और पूर्वोत्तर राज्यों (यद्यपि उनकी जनसंख्या एक लाख से कम है) के सीमावर्ती क्षेत्रों के 11 शहरों को भी सूची में शामिल किया गया है। प्राइवेट एजेंसियों के जरिए एफ.एम. रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार संबंधी नीतिगत दिशानिर्देशों (चरण-III) के अंतर्गत सरकार 294 शहरों/कस्बों में ऐसे 839 चैनलों की ई-नीलामी करने की प्रक्रिया में है। मौजूदा तथा प्रस्तावित प्राइवेट चैनलों का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I एवं विवरण-II में दिया गया है।

आकाशवाणी की एफ.एम. रेडियो सेवा शहरी तथा ग्रामीण दोनों प्रकार के श्रोतागणों को सेवा प्रदान करती है इस समय, आकाशवाणी के 332 एफ.एम. स्टेशनों में से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 301 एफ.एम. स्टेशन कार्यशील हैं जो संबंधित श्रवण-क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वर्तमान में, 11वीं योजना के दौरान अनुमोदित स्कीमों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हुए देश में आकाशवाणी के 146 नए एफ.एम. स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। 12वीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 137 स्थानों पर नए एफ.एम. स्टेशन स्थापित करने संबंधी एक स्कीम का भी प्रस्ताव किया गया है।

*विवरण-I*

| क्र.सं. | राज्य | शहर | चैनलों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | हैदराबाद | 4 |
| | | राजामुंदरी | 1 |
| | | तिरुपति | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | विजयवाड़ा | 2 |
| | | विशाखापटनम | 4 |
| | | वारांगल | 1 |
| | | **कुल** | **14** |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 1 |
| | | **कुल** | **1** |
| 3. | असम | गुवाहाटी | 3 |
| | | **कुल** | **1** |
| 4. | बिहार | मुजफ्फरपुर | 1 |
| | | पटना | 1 |
| | | **कुल** | **2** |
| 5. | चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) | चंडीगढ़ | 2 |
| | | **कुल** | **2** |
| 6. | छत्तीसगढ़ | बिलासपुर | 1 |
| | | रायपुर | 4 |
| | | **कुल** | **5** |
| 7. | दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र) | दिल्ली | 8 |
| | | **कुल** | **8** |
| 8. | गोवा | पणजी | 3 |
| | | **कुल** | **3** |
| | | अहमदाबाद | 5 |
| | | राजकोट | 3 |
| 9. | गुजरात | सूरत | 4 |
| | | वड़ोदरा | 4 |
| | | **कुल** | **16** |
| 10. | हरियाणा | हिसार | 3 |
| | | करनाल | 2 |
| | | **कुल** | **5** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11. | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 3 |
| | | **कुल** | **3** |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | जम्मू | 1 |
| | | श्रीनगर | 1 |
| | | **कुल** | **2** |
| 13. | झारखंड | जमशेदपुर | 3 |
| | | रांची | 4 |
| | | **कुल** | **7** |
| 14. | कर्नाटक | बेंगलुरु | 7 |
| | | गुलबर्गा | 1 |
| | | मंगलोर | 3 |
| | | मैसूर | 2 |
| | | **कुल** | **13** |
| 15. | केरल | कोच्चि | 3 |
| | | कन्नूर | 4 |
| | | कोझीकोड | 2 |
| | | तिरुवनंतपुरम | 4 |
| | | त्रिशूर | 4 |
| | | **कुल** | **17** |
| 16. | मध्य प्रदेश | भोपाल | 4 |
| | | ग्वालियर | 4 |
| | | इंदौर | 4 |
| | | जबलपुर | 4 |
| | | **कुल** | **16** |
| 17. | महाराष्ट्र | अहमदनगर | 2 |
| | | अकोला | 1 |
| | | औरंगाबाद | 2 |
| | | धूले | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | जलगांव | 2 |
| | | कोल्हापुर | 2 |
| | | मुंबई | 7 |
| | | नागपुर | 4 |
| | | नांदेड | 1 |
| | | नासिक | 2 |
| | | पुणे | 4 |
| | | सांगली | 2 |
| | | शोलापुर | 2 |
| | | **कुल** | **32** |
| 18. | मेघालय | शिलांग | 1 |
| | | **कुल** | **1** |
| 19. | ओडिशा | भुवनेश्वर/कटक | 3 |
| | | राउरकेला | 2 |
| | | **कुल** | **5** |
| 20. | पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र) | पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र) | 3 |
| | | **कुल** | **3** |
| 21. | पंजाब | अमृतसर | 3 |
| | | जालंधर | 4 |
| | | पटियाला | 3 |
| | | **कुल** | **10** |
| 22. | राजस्थान | अजमेर* | 2 |
| | | बीकानेर | 1 |
| | | जयपुर | 5 |
| | | जोधपुर* | 3 |
| | | कोटा | 3 |
| | | उदयपुर | 3 |
| | | **कुल** | **17** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 23. | सिक्किम | गंगटोक | 3 |
| | | **कुल** | **3** |
| 24. | तमिलनाडु | चेन्नै | 8 |
| | | कोयम्बटूर | 4 |
| | | मदुरई | 3 |
| | | तिरुची | 2 |
| | | तिरुनेलवेली | 2 |
| | | तुतीकोरिन | 2 |
| | | **कुल** | **21** |
| 25. | त्रिपुरा | अगरतला | 1 |
| | | **कुल** | **1** |
| 26. | उत्तर प्रदेश | आगरा | 2 |
| | | अलीगढ़ | 1 |
| | | इलाहाबाद | 2 |
| | | बरेली | 2 |
| | | गोरखपुर | 1 |
| | | झांसी | 1 |
| | | कानपुर | 3 |
| | | लखनऊ | 3 |
| | | वाराणसी | 3 |
| | | **कुल** | **18** |
| 27. | पश्चिम बंगाल | आसनसोल | 2 |
| | | कोलकाता | 9 |
| | | सिलिगुडी | 3 |
| | | **कुल** | **14** |
| | | कुल योग | 242 |

**विवरण-II**

*प्रस्तावित प्राइवेट एफ.एम. चैनल*

| क्र.सं. | राज्य | शहर का नाम | चरण-III के लिए उपलब्ध चैनल |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | हैदराबाद | 4 |
| 2. | | अदोनी | 3 |
| 3. | | अलवर | 3 |
| 4. | | अनंतपुर | 3 |
| 5. | | भीमाबरम | 3 |
| 6. | | चिराला | 3 |
| 7. | | चित्तूर | 3 |
| 8. | | कड़प्पा | 3 |
| 9. | | धर्मावरम | 3 |
| 10. | | इलुरु | 3 |
| 11. | | गुंटाकल | 3 |
| 12. | | हिंदूपुर | 3 |
| 13. | | हैदराबाद | 4 |
| 14. | | काकीनाडा | 4 |
| 15. | | करीमनगर | 3 |
| 16. | | खम्माम | 3 |
| 17. | | कोथागुदेम | 3 |
| 18. | | कुरुनूल | 4 |
| 19. | | मछलीपट्टनम | 3 |
| 20. | | मदानापल्ली | 3 |
| 21. | | महबूबनगर | 3 |
| 22. | | मंचेरियल | 3 |
| 23. | | नालगोंडा | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 24. | | नंदयाल | 3 |
| 25. | | नेल्लौर | 4 |
| 26. | | निजामाबाद | 3 |
| 27. | | अंगोला | 3 |
| 28. | | प्रोदत्तुर | 3 |
| 29. | | राजामुंदरई | 3 |
| 30. | | रमागुंदन | 3 |
| 31. | | तिरुपति | 2 |
| 32. | | विजयवाड़ा | 2 |
| 33. | | विजियानगरम | 3 |
| 34. | | वारांगल | 3 |
| | | **कुल** | **104** |
| 35. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | पोर्टब्लेयर | 3 |
| | | **कुल** | **3** |
| 36. | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 2 |
| | | **कुल** | **2** |
| 37. | असम | डिब्रुगढ़ | 3 |
| 38. | | जोरहाट | 3 |
| 39. | | नोगांव (नोगांग) | 3 |
| 40. | | सिल्चर | 3 |
| 41. | | तिनसुकिया | 3 |
| | | **कुल** | **15** |
| 42. | बिहार | आरा | 3 |
| 43. | | बेगुसराय | 3 |
| 44. | | बेतिया | 3 |
| 45. | | भागलपुर | 4 |
| 46. | | बिहार सरीफ | 3 |
| 47. | | छपरा | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 48. | | दरभंगा | 3 |
| 49. | | गया | 4 |
| 50. | | मोतीहारी | 3 |
| 51. | | मुंगेर | 3 |
| 52. | | मुजफ्फरपुर | 3 |
| 53. | | पटना | 3 |
| 54. | | पुर्णिया | 3 |
| 55. | | सहरसा | 3 |
| 56. | | सासाराम | 3 |
| 57. | | सिवान | 3 |
| | | **कुल** | **50** |
| 58. | चंडीगढ़/संघ राज्य क्षेत्र | चंडीगढ़ | 2 |
| 59. | छत्तीसगढ़ | बिलासपुर | 3 |
| 60. | | दुर्ग-भिलाईनगर | 3 |
| 61. | | जगदलपुर | 3 |
| 62. | | कोरबा | 3 |
| 63. | | राजगढ़ | 3 |
| | | **कुल** | **15** |
| 64. | दमन और दीव | दमन | 3 |
| | | **कुल** | **3** |
| 65. | दिल्ली | दिल्ली | 1 |
| | | **कुल** | **1** |
| 66. | गुजरात | अहमदाबाद | 1 |
| 67. | | बरौच | 3 |
| 68. | | भावनगर | 4 |
| 69. | | बोतड | 3 |
| 70. | | दोहद | 3 |
| 71. | | गोधरा | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 72. | | जामनगर | 4 |
| 73. | | जैतपुर नवागढ़ | 3 |
| 74. | | जूनागढ़ | 3 |
| 75. | | मेहसाना | 3 |
| 76. | | पालनपुर | 3 |
| 77. | | पाटन | 3 |
| 78. | | पोरबंदर | 3 |
| 79. | | राजकोट | 1 |
| 80. | | सूरत | 2 |
| 81. | | सुरेन्द्रनगर दुधरेज | 3 |
| 82. | | वीरावल | 3 |
| 83. | | वधवान (सुरेन्द्रनगर) | 3 |
| | | **कुल** | **51** |
| 84. | हरियाणा | अंबाला | 3 |
| 85. | | बहादुरगढ़ | 3 |
| 86. | | भिवानी | 3 |
| 87. | | हिसार | 1 |
| 88. | | जिंद | 3 |
| 89. | | कैथल | 3 |
| 90. | | करनाल | 1 |
| 91. | | पानीपत | 3 |
| 92. | | रेवाड़ी | 3 |
| 93. | | रोहतक | 3 |
| 94. | | सिरसा | 3 |
| 95. | | थानेसर | 3 |
| | | **कुल** | **32** |
| 96. | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 97. | | जम्मू | 3 |
| | | **कुल** | **6** |
| 98. | झारखंड | बोकारो स्टील सिटी | 3 |
| 99. | | देवघर | 3 |
| 100. | | धनबाद | 3 |
| 101. | | गिरीडीह | 3 |
| 102. | | हजारीबाग | 3 |
| 103. | | जमशेदपुर | 1 |
| | | **कुल** | **17** |
| 104. | कर्नाटक | बंगलौर | 1 |
| 105. | | बेलगाम | 4 |
| 106. | | बेल्लारी | 4 |
| 107. | | बिदार | 3 |
| 108. | | बीजापुर | 3 |
| 109. | | चिकमंगलुर | 3 |
| 110. | | चित्रदुर्गा | 3 |
| 111. | | देवानगिरी | 4 |
| 112. | | गदग बेतीगेरी | 3 |
| 113. | | गुलबर्ग | 3 |
| 114. | | हासन | 3 |
| 115. | | होजपेट | 3 |
| 116. | | हुबली-धारवाड़ | 4 |
| 117. | | कोल्लार | 3 |
| 118. | | मंगलौर | 1 |
| 119. | | मैसूर | 2 |
| 120. | | रायचुर | 3 |
| 121. | | सिमोगा | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 122. | | तुमकुर | 3 |
| 123. | | उडुपी | 3 |
| | | **कुल** | **59** |
| 124. | केरल | अलापुजा (अलेपी) | 4 |
| 125. | | कोच्चीन | 1 |
| 126. | | कानहानगढ़ (कसरगोद) | 3 |
| 127. | | कोझिकोड | 2 |
| 128. | | पलक्कड | 3 |
| | | **कुल** | **13** |
| 129. | लक्षद्वीप | कवारली | 3 |
| | | **कुल** | **3** |
| 130. | मध्य प्रदेश | बुरहानपुर | 3 |
| 131. | | छतरपुर | 3 |
| 132. | | छिंदवाड़ा | 3 |
| 133. | | दामोह | 3 |
| 134. | | गुना | 3 |
| 135. | | इटारसी | 3 |
| 136. | | खांडवा | 3 |
| 137. | | खारगोन | 3 |
| 138. | | मंदसौर | 3 |
| 139. | | मुरवारा (कटनी) | 3 |
| 140. | | निमुच | 3 |
| 141. | | रतलाम | 3 |
| 142. | | रीवा | 3 |
| 143. | | सागर | 4 |
| 144. | | सतना | 3 |
| 145. | | शिवपुरी | 3 |
| 146. | | सिंगरौली | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 147. | | उज्जैन | 4 |
| 148. | | विदिशा | 3 |
| | | **कुल** | **59** |
| 149. | महाराष्ट्र | अकोला | 3 |
| 150. | | जलगांव | 2 |
| 151. | | मुंबई | 2 |
| 152. | | नागपुर | 2 |
| 153. | | नांदेड | 3 |
| 154. | | अचलपुर | 3 |
| 155. | | अहमदनगर | 2 |
| 156. | | अमरावती | 4 |
| 157. | | औरंगाबाद | 3 |
| 158. | | बरसी | 3 |
| 159. | | धूले | 3 |
| 160. | | गोंडिया | 3 |
| 161. | | कोल्हापुर | 2 |
| 162. | | लातूर | 3 |
| 163. | | मालेगांव | 4 |
| 164. | | नासिक | 2 |
| 165. | | पुणे | 2 |
| 166. | | संगली | 2 |
| 167. | | सोलापुर | 2 |
| 168. | | वर्धा | 3 |
| 169. | | यवतमाल | 3 |
| | | **कुल** | **55** |
| 170. | मणिपुर | इंफाल | 3 |
| | | **कुल** | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 171. | मेघालय | शिलौंग | 1 |
| | | **कुल** | **1** |
| 172. | मिज़ोरम | आइजोल | 2 |
| | | **कुल** | **2** |
| 173. | नागालैंड | दीमापुर | 3 |
| 174. | | कोहिमा | 3 |
| | | **कुल** | **6** |
| 175. | ओडिशा | बालेश्वर | 3 |
| 176. | | बरीपदा | 3 |
| 177. | | भुवनेश्वर | 1 |
| 178. | | ब्रह्मपुर | 3 |
| 179. | | पुरी | 3 |
| 180. | | राउरकेला | 2 |
| 181. | | संबलपुर | 3 |
| | | **कुल** | **18** |
| 182. | | पुदुचेरी | 1 |
| 183. | पंजाब | अबोहर | 3 |
| 184. | | अमृतसर | 1 |
| 185. | | भटिंडा | 3 |
| 186. | | होशियारपुर | 3 |
| 187. | | लुधियाना | 4 |
| 188. | | मोगा | 2 |
| 189. | | पठानकोट | 3 |
| 190. | | पटियाला | 1 |
| | | **कुल** | **21** |
| 191. | राजस्थान | अजमेर | 2 |
| 192. | | अलवर | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 193. | | व्यावर | 3 |
| 194. | | भरतपुर | 3 |
| 195. | | भीलवाड़ा | 3 |
| 196. | | बीकानेर | 3 |
| 197. | | चुरु | 3 |
| 198. | | गंगानगर | 3 |
| 199. | | हनुमानगढ़ | 3 |
| 200. | | जयपुर | 1 |
| 201. | | जोधपुर | 1 |
| 202. | | झुंझुनू | 3 |
| 203. | | कोटा | 1 |
| 204. | | पाली | 3 |
| 205. | | सवाई माधोपुर | 3 |
| 206. | | सिकर | 3 |
| 207. | | टोंक | 3 |
| 208. | | उदयपुर | 1 |
| | | **कुल** | **45** |
| 209. | तमिलनाडु | चैन्ने | 1 |
| 210. | | कोन्नूर | 3 |
| 211. | | डिंडिगुल | 3 |
| 212. | | इरोड | 4 |
| 213. | | कराईकुड्डी | 3 |
| 214. | | करूर | 3 |
| 215. | | मदुरई | 1 |
| 216. | | नागरकोइल/कन्याकुमारी | 3 |
| 217. | | नेवेली | 3 |
| 218. | | पुडूकोट्टी | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 219. | | राजापलायम | 3 |
| 220. | | सलेम | 4 |
| 221. | | तंजावर | 3 |
| 222. | | तिरुची | 2 |
| 223. | | तिरुनेलवेली | 2 |
| 224. | | तिरुवन्नामलाई | 3 |
| 225. | | तुतीकोरीन | 2 |
| 226. | | वनियामबदी | 3 |
| 227. | | वेल्लौर | 4 |
| | | **कुल** | **53** |
| 228. | त्रिपुरा | अगरतला | 2 |
| | | **कुल** | **2** |
| 229. | उत्तर प्रदेश | आगरा | 2 |
| 230. | | अलीगढ़ | 3 |
| 231. | | इलाहाबाद | 2 |
| 232. | | आजमगढ़ | 3 |
| 233. | | बेहराइच | 3 |
| 234. | | बलिया | 3 |
| 235. | | बंदस | 3 |
| 236. | | बरेली | 2 |
| 237. | | बस्ती | 3 |
| 238. | | बंदायू | 3 |
| 239. | | देवरिया | 3 |
| 240. | | एटा | 3 |
| 241. | | इटावा | 3 |
| 242. | | फैजाबाद/अयोध्या | 3 |
| 243. | | फरुर्खाबाद सह फतेहगढ़ | 3 |
| 244. | | फतेहपुर | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 245. | | गाजीपुर | 3 |
| 246. | | गोंडा | 3 |
| 247. | | गोरखपुर | 3 |
| 248. | | हरदोई | 3 |
| 249. | | जौनपुर | 3 |
| 250. | | झांसी | 3 |
| 251. | | कानपुर | 3 |
| 252. | | लखीमपुर | 3 |
| 253. | | ललितपुर | 3 |
| 254. | | लखनऊ | 3 |
| 255. | | मैनपुरी | 3 |
| 256. | | मथुरा | 3 |
| 257. | | मुनथ भजन (भजन मउ) | 3 |
| 258. | | मिर्जापुर सह विंध्याचल | 3 |
| 259. | | मुरादाबाद | 4 |
| 260. | | मुजफ्फरनगर | 4 |
| 261. | | उरई | 3 |
| 262. | | राय बरेली | 3 |
| 263. | | सहारनपुर | 4 |
| 264. | | शाहजहांपुर | 4 |
| 265. | | सीतापुर | 3 |
| 266. | | सुल्तानपुर | 3 |
| 267. | | वाराणसी | 1 |
| | | **कुल** | **116** |
| 268. | उत्तराखंड | देहरादून | 4 |
| 269. | | हलद्वानी सह काठगोदाम | 3 |
| 270. | | हरिद्वार | 3 |
| | | **कुल** | **10** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 271. | पश्चिम बंगाल | अलीपुरद्वार | 3 |
| 272. | | आसनसोल | 2 |
| 273. | | बेहरामपुर | 3 |
| 274. | | बालुरघाट | 3 |
| 275. | | बनगांव | 3 |
| 276. | | बांकुरा | 3 |
| 277. | | वर्धमान | 3 |
| 278. | | दार्जिलिंग | 3 |
| 279. | | अंग्रेजी बाजार (मालदा) | 3 |
| 280. | | खडगपुर | 3 |
| 281. | | कृष्णानगर | 3 |
| 282. | | पुरुलिया | 3 |
| 283. | | रावगंज | 3 |
| | | **कुल** | **38** |
| | | **जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के सीमावर्ती शहर** | |
| 284. | जम्मू और कश्मीर | कारगिल | 3 |
| 285. | जम्मू और कश्मीर | लेह | 3 |
| 286. | जम्मू और कश्मीर | कठुआ | 3 |
| 287. | जम्मू और कश्मीर | पुंछ | 3 |
| 288. | जम्मू और कश्मीर | भदेरवाह | 3 |
| 289. | असम | धुबरी | 3 |
| 290. | असम | हॉफलांग | 3 |
| 291. | मेघालय | जोवाई | 3 |
| 292. | मिज़ोरम | लुंग-ली | 3 |
| 293. | नागालैंड | माकुकचुंग | 3 |
| 294. | त्रिपुरा | बेलोनिया | 3 |
| | | **कुल** | **33** |
| | | कुल योग | 839 |

### विवरण-III

*देश में स्थापित किए जा रहे आकाशवाणी के 146 नए एफ.एम. स्टेशन*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | केन्द्र | प्रेषित की क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | आदिलाबाद | 10 कि.वा. |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | कुडप्पा | 1 कि.वा. |
| 3. | आन्ध्र प्रदेश | खम्माम | 100 वाट |
| 4. | अरुणाचल प्रदेश | अनीनी | 1 कि.वा. |
| 5. | अरुणाचल प्रदेश | बारीजो | 100 वाट |
| 6. | अरुणाचल प्रदेश | भालूकपोंग | 100 वाट |
| 7. | अरुणाचल प्रदेश | बोलेंग | 100 वाट |
| 8. | अरुणाचल प्रदेश | चांगलेंग | 1 कि.वा. |
| 9. | अरुणाचल प्रदेश | छयंगताजो | 100 वाट |
| 10. | अरुणाचल प्रदेश | डापोरीजो | 100 वाट |
| 11. | अरुणाचल प्रदेश | गेनसी | 1 कि.वा. |
| 12. | अरुणाचल प्रदेश | हेबूलियांग | 100 वाट |
| 13. | अरुणाचल प्रदेश | खोन्सा | 1 कि.वा. |
| 14. | अरुणाचल प्रदेश | कोयू | 100 वाट |
| 15. | अरुणाचल प्रदेश | मारीयांग | 100 वाट |
| 16. | अरुणाचल प्रदेश | मेचूका | 100 वाट |
| 17. | अरुणाचल प्रदेश | ननपोंग | 100 वाट |
| 18. | अरुणाचल प्रदेश | पालिन | 100 वाट |
| 19. | अरुणाचल प्रदेश | रागा | 100 वाट |
| 20. | अरुणाचल प्रदेश | रुमगोंग | 100 वाट |
| 21. | अरुणाचल प्रदेश | संग्राम | 100 वाट |
| 22. | अरुणाचल प्रदेश | सागली | 100 वाट |
| 23. | अरुणाचल प्रदेश | तुटींग | 100 वाट |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | बाचूली | 100 वाट |
| 25. | अरुणाचल प्रदेश | विंगकियोंग | 100 वाट |
| 26. | अरुणाचल प्रदेश | बकुलीघाट | 100 वाट |
| 27. | अरुणाचल प्रदेश | बारपेटा | 100 वाट |
| 28. | असम | डुडनोई | 100 वाट |
| 29. | असम | गोलपारा | 100 वाट |
| 30. | असम | करीमगंज | 100 वाट |
| 31. | असम | लंका | 1 कि.वा. |
| 32. | असम | लुमडिंग | 1 कि.वा. |
| 33. | असम | सरीहजन | 100 वाट |
| 34. | असम | उडलगुरी | 100 वाट |
| 35. | बिहार | बैतिया | 100 वाट |
| 36. | बिहार | भागलपुरा | 100 वाट |
| 37. | बिहार | फोरसिबगंज | 100 वाट |
| 38. | बिहार | मधुबनी | 100 वाट |
| 39. | बिहार | मोतिहारी | 100 वाट |
| 40. | बिहार | मुजफ्फरपुर | 100 वाट |
| 41. | बिहार | सुपोल | 100 वाट |
| 42. | छत्तीसगढ़ | अम्बिकापुर | 5 कि.वा. |
| 43. | छत्तीसगढ़ | डोंगरगढ़ | 100 वाट |
| 44. | छत्तीसगढ़ | कनकेर | 100 वाट |
| 45. | छत्तीसगढ़ | खरोड | 100 वाट |
| 46. | छत्तीसगढ़ | कोरबा | 100 वाट |
| 47. | छत्तीसगढ़ | पनदारिया | 100 वाट |
| 48. | गुजरात | भुज | 5 कि.वा. |
| 49. | गुजरात | जूनागढ़ | 10 कि.वा. |
| 50. | हिमाचल प्रदेश | चीरीखास | 100 वाट |
| 51. | जम्मू और कश्मीर | ग्रीन रीज | 10 कि.वा. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 52. | जम्मू और कश्मीर | हिमबोटिंगला | 10 कि.वा. |
| 53. | जम्मू और कश्मीर | नाथाटोप | 10 कि.वा. |
| 54. | जम्मू और कश्मीर | नौशेरा | 10 कि.वा. |
| 55. | झारखंड | बोकारो | 100 वाट |
| 56. | झारखंड | छतरा | 100 वाट |
| 57. | झारखंड | देवघर | 100 वाट |
| 58. | झारखंड | दुमका | 100 वाट |
| 59. | झारखंड | घाटशिला | 100 वाट |
| 60. | झारखंड | गिरीडीह | 100 वाट |
| 61. | झारखंड | गुमला | 100 वाट |
| 62. | कर्नाटक | भद्रावती | 1 कि.वा. |
| 63. | केरल | त्रिचूर | 1 कि.वा. |
| 64. | मध्य प्रदेश | छतरपुर | 5 कि.वा. |
| 65. | मध्य प्रदेश | ग्वालियर | 5 कि.वा. |
| 66. | मध्य प्रदेश | झाबुआ | 100 वाट |
| 67. | मध्य प्रदेश | रतलाम | 100 वाट |
| 68. | महाराष्ट्र | अमरावती | 10 कि.वा. |
| 69. | महाराष्ट्र | जलगांव | 5 कि.वा. |
| 70. | महाराष्ट्र | परभणी | 1 कि.वा. |
| 71. | महाराष्ट्र | रत्नागिरी | 1 कि.वा. |
| 72. | महाराष्ट्र | सांगली | 1 कि.वा. |
| 73. | मणिपुर | चिंगई | 100 वाट |
| 74. | मणिपुर | तेमेई | 100 वाट |
| 75. | मणिपुर | तमेंतलेंग | 1 कि.वा. |
| 76. | मणिपुर | उखरूल | 1 कि.वा. |
| 77. | मेघालय | बाघमारा | 100 वाट |
| 78. | मेघालय | चेरापूंजी | 100 वाट |
| 79. | मेघालय | तुरा | 5 कि.वा. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 80. | मिजोरम | चम्पाई | 1 कि.वा. |
| 81. | मिजोरम | चीतफुरी | 100 वाट |
| 82. | मिजोरम | खवबुंग | 100 वाट |
| 83. | मिजोरम | कोलासिब | 1 कि.वा. |
| 84. | मिजोरम | पुकिजंग | 100 वाट |
| 85. | मिजोरम | ट्यूपेंग | 1 कि.वा. |
| 86. | मिजोरम | वानलाइफाई | 100 वाट |
| 87. | मिजोरम | जीरगीन | 100 वाट |
| 88. | नागालैंड | हेनिमा/तेनिंग | 100 वाट |
| 89. | नागालैंड | नेलूरी | 100 वाट |
| 90. | नागालैंड | फेक | 1 कि.वा. |
| 91. | नागालैंड | वोखा | 1 कि.वा. |
| 92. | नागालैंड | जूनहेबोटो | 1 कि.वा. |
| 93. | ओडिशा | भवानीपटना | 5 कि.वा. |
| 94. | ओडिशा | जैपोर | 1 कि.वा. |
| 95. | ओडिशा | क्योंझार | 10 कि.वा. |
| 96. | ओडिशा | रायरंगपुर | 1 कि.वा. |
| 97. | ओडिशा | सम्बलपुर | 5 कि.वा. |
| 98. | पंजाब | अमृतसर | 20 कि.वा. |
| 99. | पंजाब | फाजिल्का | 20 कि.वा. |
| 100. | राजस्थान | अजमेर | 5 कि.वा. |
| 101. | राजस्थान | चीटन हिल | 20 कि.वा. |
| 102. | राजस्थान | कोटा | 1 कि.वा. |
| 103. | राजस्थान | सीकर | 100 वाट |
| 104. | सिक्किम | चूंगथाग | 100 वाट |
| 105. | सिक्किम | इनतम | 100 वाट |
| 106. | सिक्किम | ग्वालसिंग | 100 वाट |
| 107. | सिक्किम | लचेन | 100 वाट |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 108. | सिक्किम | लांबुग, फोरेस्ट गेस्ट हाउस | 100 वाट |
| 109. | सिक्किम | मेगन | 100 वाट |
| 110. | सिक्किम | नामथैंग, पोलिस थाना | 100 वाट |
| 111. | सिक्किम | सोरंग | 100 वाट |
| 112. | सिक्किम | यूकसोम | 100 वाट |
| 113. | तमिलनाडु | तुटीकोरीन | 1 कि.वा. |
| 114. | त्रिपुरा | धोबमानु | 100 वाट |
| 115. | त्रिपुरा | दमछारा | 100 वाट |
| 116. | त्रिपुरा | गंदचारा | 100 वाट |
| 117. | त्रिपुरा | जोलावेरी | 100 वाट |
| 118. | त्रिपुरा | अम्बासा | 100 वाट |
| 119. | त्रिपुरा | लौंगथराई | 5 कि.वा. |
| 120. | त्रिपुरा | नूतन बाजार | 1 वाट |
| 121. | त्रिपुरा | साखन | 100 वाट |
| 122. | त्रिपुरा | सिलाचेरी | 100 कि.वा. |
| 123. | त्रिपुरा | उदयपुर | 1 कि.वा. |
| 124. | त्रिपुरा | वंगमुन (भंगमुन) | 100 वाट |
| 125. | संघ शासित क्षेत्र | दिव | 100 वाट |
| 126. | उत्तर प्रदेश | आगरा | 5 कि.वा. |
| 127. | उत्तर प्रदेश | बांदा | 10 कि.वा. |
| 128. | उत्तर प्रदेश | पउनाथभंजन | 10 कि.वा. |
| 129. | उत्तर प्रदेश | रायबरेली | 10 कि.वा. |
| 130. | उत्तर प्रदेश | अल्मोड़ा | 10 कि.वा. |
| 131. | उत्तराखंड | बागेश्वर | 20 कि.वा. |
| 132. | उत्तराखंड | चंपावत | 5 कि.वा. |
| 133. | उत्तराखंड | देहरादून | 5 कि.वा. |
| 134. | उत्तराखंड | गैरसेन | 1 कि.वा. |
| 135. | उत्तराखंड | हल्दवानी | 100 कि.वा. |
| 136. | उत्तराखंड | हरिद्वार | 100 वाट |
| 137. | उत्तराखंड | न्यू टीहरी | 1 कि.वा. |
| 138. | उत्तराखंड | रानीखेत | 100 वाट |
| 139. | पश्चिम बंगाल | बालारामपुर | 100 वाट |
| 140. | पश्चिम बंगाल | बर्द्धमान | 100 वाट |
| 141. | पश्चिम बंगाल | बसंती | 100 वाट |
| 142. | पश्चिम बंगाल | फरक्का | 100 वाट |
| 143. | पश्चिम बंगाल | कूचबिहार | 10 कि.वा. |
| 144. | पश्चिम बंगाल | कृष्णा नगर | 100 वाट |
| 145. | पश्चिम बंगाल | मेदनीपुर | 100 वाट |
| 146. | पश्चिम बंगाल | पुरुलिया | 100 वाट |

*[अनुवाद]*

**पनधारा विकास संबंधी परियोजनाएं**

***567. श्री वरुण गांधी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूरे देश में सतत् कृषि पद्धतियों के विकास हेतु वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार क्या-क्या कार्य शुरू किए गए;

(ग) क्या विश्व बैंक ने देश के पश्चिमी भागों में पनधारा परियोजनाओं के विकास हेतु किसानों के लिए कोई ऋण स्वीकृत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर,ए.) के तहत राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न, विवरण में दी गई है। यह

परियोजना कृषि सूक्ष्म प्रबंधन योजना का भाग थी जो 01 अप्रैल 2013 से बन्द कर दी गई है। एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. के तहत की गई गतिविधियां मृदा तथा आर्दता संरक्षण, वर्षा जल संचयन, फसल उत्पादन, वनरोपण, बागवानी, चरागाह विकास, क्षमता निर्माण, जागरूकता उत्पन्न करना आदि है। ये गतिविधियां अब राष्ट्रीय विकास योजना के तहत प्रत्येक राज्य द्वारा उनकी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार शुरू की जा सकती है।

(ग) और (घ) देश के पश्चिमी भाग में पनधारा परियोजनाओं के विकास के लिए विश्व बैंक ने किसानों को कोई ऋण नहीं दिया है।

***विवरण***

*पिछले तीन वर्षों (2010-11 से 2012-13) के दौरान एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. के तहत प्राप्त लक्ष्य तथा उपलब्धियां*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्तीय (लाख रुपये में) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | |
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 325.00 | 246.75 | 200.00 | 459.57 | 375.00 | 356.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1081.20 | 1061.80 | 700.00 | 310.30 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | बिहार | 398.90 | 334.96 | 500.00 | 537.99 | 0.00 | 181.47 |
| 4. | झारखंड | 1258.24 | 1114.30 | 902.30 | 869.45 | 953.55 | 953.00 |
| 5. | गोवा | 50.57 | 82.60 | 42.78 | 274.00 | 254.42 | 500 |
| 6. | गुजरात | 1000.00 | 982.16 | 800.00 | 794.35 | 1064.00 | 652.71 |
| 7. | हरियाणा | 172.00 | 267.39 | 394.39 | 170.95 | 522.32 | 57.71 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 434.77 | 589.98 | 400.00 | 338.70 | 400.00 | 373.87 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 550.00 | 298.94 | 751.00 | 474.63 | 687.46 | 388.82 |
| 10. | कर्नाटक | 1250.00 | 1250.00 | 1125.97 | 1125.98 | 1000.00 | 722.22 |
| 11. | केरल | 353.57 | 640.36 | 268.00 | 936.36 | 400.00 | 400.00 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 1729.00 | 1729.00 | 1600.00 | 1831.90 | 1700.00 | 1700.00 |
| 13. | छत्तीसगढ़ | 821.00 | 729.43 | 743.53 | 1286.45 | 720.80 | 726.98 |
| 14. | महाराष्ट्र | 2075.10 | 2679.10 | 1852.07 | 1852.00 | 1910.16 | 1907.16 |
| 15. | मणिपुर | 700.00 | 1096.00 | 516.75 | 716.75 | 572.00 | 572.68 |
| 16. | मिज़ोरम | 2500.00 | 2500.00 | 540.00 | 600.00 | 600.00 | 1276.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | मेघालय | 1340.00 | 1054.50 | 1370.20 | 975.00 | 700.00 | 700.00 |
| 18. | नागालैंड | 1460.00 | 1460.00 | 780.00 | 1030.00 | 520.00 | 519.96 |
| 19. | ओडिशा | 1350.00 | 1347.20 | 936.00 | 873.79 | 1058.80 | 459.00 |
| 20. | पंजाब | 450.00 | 496.25 | 0.00 | 0.00 | 533.32 | 2.50 |
| 21. | राजस्थान | 1625.00 | 1175.30 | 1300.00 | 994.99 | 1400.00 | 662.25 |
| 22. | सिक्किम | 553.97 | 553.97 | 86.36 | 86.27 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | तमिलनाडु | 327.85 | 569.24 | 1235.00 | 664.03 | 711.87 | 119584 |
| 24. | त्रिपुरा | 1277.78 | 1245.10 | 695.06 | 718.03 | 400.00 | 400.00 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 4822.50 | 4832.60 | 3392.83 | 3040.49 | 0.00 | 0.00 |
| 26. | उत्तराखंड | 1106.10 | 1252.20 | 1065.10 | 1171.98 | 1400.00 | 886.00 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 1441.89 | 185.82 | 1347.29 | 14.32 | 0.00 | 912.00 |
| | कुल | 30454.44 | 29774.95 | 23544.63 | 22148.28 | 17629.28 | 16260.59 |

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वास्तविक (क्षेत्र हैक्टेयर में) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | |
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 4200 | 4166 | 2000 | 3143 | 3750 | 3945 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 10455 | 12139 | 7650 | 4250 | 0 | 0 |
| 3. | बिहार | 3325 | 2792 | 4167 | 4361 | 0 | 1512 |
| 4. | झारखंड | 10486 | 9286 | 7520 | 7245 | 7946 | 7946 |
| 5. | गोवा | 500 | 1129 | 533 | 2483 | 0 | 2738 |
| 6. | गुजरात | 13333 | 9419 | 6666 | 7603 | 8870 | 6754 |
| 7. | हरियाणा | 1430 | 2865 | 3286 | 2132 | 2956 | 867 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 3300 | 4913 | 3335 | 2823 | 3344 | 2965 |

| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 4584 | 4986 | 6830 | 7915 | 12000 | 6481 |
| 10. | कर्नाटक | 10417 | 14503 | 10240 | 12228 | 10000 | 15346 |
| 11. | केरल | 4243 | 8784 | 2440 | 12711 | 4000 | 5400 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 20748 | 17867 | 16000 | 16454 | 14167 | 14167 |
| 13. | छत्तीसगढ़ | 9852 | 8282 | 10000 | 17067 | 11600 | 9087 |
| 14. | महाराष्ट्र | 17292 | 22325 | 15434 | 15434 | 15893 | 15433 |
| 15. | मणिपुर | 6151 | 8862 | 4970 | 7122 | 5720 | 7506 |
| 16. | मिज़ोरम | 21000 | 20834 | 4900 | 5000 | 5043 | 10631 |
| 17. | मेघालय | 11200 | 8788 | 9983 | 7761 | 7000 | 7000 |
| 18. | नागालैंड | 14600 | 14600 | 7800 | 8583 | 5200 | 4333 |
| 19. | ओडिशा | 11250 | 11385 | 7800 | 7315 | 11385 | 4832 |
| 20. | पंजाब | 11562 | 4190 | 0 | 0 | 4445 | 0 |
| 21. | राजस्थान | 13542 | 11500 | 20834 | 9598 | 11667 | 6621 |
| 22. | सिक्किम | 4860 | 4860 | 732 | 736 | 0 | 0 |
| 23. | तमिलनाडु | 5464 | 9487 | 67970 | 11067 | 11864 | 19763 |
| 24. | त्रिपुरा | 10648 | 10375 | 6320 | 5983 | 3330 | 3082 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 49745 | 48612 | 31647 | 40890 | 0 | 0 |
| 26. | उत्तराखंड | 10000 | 14487 | 24716 | 10995 | 11666 | 8200 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 17300 | 1659 | 12250 | 125 | 0 | 9047 |
| | कुल | 301487 | 293095 | 296023 | 231024 | 171846 | 173656 |

*कृषि योजना में सूक्ष्म प्रबंधन के तहत प्राथमिकता तथा कोष उपलब्धता पर आधारित राज्य द्वारा परिवर्तन की शर्त पर लक्ष्य

**दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा**

568. **श्री ए. सम्पत:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में स्थापित दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों के कार्यकरण की कोई समीक्षा/निगरानी कराई है;

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें क्या-क्या कमियां पाई गई तथा इन कमियों को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त केन्द्रों के सुचारु कार्यकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा-शर्तों से संबंधित मामलों का समाधान किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन कर्मचारियों की शिकायतों का कब तक निवारण कर दिया जाएगा?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) से (ङ) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के अनुसार, गिम के कार्यों का सामान्य संचालन, निदेशन और प्रबंधन, जिसके आकाशवाणी और दूरदर्शन भाग है, प्रसार भारती बोर्ड में निहत हैं।

प्रसार भारती अपने कार्यकरण की समीक्षा क्षेत्रीय समन्वय बैठकों और साथ ही उच्चतम स्तर पर अतिरिक्त समिति बैठकों के माध्यम से करती है। उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी के कार्यकरण की समीक्षा इन समीक्षाओं का एक अंग है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन तंत्र में स्टॉफ की कमी है, क्योंकि वर्ष 1997 में प्रसार भारती के निर्माण के पश्चात नयी भर्ती बहुत कम की गयी है। प्रसार भारती में अंचल-वार और पद-वार महत्वपूर्ण रिक्तियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सरकार ने प्रसार भारती के कार्यकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए एक मंत्री-समूह (जी.ओ.एम.) का गठन किया गया था। मंत्री-समूह ने विभिन्न मुद्दों पर विचार किया और प्रसार भारती के अभिशासन और वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाने केलिए अनुशंसाएं कीं।

इससे मानव और वित्तीय संसाधनों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे हल हुए हैं जिनमें महत्वपूर्ण पदों को भरना और सरकार द्वारा लोक प्रसारक से संबंधित वित्तीय पुनर्सरचना पैकेज का अनुमोदन, न्यायिक मामलों की सक्षम निगरानी हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली का उन्नयन, उन्नत वित्तीय प्रबंधन, कार्यक्रम निर्माण में गुणवत्तापूर्ण सुधार और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के बीच उन्नत समन्वय शामिल हैं।

सरकार ने प्रसार भारती के कर्मचारियों की सेवा दशाओं से संबंधित मामलों को हल करने और कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान करने क लिए बहुत से कदम उठाए हैं। उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में, निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

(i) सरकार ने प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 11 में संशोधन किया है जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के संवर्ग से संबंधित सभी कर्मचारी जिन्हें 05.10.2007 तक भर्ती किया गया था, सेवा निवृत्ति तक समवत प्रतिनियुक्त पर प्रसार भारती में सेवा करेंगे और सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष वेतन और अन्य लाभों के हकदार होंगे।

(ii) इसमें यह प्रावधान भी है कि 05.10.2007 के पश्चात भर्ती किए गए कर्मचारी प्रसार भारती के कर्मचारी होंगे।

(iii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशानुसार आशोचित सुनिश्चित कैरियर उन्नयन स्कीम के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन तथा संगठित समूह 'क' सेवा से संबंधित कर्मचारियों के अकृत्यिक (नॉन फंक्शनल) उन्नयन को भी विस्तृत किया गया है।

(iv) प्रसार भारती ने बहुत समय से लंबित विभागीय पदोन्नति समितियों का आयोजन किया है और पदोन्नतियां प्रदान की हैं।

(v) सरकार ने 1150 पदों को भरने का अनुमोदन भी प्रदान कर दिया है और भर्ती प्रक्रिया पहले ही आरंभ हो चुकी है।

***विवरण***

*क्षेत्र-वार और पद-वार कुल महत्वपूर्ण रिक्तियां (3452)*

| पद का नाम | क्षेत्र | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | उत्तरी क्षेत्र | पूर्वी क्षेत्र | दक्षिणी क्षेत्र | पश्चिमी क्षेत्र | पूर्वोत्तर | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सहायक स्टेशन | 157 | 49 | 62 | 61 | 31 | 360 |
| सहायक स्टेशन अभियंता (जे.टी.एस.) | 438 | 46 | 190 | 346 | 180 | 1200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| तकनीशियन | 147 | 0 | 53 | 86 | 30 | 316 |
| **कार्यक्रम** | | | | | | |
| सहायक केंद्र निदेशक | 43 | 42 | 40 | 48 | 47 | 220 |
| कार्यक्रम कार्यपालक | 17 | 70 | 104 | 52 | 117 | 360 |
| प्रसारण कार्यपालक | 149 | 112 | 214 | 223 | 108 | 806 |
| कैमरामैन ग्रेड-II | 79 | 7 | 6 | 7 | 15 | 114 |
| निर्माण सहायक | 14 | 10 | 7 | 2 | 13 | 46 |
| प्रशासन | | | | | | |
| प्रधान लिपिक/लेखाकार/वरिष्ठ स्टोर कीपर | 12 | 4 | 5 | 2 | 7 | 30 |
| | | | | | कुल | 3452 |

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता**

*569. **श्री एस. अलागिरी:**

**श्री गणेश सिंह:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताओं/सामग्री के अन्यत्र उपयोग से संबंधित बड़ी संख्या में पता चले मामलों को देखते हुए इसके कार्यकरण में भ्रष्टाचार को रोकने तथा पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाए हैं अथवा नए मॉडल शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने/इसे सुदृढ़ करने हेतु उक्त मॉडलों में से किसी मॉडल पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार/अनियमितताओं/सामग्री के अन्यत्र उपयोग के पता चले मामलों, इस संबंध में किए गए सुधारात्मक उपायों और चूकों के लिए जिम्मेदार ठहराए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) जी, हां। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भ्रष्टाचार को रोकने, पारदर्शिता लाने और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) के समक्ष कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न पहलें शुरू की हैं। टी.पी.डी.एस. के आधुनिकीकरण के एक भाग के रूप में छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात राज्यों और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने टी.पी.डी.एस, की कम्प्यूटरीकृत आपूर्ति शृंखला प्रबंधन कार्यान्वित किया है। गुजरात राज्य ने बार-कोडेड राशन कार्डों का प्रयोग और कामन सेवा केन्द्रों (सी,एस.सी.) के माध्यम से फूड-कूपन जारी करना शुरू किया है। खाद्यान्नों के प्रेषण/उचित दर दुकानों पर उनकी उपलब्धता के संबंध में एस.एम.एस. एलर्ट के माध्यम से सूचना का प्रसारण छत्तीसगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश में प्रचालनाधीन (आपरेशनल) है। इसके अतिरिक्त, इस विभाग ने आन्ध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली और हरियाणा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में टी.पी.डी.एस. के कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं का वित्त पोषण किया है। इन प्रायोगिक परियोजनाओं और अन्य सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर टी.पी.डी.एस. प्रचालनों के कम्प्यूटरीकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा एक कॉमन एप्लीकेशन साफ्टवेयर (सी.ए.एस.) तैयार किया गया है। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू की गई सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और सुधार कार्यों को विभिन्न सम्मेलनों, बैठकों आदि में साझा किया जाता है ताकि अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक समान नवीन और नए मॉडलों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहन मिले।

(घ) आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने और उपलब्धता तथा वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 को सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है जिसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को टी.पी.डी.एस. की सुचारू कार्य-पद्धति को सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित कार्रवाई किए जाने की व्यवस्था है। उक्त आदेश में आदेश के प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में खंड 8 और 9 के अधीन दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिकार दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त आदेश के खंड 8 और 9 के अधीन की गई कार्रवाई के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

*जनवरी, 2010 से मार्च, 2013 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के खंड 8 और 9 के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की गई कार्रवाई के परिणाम*

(31.3.2013 की स्थिति के अनुसार)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वर्ष | निरीक्षणों की संख्या | मारे गए छापों की संख्या | गिरफ्तार/अभियोजित/दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या | निलंबित/निरस्त ए.पी.एस. लाइसेंसों/जारी किए गए कारण बताओ नोटिस/दर्ज एफ.आई.आर. की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 2010 | * | * | * | * |
| | | 2011 | * | * | * | * |
| | | 2012 | * | * | * | * |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 2010 | 111 | 00 | 00 | 07 |
| | | 2011 | 21 | 151 | 0 | 01 |
| | | 2012 | 0 | 12 | 0 | 00 |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 3. | असम | 2010 | 2363 | 349 | 05 | 89 |
| | | 2011 | 3361 | 1454 | 200 | 129 |
| | | 2012 | * | * | * | * |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 4. | बिहार | 2010 | 64332 | 81 | 31 | 7721 |
| | | 2011 | 70927 | 51 | 49 | 8926 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | * | * | * | * |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 2010 | 31123 | 694 | 20 | 547 |
| | | 2011 | 27503 | 285 | 07 | 215 |
| | | 2012 | * | * | * | * |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 6. | दिल्ली | 2010 | 65 | 57 | 24 | 08 |
| | | 2011 | 110 | 26 | 09 | 78 |
| | | 2012 | 29 | 00 | 00 | 28 |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 7. | गोवा | 2010 | 366 | 00 | 00 | 10 |
| | | 2011 | 344 | 00 | 00 | 51 |
| | | 2012 | 334 | 00 | 00 | 23 |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 8. | गुजरात | 2010 | 15508 | 00 | 143 | 338 |
| | | 2011 | 20005 | 00 | 139 | 316 |
| | | 2012 | 15637 | 00 | 45 | 209 |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 9. | हरियाणा | 2010 | 5972 | 388 | 32 | 2160 |
| | | 2011 | * | * | * | * |
| | | 2012 | * | * | * | * |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 2010 | 24009 | 00 | 0 | 2458 |
| | | 2011 | 35933 | 00 | 08 | 00 |
| | | 2012 | 23769 | 00 | 02 | 00 |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 2010 | * | * | * | * |
| | | 2011 | * | * | * | * |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | * | * | * | * |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 12. | झारखंड | 2010 | * | * | * | * |
| | | 2011 | * | * | * | * |
| | | 2012 | * | * | * | * |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 13. | कर्नाटक | 2010 | 67671 | 23687 | 175 | 347 |
| | | 2011 | 78030 | 1334 | 157 | 162 |
| | | 2012 | 64484 | 784 | 69 | 59 |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 14. | केरल | 2010 | 73985 | 21164 | 49 | 151 |
| | | 2011 | 43568 | 4102 | 06 | 54 |
| | | 2012 | 110840 | 6760 | 02 | 127 |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 15. | मध्य प्रदेश | 2010 | 118150 | 18383 | 60 | 1524 |
| | | 2011 | 118126 | 57691 | 00 | 4884 |
| | | 2012 | 97846 | 16910 | 19 | 2323 |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 16. | महाराष्ट्र | 2010 | * | * | * | * |
| | | 2011 | 45446 | 5054 | 116 | 907 |
| | | 2012 | * | * | * | * |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 17. | मणिपुर | 2010 | 101 | 00 | 00 | 00 |
| | | 2011 | 44 | 00 | 00 | 00 |
| | | 2012 | * | * | * | * |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 18. | मेघालय | 2010 | 897 | 65 | 07 | 69 |
| | | 2011 | 1288 | 39 | 00 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 324 | 07 | 00 | 02 |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 19. | मिज़ोरम | 2010 | 353 | 246 | 00 | 24 |
| | | 2011 | 366 | 340 | 02 | 10 |
| | | 2012 | 338 | 223 | 00 | 03 |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 20. | नागालैंड | 2010 | 197 | 08 | 00 | 00 |
| | | 2011 | 299 | 14 | 00 | 00 |
| | | 2012 | 69 | 03 | 00 | 01 |
| | | 2013 | 69 | 03 | 00 | 01 |
| 21. | ओडिशा | 2010 | 00 | 56341 | 245 | 1643 |
| | | 2011 | 00 | 73523 | 368 | 2722 |
| | | 2012 | 00 | 31197 | 131 | 1229 |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 22. | पंजाब | 2010 | 29157 | 5864 | 08 | 1335 |
| | | 2011 | 36462 | 8844 | 08 | 1304 |
| | | 2012 | * | * | * | * |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 23. | राजस्थान | 2010 | 00 | 359 | 214 | 00 |
| | | 2011 | 00 | 489 | 283 | 00 |
| | | 2012 | 00 | 194 | 227 | 00 |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 24. | सिक्किम | 2010 | 87 | 00 | 00 | 00 |
| | | 2011 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 2012 | * | * | * | * |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 25. | तमिलनाडु | 2010 | 239993 | 27485 | 3981 | 00 |
| | | 2011 | 234103 | 13779 | 1290 | 00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 184677 | 10290 | 2340 | 00 |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 26. | त्रिपुरा | 2010 | 12379 | 419 | 12 | 760 |
| | | 2011 | 7027 | 186 | 42 | 590 |
| | | 2012 | 7520 | 311 | 00 | 605 |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 27. | उत्तराखंड | 2010 | 10853 | 5419 | 45 | 181 |
| | | 2011 | 8513 | 4258 | 27 | 159 |
| | | 2012 | 2953 | 1477 | 7 | 16 |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 28. | उत्तर प्रदेश | 2010 | 194259 | 40124 | 2375 | 10619 |
| | | 2011 | 44152 | 11693 | 653 | 3523 |
| | | 2012 | 76458 | 19226 | 976 | 5302 |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 2010 | 17257 | 415 | 05 | 894 |
| | | 2011 | 19378 | 405 | 58 | 1154 |
| | | 2012 | 7703 | 151 | 01 | 495 |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 2010 | 263 | 00 | 00 | 15 |
| | | 2011 | 90 | 00 | 03 | 09 |
| | | 2012 | 316 | 00 | 00 | 17 |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 31. | चंडीगढ़ | 2010 | * | * | * | * |
| | | 2011 | 14 | 03 | 03 | 00 |
| | | 2012 | 00 | 00 | 0 | 00 |
| | | 2013 | * | * | * | * |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 2010 | 43 | 00 | 00 | 04 |
| | | 2011 | 72 | 40 | 08 | 03 |
| | | 2012 | * | * | * | * |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 33. | दमन और दीव | 2010 | 18 | 00 | 00 | 19 |
| | | 2011 | * | * | * | * |
| | | 2012 | * | * | * | * |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 34. | लक्षद्वीप | 2010 | * | * | * | * |
| | | 2011 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 2012 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | | 2013 | * | * | * | * |
| 35. | पुदुचेरी | 2010 | 646 | 337 | 09 | 03 |
| | | 2011 | 496 | 615 | 22 | 01 |
| | | 2012 | 125 | 420 | 95 | 00 |
| | | 2013 | * | * | * | * |

*सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

## कुक्कुट उत्पादों की कीमतें

*570. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**

**श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चिकन और अण्डों की कीमतें बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में 'बर्ड फ्लू' के फैलने के बाद सरकार ने कुक्कुट मदों के निर्यात पर तीन महीने का अनिवार्य प्रतिबंध लगा दिया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन मदों के निर्यात से प्रतिबंध हटाएगी; और

(ङ) इन उत्पादों का उत्पादन और इनके मूल्यों को स्थिर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) और (ख) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष में अंडों और चिकन के औसत थोक मूल्यों में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न स्थानों पर 2011-12 में अंडों के औसत मूल्यों की तुलना में 2012-13 के दौरान (-) 1.8% से 22% तक अन्तर रहा है। इसी प्रकार, विभिन्न स्थानों पर 2011-12 में चिकन के औसत मूल्यों की तुलना में 2012-13 के दौरान लगभग 3.8% से 95.5%

की रेंज में वृद्धि हुई है। कुक्कुट उत्पादों में वृद्धि का एक मुख्य कारण कुक्कुट आहार, सोया मील और मक्का जैसे आहार अवयवों के मूल्यों में वृद्धि होना है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने एवियन इंफ्लूएंजा के हाल के प्रकोप के बाद कुक्कुट मदों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।

(ङ) भारत सरकार ने 21 अगस्त, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक वितेलित सोया सत्य, मूंगफली तेल खली/तेल खली मील, सूरजमुखी तेल खली/तेल खली मील, कनोला तेल खली/तेल खली मील, सरसों तेल खली/तेल खली मील के मामले में आयात शुल्क की दरें कम करके शून्य कर दी हैं। 17 सितम्बर, 2012 से मक्का की भूसी पर आयात शुल्क भी माफ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने जुलाई, 2011 में राज्यों के उन विभागों तथा एजेंसियों को शामिल किया है जिनके पास भारतीय खाद्य निगम के आहार श्रेणी के स्टॉक के लिए खुली (निविदा/नीलामी) के लिए पात्र कुक्कुट आहार विनिर्माण संयंत्र हैं, बशर्ते कि वे अपने पास आहार स्टाक विनिर्माण संयंत्र और/अथवा कुक्कुट आहार विनिर्माण संयंत्र होने की पुष्टि करते हों।

**नकदी फसलों की खेती**

***571. श्री एस. पक्कीरप्पा:**

**श्री महेश जोशी:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती करना अधिक लाभकारी हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के कुछ भागों में किसान नकदी फसलों की खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नकदी फसलों की खेती की ओर बढ़ते रूझान के कारण देश में आवश्यक खाद्य फसलों के उत्पादन में स्थिरता आ गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों को खाद्य फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने और खाद्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को बेहतर लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) फसलों की लाभप्रदता बाजार मूल्यों, उत्पादकता एवं खेती की लागत से मुख्य रूप से प्रभावित होती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की रिपोर्ट के अनुसार, कपास पटसन एवं गन्ने में 27 प्रतिशत, 13.5 प्रतिशत तथा 61.7 प्रतिशत की तुलना में निवल लाभप्रता क्रमशः गेहूं में 36 प्रतिशत, घने में 23 प्रतिशत, धान में 19.3 प्रतिशत तथा तूर में 33.1 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) सरकार अनुमानों के अनुसार, 2006-07 से 2012-13 के दौरान कपास एवं गन्ने के तहत क्षेत्र में क्रमशः 4.52 प्रतिशत तथा 0.09 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर तक बढ़ोत्तरी हुई है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में कपास तथा बिहार एवं कर्नाटक में गन्ने के क्षेत्र में मुख्य बदलाव की सूचना मिली है। गेहूं एवं दलहनों के तहत क्षेत्र में मामूली सी बढ़ोत्तरी के बावजूद, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में खाद्यान्नों की कमी के कारण, उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों के तहत समग्र क्षेत्र ने 0.34 प्रतिशत वार्षिक औसत दर तक गिरावट दर्शाई है।

(घ) देश में खाद्यान्न उत्पादन में कोई मंदी नहीं है। 2006-07 में खाद्यान्न उत्पादन 217.28 मिलियन टन से बढ़कर 2012-13 के दौरान 255.36 मिलियन टन हो गया है (तीसरे अग्रिम अनुमान)।

(ङ) देश में सतत आधार पर कृषि फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, भारत सरकार अनेक फसल विकास योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है, यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), राष्ट्रीय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.), एकीकृत तिलहन, दलहन, पामआयल एवं मक्का योजना (आर.के.वी.वाई.), एकीकृत तिलहन, दलहन, पामआयल एवं मक्का योजना (आई.सी.पाम.) आदि। इन योजनाओं के तहत, राज्य विशिष्ट कृषि नीतियों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को निधियों प्रदान की जाती हैं जिसमें शामिल हैं गुणवत्ता बीजों के उत्पादन/उपयोग को बढ़ावा देना, एकीकृत पोषाहार प्रबंधन (आईएन.एम.), एकीकृत कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.) फार्म अभियांत्रिकीकरण आदि। राज्यों को जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए कृषि अंतसंरचना के सृजन हेतु सहायता भी प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, सरकार ने उच्च्य पैदावार, तापक्रम में उतार-चढ़ावों जैसे एबायोटिक दबावों की सहिष्णुता से संबंधित कीट/रोग सहिष्णुता फसल किस्मों/हाइब्रिडों, भू/जल लवणता, भू अम्लयता आदि

के विकास सिहत आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में अनेक उपाय किए हैं। सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों को अभियांत्रिकीकरण सहित आधुनिक प्रौद्योगिकियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जलवायु लचीली कृषि एवं नवाचार विस्तार दृष्टिकोणों के लिए संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को अपनाने के संबंध में बढ़ावा भी दे रही है।

सरकार मुख्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) प्रति वर्ष यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित करती है कि उत्पादक अपने उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें।

**खाद्यान्न भण्डारों की सुरक्षा**

*572. **कुमारी सरोज पाण्डेय:**

**श्री ए.के.एस. विजयन:**

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से सरकार द्वारा रखे गए अधिशेष खाद्यान्न-भण्डारों के क्षतिग्रस्त होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ, उनकी कितनी खरीद की गई, उनका कितना भण्डारण किया गया तथा उनकी कितनी मांग थी और उनके कितने नुकसान का पता चला है;

(ग) क्या सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भण्डारण क्षमता और इसके संवर्धन हेतु अपेक्षित धनराशि के संबंध में कोई आकलन किया है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) भण्डारण अवसंरचना में सुधार लाने, खाद्यान्न भण्डारों की सुरक्षा करने तथा अधिशेष भण्डारों के परिसमापन हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) भण्डारण के दौरान खाद्यान्न भंडारण में कीड़ों के संक्रमण, छत में लीकेज, अवैज्ञानिक भंडारण की स्थिति में नमी आने, बाढ़ आने अथवा एहतियाती उपाय करने में संबंधित कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरतने आदि के कारण बर्बाद हो सकते हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल के क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य हुए खाद्यान्नों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों में गेहूं और चावल के उत्पादन और खरीद का राज्यवाव ब्यौरा क्रमश: विवरण-II और विवरण-III में दिया गया है। वर्तमान वर्ष और पिछले तीन वर्षों की प्रत्येक तिमाही में केन्द्रीय पूल में चावल और गेहूं के वास्तविक स्टाक का ब्यौरा विवरण-IV दिया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के कुल आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है। (ग) और (घ) सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि मध्यावधि में केन्द्रीय खाद्य स्टॉक के लिए 200 लाख टन अतिरिक्त कवर्ड भंडारण क्षमता की आवश्यकता होगी। देश में भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार निजी उद्यमियों, केंद्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए भंडारण गोदामों के निर्माण हेतु निजी उद्यमी गारंटी योजना चला रही है। निजी उद्यमी गारंटी योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य। निगम इस योजना के तहत निर्मित गोदामों कोक दस वर्ष की अवधि के लिए किराए पर लेन की गारंटी देता है। दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, 19 राज्यों में लगभग 197 लाख क्षमता के गोदामों के निर्माण का अनुमोदन किया गया है। दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत लगभग 70 लाख टन की कुल क्षमता का निर्माण पूरा हो गया है।

इसके अतिरिक्त, दीर्घकालीन वैज्ञानिक भंडारण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के जरिए निजी उद्यमों गारंटी योजना की कुल स्वीकृत क्षमता के भीतर साइलो में 20 लाख टन भंडारण क्षमता के निर्माण का भी अनुमोदन किया है।

सरकार पूर्वोत्तर तथा ऐसे अन्य दुर्गम क्षेत्रों के लिए एक योजना स्कीम को कार्यान्वित कर रही है जहां निजी निवेश की संभावना नहीं है। आगामी 3 से 4 वर्षों में पूर्वोत्तर में भारतीय खाद्य निगम के जरिए 5.40 लाख टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित की जानी है। इस उद्देश्य के लिए योजना आयोग द्वारा लगभग 460 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2012-13 में इस योजना स्कीम के अंतर्गत 4570 टन क्षमता सृजित की गई है। एक बार पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये क्षमताएं सृजित हो जाने के बाद 3 से 4 माह की भंडारण आवश्यकता पूरी हो जाएगी।

खाद्यान्नों की सुरक्षा के लिए सरकार ने केन्द्रीय पूल में बर्बादी से बचने के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों को खाद्यान्नो के सुरक्षित भंडारण के संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा अनिवार्य रूप से किए जाने वाले एहतियाती एवं उपचारात्मक उपाय संलग्न विवरण-VI में दर्शाए गए हैं।

सरकार खाद्यान्नों के अधिशेष स्टॉक के प्रबंधन के लिए

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अतिरिक्त आबंटन करती रही है। वर्ष 2012-13 के दौरान, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुल 26.96 लाख टन गेहूं और 52.03 लाख टन चावल का अतिरिक्त आबंटन किया गया है। इसके अलावा, खुला बाजार बिक्री योजना के तहत थोक उपभोक्ताओं/निजी व्यापारियों को निविदा बिक्री के लिए जुलाई, 2012 से अब तक 95 लाख टन गेहूं आबंटित किया जा चुका है और दिनांक 31.3.2013 तक इस योजना के तहत लगभग 66.5 लाख टन गेहूं की बिक्री की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के जरिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत खुदरा उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए 5 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चावल का भी अनुमति दी गई थी जिसमें से 30.4.2013 की स्थिति के अनुसार 34.50 लाख टन गेहूं का निर्यात कर दिया गया है। इसके अलावा, निजी निर्यातकों के जरिए निर्यात के लिए मार्च, 2013 में पंजाब एवं हरियाणा के केंद्रीय पूल के स्टॉक में से रबी विपणन मौसम 2011-12 के 50 लाख टन गेहूं की बिक्री की भी अनुमति दी गई है।

*विवरण-I*

*पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम में क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य पाए गए क्षेत्रवार खाद्यान्न*

(आंकड़े टन में)

| क्र.सं. | क्षेत्र | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 (1.4.2013 तक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | बिहार | 726 | 200 | 0 | 997.61 |
| 2. | झारखंड | 17 | 39 | 29 | 3.43 |
| 3. | ओडिशा | 0 | 18 | 36 | 1 |
| 4. | पश्चिम बंगाल | 1357 | 922 | 477 | 45 |
| 5. | असम | 38 | 49 | 442 | 51.54 |
| 6. | पूर्वोत्तर सीमांत | 77 | 175 | 0 | 195 |
| 7. | नागालैंड और मणिपुर | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | दिल्ली | 5 | 1 | 10.9 | 39.86 |
| 9. | हरियाणा | 0 | 53 | 0 | 148.04 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | पंजाब | 2273 | 182 | 37 | 123 |
| 12. | राजस्थान | 12 | 21 | 30 | 120.83 |
| 13. | उत्तर प्रदेश | 14 | 520 | 258 | 18.3 |
| 14. | उत्तराखंड | 0 | 1338 | 72 | 221 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | मध्य प्रदेश | 0 | 3 | 4.33 | 24.72 |
| 16. | केरल | 19 | 99 | 200 | 0 |
| 17. | कर्नाटक | 70 | 17 | 0 | 141.77 |
| 18. | तमिलनाडु | 1 | 12 | 29 | 749.66 |
| 19. | गुजरात | 814 | 2595 | 226 | 195 |
| 20. | महाराष्ट्र | 245 | 97 | 1473 | 61 |
| 21. | मध्य प्रदेश | 49 | 2 | 0 | 3.02 |
| 22. | केरल | 974 | 2 | 13.78 | 8.98 |
| | जोड़ | 6702 | 6346 | 3338.01 | 3148.76 |

## *विवरण-II*

*गेहूं का राज्यवार उत्पादन और खरीद*

(आंकड़े लाख टन में)

| राज्य | उत्पादन (फसल वर्ष) | | | | खरीद (रबी विपणन मौसम) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13# | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14* |
| बिहार | 46.23 | 40.98 | 47.87 | 51.43 | 1.83 | 5.56 | 7.72 | 0.0 |
| गुजरात | 26.48 | 40.20 | 41.00 | 29.34 | 3.67 | 1.05 | 1.56 | 0.0 |
| हरियाणा | 105 | 116.30 | 126.84 | 116.64 | 63.35 | 69.28 | 86.65 | 54.84 |
| मध्य प्रदेश | 78.46 | 76.27 | 105.8 | 123.90 | 35.38 | 49.65 | 84.93 | 49.81 |
| महाराष्ट्र | 17.57 | 23.01 | 13.13 | 8.09 | - | - | - | 0.0 |
| पंजाब | 152.63 | 164.72 | 172.06 | 161.69 | 102.05 | 109.58 | 128.34 | 98.07 |
| राजस्थान | 68.27 | 72.15 | 93.19 | 92.56 | 4.76 | 13.03 | 19.64 | 6.67 |
| उत्तर प्रदेश | 278.1 | 300.01 | 302.93 | 303.33 | 16.73 | 34.61 | 50.63 | 2.85 |
| उत्तराखंड | 8.37 | 8.78 | 8.74 | 9.11 | 0.86 | 0.42 | 1.39 | 0.03 |
| पश्चिम बंगाल | 8.37 | 8.74 | 8.84 | 9.00 | 0.09 | - | - | 0.0 |
| अन्य | 17.62 | 17.58 | 18.63 | 17.90 | 0.11 | 0.17 | 0.62 | 0.09 |
| **अखिल भारत जोड़** | 808.0 | 868.74 | 948.80 | 922.99 | 225.14 | 283.85 | 381.48 | 212.36 |

#खाद्यान्नों के उत्पादन के संबंध में कृषि और सहकारिता विभाग के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार।

*दिनांक 2.5.2013 की स्थिति के अनुसार

### विवरण-III

*चावल का राज्यवार उत्पादन और खरीद*

(आंकड़े लाख टन में)

| राज्य | उत्पादन (फसल वर्ष) | | | | खरीद (रबी विपणन मौसम) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12* | 2012-13* |
| आन्ध्र प्रदेश | 105.38 | 144.18 | 128.88 | 104.88 | 75.4 | 96.09 | 75.42 | 27.99 |
| असम | 43.36 | 47.37 | 40.09 | 47.68 | 0.08 | 0.16 | 0.23 | - |
| बिहार | 35.99 | 31.02 | 72.01 | 67.68 | 8.9 | 8.83 | 15.34 | 2.30 |
| छत्तीसगढ़ | 61.59 | 60.28 | 62.46 | 33.51 | 37.46 | 41.15 | 41.1 | 40.83 |
| गुजरात | 12.92 | 14.97 | 17.64 | 14.67 | 0 | 0 | 0.04 | - |
| हरियाणा | 36.25 | 34.72 | 37.59 | 38.02 | 18.19 | 16.87 | 20.07 | 25.90 |
| हिमाचल प्रदेश | 1.06 | 1.29 | 1.32 | 1.05 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| झारखंड | 15.38 | 11.10 | 34.18 | 34.84 | 0.23 | 0.002 | 2.75 | 0.03 |
| कर्नाटक | 36.91 | 41.88 | 40.38 | 34.85 | 0.86 | 1.8 | 3.56 | 0.15 |
| केरल | 5.98 | 5.23 | 5.55 | 5.18 | 2.61 | 2.63 | 3.76 | - |
| मध्य प्रदेश | 12.61 | 17.72 | 18.38 | 24.74 | 2.14 | 5.16 | 6.35 | 8.18 |
| महाराष्ट्र | 21.83 | 26.96 | 28.06 | 30.59 | 2.2 | 3.08 | 1.78 | 1.41 |
| ओडिशा | 69.18 | 68.28 | 58.15 | 75.61 | 24.96 | 24.65 | 28.66 | 18.69 |
| पंजाब | 112.36 | 108.37 | 105.42 | 112.93 | 92.75 | 86.35 | 77.31 | 85.57 |
| राजस्थान | 2.28 | 2.66 | 2.53 | 3.43 | 0 | 0 | -- | -- |
| तमिलनाडु | 56.65 | 57.92 | 68.94 | 50.84 | 12.41 | 15.43 | 15.96 | 0.09 |
| उत्तर प्रदेश | 108.07 | 119.92 | 140.25 | 134.55 | 27.26 | 25.54 | 33.57 | 13.57 |
| उत्तराखंड | 6.08 | 5.50 | 5.99 | 5.87 | 3.75 | 4.22 | 3.78 | 2.58 |
| पश्चिम बंगाल | 143.4 | 130.46 | 148.53 | 132.39 | 12.4 | 13.1 | 20.41 | 5.17 |
| अन्य | 24.11 | 28.66 | 29.05 | 35.75 | 0.2 | 0.6 | 0.27 | 0.15 |
| अखिल भारत जोड़ | 890.93 | 959.80 | 1053.10 | 1018.01 | 320.34 | 341.98 | 350.41 | 232.61 |

दिनांक 1.2.2013 की स्थिति के अनुसार

### विवरण-IV

*केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल के स्टॉक की स्थिति*

(आंकड़े लाख टन में)

| निम्न तारीख को | गेहूं | चावल | जोड़ |
|---|---|---|---|
| 1.4.2010 | 161.25 | 267.13 | 428.38 |
| 1.7.2010 | 335.84 | 242.66 | 578.50 |
| 1.10.2010 | 277.77 | 184.44 | 462.21 |
| 1.1.2011 | 215.40 | 255.80 | 471.20 |
| 1.4.2011 | 153.64 | 288.20 | 441.84 |
| 1.7.2011 | 371.49 | 268.57 | 640.06 |
| 1.10.2011 | 314.26 | 203.59 | 517.85 |
| 1.1.2012 | 256.76 | 297.18 | 553.94 |
| 1.4.2012 | 199.52 | 333.50 | 533.02 |
| 1.7.2012 | 498.08 | 307.08 | 805.16 |
| 1.10.2012 | 431.52 | 233.73 | 665.25 |
| 1.1.2013 | 343.83 | 322.21 | 666.04 |
| 1.4.2013 | 242.07 | 354.68 | 596.75 |

### विवरण-V

*पिछले तीन वर्षों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के तहत खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आबंटन*

(आंकड़े लाख टन में)

| वर्ष | आबंटन | |
|---|---|---|
| | टी.पी.डी.एस. | ओ.डब्ल्यू.एस. |
| 2009-10 | 476.03 | 42.11 |
| 2010-11 | 475.47 | 50.10 |
| 2011-12 | 488.77 | 49.56 |
| 2012-13 | 499.42 | 49.26 |

### विवरण-VI

*भंडारण के दौरान खाद्यान्नों को क्षति से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम*

खाद्यान्नों के केन्द्रीय पूल के स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित एहतियाती और उपचारात्मक कदमों का पालन करना अनिवार्य है:

(i) सभी गोदामों का निर्माण विनिर्दिष्टियों के अनुसार किया जाना होता है।

(ii) खाद्यान्नों का भंडारण पद्धतियों की उचित वैज्ञानिक संहिता अपना कर किया जाना होता है।

(iii) लकड़ी की क्रेटों, बांस की चटाइयों, पॉलीथिन की चद्दरों जैसी पर्याप्त डनेज सामग्री का उपयोग फर्श से नमी आने को रोकने के लिए किया जाना होता है।

(iv) सभी गोदामों में प्रधूमक कवर, नॉइलान की रस्सियां, जाल और भंडारित अनाज कीट जन्तुबाधाओं के नियंत्रण के लिए कीटनाशक प्रदान किये जाने होते हैं।

(v) भंडारित अनाज कीट जन्तुबाधाओं के नियंत्रण के लिए गोदामों में रोग निरोधी (कीटनाशाकों का छिड़काव) और रांगहर (प्रधूमन) उपचार नियमित रूप से और समय से किए जाने होते हैं।

(vi) ढके हुए गोदामों और कैप भंडारण, दोनों में मूषक नियंत्रण के प्रभावी उपाय किए जाने होते हैं।

(vii) कवर तथा प्लिथ (कैप) में खाद्यान्नों का भंडारण एलीवेटेड प्लिंथ में किया जाना होता है और डनेज सामग्री के रूप में लकड़ी के क्रेट इस्तेमाल किए जाने होते हैं। चट्टे को विशेष रूप से बनाए गए कम घत्व वाले काले रंग के पोलीथीन वाटर प्रूफ कवर से उचित ढंग से ढका जाना होता है और उन्हें नाइलॉन की रस्सियों/जाल से बांधा जाना होता है।

(viii) वरिष्ठ अधिकारियों सहित योग्य एवं प्रतिक्षित कर्मचारियों द्वारा स्टाक/गोदामों के नियमित आवधिक निरीक्षण किये जाने होते हैं।

(ix) 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' सिद्धान्त का यथासंभव सीमा तक पालन किया जाना होता है ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के दीर्घावधि भंडारण से बचा जा सके।

(x) खाद्यान्नों के संचलन के लिए केवल ढकी हुई वैगन इस्तेमाल की जानी होती है ताकि मार्गस्थ-क्षति से बचा जा सके।

**संग्रहालयों को लोकप्रिय बनाना**

*573. **श्री के. सुगुमार:**

**श्री सज्जन वर्मा:**

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संग्रहालयों को लोक केन्द्रिक बनाने का है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं:

(ख) मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती संग्रहालय के उन्नयन के संबंध में मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव के लम्बित रहने के क्या कारण हैं और उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी;

(ग) क्या सरकार पूरे देश में स्थित कुछ संग्रहालयों को बंद करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कलाकृतियों का अद्भुत संग्रह होने के बावजूद भारतीय संग्रहालयों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग नहीं आते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन संग्रहालयों को लोकप्रिय बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी):** (क) संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संग्रहालयों के आधुनिकीकरण तथा लोक केंद्रिक बनने की दिशा में बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ कदम निम्नानुसार हैं:-

- वीथियों का विकास और आधुनिकीकरण।
- आंगतुकों को जानकारी प्रदान करने के लिए टच स्क्रीन कियोस्कों का संस्थापन।
- श्रव्य संदर्शिकाओं की शुरुआत।
- संग्रहालय की वस्तुओं के प्रदर्शन में सुधार।
- संग्रहालय की संदर्शिका का प्रकाशन।
- आगन्तुकों के लिए संग्रहालय परिसर में व्याख्यानों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- लोगों की भागीदारी से महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन।
- आगन्तुकों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास के रूप में, राष्ट्रीय संग्रहालय ने "स्वयं सेवक मार्ग दर्शक कार्यक्रम" की शुरुआत की है।
- संग्रह सामग्री का अंकीयकरण तथा वेबसाइटों का विकास।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती संग्रहालय, जबलपुर के उन्नयन के प्रस्ताव सहित 19 प्रस्तावों को प्रस्तुत किया है, जो 34.14 करोड़ रु. की कुल लागत की वित्तीय सहायता से सम्बद्ध हैं। संस्कृति मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर, मध्य प्रदेश सरकार को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए 19 प्रस्तावों में से 3 संग्रहालयों की प्राथमिकता तय करने के लिए कहा गया था और इन तीन प्राथमिकता वाले संग्रहालयों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने सहित उन्हें शुरुआती कार्य करने हेतु समर्थ बनाने के लिए 1 करोड़ रु. की प्रारंभिक धनराशि स्वीकृत की गई थी। इसके बाद, राज्य सरकार ने प्राथमिकता वाले 3

संग्रहालयों की सूची अग्रेषित की थी। तथापि, राज्य सरकार द्वारा तैयार प्राथमिकता सूची में रानी दुर्गावती संग्रहालय का प्रस्ताव शामिल नहीं था। इसलिए रानी दुर्गावती संग्रहालय के उन्नयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) संस्कृति मंत्रालय के अधीन संग्रहालयों में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ये संग्रहालय लोगों के साथ संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और व्याख्यानों जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करते हैं।

**अनधिकृत कालोनियां**

*574. **श्री रमेश राठौड़:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थानीय राजनीतिज्ञों और पुलिस कर्मियों की कथित मिलीभगत से तेजी से फैल रही अनधिकृत कालोनियों की दक्षिण दिल्ली सहित क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन अनधिकृत कालोनियों पर रोक लगाने हेतु कोई निगरानी समिति नियुक्त की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति द्वारा ऐसी कुल कितनी कालोनियों की पहचान की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि स्थानीय राजनीतिज्ञों और पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से अनधिकृत कालोनियों के तेजी से फैलने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, विगत 2 से 3 दशकों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1639 अनधिकृत कालोनियों के अस्तित्व की सूचना मिली है, जिसमें से 242 कालोनियां पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ई.डी.एम.सी.), 977 कालोनियां दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एस.डी.एम.सी.) और 419 कालोनियां उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एन.डी.एम.सी.) में हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने नियमित किए जाने के लिए इन अनधिकृत कालोनियों का पंजीकरण किया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों पर रोक लगाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई निगरानी समिति नियुक्त नहीं की गई है। तथापि, दिल्ली में मिश्रित भू-उपयोग एवं अन्य व्यापारिक गतिविधियों को रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निगरानी समिति की नियुक्ति की है।

**शीतागार श्रृंखलाओं हेतु अवसंरचना**

*575. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:**

**श्री धनंजय सिंह:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु देश में अतिरिक्त शीतागारों/शीतागार श्रृंखलाओं का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार किन-किन स्थानों का चयन किया गया है।

(ग) किसानों में शीतागार श्रृंखलाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान शीतागार श्रृंखलाओं हेतु अवसंरचना में सुधार, खाद्य परिरक्षण और खाद्य प्रसंस्करण के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ङ) देश में शीतागार श्रृंखलाओं हेतु क्या प्रोत्साहन किए गए हैं/वित्त पोषण बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) जी नहीं, महोदया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-13), के दौरान एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन शुरू किया था जिसका उद्देश्य 11वीं योजना केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों को मिशन में सन्निविष्ट करते हुए कुछ का विकेन्द्रीकरण करना था। गैर-बागवानी उत्पाद शीत-श्रृंखला स्कीम मिशन के अंतर्गत घटकों में से एक है। मिशन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम, मानव संसाधन विकास स्कीम और प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम जैसे घटक भी शामिल हैं।

एन.एम.एफ.पी. के प्रोत्साहन कार्यकलाप के उप-घटक के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शीत श्रृंखला की स्थापना सहित खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पणधारियों और किसानों में जागरूकता सृजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने

का अधिकार दिया गया है। सभी राज्य सरकारों को मिशन के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने, पात्र लाभार्थियों को अनुदान सहायता की मंजूरी देने और अनुदान सहायता जारी करने का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकारों को स्थानीय तौर पर उगाई गई कच्ची सामग्री का उपयोग करते हुए मूल्यवृद्धि की क्षमता का सामंजस्य करने के लिए परियोजनाओं के स्थल और लाभार्थियों का निर्धारण करने का अधिकार है।

(घ) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एल.एम.एफ.पी.) 12वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू की गई एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। एन.एम.एफ.पी. के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान निधियों के राज्य-वार आबंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-। में दिया गया है। मंत्रालय ने 11वीं योजना के दौरान शीत शृंखला स्कीम भी कार्यान्वित की थी जिसके अंतर्गत निधियां मंत्रलाय में प्राप्त हुए परियोजना प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत की जाती है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में अनुमोदित की गई और जारी की गई अनुदान सहायता का परियोजना-वार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-।। में दिया गया है।

(ङ) देश में शीत शृंखला सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 11वीं बयोजना के दौरान शीत शृंखला, मूल्य वृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम कार्यान्वित करता रहा है। स्कीम में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की अनुदान सहायता 75% है। अनुदान-सहायता की अधिकतम सीमा 10.00 करोड़ रुपये है। उपर्युक्त पहल का लक्ष्य आपूर्ति-शृंखला में अंतर को दर करना, शीत शृंखला अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, छटाई, ग्रेडिंग, पेकिंग जैसी अवसंरचना सुविधाओं और जैविक उत्पादों, समुद्री उत्पादों, डेयरी, पोल्ट्री उत्पाद सहित बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण में मूल्यवृद्धि को प्रोत्साहित करना है। सरकार की अन्य एजेंसियां जैसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपीडा), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) तथा राज्य सरकारें भी अपनी-अपनी स्कीमों के अंतर्गत शीत भंडारों के लिए सहायता उपलब्ध कराती हैं।

***विवरण-।***

*वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के कार्यान्वयन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निधियों के आवंटन तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित की गई अनुदान की पहली किस्त की राशि*

**राज्य:**

(करोड़ रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य | वर्ष 2012-13 के लिए आवंटन | | | पहली किश्त हेतु जारी की गई राशि (आवंटन की 75%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | तैयारी कार्य | मुख्य स्कीम | कुल | तैयारी कार्य | मुख्य स्कीम | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | जम्मू और कश्मीर | 1.50 | 12.74 | 14.24 | 1.125 | 9.555 | 10.68 |
| 2. | बिहार | 1.50 | 9.92 | 11.42 | 1.125 | 7.44 | 8.565 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 1.50 | 6.38 | 7.88 | 1.125 | 4.785 | 5.91 |
| 4. | गोवा | 1.50 | 2.16 | 3.66 | 1.125 | 1.62 | 2.745 |
| 5. | गुजरात | 1.50 | 9.65 | 11.15 | 1.125 | 7.2375 | 8.3625 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | हरियाणा | 1.50 | 4.42 | 5.92 | 1.125 | 3.315 | 4.44 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 1.50 | 3.59 | 5.09 | 1.125 | 2.6925 | 3.8175 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 1.50 | 7.50 | 9.00 | 1.125 | 5.625 | 6.75 |
| 9. | झारखंड | 1.50 | 5.59 | 7.09 | 1.125 | 4.1925 | 5.3175 |
| 10. | कर्नाटक | 1.50 | 9.61 | 11.11 | 1.125 | 7.2075 | 8.3325 |
| 11. | केरल | 1.50 | 4.73 | 6.23 | 1.125 | 3.5475 | .4.6725 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 1.50 | 12.77 | 14.27 | 1.125 | 9.5775 | 10.7025 |
| 13. | महाराष्ट्र | 1.50 | 15.01 | 16.51 | 1.125 | 11.2575 | 12.3825 |
| 14. | ओडिशा | 1.50 | 7.74 | 9.24 | 1.125 | 5.805 | 6.93 |
| 15. | पंजाब | 1.50 | 4.66 | 6.16 | 1.125 | 3.495 | 4.62 |
| 16. | राजस्थान | 1.50 | 13.27 | 14.77 | 1.125 | 9.9525 | 11.0775 |
| 17. | तमिलनाडु | 1.50 | 8.90 | 10.40 | 1.125 | 6.675 | 7.80 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 1.50 | 18.53 | 20.03 | 1.125 | 13.8975 | 15.0225 |
| 19. | उत्तराखंड | 1.50 | 3.73 | 5.23 | 1.125 | 2.7975 | 3.9225 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 1.50 | 9.10 | 10.60 | 1.125 | 9.695 | 10.82 |
| | कुल | 30.00 | 170.00 | 200.00 | 22.50 | 130.370 | 152.87 |

**पूर्वोत्तर राज्य:**

(करोड़ रुपए)

| क्र.सं. | राज्य | वर्ष 2012-13 के लिए आवंटन | | | पहली किश्त हेतु जारी की गई राशि (आवंटन की 75%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | तैयारी कार्य | मुख्य स्कीम | कुल | तैयारी कार्य | मुख्य स्कीम | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 1.50 | 2.70 | 4.20 | 1.125 | 2.025 | 3.15 |
| 2. | असम | 1.50 | 3.97 | 5.47 | 1.125 | 2.9775 | 4.1025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 1.50 | 2.29 | 3.79 | 1.125 | 1.7175 | 2.8425 |
| 4. | मणिपुर | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 1.125 | 1.725 | 2.85 |
| 5. | मेघालय | 1.50 | 2.21 | 3.71 | 1.125 | 1.6575 | 2.7825 |
| 6. | नागालैंड | 1.50 | 2.21 | 3.71 | 1.125 | 1.6575 | 2.7825 |
| 7. | सिक्किम | 1.50 | 2.08 | 3.58 | 1.50 | 1.56 | 3.06 |
| 8. | त्रिपुरा | 1.50 | 2.24 | 3.74 | 1.125 | 1.68 | 2.805 |
| | कुल | 12.00 | 20.00 | 32.00 | 9.375 | 15.00 | 24.375 |

संघ राज्य क्षेत्र:

(करोड़ रुपए)

| क्र.सं. | संघ राज्य क्षेत्र: | वर्ष 2012-13 के लिए आवंटन | | | पहली किश्त हेतु जारी की गई राशि (आवंटन की 75%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | तैयारी कार्य | मुख्य स्कीम | कुल | तैयारी कार्य | मुख्य स्कीम | कुल |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1.25 | 1.39 | 2.64 | 0.9375 | 1.0425 | 1.98 |
| 2. | चंडीगढ़* | 1.25 | 1.03 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | दादरा और नगर हवेली* | 1.25 | 1.03 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | दमन और दीव* | 1.25 | 1.01 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | दिल्ली | 1.25 | 1.48 | 2.73 | 0.9375 | 1.11 | 2.0475 |
| 6. | लक्षद्वीप | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 0.9375 | 0.75 | 1.6875 |
| 7. | पुदुचेरी | 1.25 | 1.05 | 2.30 | 0.9375 | 0.7875 | 1.725 |
| | कुल | 8.75 | 8.00 | 16.74 | 3.75 | 3.69** | 7.44 |

*संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि वे एन.एम.एफ. स्कीम के कार्यान्वयन के लिए इच्छुक नहीं है। तदनुसार उन्होंने तैयारी कार्यों/अग्रिम कार्य तथा एन.एम.एफ.पी. की मुख्य स्कीम के लिए निधियां प्राप्त नहीं की हैं।

**चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल नहीं है।

वर्ष 2012-13 के दौरान एन.एम.एफ. के अंतर्गत जारी निधियों का सार:

| | | |
|---|---|---|
| (क) तैयारी कार्यों के लिए | = | 35.625 करोड़ रुपए |
| (ख) एन.एम.एफ.पी. की मुख्य स्कीम के लिए | = | 149.06 करोड़ रुपए |
| कुल | = | 184.68 करोड़ रुपए |

## *विवरण-II*

*पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शीत ,मूल्य वृद्धि तथा परिरक्षण अवसंरचना की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में अनुमोदित तथा जारी की गई परियोजना-वार अनुदान-सहायता*

(राशि लाख रु. में)

| क्र.सं. | राज्य | अवस्थिति/जिला | परियोजना का नाम | अनुमोदित अनुदान | वर्ष-वार जारी किया गया अनुदान | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 (30.04.2013 तक) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | हैदराबाद | मैसर्स क्रीम लाइन डेयरी प्रोडक्ट्स लि. | 975.00 | 243.00 | - | - | - |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | गुंटूर | मैसर्स सिंथाइट इंडस्ट्रीज लि. | 626.45 | - | - | 156.29 | - |
| 3. | आन्ध्र प्रदेश | विजयनगरम | मैसर्स भूपति एग्रो इंटरप्राइजिज | 748.16 | - | 187.04 | - | - |
| 4. | आन्ध्र प्रदेश | आर.आर. डिस्ट्रिक्ट | मैसर्स डोडला डेयरी लि. | 600.00 | - | - | - | - |
| 5. | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | मैसर्स | 1000.00 | - | - | - | - |
| 6. | असम | गुवाहाटी | मैसर्स ग्लोबल इंट्रेड | 936.945 | - | - | - | - |
| 7. | बिहार | बेगुसराय | मैसर्स गंगा डेयरी लि. | 1000.00 | 500.00 | 185.1 | - | - |
| 8. | छत्तीसगढ़ | रायपुर | मैसर्स एल.एल. लोजिस्टिक्स | 733.93 | - | - | - | - |
| 9. | छत्तीसगढ़ | रायपुर | मैसर्स उत्सव आर्गेनिक एण्ड कोल्ड चेन: | 607.31 | - | - | - | - |
| 10. | गुजरात | पलसाणा, सूरत | मैसर्स हाई-टेक फ्रोजन फेसिलिटीज प्रा. लि. | 719.00 | 180.00 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | गुजरात | साबरकांठा | मैसर्स साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट को- | 571.55 | - | 142.887 | 428.663 | - |
| 12. | गुजरात | भावनगर | मैसर्स नेचुरल फ्रोजन दण्ड डिहाइड्रेटिड फूड्स | 289.70 | - | 210.14 | 79.55 | - |
| 13. | गुजरात | मेहसाणा | मैसर्स गायत्री डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा. लि. | 477.52 | - | - | 190.808 | 167.33 |
| 14. | हरियाणा | रेवाड़ी | मैसर्स एलाइंड इंडस्ट्रीज लि. | 730.28 | - | - | 182.57 | - |
| 15. | हरियाणा | पलवल | मैसर्स एम.जे. लोजिस्टिक सर्विसेज लि. | 1000.00 | - | - | - | - |
| 16. | हरियाणा | सोनीपत | मैसर्स सूरी एग्रो फ्रेश प्रा.लि. | 984.00 | 245.00 | - | - | - |
| 17. | हिमाचल प्रदेश | ऊना | मैसर्स कैनवास इंटीग्रेटिड कोल्ड चेन | 760.568 | - | - | 190.14 | - |
| 18. | हिमाचल प्रदेश | शिमला | मैसर्स देवभूमि कोल्ड चेन | 853.92 | - | 674.723 | 130.237 | - |
| 19. | हिमाचल प्रदेश | सोलन | मैसर्स एरोमेट्रिक्स फ्लोरा | 983.355 | - | - | 245.84 | - |
| 20. | हिमाचल प्रदेश | सोलन | मैसर्स हिलक्रिस्ट फूडस | 786.19 | - | 196.673 | 393.345 | - |
| 21. | हिमाचल प्रदेश | शिमला | मैसर्स नरवानीज कोल्ड चेन | 987.98 | - | - | - | - |
| 22. | कर्नाटक | हासन, बेलगाम, बंगलुरु | मैसर्स अथर्वास ट्रेडर्स प्रा.लि. | 1000.00 | - | 500.00 | - | - |
| 23. | कर्नाटक | कोलार | मैसर्स इनोवा एग्री बायो पार्क लि. | 336.25 | - | 84.063 | 168.125 | - |
| 24. | केरल | कासरगोड | मैसर्स इंकल वेंचर्स | 621.26 | - | - | 155.32 | - |
| 25. | केरल | पलक्कड | मैसर्स फ्रोजन फ्रूटस लि. | 716.88 | - | 179.22 | 358.44 | - |
| 26. | केरल | कोझिकोड, | मैसर्स एस.एच. कोल्ड स्टोरज | 869.35 | - | 217.34 | - | - |
| 27. | मध्य प्रदेश | जबलपुर | मैसर्स ओम एग्रो प्रोडक्टस | 447.866 | - | - | 111.96 | - |
| 28. | महाराष्ट्र | नाशिक | मैसर्स फ्रेशट्रोप फ्रूटस लि. | 1000.00 | 97.00 | - | - | - |
| 29. | महाराष्ट्र | चैन्नई और बारामती | मैसर्स आई.जी. इंटरनेशनल | 876.48 | - | 219.102 | 438.238 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | महाराष्ट्र | शोलापुर | मैसर्स वराना डेयरी एण्ड एग्रो इंडस्ट्री | 1000.00 | - | 633.275 | 278.522 | - |
| 31. | महाराष्ट्र | रायगडा | मैसर्स सास्था वेयरहाउसिंग लि. | 1000.00 | - | 750.00 | - | - |
| 32. | महाराष्ट्र | मुम्बई | मैसर्स सावला फूड्स एण्ड कोल्ड स्टोरेज | 792.40 | - | 594.30 | - | - |
| 33. | महाराष्ट्र | अमरावती | मैसर्स बी.वाई. एग्रो एण्ड इन्फ्रा प्रा.लि. | 684.05 | - | - | 513.04 | - |
| 34. | महाराष्ट्र | रायगडा | मैसर्स ब्ल्यू फिन फ्रोजन प्रा.लि. | 644.79 | - | - | 483.59 | - |
| 35. | महाराष्ट्र | नवी मुम्बई | मैसर्स कोल्ड स्टार लोजिस्टिक्स | 1000.00 | - | - | - | - |
| 36. | महाराष्ट्र | पुणे | मैसर्स मेरीगोल्ड बिल्डकॉन प्रा.लि. | 999.19 | - | - | - | - |
| 37. | महाराष्ट्र | अहमदनगर | मैसर्स दौलत एग्रो (इंडिया) | 739.11 | - | - | - | - |
| 38. | महाराष्ट्र | औरंगाबाद | मैसर्स नाथ बायो-जींस (इंडिया) | 617.50 | - | - | - | - |
| 39. | महाराष्ट्र | नागपुर | मैसर्स हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल लि. | 1000.00 | - | - | 250.00 | - |
| 40. | महाराष्ट्र | पुणे | मैसर्स वेस्टर्न हिल फूड्स लि. | 786.04 | - | - | - | - |
| 41. | मणिपुर | सेनापति | मैसर्स एसोसिएट एक्शन फॉर | 1000.00 | - | - | 250.00 | - |
| 42. | मिज़ोरम | आइजोल | मैसर्स मिजोफा फिश शीड्स | 303.01 | - | 75.755 | 151.505 | - |
| 43. | मिज़ोरम | आइजोल | मैसर्स मिजोफा फिश शीड्स | 974.33 | - | - | - | - |
| 44. | ओडिशा | खुरदा | मैसर्स बसंतदेवी चैरिटेबल ट्रस्ट (बी.सी.टी.) | 591.60 | - | - | - | - |
| 45. | पंजाब | रोपड़ | मैसर्स अलकैमिस्ट लि. | 406.41 | - | - | 101.601 | - |
| 46. | पंजाब | कपूरथला | मैसर्स बी.डी. एग्रो फूड्स | 984.49 | - | 738.364 | - | - |
| 47. | पंजाब | संगरूर | मैसर्स इंटरनेशनल फार्म फ्रेश प्रोडक्टस (इंडिया) लि. | 819.24 | - | - | 204.81 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | राजस्थान | अलवर | मैसर्स जनसंस कैमिकल्स प्रा.लि. | 733.0.0 | 156.00 | - | - | - |
| 49. | तमिलनाडु | थेनी | मैसर्स फार्म फ्रेश बनाना | 605.7 | 152.70 | - | - | - |
| 50. | तमिलनाडु | चैन्नई | मैसर्स देवराज एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा.लि. | 478.00 | - | - | - | - |
| 51. | उत्तर प्रदेश | आगरा | मैसर्स इंपीरियल फ्रोजन फूड | 412.58 | - | 309.43 | - | - |
| 52. | उत्तर प्रदेश | उन्नाव | मैसर्स इंपीरियल एग्रोटेक (प्रा.) लि. | 630.75 | - | 137.079 | 335.981 | - |
| 53. | उत्तर प्रदेश | नोएडा | मैसर्स राजश्री इंटीग्रेटिड कोल्ड चेन प्रोजेक्टस | 1000.00 | - | 750.00 | - | - |
| 54. | उत्तर प्रदेश | कानपुर | मैसर्स आकाशदीपकोल्ड | 773.88 | - | - | - | - |
| 55. | उत्तराखण्ड | नैनीताल | मैसर्स बायो लाइफ फूड्स प्रा.लि. | 981.00 | 244.00 | - | - | - |
| 56. | उत्तराखण्ड | ऊधमसिंह नगर | मैसर्स बरार फ्रोजन फूड्स | 737.63 | - | 553.203 | 153.647 | - |
| 57. | उत्तराखण्ड | ऊधमसिंह नगर | मैसर्स शारदा एग्रो फूड्स (प्रा.) लि. | 1000.00 | - | - | 726.66 | - |
| 58. | पश्चिम बंगाल | हुगली | मैसर्स एस्कॉन एग्रो | 696.00 | 348.00 | - | 121.33 | - |
| 59. | पश्चिम बंगाल | उत्तर 24 परगना | मैसर्स केवेंटर एग्रो | 1000.00 | - | - | 250.00 | - |
| 60. | पश्चिम बंगाल | हावड़ा | मैसर्स प्राइम कोल्ड स्टोर्स | 592.46 | - | 148.113 | 296.227 | - |
| 61. | पश्चिम बंगाल | पश्चिम मेदिनीपुर | मैसर्स बासुकीनाथ फूड प्रोसेस प्रा.लि. | 620.695 | - | 465.521 | - | - |
| 62. | पश्चिम बंगाल | हावड़ा | मैसर्स शिमला हार्टिकल्चर | 569.29 | - | - | - | - |
| 63. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | मैसर्स एमीकस हैल्थकेयर सर्विसेज एण्ड सॉल्यूशन प्रा.लि. | 593.83 | - | - | 148.46 | - |

*[हिन्दी]*

**सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम**

*576. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु क्या मार्गनिर्देश बनाए गए हैं;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों की निगरानी हेतु सरकार द्वारा क्या तंत्र बनाया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई तथा कितनी उपयोग में लाई गई;

(घ) क्या राजस्थान सहित सीमावर्ती राज्यों को आबंटित धनराशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) बी.ए.डी.पी. का मुख्य उद्देश्य, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विशेष विकासात्मक जरूरतों को पूरा करना और केन्द्र/राज्य/बी.ए.डी.पी./स्थानीय योजनाओं को मिलाकरके सीमा क्षेत्रों में आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराना है। बी.ए.डी.पी. की निधियों का उपयोग सामान्य तौर पर महत्वपूर्ण अन्तरालों को पूरा करने और सीमावर्ती लोगों को तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। वर्ष, 2009 में जारी बी.ए.डी.पी. के दिशानिर्देशों की मुख्य बातें विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) बी.ए.डी.पी., 2009 के दिशानिर्देशों में यह परिकल्पना है कि राज्य सरकारें, बी.ए.डी.पी. योजनाओं/परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक संस्थागत प्रणाली विकसित करेंगी और अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग को प्रस्तुत करेंगी। प्रत्येक सीमावर्ती ब्लॉक को राज्य सरकार के एक उच्च रैंक के नोडल अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए जो नियमित आधार पर ब्लॉक का दौरा करेगा और बी.ए.डी.पी. योजनाओं की जिम्मेदारी लेगा। गृह मंत्रालय को एक तिमाही रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए जिसमें किए गए निरीक्षणों की संख्या दर्शाई जानी चाहिए और निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की रिपोर्ट में बताई गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों/कर्मियों का उल्लेख किया जाना चाहिए। कार्य की गुणवत्ता और अन्य संगत मुद्दों पर स्वतंत्र सूचना प्राप्त करने के लिए राज्यों द्वारा तीसरे पक्ष से भी निरीक्षण करवाये जाने की भी जरूरत है। राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त 'सामाजिक लेखा परीक्षा प्रणाली' भी स्थापित की जानी चाहिए।

सभी राज्य सरकारों ने बी.ए.डी.पी. योजनाओं के निरीक्षण के लिए नोडल अधिकारियों और तीसरा पक्ष निरीक्षण एजेंसी (टी.पी.आई.ए.) की नियुक्ति कर ली है।

(ग) विगत तीन वर्षों अर्थात 2010-11 से 2012-13 तक और चालू वर्ष 2013-14 के दौरान आबंटित एवं जारी निधियों और राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त निधियों के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) चालू वित्तीय वर्ष (2013-14) के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत योजना आयोग द्वारा यथानिर्धारित बजटीय आबंटन 990 करोड़ रुपये है और बी.ए.डी.पी. के दिशानिर्देशों में यथा परिकल्पित विद्यमान, फार्मूला के अनुसार इसे राजस्थान सहित संबंधित राज्यों को पुन: आबंटित कर दिया गया है। राजस्थान सहित राज्यों के लिए बी.ए.डी.पी. के तहत निधियों की वृद्धि करने के बारे में चालू वर्ष के दौरान कोई प्रस्ताव नहीं है।

***विवरण-I***

*सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें*

**1. उद्देश्य**

बी.ए.डी.पी. का मुख्य उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित दूर-दराज और अगम्य क्षेत्रों में रहे रहे लोगों की विशेष विकासात्मक जरूरतों को पूरा करना और केन्द्र/राज्य/बी.ए.डी.पी./स्थानीय योजनाओं कोक मिला करके संपूर्ण आधारभूत संरचना और प्रतिभागी दृष्टिकोण के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों का पूर्ण विकास करना है।

**2. कवरेज**

2.1 बी.ए.डी.पी., 100% केन्द्रीय आधार पर वित्तपोषित कार्यक्रम बना रहेगा। बी.ए.डी.पी. में वे 362 सीमावर्ती खंडों को शामिल होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित हैं और जो 17 राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम,

त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के 96 सीमावर्ती जिलों के तहत आते हैं। राज्यों को (i) अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई (ii) सीमावर्ती खंडों की जनसंख्या और (iii) सीमावर्ती खंडों के क्षेत्र के आधार पर निधियां आवंटित की जाएंगी जिसमें इन मानदंडों को समान महत्व दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पहाड़ी, रेगिस्तानी और कच्छ के रन की कठिन भौगोलिक स्थिति, संसाधनो की कमी, निर्माण की उच्च लागत आदि के कारण 15% वरीयता दी जाएगी।

2.2 सीमावर्ती खंड, स्थान संबंधी यूनिट होगी जिलसके अंतर्गत राज्य सरकार, बी.ए.डी.पी. निधियों का उपयोग खंडों के केवल उन गांवों में करेगी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 0-10 कि.मी. के अंदर स्थित होंगे। जो गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अधिक निकट होंगे उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इन गांवों को मूलभूत आधारभूत संरचना से जोड़ने के बाद 0-15 कि.मी. और 0-20 कि.मी. की दूरी पर स्थित गांवों के अगले समूह को लिए जाने की जरूरत होगी। यदि खंड का पहला गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बहुत दूर स्थित है तो प्राथमिकता सूची तैयार करने क लिए खंड में पहले गांव/छोटे गांव को "0" कि.मी. दूरी के गांव के रूप में लिया जा सकता है

**3. दिशानिर्देश के सिद्धान्त**

3.1 बी.ए.डी.पी. निधियों का उपयोग सामान्यतया महत्वपूर्ण अंतरालों को पूरा करने और सीमावर्ती लोगों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बी.ए.डी.पी. स्कीमों की योजना और कार्यान्वयन, पंचायती राज संस्थानों/स्वायत्त-परिषदों/अन्य स्थानीय निकायों/परिषदों के माध्यम से भागीदारी और विकेन्द्रीकृत आधार पर होना चाहिए।

3.2 राज्य सरकारें, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) के कार्यान्वयन के लिए वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत एक नोडल विभाग/सैल का सृजन किए जाने/नामांकन किए जाने पर विचार कर सकती है। राज्य में बी.ए.डी.पी. का कार्य करने वाला नोडल विभाग, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, विद्युत, सड़क और भवन, जल आपूर्ति समाज कल्याण, सार्वजनिक वितरण, नागरिक आपूर्ति आदि जैसे राज्य के लाइन विभागों के साथ अलग-अलग बैठक आयोजित करेगा ताकि पता लगाए गए सीमावर्ती खंडों में संबंधित राज्य/केन्द्रीय योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। भारत सरकार की केन्द्रीय आधार पर प्रायोजित योजनाओं/फ्लैगशिप योजनाओं और राज्य योजना स्कीमों के तहत निधियों का उपयोग, सीमावर्ती खंडों में यथा संभव अधिकतम सीमा तक सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सरकार की केन्द्रीय आधार पर प्रायोजित विभिन्न योजनाओं/फ्लैगशिप कार्यक्रमों के तहत निधियां प्राप्त करने और दिशानिर्देशों में छूट देने के लिए यदि कोई हो, राज्य के संबंधित विभाग, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त प्रस्ताव भेज सकते हैं जिसकी एक प्रति सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय के सूचनार्थ भेजी जा सकती है।

3.3 सीमावर्ती गांवों में बेसलाइन सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि बुनियादी भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना के अंतरों का आकलन किया जा सके। गांव-वार योजना की तैयार सुनिश्चित की जाएगी जिसमें राज्य योजना स्कीमों/भारत सरकार की केन्द्रीय आधार पर प्रायोजित योजनाओं (सी.एस.एस.)/वित्तपोषण को विधिवत रूष से दर्शाया गया हो। ऐसी योजना, विभिन्न केन्द्रीय/राज्य योजनाओं को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) में मिलाया जाना भी सुनिश्चित करेगी।

**4. योजनाओं का चयन**

4.1 योजनाओं की एक व्याख्यात्मक सूची, जिन्हें बी.ए.डी.पी. के तहत शुरू किया जा सकता है, संलग्न अनुबंध-। में दी गई है। उन योजनाओं की सूची, जो बी.ए.टी.पी. के तहत अनुज्ञेय नहीं है, संलग्न अनुबंध-।। में दी गई हैं। संबंधित सीमा चौकसी बल (बी.जी.एफ.) भी येाजनाओं का सुझाव दे सकते हैं और इसका व्यय, राज्य को किए गए वार्षिक आवंटन का 10% से अधिक नहीं होगा। सुरक्षा से संबंधित अनुज्ञेय और अननुज्ञेय योजनाओं की सूची संलग्न अनुबंध-।।। में दी गई है।

4.2 बी.ए.डी.पी. के तहत सृजित परिसंपत्तियों के रख रखाव के लिए राज्य सरकारें, राज्यों को किए गए आवंटन का 15% से अनधिक का प्रावधान रख सकती है बशर्ते ऐसा व्यय, परिसंपत्ति के संबंध में पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से तीन (3) वर्ष के बाद ही किया जा सकता है। राज्य सरकारें, खंड स्तर के कर्मचारियों की मानीटरिंग करने प्रशिक्षण प्रदान करने और बी.ए.डी.पी. का मूल्यांकन करने, संभावित योजनाएं, यदि कोई तैयार

करने के लिए प्रशासनिक व्यय संभारकी सहायता (वाहनों की खरीद को छोड़कर), मीडिया प्रचार आदि के प्रयोजर्नाथ 40 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन राज्य को किए गए आवंटन का 1.5% (डेढ़ प्रतिशत) आरक्षित रख सकती हैं। बी.ए.डी.पी. के तहत विभिन्न परिस्थितियों की सिफारिश करते समय वन, पर्यावरण और अन्य स्थानीय स्वीकृतियां, भूमि की उपलब्धता आदि जैसी औपचारिकताएं, यदि कोई हों, पूरी करने की प्रक्रिया पहले से तैयार की जानी चाहिए।

5. **अधिकार प्राप्त समिति:**

बी.ए.डी.पी. के दिशानिर्देश, वे भौगोलिक क्षेत्र जिनके अंतर्गत बी.ए.डी.पी. को कार्यान्वित किया गया है, निधियों का आवंटन, योजनायें निष्पादित किए जाने क तौर-तरीके आदि जैसे नीतिगत मामलों को सचिव, सीमा प्रबंधन, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस समिति में वित्तीय सलाहकार, गृह मंत्रालय, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, योजना आयोग, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे।

6. **राज्य स्तरीय अनुवीक्षण समिति**

6.1 अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिए गए ऐसे सामान्य/विशेष निर्देशों के अध्यधीन राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुवीक्षण समिति द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए योजनाऐं अनुमोदित की जाएंगी। राज्य सरकार, राज्य स्तरीय अनुवीक्षण समिति (एस.एल.एस.सी.) द्वारा यथा अनुमोदित बी.ए.डी.पी. की वार्षिक कार्य योजना, प्रत्येक वर्ष के मई माह तक गृह मंत्रालय, सीमा प्रबंधन विभाग, भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी।

7. **कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शिथिलता:**

7.1 पी.आर.आई. स्वायत्त परिषदों, अन्य स्थानीय निकायों और ग्राम प्राधिकारियों/परिषदों के अतिरिक्त, स्थानीय समुदायों, उन स्थानीय एन.जी.ओ./स्वयं सहायता ग्रुपों वाली स्वैच्छिक एजेंसियों को योजनायें निष्पादित करने के कार्य में लगाया जा सकता है जिन्हें विदेशी मदद/सहायता नहीं मिलती है।

7.2 संविदागत कार्य देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने, सेवाओं की आउट सोर्शिंग करने पर वहां विचार किया जा सकता है, जहां-जहां राज्य सरकारों/एजेंसियों के पास मानवशक्ति आदि नहीं है। राज्य स्तरीय अनुवीक्षण समिति द्वारा गृह मंत्रालय को सूचित करते हुए ऐसे उपाय अपनाए जा सकते हैं। राज्य सरकार, सरकार और सेवाओं में संयुक्त स्टेक वाले समुदाय के बीच, जहां-कहीं संभव हो, साझेदारी को धीरे-धीरे आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है, जहां तक संभव हो समुदायों का सामाजिक आधारभूत संरचना की लागत का 10% से 15% तक की हिस्सेदारी करने में शामिल किया जा सकता है। जिन परियोजनाओं की लागत 5.00 लाख रुपये से अधिक न हो उन्हें ग्राम समितियों/पंचायत जैसी स्थानीय निकायों के माध्यम से ही कार्यान्वित किया जाना चाहिए। तथापि प्रचलित संबंधित स्थानीय/राज्य वित्तीय नियम, बी.ए.डी.पी. के कार्यान्वयन के लिए लागू बने रहेंगे।

8. **निधियों का प्रवाह:**

8.1 वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले, सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, बी.ए.डी.पी, के तहत अगले वर्ष के दौरान राज्यों को आवंटित निधियों की मात्रा की सूचना देगा। राज्य स्तरीय अनुवीक्षण समिति (एस.एल.एस.सी.) द्वारा विधिवत अनुमोदित योजनाओं वाली वार्षिक कार्य योजना, निधियां जारी किए जाने के लिए सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को अग्रेषित की जानी है।

8.2 निधियां दो किस्तों में राज्यों को जारी की जाएंगी। अगले वर्ष की निधियां, व्यय की पुष्टि होने और योजनाओं की अनुमोदित सूची प्राप्त होने पर निर्भर करेगी। राज्य के आवंटन के 90% की पहली किश्त, पिछले वर्ष को छोड़कर विगत वर्षों में जारी की गई राशि के लिए उपयोग प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्राप्त होने पर ही जारी की जाएगी। यदि पिछले वर्ष को छोड़कर विगत वर्षों में जारी की गई राशि के लिए यू.सी. प्रस्तुत किए जाने में कोई कमी की गई हो तो उसे पहली किश्त जारी करते समय घटा दिया जाएगा। राज्य के आबंटन के बाकी 10% की दूसरी किश्त राज्य को तभी जारी की जाएगी जब पिछले वर्ष के माह के दौरान जारी की गई राशि का कम से कम 50% तक का उपयोग प्रमाण पत्र और सितम्बर (अर्थात वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही) को समाप्त तिमाही तक की तिमाही प्रगति रिपोर्ट (भौतिक और वित्तीय) प्रस्तुत कर दी गई हो।

8.3 विगत वर्षों से संबंधित लम्बित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने के लिए पहली किश्त में की गई कटौती, यदि कोई हो, दूसरी किश्त जारी करते समय पूरी की जाएगी। राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे बी.ए.डी.पी. के लिए पृथक बजट शीर्ष रखें। भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने और भारत सरकार. वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा ये निधियां कार्यान्वयन एजेंसियों के तुरन्त जारी कर देनी चाहिए; किसी भी स्तर पर निधियों को बिल्कुल भी अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

**9. मानीटरिंग और समीक्षा:**

9.1 राज्य सरकारें, बी.ए.डी.पी. योजनाओं/परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए एक संस्थागत प्रणाली विकसित करेंगी और सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। प्रत्येक सीमावर्ती खंड, उच्च रैंक प्राप्त राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को सौंपा जाएगा जो खंड का नियमित दोरा करेगा और बी.ए.डी.पी. योजनाओं की जिम्मेदारी लेगा। एक तिमाही रिपोर्ट गृह मंत्रालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें किए गए निरीक्षणों की संख्या बताई जानी चाहिए और निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की रिपोर्ट में बताई की रिपोर्टों में बताई गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों/कमियों का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। कार्य की गुणवत्ता और अन्य संगत मुद्दों पर स्वतंत्र सूचना प्राप्त करने के लिए राज्यों द्वारा तीसरे पक्ष से निरीक्षण करवाए जाने की जरूरत है। राज्य सरकारों द्वारा एक उपयुक्त 'सामाजिक लेखापरीक्षा प्रणाली' भी बनाई जानी चाहिए।

9.2 तिमाही की समाप्ति के 15वें दिन तक सीमा प्रबंधन विभाग को योजना-वार तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत की जाएंगी। वर्ष-वार समेकित उपयोग प्रमाण पत्र, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के अन्दर भेजा जाना चाहिए। परियोजना स्थलों पर प्रदर्शन बोर्ड रखा जाना चाहिए जिसमें भारत सरकार के बी.ए.डी. के तहत किए जा रहे कार्य/किए गए कार्य के बारे में बताया गया हो।

9.3 राज्य सरकारें, विश्लेषण आदि के प्रयोजनार्थ सीमावर्ती गांवों/गांवों के समूह में बी.ए.डी.पी. के तहत सृजित परिसंपत्तियों की माल सूची विकसित करेंगी। ऐसे ब्यौरे, राज्यों द्वारा कार्यान्वित महत्वपूर्ण योजनाओं/परियोजनाओं (फोटोग्राफ के साथ) का पूर्ण विवरण सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय कोक भेजे जा सकते हैं। गांवों को मूल यूनिट के रूप में मान करके गृह मंत्रालय को भेजे जा सकते हैं। गांवों को मूल यूनिट के रूप में मान करके गृह मंत्रालय द्वारा एक उपमुक्त "प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.)" विकसित की जाएगी।

*अनुबंध-I*

**सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अनुज्ञेय योजनाओं/ परियोजनाओं की व्याख्यात्मक सूची**

बी.ए.डी.पी. निधियों का उपयोग, सामान्यतया विभिन्न केन्द्रीय/ राज्य योजनाओं के तहत निधियों का उपयोग किए जाने के बाद महत्वपूर्ण अंतरालों को पूरा करने और सीमावर्ती लोगों की तात्कालिक जरूरतों को सामाजिक आधारभूत संरचना के अंतरालों का आकलन करने के उद्देश्य से सीमावर्ती गांवों में एक बेसलाइन सर्वेक्षण किया जाएगा और विभिन्न केन्द्रीय/राज्य योजनाओं को बी.ए.डी.पी. में मिलाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

वे विभिन्न योजनाएं/परियोजनाएं नीचे दी गई हैं जिन्हें बी.ए.डी.पी. सैक्टर के तहत शुरू किया जा सकता है:

**(1) शिक्षा:**

(i) प्राथमिक/मिडल/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन (अतिरिक्त कमरों सहित)

(ii) खेल के मैदानों का विकास

(iii) होस्टल/कई बिस्तरों के शयन कक्ष का निर्माण

(iv) सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय

**(2) स्वास्थ्य:**

(i) भवन आधारभूत संरचना (पी.एच.सी./सी.एच.सी./एस.एच.सी.)

(ii) बुनियादी/प्राथमिक किश्म के चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान। एक्स-रे, ई.सी.जी. मशीन, दंत चिकित्सा क्लिनिक पैथोलाजिकल प्रयोगशाला आदि के उपकरण भी खरीदे जा सकते हैं।

(iii) सरकार/पंचायत राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टेली मैडिसिन सहित चलते-फिरते औषधालय/एंबुलेंस स्थापित किया जाना।

(3) **कृषि और संबद्ध क्षेत्र**

(i) पशुपालन और दुग्ध उत्पादन

(ii) कृत्रिम मत्स्यपालन

(iii) रेशम उत्पादन

(iv) कुक्कुट पालन/मत्स्यपालन/सुअर/बकरी/मेड़ पालन

(v) कृषि वानिकी, बागवानी/पुष्प उत्पादन

(vi) सार्वजनिक जलनिकासी सुविधाएं

(vii) सिंचाई बंधों या लिफ्ट सिंचाई या वाटर टेबल रिचार्ज सुविधाओं का निर्माण (लघु सिंचाई कार्यों सहित)

(viii) जल संरक्षण कार्यक्रम

(ix) मृदा रक्षण-क्षरण बाढ़ से रक्षा

(x) चारागाहों सहित सरकार और सामुदायिक जमीन या घेरी हुई दूसरी प्रकार के भू-भागों में सामाजिक वानिकी जे.एफ.एम. पार्क, बगीचे

(xi) उन्नत बीजों, उर्वरकों और बेहतर प्रौद्योगिकी का प्रयोग

(xii) पशुचिकित्सा सहायता केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और प्रजनन केन्द्र

(xiii) पैमाने की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र विशिष्ट के प्रति दृष्टिकोण-पिछड़ा-अगड़ा एकीकरण

4. **आधारभूत संरचना**

(i) संपर्क सड़कों, लिंक सड़कों (पुलिया और पुल सहित) का निर्माण और सुदृढ़ीकरण

(ii) उद्योग-स्थानीय निवेश के साथ लघु उद्योग, हथकरघा, फर्नीचर बनाना, छोटी इकाइयां, लोहार का कार्य आदि और खाद्य संसाधन उद्योग।

(iii) मंदी बस्ती के इलाकों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवास स्थलों, पर्यटक केन्द्रों, बस स्टैंड आदि में बिजली, पानी पाथवेज, रोपवेज, फुट ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज, सार्वजनिक शौचालय का प्रावधान।

(iv) सीमावर्ती क्षेत्रों में साप्ताहिक हाट/बाजारों और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए आधारभूत संरचना का विकास।

(v) मान्यताप्राप्त जिला या राज्य खेल-कूद संघों और सांस्कृतिक और खेल-कूद के क्रियाकलापों या अस्पतालों के लिए भवनों का निर्माण (जिम्नास्टिक केन्द्रों, खेल-कूद संघों, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं आदि में मल्टी-जिम्नास्टिक सुविधाओं का प्रावधान)

(vi) दूर-दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य के सैक्टर में लगे पदाधिकारियों के लिए मकानों का निर्माण

(vii) पर्यटन/खेल-कूद/जोखिम वाली खेल-कूद योजना-उन सीमावर्ती खंडों में पर्यटन और खेल-कूद के लिए विश्व-स्तरीय आधारभूत संरचना का सृजन करना जहां चट्टानों पर चढ़ना, पर्वतारोहण, रिवर रैफ्टिंग, फॉरेस्ट ट्रैकिंग, स्किइंग और सफारी (कच्छ के रन में कार/बाइक की रेस, ऊंटों की दौड़, याक की सवारी, नौकायन संभव हो)।

(viii) नए पर्यटक केन्द्रों का सृजन।

(ix) छोटे ओपन स्टेडियम/इंडोर स्टेडियम/आडिटोरियम का निर्माण।

(x) नई और नवीकरण्र योग्य बिजली-बायो गैस/बायोमास गैसिफिकेशन सूर्य और पवन ऊर्जा और मिनी हाइडल प्रोजेक्ट समुदाय के उपयोग के लिए प्रणालियां/यंत्र और संबंधित क्रियाकलाप।

5. **सामाजिक क्षेत्र**

(i) सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण

(ii) आंगनबाड़ियों का निर्माण

(iii) ग्रामीण जल-मल निकासी ब्लॉक

(iv) सांस्कृतिक केन्द्र/सामुदायिक हॉल

(v) वृद्ध या अपंग लोगों के लिए साझा आश्रय स्थलों का निर्माण

(vi) युवा स्व-रोजगार योजना के लिए व्यावसायिक अध्ययन और प्रशिक्षण तथा कारीगरी और बुनकरों का कौशल उन्नयन करके क्षमता निर्माण कार्यक्रम

6. **विविध**

(i) सीमावर्ती क्षेत्रों में मॉडल गांवों का विकास

(ii) ई-चौपाल/एग्रीशॉप/मोबाइल मीडिया बेन/मार्केट यार्ड

(iii) जहां कहीं व्यावहारिक हो वहां क्लास्टर एप्रोच

उन कार्यों की सूची जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अनुज्ञेय नहीं है:-

बी.ए.डी.पी. के तहत मूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन छोटी योजनाओं को, जिनसे विशिष्ट गांवों/व्यक्तियों को सीधे लाभ हेाता हो उन्हें राज्य सरकारी द्वारा अपनी विकास पहलों के तहत तैयार किये जाने की जरूरत है।

*अनुबंध-II*

निम्नलिखित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य, बी.ए.डी.पी. के तहत अनुज्ञेय नहीं हैं।

1. **शिक्षा**

(i) स्कूल की ड्रेस/किताबों की खरीद

(ii) वयस्क शिक्षा

(iii) किताबें/पत्रिकायें

(iv) टी.वी./डिश एंटीना

2. **स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम**

(i) स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम

(ii) नेत्र शिविर

(iii) आर.सी.एच. कार्यक्रम

(iv) रक्त बैंक

(v) मलेरिया, फाईलेरिया, कृष्ट रोग एड्स आदि का नियंत्रण

(vi) मिडवाइव्स के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट

3. **कृषि और संवह क्षेत्र**

(i) गांवों, कस्बों और शहरों में तालाबों की गाद निकालना

4. **आधारभूत संरचना**

(i) व्यक्तिगत लाभ की कोई योजना (डेरा और ढाणियों आदि तक सड़कें जैसे)

(ii) कब्रगाहों/शमशान घाटों में चारदीवारी और दाह संस्कार शैडों का निर्माण

(iii) कूलों/नालों/खालों की सफाई

(iv) तालाबों की चारदीवारी/बचाव करने की दीवार

(v) स्थानीय निकायों के लिए कार्यालयों, पटवारखाना, पंचायत घर, बी.डी.ओ. डी.सी. और पदाधिकारियों के आवासों का निर्माण (शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र जुड़े पदाधिकारियों को छोड़ कर)

(vi) नाली/गटर

*अनुबंध-III*

**सीमा चौकसी बलों द्वारा बी.ए.डी.पी. के तहत शुरू किए जाने वाले कार्यों की अनुज्ञेय और अननुज्ञेय मदों की सूची**

सीमा चौकसी बलों द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत विकासात्मक स्वरूप की निम्नलिखित योजनाओं की सिफारिश की जा सकती है। उन्हें कार्यान्वित किया जा सकता है।

(क) बी.ओ.पी. तक लिंक सड़कों का निर्माण

(ख) पीने के पानी की आपूर्ति/बिजली उत्पादन (नई और नवीकरणीय ऊर्जा) आदि से संबंधित आधारभूत संरचना बढ़ाने का कोई अन्य कार्य।

तथापि, ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय छानबीन समिति का अनुमोदन पूर्व-अपेक्षा है और यह राज्य की वार्षिक कार्य योजना का एक भाग के रूप में होगी। बी.जी.एफ. और सशस्त्र बलों द्वारा बी.ए.डी.पी. के तहत संस्तुत/कार्यान्वित ऐसी योजनाओं का निरीक्षण, राज्य/केन्द्र सरकार के संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

बी.ए.डी.पी. के तहत बी.डी.एफ. द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए निम्नलिखित कार्य/क्रियाकलाप अनुज्ञेय नहीं है:

(क) किसी भी प्रकार का सिविक एक्शन प्रोग्राम जिसके लिए गृह मंत्रालय या राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी की जाती हैं। दवाइयों की खरीद, नेत्र शिविर आदि जैसे।

(ख) वाहनों/रात में देखने वाले यंत्रों/अन्य उपकरणों आदि की खरीद।

## विवरण-II

### वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान आबंटन और रिलीज

06.05.2013 की स्थिति
(लाख रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य | 2010-11 | | | 2011-12 | | | 2012-13 | | | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | रिलीज | व्यय | आवंटन | रिलीज | व्यय | आवंटन | रिलीज | व्यय | आवंटन |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 6690.50 | 6690.50 | 6647.45 | 15433.00 | 15433.00 | 8277.36 | 12451.35 | 12451.35 | - | 9277.00 |
| 2. | असम | 4800.00 | 4800.00 | 3004.81 | 1980.01 | 1980.01 | 950.50 | 1032.74 | 1032.74 | | 3480.00 |
| 3. | बिहार | 3196.28 | 3196.28 | 3196.28 | 5577.00 | 5577.00 | 5577.00 | 6664.00 | 6664.00 | 1390.79 | 6084.00 |
| 4. | गुजरात | 2840.00 | 2840.00 | 2840.00 | 3616.82 | 3616.82 | 3062.41 | 4505.00 | 4505.00 | 504.12 | 4505.00 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 1280.00 | 1280.00 | 1280.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1567.86 | 2320.00 | 2320.00 | - | 2100.00 |
| 6. | जम्मू और कश्मीर | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 12462.40 | 12462.40 | 11367.27 | 13394.00 | 13394.00 | 3541.03 | 12800.00 |
| 7. | मणिपुर | 1843.00 | 1843.00 | 1572.48 | 2000.00 | 2000.00 | 1552.48 | 1929.48 | 1929.48 | - | 2200.00 |
| 8. | मेघालय | 2202.00 | 2202.00 | 2202.00 | 3140.00 | 3140.00 | 2761.27 | 2989.25 | 2989.25 | 782.77 | 2100.00 |
| 9. | मिज़ोरम | 2930.00 | 2930.00 | 2930.00 | 3839.73 | 3839.73 | 3836.68 | 4017.00 | 4017.00 | - | 4017.00 |
| 10. | नागालैंड | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2015.00 | 2015.00 | 1030.00 | 2000.00 | 2000.00 | - | 2000.00 |
| 11. | पंजाब | 2225.00 | 2225.00 | 2225.00 | 3292.00 | 3292.00 | 2073.77 | 4069.88 | 4069.88 | - | 3526.00 |
| 12. | राजस्थान | 8696.00 | 8696.00 | 8696.00 | 11509.00 | 11509.00 | 9999.71 | 13973.00 | 13973.00 | - | 13773.00 |
| 13. | सिक्किम | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2085.00 | 2085.00 | 1163.21 | 2000.00 | 2000.00 | - | 2000.00 |
| 14. | त्रिपुरा | 3579.00 | 3579.00 | 3579.00 | 9635.00 | 9635.00 | 4982.70 | 4825.00 | 4825.00 | - | 4825.00 |
| 15. | उत्तर प्रदेश | 3365.57 | 3365.57 | 3365.57 | 4876.00 | 4876.00 | 3176.60 | 4982.00 | 4982.00 | | 4982.00 |
| 16. | उत्तराखंड | 2461.00 | 2461.00 | 2261.00 | 3298.00 | 3298.00 | 3016.29 | 3365.00 | 3365.00 | 832.34 | 3565.00 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 7791.65 | 7791.65 | 6717.00 | 13563.04 | 13563.04 | 9517.37 | 14482.3 | 14482.3 | | 15835.00 |
| | **कुल** | **69100.00** | **69100.00** | **65716.59** | **100322.00** | **100322.00** | **73912.48** | **99000.00** | **99000.00** | **7051.05** | **97069.00** |
| | | | | | | | | | आकस्मिकता आदि के लिए आरक्षित रखा गया | | 1931.00 |
| | | | | | | | | | | कुल योग | 99000.00 |

*[अनुवाद]*

**खाद्यान्नों का वितरण**

*577. **श्री बसुदेव आचार्य:**

**डॉ. रामचन्द्र डोम:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा उनकी हकदारी क्या है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों से यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को उनकी हकदारी का पूरा कोटा नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या कुछ राज्य कथित रूप से खाद्यान्नों का अपना पूरा कोटा उठाने में विफल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अभीष्ट लाभार्थियों को खाद्यान्नों की राज्य-वार कितनी मात्रा आवंटित की गई, कितनी उठाई गई और कितनी वितरित की गई?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) सरकार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से नीचे के 6.52 करोड़ स्वीकृत परिवारों, जिसमें 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार भी शामिल हैं, को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर परिवार के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रो को खाद्यान्नों का आबंटन करती है। दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-। में दिया गया है।

(क) से (घ) कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा आबंटित मात्रा से कम से कम मात्रा का वितरण कर रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे और अन्त्योदय अन्न योजना के लाभभोगियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न जारी किए जाने के स्तर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। स्टॉक की उपलब्धर्ता तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांगों/अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किए जाने वाले सामान्य आबंटन से अधिक अतिरिक्त खाद्यान्न जारी करती रही है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्नों का उठान प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है। वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए आबंटित खाद्यान्नों की मात्रा और उसके उठान का ब्यौरा संलग्न विवरण-III और विवरण-IV में दिया गया है।

जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने पूरे आबंटित कोटे का उठान नहीं किया है उनसे सरकार आवधिक बैठकों में, सम्मेलनों में, परामर्श आदि के जरिए पूरे कोटे को उठाने के लिए आग्रह करती रहती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित खाद्यान्नों के लिए उनसे उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाते हैं। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संबंधित (इंटेंडेड) लाभभोगियों को वितरित खाद्यान्नों की मात्रा का ब्यौरा इस विभाग में नहीं रखा जाता।

***विवरण-I***

*गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार)*

(आंकड़े लाख में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | ग.रे.नी. परिवारों की स्वीकृत संख्या | पहचान किए गए तथा राशन कार्ड जारी किए गए अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 40.63 | 15.578 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.99 | 0.38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | असम | 18.36 | 7.04 |
| 4. | बिहार | 65.23 | 25.010 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 18.75 | 7.189 |
| 6. | दिल्ली | 4.09 | 1.502 |
| 7. | गोवा | 0.48 | 0.145 |
| 8. | गुजरात | 21.20 | 8.098 |
| 9. | हरियाणा | 7.89 | 2.924 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 5.14 | 1.971 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 7.36 | 2.557 |
| 12. | झारखंड | 23.94 | 9.179 |
| 13. | कर्नाटक | 31.29 | 11.376 |
| 14. | केरल | 15.54 | 5.958 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 41.25 | 15.816 |
| 16. | महाराष्ट्र | 65.34 | 24.639 |
| 17. | मणिपुर | 1.66 | 0.636 |
| 18. | मेघालय | 1.83 | 0.702 |
| 19. | मिज़ोरम | 0.68 | 0.261 |
| 20. | नागालैण्ड | 1.24 | 0.475 |
| 21. | ओडिशा | 32.98 | 12.645 |
| 22. | पंजाब | 4.68 | 1.794 |
| 23. | राजस्थान | 24.31 | 9.321 |
| 24. | सिक्किम | 0.43 | 0.165 |
| 25. | तमिलनाडु | 48.63 | 18.646 |
| 26. | त्रिपुरा | 2.95 | 1.131 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 106.79 | 40.945 |
| 28. | उत्तराखंड | 4.98 | 1.909 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 51.79 | 14.799 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.28 | 0.043 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 0.23 | 0.Q15 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 0.18 | 0.052 |
| 33. | दमन और दीव | 0.04 | 0.Q15 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.03 | 0.012 |
| 35. | पुदुचेरी | 0.84 | 0.322 |
| | जोड़ | 652.03 | 243.250 |

**विवरण-II**

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों को जारी किए जाने का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्तर (संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समय-समय पर यथासूचित)*

(31.03.2013 को समेकित किए गए अनुसार)

(कि.ग्रा./प्रति माह/प्रति परिवार)

| क्र.सं. | राज्य | बी.पी.एल. | | | ए.ए.वाई. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | चावल | गेहूं | जोड़ | चावल | गेहूं | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 4 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति किन्तु प्रति कार्ड अधिकतम 20 कि.ग्रा. | 10 | 30 | 35 | 10 | 45 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 35 | | 35* | 35 | शून्य | 15 |
| 3. | असम | 35 | - | 35 | 35 | - | 35 |
| 4. | बिहार | 15 | 10 | 25 | 21 | 14 | 35 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 30 ग्रामीण | 05 ग्रामीण | 35 | 15 | - | 35 |
| | | 25 शहरी | 10 शहरी | 35 | | | |
| 6. | दिल्ली | 10 | 24 | 34 | 10 | 24 | 34 |
| 7. | गोवा | 35 | - | 35 | 35 | - | 35 |
| 8. | गुजरात | (i) 3 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर पर प्रति कार्ड 3 कि.ग्रा. | (i) 2 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर प्रति कार्ड 13 कि.ग्रा. | 35 | 3 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर पर प्रति कार्ड 16 कि.ग्रा. | (i) 2 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर पर प्रति कार्ड 19 कि.ग्रा. | 35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (ii) 7 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर पर प्रति कार्ड 3 कि.ग्रा. (चावल विशेष के लिए) | (ii) 7.50 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर पर प्रति कार्ड 16 कि.ग्रा. | | | | |
| 9. | हरियाणा | - | 35 | 35 | - | 35 | 35 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | जिन क्षेत्रों में खेती नहीं होती है उन्हें छोड़कर सभी श्रेणियों को 35 कि.ग्रा. प्रति परिवार प्रति माह। इन स्थानों पर 13 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति मुहैय्या कराया जाता है। | | 35* | जिन क्षेत्रों में खेती नहीं होती है उन्हें छोड़कर सभी श्रेणियों को 35 कि.ग्रा. प्रति परिवार प्रति माह। इन स्थानों 13 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति मुहैय्या कराया जाता है। | | 35* |
| 12. | झारखंड | 35 | - | 35 | 35 | - | 35 |
| 13. | कर्नाटक | 20 (4 कि.ग्रा. प्रति यूनिट, अधिकतम 20 कि.ग्रा. प्रति कार्ड) | 3(1 कि.ग्रा. प्रति यूनिट, अधिकतम 3 कि.ग्रा. प्रति कार्ड) | 23 | 29 | 6 | 35 |
| 14. | केरल | 35 | 8 | 33 | 35 | - | 35 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 20 | | 20 | 35 | | 35 |
| | | इसमें गेहूं और चावल शामिल है | | | इसमें गेहूं और चावल शामिल है | | |
| 16. | महाराष्ट्र | 35 | | 35* | 35 | | 35* |
| 17. | मणिपुर | 35 | - | 35 | 35 | - | 35 |
| 18. | मेघालय | 35 | - | 35 | 35 | - | 35 |
| 19. | मिजोरम | 35 | | 35 | 35 | | 35 |
| 20. | नागालैण्ड | 35 | | 35 | 35 | | 35 |
| 21. | ओडिशा | 25 | | 25 | 35 | | 35 |
| 22. | पंजाब | - | 35 | 35 | - | 35 | 35 |
| 23. | राजस्थान | - | 25 | 25 | - | 35 | 35 |
| 24. | सिक्किम | 35 | - | 35 | 35 | - | |
| 25. | तमिलनाडु | प्रति कार्ड न्यूनतम 12 कि.ग्रा. तथा अधिकतम कि.ग्रा. प्रति माह (नीलगिरि जिले को छोड़कर) के अध्यधीन 4 कि.ग्रा. प्रति वयस्क तथा 2 कि.ग्रा. | चेन्नई शहर तथा जिला मुख्यालय में 10 कि.ग्रा. प्रति कार्ड प्रति माह तथा अन्य क्षेत्रों में 5 कि.ग्रा. प्रति कार्ड | - | 35 | चेन्नई शहर तथा जिला मुख्यालय में 10 कि.ग्रा. प्रति कार्ड प्रति माह तथा अन्य क्षेत्रों में 5 कि.ग्रा. प्रति | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रति बच्चा प्रति माह। नीलगिरि जिले के लिए प्रति कार्ड न्यूनतम 16 कि.ग्रा. तथा अधिकतम 24 कि.ग्रा. के अध्यधीन प्रति कार्ड प्रति परिवार अतिरिक्त 4 कि.ग्रा. नि:शुल्क | प्रति माह | | | कार्ड प्रति माह | |
| 26. | त्रिपुरा | 35 | 1 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह | 36 | 35 | 1 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह | 36 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 20 | 15 | 35 | (पूर्व-09 क्षेत्र) 25 कि.ग्रा. (पश्चिम-09 मंडल क्षेत्र) 20 कि.ग्रा. | (पूर्व-09 क्षेत्र) 10 कि.ग्रा. (पश्चिम-09 मंडल क्षेत्र) 15 कि.ग्रा. | 35 |
| 28. | उत्तराखंड | 24.750 (15.200 हरिद्वार) | 10.250 (19.800 हरिद्वार) | 35 | 24.540 (10.15 हरिद्वार) | 10.460 (24.55 हरिद्वार) | 35 |
| 29. | पश्चिम बंगाल की आधी होगी) (प्रति व्यक्ति आधार पर) | एम.आर. क्षेत्र-1000 ग्राम एस.आर. क्षेत्र-1500 ग्राम (बच्चे के लिए मात्रा वयस्क की आधी होगी) | एम.आर. क्षेत्र-750 ग्राम एस.आर. क्षेत्र-1125 ग्राम (बच्चे के लिए मात्रा वयस्क (प्रति व्यक्ति आधार पर) | - 2000 ग्राम (बच्चे के लिए | एम.आर. क्षेत्र-1000 ग्राम एस.आर. क्षेत्र-750 ग्राम (बच्चे के लिए मात्रा वयस्क की आधी होगी) (प्रति व्यक्ति आधार पर) | एम.आर. क्षेत्र-750 ग्राम एस.आर. क्षेत्र- मात्रा वयस्क की आधी होगी) (प्रति व्यक्ति आधार पर) | - |
| 30. | अंडमान और निकोबार | 40.50 | 10 | 50.50 | 31 | 4 | 35 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 35 | 7 | 42 | 35 | - | 35 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 32 | 3 | 35 | 33 | 2 | 35 |
| 33. | दमन और दीव | 30 | 3 | 33 | 33 | 2 | 35 |
| 34. | लक्षद्वीप | 35 | कोई सीमा नहीं | - | 35 | कोई सीमा नहीं | - |
| 35. | पुदुचेरी | 20 | 5 | 25 | 35 | - | 35 |

*चावल अथवा गेहूं

### *विवरण-III*

### *वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं का आबंटन और उठान*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 3884.250 | 3526.692 | 3676.480 | 3433.137 | 3738.252 | 3065.474 | 3822.816 | 3130.234 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 101.556 | 99.538 | 101.556 | 85.023 | 101.556 | 83.589 | 101.556 | 98.376 |
| 3. | असम | 1485.966 | 1400.233 | 1673.126 | 1591.641 | 1806.756 | 1662.751 | 1886.856 | 1830.998 |
| 4. | बिहार | 3437.481 | 2274.014 | 3543.192 | 2969.154 | 3650.312 | 2757.350 | 3703.872 | 2639.407 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 1091.952 | 1005.898 | 1168.932 | 1135.107 | 1218.752 | 1085.194 | 1244.112 | 1178.578 |
| 6. | दिल्ली | 592.548 | 577.275 | 595.734 | 607.303 | 597.858 | 545.295 | 598.920 | 566.777 |
| 7. | गोवा | 46.708 | 45.308 | 68.751 | 53.804 | 60.316 | 60.421 | 63.036 | 62.909 |
| 8. | गुजरात | 1618.488 | 1025.464 | 1885.998 | 1532.880 | 2018.738 | 1242.799 | 2085.108 | 1265.504 |
| 9. | हरियाणा | 980.472 | 501.671 | 685.242 | 613.097 | 732.422 | 586.431 | 756.012 | 465.415 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 497.466 | 461.812 | 508.988 | 486.462 | 519.146 | 512.663 | 527.940 | 524.927 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 756.804 | 758.854 | 757.104 | 749.115 | 756.804 | 743.485 | 756.804 | 760.644 |
| 12. | झारखंड | 1311.792 | 1038.280 | 1319.412 | 1032.747 | 1339.032 | 1022.038 | 1358.652 | 977.751 |
| 13. | कर्नाटक | 2167.492 | 2092.192 | 2260.476 | 2132.040 | 2386.646 | 2234.612 | 2806.928 | 2304.402 |
| 14. | केरल | 1301.604 | 1233.443 | 1399.646 | 1373.157 | 1431.674 | 1428.807 | 1472.688 | 1473.184 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 3030.870 | 2953.426 | 2610.454 | 2707.860 | 2680.736 | 2653.417 | 2736.426 | 3551.778 |
| 16. | महाराष्ट्र | 4509.359 | 3576.017 | 4490.412 | 3687.169 | 4647.114 | 3539.245 | 4819.044 | 3724.189 |
| 17. | मणिपुर | 117.146 | 122.104 | 141.844 | 71.209 | 160.446 | 144.884 | 170.952 | 172.661 |
| 18. | मेघालय | 147.276 | 145.315 | 182.928 | 156.605 | 181.696 | 182.690 | 188.580 | 189.600 |
| 19. | मिज़ोरम | 82.908 | 75.675 | 70.140 | 64.502 | 70.140 | 66.233 | 70.140 | 66.538 |
| 20. | नागालैण्ड | 129.546 | 134.532 | 126.876 | 138.126 | 126.876 | 140.094 | 126.876 | 135.953 |
| 21. | ओडिशा | 2115.852 | 2080.701 | 2221.788 | 2052.089 | 2118.908 | 2058.005 | 2194.266 | 2120.509 |
| 22. | पंजाब | 1213.920 | 987.526 | 786.348 | 680.707 | 814.100 | 686.355 | 827.976 | 613.964 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | राजस्थान | 1945.464 | 1919.335 | 2037.128 | 1937.843 | 2115.140 | 2078.693 | 2179.500 | 2149.291 |
| 24. | सिक्किम | 44.220 | 44.206 | 44.250 | 43.000 | 44.270 | 44.936 | 44.280 | 45.046 |
| 25. | तमिलनाडु | 3767.832 | 3951.112 | 3722.832 | 3698.126 | 3722.832 | 3700.634 | 3722.832 | 3634.495 |
| 26. | त्रिपुरा | 302.004 | 279.176 | 302.622 | 249.020 | 308.034 | 275.381 | 304.836 | 289.291 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 7039.894 | 6455.013 | 6948.948 | 6555.953 | 7114.590 | 6645.333 | 7268.520 | 6568.015 |
| 28. | उत्तराखंड | 436.002 | 408.472 | 474.122 | 455.838 | 501.702 | 456.876 | 617.992 | 596.557 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 3316.544 | 3145.293 | 3601.864 | 3325.618 | 3763.754 | 3281.205 | 3857.196 | 3616.745 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 31.959 | 18.489 | 34.020 | 17.921 | 34.020 | 16.026 | 34.020 | 14.908 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 25.796 | 25.276 | 31.380 | 25.975 | 34.980 | 34.216 | 36.780 | 33.429 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 8.880 | 2.973 | 9.924 | 2.457 | 10.284 | 10.247 | 10.464 | 10.499 |
| 33. | दमन और दीव | 4.320 | 1.346 | 4.980 | 1.162 | 5.430 | 4.669 | 5.652 | 4.530 |
| 34. | लक्षद्वीप | 4.614 | 3.707 | 4.620 | 6.385 | 4.620 | 4.053 | 6.620 | 5.706 |
| 35. | पुदुचेरी | 53.712 | 32.317 | 56.112 | 48.435 | 58.912 | 47.816 | 60.312 | 53.313 |
| | जोड़ | 47602.697 | 42402.685 | 47547.329 | 43720.667 | 48876.848 | 43101.917 | 50468.564 | 44876.123 |

## *विवरण-III*

*वर्ष 2009-10 से 2010-11 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के विशेष तदर्थ अतिरिक्त आबंटन के संबंध में आबंटन और उठान को दर्शाने वाला ब्यौरा*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2009-10 | | | | 2010-11 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बी.पी.एल. निर्गम मूल्यों पर दिनांक 16.5.2011 को किया गया बी.पी.एल. आबंटन | | निर्धनतम जिलों को किया गया बी.पी.एल./ ए.ए.वाई. आबंटन $ | | बी.पी.एल. निर्गम मूल्यों पर जुलाई, 2012 में किया गया बी.पी.एल. आबंटन | | निर्धनतम जिलों को किया गया बी.पी.एल./ ए.ए.वाई. आबंटन $ | |
| | | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 316.420 | 125.563 | 268.957 | 3.706 | 255.220 | 12.532 | 511.570 | 510.338 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4.840 | 0 | 4.114 | 2.190 | 3.104 | 2.404 | 12.592 | 7.180 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 89.860 | 23.236 | 196.381 | 82.018 | 282.673 | 111.622 | 290.794 | 171.081 |
| 4. | बिहार | 237.580 | 0 | 201.943 | 24.960 | 116.258 | 20.751 | 500.214 | 325.882 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 88.220 | 50.367 | 149.974 | 41.787 | 205.047 | 143.700 | 143.784 | 194.411 |
| 6. | दिल्ली | 55.640 | 21.798 | 47.294 | 22.640 | 51.509 | 0 | 31.364 | 23.369 |
| 7. | गोवा | 6.400 | 0 | 5.440 | 0.002 | 5.904 | 3.007 | 3.680 | 3.374 |
| 8. | गुजरात | 175.140 | 9.025 | 148.869 | 16.141 | 144.063 | 14.590 | 162.572 | 132.874 |
| 9. | हरियाणा | 62.960 | 15.418 | 53.516 | 16.280 | 51.205 | 36.806 | 60.504 | 22.076 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 25.140 | 6.043 | 21.369 | 21.084 | 16.128 | 14.620 | 39.416 | 29.491 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 36.040 | 32.258 | 30.634 | 30.983 | 63.139 | 51.333 | 56.440 | 56.970 |
| 12. | झारखंड | 87.120 | 0 | 74.052 | 8.363 | 42.587 | 0.764 | 183.584 | 126.175 |
| 13. | कर्नाटक | 188.740 | 73.685 | 160.429 | 51.525 | 136.922 | 12.552 | 239.946 | 233.571 |
| 14. | केरल | 122.200 | 8.242 | 153.870 | 116.062 | 179.893 | 127.906 | 125.653 | 125.553 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 194.060 | 0 | 164.951 | 13.322 | 121.077 | 11.933 | 516.324 | 6.668 |
| 16. | महाराष्ट्र | 354.540 | 0 | 301.359 | 40.694 | 242.956 | 27.145 | 501.060 | 286.014 |
| 17. | मणिपुर | 8.140 | 6.467 | 6.919 | 0 | 5.231 | 6.070 | 17.730 | 16.921 |
| 18. | मेघालय | 8.980 | 2.335 | 7.633 | 7.843 | 5.773 | 5.517 | 19.034 | 11.200 |
| 19. | मिज़ोरम | 3.340 | 3.340 | 5.678 | 2.781 | 18.149 | 17.599 | 10.214 | 11.436 |
| 20. | नागालैण्ड | 6.040 | 1.816 | 10.268 | 2.941 | 13.864 | 9.354 | 14.510 | 15.132 |
| 21. | ओडिशा | 135.820 | 5.693 | 115.447 | 0.135 | 75.819 | 12.006 | 252.906 | 190.414 |
| 22. | पंजाब | 79.520 | 0 | 67.592 | 59.295 | 276.145 | 70.905 | 35.888 | 28.664 |
| 23. | राजस्थान | 177.340 | 46.641 | 301.478 | 191.769 | 239.700 | 186.653 | 236.420 | 221.277 |
| 24. | सिक्किम | 2.100 | 0.938 | 2.285 | 1.277 | 1.646 | 0.841 | 4.498 | 4.499 |
| 25. | तमिलनाडु | 277.640 | 258.361 | 235.994 | 129.465 | 195.767 | 34.731 | 372.918 | 353.252 |
| 26. | त्रिपुरा | 14.440 | 0 | 12.274 | 0 | 9.269 | 0 | 22.622 | 22.623 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 522.830 | 0 | 444.406 | 114.226 | 335.641 | 4.160 | 818.880 | 508.498 |
| 28. | उत्तराखंड | 24.380 | 0 | 20.723 | 4.034 | 165.65 | 93.453 | 38.188 | 15.300 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 290.460 | 228.988 | 246.891 | 223.416 | 202.822 | 143.610 | 397.152 | 291.327 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1.620 | 0 | 1.377 | 0 | 1.150 | 0 | 2.146 | 0.455 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | चण्डीगढ़ | 4.060 | 0 | 3.451 | 0 | 3.907 | 3.116 | 1.764 | 0.555 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 0.720 | 0.720 | 0.612 | 0 | 0.391 | 0.391 | 1.382 | 0.692 |
| 33. | दमन और दीव | 0.510 | 0.300 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0.268 | 0.112 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.220 | 0.220 | 0.187 | 0 | 0.174 | 0.724 | 0.230 | 0 |
| 35. | पुदुचेरी | 4.480 | 0.406 | 3.808 | 0.309 | 3.039 | 4.228 | 6.442 | 1.567 |
| | सकल जोड़ | 3607.540 | 921.860 | 3066.410 # | 1229.248 | 2500.000 # | 1185.023 | 5000.004 # | 3948.951 |

#कुल मामलों में कुल आबंटनों में न उठाई गई मात्रा से हुई बचतों में से किए गए पुन: आबंटन के कारण राज्यों को किए गए कुल आबंटन सकल जोड़ में शामिल नहीं हो सकते।

*वर्ष 2011-12 से 2012-13 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के विशेष तदर्थ अतिरिक्त आबंटन के संबंध में आबंटन और उठान*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2011-12 | | | | 2012-13 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बी.पी.एल. निर्गम मूल्यों पर दिनांक 16.5.2011 को किया गया बी.पी.एल. आबंटन | | निर्धनतम जिलों को किया गया बी.पी.एल./ए.ए.वाई. आबंटन $ | | बी.पी.एल. निर्गम मूल्यों पर जुलाई, 2012 में किया गया बी.पी.एल. आबंटन | | निर्धनतम जिलों को किया गया बी.पी.एल./ए.ए.वाई. आबंटन $ | |
| | | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 311.570 | 297.194 | 116.797 | 115.093 | 311.57 | 212.285 | 14.244 | 11.698 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 7.592 | 6.009 | 0.737 | 0.737 | 7.592 | 5.968 | 0.307 | 0.118 |
| 3. | असम | 220.794 | 199.829 | 15.34 | 14.544 | 190.794 | 131.8 | 26.273 | 19.739 |
| 4. | बिहार | 600.214 | 474.756 | 596.511 | 312.511 | 500.213 | 226.318 | 595.395 | 267.211 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 143.784 | 143.434 | 131.952 | 135.836 | 143.784 | 106.714 | 307.274 | 275.102 |
| 6. | दिल्ली | 31.364 | 29.976 | 0 | 0 | 31.364 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | गोवा | 3.680 | 3.849 | 0 | 0 | 3.68 | 2.173 | 0 | 0 |
| 8. | गुजरात | 162.572 | 163.038 | 51.502 | 51.886 | 321.472 | 194.836 | 21.455 | 13.508 |
| 9. | हरियाणा | 60.504 | 39.618 | 9.739 | 3.391 | 60.504 | 59.606 | 7.164 | 3.969 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 39.416 | 27.489 | 11.537 | 11.4198 | 39.416 | 19.702 | 11.537 | 8.21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 56.440 | 52.369 | 11.757 | 10.654 | 56.44 | 20.872 | 14.255 | 14.253 |
| 12. | झारखंड | 183.584 | 86.158 | 132.229 | 117.54 | 183.584 | 107.757 | 131.781 | 108.183 |
| 13. | कर्नाटक | 239.946 | 239.989 | 31.395 | 31.37 | 239.946 | 216.907 | 31.395 | 30.182 |
| 14. | केरल | 119.168 | 119.092 | 5.068 | 5.068 | 306.104 | 176.009 | 1.232 | 1.232 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 316.324 | 270.063 | 278.044 | 113.963 | 316.324 | 0 | 206.62 | 0 |
| 16. | महाराष्ट्र | 501.060 | 294.409 | 105.812 | 84.957 | 501.059 | 222.847 | 0 | 0 |
| 17. | मणिपुर | 12.730 | 12.73 | 1.215 | 1.199 | 12.730 | 10.160 | 0.381 | 0.374 |
| 18. | मेघालय | 14.033 | 14.213 | 1.719 | 1.308 | 14.033 | 12.04 | 0 | 0 |
| 19. | मिजोरम | 10.214 | 8.542 | 0.159 | 0.159 | 9.594 | 8.008 | 0.159 | 0.159 |
| 20. | नागालैण्ड | 19.510 | 19.615 | 0.315 | 0.376 | 17.01 | 17.075 | 0.315 | 0.254 |
| 21. | ओडिशा | 252.906 | 151.273 | 143.933 | 143.702 | 252.906 | 161.609 | 204.647 | 112.241 |
| 22. | पंजाब | 35.888 | 34.235 | 1.839 | 1.839 | 35.888 | 0 | 1.839 | 0 |
| 23. | राजस्थान | 186.420 | 179.772 | 99.054 | 70.182 | 186.42 | 141.755 | 81.278 | 78.217 |
| 24. | सिक्किम | 10.778 | 6.286 | 0.264 | 0.169 | 3.298 | 2.573 | 0.44 | 0.441 |
| 25. | तमिलनाडु | 377.918 | 378.43 | 40.948 | 40.359 | 508.918 | 452.559 | 40.948 | 39.285 |
| 26. | त्रिपुरा | 22.622 | 22.093 | 2.734 | 2.23 | 34.071 | 20.248 | 1.746 | 1.746 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 818.880 | 629.003 | 316.724 | 299.744 | 818.879 | 613.275 | 159.556 | 97.642 |
| 28. | उत्तराखंड | 38.188 | 31.891 | 2.602 | 2.598 | 38.188 | 29.952 | 1.681 | 1.681 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 397.152 | 325.987 | 259.315 | 130.411 | 397.152 | 293.073 | 259.315 | 36.713 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 2.146 | 1.820 | 0 | 0 | 2.146 | 0.667 | 0 | 0 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 1.764 | 1.635 | 0 | 0 | 1.764 | 0.588 | 0 | 0 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 1.382 | 0.017 | 0 | 0 | 1.382 | 0.255 | 0 | 0 |
| 33. | दमन और दीव | 0.268 | 0.032 | 0 | 0 | 0.268 | 0.165 | 0 | 0 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.230 | 0.230 | 0 | 0 | 0.23 | 0.207 | 0 | 0 |
| 35. | पुदुचेरी | 10.711 | 8.492 | 0 | 0 | 6.442 | 3 | 0 | 0 |
| | सकल जोड़ | 5000.004# | 4273.568 | 2369.241 | 1703.246 | 5000.000 # | 3471.003 | 2121.237 | 1122.158 |

$विशेष आबंटन के प्रति उठान फरवरी, 2013 तक और निर्धनतम जिलों को किए गए आबंटन के प्रति उठान मार्च, तक का है।

#कुल मामलों में कुल आबंटनों में न उठाई गई मात्रा से हुई बचतों में से किए गए पुनः आबंटन के कारण राज्यों को किए गए कुल आबंटन सकल जोड़ में शामिल नहीं हो सकते।

## दलहनों संबंधी अनुसंधान

***578. श्री एल. राजगोपाल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अब तक देश में स्थान विशिष्ट दलहनों के विकास हेतु इस क्षेत्र में मूल अनुसंधान को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ख) देश में दलहनों की पैदावार बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों की उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) इन अनुसंधानों/योजनाओं/कार्यक्रमों से किसानों को क्या लाभ प्राप्त हुए हैं/प्राप्त होने की सम्भावना है?

**कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आई.आई.पी.आर.), कानपुर और चना, अरहर एम.यू.एल.एल.ए.आर.पी. (मूंग, उड़द, अलसी, लेथिरस, राजमा और मटर) तथा मरू फली पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (ए.आई.सी.आर.पी.) के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) जारी परियोजनाओं के माध्यम से दलहन पर मूल एवं नीतिगत अनुसंधान कार्य करती है, जो देश में दलहन के लिए स्थान विशिष्ट जलवायु प्रतिस्कन्दी फसल किस्में और उत्पादन एवं संरक्षा तकनीकों के विकास के लिये है। इसके अलावा कीट-नाशीजीव एवं रोगों के कारण हुई 20-30 प्रतिशत उपज हानि से उबरने के लिये आई.आई.पी.आर. में दो विशेष परियोजनाएं "अरहर और चने में पोड बोरर प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक का विकास" और "मूंगबीन पीले मोसेइक वाइरस प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक फलीदार फसलों का विकास" चलायी जा रही है।

अनुसंधान के सघन प्रयासों के परिणामस्वरूप दालों की उच्च उपज देने वाली 61 किस्में विगत तीन वर्षों में जारी की गयी हैं जिसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दाल उगाने वाले किसानों के फायदे के लिये और प्रभावी वितरण हेतु गुणवत्ता बीज शृंखला को सुनिश्चित बनाये रखने के लिए 2009-10 से 2011-12 के दौरान दलहन की अधिक उपज देने वाली किस्मों के 4517 टन प्रजनक बीजों का उत्पादन किया गया।

(ख) दलहन का उत्पादन बढ़ाने के क्रम में सरकार कई फसल विकास स्कीम/कार्यक्रम क्रियान्वित करती रही है जैसे-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन (एन.एफ.एस.एम.-पल्सेस), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाय.), मेक्रो मनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (एम.एम.ए.), तिलहन, दलहन, तेल ताड़ एवं मक्का की समेकित योजना (आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.), आदि। इसके अलावा दलहन की उन्नत उत्पादकता हेतु ब्लॉक प्रदर्शनों के रूप में प्रमुख तकनीकों का सक्रिय प्रचार किये जाने के लिये 2010-11 से एन.एफ.एस.एम. के तहत एक नया कार्यक्रम "त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम" आरंभ किया गया है। इसके आगे 2012-13 के दौरान 19 मिलियन टन से अधिक दलहन उत्पादन प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा एक विशेष योजना भी आरंभ की गयी है।

इसके परिणाम-स्वरूप भारत में दलहन का कुल उत्पादन पिछले 15 वर्षों के ठहरे हुए स्तर 14.5 मिलियन टन से बढ़कर 2010-11 में 18.24 मिलियन टन, 2011-12 में 17.1 मिलियन टन हुआ और जो 2012-13 में 17.6 मिलियन टन अनुमानित है। इस अवधि में उत्पादकता भी 589 किग्रा/है. से बढ़कर 694 किग्रा/है. हो गयी।

(ग) दलहन पर आई.सी.ए.आर. शोध परियोजनाओं से नियमित रूप से दलहन की उत्पादकता में वृद्धि के लिये स्थान विशिष्ट उन्नत किस्में और तकनीकें विकसित हो रही हैं, जहां किसानों के खेतों में इन्हें अपनाये जाने के लिये संघ सरकार की स्कीमें/कार्यक्रम वित्तीय सहयोग कर रही है।

आई.सी.ए.आर. द्वारा विकसित दलहन की लघु विधि जलवायु प्रतिस्कन्दी किस्मों का लोकप्रियकरण, जो अनाज आधारित सस्य प्रणाली के कैच कोप/अर्न्तकृषि के रूप में है, इससे जैविक नाइट्रोजन स्तर की समृद्धि, रासायनिक उर्वरकों हेतु मांग में कमी मृदा के माइक्रो-फ्लोरा में वृद्धि द्वारा मृदा स्वास्थ्य सुधारने में मदद मिलेगी और इस तरह सस्य प्रणालियों का दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित हो सकेगा। उन्नत तकनीकों के अपनाये जाने के कारण दलहन में बढ़ी हुई उत्पादकता से दलहन उत्पादन की वृद्धि में तथा देश की बड़ी आबादी के लिये भोजन में प्रोटीन की उपलब्धता में मदद मिली है ताकि प्रोटीन के कुपोषण से उबरा जा सके।

**विवरण**

*विगत तीन वर्षों (2010-2012) के दौरान जारी दलहन की किस्मों/संकरों की सूची*

| फसल | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|
| मूंग (7) | पी.के.वी. ए.के.एम.-4, वी.बी.एन. (जीजी) 3, | आई.पी.एम. 02-14 पी.के.वी. ग्रीन गोल्ड | स्वाति, एम.एच.-421, बी.एम. 2003-2 |
| उड़द (11) | मैश 479, मैश 391, मैश 114, हिमाचल मैश 1 | सी.ओ. 6 सी.ओ.बी.जी. 653, वी.बी.एन. (बी.जी.) 7 | विश्वास वी.बी.एन. 6, यू.एच.-1, डी.यू.-1, 40 टी.यू. |
| अलसी (6) | पंत मसूर-8, पंत मसूर-7 | वी.एल. मसूर 514, एल.एल. 931, वी.एल. मसूर 133 | आई.पी.एल.-316 |
| अरहर (4) | राजीवलोचन | टी.एस. 3 आर. | आनंद अनाज अरहर-2, बी.डी.एन. 711 |
| चना (13) | गुजरात जूनागढ़ ग्राम 3, कृपा, जी.पी.एफ. 2, आर.एस.जी.-974, उज्जवल, पी.के.वी. काबुली-4, एम.एन.के.-1 | राज विजय काबुली चना 101, राज विजय ग्राम 201 | ए.के.-4, पी.के.वी. हरिता, राज विजय ग्राम 203, एल. 555 |
| मटन (7) | अमन, गोमती, दंतीवाडा फील्डपी 1 | आई.पी.एफ. 4-9, वी.एल. मटर 47 | एच.एफ.पी. 529, गोमती |
| कुलथी (3) | सी.आर.आई.डी.ए.एल.ए.टी.एच.ए. | इंदिरा कुलथी-1 | गुजरात दंतीवाड़ा होर्सग्राम-1 |
| लोबिया (4) | हिसार लोबिया-46, सी. 519, हिदधरुदया | | एम.एफ.सी. 08-14 |
| राजमा (1) | गुजरात राजमा-1 | - | - |
| क्लस्टर सेम (4) | एच.जी. 884, एच.जी. 2-20, एच.जी. 870, ग्वार कुंजल | - | - |
| भारतीय सेम (1) | गुजरात वाल-2 | - | - |

*[हिन्दी]*

**सीमावर्ती क्षेत्रों पर अवैध कब्जा**

*579. **श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:**

**श्री चंद्रकांत खैरे:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की सीमाओं से लगे कतिपय क्षेत्रों पर पड़ोसी देशों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सीमा-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) भारत-भूटान और भारत-म्यांमार सीमाओं पर अन्य देशों द्वारा भूभाग का कोई अवैध कब्जा नहीं हुआ है। तथापि, पाकिस्तान भारतीय भूभाग के लगभग 78,000 वर्ग कि.मी. को अवैध और बलपूर्वक कब्जे में लिए हुए हैं।

चीन, भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लगभग 38,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में अवैध कब्जा बनाए हुए हैं। इसके अतिरिक्त, तथाकथित

"सिनो-पाकिस्तान सीमा समझौता, 1963 के तहत, पाकिस्तान ने "पाक अधिकृत कश्मीर" में भारतीय भूभाग के 5180 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को अवैध रूप से चीन को सुपुर्द कर दिया।

बांग्लादेश द्वारा भारतीय भूमि का किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं किया गया है। तथापि, स्वतंत्रता के पश्चात, भारत-बांग्लादेश सीमा पर कुछ ऐसे पोकेट्स हैं जो परम्परागत रूप से किसी दूसरे देश के भू-भाग में एक देश के लोगों के कब्जे में रहा है। इन्हें "पूतिकूल कब्जे" के रूप में जाना जाता है।

भारत-नेपाल सीमा एक खुली सीमा है जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रिकों के मुक्त आवागमन की अनुमति है। भारत सरकार ने नेपाल सरकार के साथ मिलकर संयुक्त तकनीकी समिति (जे.टी.सी.) के माध्यम से वैज्ञानिक एवं तकनीकी तरीके से सीमा के विनिर्धारण का कार्य शुरू किया है। भारत-नेपाल सीमा के लगभग 98% का कार्य पूरा कर लिया गया है। दोनों पक्ष पहचाने गए क्षेत्रों में सीमा पिलर्स के अनुरक्षण और शेष क्षेत्रों में भारत-नेपाल सीमा की पहचान करने के लिए एक सीमा कार्यकारी समूह स्थापित करने पर भी सहमत हो गए हैं।

(ग) शिमला समझौते के तहत, सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत एवं द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सभी मुद्दों का हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष 2003 में, भारत और चीन में से प्रत्येक समग्र द्विपक्षीय संबंध और सीमा निपटारे की रूपरेखा की राजनैतिक संभावना तलाशने के लिए एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए सहमत हुए। विशेष प्रतिनिधियों की अब तक, पन्द्रह बैठकें हो चुकी हैं जिनकी आखिरी बैठक जनवरी, 2012 में हुई। भारत और चीन के बीच "राजनीतिक मानदण्डों और भारत-चीन सीमा प्रश्नों के निपटान हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त संबंधी समझौते" पर दिनांक 11 अप्रैल, 2005 को हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान में, दो विशेष प्रतिनिधि सीमा के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए निपटारा संबंधी रूपरेखा की तलाश कर रहे हैं।

सितम्बर, 2011 में प्रधान मंत्री के बांग्लादेश के दौर के दौरान, "भारत और बांग्लादेश के बीच भू सीमा के विनिर्धारण एवं संबंधित मामले (एल.बी.ए.) से संबंधित भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच करार संबंधी एक प्रोटोकाल" पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें अन्य के पास प्रतिकूल कब्जा वाले भू-भाग के साथ लम्बे समय से लंबित भू-सीमा मुद्दों का निपटान किया गया है। सक्षम प्राधिकारी ने 13 फरवरी, 2013 को भारत-बांग्लादेश भू-सीमा करार (एल.बी.ए.), 1974 और वर्ष 2011 में हस्ताक्षरित एल.बी.ए. संबंधी प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन हेतु एक संविधान (संधोधन) विधेयक के मसौदे को अनुमोदन प्रदान किया है।

सरकार सतत रूप से सतर्क बनी हुई है और भारत की सुरक्षा और भू-भागीय अखण्डता की प्रभावकारी तरीके से सुरक्षा करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाने के अपने संकल्प के प्रति अडिग है।

**कृषि विपणन में सुधार**

*580. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों द्वारा उनकी उपज के विपणन को सुकर बनाने हेतु कार्यान्वयनाधीन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर लाभ मिले और बिचौलियों को पूरी तरह से समाप्त करने हेतु कृषि विपणन में कतिपय आमूल-चूल सुधार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कृषि उपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार हस्तक्षेप योजना के रूप में सरकार की पहलों के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

**कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार):** (क) से (ङ) कृषि उत्पाद मूल्य नीति उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की मांग करती है। सरकार प्रत्येक मौसम के लिए प्रमुख कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और समर्थन स्तर से नीचे उनके मूल्यों में गिरावट की स्थिति में सार्वजनिक, शहकारी समितियों और अन्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों के माध्यम से उनकी खरीद आयोजित की जाती है। सरकार उन बागवानी और कृषि जिंसों की अधिप्राप्ति हेतु बाजार हस्तक्षेप (एम.आई.एस.) भी पेश करती है जो सामान्यत: विनाश योग्य हैं और जिन्हें मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस.) के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। एम.आई.एस. को इन जिंसों की संकट बिक्री रोकने के विषय में राज्य सरकारी के अनुरोध पर कार्यान्वित किया जाता है। जब उनके मूल्य लाभकारी स्तरों/उत्पादन लागत से नीचे गिर जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार विपणन अवसंरचना सृजन, भंडारण और फसलों के कटाई पश्चात प्रबंधन के लिए विभिन्न स्कीमें जैसे

कि कृषि विपणन अवसंरचना का विकास/सुदृढ़ीकरण; ग्रेडिंग एवं मानकीकरण; ग्रामीण गोदामों का निर्माण/नवीकरण; विपणन अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; राष्ट्रीय बागवानी मिशन इत्यादि कार्यान्वित करती है।

सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी कहती रही है कि वे अपने ए.पी.एम.सी. अधिनियमों में संशोधन करें जिससे अन्य बातों के साथ-साथ सीधे विपणन, संविदा खेती, किसान/उपभोक्ता बाजारों, निजी/सहकारी क्षेत्र में बाजार स्थापित करना और ई-व्यापार की व्यवस्था की जा सके ताकि किसानों के लिए वैकल्पिक प्रतिस्पर्द्धी विपणन चैनल उपलब्ध कराए जा सके और विपणन प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके।

कुल मिलाकर, ये पहलें किसानों के लिए बेहतर व्यवहार सुनिध्यित करने में सफल रही है जिसके लिए बढ़ते हुए उत्पादन स्तर, उपज और आय साक्षी हैं।

*[अनुवाद]*

**कोरबा समुदाय का उत्थान**

**6424. श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ओडिशा के कोरबा समुदाय जो अति पिछड़े वर्गों में आता है, की आबादी के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें से गरीबी रेखा के नीचे आने वाले व्यक्तियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समुदाय के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए सरकार द्वारा विशिष्टत: तैयार व कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक):** (क) और (ख) इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। ओडिशा राज्य के लिए अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) की केन्द्रीय सूची में "कोरबा" जाति/समुदाय को शामिल नहीं किया गया है।

(ग) अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग जैसा कोई भी श्रेणीकरण नहीं है। तथापि, यह मंत्रालय अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है-

(i) अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति।

(ii) अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।

(iii) अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण।

(iv) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

**सरकारी स्वामित्व वाले टी.वी./रेडियो स्टेशन**

**6425. श्री आधि शंकर:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की तर्ज पर लोक प्रसारण संस्था 'प्रसार भारती' को अधिकार संपन्न करते हुए सरकार के स्वामित्वाधीन एवं प्रचालनगत टेलीविजन चैनलों, समाचार-पत्रों और रेडियो स्टेशनों की संभावना तलाशने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने पहले ही अपने-अपने टी.वी. चैनल शुरू कर दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी चैनल-वार ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) और (ख) सरकार ने श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में दिनांक 28.01.2013 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य लोक प्रसारक के रूप में प्रसार भारती की भूमिका को बढ़ाने हेतु प्रसार भारती के संस्थागत ढांचे की समीक्षा करना है और संगठन के तकनीकी उन्नयन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव देना है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को अपने टी.वी. चैनल स्थापित करने का अधिकार नहीं है। भारत से टी.वी. चैनलों को अपलिंकिंग करने हेतु मौजूदा नीति-निर्देशों के अनुसार, केवल कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों को ही निजी सैटेलाइट टी.वी. चैनलों की अपलिंकिंग करने हेतु आवेदन करने की अनुमति है।

दिनांक 30.11.2012 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को एक संदर्भ भेजकर प्रसारण एवं वितरण कार्यकलापों में सरकारी संस्थाओं के प्रवेश के संबंध में उनकी सिफारिशें मांगी गई थीं। उक्त संदर्भ के उत्तर में, ट्राई ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की है कि राज्य सरकार के विभागों, राज्य सरकार के

स्वामित्व वाली कम्पनियों, राज्य सरकार के उपक्रमों, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त उद्यमों और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं को टी.वी. चैनलों के प्रसारण और/अथवा वितरण के व्यवसाय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने अपने दिनांक 03.01.2013 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयीय समिति (आई.एम.सी.) गठित की है जो 'प्रसारण क्षेत्र' से जुड़ी ट्राई की विभिन्न सिफारिशों की जांच करके भारत सरकार में समुचित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी जानकारी प्रस्तुत करेगी।

**शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण**

**6426. श्री के.सी. सिंह 'बाबा':** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शैक्षिक संस्थानों में दाखिले और नौकरी देने के प्रयोजन से किस-किस प्रकार की शारीरिक नि:शक्तता को आरक्षण की श्रेणी में लिया जाता है;

(ख) क्या नि:शक्तजन के लिए उपलब्ध कोटे के अंतर्गत नियमित भर्ती की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नि:शक्तजन के आरक्षण-कोटे की प्रतिशतता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक):** (क) नि:शक्त व्यक्ति, (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 में "नि:शक्तता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:

(i) दृष्टिविहीनता;

(ii) निम्न दृष्टि;

(iii) कुष्ठ रोग उपचारित;

(iv) श्रवण बाधिता;

(v) चलन विकलांगता;

(vi) मानसिक मंदता;

(vii) मानसिक रोग;

नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम की धारा 2 (न) के अनुसार, नि:शक्त व्यक्ति से अभिप्राय वह व्यक्ति है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी विकलांगता से न्यूनतम चालीस प्रतिशत (40%) तक पीड़ित हो।

(ख) और (ग) नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 33 के अनुसार, प्रत्येक समुचित सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में न्यूनतम 3% रिक्तियां विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणी के लिए निर्धारित करेगी जिसका 1% प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचाने गए पदों में निम्नलिखित रोगों से पीड़ित प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षित होगा:

(i) दृष्टिविहीनता अथवा निम्नदृष्टि;

(ii) श्रवण बाधिता;

(iii) चलन विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्क अंगघात;

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार, किसी विभाग अथवा संस्थागत में किए गए कार्य को देखते हुए, अधिसूचना द्वारा, उस अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, के अध्यधीन, इस धारा के प्रावधानों से किसी संस्थागत को छूट दे सकती है।

नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 39 के अनुसार, सभी सरकारी शैक्षिक संस्थाएं और सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली अन्य शैक्षिक संस्थाएं विकलांग व्यक्तियों के लिए न्यूनतम 3% सीटें आरक्षित करेंगी।

सरकार ने यह अनुदेश जारी किए हैं कि ऐसे व्यक्तियों को सीधी भर्ती के मामले में चिन्हित पदों के सभी समूहों में तथा पदोन्नति के मामले में चिन्हित समूह "ग" पदों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं कि नि:शक्त व्यक्ति को किसी चिन्हित पद के लिए नियुक्ति पर विचार हेतु निष्पक्ष अवसर प्राप्त हो।

(घ) और (ङ) सरकार ने नि:शक्त व्यक्तियों के लिए कम से कम 5% आरक्षण का प्रस्ताव करते हुए एक मसौदा नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक को अंतिम रूप दे दिया है।

**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जल आपूर्ति**

**6427. श्री बदरुद्दीन अजमल:** क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आसाम सहित उत्तर-पूर्व क्षेत्र में राज्य-वार कुल कितने गांव हैं;

(ख) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कितने गांवों में समुचित जल आपूर्ति व्यवस्था नहीं है; और

(ग) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में गांवों में पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार):** (क) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार असम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गांवों की राज्य-वार कुल संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय बस्तियों के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति की कवरेज से संबंधित सूचना का रखरखाव करता है। उन बस्तियों, जो या तो आंशिक रूप से पेयजल आपूर्ति के तहत कवर किए गए हैं या जिनकी पेय जल आपूर्ति की गुणता प्रभावित है, की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(ग) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को शासित करता है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के प्रयासों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में राज्यों को ग्रामीण जल आपूर्ति की कवरेज के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. आबंटन की 10% राशि ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों को आवंटन के लिए निर्धारित की जाती है। राज्यों के लिए प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करना और उस पर मंत्रालय के साथ विचारविमर्श किया जाना भी अपेक्षित है जिससे सभी ग्रामीण बस्तियों में सुरक्षित और पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

### *विवरण-I*

*पूर्वोत्तर क्षेत्र में गांवों की संख्या*

| क्र.सं. | राज्य | गांवों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 4507 |
| 2. | असम | 25964 |
| 3. | मणिपुर | 2558 |
| 4. | मेघालय | 5952 |
| 5. | मिज़ोरम | 714 |
| 6. | नागालैंड | 1460 |
| 7. | सिक्किम | 410 |
| 8. | त्रिपुरा | 1039 |
| | कुल | 42604 |

### *विवरण-II*

| क्र.सं. | राज्य | 01.04.2013 को बस्तियों की स्थिति | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल बस्तियां | पूरी तरह से कवर की गईं | आंशिक रूप से कवर की गईं | गुणता प्रभावित |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 5612 | 2941 | 2556 | 115 |
| 2. | असम | 86976 | 54303 | 20029 | 12644 |
| 3. | मणिपुर | 2870 | 1724 | 1146 | 0 |
| 4. | मेघालय | 9326 | 5353 | 3889 | 84 |
| 5. | मिज़ोरम | 777 | 716 | 61 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | नागालैंड | 1460 | 1114 | 266 | 80 |
| 7. | सिक्किम | 2498 | 1870 | 628 | 0 |
| 8. | त्रिपुरा | 8132 | 3088 | 147 | 4897 |
| | कुल | 117651 | 71109 | 28722 | 17820 |

*[हिन्दी]*

**गौमूत्र निर्मित कीटनाशक**

6428. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में रासायनिक कीटनाशकों की बजाय गौमूत्र-निर्मित कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस हेतु सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने हल्दी, टमाटर के पत्तों का रस, लहसुन, गांखरू के पत्ते, आंवला, नीम तथा बेंत जैसे पदार्थों से एक गौमूत्र निर्मिग्त वानस्पतिक सूत्र विकसित किया है। गौमूत्र निर्मित कीटनाशक को कीटनाशक अधिनियम, 1968 की वानस्पतिक सूत्र विकसित किया है। गौमूत्र निर्मित कीटनाशक को कीटनाशक अधिनियम, 1968 की अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है तथा अब तक केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड तथा पंजीकरण समिति को पंजीकरण प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

*[अनुवाद]*

**कृषकों हेतु वित्तीय सेवाएं**

6429. **श्री महाबली सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में छोटे किसानों को वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाने के लिए सरकार की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसानों के लाभार्थ ग्रामीण बैंकिंग और सूक्ष्म ऋण प्रणाली के नए अवसरों का पता लगाने के लिए नवीनतम संचार तकनीकों का किस प्रकार इस्तेमाल हो रहा है;

(घ) क्या वित्तीय सेवाओं को विपणन और विस्तार सेवाओं जैसी गैर-वित्तीय सेवाओं से जोड़ने के संबंध में कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**आयातित उर्वरकों की गुणवत्ता**

6430. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय और क्षेत्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान (सी.एफ.क्यू.सी. एंड टी.) के उर्वरक निरीक्षकों पर भारतीय पत्तनों पर उतरने वाले आयातित उर्वरकों की गुणवत्ता जांचने का उत्तरदायित्व है;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में उर्वरकों नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत विनिर्धारित मानकों पर खरा न उतरने वाले निम्नतर गुणवत्ता के उर्वरकों का पता लगाया गया;

(ग) क्या यह सही है कि कुछ उर्वरक निरीक्षकों की मिली भगत से देश में निम्नतर गुणवत्ता का उर्वरक आ रहा है जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 में अविलंब संशोधन की जरूरत है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर)**: (क) केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद (सी.एफ.क्यू.सी. एंड टी.आई.) और नवी मुंबई, चेन्नई एवं कल्याणी स्थित इसकी क्षेत्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशालाएं (आर.एफ.सी.एल.) आयातित उर्वरकों की गुणवत्ता जांच करते हैं। उर्वरकों के आयात के बारे में सूचना की प्राप्ति पर सी.एफ.क्यू.सी. एंड टी.आई. और आर.एफ.सी.एल. के उर्वरक निरीक्षक नियमित रूप से पोर्टों का दौरा करते हैं, कार्गो का निरीक्षण करते हैं और सी.एफ.क्यू.सी. एंड टी.आई. और आर.एफ.सी.एल. में गुणवत्ता जांच के लिए गुजरने वाले जलयानों/ कंटेनरों से उर्वरक नमूने लेते हैं।

(ख) निरीक्षण किए गए जलयानों/कंटेनरों की कुल संख्या और 2009-10 से 2011-12 के दौरान सी.एफ.क्यू.सी. एंड टी.आई./ आर.एफ.सी.एल. द्वारा गैर-मानक पाए गए जलयानों/कंटेनरों की संख्या नीचे दी गई है:

| वर्ष | जलयानों/कनटैनरों की कुल संख्या | गैर-मानक पाए गए जलयानों/ कंटैनरों की संख्या |
|---|---|---|
| 2009-10 | 1008 | 02 |
| 2010-11 | 1254 | 05 |
| 2011-12 | 1367 | 07 |

(ग) और (घ) उर्वरकों की खराब गुणवत्ता के संबंध में उर्वरक निरीक्षकों की मौन सहमति के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) वर्धित जरूरत को पूरा करने के लिए एफ.सी.ओ., 1985 को समय-समय पर संशोधित किया गया है।

**एन.एल.सी. का संयुक्त उपक्रम**

6431. **श्रीमती दर्शना जरदोश**: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मै. नैवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एन.एल.सी.) ने गुजरात राज्य सरकार के किसी सरकारी उपक्रम के साथ कोई संयुक्त परियोजना हाथ में ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख में उक्त परियोजना की क्या स्थिति है?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील)**: (क) से (ग) गुजरात सरकार के अनुरोध पर नेयवेली निग्नाइट कॉरपोरेशन लि. (एन.एल.सी.) ने 2006 में गुजरात सरकार की कंपनी (गुजरात विद्युत कॉरपोरेशन लि.) के साथ संयुक्त उद्यम में 1000 मेगावाट क्षमता की एकीकृत निग्नाइट खान तथा विद्युत परियोजना को विकसित करने का प्रस्ताव किया था। 28.07.2006 को गुजरात सरकार (जी.ओ.जी.) के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) संपन्न हुआ था। चूंकि गुजरात सरकार ने राज्य के लिए 90% विद्युत की मांग की थी, अत: परियोजना शुरू नहीं की जा सकी। चूंकि विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित तारीख अर्थात 05.01.2011 से पहले विद्युत खरीद करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, इसलिए एन.एल.सी. के बोर्ड के दिनांक 27.05.2011 के निर्णय के अनुसार परियोजना को आस्थगित रखा गया है।

**लक्षद्वीप में नौका निर्माण उद्योग**

6432. **श्री हमदुल्लाह सईद**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षद्वीप में नौका निर्माण उद्योग इस द्वीप समूह के मछुआरा समुदाय के लिए एक लाभकारी व्यवसाय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के मछुआरा समुदाय द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितनी नौकाएं निर्मित की गईं; और

(घ) उक्तावधि के दौरान नौका निर्माण उद्योग हेतु बनाई गई विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) जी, हां। मछली पकड़ने वाली पारंपरिक नौकाओं का निर्माण स्थानीय मछुआरों द्वारा अपनी जरूरतों के अनुसार किया जाता है और मात्स्यिकी विभाग, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र नौका की लागत के मामले में 40% तक और नए इंजन की खरीद के मामले में 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह योजना स्थानीय मछुआरा समुदाय के बीच सफल है।

(ग) वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

| वर्ष | कुल संख्या (नया निर्माण) |
|---|---|
| 2010-11 | 57 |
| 2011-12 | 77 |
| 2012-13 | 86 |

(घ) वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

| वर्ष | लाभार्थियों की कुल संख्या |
|---|---|
| 2010-11 | 210 |
| 2011-12 | 216 |
| 2012-13 | 220 |

## बी.टी. कपास के संबंध में अध्ययन

**6433. श्री पी. करुणाकरन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बी.टी. कपास की खेती के प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निष्कर्षों से इस मुद्दे पर नई जानकारी प्राप्त होने में कोई मदद मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान (आई.सी.ए.आर.) परिषद के केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सी.आई.सी.आर.), नागपुर द्वारा किए गए अध्ययनों से यह पता चला है कि बी.टी. कपास ने भयंकर कीट व नाशीजीवों जैसे बालवर्गों को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित किया है। बी.टी. कपास की खेती से कपास उपज नुकसानों की रोकथाम हुई है जोकि 2002 में बी.टी. कपास की शुरुआत करने से पूर्व, प्रति वर्ष बालवर्म के कारण 30-60 प्रतिशत की सीमा समाप्त हो जाता था। सबसे बड़ी प्राप्ति कीटनाशियों के उपयोग में कमी के रूप में है जो 2001 में देश में कुल 46 प्रतिशत कीटनाशियों के उपयोग से कम होकर 2006 के बाद 26 प्रतिशत हो गया और पिछले तीन वर्षों के दौरान 21 प्रतिशत रहा है। कपास और अन्य प्रमुख फसलों पर बालवर्गों की तीव्रता महत्वपूर्ण रूप से कम हुई है, इस तरह बालवर्म का प्रकोप बने रहने और इसके फलस्वरूप कीटनाशी कॉकटेल उपयोग के दबाव का डर भी समाप्त हुआ है।

भारत में कपास उत्पादन में वृद्धि 2001-02 में 100 लाख गांठों से बढ़कर 2011-12 में 352 लाख गांठ हो गया है फसल उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है जो 186 कि.ग्रा. प्रति है. हो गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) कपास संकरों में बी.टी. जीन की शुरुआत ने जल्दी फल लगने वाले हिस्सों के संरक्षण के फायदे को बढ़ा दिया है और एक अपेक्षाकृत सुस्पष्ट आदत का पता चला है। नागण्य बॉल और रेशा नुकसान के कारण उन्नत भारतीय कपास के रेशा गुणवत्ता को अंतराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है, इसके अलावा, देश में बी.टी. कपास की शुरुआत के बाद कचरा की मात्रा में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है। देश ने रिकार्ड उत्पादन के कारण 2012 में 129 लाख गांठों के रिकार्ड के साथ शुद्ध निर्यात में श्रेष्ठता प्राप्त की है।

## एन.ए.आई.एस. के अंतर्गत लाभार्थी

**6434. श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के अंतर्गत विगत एक वर्ष के दौरान लाभान्वित होने वाली ग्रामीण महिलाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना का कार्यान्वयन करने वाली संस्थाओं के कार्य-निष्पादन की ग्रामीण महिलाओं तक उनकी पहुंच के संदर्भ में समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके परिणाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) एन.ए.आई.एस. को महिलाओं सहित किसानों की फसल उपज में प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं रोगों आदि के कारण नुकसान के लिए वित्तीय क्षतिपूर्ति देने के लिए शुरू किया गया है। यह ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य और गैर-ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। वर्ष 2011-12 के दौरान महिलाओं सहित लाभान्वित किसानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ग्रामीण महिला किसानों के संबंध में सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) कार्यान्वयक एजेंसी के कार्य निष्पादन की ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई है।

### *विवरण*

*वर्ष 2011-12 के दौरान एन.ए.आई.एस. के अंतर्गत महिलाओं सहित बीमित/लाभान्वित किसान की राज्यवार संख्या*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | बीमित किसान (सं.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 2247473 |
| 2. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 230 |
| 3. | असम | 56.317 |
| 4. | बिहार | 345455 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 1012068 |
| 6. | गोवा | 344 |
| 7. | गुजरात | 1009767 |
| 8. | हरियाणा | 33999 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 28976 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 3666 |
| 11. | झारखंड | 216231 |
| 12. | कर्नाटक | 1369488 |
| 13. | केरल | 30434 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 2890713 |
| 15. | महाराष्ट्र | 2511945 |
| 16. | मणिपुर | 2683 |
| 17. | मेघालय | 1461 |
| 18. | ओडिशा | 1512407 |
| 19. | पुदुचेरी | 3111 |
| 20. | सिक्किम | 105 |
| 21. | तमिलनाडु | 488896 |
| 22. | त्रिपुरा | 1226 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 2100855 |
| 24. | उत्तराखंड | 36485 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 889227 |
| | कुल | 16793562 |

### मिलिंग हेतु शुल्क

6435. **श्री हेमानंद बिसवाल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ओडिशा राज्य में मंडी श्रमिक शुल्क, नए बोरों के मूल्य और परिवहन प्रभार के चलते देशी तरीके से तैयार किए जाने वाले चावल की लागत समीक्षा का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) जी, हां। खरीफ विपणन मौसम 2012-13 हेतु ओडिशा के लिए कस्टम मिल्ड चावल (सी.एम.आर.) की अनंतिम कॉस्ट शीट में मंडी श्रमिक प्रभार और नई बोरियों की लागत के संबंध में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार संशोधन किया गया है:-

(रुपए/प्रति क्विंटल)

| मद | संशोधन-पूर्व दरें | संशोधित दरें |
|---|---|---|
| मंडी श्रमिक प्रभार | 5.08 | 9.17 |
| नई बोरियों की लागत | 71.19 | 76.64 |

तथापि ढुलाई प्रभारों के मामले में पहले से अनुमोदित दर में परिवर्तन करना व्यवहार्य नहीं पाया गया।

**हथियारों और गोला-बारूद की जब्ती**

6436. **श्री सी. शिवासामी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ओडिशा सहित विभिन्न भागों में विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा नक्सली-रोधी अभियानों में जब्त विस्फोटक सामग्री, हथियारों और गोला-बारूद का घटना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जब्तशुदा सामग्री के स्रोत देशों/एजेंसियों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नक्सली/उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए जा रहे हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 03 राज्यों, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वर्तमान वर्ष सहित विगत तीन वर्ष के संबंध में बरामद हथियारों के आंकड़े निम्नलिखित है:

| वर्ष | बरामद हथियार |
|---|---|
| 2010 | 642 |
| 2011 | 636 |
| 2012 | 589 |
| 2013 (15 अप्रैल तक) | 196 |

(ख) और (ग) सुरक्षा बलों के विभिन्न अभियानों में, झारखंड से वामपंथी उग्रवादियों से ग्रनेड लांचर, पिस्टल, एम-16 राइफल, कार्बाइन और विदेशी मूल के एस.बी.बी.एल. गन सहित हथियार और गोलाबारूद बरामद हुए हैं, जो इस बात के संकेत हैं कि वे विभिन्न स्रोतों से हथियारों की खरीद कर रहे हैं। वामपंथी उग्रवादियों से बरामद विदेशी मूल के हथियारों और गोलाबारूद से संबंधित कुछ मामलों की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण (एन.आई.ए.) द्वारा की जा रही है।

(घ) मोओवादियों द्वारा हथियारों और गोलाबारूद की खरीद और उपयोग की सूचना आसूचना एजेंसियों द्वारा सतत रूप से एकत्रित की जाती है। जब भी ऐसे मामले की पहचान होती है उनकी जांच कानून के अनुसार राज्य पुलिस बलों तथा अन्य संबंधित विशेषीकृत एजेंसियों द्वारा की जाती है। गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी राज्यों को महत्वपूर्ण नक्सली अपराधों की जांच करने के लिए विशेष अन्वेषण टीमें गठित करने की सलाह दी है।

पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय होने के कारण कानून और व्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित कार्रवाई प्राथमिक रूप से संबोधित राज्य सरकारों के कार्यक्रम में आती है। केन्द्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से मुकाबला करने के लिए द्वि-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। यह सुरक्षा संबंधी तथा विकास संबंधी पहलों के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता पहुंचाती है। सुरक्षा संबंधी पहलों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को सीधे तैनात करने के अतिरिक्त, भारत सरकार, सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, विशेष अवसंरचना योजना, सुदृढ़ पुलिस वाहनों के निर्माण आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्यों के क्षमता-निर्माण में सहायता मुहैया कराती है। विकास संबंधी पहल में, केन्द्र सरकार एकीकृत कार्य योजना, सड़क आवश्यकता योजना-I आदि के जरिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

**डेयरी उद्यमिता विकास कार्यक्रम**

6437. **श्री एंटो एंटोनी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डेयरी उद्यमिता विकास कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के आशय से केन्द्र सरकार को केरल सरकार से कोई अनुरोध मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) और (ख) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग को डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (डी.ई.डी.एस.) हेतु वित्तीय सहायता के लिए केरल राज्य सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। डी.ई.डी.एस. योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) नोडल एजेंसी है। इस विभाग ने मार्च, 2013 में नाबार्ड के समक्ष लंबित सब्सिडी दावों हेतु केरल सहित विभिन्न राज्यों को पहले आओ पहले पाओ आधार पर और सब्सिडी जारी करने के लिए नाबार्ड को 170 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

*[हिन्दी]*

## शीतागारों की स्थापना

6438. **श्री देवजी एम. पटेल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राजस्थान के जालौर क्षेत्र में कृषकों हेतु संसाधनाभाव को देखते हुए वहां शीतागार स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इस क्षेत्र में आलू की खेती हेतु उपयुक्त वातावरण को देखते हुए इसे "आलू केन्द्र" के रूप में विकसित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग, बागवानी के विकास हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) तथा राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जिसमें राजस्थान के जालौर क्षेत्र सहित देश में शीतागारों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु सहायता शामिल है।

शीतागारों की स्थापना के घटक परियोजना आधारित तथा उद्यमियता संचालित है, जिसके लिए ऋण सम्बद्ध पार्श्वांत राजसहायता सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 40% की दर पर तथा पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 55% की दर पर उपलब्ध है। इसी तरह की ऐसी गतिविधियों के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयां राज्य सरकार एजेंसियां, सहकारी समितियां, उत्पादक संघ, सहकारी समितियां, उत्पादक संघ, किसान समूह, स्वयं सहायता समूह तथा महिला किसान समूह भी पात्र हैं।

(ग) और (घ) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*[अनुवाद]*

## आतंकवाद के वित्तपोषण के बारे में कार्यशाला

6439. **श्री आर. थामराईसेलवन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आतंकवाद के वित्तपोषण के बारे में पुलिस को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित करके पुलिस अधिकारियों को निधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में हाल में हुए संशोधन की जानकारी देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आतंकवाद के वित्तपोषण के ढांचे तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में हाल में किए गए संशोधनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए 17 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला पहले ही आयोजित की जा चुकी है।

## सामुदायिक रेडिया स्टेशनों की प्रसारण आवृत्ति

6440. **श्री पोन्नम प्रभाकर:**

**श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को प्रोत्साहित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त सेवाएं आम आदमी के लिए किस प्रकार लाभप्रद होंगी;

(ख) क्या सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश सहित देश में अन्यत्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने हेतु आवृत्ति पथ उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो 11वीं और 12वीं योजनाओं की अवधि सहित तत्संबंधी राज्य-वार/संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की प्रसारण आवृत्ति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का स्वामित्व और प्रबंधन स्वयं समुदायों द्वारा किया जाता है और इस प्रकार ये सबसे निर्धन और हाशिए के भारतीय नागरिकों की प्रारंभिक संचार अवसंरचना की पहुंच सुनिश्चित करते हैं। यह खास तौर से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बसे ऐसे समुदायों को शक्तिसम्पन्न करने के सर्वोत्कृष्ट उपायों में से एक है, जो मुख्य धारा के अत्यधिक व्यावसायिक मीडिया वातावरण में अपने को अभिव्यक्त करने का पर्याप्त अवसर नहीं पाते। सामुदायिक रेडियो स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय बोली को प्रोत्साहित करने और उनका परिरक्षण करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है।

सरकार विकास और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर सिविल सोसायटी द्वारा और अधिक भागीदारी होने देने के लिए गैर-लाभकारी संगठनों, यथा-पंजीकृत सोसाइटी/एन.जी.ओज/ट्रस्ट्स/शिक्षण संस्थानों और कृषि विज्ञान-केंद्रों आदि को सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सी.आर.एस.) स्थापित करने की अनुमति प्रदान करती है, बशर्ते वे नीति-निर्देशों में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। देश भर में सी.आर.एस. स्थापित करने हेतु 428 आशय-पत्र (एल.जी.आई.) जारी किए गए हैं। जारी किए गए आशय-पत्रों की राज्य-वार सूची मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध है।

लोगों को नीतियों के बारे में संवेदनशील बनाने और सामुदायिक रेडियो की स्थापना करने, संचालन और अनुरक्षण करने से संबंधित मुद्दों के बारे में इच्छुक आवेदकों में जागरूकता पैदा करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। अब तक देश भर में 46 कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, विचारों और चर्चाओं के आदान-प्रदान करने हेतु सामुदायिक रेडियो संचालकों, सरकारी मंत्रालयों और विभागों, संयुक्त राष्ट्र संगठनों और अन्य पणधारियों के लिए तीन राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन भी किया गया है।

(ख) से (घ) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वायरलेस योजना और समन्वय स्कंध ने सूचित किया है कि 11वीं और 12वीं योजना अवधि के दौरान सी.आर.एस. संचालन हेतु 194 फ्रीक्वेंसी का आवंटन किया गया। जिनमें से 13 फ्रीक्वेंसी आन्ध्र प्रदेश में आबंटित की गयीं। फ्रीक्वेंसी आबंटन का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सी.आर.एस.) के संचालन हेतु 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार आवृत्ति आवंटन*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) | 11वीं पंचवर्षीय योजना (2012) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 13 | शून्य |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | शून्य | शून्य |
| 3. | असम | 05 | शून्य |
| 4. | बिहार | 08 | 02 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 02 | शून्य |
| 6. | दिल्ली | 02 | शून्य |
| 7. | गोवा | शून्य | शून्य |
| 8. | गुजरात | 06 | शून्य |
| 9. | हरियाणा | 09 | शून्य |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 02 | शून्य |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 01 | शून्य |
| 12. | झारखंड | 01 | शून्य |
| 13. | कर्नाटक | 12 | 01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 14. | केरल | 06 | शून्य |
| 15. | मध्य प्रदेश | 21 | शून्य |
| 16. | महाराष्ट्र | 20 | 03 |
| 17. | मणिपुर | 01 | शून्य |
| 18. | मेघालय | शून्य | शून्य |
| 19. | मिज़ोरम | शून्य | शून्य |
| 20. | नागालैण्ड | शून्य | शून्य |
| 21. | ओडिशा | 07 | शून्य |
| 22. | पंजाब | 05 | शून्य |
| 23. | राजस्थान | 08 | शून्य |
| 24. | सिक्किम | शून्य | शून्य |
| 25. | तमिलनाडु | 23 | 01 |
| 26. | त्रिपुरा | 01 | शून्य |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 17 | शून्य |
| 28. | उत्तराखंड | 07 | 01 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 06 | शून्य |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | शून्य | शून्य |
| 31. | चण्डीगढ़ | 03 | शून्य |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | शून्य | शून्य |
| 33. | दमन और दीव | शून्य | शून्य |
| 34. | लक्षद्वीप | शून्य | शून्य |
| 35. | पुदुचेरी | शून्य | शून्य |

**चीनी पर सब्सिडी**

6441. **श्री के.पी. धनपालन:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चीनी पर सब्सिडी उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सब्सिडी के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या राज्य सरकारें चीनी को स्थानीय स्तर पर एकत्र करके इस पर सब्सिडी प्राप्त कर सकती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.पी. थॉमस): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार देश भर में एकसमान खुदरा निर्गम मूल्य पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर दुकानों के जरिए चीनी के वितरण हेतु राजसहायता प्रदान कर रही है।

केन्द्रीय सरकार ने चीनी क्षेत्र का नियंत्रण मुक्त करने संबंधी डा. सी. रंगाराजन समिति की सिफारिशों पर दिनांक 4.4.2013 को विचार किया था और अन्य बातों के अलावा चीनी मिलों से लेवी दायित्व समान्त करने का निर्णय लिया है। तथापि 13.50 रुपये प्रगति कि.ग्रा. के मौजूदा खुदरा निर्गम मूल्य पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार 18.50 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से सब्सिडी की प्रतिपूर्ति करेगी जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मौजूदा आबंटनों पर आधारित मात्रा तक सीमित होगी। इस बात पर विचार करते हुए कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को कोटा लगभग 27 लाख टन है, कुल राजसहायता लगभग 4995 करोड़ रुपये होंगी।

(ग) और (घ) नए तंत्र के अंतर्गत राज्य सरकारी/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन खुले बाजार से एक पारदर्शी तरीके से चीनी की खरीद करेंगे और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित की गई मात्रा हेतु केन्द्रीय सरकार से राजसहायता का दावा करेंगे। सब्सिडी का दावा करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं और शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

**महिला कमांडो को प्रशिक्षण**

**6442. श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा गारद ने काफी संख्या में महिला कमांडों को प्रशिक्षण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महिला कमांडो की सेवाओं का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहाह है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) पिछले 10 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन.एस.जी.) द्वारा 45 महिला कमाण्डो को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ख)

| वर्ष | कुल प्रशिक्षित कमाण्डो |
|---|---|
| 2003 | 15 |
| 2004-05 | 01 |
| 2006 | 04 |
| 2008-09 | 08 |
| 2011 | 17 |
| कुल | 45 |

(ग) एन.एस.जी. में महिला कमाण्डो को निर्दिष्ट कार्यों के अनुसार तैनात किया जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं होता।

**उपभोक्ता कल्याण निधि**

**6443. श्रीमती अन्नू टण्डन:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उसके 'जागो ग्राहक जागो' अभियान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन एजेंसियों को भी शामिल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) जी, नहीं, स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों की उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली उपभोक्ता कल्याण संबंधी कायिक निधि को पहले से ही बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें से 7.5 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है और शेष राशि का अंशदान सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा दिया जाएगा।

(ग) और (घ) जागो ग्राहक जागो अभियान के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञापन एजेंसी को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं

है। चुनिंदा राष्ट्रीय एजेंसियां ही सृजनात्मक अभियानों को सक्षमता से एवं सफलतापूर्वक संचालित कर रही हैं।

**टी.आर.पी. की कार्यविधि**

**6444. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टेलीविजन दर्शक संख्या/टेलीविजन रेटिंग पाइंट्स (टी.आर.पी.) मापने के लिए वर्तमान में क्या कार्यविधि अपनाई जाती है;

(ख) क्या सरकार को देश में टेलीविजन दर्शक संख्या के मापन हेतु अविश्वसनीय कार्यविधियां उपयोग किए जाने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दर्शक संख्या संबंधी जानकारी में हेर-फेर करने तथा एकाधिकारवादी कार्यशैली अपनाने के जिम्मेदार व्यक्तियों/एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या इस संबंध में बढ़ते आरोप-प्रत्यारोप के आलोक में सरकार का उक्त कार्यविधि को अधिक पारदर्शी बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का दर्शक संख्या के रुझान संबंधी जानकारी एकत्र करने हेतु प्रयुक्त दर्शक संख्या-मापकों की संख्या की भी समीक्षा करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार की जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ एक लाख से कम की आबादी वाले अंचलों को भी इसमें शामिल करके प्रतिदर्श आकार विस्तृत करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) इस समय, टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टी.आर.पी.) तैयार करने का कार्य अनन्य रूप से निजी उद्योग के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत आता है। टैम मीडिया रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (टैम) एकमात्र रेटिंग एजेंसी है जोकि भारत मे टी.वी. दर्शकों की संख्या/टी.वी. रेटिंग प्वाइंट्स का मापन करने के कार्य में रत है। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में अपने दर्शकों की संख्या को मापने के लिए दर्शक अनुसंधान टेलीविजन रेटिंग्स (डार्ट) का संचालन करता है।

(ख) से (घ) टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टी.आर.पी.) तैयार करने की मौजूदा प्रणाली में कतिपय खामियों के मद्देनजर, सरकार ने भारत की मौजूदा टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स प्रणाली (टी.आर.पी.) की समीक्षा करने तथा पारदर्शी टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स प्रणाली हेतु एक कारगर तंत्र की स्थापना करने के लिए फिक्की के पूर्व महासचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने नवंबर, 2010 में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में, अन्य के साथ-साथ, एक औद्योगिक निकाय अर्थात प्रसारण दर्शकगण अनुसंधान परिषद (बार्क) के माध्यम से टी.आर.पी. के स्व-विनियमन की अनुशंसा की है। चूंकि, समिति की सिफारिशों पर भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आई.बी.एफ.) द्वारा कार्रवाई की जानी थी, इसलिए यह रिपोर्ट जनवरी, 2011 में उनके पास भेज दी गई। मंत्रालय ने इस मामले को आई.बी.एफ. के साथ निरंतर उठाते हुए उन्हें बार्क का प्रचालन करने तथा एक पारदर्शी व विश्वसनीय टी.आर.पी. साधन प्रणाली की स्थापना करने के लिए कहा है। आई.बी.एफ. ने हाल ही में मंत्रालय को सूचित किया है कि बार्क द्वारा मार्च, 2014 तक टेलीविजन दर्शकों के आंकड़ों का प्रकाशन शुरू किए जाने की संभावना है।

(ङ) और (च) सरकार ने, अन्य के साथ-साथ, टैम मीडिया रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड को टी.आर.पी. तैयार करने हेतु प्रयुक्त किए जा रहे पीपल मीटर्स की संख्या में वृद्धि करने के लिए कहा है। टैम ने सूचित किया है कि भारत में उत्तरी व पश्चिमी राज्यों में 01 लाख से कम आबादी वाले लघु कस्बों को शामिल करके पीपल मीटर्स की संख्या वर्ष 2012 में 8,000 से बढ़कर आज 10,000 हो गई है। उनकी विस्तार योजना के तहत निकट भविष्य में दक्षिणी व पूर्वी राज्यों के सदृश लघु कस्बों को शामिल किए जाने का कार्य जारी रखा जाएगा। अगले चरण में वे ग्रामीण भारत को भी शामिल करेंगे। उन्होंने सरकार को यह भी सूचित किया है कि वे दीर्घकाल में पीपल मीटर्स की संख्या को 30,000 तक बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने सूचित किया है कि टैम के आंकड़ों में जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों (असम, जिले आंशिक रूप से शामिल किया गया है, को छोड़कर) को छोड़कर, इन क्षेत्रों में आंकड़ों के औद्योगिक प्रयोक्ताओं की अल मांग के कारण और साथ ही, उनके संचालनों के लिए आवश्यक उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के कारण सभी राज्यों को शामिल किया गया है।

**हैदराबाद में आयोजित विश्व कुचिपुड़ी उत्सव**

**6445. श्री सुरेश कुमार शेटकर:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद में विश्व कुचिपुड़ी उत्सव का आयोजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित/व्यय की गई?

**संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी):** (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) के सिलिकॉनांध सांस्कृतिक संगठन ने 24 से 26 दिसंबर, 2010 तथा 24 से 26 दिसम्बर, 2012 तक हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय कुचिपुड़ी नृत्य उत्सव आयोजित किया था और अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश राज्य सांस्कृतिक परिषद, हैदराबाद ने 26 और 27 मई, 2012 को रविन्द्र भारती, हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय कुचिपुड़ी नृत्य उत्सव आयोजित किया था।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान की है।

**राजपत्र अधिसूचना जारी करना**

6446. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन में टी.वी.एन.सी.एस./ए.एन.सी.एस./ए.एन.ई.एस. के पद समूह 'क' की श्रेणी में आते हैं जिसके लिए राजपत्र अधिसूचनाएं आवश्यक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अभी तक कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रोड्यूसरों, जिन्हें समान आदेश द्वारा नियमित किया गया था, के संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो क्या वर्ष 1997 और 2009 में अधिसूचनाएं तैयार कर ली गई थीं लेकिन प्रकाशन के लिए नहीं भेजी गई थीं; और

(च) यदि हां, तो क्या 21 वर्षों के बाद भी उनके भर्ती नियम नहीं बनाए गए हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) से (च) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि केवल टी.वी. समाचार संवाददाता (टी.वी.एन.सी.) का पद समूह 'क' के वेतनमान में है। निर्माताओं का एक अलग संवर्ग होता है। टी.वी.एन.सी./टी.वी. सहायक समाचार संवाददाताओं (टी.वी.ए.एन.सी.)/टी.वी. सहायक समाचार संपादकों (टी.वी.ए.एन.ई.) को प्रारंभ में वर्ष 1987 में 'कलाकारों' के रूप में कार्यरत किया गया था। बाद में उन्हें वर्ष 1993 में प्रारंभिक नियुक्ति की उनकी तारीखों से नियमित अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के रूप में उद्घोषित किया गया। तथापि, टी.वी.एन.सी. के पद के लिए भर्ती नियमों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है क्योंकि वे अंतर-विभागीय परामर्शों के अध्यधीन हैं। इस संबंध में राजपत्रित अधिसूचना जारी किए जाने से पूर्व कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग तथा विधि मंत्रालय की सहमति आवश्यक है।

*[हिन्दी]*

**खाद्य प्रसंस्करण नीति**

6447. **श्री अशोक कुमार रावत:**
**श्री बद्रीराम जाखड़:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मत्स्यन संसाधन और उत्पाद और संबंधित उद्योग सरकार की खाद्य प्रसंस्करण नीतियों/कार्यक्रमों में शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मत्स्यन क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को राज्य-वार कितनी निधियां/सहायता प्रदान की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) और (ख) कार्यनिर्धारण नियमों के अनुसार, मात्स्यिकी क्षेत्र से संबंधित निम्न मुद्दे इस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है:

(i) मछली का प्रसंस्करण (कैनिंग एवं फ्रीजिंग सहित)।

(ii) मछली प्रसंस्करण उद्योग विकास परिषद की स्थापना एवं सेवाएं।

(iii) मछली प्रसंस्करण उद्योगों को तकनीकी सहायता एवं परामर्श।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 11वीं योजना केन्द्रीय क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम कार्यान्वित की थी, जिसका उद्देश्य मात्स्यिकी, दूध, फालों एवं सब्जियों, मांस, पॉल्ट्री, वाइन, उपभोक्ता मदों, तिलहनों, राइस मिलिंग, फ्लोर मिलिंग, दालों इत्यादि सहित नई प्रसंस्करण क्षमता की सृजन तथा मौजूदा प्रसंस्करण क्षमताओं का उन्नयन करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रलाय मछली प्रसंस्करण यूनिटी सहित संयंत्र एवं

मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परंतु अधिकतम 50.00 लाख रुपये या दुर्गम क्षेत्रों जैसे जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और आई.टी.डी.पी. क्षेत्रों में 33.33% की दर से परंतु अधिकतम 75 लाख रुपये की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

12वीं योजना (2012-13) के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना स्कीम को नई केंद्र प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन में सन्निविष्ट कर दिया गया है। मिशन के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उपर्युक्त स्कीम के कार्यान्वयन का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग देश में मात्स्यिकी की वृद्धि को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने के लिए, विभिन्न स्कीमों के माध्यम से अनुदान एवं राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। यह विभाग, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.) के माध्यम से दो केंद्र प्रायोजित स्कीमों: (क) अंतरदेशीय मात्स्यिकी एवं मात्स्यिकी पालन का विकास और (ख) समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचनाओं एवं फसलोत्तर प्रचालनों के विकास का प्रबंधन करता है। इन स्कीमों का प्राथमिक उद्देश्य, उत्पादन में वृद्धि, अवसंरचना में सुधार तथा विपणन को बढ़ाना है।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए.) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मात्स्यिकी क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी यूनिटों को विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत, देश में मछली प्रसंस्करण यूनिटों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताओं के प्रति, 11वीं योजना के पिछले तीन वर्षों और 12वीं योजना (2012-13) के पहले वर्ष के दौरान राज्य-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

### *विवरण*

*वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 तथा चालू वर्ष के दौरान मात्स्यिकी क्षेत्र को राज्य-वार/यूनिट-वार दी गई निधियां/सहायता*

*मात्स्यिकी क्षेत्र को राज्य-वार/यूनिट-वार उपलब्ध कराई गई निधियां/सहायता*

(लाख रुपये)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13# | | 2013-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | यूनिटें @ | व्यय | यूनिटें @ | व्यय | यूनिटें @ | व्यय | यूनिटें @ | व्यय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | - | - | 3 | 58.23 | - | - | - | - |
| 2. | गोवा | 1 | 15.60 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | गुजरात | 1 | 17.50 | 4 | 100.00 | - | - | - | - |
| 4. | हरियाणा | | | | | - | - | - | - |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 28.395 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | केरल | 3 | 56.61 | 10 | 196.09 | 3 | 56.99 | - | - |
| 7. | महाराष्ट्र | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | - | | - | - |
| 8. | मणिपुर | - | - | 3 | 58.22 | 14 | 313.26 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | तमिलनाडु | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | - | - | - | - |
| 10. | पश्चिम बंगाल | - | - | 4 | 88.22 | - | - | - | - |
| 11. | अखिल भारत | 9 | 193.105 | 27 | 575.76 | 17 | 370.25 | - | - |

@ - स्वीकृत यूनिटें

# - केवल 11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं

*[अनुवाद]*

**सिनेमा थिएटरों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार**

6448. **श्री मानिक टैगोर:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कल्याण योजनाओं/कार्यक्रमों वाले सरकारी समाचार बुलेटिन को पूरे देश के किसी भी सिनेमा थिएटर में नहीं दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का देश के सभी सिनेमा थिएटरों में समाचार बुलेटिन अनिवार्य रूप से दिखाए जाने के लिए कदम उठाने का विचार है जिससे कि आम आदमी सरकार द्वारा कार्यान्वित नीतियों/कार्यक्रमों को समझ सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) से (ङ) थिएटरों में फिल्मों का प्रदर्शन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। चलचित्र अधिनियम, 1952 और चलचित्र नियम, 1983 के अनुसार सरकार संघ राज्य क्षेत्र के प्रदर्शकों को प्रत्येक व्यावसायिक सिनेमा की स्क्रीनिंग से पहले वैज्ञानिक लघु फिल्में, शैक्षणिक और अन्य न्यूज रीलें स्क्रीन करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने संगत राज्य अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत प्रदर्शकों को सदृश निर्देश जारी किए हैं।

सरकार ने अब समाचार बुलेटिन/समाचार रील का निर्माण बंद कर दिया है। तथापि, फिल्म प्रभाग, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, सूचना के प्रसारण हेतु अनिवार्य प्रदर्शन के लिए पूरे देशभर के विभिन्न थिएटरों को विशिष्ट विषयों पर अनुमोदित लघु फिल्में रिलीज करता है। वर्तमान में, वितरण श्रृंखला में 4903 सिनेमा थिएटर हैं जो फिल्म प्रभाग द्वारा भेजी गई 'अनुमोदित फिल्में' स्क्रीन करते हैं। तथापि, प्रदर्शक फिल्म प्रभाग से भिन्न एजेंसियों से ऐसी फिल्में प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

**प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता**

6449. **श्री प्रबोध पांडा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 और इस समय देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता के तुलनात्मक आंकड़े क्या है; और

(ख) अन्य विकासशील और पड़ोसी देशों की तुलना में देश में इस समय प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) आर्थिक कार्य विभाग और कृषि एवं सहकारिता विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारत में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता (प्रति वर्ष) निम्नानुसार है:-

(किलोग्राम प्रति वर्ष) (17.2.2012 की स्थिति के अनुसार)

| वर्ष | खाद्यान्न |
|---|---|
| 1990 | 172.5 |
| 1991 | 186.2 |
| 2010 | 159.5 |
| 2011 | 169.0 |

(ख) अन्य विकासशील देशों और पड़ोसी देशों की तुलना में देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की वर्तमान उपलब्धता के आंकड़े भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

**पत्र सूचना कार्यालय का कार्यकरण**

6450. **श्री प्रताप सिंह बाजवा:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.बी.) के कार्यकरण की आवधिक समीक्षा और निगरानी करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितनी बार ऐसी समीक्षा/निगरानी की गई है और इसके क्या निष्कर्ष रहे;

(ग) ऐसे निष्कर्षों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ऐसी समीक्षा के परिणामों से पत्र सूचना कार्यालय के कार्यकरण को सुधारने में कितनी सफलता मिली है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) से (ग) पत्र सूचना कार्यालय के कार्यकरण की मॉनीटरिंग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संसदीय समितियों, योजना आयोग आदि द्वारा आवधिक निष्पादन समीक्षा प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार के मंचों पर की गई सिफारिशों को पत्र सूचना कार्यालय के कार्यकरण को अधिक प्रभावी बनाने और इसकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

(घ) पत्र सूचना कार्यालय यह सुनिश्चित करता है कि उनके द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, फीचर लेख, पृष्ठ भूमि नोट, फोटोग्राफ आदि इस प्रकार की प्रकाशन सामग्री की तैयारी के लिए निर्धारित किए गए सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप हैं। पत्र सूचना कार्यालय केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों, घोषणाओं पर मंत्रियों/सचिवों के लिए प्रेस संक्षेप/साक्षात्कार की व्यवस्था करता है जिसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया दोनों उचित रूप से भाग लेते हैं।

फार्मेट के साथ-साथ विषय-वस्तु के अर्थ में मीडिया की आवश्यकता के अनुकूल सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना एक सतत प्रक्रिया है। पत्र सूचना कार्यालय सूचना का तेजी से वितरण सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों का आधिकाधिक प्रयोग आ रहा है जिसे पी,आई.बी. की वेबसाइट पर ई-मेल, प्रैस विज्ञप्ति, फोटोग्राफ आदि के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। पी.आई.बी. अपनी वेबसाइट पर स्ट्रीमिंग वीडियो के रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के विशिष्ट महत्व की घटनाओं की भी वेब-कास्टिंग कर रही है।

*[हिन्दी]*

**सोयाबीन उत्पाद**

6451. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सोयाबीन उत्पादों का उपयोग किस ढंग से किया जा रहा है;

(ख) क्या सोयाबीन वाले विभिन्न खाद्य उत्पादों के उत्पादन के लिए अपनायी जा रही प्रक्रिया के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) भारत में सोयाबीन की खेती मुख्यत: खाद्य तेल के लिए की जाती है जो विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया का उपयोग करके निकाली जाती है। तेल निकाले गए केक का निर्यात अधिकांशत: खाद्य उपयोग में किया जाता है। केक के कुछ अंश का उपयोग वसा रहित सोय आटा, सोय नगेट, बेकरी उत्पादों में अंशों और प्रोटीन के साथ अनाज आटा की प्रचुरता के लिए प्रयोग किया जाता है। सोय दूध, सोय दूध पाउडर, सोय पनीर (टोफु) सोय गिरी आदि जैसे उत्पादों के माध्यम से सीधे खाद्य उपयोग के लिए भी सोयाबीन का उपयोग किया जाता है। ये उत्पाद व्यावसायिक रूप से उपलबध होते हैं।

(ख) जी, नहीं। सोयाबीन का उपयोग करके उपर्युक्त उल्लेखित विभिन्न खाद्य उत्पादों के उत्पादन के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, सोयाबीन में कुछ पोषक-विरुद्ध तत्व होते हैं और इसी लिए उद्यमियों और उपभोक्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और सलाह दी जाती है कि खाद्य उपयोग में लाने से पूर्व सोयाबीन के उचित प्रसंस्करण का पालन करें।

नागपुर आधारित एक संगठन, पोषक सुधार अकादमी (ए.एन.आई.) सोयाबीन के खाद्य उपयोग के खिलाफ प्रिंट मीडिया में वक्तव्य जारी कर रहा है। सोयाबीन के खाद्य उपयोग के विरुद्ध यह संगठन विभिन्न

प्राधिकरणों को लिखित रूप में शिकायत भी भेज रहा है, जबकि यह संगठन स्वयं व्यवसायिक पैमाने पर सोयाबीन से बने खाद्य उत्पादों को उत्पादित कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लागू नहीं।

**विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन**

6452. **श्री भूपेन्द्र सिंह:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) से विज्ञापन प्राप्त करने वाले समाचारपत्रों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) निदेशालय की विज्ञापन सूची में छोटे और मध्यम आकार वाले समाचारपत्रों को शामिल किए जाने संबंधी मानदंड क्या है;

(ग) समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए सरकार/भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक (आर.एन.आई.) द्वारा प्राप्त आवेदनों/अनुरोधों का ब्यौरा क्या है और अब तक सरकार/आर.एन.आई. द्वारा व्वीकृत/लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबित आवेदनों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) डी.ए.वी.पी. से विज्ञापन प्राप्त करने वाले समाचारपत्रों के 30.04.2013 तक के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे डी.ए.वी.पी. के वेबसाइट www.davp.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) सरकार की विज्ञापन नीति के खण्ड 26 में कहा गया है कि प्रदर्शन विज्ञापनों के लिए उद्दिष्ट बजट का 35% मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों के लिए और 15% लघु श्रेणी के समाचारपत्रों के लिए रुपये के अर्थ में होना चाहिए।

(ग) दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 तक भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय (आर.एन.आई.) को समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के लिए प्राप्त हुए, निपटाए गए, पंजीकरण किए जाने के लिए लंबित आवेदनों/अनुरोधों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) संबंधित प्रकाशकों से पूर्ण और सही दस्तावेज प्राप्त होने के बाद 30 कार्यदिवसों के भीतर पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

***विवरण***

*दिनांक 01.042012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान समाचार-पत्रों के पंजीकरण हेतु आर.एन.आई. को प्राप्त, निपटाए गए और लंबित आवेदन/अनुरोध*

| क्र.सं. | नए पंजीकरण संशोधित पंजीकरण और अनुलिपि पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की कुल सं. | पंजीकृत किए गए शीर्षकों की कुल संख्या | | | लंबित मामलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| | | नए | संशोधित | अनुलिपि | |
| 1. | 9,900 | 7,419 | 1,803 | 26 | 652 |

*[अनुवाद]*

**अधिशेष कोयले की ई-नीलामी**

6453. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला मंत्रालय का अधिशेष कोयले का ई-नीलामी के माध्यम से निपटान किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंतरण की पद्धति और देय मूल्य का निर्धारण कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील):** (क) से (ग) कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से अधिशेष कोयले एवं वाशरी उत्पादों के निपटान के बारे में नीति को कोयला मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया

गया था जिसे आगे अंतर मंत्रालयी परामर्शों के लिए आस्थागित रखा गया है। अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं संबंधी मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (यू.एम.पी.पी. संबंधी ई.जी.ओ.एम.) के निर्णय के अनुसार सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात इसे आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन से किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**भूकंपरोधी टी.वी. टॉवर**

6454. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में बड़े भूकंपों के कारण कुछ टी.वी. टॉवर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने टी.वी. टॉवरों को भूकंपरोधी बनाने के लिए कोई कार्य-योजना बनाई है/बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि जोरथंग (सिक्किम) के अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, जिसे सितम्बर, 2011 में भूकम्प से नुकसान हुआ था, को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के दौरान भूकम्प के कारण टी.वी. टॉवरों को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) टी.वी. टॉवरों के अभिकल्प विनिर्देशन भूकम्प क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं, ताकि टॉवर भूकम्परोधी बनायी जा सके।

*[अनुवाद]*

**वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक**

6455. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक (जी.एफ.-एस.आई.), 2012 के हाल ही में प्रकाशित परिणामों पर ध्यान दिया है जिससे खाद्य की समुचित उपलब्धता के बावजूद भी देश में खाद्यान्न की वहनीयता, पहुंच तथा गुणवत्ता एवं सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत से संबंधित अन्य प्रमुख निष्कर्ष क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या जी.एफ.एस.आई. ने यह भी खुलासा किया है कि देश में पोषण का स्तर कम है और यह पाकिस्तान से भी कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार के पास खाद्य सुरक्षा प्रारूप विधान या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पोषण स्तर, पहुंच खाद्यान्न की गुणवत्ता सहित इन्हें या इस तरह के बेंचमार्क को शामिल करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) से (घ) समाचार पत्रिका 'द इकोनामिस्ट' द्वारा अपने जनवरी, 2013 के अंक में प्रकाशित तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक (जी.एफ.एस.आई.), 2012 में 105 देशों में भारत का स्थान 66वां है।

वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में विकासशील तथा विकसित, दोनों देशों में भोजन खरीदने की सामर्थ्य, उपलब्धता, मात्रा तथा सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों पर विचार किया जाता है। इस सूचकांक में 0 से 100 के बीच अंक प्रदान किए जाते हैं जिसमें 100 अंक सर्वाधिक अनुकूल है।

वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक - 2012 के अनुसार भारत के संबंध में अन्य निष्कर्ष हैं: (i) श्रेणी में 70वें स्थान के साथ वहनीयता 37.8 है; (ii) श्रेणी में 52वें स्थान के साथ उपलब्धता 51.3 है; तथा (iii) श्रेणी में 73वें स्थान के साथ गुणवत्ता तथा सुरक्षा 44.2 है। समग्र रूप से 44.8 अंकों के साथ भारत का स्थान 66वां है, जबकि 38.1 अंकों के साथ पाकिस्तान का स्थान 76वां है। तथापि गुणवत्ता तथा सुरक्षा श्रेणी, जिसमें औसत आहार की किस्म और पोषणिक गुणवत्ता तथा भोजन की सुरक्षा को मापा जाता है, में 44.2 अंकों के साथ भारत का स्थान 73वां है जबकि 55.5 अंकों के साथ पाकिस्तान का स्थान 56वां है।

(ङ) और (च) प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में लगभग दो तिहाई जनसंख्या को अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता प्रदान करके, वहनीयता, उपलब्धता तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रभावी कवरेज समस्याओं का समाधान किया गया है। विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को विनिर्दिष्ट पोषणिक मानकों के अनुसार निःशुल्क भोजन की पात्रता प्रदान करके पोषणिक सहायता संबंधी प्रावधान किया गया। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान तथा शिशु के जन्म के छह माह बाद उन्हें छह माह की अवधि तक एक हजार रूपये प्रति माह का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की पात्रता है। विधेयक में बच्चों के पोषणिक मानकों को पूरा करने के लिए उनकी आयु के अनुसार उन्हें निःशुल्क भोजन का भी प्रावधान है।

**बाजार हस्तक्षेप योजना**

**6456. श्री रवनीत सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.) के अंतर्गत प्राप्त हुए प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक स्वीकृत और सरकार के पास लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में किसानों को औने-पौने दाम पर बिक्री करने से बचाने की दृष्टि से अभी प्रस्तावों को स्वीकृत किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (ग) 30.04.2013 की स्थिति के अनुसार इसकी स्थिति के साथ साथ राज्यवार, विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के लिए बाजार हस्तक्षेप स्कीम के अंतर्गत प्राप्त हुए प्रस्तावों के ब्यौरे दर्शाते हुए विवरण संलग्न है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में एम.आई.एस. के अंतर्गत कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

***विवरण***

*2010-11 से 2012-13 तक की स्थिति के साथ साथ राज्यवार विगत 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के लिए बाजार हस्तक्षेप स्कीम के अंतर्गत संशोधित प्रस्ताव*

| क्र.सं. | राज्य | वर्ष/मौसम | फसल | राज्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | उत्तर प्रदेश | 2010-11 | आलू | अनुमोदित |
| 2. | पश्चिम बंगाल | 2011-12 | आलू | अनुमोदित |
| 3. | आन्ध्र प्रदेश | 2011-12 | आयल पाम | अनुमोदित |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 2011-12 | सेब | अनुमोदित |
| 5. | कर्नाटक | 2011-12 | सुपानी | अनुमोदित |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 2011-12 | से | अनुमोदित |
| 7. | कर्नाटक | 2011-12 | प्याज | अनुमोदित |
| 8. | कर्नाटक | 2011-12 | हल्दी | अनुमोदित |
| 9. | उत्तर प्रदेश | 2011-12 | आलू | अनुमोदित |
| 10. | आन्ध्र प्रदेश | 2011-12 | हल्दी | अनुमोदित |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 2012-13 | सेब | अनुमोदित नहीं क्योंकि राज्य सरकार आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं कर सकी। |
| 12. | राजस्थान | 2011-12 | लहसून | अनुमोदित |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | आन्ध्र प्रदेश | 2011-12 | मिर्च | अनुमोदित |
| 14. | तमिलनाडु | 2011-12 | हल्दी | अनुमोदित |
| 15. | मिज़ोरम | 2012-13 | इस्कुट (चयोट) | अनुमोदित |
| 16. | आन्ध्र प्रदेश | 2012-13 | ऑयल पाम एफ.एफ.बी. | अनुमोदित |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 2012-13 | आलू | अनुमोदित |

## कोयला निकासी गलियारा परियोजनाएं

6457. **श्री आर. ध्रुवनारायण:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में विशेषकर करीमनगर सिंगारेनी कोयला खदानों में रेल अवसंरचना की लागत में वृद्धि के कारण कोयला निकासी गलियारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार/कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील):** (क) से (ग) रेल मंत्रालय के अनुसार आंध्र प्रदेश के करीम नगर जिले में कोयले का लदान जी.ओ.एस.जी./साइडिंग रामागुंडा से किया जाता है। आर.सी.आर. कोयला लदान का कार्य उप्पल, राघवपुरम तथा रामागुंडा स्टेशनों से किया जाता है।

रेलवे ने आगे यह सूचित किया है कि दक्षिण केन्द्रीय रेलवे पर रेल अवसंरचना की लागत बढ़ जाने के कारण ऐसा कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

## ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या

6458. **श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में ग्रामीण, शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में कर्नाटक सहित राज्य-वार कुल जनसंख्या कितनी और जनसंख्या का कितना प्रतिशत?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** गृह मंत्रालय के अन्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय जनसंख्या की दशकीय गणना करता है जिसमे देश की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली समस्त जनसंख्या से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। जनगणना में अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों की संकल्पना का प्रयोग नहीं किया जाता है। जनगणना 2011 के जनसंख्या संबंधी अंतिम आंकड़े 30.04.2013 को जारी किए गए हैं। निवास के आधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वावर जनसंख्या तथा कुल जनसंख्या में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जनगणना में उपयोग की गई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की संकल्पना संबंधी ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

### *विवरण-I*

*आवास के आधार पर जनसंख्या भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, जनगणना 2011*

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र क्षेत्र कोड | भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र* | जनसंख्या 2011 | | | 2011 की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल | ग्रामीण | शहरी | ग्रामीण | शहरी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **भारत** | 1,210,569,573 | 833,463,448 | 377,106,125 | 68.8 | 31.2 |
| 1. | जम्मू और कश्मीर | 12,541,302 | 9,108,060 | 3,433,242 | 72.6 | 27.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | हिमाचल प्रदेश | 6,864,602 | 6,176,050 | 688,552 | 90.0 | 10.0 |
| 03. | पंजाब | 27,743,338 | 17,344,192 | 10,399,146 | 62.5 | 37.5 |
| 04. | चंडीगढ़ # | 1,055,450 | 28991 | 1,026,459 | 2.7 | 97.3 |
| 05. | उत्तराखंड | 10086292 | 7036,954 | 3,049,338 | 69.8 | 30.2 |
| 06. | हरियाणा | 25,351,462 | 16,509359 | 8,842,103 | 65.1 | 34.9 |
| 07. | रा.रा. क्षेत्र दिल्ली # | 16,787,941 | 419042 | 16,368899 | 2.5 | 97.5 |
| 08. | राजस्थान | 68,548,437 | 51500,352 | 17,048,085 | 75.1 | 24.9 |
| 09. | उत्तर प्रदेश | 199,812,341 | 155,317,278 | 44495,063 | 77.7 | 22.3 |
| 10. | बिहार | 104,099,452 | 92,341,436 | 11,758,016 | 88.7 | 11.3 |
| 11. | सिक्किम | 610,577 | 456,999 | 153,578 | 7-1.8 | 25.2 |
| 12. | अरुणाचल प्रदेश | 1,383,727 | 1,066,358 | 317,369 | 77.1 | 22.9 |
| 13. | नागालैंड | 1,978,502 | 1,407536 | 570,966 | 71.1 | 28.9 |
| 14. | मणिपुर | 2,570,390 | 1,736,236 | 834,154 | 67.5 | 32.5 |
| 15. | मिज़ोरम | 1,097,206 | 525,435 | 571,771 | 47.9 | 52.1 |
| 16. | त्रिपुरा | 3,673,917 | 2,712,464 | 961,453 | 73.8 | 26.2 |
| 17. | मेघालय | 2,966,889 | 2371,439 | 595,450 | 79.9 | 20.1 |
| 18. | असम | 31,205,576 | 26,807,034 | 4,398,542 | 85.9 | 14.1 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 91276,115 | 62,183,113 | 29,093,002 | 68.1 | 31.9 |
| 20. | झारखंड | 32,988,134 | 25055073 | 7,933,061 | 76.0 | 24.0 |
| 21. | ओडिशा | 41,974,218 | 34970,562 | 7,003,656 | 83.3 | 16.7 |
| 22. | छत्तीसगढ़ | 25,545,198 | 19607,961 | 5,937,237 | 76.8 | 23.2 |
| 23. | मध्य प्रदेश | 72,626,809 | 52,557,404 | 20069,405 | 72.4 | 27.6 |
| 24. | गुजरात | 60,439,692 | 34,694,609 | 25,745,083 | 57.4 | 42.6 |
| 25. | दमन और दीव# | 243,247 | 60,396 | 182,851 | 24.8 | 75.2 |
| 26. | दादरा और नगर हवेली# | 343,709 | 183,114 | 160,595 | 53.3 | 46.7 |
| 27. | महाराष्ट्र | 112,374,333 | 61,556,074 | 50,818,259 | 54.8 | 45.2 |
| 28. | आन्ध्र प्रदेश | 84,580,777 | 56,361,702 | 28,219,075 | 66.6 | 33.4 |
| 29. | कर्नाटक | 61,095,297 | 37,469,335 | 23,625,962 | 61.3 | 38.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | गोवा | 1,458,545 | 551,731 | 906,814 | 37.8 | 62.2 |
| 31. | लक्षद्वीप# | 64,473 | 14,141 | 50,332 | 21.9 | 78.1 |
| 32. | केरल | 33,406,061 | 17,471,135 | 15,934,926 | 52.3 | 47.7 |
| 33. | तमिलनाडु | 72,147,030 | 37,229,590 | 34,917,440 | 51.6 | 48.4 |
| 34. | पुदुचेरी# | 1,247953 | 395,200 | 852,753 | 317 | 68.3 |
| 35. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह# | 380,581 | 237,093 | 143,488 | 62.3 | 37.7 |

टिप्पणी : भारत और मणिपुर के आंकड़ों में मणिपुर के सेनापति जिले के माओमारम, पाओमाटा और पुरुल उप-प्रभागों की जनसंख्या शामिल नहीं है।

*विवरण-II*

**ग्रामीण-शहरी क्षेत्र**

**शहरी क्षेत्र** : शहरी क्षेत्रों में दो प्रकार की प्रशासनिक इकाइयां- सांविधिक नगर और जनगणना नगर शामिल हैं।

(क) सांविधिक नगर: ऐसी सभी प्रशासनिक इकाइयां, जिन्हें कानून के तहत शहरी इकाइयों यथा नगर निगम, नगरपालिका, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, नगर पंचायत, नगरपालिका आदि के रूप में परिभाषित किया गया हो, सांविधिक नगरों के रूप में जानी जाती हैं।

(ख) जनगणना नगर: निम्नलिखित तीन मानदंडों को एक साथ संतुष्ट करने वाली प्रशासनिक इकाइयों को जनगणना नगरों के रूप में माना जाता है:

(i) इसकी न्यूनतम जनसंख्या 5,000 होनी चाहिए,

(ii) पुरुषों की मुख्य कामकाजी जनसंख्या की कम से कम 75 प्रतिशत जनसंख्या गैर-कृषि व्यवसायों में संलिप्त हो; और

(iii) इसकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर (1,000 प्रति वर्ग मील) होना चाहिए।

(ग) शहर: 1,00,000 और इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर, शहरों के रूप में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं। नगरीय समूह: कोई नगरीय समूह का एक ऐसा सतत् शहरी विस्तार है जो किसी नगर तथा इसके आसपास की बाह्य वृद्धियों (ओ.जी.) अथवा ऐसे नगरों की बाह्य वृद्धियों के साथ अथवा बाह्य वृद्धि के बगैर दो अथवा दो से अधिक भौतिक रूप से सटे हुए नगरों की रचना करता है। किसी नगरीय समूह में कम से कम एक सांविधिक नगर को अवश्य शामिल होना चाहिए तथा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या (अर्थात् सभी संघटकों को मिलाकर) 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए।

बाह्य वृद्धि: बाह्य वृद्धि (ओ.जी.) एक व्यवहार्य इकाई है यथा कोई गांव अथवा पुरवा अथवा ऐसे गांव या पुरवे से बना और इसकी सीमाओं तथा अवस्थिति के दृष्टिगत स्पष्ट रूप से पहचान किए जाने योग्य गणना ब्लॉक। रेलवे कॉलोनी, विश्वविद्यालय परिसर, पत्तन क्षेत्र, सेना-शिविर आदि, इसके कुछ उदाहरण हैं, जो किसी सांविधिक नगर के बाहर इसकी सांविधिक सीमाओं के पास विकसित हुए हों किन्तु जो नगर के निकटस्थ गांव अथवा गांवों की राजस्व सीमाओं के भीतर हों। किसी नगर की बाह्य वृद्धि का निर्धारण करते समय, यह सुनिश्चित किया गया है कि यह अवसंरचना और सुविधाओं यथा पक्की सड़कों, विद्युत, नल सुविधा, गंदे पानी के निपटान हेतु जल निकासी व्यवस्था आदि, शैक्षणिक संस्थानों, डाकघरों, चिकित्सा सुविधाओं, बैंकों आदि और शहरी क्षेत्र के महत्वपूर्ण नगर से भौतिक रूप से निकटता जैसी शहरी विशेषताओं से युक्त है। ऐसे प्रत्येक नगर को इसकी बाह्य वृद्धि (वृद्धियों) के साथ-साथ एक एकीकृत नगरीय क्षेत्र के रूप में माना जाता है तथा 'नगरीय समूह' के रूप में नामोदिष्ट किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्र: शहरी (सांविधिक/जनगणना नगर) के रूप में वर्गीकृत न किए गए किसी प्रशासनिक क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र के रूप में माना जाता है। सामान्यतया, राजस्व गांव, जनगणना में बुनियादी प्रशासनिक इकाई है।

## चीनी का मूल्य निर्धारण

6459. **श्री पी.आर. नटराजन:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गन्ना/चीनी के मूल्य निर्धारण के संबंध में एस. स्वामीनाथन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त सिफारिशों को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार और कार्यान्वित कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार निर्धारित किए गए उचित और लाभकारी मूल्य और राज्यों द्वारा सूचित चीनी का मूल्य क्या है; और

(घ) कुछ राज्यों द्वारा सिफारिशें स्वीकार नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और सभी राज्यों द्वारा इनका अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित किसान आयोग ने अन्य बातों के अलावा यह सिफारिश की थी कि गन्ने सहित प्रमुख कृषि वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) उत्पादन की भारित औसत लागत से 50% अधिक होना चाहिए।

(ख) और (ग) आयोग की उपर्युक्त सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था। चूंकि प्रमुख कृषि वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, अत: मूल्य संबंधी यह सिफारिश केन्द्र सरकार से संबंधित है। इस प्रकार, राज्य द्वारा इसके कार्यान्वयलन का प्रश्न नहीं उठता है। जहां तक गन्ने का संबंध है, केन्द्रीय सरकार इसका उचित और लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) निर्धारित करती है, जो पूरे देश में एक समान है और रिकवरी दर से जुड़ा है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा घोषित राज्य परामर्शित मूल्य (एस.ए.पी.) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य वस्तुनिष्ठ मानदण्डों और अन्य अनेक संबंधित कारकों पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त, लागत पर कम से कम 50% की बढ़ोत्तरी से बाजार में विकृति उत्पन्न हो सकती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा उत्पादन लागत के बीच संत्रवत संबंध अलाभकारी हो सकता है। जैसा कि उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, मूल्य संबंधी सिफारिश केन्द्र सरकार से संबंधित थी।

### *विवरण*

*पिछले तीन और चालू चीनी मौसम के दौरान गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य*

(रुपए प्रति क्विंटल में)

| क्र.सं. | चीनी मौसम | एफ.आर.पी. | मूल रिकवरी | मूल रिकवरी दर पर प्रीमियम (प्रत्येक 0.1% वृद्धि के लिए रुपए में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2009-10 | 129.84 | 9.5% | 1.37 |
| 2. | 2010-11 | 139.12 | 9.5% | 1.46 |
| 3. | 2011-12 | 145.00 | 9.5% | 1.53 |
| 4. | 2012-13 | 170.00 | 9.5% | 1.79 |

*पिछले तीन चीनी मौसमों तथा वर्तमान चीनी मौसम 2012-13 (1 अक्तूबर, 2012 से 30 सितम्बर, 2013) के दौरान गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य*

(रुपए प्रति क्विंटल में)

| राज्य | किस्म | चीनी मौसम 2012-13 | चीनी मौसम 2011-12 | चीनी मौसम 2010-11 | चीनी मौसम 2009-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| पंजाब | अगेती | 250 | 230 | 200 | 180 |
| | मध्यम | 240 | 225 | 195 | 175 |
| | सामान्य | 235 | 220 | 190 | 170 |
| हरियाणा | अगेती | 276 | 231 | 210 | 185 |
| | मध्य | 271 | 226 | 205 | 180 |
| | सामान्य | 266 | 221 | 200 | 175 |
| तमिलनाडु | | 9.5% की रिकवरी दर से संबद्ध 235 रुपए प्रति क्विंटल, जिसमें 9.5% की रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए 1.79 रुपए की वृद्धि होगी | 9.5% की रिकवरी दर से संबद्ध 210 रुपए प्रति क्विंटल, जिसमें 9.5% की रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए 1.53 रुपए की वृद्धि होगी | 9.5% की रिकवरी दर से संबद्ध 190 रुपए प्रति क्विंटल, जिसमें 9.5% की रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए 1.46% रुपए की वृद्धि होगी | 9.5% की रिकवरी दर से संबद्ध 143.74 रुपए प्रति क्विंटल, जिसमें 9.5% की रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए 1.37 रुपए की वृद्धि होगी |
| उत्तर प्रदेश | अगेती | 290 | 250 | 210 | 170 |
| | सामान्य | 280 | 240 | 205 | 165 |
| | अस्वीकृत | 275 | 235 | 200 | 162.50 |
| उत्तराखंड | अगेती | 295 | 255 | 215 | 197 |
| | साधारण | 285 | 250 | 210 | 192 |

### शिकायतों को एफ.आई.आर. मानना

6460. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पुलिस थानों में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और अल्पसंख्यकों से प्राप्त शिकायतों सहित सभी शिकायतों की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) माने जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) से (ग) ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*[हिन्दी]*

**दूतावासों का संपत्ति कर**

6461. **श्री जगदीश सिंह राणा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नई दिल्ली में स्थित विभिन्न दूतावासों को संपत्ति कर से छूट प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप आज की तिथि तक सरकार को कुल कितना नुकसान हुआ है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) से (ग) विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय 1961 और विशेषाधिकार एवं छूट संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1947 में राजनयिक मिशनों पर किसी भी रूप में कर लगाने की मनाही है। तदनुसार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) और दिल्ली नगर निगम (डी.एम.सी.) नई दिल्ली में स्थित विभिन्न दूतावासों को सम्पत्ति कर की छूट प्रदान करती है। इस प्रकार, सम्पत्तियों को सम्पत्ति कर से छूट प्रदान की गई है और नुकसान होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**टैंक वाटर**

6462. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टैंक वाटर की उपलब्धता के बिना कृषि संबंधी क्रियाकलाप प्रभावित हो रहे हैं और पशुओं को पालना बहुत मुश्किल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ धनराशि का आवंटन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (ग) उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, देश के कुल बुआई क्षेत्र का लगभग 55% क्षेत्र वर्षा सिंचित है, जहां कृषि क्रियाकलाप प्राथमिक रूप से मौसमी वर्षा पर निर्भर है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा की कमी के मामले में, घानी तथा चारे की कम उपलब्धता के कारण कृषि कार्य तथा पशुओं को पालना प्रभावित हो रहा है। कृषि मंत्रालय राज्य सरकारों के परामर्श से देश में मानसून परिणाम तथा फसल बुआई स्थिति की ध्यानपूर्वक समीक्षा करता है। विस्तृत आकस्मिकता योजना उन राज्यों के 410 जिलों के लिए तैयार की गई है, जो वर्षा की कमी/सूखा स्थिति के मामले में स्थान विशिष्ट उपाय कर सकते हैं।

राज्य सरकारें सूखा अथवा कम वर्षा स्थिति में राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एस.डी.एफ.आर.) से पशु कैम्पों के प्रचालन सहित उपयुक्त राहत उपाय आरंभ कर सकती है, जो उन्हें सहज रूप में उपलब्ध है। एस.डी.आर.एफ. से अतिरिक्त वित्तीय सहायता स्थापित प्रक्रिया तथा सीमित निबंधन के अनुसरण में मौजूदा आपदा अनुक्रिया कोष (एन.डी.आर.एफ.) से प्राप्त करने पर विचार किया जाता है। विगत तीन वर्षों (2010-11 से 2012-13) के दौरान सूखे को दूर करने के लिए एन.डी.आर.एफ. से अनुमोदित सहायता के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

भारत सरकार दीर्घ आवधिक सूखा शमन उपायों के अनुसार मृदा, जल आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने, संरक्षित करने तथा उनका दोहन करने के लिए समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) का कार्यान्वयन कर रही है। विगत तीन वर्षों में आई.डब्ल्यू.एम.पी. के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

***विवरण-I***

*सूखा दूर करने हेतु राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एन.डी.आर.एफ.) से अनुमोदित निधि*

(करोड़ रुपये में)

| राज्य | एन.डी.आर.एफ.* से अनुमोदित सहायता |
|---|---|
| 1 | 2 |
| सूखा 2010-11 | |
| बिहार | 1459.54 |
| झारखण्ड | 855.3 |
| ओडिशा | 376.55 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| पश्चिम बंगाल | 724.99 |
| **कुल** | **3416.38** |
| **सूखा 2011-12** | |
| आन्ध्र प्रदेश | 706.15 |
| कर्नाटक (खरीफ) | 186.68 |
| कर्नाटक (रबी) | 282.35 |
| महाराष्ट्र | 574.71 |
| **कुल** | **1749.89** |

| 1 | 2 |
|---|---|
| **सूखा 2012-13** | |
| महाराष्ट्र (खरीफ) | 778.09 |
| महाराष्ट्र (रबी) | 807.84@ |
| कर्नाटक | 526.06 |
| गुजरात | 864.71@ |
| केरल | 62.61@ |
| कुल | 3039.31 |

@अनन्तिम

*संबंधित राज्य सरकार के संबंध में राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एस.डी.आर.एफ.) में शेष उपलब्ध 75 प्रतिशत के समायोजन अध्यधीन। (01.05.2013 तक)

***विवरण-II***

*समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के तहत निर्मुक्त निधि*

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 119.8 | 160.94 | 125.137 |
| 2. | बिहार | | 3 | 12.18 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 50.38 | 62.37 | 0 |
| 4. | गोवा | 0 | 0 | 0 |
| 5. | गुजरात | 161.73 | 160.71 | 329.237 |
| 6. | हरियाणा | | 11.63 | 5.226 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 57.77 | 48.93 | 8.0230 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | | 0 | 38.268 |
| 9. | झारखण्ड | 24.1 | 15.7 | 48.1731 |
| 10. | कर्नाटक | 70.96 | 127.41 | 334.55 |
| 11. | केरल | 11.01 | 10.81 | 4.81 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 113.25 | 108.6 | 128.30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | महाराष्ट्र | 208.14 | 378.69 | 501.60 |
| 14. | ओडिशा | 73.47 | 77.53 | 89.700 |
| 15. | पंजाब | 3.45 | 8.44 | 14.888 |
| 16. | राजस्थान | 257.47 | 318.33 | 424.53 |
| 17. | तमिलनाडु | 60.16 | 17.57 | 227.768 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 132.13 | 164.46 | 128.43 |
| 19. | उत्तराखण्ड | 15.97 | 2.34 | 4.21783 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | | 16.06 | 40.313 |
| | **पूर्वोत्तर राज्य** | | | |
| 21. | अरुणाचल प्रदेश | 20.08 | 22.09 | 15.970 |
| 22. | असम | 40.82 | 37.53 | 42.97 |
| 23. | मणिपुर | 10.37 | 15.33 | 33.75 |
| 24. | मेघालय | 9.88 | 12.87 | 37.43 |
| 25. | मिज़ोरम | 17.14 | 5.84 | 16.439 |
| 26. | नागालैंड | 26.71 | 59.42 | 76.418 |
| 27. | सिक्किम | 3.88 | 1.15 | 8.178 |
| 28. | त्रिपुरा | 8.16 | 18.17 | 24.017 |
| | कुल योग | 1496.83 | 1865.92 | 2720.52 |

**मक्का का उत्पादन**

6463. **श्रीमती श्रुति चौधरी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में मक्का का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या सरकार मक्का उगाने के लिए किसानों को कोई वित्तीय सहायता/राजसहायता प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किसानों को दी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में मक्का के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष अर्थात 2009-10 से 2012-13 के दौरान मक्के (कोर्न) के उत्पादन के राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) से (घ) भारत सरकार देश के 15 मुख्य मक्का उत्पादक राज्यों में तिलहन, दलहन, मक्का तथा पामआयल (आइसोपाम) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत योजना क्रियान्वित कर रही है। उक्त योजना के तहत, किसानों को मक्का उगाने के लिए प्रोत्साहित करने

हेतु प्रजनक बीज की खरीद, मूल बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीज के उत्पादन एवं वितरण, मिनीकिटों के वितरण, पौध रक्षात्मक रसायनों, पौध रक्षात्मक उपकरणों के वितरण, उन्नत कृषि उपकरणों की आपूर्ति, सूक्ष्म पोषाहारों की आपूर्ति, विडीसाईडों, फासफेट साल्यूविलाईजिंग बैक्टीरिया की आपूर्ति, जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाइट के वितरण, छिड़काव सेटों एवं जल ढुलाई पाइपों के वितरण, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार आदि हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। 2009-10 से 2012-13 के दौरान आइसोपॉम के अंतर्गत आवंटित एवं जारी की गई राशि के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

इसके अलावा, किसानों को बेहतर मुनाफा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मक्के के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) में भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोत्तरी की गई है।

**_विवरण-I_**

*2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान मक्का उत्पादन के राज्यवार अनुमान*

उत्पादन ('000 टन)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आन्ध्र प्रदेश | 2762.0 | 3956.0 | 3658.0 | 4484.0 |
| अरुणाचल प्रदेश | 60.2 | 64.7 | 68.5 | # |
| असम | 14.1 | 14.3 | 15.3 | 14.0 |
| बिहार | 1478.7 | 1439.6 | 1610.7 | 1541.4 |
| छत्तीसगढ़ | 143.3 | 185.6 | 172.0 | 172.0 |
| गोवा | 0.6 | 0.0 | 0.0 | # |
| गुजरात | 533.0 | 820.3 | 786.0 | 861.0 |
| हरियाणा | 27.0 | 19.0 | 24.0 | 27.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 543.2 | 670.9 | 715.4 | 730.2 |
| जम्मू और कश्मीर | 487.0 | 527.7 | 505.0 | 509.5 |
| झारखंड | 190.7 | 261.7 | 321.5 | 408.4 |
| कर्नाटक | 3013.0 | 4444.0 | 4085.0 | 3247.0 |
| मध्य प्रदेश | 1045.2 | 1051.5 | 1287.4 | 1382.5 |
| महाराष्ट्र | 1828.0 | 2602.0 | 2433.0 | 1777.0 |
| मणिपुर | 11.7 | 41.5 | 45.9 | # |
| मेघालय | 26.3 | 25.9 | 26.5 | # |
| मिज़ोरम | 11.5 | 13.6 | 8.4 | # |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| नागालैंड | 73.2 | 134.0 | 134.3 | # |
| ओडिशा | 175.1 | 298.8 | 212.2 | 226.0 |
| पंजाब | 475.0 | 491.0 | 502.0 | 445.0 |
| राजस्थान | 1145.7 | 2052.9 | 1667.0 | 1435.5 |
| सिक्किम | 66.0 | 66.2 | 66.2 | # |
| तमिलनाडु | 1144.3 | 1027.5 | 1695.5 | 1829.9 |
| त्रिपुरा | 2.0 | 4.1 | 5.1 | # |
| उत्तर प्रदेश | 1039.0 | 1114.0 | 1308.0 | 1148.0 |
| उत्तराखंड | 38.0 | 42.6 | 41.0 | 39.0 |
| पश्चिम बंगाल | 385.2 | 352.3 | 364.1 | 420.0 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.4 | 0.4 | 0.3 | # |
| दिल्ली | 0.0 | 3.6 | 0.8 | # |
| अन्य | एन.ए. | एन.ए. | एन.ए. | 360.3 |
| अखिल भारत | 16719.5 | 21725.8 | 21759.4 | 21058.4 |

*08.02.2013 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार

#अन्यों में शामिल

एन.ए.: लागू नहीं

### *विवरण-II*

*एकीकृत तिलहन, दलहन, पामऑयल तथा मक्का योजना (आइसोपाम) के तहत आबंटन एवं जारी*

(लाख रु. में)

| क्र.सं. | राज्य | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | जारी | आवंटन | जारी | आवंटन | जारी | आवंटन | जारी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 3731.8 | 3731.8 | 5756.7 | 5756.7 | 2835.3 | 2835.3 | 1793.3 | 1793.3 |
| 2. | असम | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. | बिहार | 859.7 | 859.7 | 799.2 | 799.2 | 917.6 | 917.6 | 919.2 | 919.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | छत्तीसगढ़ | 1261.6 | 1261.6 | 1166.9 | 1166.9 | 1175.8 | 1175.8 | 755.5 | 755.5 |
| 5. | गुजरात | 2363.2 | 2363.2 | 1785.8 | 1785.8 | 3034.0 | 3034.0 | 518.0 | 518.0 |
| 6. | गोवा | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7. | हरियाणा | 655.9 | 655.9 | 503.1 | 503.1 | 722.8 | 722.8 | 434.6 | 434.6 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 59.4 | 59.4 | 89.3 | 89.3 | 83.0 | 83.0 | 65.3 | 65.3 |
| 9. | जम्मू और | 82.6 | 82.6 | 132.5 | 132.5 | 206.0 | 206.0 | 42.0 | 42.0 |
| 10. | कर्नाटक | 1738.5 | 1738.5 | 5748.5 | 5748.5 | 4754.5 | 4754.5 | 1481.3 | 1481.3 |
| 11. | केरल | 35.2 | 35.2 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 22.7 | 0.0 | 0.0 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 4329.3 | 4329.3 | 5619.4 | 5619.4 | 7429.3 | 7429.3 | 5690.6 | 5690.6 |
| 13. | महाराष्ट्र | 3428.4 | 3428.4 | 5498.4 | 5498.4 | 8091.3 | 8091.3 | 3669.9 | 3669.9 |
| 14. | मिज़ोरम | 553.8 | 553.8 | 876.8 | 876.8 | 362.0 | 361.4 | 0.0 | 0.0 |
| 15. | ओडिशा | 3164.0 | 3164.0 | 3050.0 | 3050.0 | 3961.0 | 3961.0 | 1068.4 | 1068.4 |
| 16. | पंजाब | 58.1 | 58.1 | 60.8 | 60.8 | 140.3 | 140.3 | 0.0 | 0.0 |
| 17. | राजस्थान | 3001.6 | 3001.6 | 5070.9 | 5070.9 | 5251.0 | 5251.0 | 3688.6 | 3688.6 |
| 18. | तमिलनाडु | 1753.8 | 1753.8 | 1132.6 | 1132.6 | 1267.9 | 1267.9 | 821.9 | 821.9 |
| 19. | त्रिपुरा | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 1822.1 | 1822.1 | 1221.9 | 1221.9 | 1289.5 | 1289.5 | 666.4 | 666.4 |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 754.7 | 754.7 | 614.2 | 614.2 | 100.0 | 100.0 | 665.0 | 665.0 |
| | कुल | 29653.8 | 29653.8 | 39126.8 | 39126.8 | 41644.0 | 41643.4 | 22280.0 | 22280.0 |

(31.03.2013 को जारी)

## हड़प्पा संस्कृति के अवशेष

6464. **श्री एस.एस. रामासुब्बू:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में देश के विभिन्न भागों में पता चले हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास ऐसे नये स्थानों को विकसित करने और संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां हड़प्पा संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं ताकि बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

**संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी):** (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण फिलहाल खीरसरा, जिला कच्छ, गुजरात और करणपुरा जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में हड़प्पाकालीन स्थलों के उत्खनन का कार्य कर रहा है।

खीरसरा, जिला कच्छ, गुजरात में तीन सत्रों के उत्खनन से खुरदरे पत्थर से बने विकसित हड़प्पा कालीन ढाँचे मिलते हैं जिनमें घरों के कमरे, रसोईघर, स्नानागार, सीढ़ियों बौर किलेबंदी शामिल हैं। पुरावशेषी खोजों में मनके, पत्थर के बाट, टेराकोटा की पशु आकृतियाँ, खिलौने, घरेलू उपयोग की वस्तुएँ आदि मिले हैं। सोने, ताँबे, अर्द्ध-कीमती पत्थरों जैसे, गोमेट, अकीक, चकमक, श्वेत वर्ण स्फटिक, सूर्यकांतमणि, नीलम, चीनी मिट्टी, सैलखड़ी, सी.पी. तथा टेराकोटा से बने मनके प्राप्त हुए हैं। सैलखड़ी, घीया पत्थर और चकमक पत्थर से बने वर्गाकार, आयताकार और छड़ जैसी मुहरें मिली हैं। उत्खनन से अकीक, स्फटिक, आग्नेय चट्टान, चकमक तथा बलुआ पत्थर के बाट प्राप्त हुए। टेराकोटा से बनी वस्तुओं में झुनझुना, खिलाड़ी, लटकने वाले गोले, हापस्कोंच, मनोरंजन की वस्तुएँ, सांड और पक्षियों को दर्शाती आकृतियाँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में रंगे हुए और सादे दोनों ही तरह के खिलौना गाड़ियों के ढाँचे बरामद हुए हैं। ताँबे की वस्तुएँ, पत्थर के औजार, काठियाँ और चक्कियाँ, ओखलियाँ भी बरामद हुई हैं।

करणपुरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में उत्खनन से प्रारंभिक और विकसित हड़प्पाकालीन मृदभांड और मिट्टी की ईंटों से निर्मित भवन परिसर प्राप्त हुए हैं। अन्य महत्वपूर्ण कलाकृतियों में ताँबे के अग्र भाग वाले तीन, दर्पण, चूड़ियाँ, छल्ले तथा मछली के कांटे मिले हैं। सैलखड़ी और अर्द्धकीमती पत्थरों जैसे चकमक, चीनी मिट्टी, गोमेद और टेराकोटा से बने मनके एवं तकली आवर्त्त भी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, बड़ी मात्रा में पशु अस्थि के टुकड़े और अनाज की कुछ किस्में भी उत्खनन से प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

### छऊ नृत्य

6465. **श्री लक्ष्मण टुडु:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओडिशा के मयूरभंज जिले के बारीपद, जोकि छऊ नृत्य का उद्‌गम और प्रारंभिक स्थान है में राष्ट्रीय छऊ नृत्य अकादमी, छऊ नृत्य प्रतिष्ठान और अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 1994 में छऊ नृत्य की सहायता हेतु अपनी परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना के महत्वपूर्ण केन्द्र, मयूरभंज शैली के लिए बारीपदा और रायरंगपुर में मौजूद हैं, जहां अनेक गुरू, संगीतज्ञ और नर्तक इसमें शामिल हैं और वे नियमित सहायता और आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार, झारखंड में छऊ नृत्य की सरायकेला शैली को नियमित सहायता दी जा रही है।

### सांस्कृतिक विरासत पर डाटाबेस

6466. **श्री पी.सी. गद्दीगौदर:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में कोई डाटाबेस तैयार करने और प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण और उन्हें गैर-कानूनी निर्यातकों के हाथों में जाने से रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन के साथ कोई तंत्र विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी):** (क) से (ग) जी, हां। सहायक स्रोतों से निर्मित विरासत, स्थलों और पुरावशेषों संबंधी राष्ट्रीय डाटा बेस तैयार करने के उद्‌देश्य से 2007 में राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन की स्थापना की गई थी। पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 का अधिनियमन पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों के निर्यात व्यापार को विनियमित करने, पुरावशेषों की तस्करी और गैर-कानूनी लेन-देन की रोकथाम करने, सार्वजनिक स्थानों पर परिरक्षण के लिए पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों की अनिवार्य उपलब्ध का उपबंध करने और इससे जुड़े या प्रासंगिक अथवा अनुषंगी कुछ अन्य मामलों के लिए उपबंध करने के उद्‌देश्य से किया गया है।

### राष्ट्रीय विकास परिषद

6467. **श्री कुलदीप विश्नोई:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अंतर्राष्ट्रीय परिषद की तर्ज पर राष्ट्रीय विकास परिषद को एक संवैधानिक निकाय बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्र-राज्य और अंतर्राष्ट्रीय परामर्शों के संबंध में एक संस्थागत तंत्र जैसे कि समय-समय पर केन्द्र-राज्य संबंधों पर विभिन्न आयोगों द्वारा सिफारिश की गई है को विकसित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने केंद्र एवं राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर दिनांक 09.06.1983 को प्रथम आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग ने वर्ष 1988 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में केंद्र राज्य संबंधों की विभिन्न पहलुओं पर 247 सिफारिशें की हैं।

सरकारिया आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अन्तर-सरकार परिषद के बारे में अपनी रिपोर्ट के अध्याय 9 के अंतर्गत सिफारिश की है कि अन्तर सरकार परिषद (आई.जी.सी.) नामक एक स्थायी अन्तर-राज्य परिषद गठित की जानी चाहिए। सरकार ने सरकारिया आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था और राष्ट्रपति के दिनांक 28.05.1990 की अधिसूचना संख्या iv/11017/3/90-सी.एस.आर. के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अन्तर-राज्य परिषद (आई.एस.सी.) की स्थापना को अधिसूचित किया था जिसका अधिदेश संविधान के अनुच्छेद 263 के खंड (ख) एवं (ग) तक सीमित था। परिषद के अन्य सदस्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ क्षेत्र के मुख्यमंत्री/प्रशासक और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के छह मंत्री शामिल हैं।

अन्तर-राज्य परिषद के कार्य की पिछले दशक के दौरान समय-समय पर समीक्षा की गई है। न्यायमूर्ति एम.एन. वैंकटचलैय्या की अध्यक्षता में संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग (2002) ने कहा है कि आयोग, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का अनुसमर्थन करते हुए यह सिफारिश करता है कि समस्याओं का निराकरण और नीति एवं कार्रवाई का समन्वय करने में केंद्र और राज्य को अन्तर-राज्य परिषद के मंच का और अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, भविष्य में केंद्र एवं राज्य के बीच और अधिक सौहार्दपूर्ण एवं स्वस्थ संबंध सुनिश्चित करने तथा शासन के तीसरे स्तर को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, सरकार ने भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एम.एम. पूंछी की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंध पर दिनांक 27.04.2007 को द्वितीय आयोग का गठन किया था। केंद्र-राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग ने दिनांक 31.03.2010 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा 273 सिफारिशें की हैं। अन्तर-राज्य परिषद सचिवालय स्टेकहोल्डरों अर्थात मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से अन्तर-राज्य परिषद के समक्ष केंद्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दृष्टिकोणों को विचारार्थ रखता है।

*[हिन्दी]*

**गन्ना की एफ.आर.पी.**

**6468. श्री बद्रीराम जाखड़:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चीनी का उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित/नियत करते समय राज्यों में विभिन्न मौजूदा जलवायु/भौगोलिक/सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर विचार करती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) गन्ना पिराई सत्र 2012-13 के दौरान एफ.आर.पी. निर्धारण के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और इन मानदंडों को अंतिम रूप देने और उक्त एफ.आर.पी. निर्धारण में संलग्न संस्थाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) वर्ष 2012-13 के दौरान गन्ना उगाने की आदान लागत और उक्त मूल्य निर्धारण के लिए उपयोग किए गए आंकड़ों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार पूरे देश के लिए गन्ने का एक समान उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित करती है जो रिकवरी दर के साथ संबद्ध होता है। कृषि एवं सहकारिता विभाग की व्यापक योजना के तहत लागत के आंकड़ों को एकत्रित एवं समेकित करते समय भौगोलिक, स्थलाकृति एवं जलवायु संबंधी स्थितियों में भिन्नता को भी ध्यान में रखा जाता है। इस योजना के तहत, देश के उष्णकटिबंधीय एवं उप-उष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में गन्ने की खेती करने वाले प्रत्येक राज्य को वहां की मिट्टी की किस्त के अनुसार स्वदेशी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है और

उसके उपरान्त, प्रत्येक स्वदेशी कृषि-जलवायु क्षेत्र में नमूने के तौर पर लिए गए खेतों से लागत संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं ताकि प्रत्येक राज्य की कृषि/उत्पादन संबंधी प्रतिनिधि लागत ज्ञात की जा सके। उचित एवं लाभकारी मूल्य का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह मूल्य 9.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी दर से संबद्ध है तथा इसमें 9.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी दर से अधिक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि होने पर प्रीमियम दिया जा रहा है। मूल रिकवरी दर से अधिक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि होने पर किसानों को मिलने वाले गन्ना मूल्य में अंतर हो जाता है। चूंकि कृषि-जलवायु संबंधी स्थितियों में भिन्नता के कारण सर्करा तत्व एवं उसके परिणामस्वरूप रिकवरी में भी अंतर होता है, इसलिए एक समान उचित एवं लाभकारी मूल्य पर प्रीमियम में इसे भी ध्यान में रखा जाता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3(1) में उल्लिखित विभिन्न कारकों अर्थात गन्ने की उत्पादन लागत; वैकल्पिक फसलों से किसानों को होने वाली आय और कृषि जिंसों के मूल्यों का सामान्य रूझान; उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को चीनी की उपलब्धता; चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी का बिक्री मूल्य; गन्ने से चीनी की रिकवरी; उप-उत्पादों अर्थात शीरा, खोई और प्रेस मड की बिक्री अथवा उनके परिकलित मूल्य से हुई आय; और जोखिम एवं लाभ के हिसाब से गन्ना उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन को ध्यान में रखकर गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित करती है। इस प्रकार निर्धारित किया गया उचित और लाभकारी मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के साथ किए गए विचार-विमर्श पर आधारित होता है। चीनी मौसम 2012-13 के लिए चीनी मिलों द्वारा देय उचित और लाभकारी मूल्य 170/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है; जो 9.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी दर से संबंद्ध है और इससे अधिक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर 1.79 रुपये का प्रीमियम देय है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने चीनी मौसम 2012-13 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य संस्तुत करने से पहले विभिन्न हितधारकों अर्थात राज्य सरकारों तथा किसान यूनियनों, राज्य सहकारी चीनी फेडरेशनों, गन्ना अनुसंधान संगठनों आदि के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया था।

(घ) चीनी मौसम 2012-13 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त गन्ने की उत्पादन लागत के राज्यवार अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

## *विवरण*

*वर्ष 2012-13 के दौरान गन्ने की राज्यवार उत्पादन लागत*

| राज्य | उत्पादन की लागत (रुपए प्रति क्विंटल) | |
|---|---|---|
| | 2012-13 | |
| | ए2+एफ.एल. | सी. 2 |
| 2010-11 | 24516 | 35192 |
| 2011-12 | 31210 | 31090 |
| 2012-13 | 43178 | 30045 |

स्रोत: भारत में प्रमुख फसलों की कृषि लागत के अध्ययन के लिए व्यापक योजना, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।

नोट:

1. ए2+एफ.एल. लागत में नकद और वस्तु रूप में भाड़े पर लिए गए श्रमिक, बैलों के श्रम, मशीनों के श्रम, बीज, कीटनाशक और जन्तुनाशक, खाद, उर्वरक, सिंचाई प्रभार एवं पारिवारिक श्रम सहित विविध कार्यों पर किए गए सभी व्यय शामिल हैं।
2. सी2 लागत में ए2+एफ.एल. लागत, अपनी भूमि का किराया मूल्य, अचल पूंजी पर ब्याज आदि शामिल है।

## विस्थापित लोगों का शोषण

**6469. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (सी.सी.एल.) के विस्थापित लोगों के शोषण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो स्थानीय रूप से कोयला बेचते हैं अथवा उनसे सी.सी.एल. के अधिकारियों और बिचौलियों द्वारा कोयला की लदाई/उतराई का कार्य कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील):** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

## जलदस्युओं द्वारा भारतीय नाविकों का अपहरण

6470. **श्री ताराचन्द भगोरा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गहरे समुद्र में भारतीय नाविकों के अपहरण के आरोपी सोमालिया के जलदस्युओं का विचारण शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अपहृत भारतीय नाविकों की वापसी के बदले सोमालिया के जलदस्युओं को मुक्त करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने सोमालिया के जलदस्युओं का विचारण करने के लिए एक अपर सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक फास्ट ट्रैक न्यायालय नियुक्त किया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस मंत्रालय को अपहृत भारतीय नाविकों की वापसी के बदले सोमालिया के जलदस्युओं को मुक्त करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

## होटलों का संपत्ति कर

6471. **श्री रुद्रमाधव राय:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत सारी संस्थाएं/होटलों पर दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एम.डी.एम.सी.) का बड़ी मात्रा में संपत्ति कर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बकाया संपत्ति कर की राशि और इसके कारणों का होटल/संस्था-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा चूककर्ताओं से एम.सी.डी. और एन.डी.एम.सी. के बकाया देयों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) से (घ) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने यह सूचित किया है कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में अवस्थित होटल भवनों के संबंध में नई दिल्ली नगरपालिका समिति (जैसा कि वह पहले जानी जाती थी) ने कमरा किराया (रूम रेंट) प्रक्रिया के आधार पर होटल की संपत्तियों के संबंध में संपत्ति-कर का आकलन किया था परन्तु न्यायालय ने इसे अनुमोदित नहीं किया और आकलन वापस (रिमांड) किए गए। लौटाए गए मामलों संबंधी मांग में जो अवधि शामिल थी वह 1987-88 से 1995-96 थी, लौटाए गए मामलों में मांग की वसूली तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आकलनों को अन्तिम रूप ने दे दिया जाए। दो मामलों को छोड़कर लौटाए गए मामलों पर निर्णय लिया जा चुका है और मांग एकत्रित कर ली गई है। दो मामलों में आकलन अन्तिम स्तर पर है।

दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में अवस्थित होटलों/संस्थाओं के संबंध में दिनांक 1.4.2013 की स्थिति के अनुसार संपत्ति कर की देय राशि निम्नानुसार है:

| होटल | धनराशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| सिटी पार्क, पीतमपुरा | 5.80 |
| रैडिसन होटल, पश्चिम विहार | 10.62 |
| होटल प्रीमियर इन, शालीमार बाग | 2.10 |
| होटल क्राउन प्लाजा, रोहिणी | 5.33 |
| होटल ओबरॉय | 1.88 |
| दिल्ली विश्वविद्यालय | 66.48 |
| डाक विभाग | 10.00 |
| एन.डी.पी.एल. | 20.27 |
| आई.ए.आर.ई., पूसा | 40.70 |
| दिल्ली दुग्ध योजना (डी.एम.एस.) | 1.76 |
| एशियन होटल (प्र.) लिमिटेड हयात रिजेन्सी होटल, बी.सी. प्लेस | 5.05 |
| तिरुपति बिल्डिंग एंड ऑफिस (प्रा.) लिमिटेड, द्वारका | 11.37 |
| क्राउन प्लाजा, ओखला फेज-I | 2.97 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| लोधी होटल, लोधी रोड़ | 2.57 |
| शहीद राज गुरु कॉलेज, वसुंधरा इन्क्लेव, दिल्ली | 0.56 |

स्थानीय निकाय निदेशालय ने सूचित किया है कि उपर्युक्त सभी मामले (शहीद राजगुरू कॉलेज को छोड़कर) न्यायाधीन हैं।

इसके अतिरिक्त, बकाया संपत्ति कर की वसूली एक सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और किराये और बैंक खाते की कुर्की जैसे दबाव डालने वाले उपायों का सहारा लिया जाता है।

## ट्रेड यूनियन हड़ताल

**6472. श्री भर्तृहरि महताब:**

**श्री संजय धोत्रे:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्रेड यूनियनों ने देश में 20 और 21 फरवरी, 2013 को दो दिन की हड़ताल/बंद का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रदर्शनों और हिंसा के पीछे के कारणों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है औद यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) समिति की मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे और सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) जी, हां। ट्रेड यूनियन ने देश में 20 और 21 फरवरी, 2013 को दो दिन की हड़ताल/बन्द का आयोजन किया था। यह प्रदर्शन, कीमतों की वृद्धि को रोकने, श्रम कानूनों के सख्त प्रवर्तन, रोजगार श्रजन हेतु ठोस उपाय, कामगारों के लिए वैश्विक सामाजिक सुरक्षा कवर और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि का सृजन, स्थायी/निरन्तर प्रकृति के कामों की ठेकेदारी को बन्द करने, संविदा कामगारों को नियमित कामगारों के बराबर मजदूरी और अन्य लाभों का भुगतान करने, 10,000 रुपये प्रतिमाह की दर से सांविधिक न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन तथा पी.यू.सी. में विनिवेश को बन्द करने सहित उनकी 10-सूची चार्टर आफ डिमाण्ड्स हेतु दबाव डालने के लिए था।

(ग) और (घ) माननीय श्रम और रोजगार मंत्री ने 13.02.2013 को सभी प्रमुख केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक ली थी और उनसे 20 और 21 फरवरी, 2013 को हड़ताल पर न जाने का अनुरोध किया था। इसके पश्चात, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों वाले मंत्रि-समूह ने दिनांक 18.02.2013 को व्यापक विचार-विमर्श किया और उनके चार्टर आफ डिमाण्ड्स में उठाए गए विभिन्न मुद्दों का हल निकालने के प्रति सरकार के गम्भीर आशय को संसूचित किया। बैठक के बावजूद, प्रमुख केन्द्रीय ट्रेड यूनियन 20 और 21 फरवरी, 2013 को हड़ताल पर चले गए। प्रमुख केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रि-समूह द्वारा विचार-विमर्श एक अनुवरत प्रक्रिया है और उनकी मांगों का हल निकालने के लिए अगली बैठक 22.05.2013 को सुनिश्चित की गई है।

## परित्यक्त महिलाएं

**6473. श्री नित्यानंद प्रधान:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें कतिपय महिलाएं दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में मेट्रो स्टेशनों और ऐसे अन्य स्थानों पर परित्यक्त मिली थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या दिल्ली में कतिपय एजेंसियां जैसे कि दिल्ली नगर निगम और अन्य समान संगठन का भी राजधानी दिल्ली में मानवता के आधार पर अलग-अलग या अन्य स्थानों पर परित्यक्त महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2011, 2012 और 2013 (दिनांक 30.04.2013 तक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मेट्रो/रेलवे स्टेशनों और ऐसे अन्य स्थानों पर परित्यक्त पाई गई महिलाओं के ब्यौरे निम्नानुसार है:

| वर्ष | उत्पादन (टन) |
|---|---|
| 2011 | 60 |
| 2012 | 73 |
| 2013 (30.4.2013 तक) | 31 |

(ग) और (घ) इस संबंध में दिल्ली मेट्रो निगम द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) मेट्रो परिसरों में पाई गई परित्यक्त महिलाओं और बच्चों के संबंध में दिनांक 03.12.2010 को अनुदेश जारी किए गए थे।

(ii) दिनांक 10.12.2010 को परित्यक्त महिलाओं और बच्चों के संबंध में स्टेशन प्रबंधक की कार्यशाला आयोजित की गई थी।

(ङ) जी, नहीं।

**कीटनाशकों का उपयोग**

**6474. श्री खगेन दास:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी एजेंसियों जैसे कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभागों और अन्य बोर्डों, जिन्होंने केन्द्रीय इन्सेक्टिसाइड बोर्ड एण्ड रजिस्ट्रशन कमेटी द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए फसलों और कीटों के लिए कीटनाशकों के प्रयोग की सिफारिश की है, द्वारा घोर उल्लंघन के बारे में सेंटर फ़ोर साइन्स एण्ड इन्वायरमेंट (सी.एस.ई.) की रिपोर्ट पर सरकार ने ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (ग) जी हां। "भारत में कीटनाशक विनियमों की स्थिति" पर सी.एस.ई. की रिपोर्ट में कीटनाशकों के पंजीकरण एवं प्रयोग पर कई प्रेक्षण किए गए हैं और कहा गया है कि "एक फसल के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभागों और अन्य बोर्डों द्वारा की गई सिफारिशें उन कीटनाशकों का अनुसरण नहीं करती हैं जो केन्द्रीय कृमिनाशी बोर्ड एवं पंजीकरण समिति (सी.आई.बी. एवं आर.सी.) ने इन फसलों के लिए पंजीकृत की हैं। कृषि विश्वविद्यालयों, विभागों एवं बोर्डों ने कई कीटनाशकों की सिफारिश की है जो कुछ फसलों के लिए पंजीकृत नहीं किए गए हैं।"

सभी राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि यह सुनिश्चित करें कि उनके कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विभागों द्वारा कीटनाशकों के प्रयोग पर जो परामर्शिकाएं जारी की गई हैं उन्हें कड़ाई से सी.आई.बी. एवं आर,सी. द्वारा पंजीकृत किए गए इन कीटनाशकों की शर्तों के अनुरूप किया हो। भारत सरकार इस दिशा में कीटनाशकों के सुरक्षित एवं समुचित प्रयोग को बढ़ावा देती है और राज्य सरकारों, कृषि विश्वविद्यालयों, कीटनाशी डीलरों, किसानों इत्यादि के साथ कार्य करती है।

**प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षति**

**6475. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान के दौरान सिक्किम सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षतियों के बारे में केन्द्र सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता और इसमें से उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) विगत तीन वर्ष में, सिक्किम राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बाढ़ भूस्खलन, बादल फटने तथा भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| वर्ष | मौतें (सं.) | गुम हुए मवेशी (सं.) | मकान (सं.) | फसल-क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में) |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | 57 | 3623 | 383408 | 1.87 |
| 2011-12 | 13 | - | 277 | 4.17 |
| 2012-13 | 168 | 9921 | 531186 | 3.28 |

राज्य सरकार के राहत संबंधी प्रयासों में सहायता पहुंचाने के लिए, अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखकर, राज्य आपदा कार्रवाई कोष (एस.डी.आर.एफ.) के माध्यम से वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है, जिसमें 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष (एन.डी.आर.एफ.) द्वारा और सहायता पहुंचाई जाती है। विगत तीन वर्षों में सिक्किम राज्य सरकार को एस.डी.आर.एफ. और एन.डी.आर.एफ. से जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

| वर्ष | जारी एस.डी.आर.एफ. में केन्द्र की हिस्सेदारी | एस.डी.आर.एफ. से जारी |
|---|---|---|
| 2010-11 | 10.24 | * |
| 2011-12 | 31.74 | 200.38 |
| 2012-13 | 22.57 | 74.347 |

*सिक्किम राज्य सरकार द्वारा कोई ज्ञापन (मेमोरैंडम) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. योजना के अनुसार, राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. खाते से आहरति धनराशि का वास्तविक रूप से उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाए जिनके लिए उनका गठन किया गया है और केवल व्यय के मद में और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार हो। राज्य महालेखाकार से अपेक्षित है कि ये व्यय पर निगरानी रखे तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एस.डी.आर.एफ./एन.डी,आर.एफ. की योजना के अनुसार प्रत्येक वर्ष एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. की लेखापरीक्षा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने भूकंप पश्चात पुनर्निर्माण/पुनर्वास क्रियाकलापों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत विशेष योजना सहायता से 1000 करोड़ रु. की सहायता को मंजूरी प्रदान की है, जिसे वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने राज्य सरकार को विशेष योजना सहायता (एस.पी.ए.) से निम्नानुसार 400.00 करोड़ की धनराशि जारी की है:

(करोड़ रुपए में)

| | |
|---|---|
| वर्ष 2011-12 के लिए एस.पी.ए. से जारी, 19.1.2012 को | 200.00 |
| वर्ष 2012-13 के लिए एस.पी.ए. से जारी, 19.11.2012 को | 80.00 |
| वर्ष 2012-13 के लिए एस.पी.ए. से जारी, 30.03.2012 को | 120.00 |
| कुल | 400.00 |

इसके अतिरिक्त, योजना आयोग ने सिक्किम में भूकंप पश्चात पुनर्निर्माण/पुनर्वास संबंधी कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए 300.00 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की है।

*[हिन्दी]*

**शुष्क भूमि कृषि**

**6476. श्री राधा मोहन सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश की शुष्क भूमि में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में पार्थ सारथी समिति रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में पार्थ सारथी समिति रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) सरकार द्वारा अधिमतम कृषि भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (घ) कृषि मंत्रालय (एम.ओ.ए.) वर्षा सिंचित/शुल्क भूमि से संबंधित विशिष्ट किसानों के प्रावधान के लिए विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत उप स्कीम "वर्षा विंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आर.ए.डी.पी.)" कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा कृषि मंत्रालय के सभी प्रमुख विकास कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एफ.एम.), राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (एन.एम.एम.आई.)

आदि शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों कृषि उत्पादक और उत्पादकता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आई.डी.ए.), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) द्वारा शुष्क भूमि पर अनुसंधान परियोजनाएं भी कार्यान्वित है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.) देश के वर्षासिंचित अवक्रमित क्षेत्रों के विकास के लिए समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) कार्यान्वित कर रहा है। एम.ओ.आर.डी. ने पार्थसारथी समिति का गठन किया था और समिति के सुझावों के आधार पर पनधारा विकास परियोजना, 2008 के लिए योजना आयोग के समन्वयन से राष्ट्रीय वर्षाविंचित क्षेत्र प्राधिकरण ने सामान्य दिशानिर्देश तैयार की है ताकि पनधारा विकास कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जा सके। एम.ओ.आर.डी. ने तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) से एकल संशोधित कार्यक्रम प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के समेकन द्वारा 26.02.2009 से लागू तकनीकी समिति के प्रमुख सिफारिशों कार्यान्वित की है। आई.डब्ल्यू.एम.पी. पनधारा विकास परियोजना 2008 के लिए सामान्य दिशा निर्देशों के अंतर्गत कार्यान्वित है।

## कोयले की कमी

6477. **श्री जगदानंद सिंह:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईंधन आपूर्ति समझौते (एफ.एस.ए.) के अंतर्गत सभी ताप विद्युत केन्द्रों को बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा का आपूर्ती की जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कहलगांव ताप विद्युत केन्द्र कोयले की कमी के कारण लगातार तीन दिनों तक बंद रहा था जिससे विद्युत उत्पादन और वितरण दोनों प्रभावित हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की कहलगांव ताप विद्युत केन्द्र के लिए कोयले के 15 दिन के भंडार की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भावी योजना क्या है?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील):** (क) और (ख) ईंधन आपूर्ति करार (एफ.एस.ए.) में सभी तापीय विद्युत स्टेशनों को निर्धारित गुणवत्ता के पूर्व-निर्धारित मात्रा में कोयले की आपूर्ति का आश्वासन दिया गया है। प्रतिबद्धित कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एफ.एस.ए. में आपूर्ति में कमी की स्थिति में आपूर्तिकर्ता कोयला कंपनी द्वारा दंड के भुगतान का प्रावधान किया गया है। सी.आई.एल. तथा इसकी सहायक कोयला कंपनियों द्वारा तैयार किए गए कोयला बिलों का भुगतान विद्युत उत्पादकों तथा सी.आई.एल. के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लदान स्तर पर संयुक्त सैपलिंग द्वारा आकलित कोयला गुणवत्ता के आधार पर विद्युत स्टेशनों द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) की सूचना के अनुसार हाल ही में कहलगांव तापीय विद्युत स्टेशन के पास उपयोग हेतु तीन से चार दिन का कोयला भंडार है। 28 अप्रैल, 2012 की स्थिति के अनुसार इस संयंत्र में उपलब्ध कोयला भंडार 152 हजार टन है जिसकी क्षमता संयंत्र को चार दिनों तक चलाने की है।

(ङ) विद्युत उपयोगिता क्षेत्र की कोयले की आपूर्ति की मानीटरिंग मंत्रिमंडल सचिवालय की अवसंरचना समीक्षा समिति द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह द्वारा नियमित रूप से की जाती है जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समूह विद्युत कंपनियों को निर्बाध रूप से कोयला आपूर्ति तथा नाजुक कोयला भंडार स्थिति सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित आपात स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेता है।

*[अनुवाद]*

## नि:शक्तों के लिए जारी की गई निधियों का दुरुपयोग

6478. **श्री एन. कृष्टप्पा:**
**श्री खगेन दास:**
**श्रीमती मेनका गांधी:**
**श्री सुशील कुमार सिंह:**
**डॉ. सुचारू रंजन हल्दर:**
**श्री रमेश राठौड़:**

क्या **सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेल्फेयर ऑफ पर्सन्स विद ओटीज्म, सेरिबल पाल्सी, मेण्टल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटीज के अंतर्गत गठित न्यासों को केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा सहित विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार इस योजना के अंतर्गत बनाए गए डिसेबल्ड केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में चल रहे ऐसे न्यासों विशेषकर उत्तर प्रदेश में चल रहे न्यासों में धन के उपयोग में अनियमितताएं संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई; और

(घ) निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए जारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं?

**सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक)**: (क) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास ने भारत सरकार से एक सौ करोड़ रुपए का एकबारगी कारपस अंशदान प्राप्त किया है, जिसकी आय का उपयोग इसके द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए जीवन निर्वाह के पर्याप्त स्तर की व्यवस्था करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

(i) आकांक्षा-प्रारम्भिक हस्तक्षेप कार्यक्रम (दिवा देखभाल केन्द्र)

(ii) समर्थन (आवासीय देखभाल योजना)

(iii) सहयोगी-देखभाल प्रदाता प्रशिक्षण और तैनाती योजना

(iv) घरौंदा (जीवन पर्यंत आश्रय तथा देखभाल योजना)

योजनाओं के ब्यौरे दर्शाने संबंधी सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है। उक्त योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां दर्शाने वाले ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-II से V में दिए गए हैं।

(ख) जहां तक राष्ट्रीय न्यास और इसके केन्द्रों का संबंध है, कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय न्यास द्वारा योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या के आधार पर सहायता अनुदान निर्मुक्त किए जा रहे हैं। यह समय-समय पर आकस्मिक औचक निरीक्षण भी करता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सहायता अनुदान योजनाओं के अंतर्गत बेहतर पारदर्शिता के लिए निधियों की निर्मुक्ति के लिए एक स्व-मूल्यांकन गणना आरंभ की गई है। योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को निरामय-स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ जोड़ा गया है, जिसमें इन लाभार्थियों के विस्तृत प्रोफाइल के ब्यौरे ऑन-लाइन उपलब्ध हैं।

***विवरण-I***

*राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित*
*योजनाओं के ब्यौरे*

(i) आकांक्षा-प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम (दिवा देखभाल केन्द्र) आकांक्षा योजना को "विकासात्मक विकलांगता" वाले 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप द्वारा शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए तैयार की गई है। इसका लक्ष्य इन नन्हें बच्चों और उनके माता-पिता को 20 के बैच में शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार करना है। इस समय देशभर में ऐसे 79 केन्द्र हैं। गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों के लिए निर्मुक्त निधियां दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ii) समर्थ (आवासीय देखभाल योजना)-यह संकटग्रस्त परिवारों को सुरक्षा प्रदान करती है। युवाओं और निराश्रित बच्चों को अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक दोनों आवास सुविधा प्रदान करती है। देश भर में 30 लाभार्थियों की क्षमता वाले ऐसे 119 केन्द्र हैं। इस योजना के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अब तक 3362 लाभार्थी हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों के लिए निर्मुक्त निधियां दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-II पर है।

(iii) सहयोगी-देखभाल प्रदाता प्रशिक्षण एवं तैनाती योजना-योजना के अंतर्गत देशभर में प्रशिक्षित व्यावसायिकों द्वारा

देखभाल प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चयनित एन.जी.ओ. केन्द्रों में देखभाल प्रदाता प्रकोष्ठ (सी.जी.सी.) की स्थापना की गई है। इन व्यावसायिकों को दिल्ली में समूह में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। देखभाल प्रदाताओं का पंजीकरण तथा देखभाल के इच्छुक व्यक्तियों का नामांकन सी.जी.सी. में किया जा रहा है। अभी तक 40 सी.जी.सी. को संस्वीकृति प्रदान की गई है जिनमें से देशभर में 36 सी.जी.सी. की स्थापना कर दी गई है। योजना के अंतर्गत अब तक 2024 देखभाल प्रदाता प्रशिक्षित किए गए हैं, जिनमें से 980 तैनात हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों के लिए निर्मुक्त निधियां दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-III पर है।

(iv) घरौंदा (जीवन पर्यंत आश्रय और देखभाल योजना)- विकलांग वयस्कों के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समूह गृह तथा पुनर्वास कार्यकलाप (घरौंदा) को पैनल बद्ध सेवा प्रदाताओं द्वारा ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता ग्रस्त वयस्क व्यक्तियों के लिए 'जीवन पर्यंत आश्रय और देखभाल सेवाओं की निर्धारित न्यूनतम गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। यह योजना, इस समय, 12 स्थानों के लिए संस्वीकृत की गई है। विगत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों के लिए निर्मुक्त निधियां दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-IV पर है।

### *विवरण-II*

*2010-13 से आकांक्षा के अंतर्गत निर्मुक्त निधि*

(राशि रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 727343 | 269567 | 230858 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 73125 | 0 | 0 |
| 3. | असम | 234677 | 67248 | 17624 |
| 4. | बिहार | | 189177 | 18552 |
| 5. | चंडीगढ़ | 97500 | 153969 | 56469 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 116052 | 63666 | 15769 |
| 7. | गुजरात | 378219 | 271064 | 111583 |
| 8. | हरियाणा | 246052 | 82780 | 53090 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 18552 | 63240 | 189177 |
| 10. | झारखंड | 630731 | 217826 | 73531 |
| 11. | कर्नाटक | 154420 | 0 | 0 |
| 12. | केरल | 483735 | 247156 | 51296 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | मध्य प्रदेश | 678121 | 343417 | 14340 |
| 14. | महाराष्ट्र | 198386 | 83823 | 16615 |
| 15. | मणिपुर | 353979 | 390501 | 52203 |
| 16. | मिज़ोरम | | 0 | 0 |
| 17. | ओडिशा | 634042 | 479708 | 121178 |
| 18. | पंजाब | | 0 | 0 |
| 19. | राजस्थान | 830152 | 263941 | 199063 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 1173597 | 327797 | 194539 |
| 21. | उत्तराखंड | 73125 | 0 | 0 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 132573 | 214203 | 10163 |
| | कुल | 7405006 | 3729083 | 1255425 |

### *विवरण-III*

*2010-13 से समर्थ के अंतर्गत निर्मुक्त निधि*

(राशि रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1391666 | 619792 | 431036 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | | 0 | 0 |
| 3. | असम | 373365 | 551510 | 302481 |
| 4. | बिहार | 418560 | 437280 | 181440 |
| 5. | चंडीगढ़ | 75296 | 0 | 0 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 373128 | 418096 | 241592 |
| 7. | दमन और दीव | 593454 | 119368 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8. | दिल्ली | 280185 | 284884 | 133110 |
| 9. | गुजरात | 852025 | 314576 | 191543 |
| 10. | हरियाणा | 566953 | 353390 | 215056 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 280440 | 60480 | 148200 |
| 12. | झारखंड | 386400 | 84240 | 110400 |
| 13. | कर्नाटक | 1516858 | 919908 | 828691 |
| 14. | केरल | 36000 | 0 | 0 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 1019100 | 721710 | 350280 |
| 16. | महाराष्ट्र | 1543320 | 588010 | 553098 |
| 17. | मणिपुर | 351900 | 198000 | 183720 |
| 18. | मिज़ोरम | 32400 | 0 | 0 |
| 19. | ओडिशा | 1887120 | 1574778 | 781680 |
| 20. | पुदुचेरी | 730572 | 409248 | 287964 |
| 21. | पंजाब | 250740 | 266130 | 163440 |
| 22. | राजस्थान | 643600 | 265864 | 292073 |
| 23. | सिक्किम | 140800 | 30720 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 801004 | 367290 | 48060 |
| 25. | त्रिपुरा | 641520 | 155070 | 139680 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 2293855 | 864190 | 712560 |
| 27. | उत्तराखंड | 342240 | 0 | 0 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 1162350 | 1164489 | 513990 |
| | कुल | 18984851 | 10769023 | 6810094 |

*विवरण-IV*

*2010-13 से सहयोगी के अंतर्गत निर्मुक्त निधि*

(राशि रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य | केन्द्र की संख्या | केन्द्र का नाम | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | | 2013-14 30.4.2013 तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सी.जी.सी. स्थापित करने के लिए धनराशि | प्रोत्साहन | सी.जी.सी. स्थापित करने के लिए धनराशि | प्रोत्साहन | सी.जी.सी. स्थापित करने के लिए धनराशि | प्रोत्साहन | सी.जी.सी. स्थापित करने के लिए धनराशि | प्रोत्साहन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 3 | विकलांग व्यक्ति शिक्षण चैतन्य इंस्टीट्यूट, जिला विजयनगरम | | 21000 | | | | | | |
| | | | विकलांगों के कल्याण के लिए किरनम संगठन, जिला रंगा रेड्डी | | | | | | | | 30000 |
| | | | स्वयंक्रुशी, जिला सिकन्दराबाद | | | | | | 25000 | | |
| 2. | असम | 2 | शिशु सरोथी, गुवाहाटी | | 15000 | | | | 8000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | श्री श्री सेवा आश्रम, जिला धेमाजी | | 14000 | | | | 12000 | | |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 2 | स्नेह सम्पदा, जिला दुर्ग | | 20000 | | | | 10000 | | |
| | | | आकांक्षा, जिला रायपुर | | 36000 | | | | 36000 | | |
| 4. | दिल्ली | 1 | मनोविकास, जिला सूरजमल विहार | | 22000 | | | | 16000 | | |
| 5. | गुजरात | 1 | श्रीमती पी.एन.आर. सोसायटी, जिला भावनगर | 220000 | | | | | 75000 | | |
| 6. | हरियाणा | 2 | माडर्न एजूकेशन सोसाइटी, जिला सोनीपत | | | | | | 39000 | | |
| | | | दिशा | | 25000 | | | | 77000 | | |
| 7. | हिमाचल प्रदेश विलासपुर | 1 | चेतना, जिला | | 33000 | | | | | | 48000 |
| 8. | झारखंड | 2 | मानसिक बिकलांगों के | | | | 51000 | | 63000 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | लिए पैरेण्टस संघ जमशेदपुर, जिला जमशेदपुर | | |
| | | | मधुर मुस्कान, जिला रांची | | 21000 |
| 9. | कर्नाटक | 1 | सूचना संसाधन केन्द्र, जिला बंगलौर | 62000 | 24000 |
| 10. | केरल | 1 | स्नेह सदन काम्पलेक्स, जिला इर्नाकुलम | 25000 | |
| 11. | मध्य प्रदेश | 1 | श्री श्री उत्कर्ष समिति, जिला इन्दौर | | 22000 |
| 12. | महाराष्ट्र | 1 | विशेष स्कूल मानसिक विकलांग के लिए जीवोदय एजूकेशन सोसाइटी, नागपुर | 15000 | 49000 |
| 13. | मणिपुर | 1 | बेटर लिविंग कंडीशन्स एंड रिसर्च आर्गनाइजेशन (बेलक्रो) | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | मिज़ोरम | 1 | स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ मिजोरम, जिला आइजोल | | | | | | | | 37000 |
| 15. | ओडिशा | 3 | सेन्टर फॉर रिहैबिलिटेशन सर्वि एंड रिसर्च (सी.आर.एस.आर.) | | 20000 | | | | 20000 | | |
| | | | पिंगलखी पब्लिक वेल्फेयर आर्गनाइजेशन (पी.पी. डब्ल्यू.ओ.) जिला पुरी | | 20000 | | | | 89000 | | |
| | | | ओपन लर्निंग सिस्टम, जिला भुवनेश्वर | | | | | | 20000 | | |
| | | | रूरल आर्गनाइजेशन फॉर्म सोशल इलीवेशन (रोज), जिला मयूरभंज | | 20000 | | | | 2000 | | |
| 16. | राजस्थान | 1 | प्राच्य शोध पीठ | | | | | | 10000 | | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | तमिलनाडु | 2 | चिदम्बरम एजूकेशनल सोसाइटी, जिला थुथुकुडी | | 15000 | | |
| | | | इकोमवेल आर्थोपेडिक सेन्टर, जिला सेलम | | 11000 | 15000 | |
| 18. | त्रिपुरा | 2 | अभय मिशन, जिला अगरतला | 220000 | 20000 | 81000 | |
| 19. | | | वाल्युन्टरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ त्रिपुरा | | 16000 | 12000 | |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 4 | विकलांग केन्द्र, जिला इलाहाबाद | | 9000 | | 49000 |
| | | | शिक्षित युवा सेवा समिति, जिला बस्ती | | | 97000 | |
| | | | इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन फॉर दि डिसेबल्ड | | | 90000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (आई.आई.आई.डी.), जिला आगरा | | | | | | | | |
| | | | सुभाशीष शिक्षा एवं विकास सेवा संस्थान | | | | 15000 | | 12000 | | |
| 21. | उत्तराखंड | 1 | हैप्पी फेमिली हेल्थ केयर एंड रिसर्च एसोसिएशन, जिला रूड़की | | 10000 | | | | 18000 | | |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 2 | प्रदीप सेन्टर फॉर ऑटिज्म मैनेजमेंट, जिला 24 परगना (नार्थ) | | 20000 | | | | 18000 | | |
| | | | नार्थ बंगाल काउंसिल फॉर दि डिसेबल्ड, जिला सिलीगुड़ी | | | | | | | | 10000 |
| | | 36 | कुल | 440000 | 449000 | 0 | 66000 | 0 | 979000 | | 174000 |

### *विवरण-V*

*2010-13 से घरौंदा के अंतर्गत निर्मुक्त निधि*

(राशि रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य | परियोजना की संख्या | एजेंसी का नाम | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | जम्मू और कश्मीर | 1 | कर्नाटक पैरेण्ट्स एसोसिएशन फॉर मेंटली रिटार्डेड सिटीजन्स (के.पी.ए.एम.आर.सी.) | | 1600000 | |
| 2. | ओडिशा | 1 | ओपेन लर्निंग सिस्टम (ओ.एल.एस.) | | | 1200000 |
| 3. | पश्चिम बंगाल | 2 | पार्टनर हुगली | | | |
| | | | प्रयास | | 1200000 | |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 1 | छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर | | | |
| 5. | त्रिपुरा | 1 | त्रिपुरा सरकार, अगरतला | 3000000 | | |
| 6. | हरियाणा | 1 | हरियाणा सरकार, सिरतार | | | |
| 7. | पुणे | 1 | सावली | 1200000 | | 1200000 |
| 8. | उत्तराखंड | 1 | उत्तराखंड सरकार | | | |
| 9. | दिल्ली | 1 | डेरा परियोजना (मुस्कान) | 1200000 | 1804800 | |
| 10. | आन्ध्र प्रदेश | 1 | स्वयंकुरूशी | | | 1200000 |
| 11. | थाणे, महाराष्ट्र | 1 | आधार, दि एसोसिएशन ऑफ पैरेण्ट्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन | | | 1200000 |
| | | 12 | कुल | 5400000 | 4604800 | 4800000 |

*[हिन्दी]*

### सी.बी.एफ.सी. द्वारा जारी प्रमाणपत्र

6479. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) द्वारा अनुमति प्रदान की गई कतिपय फिल्मों, आइटम गीतों और अश्लील गीत एलबमों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त फिल्मों, आइटम गीतों और गीत एलबमों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का फिल्मों और एलबमों में अशोभनीय गीतों/आइटम गीतों के दिखाए जाने पर रोक लगाने और इस संबंध में स्तर को सुधारने के लिए कदम उठाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) से (घ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5ख द्वारा मार्ग निर्देशित होता है जो अन्य बातों के अलावा, यह भी विनिर्धारित करती है कि किसी फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित नहीं किया जाएगा यदि वह सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिक मूल्यों के विरुद्ध हो या किसी की निन्दा करने वाली हो। अप्रतिबंधित प्रदर्शन के लिए अनुमति दी गई फिल्मों को 'अ' प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है; केवल वयस्कों वाली फिल्मों को 'बा' प्रमाणपत्र एवं अनुमोदन के साथ अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन वाली फिल्मों को 'अ/बा' प्रमाणपत्र एवं अनुमोदन के साथ अप्रतिवंधित सार्वजनिक प्रदर्शन वाली फिल्मों को 'अ/बा' प्रमाणपत्र दिया जाता है। चलचित्र अधिनियम, 1952 के विनिर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए फिल्मों को प्रमाणित किया जाता है और उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अनुमति दी जाती है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड चलचित्र अधिनियम, 1652 के अंतर्गत फिल्मों की जांच करने और प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अधिदेशित है। तथापि, सूचना और प्रसारण मंत्रालय समय की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य ये चलचित्र अधिनियम और नियमों की समीक्षा कर रहा है। उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एवं सात अन्य सदस्यों को मिलाकर एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है जो चलचित्र अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणन से जुड़े सभी मुद्दों की जांच करेगी। समिति अपनी रिपोर्ट समयबद्ध ढंग से प्रस्तुत करेगी।

## नकली कीटनाशक और खरपतवारनाशक

6480. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां झूठे क्षेत्र परीक्षण करवा कर और आंकड़ों में हेराफेरी करके कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का पेटेन्ट करवा लेती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये कीटनाशक/खरपतवार नाशक उनकी समाप्ति तिथि का विस्तार/जालसाजी करके बेचे जाते हैं और ऐसे कीटनाशकों खरपतवार नाशकों का आयात भी किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में लिप्त कंपनियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) और (ख) महोदया कीटनाशकों के संबंध में सरकार को झूठे फील्ड परीक्षण और हेराफेरी करवा कर पेटेंट करने के संबंध में कोई सूचना नहीं हुई है।

(ग) और (घ) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई सूचना नहीं आई है।

## किसानों की क्रय शक्ति

6481. **श्री पशुपति नाथ सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (ग) सरकार किसानों के हितार्थ और कृषि को एक व्यवहार्य व्यवसाय बनाने के लिए कई योजना स्कीमों का कार्यान्वियन कर रही है। राष्ट्रीय कृषक नीति, 2007 का उद्देश्य किसान की आय को सतत रूप से बढ़ाते हुए कृषि की आर्थिक व्यावहार्यता में सुधार करना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राष्ट्रीय स्तर पर दो प्रमुख अग्रणी योजनाएं हैं जिन्हें देश में खाद्यान्न में लक्षित वृद्धि को सुनिश्चित करने के उद्देश्य और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है एवं राज्यों को कृषि वृद्धि में सुधार के लिए और अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे अन्य प्रमुख कार्यक्रम/स्कीमों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पाम एवं मक्का स्कीम, वृहत कृषि प्रबंधन, कपास प्रौद्योगिकी मिशन, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, राष्ट्रीय बांस मिशन, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60000 दलहन ग्रामों के समेकित विकास, पूर्वी भारत में हरित क्रांति का विस्तार, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना और विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन आदि शामिल हैं।

किसानों के हितार्थ सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को ऋण

प्रवाह में वृद्धि ऋण माफी/राहत, फसल ऋणों पर ब्याज छूट, फसल बीमा आदि शामिल है।

## राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम

6482. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित देश में विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार प्रत्येक योजना के अंतर्गत आवंटित धन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) और (ख) कृषि मंत्रालय, वृहत कृषि प्रबंधन जिसे 1 अप्रैल, 2013 से बंद कर दिया गया है, के लिए स्कीम के भाग रूप में उत्तर प्रदेश सहित देश में नदी घाटी परियोजना एवं बाढ़ प्रवण नदी (आर.वी.पी. एवं एल.पी.आर.) के आवाह क्षेत्र में वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना एवं मृदा संरक्षण नामक दो प्रमुख पनधारा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) भी कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में निर्मुक्त व्यय निधियों का राज्य-वार एवं स्कीमवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I से विवरण-III में दिया गया है। शुरुआत से लगभग 11.01 मि. है. एवं 7.90 मि.है. क्षेत्र को एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. एवं आर.वी.पी. एण्ड, एम.पी.आर. के तहत उपचारित किया गया है। आई.डब्ल्यू.एम.पी. के तहत 29.21 मि. है. क्षेत्र कवर करते हुए परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।

*विवरण-I*

*देश में आयुर्वेद कॉलेजों, अस्पतालों और अनुसंधान संस्थानों की संख्या*

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्तीय स्थिति (रु. लाख में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 246.75 | 459.57 | 356.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1061.80 | 310.30 | 0.00 |
| 3. | बिहार | 334.96 | 537.99 | 181.47 |
| 4. | झारखंड | 1114.30 | 869.45 | 953.00 |
| 5. | गोवा | 82.60 | 274.00 | 254.42 |
| 6. | गुजरात | 982.16 | 794.35 | 652.71 |
| 7. | हरियाणा | 267.39 | 170.95 | 57.71 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 589.98 | 338.70 | 373.87 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 298.94 | 474.63 | 388.82 |
| 10. | कर्नाटक | 1250.00 | 1125.98 | 722.22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | केरल | 640.36 | 936.36 | 400.00 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 1729.00 | 1831.90 | 1700.00 |
| 13. | छत्तीसगढ़ | 729.43 | 1286.45 | 726.98 |
| 14. | महाराष्ट्र | 2679.10 | 1852.00 | 1907.16 |
| 15. | मणिपुर | 1096.00 | 716.75 | 572.68 |
| 16. | मिज़ोरम | 2500.00 | 600.00 | 1276.00 |
| 17. | मेघालय | 1054.50 | 975.00 | 700.00 |
| 18. | नागालैंड | 1460.00 | 1030.00 | 519.96 |
| 19. | ओडिशा | 1347.20 | 873.79 | 459.00 |
| 20. | पंजाब | 496.25 | 0.00 | 2.50 |
| 21. | राजस्थान | 1175.30 | 994.99 | 662.25 |
| 22. | सिक्किम | 553.97 | 86.27 | 0.00 |
| 23. | तमिलनाडु | 569.24 | 664.03 | 1195.84 |
| 24. | त्रिपुरा | 1245.10 | 718.03 | 400.00 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 4832.60 | 3040.49 | 0.00 |
| 26. | उत्तराखण्ड | 1252.20 | 1171.98 | 886.00 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 185.82 | 14.32 | 912.00 |
| | कुल | 29774.95 | 22148.28 | 16260.59 |

**विवरण-II**

*(वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान आर.वी.पी. एवं एफ.पी.आर. के तहत व्यय)*

(लाख रु. में)

| क्र.सं. | राज्य | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | | | |
| | (I) वन | 376.26 | 516.05 | 420.59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| (II) | कृषि | 362.35 | 449.27 | 474.42 |
| | **उप-योग (I & II)** | **738.61** | **965.32** | **895.01** |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 568.51 | 673.44 | 117.51 |
| 3. | असम | 153.84 | 22.22 | |
| 4. | बिहार | 50.00 | 18.95 | |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 156.64 | 79.02 | 150.00 |
| 6. | गुजरात | | | |
| | (I) वन | 60.00 | 12.66 | |
| | (II) कृषि | 2051.11 | 1258.38 | 1283.70 |
| | **उप-योग (I & II)** | **2111.11** | **1271.04** | **1283.70** |
| 7. | हरियाणा | 692.24 | 537.78 | 300.00 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 751.67 | 582.76 | 760.00 |
| 9. | झारखण्ड | 103.67 | 202.10 | 776.00 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 463.35 | 456.01 | 852.53 |
| 11. | कर्नाटक | 1250.00 | 1125.00 | 722.22 |
| 12. | केरल | 150.69 | 101.73 | 185.50 |
| 13. | मध्य प्रदेश | | | |
| | (I) वन | 2735.34 | 1706.20 | 1628.00 |
| | (II) कृषि | 547.68 | 205.00 | 236.00 |
| | **उप-योग (I & II)** | **3283.02** | **1911.20** | **1864.00** |
| 14. | महाराष्ट्र | 3287.40 | 949.77 | 525.00 |
| 15. | मणिपुर | 500.00 | 344.50 | 290.00 |
| 16. | मेघालय** | 50.00 | 50.00 | 200.00 |
| 17. | मिज़ोरम | 750.00 | 535.00 | 750.00 |
| 18. | नागालैंड** | 436.16 | 344.50 | 299.00 |
| 19. | ओडिशा | 294.02 | 65.72 | 120.31 |
| 20. | पंजाब | 63.00 | | 150.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 21. | राजस्थान | 3538.32 | 2805.17 | 3200.00 |
| 22. | सिक्किम | 118.40 | 155.25 | 176.00 |
| 23. | तमिलनाडु | 1681.18 | 1235.78 | 1184.00 |
| 24. | त्रिपुरा* | 153.10 | 21.42 | 23.25 |
| 25. | उत्तर | 2100.00 | 2007.25 | 1370.40 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 385.90 | 350.00 | |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 627.81 | 583.77 | 172.62 |
| | सकल योग | 24458.64 | 17394.70 | 16367.05 |

***विवरण-III***

*(समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम आई.डब्ल्यू.एन.पी. के तहत निर्मुक्त निधियों)*

(करोड़ रु. में)

| क्र.सं. | राज्य | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 119.8 | 160.94 | 125.137 |
| 2. | बिहार | | 3 | 12.18 |
| 3. | छत्तीसगढ | 50.38 | 62.37 | 0 |
| 4. | गोवा | 0 | 0 | 0 |
| 5. | गुजरात | 161.73 | 160.71 | 329.237 |
| 6. | हरियाणा | | 11.63 | 5.226 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 57.77 | 48.93 | 8.0230 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 38.268 | |
| 9. | झारखण्ड | 24.1 | 15.7 | 48.1731 |
| 10. | कर्नाटक | 70.96 | 127.41 | 334.55 |
| 11. | केरल | 11.01 | 10.81 | 4.81 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 113.25 | 108.6 | 128.30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | महाराष्ट्र | 208.14 | 378.69 | 501.60 |
| 14. | ओडिशा | 73.47 | 77.53 | 89.700 |
| 15. | पंजाब | 3.45 | 8.44 | 14.888 |
| 16 | राजस्थान | 257.47 | 318.33 | 424.53 |
| 17. | तमिलनाडु | 60.16 | 17.57 | 227.768 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 132.13 | 164.46 | 128.43 |
| 19. | उत्तराखण्ड | 15.97 | 2.34 | 4.21783 |
| 20. | पश्चिमी बंगाल | | 16.06 | 40.313 |
| | **पूर्वोत्तर राज्य** | | | |
| 21. | अरुणाचल प्रदेश | 20.08 | 22.09 | 15.970 |
| 22. | असम | 40.82 | 37.53 | 42.97 |
| 23. | मणिपुर | 10.37 | 15.33 | 33.75 |
| 24. | मेघालय | 9.88 | 12.87 | 37.43 |
| 25. | मिज़ोरम | 17.14 | 5.84 | 16.439 |
| 26. | नागालैंड | 26.71 | 59.42 | 76.418 |
| 27. | सिक्किम | 3.88 | 1.15 | 8.178 |
| 28. | त्रिपुरा | 8.16 | 18.17 | 24.017 |
| | सकल योग | 1496.83 | 1865.92 | 2720.52 |

*[अनुवाद]*

**अकादमियों के कार्यकरण में अनियमितताएं**

6483. **श्री एस.आर. जेयदुरई:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकार के नियंत्रणाधीन विभिन्न अकादमियों में नियुक्तियों तथा सरकारी निधि के दुरुपयोग और अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक प्राप्त ऐसी शिकायतों का अकादमी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी प्रत्येक शिकायत के संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

**संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी):** (क) से (ग) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002**

6484. **श्री श्रीपाद येसो नाईक:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराज्य सहकारी सोसायटी (एम.एस.सी.एस.) अधिनियम, 2002 की धारा 84 के अधीन मध्यस्थों द्वारा पारित निर्णय/

आदेशों का कार्यान्वयन अधिनियम की धारा 94/94 (ग) के अधीन संबंधित वित्तीय संस्थाओं के वसूली अधिकारियों द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त अधिनियम की धारा 84 के अधीन मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय/आदेशों का कार्यान्वयन प्राधिकारी कौन है;

(ग) क्या उक्त अधिनियम को धारा 84 के अधीन राज्य और गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के वसूली अधिकारियों द्वारा पंचाटों के कार्यान्वयन के संबंध में गोवा को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार से कोई स्पष्टीकरण मांगा था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) जी नहीं।

(ख) धारा 84 की उप-धारा (5) के प्रावधान के अनुसार मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 (1996 का 26) एम.एस.सी.एस. एवं समाधान अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत निपटान अथवा निर्णय लेने के लिए भेजा गया।

(ग) और (घ) जी हां। सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रांर (आर.सी.एस.), गोवा सरकार ने दिनांक 14/06/2007 के पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या एम.एस.सी.एस. अधिनियम. 1984 की धारा 85(ग) के तहत प्राधिकृत बिक्री एवं वसूली अधिकारी एम.एस.सी.एस. अधिनियम. 2002 के तहत मध्यस्थ द्वारा पारित किए गये एम.एस.सी.एस. अधिनियम, 2002 की धारा 94(ग) के प्रावधान के तहत निर्णयों/आदेशों का निष्पादन करना जारी रख सकता है। आर.सी.एस., गोवा सरकार को दिनांक 01/01/2008 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि एम.एस.सी.एस. अधिनियम, 2002 की धारा 94 में एम.एस.सी.एस., 2002 की धारा 84 के तहत मध्यस्थ द्वारा पारित किए गए निर्णयों/आदेशों के निष्पादन का प्रावधान नहीं है।

**सी.ए.पी.एफ. को घटिया दवाओं की आपूर्ति**

6485. **श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में आए केन्द्रीय सशस्त्र बल (सी.ए.पी.एफ.) को विभिन्न औषधालयों को आपूर्ति की गई घटिया दवाइयों/सुइयों के मामलों का बल-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और सी.ए.पी.एफ. के कौन से अधिकारी इसके लिए बल-वार जिम्मेदार पाए गए हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) के विभिन्न औषधालयों को घटिया दवाईयों/सुइयों की आपूर्ति का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है सिवाय वर्ष 2011-12 में सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) के एक मामले के, जिसमें संयुक्त अस्पताल, एस.एस.बी., पूर्णिया को सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो (जी.एम.एस.डी.), कोलकाता द्वारा सप्लाई की गई 1022/- रु. की 2380 न्यूरोटॉन फोर्ट गोलियां पत्तों के अंदर पाउडर के रूप में पाई गई थीं। एस.एस.बी. ने इन गोलियों को बदलने के लिए जी.एम.एस.डी.. कोलकाता के साथ इस मामले को उठाया था। एस.एस.बी. ने दिनांक 21.06.2012 के पत्र द्वारा दवाइयों को बदलने अथवा राशि का समायोजन करने के लिए महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा के साथ भी मामले को उठाया है। वर्तमान मामले में, किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि हानि/क्षति को पूरा करने के लिए समय पर कार्रवाई की गई थी।

(ग) एस.एस.बी. ऐसे मामलों से बचने के लिए वार्षिक मांग भेजकर सीधे ही सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो से दवाइयां प्राप्त कर रहा है।

*[हिन्दी]*

**पार्किंग की दरें**

6486. **डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) क्षेत्रों में पार्किंग की दरों में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) दिल्ली में बढ़ती पार्किंग दरों पर रोक के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) से मद्देनजर ये प्रश्न ही नहीं उठते।

*[अनुवाद]*

**गेहूं निर्यात**

6487. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**

**श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**

**श्री एन.एस.वी. चित्तन:**

**श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया और यूक्रेन जैसे अन्य देशों के गेहूं की तुलना में भारतीय गेहूं के घटिया गुणवत्तापरक होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और यह कम मूल्य पर बिक रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं निर्यात को बढ़ाने के लिए ग्रेडिंग-भंडारण, पत्तन प्रचालन आदि के लिए सिंगापुर और आस्ट्रेलिया में शिष्टमंडल भेजा है अथवा भेजने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) जी नहीं। अगस्त, 2012 से अप्रैल, 2013 के बीच अनुमोदित निविदाओं में भारतीय गेहूं के लिए 312.17 अम. डालर प्रति टन की भारित औसत पोत पर्यन्त नि:शुल्क (एफ.ओ.बी.) दर प्राप्त हुई है, जो आस्ट्रेलिया तथा यूक्रेन सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसी प्रकार के गेहूं की दर से अधिक है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, वाणिज्य विभाग तथा भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने ऑस्ट्रेलिया तथा सिंगापुर द्वारा गेहूं की गुणवत्ता उन्नयन, हैंडलिंग तथा विपणन के संबंध में अपनाई गई पद्धतियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक तथा विपणन के संबंध में अपनाई गई पद्धतियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 26 जनवरी, 2013 से 5 फरवरी, 2013 के दौरान उक्त देशों का अध्ययन दौरा किया था। इस शिष्टमंडल ने पत्तनों पर भंडारण तथा निर्यात टर्मिनलों का दौरा किया तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अनाज व्यापारी संगठनों के साथ बैठकें भी कीं। शिष्टमंडल ने ऑस्ट्रेलिया में पोतलदान के लिए गेहूं की भारी मात्रा में यांत्रिक हैंडलिंग का भी अवलोकन किया।

**जेलों के आधुनिकीकरण के लिए कार्यक्रम को बंद करना**

6488. **श्री एस. सेम्मलई:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003 में राष्ट्रीय और राज्य की जेलों के आधुनिकीकरण के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रम को वर्ष 2009 से बंद कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II के तहत "कारागार" राज्य का विषय है और इसलिए, कारागार प्रशासन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, कारागारों में भीड़ को कम करने और कारागारों तथा कैदियों की स्थिति में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच क्रमश: 75:25 की भागीदारी के आधार पर 27 राज्यों (अरुणाचल प्रदेश के अलावा) में 1800 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए वर्ष 2002-03 में कारागारों के आधुनिकीकरण हेतु एक गैर-योजना स्कीम आरंभ की थी। राज्य सरकारों द्वारा दिनांक 31.03.2009 तक अपने कार्यकलाप पूरे करने के लिए अतिरिक्त धनराशि के बिना स्कीम के दो वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया था। यह स्कीम दिनांक 31.03.2009 को समाप्त हो गई है।

*[हिन्दी]*

**डी.एम.एस. प्रबंधन द्वारा कथित भेदभाव**

6489. **श्री आर.के. सिंह पटेल:**

**श्री मनसुखभाई डी. बसावा:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना (डी.एम.एस.) का प्रबंधक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा प्रदान नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के अंतर्गत कार्यरत अ.जा./ज.ज.जा. के कर्मचारियों को सरकारी आवास के आवंटन में भेदभाव देखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) जी हां, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एस.सी./एस.टी.) से संबंधित कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा नीति के अनुसार उपलब्ध कराई जा रही है।

(ख) उपर्युक्त 'क' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को सरकारी आवास के आबंटन में कोई भेदभाव की जानकारी देखने में नहीं आई है।

(घ) उपर्युक्त 'ग' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## तटीय सुरक्षा हेतु सहायता

**6490. श्रीमती भावना पाटील गवली:**

**श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:**

**श्री एंटो एंटोनी:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत तटीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही सहायता राशि में वृद्धि करने का निवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की राज्य-वार क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) से (ग) तटीय सुरक्षा योजना चरण-II को 9 तटीय राज्यों एवं 4 संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 1579.91 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय से दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से शुरू करते हुए 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 131 तटीय पुलिस स्टेशन (सी.पी.एस.), 150 (12 टन) नौकाएं, 10 (5 टन) नौकाएं, 20 (19 मीटर) नौकाएं, 10 बड़ी नौकाएं, 35 रिजिड इन्फ्लेटेबल नौकाएं, 60 जेट्टी, 131 चार-पहिया वाहन और 242 मोटर साइकिलें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा, प्रत्येक तटीय पुलिस स्टेशन को निगरानी, उपकरण, कम्प्यूटर सिस्टम एवं फर्नीचर के लिए 15 लाख रु. की एकमुश्त सहायता भी दी जाती है।

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान तटीय पुलिस स्टेशनों के निर्माण, सी.पी.एस. के लिए जेट्टी उपकरण एवं फर्नीचर आदि तथा वाहनों की खरीद के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित राशि जारी की गई थी:

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | जारी राशि (लाख रु. में) |
|---|---|
| गुजरात | 468.00 |
| गोवा | 196.00 |
| कर्नाटक | 146.00 |
| तमिलनाडु | 1434.00 |
| आन्ध्र प्रदेश | 1295.00 |
| लक्षद्वीप | 260.00 |

चालू वित्तीय वर्ष में कोई राशि जारी नहीं की गई है।

कुछ तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सुझाव दिया है कि जेट्टी के निर्माण के लिए प्रदान की जा रही 50 लाख रु. की निर्माण राशि अपर्याप्त है। तथापि, निर्माण लागत में वृद्धि से संबंधित कोई विशेष प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

## आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलें

**6491. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलों की खेती के क्षेत्रफल का राज्य-वार और फसल-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आनुवांशिक रूप से संवर्धित बीजों और फसलों से मानव जीवन, पशुधन और पर्यावरण पर कोई खतरा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) बी.टी. कपास आनुवांशिक रूप

से संबंधित (जी.एम.) एक मात्र ऐसी फसल है जिसे देश में व्यवसायिक कृषि के लिए अनुमोदित किया गया है। इसकी खेती देश के नौ प्रमुख कपास उगाने वाले राज्यों में की जाती है। बी.टी. कपास के तहत राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इसका कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों और फसलों का उपयोग मानवजाति के जीवन, पशुधन और पर्यावरण के लिए किसी प्रकार का खतरा पैदा करता है। जैव सुरक्षा प्रयोगों के मानक प्रोटोकॉल के माध्यम से संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के बाद ही जी.एम. फसलों की खेती के लिए तदनुसार अनुमोदन किया जाता है।

***विवरण***

*भारत में बी.टी. कपास के राज्य-वार और वर्ष-वार क्षेत्र (क्षेत्र लाख है. में)*

| राज्य | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 10.00 | 11.43 | 12.53 | 17.01 | 18.26 |
| गुजरात | 13.00 | 14.50 | 15.39 | 20.88 | 26.78 |
| हरियाणा | 2.79 | 3.46 | 4.90 | 4.18 | 5.88 |
| कर्नाटक | 1.46 | 1.57 | 3.16 | 3.73 | 4.60 |
| मध्य प्रदेश | 4.71 | 5.14 | 6.06 | 6.00 | 6.35 |
| महाराष्ट्र | 25.62 | 25.72 | 30.48 | 35.43 | 38.95 |
| पंजाब | 5.57 | 4.76 | 5.14 | 5.10 | 5.46 |
| राजस्थान | 0.38 | 1.48 | 2.80 | 2.60 | 4.00 |
| तमिलनाडु | 0.60 | 0.12 | 0.09 | 0.62 | 1.06 |
| कुल बी.टी. कपास क्षेत्र | 64.13 | 68.18 | 80.55 | 95.55 | 111.34 |

*[अनुवाद]*

**अत्याचार पीड़ितों को सहायता/राहत**

6492. **श्री प्रदीप माझी:**

**श्री किसनभाई वी. पटेल:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अंतर्गत अत्याचारों के पीड़ितों को सहायता/राहत प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के पीड़ितों को उक्त नियमों के अंतर्गत सहायता प्रदान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने व्यक्तियों को सहायता/राहत प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त नियमों के अंतर्गत सहायता/राहत में बढ़ोत्तरी की है/करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक)**: (क) और (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जम्मू व कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में प्रभावी है तथा इस अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। अत्याचार अधिनियम की धारा 23 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जातियां

तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 बनाई है जिसे दिनांक 31.03.1995 को अधिसूचित किया गया। राहत राशि संबंधी मानक उक्त नियमावली की अनुसूची में दिए गए हैं।

यह मंत्रालय केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, अन्य बातों के साथ-साथ, अत्याचार के शिकार हुए लोगों के लिए राहत एवं पुनर्वास हेतु समुचित केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) अत्याचार के शिकार हुए लोगों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों के लिए राहत की पूर्व दरों (20,000/- रुपये से 2,50,000/- रुपये तक) को दिनांक 23.12.2011 की प्रभावी तिथि से, भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जातियां (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2011 के तहत, 150% (50,000/- रुपये से 5,00,000/- रुपये के बीच) तक बढ़ा दिया गया है।

*वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 के दौरान अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत राहत प्राप्त व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत राहत प्राप्त व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 (प्रत्याशित) |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 2119 | 2835 | 2960 |
| 2. | बिहार | 804 | - | 410 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 572 | 546 | 650 |
| 4. | गुजरात | 239 | 1454 | 1300 |
| 5. | हरियाणा | 171 | 204 | - |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | - | 58 | - |
| 7. | कर्नाटक | 2096 | 1039 | 1600 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 5211 | 4731 | 4400 |
| 9. | महाराष्ट्र | 775 | 650 | 1000 |
| 10. | ओडिशा | 1948 | 1248 | 1000 |
| 11. | राजस्थान | 1661 | 1961 | 2200 |
| 12. | तमिलनाडु | 1500 | 1278 | 2400 |
| 13. | त्रिपुरा | - | 2 | 2 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 9375 | 9408 | 1200 |
| 15. | उत्तराखंड | 100 | 43 | 100 |
| | कुल | 26571 | 25457 | 19222 |

नोट:- वर्ष 2013-14 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राहत प्राप्त व्यक्तियों से संबंधित आंकड़ा प्राप्त नहीं है।

*[हिन्दी]*

**प्रसार भारती को निधियां**

6493. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**
**श्री अर्जुन राय:**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रसार भारती को प्रचालन/कार्यकरण के लिए प्रतिवर्ष अनुदान/वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाल ही में प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त संस्थान के कब तक आत्मनिर्भर होने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) और (ख) प्रसार भारती अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत कीगई अभिकल्पना के अनुसार सरकार प्रसार भारती को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि निगम अपने काम को दक्षतापूर्वक कर सके। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष प्रत्येक के दौरान प्रसार भारती को योजनेतर और योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुदान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रु. में)

| वर्ष | योजनेतर | योजना | कुल |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | 1412.35 | 581.80 | 1994.15 |
| 2011-12 | 1462.35 | 461.33 | 1923.68 |
| 2012-13 | 1650.00 | 412.50 | 2062.50 |
| 2013-14* | 1730.00 | 514.00 | 2244.00 |

*बजट में किया गया अनुमान।

(ग) से (घ) सरकार ने प्रसार भारती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाल ही में निम्नलिखित बड़ी पहलें की हैं:

प्रसार भारती संबंधी मंत्री-समूह ने प्रसार भारती की व्यापक समीक्षा की है और प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के संशोधन सहित कई सिफारिशें की हैं। मंत्री-समूह की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने भी प्रसार भारती की वित्तीय पुनर्सरचना हेतु निम्नलिखित पैकेज अनुमोदित किया हैं:

- सरकार अगले पांच वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान प्रसार भारती को अपने वेतन और वेतन से जुड़े खर्चों की 100% पूर्ति के लिए योजनेतर निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। संचालन से जुड़ी अन्य सभी मदों के खर्च को प्रसार भारती अपने आंतरिक स्रोतों से वहन करेगा।
- अब प्रसार भारती को सरकार द्वारा योजना पूंजी सहायता केवल सहायता अनुदान के रूप में होगा।
- प्रसार भारती का स्पेस खण्ड और स्पेक्ट्रम प्रभारों का 31.03.2011 तक का संचित बकाया माफ किया जाएगा।
- स्थायी ऋण पर ब्याज, पूंजी ऋण पर ब्याज और उस पर दाण्डिक ब्याज, जो प्रसार भारती द्वारा सरकार को संदेय है को माफ किया जाएगा और प्रसार भारती को प्रदान किया गया। स्थायी ऋण और पूंजी ऋण सहायता अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
- संपत्ति और परिसंपत्तियां बही मूल्य पर प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 16 (क) के प्रावधानों के अनुसार प्रसार भारती को हस्तांतरित की जाएंगी।

मंत्री-समूह ने इस संबंध में यह भी सिफारिश की कि मामले की अपेक्षानुसार पांच वर्ष में समीक्षा की जाएगी। तथापि, मंत्री-समूह द्वारा प्रसार भारती के आत्मनिर्भर बनने हेतु किसी विशिष्ट समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया है।

सरकार ने श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की है जो प्रसार भारती की समीक्षा करेगी, जिसके विशिष्ट विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

प्रसार भारती को वित्त अधिनियम, 2012 (प्रत्यक्ष कर से संबंधित प्रावधान) द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 10 में एक नया खंड (23 खखज) अंत:स्थापित करके आय कर से विशेष छूट प्रदान की गई है। इसके परिणामस्वरूप, प्रसार भारती की सभी आय (प्राप्तियां/राजस्व/बैंकों आदि में मियादी जमा/लघुकालिक जमा पर प्रोद्भूत/अर्जित लाभ) वित्त वर्ष 2012-13 (निर्धारण वर्ष 2013-14) के बाद से आय कर से मुक्त होगी।

*विवरण*

*प्रसार भारती की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है:*

1. उभर रहे परिदृश्य में सरकार के साथ प्रसार भारती के विशेष संदर्भ में लोक प्रसारक के रूप में प्रसार भारती की भूमिका को कायम रखने, सुदृढ़ बनाने और विस्तारित करने हेतु किए जाने वाले उपायों के बारे में सुझाव देना।

2. प्रसार भारती का अध्ययन करने वाली अनेक समितियों नामत: सेनगुप्ता समिति, बक्शी समिति और नारायणमूर्ति समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना तथा प्रसार भारती की पहुंच व क्षमता में वृद्धि करने हेतु अग्रगामी रूप-रेखा तैयार करने के बारे में सुझाव देना।

3. स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित सामग्री सहित दूरदर्शन (डी.डी.) और आकाशवाणी (ए.आई.आर.) के अधिकार में रखी गई अभिलेखीय सामग्री को डिजिटीकृत करने तथा आंकड़ा डिजिटलीकरण प्रणालियों, आंकड़ा केंद्रों और नेटवर्क आदि के रूप में समर्थनकारी अवसंरचना विकसित करने हेतु उपायों के बारे में सुझाव देना।

4. प्रसारण पद्धति (डी.टी.एच.) तथा मांग-आधारित पद्धति (यू-ट्यूब जैसे सामाजिक मीडिया पर नि:शुल्क तथा आई.पी.टी.वी. के जरिए भुगतान पर) दोनों में डिजिटल विषय-वस्तु प्रस्तुत करने हेतु नए माध्यमों का प्रयोग करने के तरीकों के बारे में सुझाव देना।

5. अनप्य अप्रवासी सेवा की स्थापना करने सहित विश्वव्यापी दर्शकों तक व्यापकतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए घरेलू व अप्रवासी व्यवसाय-हिस्सेदारों के नेटवर्क की स्थापना करने हेतु कार्यनीति के बारे में सुझाव देना।

6. कोई अन्य सांविधिक मुद्दा जिस पर समिति विचार करना चाहे।

**अन्त्योदय अन्न योजना**

**6494. श्री जयवंत गंगाराम आवले:**

**श्री पी.टी. थॉमस:**

**श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों में अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या और आवंटन में वृद्धि का निवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की अनुमोदित और वास्तविक संख्या को दर्शाते हुए सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार खाद्यान्नों और अन्य मदों का आवंटन और उठान कितना रहा है;

(ङ) क्या सरकार को बिचौलियों के द्वारा ए.ए.वाई. के लाभों के दुर्विनियोजन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक/सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और इस प्रयोजन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस)**: (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को निर्धनतम लोगों के प्रति और अधिक केंद्रित एवं लक्षित करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से पहचान किए जाने वाले एक करोड़ परिवारों के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दिसंबर, 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान इस योजना के तहत कवरेज का तीन बार विस्तार किया गया है जिसमें प्रत्येक बार 50

लाख अतिरिक्त परिवारों को शामिल किया गया है। इस प्रकार अंत्योदय अन्न योजना के तहत कुल कवरेज को बढ़ाकर 2.50 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवार कर दिया गया। अंत्योदय अन्न योजना के लक्ष्य के भीतर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान करना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। मार्च, 2013 तक राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रदत्त 2.50 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की स्वीकृत संख्या में से उन्होंने 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड जारी करने की सूचना दी है अंत्योदय अन्न योजना के इन परिवारों को खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आबंटन गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम के अत्यधिक राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से किया जाता है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों एवं अन्य पक्षों से अंत्योदय अन्न योजना के तहत अतिरिक्त परिवारों को कवर करने और आन्ध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल. महाराष्ट्र, ओडिशा, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खाद्यान्न आवंटित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। चूंकि राज्य सरकारों से प्रत्येक राज्य को आबंटित अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की अधिकतम सीमा के भीतर अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की पहचान करना अपेक्षित है, इसलिए अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लक्षित संख्या से अधिक परिवारों को कवर करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सका। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे अंत्योदय अन्न येाजना के मौजूदा लाभभोगियों की सूची की समीक्षा करें और अपात्र लाभभोगियों को सूची से हटाएं ताकि सर्वाधिक पात्र व्यक्तियों को भी उसमें शामिल किया जा सके।

पिछले तीन वर्षों और 2012-13 के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के तहत शामिल परिवारों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों और 2012-13 के दौरान अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को खाद्यान्नों के आबंटन के आबंटन और उठान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II और विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) देश के कुछ राज्यों/क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे/ अंत्योदय अन्न योजना श्रेणियों को खाद्यान्नों के वितरण में अनियमितताओं सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत चलाई जाती है जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की होती है। इसलिए, जब कभी भी व्यविक्तयों के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास भेज दिया जाता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना और उसे सुचारू बनाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार ने मानीटरिंग तंत्र और सतर्कता में सुधार करके, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पारदर्शिता को बढ़ाकर, आदर्श नागरिक अधिकार-पत्र को अपनाकर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके और उचित दर दुकानों के प्रचालनों की व्यवहार्यता में सुधार करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुदृढ़ करने के लिए नियमित रूप से इसकी समीक्षा की है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसके लिए हिदायतें जारी की हैं।

***विवरण-I***

*वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और जारी किए गए ए.ए.वाई. राशन कार्डों की संख्या*

(लाख टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | ए.ए.वाई. परिवारों की अनुमानित सं. | अभिज्ञात ए.ए.वाई. परिवार और जारी राशि कार्ड | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 15.578 | 15.578 | 15.578 | 15.578 | 15.578 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.380 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 3. | असम | 7.040 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 25.010 | 24.285 | 25.010 | 25.010 | 25.010 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 |
| 6. | दिल्ली | 1.568 | 1.502 | 1.502 | 1.502 | 1.502 |
| 7. | गोवा | 0.184 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
| 8. | गुजरात | 8.128 | 8.098 | 8.098 | 8.098 | 8.098 |
| 9. | हरियाणा | 3.025 | 2.924 | 2.924 | 2.924 | 2.924 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 1.971 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 2.822 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 |
| 12. | झारखंड | 9.179 | 9.179 | 9.179 | 9.179 | 9.179 |
| 13. | कर्नाटक | 11.997 | 11.997 | 11.997 | 11.376 | 11.376 |
| 14. | केरल | 5.958 | 5.958 | 5.958 | 5.958 | 5.958 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 15.816 | 15.816 | 15.816 | 15.816 | 15.816 |
| 16. | महाराष्ट्र | 25.053 | 24.639 | 24.639 | 24.639 | 24.639 |
| 17. | मणिपुर | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.636 |
| 18. | मेघालय | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 |
| 19. | मिज़ोरम | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.261 |
| 20. | नागालैण्ड | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 |
| 21. | ओडिशा | 12.645 | 12.645 | 12.645 | 12.645 | 12.645 |
| 22. | पंजाब | 1.794 | 1.794 | 1.794 | 1.794 | 1.794 |
| 23. | राजस्थान | 9.321 | 9.321 | 9.321 | 9.321 | 9.321 |
| 24. | सिक्किम | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
| 25. | तमिलनाडु | 18.646 | 18.646 | 18.646 | 18.646 | 18.646 |
| 26. | त्रिपुरा | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 40.945 | 40.945 | 40.945 | 40.945 | 40.945 |
| 28. | उत्तराखंड | 1.909 | 1. 512 | 1.909 | 1.909 | 1.909 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 19.857 | 14.799 | 14.799 | 14.799 | 14.799 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.107 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 0.088 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 0.069 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
| 33. | दमन और दीव | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 35. | पुदुचेरी | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 |
| | जोड़ | 249.998 | 242.749 | 243.871 | 243.250 | 243.250 |

### विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2009-10 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

('000 टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आवंटन | | | | उठान | | | | % उठान | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बी.पी.एल. | ए.ए.वाई. | ए.पी.एल. | जोड़ | बी.पी.एल. | ए.ए.वाई. | ए.पी.एल. | जोड़ | बी.पी.एल. | ए.ए.वाई. | ए.पी.एल. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1,052.09 | 654.288 | 2,177.87 | 3,884.25 | 1,025.60 | 624.841 | 1,876.25 | 3,526.69 | 97.5 | 95.5 | 86.2 | 90.8 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 25.524 | 15.972 | 60.06 | 101.556 | 24.646 | 15.515 | 59.377 | 99.538 | 96.6 | 97.1 | 98.9 | 98 |
| 3. | असम | 475.224 | 295.692 | 715.0S | 1,485.97 | 472.792 | 294.94 | 632.501 | 1,400.23 | 99.5 | 99.7 | 88.5 | 94.2 |
| 4. | बिहार | 1,719.80 | 1,019.99 | 697.689 | 3,437.48 | 1,128.74 | 917.645 | 227.625 | 2,274.01 | 65.6 | 90 | 32.6 | 66.2 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 485.688 | 301.944 | 304.32 | 1,091.95 | 483.38 | 297.851 | 224.667 | 1,005.90 | 99.5 | 98.6 | 73.8 | 92.1 |
| 6. | दिल्ली | 108.696 | 63.084 | 420.768 | 592.548 | 83.294 | 51.464 | 442.517 | 577.275 | 76.6 | 81.6 | 105.2 | 97.4 |
| 7. | गोवा | 5.46 | 6.108 | 35.14 | 46.708 | 5.461 | 5.584 | 34.263 | 45.308 | 100 | 91.4 | 97.S | 97 |
| 8. | गुजरात | 481.968 | 340.08 | 796.44 | 1,618.49 | 436.233 | 309.727 | 279.504 | 1,025.46 | 90.5 | 91.1 | 35.1 | 63.4 |
| 9. | हरियाणा | 208.572 | 122.82 | 60\-9.08 | 980.472 | 194.958 | 111.564 | 195.149 | 501.671 | 93.5 | 90.8 | 30.1 | 51.2 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 133.14 | 82.74 | 281.586 | 497.466 | 125.307 | 81.899 | 254.606 | 461.812 | 94.1 | 99 | 90.4 | 92.8 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 201.696 | 107.388 | 447.72 | 756.804 | 198.378 | 100.636 | 459.84 | 758.854 | 98.4 | 93.7 | 102.7 | 100.3 |
| 12. | झारखंड | 619.956 | 385.536 | 306.3 | 1,311.79 | 585.276 | 377.555 | 75.449 | 1,038.28 | 94.4 | 97.9 | 24.6 | 79.1 |
| 13. | कर्नाटक | 810.384 | 503.892 | 853.216 | 2,167.49 | 823.56 | 512.891 | 755.741 | 2,092.19 | 101.6 | 101.8 | 88.6 | 96.5 |
| 14. | केरल | 402.348 | 250.26 | 648.996 | 1,301.60 | 402.435 | 249.106 | 581.902 | 1,233.44 | 100 | 99.5 | 89.7 | 94.8 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 1,068.22 | 664.26 | 1,298.39 | 3,030.87 | 1,326.16 | 743.101 | 884.166 | 2,953.H | 124.1 | 111.9 | 68.1 | 97.4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | महाराष्ट्र | 1,709.42 | 1,034.88 | 1,765.06 | 4,509.36 | 1,600.57 | 953.669 | 1,021.77 | 3,576.02 | 93.6 | sz.a | 57.9 | 79.3 |
| 17. | मणिपुर | 43.008 | 26.724 | 47.414 | 117.146 | 48.228 | 28.787 | 45.089 | 122.104 | 112.1 | 107.7 | 95.1 | 104.2 |
| 18. | मेघालय | 47.376 | 29.484 | 70.416 | 147.276 | 46.972 | 29.263 | 69.08 | 145.315 | 99.1 | 99.3 | 98.1 | 98.7 |
| 19. | मिज़ोरम | 17.64 | 10.92 | 54.348 | 82.908 | 16.14 | 9.62 | 49.915 | 75.675 | 91.5 | 88.1 | 91.8 | 91.3 |
| 20. | नागालैण्ड | 32.112 | 19.968 | 77.466 | 129.546 | 34.807 | 22.638 | 77.087 | 134.532 | 108.4 | 113.4 | 99.5 | 103.8 |
| 21. | ओडिशा | 1,165.57 | 531.12 | 419.16 | 2,115.85 | 1,166.10 | 536.384 | 378.217 | 2,080.70 | 100 | 101 | 90.2 | 98.3 |
| 22. | पंजाब | 121,176 | 75.36 | 1,017.38 | 1,213.92 | 112.253 | 50.17 | 825.103 | 987.526 | 92.6 | 66.6 | 81.1 | 81.4 |
| 23. | राजस्थान | 629.532 | 391.488 | 924.444 | 1,945.46 | 627.407 | 384.712 | 907.216 | 1,919.34 | 99.7 | 98.3 | 98.1 | 98.7 |
| 24. | सिक्किम | 11.304 | 6.936 | 25.98 | 44.22 | 11.301 | 7 | 25.905 | 44.206 | 100 | 100.9 | 99.7 | 100 |
| 25. | तमिलनाडु | 1,259.23 | 783.144 | 1.725.46 | 3,767.83 | 1,214.76 | 781.254 | 1,955.10 | 3,951.11 | 96.5 | 99.8 | 113.3 | 104.9 |
| 26. | त्रिपुरा | 76.38 | 47.52 | 178.104 | 302.004 | 73.998 | 48.243 | 156.935 | 279.176 | 96.9 | 101.5 | 88.1 | 92.4 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 2,765.70 | 1,719.48 | 2,554.71 | 7,039.89 | 2,633.11 | 1,664.27 | 2,157.64 | 6,455.01 | 95.2 | 96.8 | 84.5 | 91.7 |
| 28. | उत्तराखंड | 145.656 | 63.5\6 | 226,83 | 436.002 | 147.666 | 62.885 | 197.921 | 408.472 | 101.4 | 99 | 87.3 | 93.7 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 1,553.58 | 621.684 | 1,141.28 | 3,316.54 | 1,469.78 | 509.152 | 1,166.36 | 3,145.29 | 94.6 | 81.9 | 102.2 | 94.8 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 5.115 | 1.8 | 25.044 | 31.959 | 3.012 | 1.352 | 14.125 | 18.489 | 58.9 | 75.1 | 56.4 | 57.9 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 3.572 | 0.624 | 21.6 | 25.796 | 3.445 | 0.194 | 21.637 | 25.276 | 96.4 | 31.1 | 100.2 | 98 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 4.524 | 2.196 | 2.16 | 8.88 | 1.508 | 0.732 | 0.733 | 2.973 | 33.3 | 33.3 | 33.9 | 33.5 |
| 33. | दमन और दीव | 1.044 | 0.636 | 2.64 | 4.32 | 0.489 | 0.268 | 0.589 | 1.346 | 46.8 | 42.1 | 22.3 | 31.2 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.756 | 0.498 | 3.36 | 4.614 | 0.756 | 0.504 | 2.447 | 3.707 | 100 | 101.2 | 72.8 | 80.3 |
| 35. | पुदुचेरी | 21.564 | 13.548 | 18.6 | 53.712 | 16.893 | 8.943 | 6.481 | 32.317 | 78.3 | 66 | 34.8 | 60.2 |
| | जोड़ | 17,413,03 | 10,195.58 | 19,994.09 | 47,602.70 | 16,545.42 | 9.794.36 | 16,062.90 | 42,402.69 | 95 | 96.1 | 80.3 | 89.1 |

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2010-11 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

('000 टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आवंटन | | | | उठान | | | | % उठान | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बी.पी.एल. | ए.ए.वाई. | ए.पी.एल. | जोड़ | बी.पी.एल. | ए.ए.वाई. | ए.पी.एल. | जोड़ | बी.पी.एल. | ए.ए.वाई. | ए.पी.एल. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1,052.09 | 654.288 | 1,970.10 | 3,676.48 | 1,047.27 | 651.972 | 1,733 90 | 3,433.14 | 99.5 | 99.6 | 88 | 93.4 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 25.524 | 15.972 | 60.06 | 101.556 | 22.021 | 13.258 | 49.744 | 85.023 | 86.3 | 83 | 82.8 | 83.7 |
| 3. | असम | 475.224 | 295.692 | 902.21 | 1,673.13 | 467.054 | 292.276 | 832.311 | 1,591.64 | 98.3 | 98.8 | 92.3 | 95.1 |
| 4. | बिहार | 1,691.91 | 1,047.88 | 803.4 | 3,543.19 | 1,578.66 | 990.201 | 400.29 | 2,969.15 | 93.3 | 94.5 | 49.8 | 83.8 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 485.688 | 301.944 | 380.4 | 1,168.03 | 488.845 | 290.276 | 355.986 | 1,135.11 | 100.7 | 96.1 | 93.6 | 97.2 |
| 6. | दिल्ली | 108.696 | 63.084 | 423.954 | 595.734 | 102.83 | 47.692 | 456.781 | 607.303 | 94.6 | 75.6 | 107.7 | 101.9 |
| 7. | गोवा | 5.46 | 6.108 | 57.183 | 68.751 | 5.766 | 6.007 | 42.031 | 53.804 | 105.6 | 98.3 | 73.5 | 78.3 |
| 8. | गुजरात | 550.368 | 340.08 | 995.55 | 1,886.00 | 566.836 | 329.707 | 636.337 | 1,532.88 | 103 | 96.9 | 63.9 | 81.3 |
| 9. | हरियाणा | 208.572 | 122.82 | 353.85 | 685.242 | 208.278 | 119.619 | 285.2 | 613.097 | 99.9 | 97.4 | 80.6 | 89.5 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 133.14 | 82.74 | 293.108 | 508.988 | 119.519 | 82.488 | 284.455 | 486.462 | 89.8 | 99.7 | 97 | 95.6 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 201.696 | 107.388 | 448.02 | 757.104 | 199.466 | 106.211 | 443.438 | 749.115 | 98.9 | 98.9 | 99 | 98.9 |
| 12. | झारखंड | 619.965 | 385.527 | 313.92 | 1,319.41 | 568.567 | 361.799 | 102.381 | 1,032.75 | 91.7 | 93.8 | 32.6 | 78.3 |
| 13. | कर्नाटक | 810.384 | 503.892 | 946.2 | 2,260.48 | 820.164 | 455.472 | 856.404 | 2,132.04 | 101.2 | 90.4 | 90.5 | 94.3 |
| 14. | केरल | 402.348 | 250.26 | 747.038 | 1.399.65 | 410.892 | 256.364 | 705.901 | 1,373.16 | 102.1 | 102.4 | 94.5 | 98.1 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 1,068.22 | 664.26 | 877.978 | 2,610.45 | 1,321.08 | 593.133 | 793.651 | 2,707.86 | 123.7 | 89.3 | 90.4 | 103.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | महाराष्ट्र | 1,709.42 | 1,034.88 | 1,746.11 | 4,490.41 | 1,657.24 | 943.946 | 1,085.98 | 3,687.17 | 96.9 | 91.2 | 62.2 | 82.1 |
| 17. | मणिपुर | 43.008 | 26.724 | 72.112 | 141.844 | 25.881 | 17.699 | 27.629 | 71.209 | 60.2 | 66.2 | 38.3 | 50.2 |
| 18. | मेघालय | 47.376 | 29.484 | 106.068 | 182.928 | 45.893 | 29.024 | 81.688 | 156.605 | 96.9 | 98.4 | 77 | 85.6 |
| 19. | मिज़ोरम | 17.64 | 10.92 | 41.58 | 70.14 | 16.439 | 9.938 | 38.125 | 64.502 | 93.2 | 91 | 91.7 | 92 |
| 20. | नागालैण्ड | 32.112 | 19.968 | 74.796 | 126.876 | 34.868 | W.826 | 82.432 | 138.126 | 108.6 | 104.3 | 110.2 | 108.9 |
| 21. | ओडिशा | 1,165.57 | 531.12 | 525.096 | 2,221.79 | 1,118.94 | 520.996 | 412.149 | 2,OS2.09 | 96 | 98.1 | 78.5 | 92.4 |
| 22. | पंजाब | 121.176 | 75.36 | 589.812 | 786.348 | 114.963 | 51.853 | 513.891 | 680.707 | 94.9 | 68.8 | 87.1 | 86.6 |
| 23. | राजस्थान | 629.532 | 391.488 | 1,016.11 | 2,037.13 | 635.059 | 384.787 | 917.991 | 1,937.84 | 100.9 | 98.3 | 90.3 | 95.1 |
| 24. | सिक्किम | 11.304 | 6.936 | 26.01 | 44.25 | 10.49 | 6.451 | 26.059 | 43 | 92.8 | 93 | 100.2 | 97.2 |
| 25. | तमिलनाडु | 1,259.23 | 783.144 | 1,680.46 | 3,722.83 | 1,253.45 | 775.561 | 1,669.12 | 3,698.13 | 99.5 | 99 | 99.3 | 99.3 |
| 26. | त्रिपुरा | 76.38 | 47.52 | 178.722 | 302.622 | 72.264 | 45.016 | 131.74 | 149.02 | 94.6 | 94.7 | 73.7 | 82.3 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 2,765.70 | 1,719.48 | 2,463.77 | 6,948.95 | 2.816.83 | 1,679 27 | 2,059.86 | 6,555.95 | 101.8 | 97.7 | 83.6 | 94.3 |
| 28. | उत्तराखंड | 140.1 | 69.072 | 264.95 | 474.122 | 153.828 | 67.535 | 234.475 | 455.838 | 109.8 | 97.8 | 88.5 | 96.1 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 1,553.58 | 621.684 | 1,426.60 | 3,601.86 | 1,535.43 | 491.693 | 1,298.50 | 3,325.62 | 98.8 | 79.1 | 91 | 92.3 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 5.14 | 1.8 | 26.88 | 34.02 | 3.17 3 | 0.907 | 13.841 | 17.921 | 59.4 | 50.4 | 51.5 | 52.7 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 3.756 | 0.624 | 27 | 31.38 | 3.517 | 0.14 | 22.318 | 25.975 | 93.6 | 22.4 | 82.7 | 82.8 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 5.028 | 2.196 | 2.7 | 9.924 | 1.459 | 0.373 | 0.625 | 2.457 | 29 | 17 | 23.1 | 24.8 |
| 33. | दमन और दीव | 1.044 | 0.636 | 3.3 | 4.98 | 0.37 | 0.143 | 0.649 | 1.162 | 35.4 | 22.5 | 19.7 | 23.3 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.756 | 0.504 | 3.36 | 4.62 | 0.986 | 0.504 | 4.895 | 6.385 | 130.4 | 100 | 145.7 | 138.2 |
| 35. | पुदुचेरी | 21.564 | 13.548 | 21 | 56.112 | 20.48 | 12.385 | 15.57 | 48.435 | 95 | 91.4 | 74.1 | 86,3 |
| | जोड़ | 17,448.90 | 10,229.03 | 19,869.40 | 47,547 33 | 17,448.81 | 9,655.52 | 16,616.34 | 43,720.67 | 100 | 94.4 | 83.6 | 92 |

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2011-12 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आवंटन | | | | उठान | | | | % उठान | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बी.पी.एल. | ए.ए.वाई. | ए.पी.एल. | जोड़ | बी.पी.एल. | ए.ए.वाई. | ए.पी.एल. | जोड़ | बी.पी.एल. | ए.ए.वाई. | ए.पी.एल. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1,052.09 | 654.288 | 2,031.88 | 3,738.25 | 1,011.73 | 632.317 | 1,421.42 | 3,065.47 | 96.2 | 96.6 | 70 | 82 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 25.524 | 15.972 | 60.06 | 101.556 | 22.214 | 13.687 | 47.688 | 83.589 | 87 | 85.7 | 79.4 | 82.3 |
| 3. | असम | 475.224 | 295.692 | 1,035.84 | 1,806.76 | 471.582 | 293.832 | 897.337 | 1,662.75 | 99.2 | 99.4 | 86.6 | 92 |
| 4. | बिहार | 1,689.37 | 1,050.42 | 910.52 | 3,650.31 | 1,474.02 | 950.358 | 332.968 | 2,757.35 | 87.3 | 90.5 | 36.6 | 75.5 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 485.688 | 301.944 | 431.12 | 1,218.75 | 482.916 | 291.602 | 310.676 | 1,085.19 | 99.4 | 96.6 | 72.1 | 89 |
| 6. | दिल्ली | 108.696 | 63.084 | 426.078 | 597.858 | 103.716 | 40.467 | 401.112 | 545.295 | 95.4 | 64.1 | 94.1 | 91.2 |
| 7. | गोवा | 5.532 | 6.108 | 48.676 | 60.316 | 5.363 | 6.16 | 48.898 | 60.421 | 96.9 | 100.9 | 100.5 | 100.2 |
| 8. | गुजरात | 550.368 | 340.08 | 1,128.29 | 2,018.74 | 502.909 | 329.426 | 410.464 | 1,242.80 | 91.4 | 96.9 | 36.4 | 61.6 |
| 9. | हरियाणा | 208.572 | 122.82 | 401.03 | 732.422 | 223.97 | 116.173 | 246.288 | 586.431 | 107.4 | 94.6 | 61.4 | 80.1 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 133.14 | 82.74 | 303.266 | 519.146 | 129.944 | 81.365 | 301.354 | 512.663 | 97.6 | 98.3 | 99.4 | 98.8 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 201.696 | 107.388 | 447.72 | 756.804 | 203.517 | 107.652 | 432.316 | 743.485 | 100.9 | 100.2 | 96.6 | 98.2 |
| 12. | झारखंड | 619.968 | 385.524 | 333.54 | 1,339.03 | 591.889 | 376.44 | 53.709 | 1,022.04 | 95.5 | 97.6 | 16.1 | 76.3 |
| 13. | कर्नाटक | 814.73 | 499.546 | 1,072.37 | 2,386.65 | 787.186 | 490.513 | 956.913 | 2,234.61 | 96.6 | 98.2 | 89.2 | 93.6 |
| 14. | केरल | 402.348 | 250.26 | 779.066 | 1,431.67 | 402.063 | 249.383 | 777.361 | 1,428.81 | 99.9 | 99.6 | 99.8 | 99.8 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 1,068.22 | 664.26 | 948.26 | 2,680.74 | 1,389.28 | 642.184 | 621.952 | 2,653.42 | 130.1 | 96.7 | 65.6 | 99 |
| 16. | महाराष्ट्र | 1,709.42 | 1,034.88 | 1,902.81 | 4,647.11 | 1,608.60 | 913.181 | 1,017.47 | 3,539.25 | 94.1 | 88.2 | 53.5 | 76.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | मणिपुर | 43.008 | 26.724 | 90.714 | 160.446 | 54.368 | 33.606 | 56.91 | 144.884 | 126.4 | 125.8 | 62.7 | 90.3 |
| 18. | मेघालय | 47.376 | 29.484 | 104.836 | 181.696 | 47.092 | 29.673 | 105.925 | 182.69 | 99.4 | 100.6 | 101 | 100.5 |
| 19. | मिज़ोरम | 17.64 | 10.92 | 41.58 | 70.14 | 16.59 | 10.121 | 39.522 | 66.233 | 94 | 92.7 | 95.1 | 94.4 |
| 20. | नागालैण्ड | 32.112 | 19.968 | 74.796 | 126.876 | 34.517 | 21.722 | 83.855 | 140.094 | 107.5 | 108.8 | 112.1 | 110.4 |
| 21. | ओडिशा | 1,165.57 | 531.12 | 422.216 | 2,118.91 | 1,155.17 | 521.182 | 381.656 | 2,058.01 | 99.1 | 91.1 | 90.4 | 97.1 |
| 22. | पंजाब | 121.176 | 75.36 | 617.564 | 814.1 | 115.518 | 54.871 | 515.966 | 686.355 | 95.3 | 72.8 | 83.5 | 84.3 |
| 23. | राजस्थान | 629.532 | 391.488 | 1,094.12 | 2,115.14 | 620.447 | 387.224 | 1,071.02 | 2,078.69 | 98.6 | 91.9 | 97.9 | 98.3 |
| 24. | सिक्किम | 11.304 | 6.936 | 26.03 | 44.27 | 12.166 | 7.252 | 25.518 | 44.936 | 107.6 | 104.6 | 98 | 101.5 |
| 25. | तमिलनाडु | 1,259.23 | 783.144 | 1,680.46 | 3,722.83 | 1,247.25 | 770.227 | 1,683.15 | 3,700.63 | 99 | 98.4 | 100.2 | 99.4 |
| 26. | त्रिपुरा | 76.38 | 47.52 | 184.134 | 308.034 | 77.571 | 47.465 | 150.345 | 275.381 | 101.6 | 99.9 | 81.6 | 89.4 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 2,765.70 | 1,719.48 | 2,629.41 | 7,114.59 | 2,924.16 | 1,711.99 | 2,009.19 | 6,645.33 | 105.7 | 99.6 | 76.4 | 93.4 |
| 28. | उत्तराखंड | 128.988 | 80.184 | 292.53 | 501.702 | 125.013 | 76.354 | 255.509 | 456.876 | 96.9 | 95.2 | 87.3 | 91.1 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 1,553.58 | 621.684 | 1,588.49 | 3,763.75 | 1,428.51 | 484.786 | 1,367.91 | 3,281.21 | 91.9 | 78 | 86.1 | 87.2 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 5.34 | 1.8 | 26.88 | 34.02 | 3.928 | 0.909 | 11.189 | 16.026 | 73.6 | 50.5 | 41.6 | 47.1 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 3.756 | 0.624 | 30.6 | 34.98 | 3.492 | 0.125 | 30.599 | 34.216 | 93 | 20 | 100 | 97.8 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 5.028 | 2.196 | 3.06 | 10.284 | 5.125 | 2.459 | 2.663 | 10.247 | 101.9 | 112 | 87 | 99.6 |
| 33. | दमन और दीव | 1.044 | 0.636 | 3.75 | 5.43 | 1.748 | 0.571 | 2.35 | 4.669 | 167.4 | 89.8 | 62.7 | 86 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.756 | 0.504 | 3.36 | 4.62 | 0.756 | 0.504 | 2.793 | 4.053 | 100 | 100 | 83.1 | 87.7 |
| 35. | पुदुचेरी | 21.564 | 13.548 | 23.8 | 58.912 | 18.716 | 12.759 | 16.341 | 47.816 | 86.8 | 94.2 | 68.7 | 81.2 |
| | जोड़ | 17,439.67 | 10,238.33 | 21,198.85 | 48,876.85 | 17,303.04 | 9,708.54 | 16,090.34 | 43,101.92 | 99.2 | 94.8 | 75.9 | 88.2 |

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2012-13 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आवंटन | | | | उठान | | | | % उठान | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बी.पी.एल. | ए.ए.वाई. | ए.पी.एल. | जोड़ | बी.पी.एल. | ए.ए.वाई. | ए.पी.एल. | जोड़ | बी.पी.एल. | ए.ए.वाई. | ए.पी.एल. | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1,052.09 | 654.288 | 2,116.44 | 3,822.82 | 1,054.28 | 643.499 | 1,432.46 | 3,130.Z3 | 100.2 | 98.4 | 67.7 | 81.9 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 25.524 | 15.972 | 60.06 | 101.556 | 25.021 | 15.845 | 57.51 | 98.376 | 98 | 99.2 | 95.8 | 96.9 |
| 3. | असम | 475.224 | 295.692 | 1,115.94 | 1,886.86 | 471.387 | 293.585 | 1,066.03 | 1,831.00 | 99.2 | 99.3 | 95.5 | 97 |
| 4. | बिहार | 1,689.37 | 1,050.42 | 964.08 | 3,703.87 | 1,446.37 | 1.012.06 | 180.982 | 2.639.41 | 85.6 | 96.3 | 18.8 | 71.3 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 485.688 | 301.944 | 456.48 | 1.244.11 | 48.1.691 | 301.944 | 394.943 | 1.178.58 | 99.2 | 100 | 86.5 | 94.7 |
| 6. | दिल्ली | 108.696 | 63.084 | 427.14 | 598.92 | 111.757 | 45.184 | 409.836 | 566.777 | 102.8 | 71.6 | 95.9 | 94.6 |
| 7. | गोवा | 5.532 | 6.108 | 51.396 | 63.036 | 5.567 | 6.108 | 51.234 | 62.909 | 100.6 | 100 | 99.7 | 99.8 |
| 8. | गुजरात | 550.368 | 340.08 | 1.194.66 | 2.085.11 | 515.13 | 317.885 | 432.489 | 1,265.50 | 93.6 | 93.5 | 36.2 | 60.7 |
| 9. | हरियाणा | 208.572 | 122.82 | 424.62 | 756.012 | 217.032 | 121.43 | 126.953 | 465.415 | 104.1 | 98.9 | 29.9 | 61.6 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 133.14 | 82.74 | 312.06 | 527.94 | 129.282 | 83.078 | 312.567 | 524.927 | 97.1 | 100.4 | 100.2 | 99.4 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 201.696 | 107.388 | 447.72 | 756.804 | 202.39 | 107.658 | 450.596 | 760.644 | 100.3 | 100.3 | 100.6 | 100.5 |
| 12. | झारखंड | 619.968 | 385.524 | 353.16 | 1,358.65 | 591.601 | 370.771 | 15.379 | 977.751 | 95.4 | 96.2 | 4.4 | 72 |
| 13. | कर्नाटक | 836.46 | 477.816 | 1,492.65 | 2,806.93 | 819.167 | 433.96 | 1,051.28 | 2,304.40 | 97.9 | 90.8 | 70.4 | 82.1 |
| 14. | केरल | 402.348 | 250.26 | 820.08 | 1,472.69 | 400.476 | 250.045 | 822.663 | 1,473.18 | 99.5 | 99.9 | 100.3 | 100 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 1,068.13 | 664.26 | 1.004.04 | 2,736.43 | 1,964.37 | 814.104 | 773.306 | 3,551.78 | 183.9 | 122.6 | 77 | 129.8 |
| 16. | महाराष्ट्र | 1,709.42 | 1,034.88 | 2,074.74 | 4,819.04 | 1,610.47 | 949.458 | 1.164.26 | 3.724.19 | 94.2 | 91.7 | 56.1 | 77.3 |
| 17. | मणिपुर | 43.008 | 26.724 | 101.22 | 170.952 | 43.431 | 26.704 | 102.526 | 172.661 | 101 | 99.9 | 101.3 | 101 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | मेघालय | 47.376 | 29.484 | 111.72 | 188.58 | 47.376 | 29.421 | 112.803 | 189.6 | 100 | 99.8 | 101 | 100.5 |
| 19. | मिज़ोरम | 17.64 | 10.92 | 41.58 | 70.14 | 16.79 | 10.17 | 39.578 | 66.538 | 95.2 | 93.1 | 95.2 | 94.9 |
| 20. | नागालैण्ड | 32.112 | 19.968 | 74.796 | 126.876 | 35.051 | 22.558 | 78.344 | 135.953 | 109.2 | 113 | 104.7 | 107.2 |
| 21. | ओडिशा | 1,165.57 | 531.12 | 497.574 | 2.194.27 | 1,171.60 | 518.381 | 430.531 | 2,120.51 | 100.5 | 97.6 | 86.5 | 96.6 |
| 22. | पंजाब | 121.176 | 75.36 | 631.44 | 827.976 | 105.557 | 51.001 | 457.406 | 613.964 | 87.1 | 67.7 | 72.4 | 74.2 |
| 23. | राजस्थान | 629.532 | 391.488 | 1,158.48 | 2,179.50 | 622.776 | 382.423 | 1,44.09 | 2,149.29 | 98.9 | 97.7 | 98.8 | 98.6 |
| 24. | सिक्किम | 11.304 | 6.936 | 26.04 | 44.28 | 12.202 | 6.907 | 25.937 | 45.046 | 107.9 | 99.6 | 99.6 | 101.7 |
| 25. | तमिलनाडु | 1,259.23 | 783.144 | 1,680.46 | 3,722.83 | 1,277.85 | 779.93 | 1.576.72 | 3,634.50 | 101.5 | 99.6 | 93.8 | 97.6 |
| 26. | त्रिपुरा | 76.38 | 47.52 | 180.936 | 304.836 | 74.451 | 47.846 | 166.994 | 289.291 | 97.5 | 100.7 | 92.3 | 94.9 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 2,765.70 | 1.719.48 | 2,783.34 | 7,268.52 | 2,792.28 | 1,698.09 | 2,077.64 | 6.568.02 | 101 | 98.8 | 74.6 | 90.4 |
| 28. | उत्तराखंड | 128.988 | 80.184 | 408.82 | 617.992 | 129.161 | 79.687 | 387.709 | 596.557 | 100.1 | 99.4 | 94.8 | 96.5 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 1,553.58 | 621.684 | 1.681.93 | 3,857.20 | 1.553.51 | 579.504 | 1.483.73 | 3,616.75 | 100 | 93.2 | 88.2 | 93.8 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 5.34 | 1.8 | 26.88 | 34.02 | 2.701 | 0.761 | 11.446 | 14.908 | 50.6 | 42.3 | 42.6 | 43.8 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 3.756 | 0.624 | 32.4 | 36.78 | 3.712 | 0.135 | 29.582 | 33.429 | 98.8 | 21.6 | 91.3 | 90.9 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 5.028 | 2.196 | 3.24 | 10.464 | 5.036 | 2.22 | 3.243 | 10.499 | 100.2 | 101.1 | 100.1 | 100.3 |
| 33. | दमन और दीव | 1.044 | 0.636 | 3.972 | 5.652 | 1.097 | 0.664 | 2.769 | 4.53 | 105.1 | 104.4 | 69.7 | 80.1 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.756 | 0.504 | 5.36 | 6.62 | 0.742 | 0.504 | 4.46 | 5.706 | 98.1 | 100 | 83.2 | 86.2 |
| 35. | पुदुचेरी | 21.564 | 13.548 | 25.2 | 60.312 | 20.348 | 12.128 | 20.837 | 53.313 | 94.4 | 89.S | 82.7 | 88.4 |
| | जोड़ | 17,461.31 | 10.216.60 | 22.790.65 | 50.468.56 | 17,961.65 | 10.015.64 | 16.898.83 | 44,876.12 | 102.9 | 98 | 74.1 | 88.9 |

*विवरण-III*

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 2009-10 से 2010-11 के दौरान किए गए विशेष तदर्थ आबंटन के खाद्यान्नों का आबंटन और उठान*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2009-10 | | | | | | 2010-11 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटन की तारीख जनवरी, 2010 @ न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित/ व्युत्पन्न कीमत | | % उठान | 8.45 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 11.86 रुपए प्रति किलोग्राम चावल की दर पर 19.5.2010 की ए.ए.वाई./बी.पी.एल./ ए.पी.ए. के लिए आबंटन | | % उठान | 8.45 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 11.85 रुपए प्रति किलोग्राम चावल की दर पर 6.1.2011 को ए.पी.ए. के लिए आबंटन | | % उठान | बी.पी.एल. निर्मम मूल्य की दर पर 7.9.2010 और 6.1.2011 को किया गया बी.पी.एल. आबंटन | | % उठान |
| | | आबंटन | उठान | | आबंटन | उठान | | आबंटन | उठान | | आबंटन | उठान | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 316.420 | 125.563 | 39.7 | 268.957 | 3.706 | 1.4 | 255.220 | 12.532 | 4.9 | 511.570 | 510.338 | 99.8 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4.840 | 0 | 0.0 | 4.114 | 2.190 | 53.2 | 3.104 | 2.404 | 77.4 | 12.592 | 7.180 | 57.0 |
| 3. | असम | 89.860 | 23.236 | 25.9 | 196.381 | 82.018 | 41.8 | 282.673 | 111.622 | 39.5 | 290.794 | 171.081 | 58.8 |
| 4. | बिहार | 237.580 | 0 | 0.0 | 201.943 | 24.960 | 12.4 | 116.258 | 20.751 | 17.8 | 500.214 | 325.882 | 65.1 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 88.220 | 50.367 | 57.1 | 149.974 | 41.787 | 27.9 | 205.047 | 143.700 | 70.1 | 143.784 | 194.411 | 135.2 |
| 6. | दिल्ली | 55.640 | 21.798 | 39.2 | 47.294 | 22.640 | 47.9 | 51.509 | 0 | 0.0 | 31.364 | 23.369 | 74.5 |
| 7. | गोवा | 6.400 | 0 | 0.0 | 5.440 | 0.002 | 0.0 | 5.904 | 3.007 | 50.9 | 3.680 | 3.374 | 91.7 |
| 8. | गुजरात | 175.140 | 9.025 | 5.2 | 148.869 | 16.141 | 10.8 | 144.063 | 14.590 | 10.1 | 162.572 | 132.874 | 81.7 |
| 9. | हरियाणा | 62.960 | 15.418 | 24.5 | 53.516 | 16.280 | 30.4 | 51.205 | 36.806 | 71.9 | 60.504 | 22.076 | 36.5 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 25.140 | 6.043 | 24.0 | 21.369 | 21.084 | 98.7 | 16.128 | 14.620 | 90.6 | 39.416 | 29.491 | 74.8 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 36.040 | 32.258 | 89.5 | 30.634 | 30.983 | 101.1 | 63.139 | 51.333 | 81.3 | 56.440 | 56.970 | 100.9 |
| 12. | झारखंड | 87.120 | 0 | 0.0 | 74.052 | 8.363 | 11.3 | 42.587 | 0.764 | 1.8 | 183.584 | 126.175 | 68.7 |
| 13. | कर्नाटक | 188.740 | 73.685 | 39.0 | 160.429 | 51.525 | 32.1 | 136.922 | 12.552 | 9.2 | 239.946 | 233.571 | 97.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | केरल | 122.200 | 8.242 | 6.7 | 153.870 | 116.062 | 75.4 | 179.893 | 127.906 | 71.1 | 125.653 | 125.553 | 99.9 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 194.060 | 0 | 0.0 | 164.951 | 13.322 | 8.1 | 121.077 | 11.933 | 9.9 | 516.324 | 6.668 | 1.3 |
| 16. | महाराष्ट्र | 354.540 | 0 | 0.0 | 301.359 | 40.694 | 13.5 | 242.956 | 27.145 | 11.2 | 501.060 | 286.014 | 57.1 |
| 17. | मणिपुर | 8.140 | 6.467 | 79.4 | 6.919 | 0 | 0.0 | 5.231 | 6.070 | 116.0 | 17.730 | 16.921 | 95.4 |
| 18. | मेघालय | 8.980 | 2.335 | 26.0 | 7.633 | 7.843 | 102.8 | 5.773 | 5.517 | 95.6 | 19.034 | 11.200 | 58.8 |
| 19. | मिज़ोरम | 3.340 | 3.340 | 100.0 | 5.678 | 2.781 | 49.0 | 18.149 | 17.599 | 97.0 | 10.214 | 11.436 | 112.0 |
| 20. | नागालैण्ड | 6.040 | 1.816 | 30.1 | 10.268 | 2.941 | 28.6 | 13.864 | 9.354 | 67.5 | 14.510 | 15.132 | 104.3 |
| 21. | ओडिशा | 135.820 | 5.693 | 4.2 | 115.447 | 0.135 | 0.1 | 75.819 | 12.006 | 15.8 | 252.906 | 190.414 | 75.3 |
| 22. | पंजाब | 79.520 | 0 | 0.0 | 67.592 | 59.295 | 87.7 | 276.145 | 70.905 | 25.7 | 35.888 | 28.664 | 79.9 |
| 23. | राजस्थान | 177.340 | 46.641 | 26.3 | 301.478 | 191.769 | 63.6 | 239.700 | 186.653 | 77.9 | 236.420 | 221.277 | 93.6 |
| 24. | सिक्किम | 2.100 | 0.938 | 44.7 | 2.285 | 1.277 | 55.9 | 1.646 | 0.841 | 51.1 | 4.498 | 4.499 | 100.0 |
| 25. | तमिलनाडु | 277.640 | 258.361 | 93.1 | 235.994 | 129.465 | 54.9 | 195.767 | 34.731 | 17.7 | 372.918 | 353.252 | 94.7 |
| 26. | त्रिपुरा | 14.440 | 0 | 0.0 | 12.274 | 0 | 0.0 | 9.269 | 0 | 0.0 | 22.622 | 22.623 | 100.0 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 522.830 | 0 | 0.0 | 444.406 | 114.226 | 25.7 | 335.641 | 4.160 | 1.2 | 818.880 | 508.498 | 62.1 |
| 28. | उत्तराखंड | 24.380 | 0 | 0.0 | 20.723 | 4.034 | 19.5 | 165.65 | 93.453 | 56.4 | 38.188 | 15.300 | 40.1 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 290.460 | 228.988 | 78.8 | 246.891 | 223.416 | 90.5 | 202.822 | 143.610 | 70.8 | 397.152 | 291.327 | 73.4 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1.620 | 0 | 0.0 | 1.377 | 0 | 0.0 | 1.150 | 0 | 0.0 | 2.146 | 0.455 | 21.2 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 4.060 | 0 | 0.0 | 3.451 | 0 | 0.0 | 3.907 | 3.116 | 79.8 | 1.764 | 0.555 | 31.5 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 0.720 | 0.720 | 100.0 | 0.612 | 0 | 0.0 | 0.391 | 0.391 | 100.0 | 1.382 | 0.692 | 50.1 |
| 33. | दमन और दीव | 0.510 | 0.300 | 58.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.478 | 0 | 0.0 | 0.268 | 0.112 | 41.8 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.220 | 0.220 | 100.0 | 0.187 | 0 | 0.0 | 0.174 | 0.724 | 416.1 | 0.230 | 0 | 0.0 |
| 35. | पुदुचेरी | 4.480 | 0.406 | 9.1 | 3.808 | 0.309 | 8.1 | 3.039 | 4.228 | 139.1 | 6.442 | 1.567 | 24.3 |
| | सकल जोड़ | 3607.540 | 921.860 | 25.6 | 3066.410# | 1229.248 | 40.1 | 2500.000# | 1185.023 | 47.4 | 5000.004# | 3948.951 | 79.0 |

#समग्र आबंटनों में से न उठाई गई मात्रा से किए गए पुन: आबंटन के कारण कतिपय मामलों में राज्यों को किए गए आबंटन में दर्शाए गए सकल जोड़ के साथ कुल को जोड़ा नहीं जा सकता है।

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2011-12 | | | | | | 2012-13 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बी.पी.एल. निर्गम मूल्य पर 16.5.2011 को किया गया बी.पी.एल. आबंटन | | % उठान | निर्धनतम जिलों को किया गया बी.पी.एल./ ए.ए.वाई. आबंटन $ | | % उठान | बी.पी.एल. निर्गम मूल्यों पर जुलाई, 2012 में किया गया बी.पी.एल. आबंटन $ | | % उठान | निर्धनतम जिलों को किया गया बी.पी.एल./ ए.ए.वाई. आबंटन $ | | % उठान |
| | | आबंटन | उठान | | आबंटन | उठान | | आबंटन | उठान | | आबंटन | उठान | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 311.570 | 297.194 | 95.4 | 116.797 | 115.093 | 98.5 | 311.57 | 212.285 | 68.1 | 14.244 | 11.698 | 82.1 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 7.592 | 6.009 | 79.1 | 0.737 | 0.737 | 100.0 | 7.592 | 5.968 | 78.6 | 0.307 | 0.118 | 0.0 |
| 3. | असम | 220.794 | 199.829 | 90.5 | 15.34 | 14.544 | 94.8 | 190.794 | 131.8 | 69.1 | 26.273 | 19.739 | 75.1 |
| 4. | बिहार | 600.214 | 474.766 | 79.1 | 596.511 | 312.511 | 52.4 | 500.213 | 226.318 | 45.2 | 595.395 | 267.211 | 44.9 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 143.784 | 143.434 | 99.8 | 131.952 | 135.836 | 102.9 | 143.784 | 106.714 | 74.2 | 307.274 | 275.102 | 89.5 |
| 6. | दिल्ली | 31.364 | 29.976 | 95.6 | 0 | 0 | 0.0 | 31.364 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7. | गोवा | 3.680 | 3.849 | 104.6 | 0 | 0 | 0.0 | 3.68 | 2.173 | 59.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8. | गुजरात | 162.572 | 163.038 | 100.3 | 51.502 | 51.886 | 100.7 | 321.472 | 194.836 | 60.6 | 21.455 | 13.508 | 0.0 |
| 9. | हरियाणा | 60.504 | 39.618 | 65.5 | 9.739 | 3.391 | 34.8 | 60.504 | 59.606 | 98.5 | 7.184 | 3.969 | 55.4 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 39.416 | 27.489 | 69.7 | 11.537 | 11.4198 | 99.0 | 39.416 | 19.702 | 50.0 | 11.537 | 8.21 | 71.2 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 56.440 | 52.369 | 92.8 | 11.757 | 10.654 | 90.6 | 56.44 | 20.872 | 37.0 | 14.255 | 14.253 | 100.0 |
| 12. | झारखंड | 183.584 | 86.158 | 46.9 | 132.229 | 117.54 | 88.9 | 183.584 | 107.757 | 58.7 | 131.781 | 108.183 | 82.1 |
| 13. | कर्नाटक | 239.946 | 239.989 | 100.0 | 31.395 | 31.37 | 99.9 | 239.946 | 216.907 | 90.4 | 31.395 | 30.182 | 96.1 |
| 14. | केरल | 119.168 | 119.092 | 99.9 | 5.068 | 5.068 | 100.0 | 306.104 | 176.009 | 57.5 | 1.232 | 1.232 | 0.0 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 316.324 | 270.063 | 85.4 | 278.044 | 113.963 | 41.0 | 316.324 | 0 | 0.0 | 206.62 | 0 | 0.0 |
| 16. | महाराष्ट्र | 501.060 | 294.409 | 58.8 | 105.812 | 84.957 | 80.3 | 501.059 | 222.847 | 44.5 | 0 | 0 | 0.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | मणिपुर | 12.730 | 12.73 | 100.0 | 1.215 | 1.199 | 98.7 | 12.730 | 10.160 | 79.8 | 0.381 | 0.374 | 0.0 |
| 18. | मेघालय | 14.033 | 14.213 | 101.3 | 1.719 | 1.308 | 76.1 | 14.033 | 12.04 | 85.8 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19. | मिजोरम | 10.214 | 8.542 | 83.6 | 0.159 | 0.159 | 100.0 | 9.594 | 8.008 | 83.5 | 0.159 | 0.159 | 100.0 |
| 20. | नागालैण्ड | 19.510 | 19.615 | 100.5 | 0.315 | 0.376 | 119.4 | 17.01 | 17.075 | 100.4 | 0.315 | 0.254 | 80.6 |
| 21. | ओडिशा | 252.906 | 151.273 | 59.8 | 143.933 | 143.702 | 99.8 | 252.906 | 161.609 | 63.9 | 204.647 | 112.241 | 64.8 |
| 22. | पंजाब | 35.888 | 34.235 | 95.4 | 1.839 | 1.839 | 100.0 | 35.888 | 0 | 0.0 | 1.839 | 0 | 0.0 |
| 23. | राजस्थान | 186.420 | 179.772 | 96.4 | 99.054 | 70.182 | 70.9 | 186.42 | 141.755 | 76.0 | 81.278 | 78.217 | 96.2 |
| 24. | सिक्किम | 10.778 | 6.286 | 58.3 | 0.264 | 0.169 | 64.0 | 3.298 | 2.573 | 78.0 | 0.44 | 0.441 | 100.2 |
| 25. | तमिलनाडु | 377.918 | 378.43 | 100.1 | 40.948 | 40.359 | 98.6 | 508.918 | 452.559 | 88.9 | 40.948 | 39.285 | 95.9 |
| 26. | त्रिपुरा | 22.622 | 22.093 | 97.7 | 2.734 | 2.23 | 81.6 | 34.071 | 20.248 | 59.4 | 1.746 | 1.746 | 100.0 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 818.880 | 629.003 | 76.8 | 316.724 | 299.744 | 94.6 | 818.879 | 613.275 | 74.9 | 159.556 | 97.642 | 61.2 |
| 28. | उत्तराखंड | 38.188 | 31.891 | 83.5 | 2602 | 2.598 | 99.8 | 38.188 | 29.952 | 78.4 | 1.681 | 1.681 | 100.0 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 397.152 | 325.987 | 82.1 | 259.315 | 130.411 | 50.3 | 397.152 | 293.073 | 73.8 | 259.315 | 36.713 | 14.2 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 2.146 | 1.820 | 84.8 | 0 | 0 | 0.0 | 2.146 | 0.667 | 31.1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 1.764 | 1.635 | 92.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1.764 | 0.588 | 33.3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 1.382 | 0.017 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1.382 | 0.255 | 18.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33. | दमन और दीव | 0.268 | 0.032 | 11.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.268 | 0.165 | 61.6 | 0 | 0 | 0.0 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.230 | 0.230 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.23 | 0.207 | 90.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 35. | पुदुचेरी | 10.711 | 8.492 | 79.3 | 0 | 0 | 0.0 | 6.442 | 3 | 46.6 | 0 | 0 | 0.0 |
| | सकल जोड़ | 5000.004# | 4273.568 | 85.5 | 2369.241 | 1703.246 | 71.9 | 5000.000# | 3471.003 | 69.4 | 2121.237 | 1122.158 | 52.9 |

$विशेष आबंटन की तुलना में उठान फरवरी, 2013 तक का है तथा निर्धनतम जिलों को किए गए आबंटन के प्रति उठान मार्च, 2013 तक का है।

#समग्र आबंटनों में से न उठाई गई मात्रा से किए गए पुन: आबंटन के कारण कतिपय मामलों में राज्यों को किए गए आबंटन में दर्शाए गए सकल जोड़ के साथ कुल को जोड़ा नहीं जा सकता है।

*[अनुवाद]*

नि:शक्तता, जागरूक कार्यक्रम

6495. **श्रीमती मेनका गांधी:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में नि:शक्त व्यक्तियों को अपने अधिकारों और प्राप्त किए जाने वाले अवसरों के बारे में जागरूक बनाने के लिए नि:शक्तता जागरूक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं:

**सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक):** (क) से (ग) नि:शक्त व्यक्तियों को उपलब्ध अधिकारों और अवसरों के प्रति उन्हें जागरूक किया जाना एक सतत प्रक्रिया है जो सरकार द्वारा निष्पादित की जाती है। पिछड़े क्षेत्रों सहित देश के सभी भागों में ऑल इण्डिया रेडियो प्रायोजित कार्यक्रम (संवरती जाएं जीवन की राहें) जैसे उपायों के माध्यम से नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, विकलांगता के क्षेत्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत सात राष्ट्रीय संस्थान, मुख्य आयुक्त नि:शक्त व्यक्ति, भारतीय पुनर्वास परिषद और राष्ट्रीय न्यास नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में जागरूकता सृजन कार्यक्रम चलाते हैं।

ऑटिज्म, प्रमस्तिक अंगघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास 2009 से प्रत्येक वर्ष अपनी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा सूचना का प्रसार करने के लिए बढ़ते कदम नामक एक अखिल भारतीय चल विकलांगता जागरूकता प्रदर्शनी आयोजित करता है। अभियान के एक भाग के रूप में जागरूकता रैली, मेले, खेल, प्रदर्शनियों, नुक्कड़ नाटक, नृत्य प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता इत्यादि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

*[हिन्दी]*

गुमशुदा/अपहृत बच्चों के संबंध में एन.एच.आर.सी. रिपोर्ट

6496. **श्री कपिल मुनि करवारिया:**

**श्री सुदर्शन भगत:**

**श्री पन्ना लाल पुनिया:**

**श्री राम सुन्दर दास:**

**श्री जगदीश ठाकोर:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुमशुदा/अपहृत बच्चों की कुल संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से राज्य-वार ऐसे कितने बच्चों का पता लगाया गया और कितने बच्चों को उनके परिवारों को सौंपा गया;

(ख) क्या सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) से देश में गुमशुदा/अपहृत बच्चों की बढ़ती संख्या के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना अभी तक पूरी तरह कार्यान्वित नहीं की गई है। इस समय लापता बच्चों के संबंध में सी.सी.टी.एन.एस. के जरिए पता लगाने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने व्यावहारिक दिशा निर्देशों को तैयार करने की दृष्टि से लापता बच्चों के मुद्दे की गहराई से जांच करने के लिए 12 फरवरी, 2007 को एक समिति गठित की थी, जो लापता बच्चों का पता लगाने एवं उनको उनके परिवारों को या एजेंसियों/सहायक प्रणालियों को वापस करने के कार्य को सुगम बनाएगा जहां उनकी देखभाल की जा सकती है तथा उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। समिति की सिफारिशों की प्रति कार्रवाई हेतु केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी गयी थी।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इस प्रकार, अपराध की रोकथाम करने, उसका पता लगाने, पंजीकरण करने, जाँच करने तथा अभियोजन की कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

गृह मंत्रालय ने 'दुर्व्यापार रोकने' तथा 'बच्चों का पता लगाने' के लिए आवश्यक उपायों के बारे में एक विस्तृत परामर्शी पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2012 को जारी किया है। इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दुर्व्यापार रोकने तथा बच्चों का पता लगाने के लिए आवश्यक विभिन्न उपायों के बारे में भी सलाह दी गई है। इनमें रिकॉर्डों का कम्प्यूटरीकरण, डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग, गैर-सरकारी संगठनों एवं अन्य

संगठनों की सहभागिता, लापता बच्चों का पता लगाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आदि शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने मानव दुर्व्यापार के संगठित अपराध के पहलू से कारगर ढंग से निपटने के तोर-तरीके एवं प्रक्रियाओं के बारे में विधि प्रवर्तन एजेंसियों को दिशानिर्देश देने के लिए दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को एक परामर्शी पत्र जारी किया है।

गृह मंत्रालय ने 'लापता बच्चों के बारे में 29 अक्तूबर, 2012 दूसरा परामर्शी पत्र जारी किया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे लापता बच्चों के बारे में देशव्यापी ऑनलाइन डाटाबेस 'ट्रैक चाइल्ड' का हिस्सा बनें जो पहले ही कार्यशील हो गया है। राज्य में प्रत्येक पुलिस थाने में एक बाल किशोर अधिकारी नियुक्त करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश देने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित एक परामर्शी पत्र भी दिनांक 02.12.2011 को जारी किया गया है। देश के संबंधित जिलों में विशेष किशोर पुलिस यूनिटों की स्थापना करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

बच्चों के प्रति अपराध के संबंध में दिनांक 14 जुलाई, 2010 को एक परामर्शी पत्र सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी किया गया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूलों/संस्थानों, छात्रों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे सार्वजनिक परिवहन, बच्चों के पार्क/खेल के मैदानों, आवासीय स्थानों/सड़कों आदि में सुरक्षा स्थितियाँ बेहतर करने हेतु हर संभव उपाय सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। यह भी सलाह दी गई है कि अपराध की अधिक संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए तथा ऐसे क्षेत्रों में उल्लंघनों की मानीटरिंग करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जानी चाहिए ताकि छात्रों विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

*[अनुवाद]*

**नक्सल विरोधी अभियानों में नागरिकों का मारा जाना**

**6497. श्री पी. कुमार:**

**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी रिपोर्टें हैं कि नक्सल विरोधी अभियानों में निर्दोष नागरिक मारे जा रहा है;

(ख) यदि हां, गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि देश के अधिकांश गांववालों ने शिकायत की है कि नक्सलवादी उन्हें ढाल के रूप में प्रयोग कर रहे थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) नक्सल-रोधी कार्रवाईयों के दौरान सुरक्षा बलों के विरुद्ध मानवाधिकार के उल्लंघन की छिटपुट शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे आरोप सामान्यत: वामपंथी चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी के बाद सामने आते हैं। एक ऐसा आरोप छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सरकेगुडा में हुई दिनांक 28 जून, 2012 की घटना से संबंधित है, जिसमें सुरक्षा बलों और आरोपित माओवादी कैडर के लोगों के बीच गोलीबारी के दौरान 17 व्यक्ति मारे गए थे और 6 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे।

उक्त घटना से संबंधित विभिन्न आरोपों के मद्देनजर, छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री बी.के. अग्रवाल की अध्यक्षता में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।

मानवाधिकार के कथित उल्लंघन के आरोप के संदर्भ में यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता है कि मानवाधिकार संगठन होने का दावा करने वाले सी.पी.आई. (माओवादी) पार्टी के अनेक अग्रणी संगठन सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने और हतोत्साहित करने के लिए उनके विरुद्ध आधारहीन और दुष्प्रेरित होकर आरोप लगाते हैं। वास्तव में, दुष्प्रचार (प्रोपेगैंडा) और गलत सूचना देना माओवादी विद्रोह के महत्वपूर्ण हथियार हैं जिनका वो समय-समय पर प्रभावी रूप से प्रयोग करते हैं। एक ऐसी गलत सूचना की तकनीक, माओवादियों से सहानुभूति रखने वाले लोगों सेबने फैक्ट फाइन्डिंग टीमों (एफ.एफ.टी.) को भेजने के लिए है, जो कि मुख्य धारा की मीडिया के समक्ष घटनाओं की पक्षपात पूर्ण तस्वीर रखते हैं। अत:, इस आशय से लगाए गए मानवाधिकार के आरोपों को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वास्तव में, लोगों को यह तत्य कम ही पता है कि वर्ष 2001 से अब तक वामपंथी चरम पंथियों ने 5847 नागरिकों और 2097 सुरक्षाकर्मियों को मार दिया है।

(ग) और (घ) ऐसे आरोप हैं कि नक्सली गुट सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान नागरिकों का उपयोग मानव-ढाल के रूप में करते हैं। ऐसे आरोप अनेक अवसरों पर सही पाए गए हैं।

केंद्रीय सशस्त्र बलों (सी.ए.पी.एफ.) ने अपने फील्ड फोमेशन को संवेदनशील बनाया है, और उन्हें नक्सल-रोधी अभियान संचालित करते समय, माओवादियों द्वारा उन्हें मानव सुरक्षा कवच के रूप में

नागरिकों का प्रयोग करने के मामले में भी कैजुअलटी/घायल होने की स्थिति को टालने और स्थानीय लोगों के किसी प्रकार के उत्पीड़न को रोकने के लिए अत्यंत सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। इसके आगे, नक्सल-रोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों के विरुद्ध मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप की सभी वास्तविक शिकायतों के मामले में राज्य सरकार/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.) जांच आरंभ करतीहै और दोषी पाए जाने पर दोषी कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय/आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाती है। भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों/सी.ए.पी.एफ. को एल.डब्ल्यू.ई-रोधी अभियानों के दौरान मानवाधिकार के उच्चतम स्तर के अनुपालन के निर्देश जारी किए हैं और किसी भी चूक यदि कोई हो, से कड़ाई से निपटने को कहा है। इसके साथ-साथ, "माओवादियों द्वारा ग्रामीणों का मानव-ढाल के रूप में प्रयोग करने" के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की सरकारों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एस.) को विचारार्थ/टिप्पणी हेतु परिचालित की गई है।

*[हिन्दी]*

**गैर-सरकारी संगठनों द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन**

6498. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:**

**श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:**

**प्रो. सौगत राय:**

**श्री अवतार सिंह भडाना:**

**श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:**

**श्री पी. करुणाकरन:**

**श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव:**

**श्री एन. पीताम्बर कुरुप:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के माध्यम से मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य और योजना-वार कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के दुरुपयोग/दुर्विनियोजन के कितने मामले सामने आए हैं और ऐसे एन.जी.ओ. के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा योजना-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को वित्त पोषण प्रक्रिया के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है जिससे कि वे विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पर्याप्त और समय पर निधियां प्राप्त कर सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रमुख योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि करने के लिए अर्थोपाय तैयार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक):** (क) विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को इस मंत्रालय द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई निधियाँ का राज्य-वार और स्कीम-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अनुदान प्राप्तकर्ता गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के दुरुपयोग/दुर्विनियोजन के बारे में राज्य-वार और स्कीम-वार शिकायतोंकी संख्या संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इन शिकायतों की जांच करने और इसकी सूचना देने के लिए इन्हें राज्य सरकार/अन्य संगठनों को अग्रेषित किया गया था। ऐसे मामलों में, मंत्रालय जाँच होने तक गैर-सरकारी संगठनों को आगे अनुदान जारी नहीं करता है, और प्रतिकूल जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनको ब्लैक लिस्ट करने के लिए कार्रवाई करता है।

(ग) से (घ) यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। यह मंत्रालय पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तरीकों से स्कीमों की बेहतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करता है:

(1) कार्यान्वित एजेंसियों को किसी वर्ष के दौरान नये/उत्तरवर्ती अनुदान पिछले वर्ष जारी किए गए अनुदान के बारे में उपयोग प्रमाण-पत्र, जो देय हो चुके हैं, की प्राप्ति के पश्चात ही जारी किये जाते हैं।

(2) मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राज्यों ने उनके दौरों के दौरान स्कीमों/कार्यक्रमों की समीक्षा।

(3) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही स्कमों/कार्यक्रमों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भी मॉनीटर किया जाता है।

(4) मंत्रालय, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों के उचित उपयोग की जांच स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से समय-समय पर, प्रायोजित करता है।

(5) किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा निधियों का गबन किया जाना साबित होने पर, यह मंत्रालय उस गैर-सरकारी संगठन को काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई आरंभ करता है।

**विवरण-I**

*पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई राज्य-वार और स्कीमवार निधियां*

I. **अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 163.1 | 123.5 | 80.81 |
| 2. | गुजरात | 13.18 | 81.83 | 23.28 |
| 3. | हरियाणा | 34.11 | 0 | 17.62 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 12.84 | 6.53 | 6.42 |
| 5. | जम्मू और कश्मीर | 25.71 | 11 | 6.72 |
| 6. | कर्नाटक | 359.99 | 251.3 | 135.97 |
| 7. | केरल | 2.04 | 2.86 | 0.69 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 126.75 | 69.04 | 82.59 |
| 9. | महाराष्ट्र | 560.1 | 315.85 | 316.2 |
| 10. | ओडिशा | 392.61 | 240.88 | 110.54 |
| 11. | राजस्थान | 300.81 | 101.31 | 98 |
| 12. | तमिलनाडु | 7.79 | 0 | 0 |
| 13. | उत्तर प्रदेश | 401.5 | 183.21 | 339.33 |
| 14. | उत्तराखंड | 18.19 | 36.35 | 31.32 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | 93.98 | 76.81 | 50.59 |
| 16. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 334.02 | 329.37 | 120.8 |
| | **उप योग** | **2830.23** | **1863.95** | **1403.26** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 17. | असम | 66.79 | 28.15 | 60.48 |
| 18. | मणिपुर | 43.16 | 41.59. | 18.82 |
| 19. | त्रिपुरा | 3.11 | 1.71 | 3.51 |
| | **उप योग** | **113.06** | **71.45** | **82.81** |
| | कुल योग | 2943.29 | 1935.4 | 1486.07 |

**II. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
| 1. | असम | 11.36 | 12.23 | 5.24 |
| 2. | बिहार | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | दिल्ली | 21.36 | 1.75 | 0.00 |
| 4. | गुजरात | 5.37 | 2.31 | 6.20 |
| 5. | हरियाणा | 11.20 | 4.52 | 6.52 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 19.72 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | महाराष्ट्र | 26.54 | 27.02 | 11.25 |
| 8. | मणिपुर | 38.03 | 45.90 | 8.59 |
| 9. | ओडिशा | 8.43 | 4.39 | 2.50 |
| 10. | राजस्थान | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | 7.39 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | उत्तराखंड | 4.99 | 0.00 | 2.34 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | 9.78 | 3.61 | 3.61 |
| | कुल | 165.01 | 101.73 | 46.42 |

III. **सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु विकलांग व्यक्तियों को सहायता (एडिप)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | | 256.87 | 68.50 |
| 2. | बिहार | 41.00 | 252.47 | 68.00 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | | 40.60 | 18.00 |
| 4. | गोवा | | 3.00 | 6.00 |
| 5. | गुजरात | 101.70 | 140.09 | 79.80 |
| 6. | हरियाणा | 14.00 | 39.50 | 24.65 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 43.00 | 32.06 | |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 76.00 | 34.50 | 3.60 |
| 9. | झारखंड | 103.00 | 70.86 | 9.00 |
| 10. | कर्नाटक | 21.00 | 121.00 | |
| 11. | केरल | | 32.82 | 42.10 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 6.71 | 161.79 | 90.90 |
| 13. | महाराष्ट्र | 179.34 | 124.36 | 185.40 |
| 14. | ओडिशा | 198.79 | 124.00 | 110.50 |
| 15. | पंजाब | 8.33 | 47.07 | 9.12 |
| 16. | राजस्थान | 309.00 | 307.81 | 208.50 |
| 17. | तमिलनाडु | 291.50 | 250.76 | |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 333.ot | 403.75 | 110.30 |
| 19. | उत्तराखंड | 45.00 | 34.93 | 8.00 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 46.36 | 99.17 | 45.05 |
| 21. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 6.00 | 3.83 | |
| 22. | चंडीगढ़ | | 1.93 | . |
| 23. | दादरा और नगर हवेली | 3.00 | 3.00 | . |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 24. | दमन और दीव | | 3.69 | |
| 25. | दिल्ली | 19.00 | 16.65 | 49.50 |
| 26. | लक्षद्वीप | 3.00 | 1.91 | |
| 27. | पुदुचेरी | 13.00 | 8.29 | |
| 28. | अरुणाचल प्रदेश | 49.00 | 33.83 | |
| 29. | असम | 337.48 | 180.25 | 223.75 |
| 30. | मणिपुर | 42.00 | 12.79 | |
| 31. | मेघालय | 40.00 | | |
| 32. | मिज़ोरम | 34.00 | 10.35 | |
| 33. | नागालैंड | | 11.27 | 18.50 |
| 34. | सिक्किम | | | |
| 35. | त्रिपुरा | | 11.87 | 11.25 |
| | कुल | 2364.22 | 2877.07 | *1481.21 |

*कैम्प गतिविधि के लिए एलिम्को को 32.42 रुपए की राशि शामिल

**IV. दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डी.डी.आर.एस.)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 2064.00 | 2501.00 | 1276.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 3.00 | 10.00 | 0.00 |
| 3. | असम | 185.00 | 174.00 | 20.00 |
| 4. | बिहार | 101.00 | 138.00 | 43.00 |
| 5. | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 20.00 | 55.00 | 12.00 |
| 7. | दिल्ली | 250.00 | 189.00 | 138.00 |
| 8. | गोवा | 14.00 | 0.00 | 12.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | गुजरात | 51.00 | 50.00 | 31.00 |
| 10. | हरियाणा | 108.00 | 159.00 | 87.00 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 52.00 | 38.00 | 28.00 |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | 22.00 | 16.00 | 4.00 |
| 13. | झारखंड | 24.00 | 0.00 | 9.00 |
| 14. | कर्नाटक | 1058.00 | 1147.00 | 348.00 |
| 15. | केरल | 790.00 | 1006.00 | 488.00 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 176.00 | 159.00 | 103.00 |
| 17. | महाराष्ट्र | 218.00 | 229.00 | 112.00 |
| 18. | मणिपुर | 306.00 | 191.00 | 128.00 |
| 19. | मेघालय | 74.00 | 64.00 | 80.00 |
| 20. | मिज़ोरम | 40.00 | 22.00 | 6.00 |
| 21. | ओडिशा | 591.00 | 605.00 | 400.00 |
| 22. | पंजाब | 130.00 | 97.00 | 48.00 |
| 23. | राजस्थान | 179.00 | 144.00 | 112.00 |
| 24. | तमिलनाडु | 421.00 | 405.00 | 200.00 |
| 25. | त्रिपुरा | 6.00 | 11.00 | 11.00 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 612.00 | 597.00 | 504.00 |
| 27. | उत्तराखंड | 133.00 | 64.00 | 45.00 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 592.00 | 544.00 | 343.00 |
| 29. | नागालैंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | दादरा और नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34. | लक्षद्वीप | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35. | पुदुचेरी | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | कुल | 8227.00 | 8627.00 | 4699.00 |

**V. वृद्धजनों के लिए समेकित कार्यक्रम की योजना (आई.पी.ओ.पी.)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 423.82 | 478.74 | 365.07 |
| 2. | बिहार | 1.73 | 2.44 | 20.44 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 7.76 | 9.03 | 12.22 |
| 4. | गोवा | 0 | 0 | 0 |
| 5. | गुजरात | 0 | 0 | 0 |
| 6. | हरियाणा | 56.73 | 50.73 | 48.28 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 4.99 | 6.10 | 9.51 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 0 |
| 9. | झारखंड | 0 | 0 | 0 |
| 10. | कर्नाटक | 233.40 | 237.03 | 229.33 |
| 11. | केरल | 21.07 | 6.90 | 0 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 7.25 | 14.79 | 21.52 |
| 13. | महाराष्ट्र | 133.32 | 152.23 | 99.05 |
| 14. | ओडिशा | 355.50 | 356.90 | 303.06 |
| 15. | पंजाब | 15.87 | 31.62 | 5.79 |
| 16. | राजस्थान | 14.89 | 8.89 | 4.88 |
| 17. | तमिलनाडु | 263.80 | 242.14 | 257.72 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 118.68 | 39.29 | 83.88 |
| 19. | उत्तराखंड | 5.89 | 23.22 | 12.01 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 142.82 | 141.43 | 42.14 |
| 21. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 |
| 22. | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 |
| 23. | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 |
| 24. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 25. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 |
| 26. | दिल्ली | 25.29 | 18.76 | 43.46 |
| 27. | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 |
| | **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र** | | | |
| 28. | अरुणाचल प्रदेश | 1.49 | 0 | 4.08 |
| 29. | असम | 102.32 | 77.48 | 77. 71 |
| 30. | मणिपुर | 140.73 | 121.67 | 112.12 |
| 31. | मेघालय | 0 | 0 | 0 |
| 32. | मिज़ोरम | 0 | 6.18 | 0 |
| 33. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 |
| 34. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 |
| 35. | त्रिपुरा | 13.75 | 10.81 | 7.78 |
| | कुल | 2067.47 | 1999.01 | 1821.03 |

**VI. मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण के लिए सहायता**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 133.63 | 156.81 | 36.73 |
| 2. | बिहार | 105.37 | 150.11 | 33.40 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 7.80 | 35.61 | 9.42 |
| 4. | गोवा | 7.50 | 10.46 | 3.52 |
| 5. | गुजरात | 22.66 | 55.46 | 6.62 |
| 6. | हरियाणा | 98.34 | 92.26 | 62.82 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 4.35 | 37.37 | 15.84 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 0.00 | 20.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | झारखंड | 1.40 | 4.91 | 6.00 |
| 10. | कर्नाटक | 246.50 | 270.28 | 175.46 |
| 11. | केरल | 190.73 | 164.10 | 78.85 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 38.60 | 143.73 | 61.25 |
| 13. | महाराष्ट्र | 398.35 | 401.09 | 271.45 |
| 14. | ओडिशा | 226.18 | 260.55 | 128.09 |
| 15. | पंजाब | 283.12 | 151.04 | 115.78 |
| 16. | राजस्थान | 124.65 | 103.80 | 101.73 |
| 17. | तमिलनाडु | 253.12 | 234.70 | 138.36 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 188.85 | 264.77 | 163.96 |
| 19. | उत्तराखंड | 43.38 | 30.16 | 29.26 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 62.42 | 161.76 | 22.48 |
| 21. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0:00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | दादरा और नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | दिल्ली | 80.91 | 140.03 | 19.33 |
| 25. | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | पुदुचेरी | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| | **कुल (आर.ओ.सी.)** | **2517.86** | **2889.00** | **1480.85** |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 9.78 | 9.95 | 0.00 |
| 2. | असम | 33.55 | 128.86 | 56.61 |
| 3. | मणिपुर | 238.76 | 250.45 | 137.60 |
| 4. | मेघालय | 11.25 | 20.06 | 3.84 |
| 5. | मिज़ोरम | 65.75 | 145.80 | 83.62 |
| 6. | नागालैंड | 48.97 | 74.99 | 29.42 |
| 7. | त्रिपुरा | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | सिक्किम | 4.98 | 14.93 | 0.00 |
| | कुल (एन.ई.) | 413.04 | 645.04 | 311.09 |
| | कुल (आर.ओ.सी.+एन.ई.) | 2930.90 | 3533.45 | 1791.94 |

*विवरण-II*

*पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के दुरुपयोग/दुर्विनियोजन के बारे में शिकायतों की राज्य-वार और स्कीम-वार संख्या*

| क्र.सं. | योजना का नाम | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | प्राप्त शिकायतों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता | आन्ध्र प्रदेश | 2 |
| | | ओडिशा | 2 |
| | | राजस्थान | 9 |
| | | उत्तर प्रदेश | 1 |
| 2. | अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता | मध्य प्रदेश<br>महाराष्ट्र | 4 |
| 3. | दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना | उत्तर प्रदेश | 4 |
| 4. | वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम | पश्चिम बंगाल | 12 |
| | | आन्ध्र प्रदेश | 2 |
| | | उत्तर प्रदेश | 1 |
| | | कर्नाटक | 2 |
| | | ओडिशा | 2 |

*[अनुवाद]*

**होटलों के लिए दिशानिर्देश**

6499. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सभी होटलों में सुरक्षा कारणों से प्रत्येक अतिथि का फोटो लेने और उसे अपनी लॉगबुक में चस्पा करने को अनिवार्य बनने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की क्या स्थिति है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**बिड़ला मंदिर के नजदीक भूमि का आवंटन**

6500. **डॉ. बलीराम:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिड़ला मंदिर, नई दिल्ली के सामने पड़ी भूमि का आबंटन मंत्रालय को कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस भूमि का आबंटन/अधिग्रहण किस उद्देश्य के लिए किया गया था; और

(ग) उपर्युक्त भूमि को वर्तमान में किस उपयोग में लाया जा रहा है तथा इसके क्या कारण हैं?

**संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी):** (क) जी, नहीं। संस्कृति मंत्रालय को बिड़ला मंदिर, नई दिल्ली के सामने कोई भूमि आबंटित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय बांस मिशन**

6501. **श्री राजू शेट्टी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बांस मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन के विकास का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बांस क्षेत्र में रोजगार के प्रोत्साहन के लिए कितनी धनराशि आवंटित और वितरित की गई है; और

(घ) सभी राज्यों में वन और गैर दोनों भूमियों पर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता और मिशन के अंतर्गत लक्षित क्षेत्र का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (ग) राष्ट्रीय बांस मिशन देश में बांस क्षेत्र का समग्र विकास शुरू करने के लिए वर्ष 2006-07 में शुरू किया गया था। प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने आदि के सृजन से संबंधित कार्यों के आधार पर पूर्ण करने के लिए वर्सरियों की स्थापना (पौंद का मास उत्पादन के लिए) क्षेत्र विस्तार (विद्यमान स्टॉक का सुधार, प्रौद्योगिकी अंतरण और मानव संसाधन विकास में वर्ष 2007-08 से प्रगति करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। मिशन के अंतर्गत बढ़ाए गए विभिन्न कार्यकलापों के सुसंगत परिणाम हेतु केवल रोजगार सृजन की जा रही है एन.वी.एम. कार्य कलापों के आधार पर कुशल और अकुशल व्यक्तियों की रोजगार वृद दर का अलग से अनुमान उपलब्ध की है। विशिष्ट रूप से रोजगार दर बढ़ाने के लिए एन.वी.एम. के अन्तर्गत अलग से निधियों निर्धारित नहीं हैं।

(घ) भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2011 के अनुसार (भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण एवं वानिकी) वन क्षेत्र के बाहर वृक्षों में 10-20 मिलियन टन की समान भार के साथ कल्मस की कुल संख्या राष्ट्रीय स्तर पर 2127 मिलियन अनुमानित है। रिकार्ड की गई वन में बांस क्षेत्र का राज्य वार वितरण और इसकी रिकार्ड की गई वन में कल्मस की साइडनेस द्वारा समान हरित भार क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिए गए के अनुसार अनुमानित है।

वर्ष 2006-07 के अन्तिम तिमाही में शुरू की गई मिशन और बांस से संबंधित दीर्घावधि जेसटेशन अवधि को देखते हुए एन.वी. के अधीन लक्ष्य क्षेत्र में उत्पादकता मूल्यांकन करना अभी जल्दीबाजी होगी।

***विवरण-I***

*सारणी रिकार्ड की गई वन क्षेत्र में राज्य-वार बांस क्षेत्र (के.एम. 2)*

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | बांस उत्पादन क्षेत्र |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आन्ध्र प्रदेश | 8184 |
| अरुणाचल प्रदेश | 16083 |
| असम | 7238 |
| बिहार | 739 |
| छत्तीसगढ़ | 11368 |
| दादरा और नगर हवेली | 55 |
| गोवा | 308 |
| गुजरात | 4091 |
| हरियाणा | 19 |
| हिमाचल प्रदेश | 508 |
| झारखण्ड | 3603 |
| कर्नाटक | 8186 |
| केरल | 2882 |
| मध्य प्रदेश | 13059 |
| महाराष्ट्र | 11465 |
| मणिपुर | 9303 |
| मेघालय | 4793 |
| मिजोरम | 9245 |
| नागालैंड | 4902 |
| ओडिशा | 10518 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| पंजाब | 75 |
| राजस्थान | 2455 |
| सिक्किम | 1181 |
| तमिलनाडु | 3265 |
| त्रिपुरा | 3246 |
| उत्तर प्रदेश | 1313 |
| उत्तराखण्ड | 451 |
| पश्चिम बंगाल | 1042 |
| योग | 139577 |

नोट: अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर और पुदुचेरी के लिए बांस उत्पादन क्षेत्र के लिए अपर्याप्त डाटा के कारण सूचना नहीं दी गई।

स्रोतः भारत वन रिपोर्ट 2011 के सारणी संख्या 6.5.3. भारतीय वन सर्वेक्षण (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) भारत सरकार

### *विवरण-II*

(000' टन में)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | हरे कल्मस | शुष्क कल्मस | योग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आन्ध्र प्रदेश | 4732 | 2080 | 6812 |
| अरुणाचल प्रदेश | 12359 | 2072 | 14431 |
| असम | 9985 | 2301 | 12286 |
| बिहार | 1023 | 394 | 1417 |
| छत्तीसगढ़ | 1863 | 904 | 2767 |
| दादरा और नगर हवेली | 50 | 31 | 81 |
| गोवा | 3433 | 1626 | 5059 |
| गुजरात | 773 | 567 | 1340 |
| हरियाणा | 736 | 357 | 1093 |
| हिमाचल प्रदेश | 10436 | 4724 | 15160 |
| झारखण्ड | 6399 | 2818 | 9217 |
| कर्नाटक | 4497 | 5671 | 10168 |
| केरल | 13024 | 6087 | 19111 |
| मध्य प्रदेश | 11617 | 2121 | 13738 |
| महाराष्ट्र | 6334 | 1157 | 7491 |
| मणिपुर | 11150 | 2037 | 13187 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| मेघालय | 6150 | 1124 | 7274 |
| मिज़ोरम | 3336 | 1404 | 4740 |
| नागालैंड | 13 | 10 | 23 |
| ओडिशा | 1692 | 2722 | ,4414 |
| पंजाब | 772 | 115 | 887 |
| राजस्थान | 5797 | 2499 | 8296 |
| सिक्किम | 4198 | 767 | 4965 |
| तमिलनाडु | 424 | 591 | 1015 |
| त्रिपुरा | 690 | 506 | 1196 |
| उत्तर प्रदेश | 2158 | 681 | 2839 |
| उत्तराखण्ड | 212 | 93 | 305 |
| योग | 123853 | 45459 | 169312 |
| % | 73 | 27 | 100 |

नोट: अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर और पुदुचेरी के लिए बांस उत्पादन क्षेत्र के लिए अपर्याप्त डाटा के कारण सूचना नहीं दी गई।

स्रोत: भारत वन रिपोर्ट 2011 के सारणी संख्या 6.5.3. भारतीय वन सर्वेक्षण (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) भारत सरकार

**दंगा सांप्रदायिक हिंसा**

6502. **श्री अब्दुल रहमान:**

**श्री डी.वी. चन्द्र गौडा:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में दंगों/सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक घटना में कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए और मितनी संपत्ति का नुकसान हुआ और उक्त अवधि के दौरान इन दंगों/सांप्रदायिक हिंसा में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को राज्य-वार कितना मुवावजा दिया गया/उनका पुनर्वास किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार/दोषसिद्ध किया गया और कितनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और इस संबंध में राज्य सरकारों और पुलिस विभागों को परामर्श जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह)**: (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में और इस वर्ष की पहली तिमाही में देश में राज्यवार साम्प्रदायिक घटनाओं की संख्या और ऐसी घटनाओं के कारण मारे गए एवं घायल हुए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। चूंकि "पुलिस" एवं 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य के विषय हैं, इसलिए साम्प्रदायिक हिंसा से निपटने एवं इससे संबंधित आंकड़े रखने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है। संपत्ति को नुकसान, प्रभावित परिवारों को भुगतान किए गए मुआवजे, गिरफ्तार या दोषसिद्ध किए गए व्यक्तियों आदि जैसे ब्यौरे केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, 'आतंकवादी/सांप्रदायिक/नक्सली हिंसा के सिविलियन पीड़ितों की सहायता के लिए केन्द्रीय योजना' के अंतर्गत, सांप्रदायिक हिंसा के सिविलियन पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके

अतिरिक्त, नेशनल फाउन्डेशन फोर कम्यूनल हार्मोनी भी सांप्रदायिक तथा अन्य प्रकार की सामाजिक हिंसा में माता-पिता दोनों या परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु या उनके स्थायी रूप से अशक्त होने जाने के कारण अनाथ या असहाय हुए बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा के लिए "असिस्ट" नामक अपनी परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(घ) देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, केंद्रीय सरकार कई तरीकों जैसे कि आसूचना को साझा करके, अलर्ट संदेश भेजकर, विशिष्ट अनुरोधों विशेषकर साम्प्रदायिक स्थितियों से निपटने के लिए सृजित मिश्रित त्वरित कार्रवाई बल (आर.ए.एफ.) सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को संबंधित राज्य सरकारों को भेजकर तथा राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार इस संबंध में समय-समय पर परामर्शी पत्र भेजती है। केंद्रीय सरकार ने साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2008 में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को संशोधित दिशा-निदेश भी परिचालित किए हैं। देश में साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने संबंधी संगठनों की गतिविधियों पर विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है तथा आवश्यकतानुसार अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

***विवरण***

*वर्ष 2010, 2011, 2012 और 2013 (मार्च तक) के दौरान साम्प्रदायिक घटनाओं, उसमें मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या*

| राज्य का नाम | 2010 | | | 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | घटनाएं | मारे गए | घायल हुए | घटनाएं | मारे गए | घायल हुए |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| आन्ध्र प्रदेश | 16 | 3 | 69 | 33 | 1 | 95 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| असम | 10 | 5 | 37 | 9 | 3 | 28 |
| बिहार | 40 | 8 | 156 | 26 | 4 | 99 |
| चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़ | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| दिल्ली | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 |
| दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दमण और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गोवा | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गुजरात | 59 | 9 | 243 | 47 | 3 | 144 |
| हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| हिमाचल प्रदेश | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जम्मू और कश्मीर | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| झारखंड | 13 | 1 | 79 | 12 | 5 | 61 |
| कर्नाटक | 71 | 10 | 228 | 70 | 4 | 183 |
| केरल | 24 | 0 | 57 | 30 | 1 | 46 |
| लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 103 | 21 | 179 | 81 | 15 | 180 |
| महाराष्ट्र | 117 | 16 | 290 | 88 | 15 | 342 |
| मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मेघालय | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| मिज़ोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ओडिशा | 7 | 1 | 15 | 9 | 1 | 37 |
| पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पंजाब | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| राजस्थान | 33 | 10 | 125 | 42 | 16 | 204 |
| सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| तमिलनाडु | 44 | 4 | 91 | 21 | 2 | 41 |
| त्रिपुरा | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| उत्तराखंड | 8 | 0 | 24 | 4 | 5 | 44 |
| उत्तर प्रदेश | 121 | 22 | 426 | 84 | 12 | 347 |
| पश्चिम बंगाल | 21 | 6 | 82 | 15 | 3 | 31 |
| कुल | 701 | 116 | 2138 | 580 | 91 | 1899 |

| राज्य का नाम | 2012 | | | 2013 (मार्च तक*) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | घटनाएं | मारे गए | घायल हुए | घटनाएं | मारे गए | घायल हुए |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 60 | 2 | 122 | 5 | 0 | 29 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| असम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिहार | 21 | 3 | 172 | 10 | 0 | 47 |
| चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़ | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दमण और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गोवा | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गुजरात | 57 | 5 | 201 | 20 | 2 | 65 |
| हरियाणा | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| झारखंड | 11 | 1 | 35 | 5 | 1 | 22 |
| कर्नाटक | 69 | 3 | 221 | 12 | 0 | 31 |
| केरल | 56 | 0 | 71 | 16 | 0 | 15 |
| लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 92 | 9 | 245 | 23 | 1 | 61 |
| महाराष्ट्र | 94 | 15 | 280 | 27 | 8 | 196 |
| मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मिज़ोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ओडिशा | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पंजाब | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| राजस्थान | 37 | 6 | 117 | 11 | 2 | 49 |
| सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| तमिलनाडु | 14 | 2 | 37 | 7 | 1 | 20 |
| त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उत्तराखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उत्तर प्रदेश | 118 | 39 | 500 | 24 | 0 | 68 |
| पश्चिम बंगाल | 23 | 9 | 66 | 6 | 1 | 8 |
| कुल | 668 | 94 | 2117 | 171 | 16 | 613 |

*अनंतिम

*[हिन्दी]*

**नकली शराब का उपभोग**

6503. **श्री दत्ता मेघे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नकली/विषैली शराब के उपभोग के कारण कितने व्यक्तियों की मौत होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और इस प्रकार की शराब की बिक्री के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस अवैध व्यापार की रोकथाम और इस संबंध में सख्त कानून चलाने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान सूचित की गई नकली और अवैध शराब से मौतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (घ) शराब का उत्पादन, विनिर्माण, पास रखने, लाने-ले जाने, खरीद और बिक्री भारत के संविधान की अनुसूची 7 की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 8 के अंतर्गत विशिष्टि रूप से शामिल है और इसलिए उसके उत्पादन विनिर्माण, पास रखने, लाने-ले जाने, खरीद और बिक्री को विनियमित करने की अनव्य शक्तियां राज्यों के पास मौजूद है। अत: नकली शराब को बेचने पर नियंत्रण लगाने, नकली शराब को पीने से होने वाली इस प्रकार की मृत्यु होने की घटनाओं पर रोकथाम लगाने तथा अपराधियों पर अभियोजन चलाने हेतु मामले की जांच करने के लिए प्राथमिक रूप से राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। चूंकि भारत के संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' के भी राज्य विषय होने के नाते, राज्य सरकारें अपने विद्यमान और समुचित कानूनों के तहत अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के तंत्र के माध्यम से अपराध के निवारण, पहचान, पंजीकरण और अन्वेषण तथा अपराधियों पर अभियोजन चलाने के साथ-साथ नागरिकों की जान-माल की रक्षा करने के लिए प्राथमिक तौर पर उत्तरदायी है। तथापि, संघ सरकार अपराध के रोकथाम को अत्यधिक महत्व देती है और समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह देती रहती है कि वे दण्ड न्याय प्रक्रिया के प्रशासन को बेहतर बनाने पर और अधिक ध्यान दें तथा अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के भीतर अपराध के निवारण और नियंत्रण हेतु यथा आवश्यक उपाय करें।

## विवरण

*वर्ष 2009-2011 के दौरान नकली/जहरीली शराब पीने से हुई मौतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या*

| क्र.सं. | राज्य | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 42 | 164 | 78 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 |
| 3. | असम | 32 | 3 | 0 |
| 4. | बिहार | 42 | 25 | 50 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 5 | 18 | 2 |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 68 | 107 | 221 |
| 8. | हरियाणा | 6 | 27 | 7 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 1 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 4 | 3 | 8 |
| 11. | झारखंड | 45 | 27 | 20 |
| 12. | कर्नाटक | 180 | 235 | 184 |
| 13. | केरल | 0 | 0 | 3 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 68 | 45 | 15 |
| 15. | महाराष्ट्र | 20 | 8 | 2 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 0 | 0 |
| 17. | मेघालय | 0 | 0 | 0 |
| 18. | मिज़ोरम | 0 | 0 | 0 |
| 19. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 |
| 20. | ओडिशा | 69 | 15 | 2 |
| 21. | पंजाब | 185 | 183 | 105 |
| 22. | राजस्थान | 12 | 0 | 0 |
| 23. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 24. | तमिलनाडु | 429 | 185 | 481 |
| 25. | त्रिपुरा | 1 | 1 | 0 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 82 | 47 | 43 |
| 27. | उत्तराखंड | 0 | 0 | 0 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 134 | 88 | 181 |
| | **कुल (राज्य)** | **1426** | **1181** | **1409** |
| | **संघ राज्य क्षेत्र** | | | |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ | 1 | 2 | 5 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र) | 23 | 19 | 21 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 |
| | **कुल (संघ राज्य क्षेत्र)** | **24** | **21** | **26** |
| | कुल (अखिल भारत) | 1450 | 1202 | 1435 |

स्रोत: 'भारत में दुर्घटना से हुई मौतें और आत्महत्याएं'

*[अनुवाद]*

**अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों हेतु धनराशि का उपयोग**

6504. **श्री महाबल मिश्रा:**

**श्री सुरेश कुमार शेटकर:**

**श्रीमती ज्योति धुर्वे:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विकास तथा कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि के उपयोग से संबंधित कोई दिशा-निर्देश मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को देश में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए निर्धारित धनराशि के कथित अन्यत्र उपयोग तथा उपयोग न किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक):** (क) और (ख) जी, हां। राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों तथा अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को, अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के विकास हेतु मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत इन स्कीमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

दिशा-निर्देशों, जो स्कीम-दर-स्कीम भिन्न होते हैं, में अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय पैरामीटर एवं संवितरण प्रक्रिया शामिल होती है।

इसके अलावा, योजना आयोग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

(ग) से (ङ) सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना के तहत आबंटित निधि का कथित रूप से अन्यत्र उपयोग करने के बारे में सूचना प्राप्त हुई हैं। योजना आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के साथ अनुसूचित जाति उप योजना की निधियों का अन्यत्र उपयोग करने के मुद्दे को उठाया है तथा इसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से अन्यत्र लगाई गई राशि को वापस लेने का अनुरोध किया है।

*[हिन्दी]*

**सीमावर्ती क्षेत्रों में जी.पी.एस. का कार्यकरण**

6505. **श्री अर्जुन राम मेघवाल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि सीमाओं पर सुरक्षा बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) समुचित ढंग से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) जी, नहीं। ऐसी सूचनाएं नहीं मिली हैं कि सीमाओं पर सुरक्षा बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) समुचित ढंग से काम नहीं कर रहे हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

**सी.ए.पी.एफ. की तैनाती में असंतुलन**

6506. **श्री पूर्णमासी राम:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवाद और नक्सलवाद सहित आंतरिक सुरक्षा खतरों का सामना कर रहे विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) की तैनाती में असंतुलन विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में तैनाती हेतु सी.ए.पी.एफ. कार्मिकों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और बल-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सी.ए.पी.एफ. की तैनाती में ऐसे असंतुलनों को कम करने के लिए विशेष भर्ती अभियान आयोजित करने की सरकार की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) से (घ) कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। लोक व्यवस्था को बनाए रखने में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए उनके अनुरोध पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध कराए जाते हैं। आतंकवाद एवं नक्सलवाद सहित आंतरिक सुरक्षा से जूझ रहे विभिन्न राज्यों में इन बलों की तैनाती समग्र सुरक्षा परिदृश्य तथा इन बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को विभिन्न राज्यों में तैनात किया गया है। किसी भी राज्य में सी.ए.पी.एफ. की तैनाती का स्तर परिवर्तनशील होता है तथा उभरती सुरक्षा स्थिति के आधार पर बदलती है।

सी.ए.पी.एफ. की तैनाती के स्तर का खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं किया जाता है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सशस्त्र बलों में कार्मिकों की भर्ती सतत चलने वाली प्रक्रिया में तथा बलों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न भागों में इनकी भर्ती की जाती है।

*[अनुवाद]*

**प्रौद्योगिकी का उन्नयन**

6507. **श्री गोपीनाथ मुंडे:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए राज्य सरकारों और निजी उद्यमियों को कोई प्रोत्साहन प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु विदेशी वित्तपोषण की भी मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) जी हां।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अपनी 11वीं योजना की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना की योजना स्कीम के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को नई प्रसंस्करण क्षमता के सृजन/मौजूदा प्रसंस्करण क्षमताओं के उन्नयन/खाद्य प्रसंस्करण खेत्र के आधुनिकीकरण के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50.00 लाख रुपए अथवा दुर्गम क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर राज्यों, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप तथा आई.टी.डी.पी. क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75.00 लाख रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है। कार्यान्वयन एजेंसियों में केंद्र/राज्य सरकारों के संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/गैर-सरकारी संगठन/सहकारी समितियां तथा निजी क्षेत्र की यूनिटें तथा व्यक्ति शामिल हैं। 11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताओं के लिए, 11वीं योजनावधि तथा 12वीं योजना (2012-13) के प्रथम वर्ष के दौरान महाराष्ट्र समेत देश में एजेंसियों/उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

मंत्रालय ने 12वीं योजना (2012-13) के दौरान, एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशल (एन.एम.एफ.पी.) शुरू किया था। उपर्युक्त स्कीम को मिशन में सन्निविष्ट कर दिया गया है तथा तदनुसार आवेदन राज्यों/केन्द्र शासित सरकारों द्वारा केवल उपरोक्त घटक के अंतर्गत प्राप्त किए जाते हैं। स्कीम के लिए 01.04.2012 से केन्द्र सरकार को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) जी नहीं, महोदया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## *विवरण*

*खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2011-12 और 2012-13 के दौरान सहायता प्राप्त राज्य-वार यूनिटों की संख्या तथा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता*

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2007-08 | | 2008-09 | | 2009-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित | जारी की गई राशि | अनुमोदित | जारी की गई राशि | अनुमोदित | जारी की गई राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 43 | 947.49 | 48 | 908.999 | 41 | 677.05 |
| 2. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 1 | 17.67 | 3 | 376.14 |
| 4. | असम | 12 | 442.17 | 17 | 176.79 | 22 | 418.74 |
| 5. | बिहार | 5 | 83.915 | 2 | 42.3 | 2 | 35.59 |
| 6. | चंडीगढ़ | 6 | 138.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 10 | 163.725 | 4 | 45.46 |
| 8. | दिल्ली | 0 | 0 | 7 | 160.65 | 2 | 50 |
| 9. | गोवा | 1 | 17 | 1 | 24.57 | 1 | 24.26 |
| 10. | गुजरात | 32 | 544.06 | 39 | 714.81 | 42 | 665.18 |
| 11. | हरियाणा | 19 | 418.72 | 23 | 349.415 | 11 | 134.96 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 12 | 325.09 | 5 | 152.745 | 10 | 269.58 |
| 13. | जम्मू और कश्मीर | 9 | 109.855 | 3 | 22.05 | 7 | 59.73 |
| 14. | झारखंड | 2 | 9.09 | 0 | 0 | 3 | 44.09 |
| 15. | कर्नाटक | 34 | 529.62 | 35 | 629.895 | 24 | 269.55 |
| 16. | केरल | 47 | 876.8 | 32 | 545.37 | 33 | 567.53 |
| 17. | मध्य प्रदेश | 10 | 172.32 | 14 | 201.87 | 18 | 273.03 |
| 18. | महाराष्ट्र | 95 | 1696.805 | 121 | 1802.633 | 113 | 1717.3 |
| 19. | मणिपुर | 3 | 61.74 | 3 | 45.51 | 6 | 163.75 |
| 20. | मेघालय | 1 | 8.19 | 2 | 159.57 | 2 | 123.02 |
| 21. | मिज़ोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 22. | नागालैंड | 1 | 27.485 | 4 | 178.205 | 1 | 64.99 |
| 23. | ओडिशा | 6 | 129.41 | 2 | 38.68 | 6 | 84.4 |
| 24. | पुदुचेरी | 2 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | पंजाब | 32 | 481.45 | 61 | 841.36 | 13 | 172.37 |
| 26. | राजस्थान | 35 | 566.075 | 44 | 551.975 | 27 | 325.46 |
| 27. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | तमिलनाडु | 53 | 951.79 | 38 | 594.355 | 41 | 672.11 |
| 29. | त्रिपुरा | 2 | 39.98 | 1 | 13.86 | 0 | 0 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 63 | 1123.425 | 43 | 875.475 | 32 | 560.63 |
| 31. | उत्तराखंड | 9 | 339.78 | 6 | 163.15 | 12 | 307.57 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 35 | 653.56 | 19 | 390.135 | 10 | 138.48 |
| 33. | एम.एम. IV | | | | | | |
| | कुल | 569 | 10725.2 | 579 | 9765.767 | 487 | 8249.97 |

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित | जारी की गई राशि | अनुमोदित | जारी की गई राशि | संख्या | राशि |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 30 | 562.096 | 105 | 1904.726 | 221 | 4245.35 |
| 2. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4. | असम | 26 | 875.701 | 12 | 242.7782 | 18 | 376.12 |
| 5. | बिहार | 6 | 136.681 | 5 | 89.65674 | 3 | 51.99 |
| 6. | चंडीगढ़ | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 27 | 297.574 | 75 | 841.8276 | 148 | 1738.11 |
| 8. | दिल्ली | 3 | 82.6 | 16 | 410.68 | 9 | 198.70 |
| 9. | गोवा | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 19.42 |
| 10. | गुजरात | 52 | 1419.72 | 106 | 1975.034 | 53 | 858.71 |
| 11. | हरियाणा | 14 | 325.28 | 62 | 828.2817 | 86 | 1122.16 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 7 | 204.53 | 14 | 377.51 | 5 | 133.45 |
| 13. | जम्मू और कश्मीर | 5 | 89.095 | 6 | 98.42 | 2 | 16.43 |
| 14. | झारखंड | 4 | 85.425 | 1 | 16.57 | 4 | 76.53 |
| 15. | कर्नाटक | 14 | 377.79 | 61 | 896.2926 | 81 | 1271.03 |
| 16. | केरल | 19 | 411.72 | 52 | 901.285 | 15 | 252.44 |
| 17. | मध्य प्रदेश | 14 | 211.294 | 23 | 376.5413 | 31 | 422.19 |
| 18. | महाराष्ट्र | 56 | 1006.524 | 202 | 2824.152 | 137 | 1864.79 |
| 19. | मणिपुर | 1 | 23.975 | 11 | 189.7182 | 21 | 467.49 |
| 20. | मेघालय | 2 | 100.045 | 0 | 0 | 1 | 5.42 |
| 21. | मिज़ोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22. | नागालैंड | 1 | 6.205 | 0 | 0 | 2 | 14.21 |

| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | ओडिशा | 8 | 200.875 | 9 | 113.5908 | 15 | 259.00 |
| 24. | पुदुचेरी | 0 | 0 | 1 | 25 | 6 | 150.00 |
| 25. | पंजाब | 9 | 149.495 | 147 | 1692.902 | 231 | 2420.76 |
| 26. | राजस्थान | 48 | 691.123 | 95 | 1236.563 | 41 | 615.63 |
| 27. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28. | तमिलनाडु | 24 | 493.582 | 75 | 1389.79 | 44 | 689.19 |
| 29. | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 47 | 1078.638 | 53 | 907.0513 | 39 | 622.29 |
| 31. | उत्तराखंड | 8 | 168.523 | 5 | 138.047 | 5 | 115.49 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 10 | 317.945 | 19 | 319.87 | 8 | 186.85 |
| 33. | एम.एम. IV | | | | | 5 | 426.28 |
| | कुल | 437 | 9432.862 | 1157 | 17848.29 | 1232 | 18620.0 |

*आंकड़े समन्वयक बैंक एच.डी.एफ.सी. के समन्वयनाधीन हैं।

**धार्मिक स्थलों का संरक्षण**

**6508. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी रिपोर्ट हैं कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (एन.सी.टी.) दिल्ली में मुस्लिमों के विभिन्न धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया या विभिन्न समस्याओं में उलझाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान क्षेत्र-वार सूचित किए गए ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मामलों को रोकने और मुस्लिमों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) से (ग) वर्ष 2010, 2011, 2012 और 2013 (30.4.2013 तक) के दौरान दिल्ली पुलिस को ऐसा कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

तथापि, सुभाष पार्क स्थित जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के निर्माण के दौरान एक दीवार को गिराया गया था। स्थानीय विधायक और उसके समर्थकों ने इसे "अकबरावादी मस्जिद" नामक एक पुरानी मस्जिद को खंडहर होने का दावा किया था। इस दीवार पर कुछ कच्चा निर्माण किया गया था और उसमें नमाज अता की गई थी। तथापि, दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को स्वत: संज्ञान में लिया और पुलिस को इस क्षेत्र को घेरा में लेने और इस स्थल पर किसी भी प्रकार की सभा की अनुमति न देने का निर्देश दिया। माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया गया था।

सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण के विरुद्ध डी.डी.ए. (भूमि स्वामित्व एजेंसी) द्वारा चलाए गए तोड़-फोड़ अभियान के दौरान, दिनांक 12.12.2012 को महरौली पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत आने वाली गोसिया मस्जिद की दीवान के बाहरी भाग का कुछ हिस्सा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और स्थानीय निवासियों द्वारा उसकी मरम्मत करा ली गई थी। चूंकि गोसिया मस्जिद की एक दीवार जीर्ण-शीर्ण में थी इसलिए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान यह आंशिक रूप सें क्षतिग्रस्त हो गई थी। वर्तमान समय में, उक्त स्थान पर नमाज अता की जा रही है।

जंगपुरा-बी स्थित एक नूर-मस्जिद को सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण के रूप में वर्गीकृत किया गया था और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2006 के आदेश संख्या

9358/2006 के तहत उसे हटाये जाने का आदेश दिया गया था। धार्मिक समिति की सिफारिश के अनुसार, दिल्ली के उप-राज्यपाल ने दिनांक 12.01.2011 को मस्जिद हटाए जाने का अनुमोदन दिया और उस अनधिकृत निर्माण को शांतिपूर्वक गिराया गया था।

### सी.ए.पी.एफ. की सेवा शर्त

6509. **श्री कीर्ति आजाद:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ से पृथक सेवा और पेंशन नियम, चिकित्सा उपचार सुविधा, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों के समान बढ़ी हुई पेंशन, सांविधिक कल्याण बोर्ड और कैन्टीन तंत्र, अर्धसैनिक सेवाएं वेतन (सेवारत कार्मिक) इत्यादि के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों को भी भारत संघ के सशस्त्र बलों के समान माना जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें विभिन्न लाभ और सुविधाओं को प्रदान करने में रक्षा कार्मिक के बराबर न मानने और सेन्ट्रल सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत कवर न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.) और रक्षा बलों के कार्यकरण में क्या अंतर है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) जी, हां। बिन्दु-वार स्थिति निम्नानुसार है:

(i) **पृथक सेवा और पेंशन नियम:** केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.) कार्मिक पहले ही केन्द्रीय सिविल सेवा (सी.सी.एस.) नियम. 1972 के अंतर्गत शामिल है, जिसमें सी.सी.एस. (आचरण) नियम, सी.सी.एस. (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, सी.सी.एस. (चिकित्सा सुविधा) नियम. सी.सी.एस. (मौलिक नियम/अनुपूरक नियम) नियम. सी.सी.एस. (स्थापना सुविधा) नियम, सी.सी.एस. (मौलिक नियम/अनुपूरक नियम) नियम, सी.सी.एस. (स्थापना और प्रशासनिक मैनुअल), सी.सी.एस. (कार्यभार ग्रहण अवधि) नियम और सी.सी.एस. (यात्रा भत्ता/मकान किराया भत्ता) नियम शामिल हैं जैसा कि उनके संबंधित नियमों में निर्धारित है। इसके अलावा, सेवानिवृत्त सी.ए.पी.एफ. कार्मिक सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 और अन्य संबद्ध नियमों द्वारा शासित होते हैं। इसलिए, सी.ए.पी.एफ. के लिए पृथक सेवा और पेंशन नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ii) **चिकित्सा उपचार सुविधा:** भूतपूर्व-सी.ए.पी.एफ. कार्मिक सहित सी.ए.पी.एफ. कार्मिक सी.ए.पी.एफ. यूनिट/संयुक्त अस्पतालों अथवा सी.जी.एच.एस. सुविधाओं, जहां उपलब्ध है, की चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां भूतपूर्व-सी.ए.पी.एफ. कार्मिक पेंशन के साथ-साथ 300/- रु. प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता ले सकते हैं।

(iii) **अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति:** अनुकंपा के आधार पर 'सी' और 'डी' समूह में 5% रिक्तियां भरने का प्रावधान पहले से ही है।

(iv) **भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों के समान पेंशन:** सी.ए.पी.एफ. तथा रक्षा कार्मिकों की सेवा शर्तें विभिन्न नियमों द्वारा शासित होती हैं। इसलिए, सी.ए.पी.एफ. कार्मिक सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार पेंशन और अन्य पेंशन संबंधी लाभों के लिए पात्र हैं, और भूतपूर्व-रक्षा कार्मिकों के समान पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।

(v) **कल्याण बोर्ड और कैंटीन प्रणाली:** सेवारत और भूतपूर्व-सी.ए.पी.एफ. कार्मिकों के कल्याण हेतु एक कल्याण और पुनर्वास बोर्ड तथा केन्द्रीय पुलिस कैंटीन प्रणाली की स्थापना की गई है।

(vi) **अर्ध सैनिक सेवा वेतन:** मंत्रालय में इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न बलों के अधिनियम के अनुसार, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ., आई.टी.बी.पी., एस.एस.बी. और असम राइफल्स को संघ के सशस्त्र बलों के रूप में गठित किया गया है। सी.ए.पी.एफ. कार्मिकों और रक्षा कार्मिकों की सेवा शर्त विभिन्न नियमों द्वारा शासित होती है। सी.ए.पी.एफ. कार्मिक सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 में किए गए प्रावधान के अनुसार सेवाकालीन और सेवानिवृत्ति के पश्चात के लाभों के लिए पात्र हैं और रक्षा कार्मिकों के समान इन लाभों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सी.ए.पी.एफ. कार्मिकों को रक्षा कार्मिकों के बराबर मानना औचित्यपूर्ण नहीं होगा।

(ङ) रक्षा बलों की भूमिका बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना है जबकि सी.ए.पी.एफ. की भूमिका देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना है।

**मत्स्यन पत्तन का विकास**

6510. **श्रीमती जे. हेलन डेविडसन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु सरकार से मत्स्यन पत्तन/मछली उतारने के केन्द्रों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वीकृति हेतु अभी भी लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में मत्स्यन पत्तनों की स्थापना/विकास हेतु क्या सहायता प्रदान की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) से (ग) जी, हां। मत्स्यन पत्तनों के विकास के लिए तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय में प्राप्त हुए थे। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त हुए प्रस्तावों और केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

| वित्तीय वर्ष | मत्स्यन पत्तन/मत्स्य उतरान केंद्र का नाम | जिला | अनुमोदित लागत | केंद्र का हिस्सा | राज्य का हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | मुट्टोम में मत्स्यन पत्तन | कन्याकुमारी | 5392.00 | 2696.00 | - |
| 2011-12 | कुड्डालोर मत्स्यन पत्तन में मिट्टी निकालना, किनारे की दीवार का निर्माण और पत्थर पर मोटे तौर पर पलस्तर लगाना। | कुड्डालोर | 194.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2012-13 | पूमपुहर में मत्स्यन पत्तन | नागापट्टीनम | 7850.00 | 5887.50 | 1962.50 |
| | कोलाचेल मत्स्यन पत्तन का संशोधित प्रस्ताव (*) | कन्याकुमारी | 8775.00 | 4387.00 | 4387.50 |
| | तेंगापट्टीनम मत्स्यन पत्तन का संशोधित प्रस्ताव (*) | कन्याकुमारी | 9740.00 | 4870.00 | 4870.00 |
| | चिन्नामुटोम मत्स्यन पत्तन का विस्तार | कन्याकुमारी | 7352.00 | 5514.00 | 1838.00 |

(*) प्रस्ताव 2012-13 के दौरान अनुमोदित किया गया और 02.04.2013 को आदेश जारी किया गया।

इस समय मत्स्यन पत्तन/मत्स्य उतरान केंद्र के निर्माण के संबंध में तमिलनाडु सरकार का कोई पूर्ण प्रस्ताव इस विभाग में लंबित नहीं है।

(घ) मत्स्यन पत्तनों का विकास करने के लिए तमिलनाडु सरकार को केंद्रीय प्रायोजित योजना के अधीन दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| वर्ष | मत्स्यन पत्तन का नाम | जारी की गई धनराशि (लाख रुपए में) |
|---|---|---|
| 2010-11 | कोलाचेल | 500.00 |
| | तेंगापट्टीनम | 600.00 |
| | मुट्टोम | 500.00 |
| | **कुल (2010-11)** | **1600.00** |
| 2011-12 | तेंगापट्टीनम | 700.00 |
| | कोलाचेल | 200.00 |
| | मुट्टोम | 616.50 |
| | कुड्डोलोर | 48.50 |
| | **कुल (2011-12)** | **1565.00** |
| 2012-13 | पूमपुहर | 500.00 |
| | चिन्नामुट्टोम | 100.00 |
| | **कुल (2012-13)** | **600.00** |

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.), हैदराबाद भी मौजूदा मत्स्यन पत्तनों/मत्स्य उतरान केंद्रों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए तमिलनाडु सरकार को दी गई धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| वर्ष | मत्स्यन पत्तन का नाम | जारी की गई धनराशि (लाख रुपए में) |
|---|---|---|
| 2010-11 | तूतुकुडी | 6.00 |
| 2011-12 | चेन्नई | 1087.00 |
| | कुड्डालोर | 931.31 |
| 2012-13 | तूतुकुडी | 302.00 |

**पी.डी.एस./ए.ए.वाई./ओ.डब्ल्यू.एस. के अंतर्गत लाभार्थी**

6511. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:**

**श्री जी.एम. सिद्देश्वर:**

**श्री पी.के. बिजू:**

**श्री प्रबोध पांडा:**

**श्री जगदीश सिंह राणा:**

**श्री ए. सम्पत:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2011 जनगणना पर आधरित वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.)/अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.)/अन्य कल्याण योजना (ओ.डब्ल्यू.एस.) के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या और खाद्यान्नों की आवश्यकता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे और 2011 जनगणना के अनुसार वर्तमान मापदण्ड और संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार लाभार्थियों की संख्या और खाद्यान्नों की आवश्यकता कितनी है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न मदों का राज्य-वार आवंटन और उठान कितना है;

(ग) क्या खाद्यान्नों की खरीद और स्टॉक पी.डी.एस. और ओ.डब्ल्यू.एस. के अंतर्गत मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो वितरण हेतु राज्यों को उक्त वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उक्त अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों की कितनी प्रमात्रा आयात की गई है; और

(ङ) पी.डी.एस. को मजबूत करने और लक्षित लाभार्थियों को खाद्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के आबंटन के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग योजना आयोग के वर्ष 1993-94 के गरीबी अनुमानों और 01 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महा रजिस्ट्रार के जनसंख्या अनुमानों अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा वास्तविक रूप से चिह्नित परिवारों और जारी किए गए राशन कार्डों, जो भी कम हो, के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) रहने वाले परिवारों की संख्या का प्रयोग करता है। इन अनुमानों के अनुसार, बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 6.52 करोड़ है जिनमें 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) परिवार भी शामिल हैं।

टी.पी.डी.एस. और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अपेक्षित खाद्यान्नों (चावल और गेहूं), जिनका आबंटन सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान किया गया था, और उनके उठान की मात्रा को दर्शाने वाला राज्य/संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, विवरण-II और विवरण-III में दिया गया है।

सरकार ने दिनांक 22.12.2011 को लोक सभा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एन.एफ.ए.एस.बी.), 2011 को पुनःस्थापित किया है। विधेयक में टी.पी.डी.एस. के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्नों के लिए 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी को कवर किए जाने का प्रावधान है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार और 2011 जनगणना का प्रयोग करते हुए टी.पी.डी.एस. के अंतर्गत कवर किए जाने वाले प्राथमिकता वाले एवं सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या लगभग 81.34 करोड़ अनुमानित है और तदनुरूप खाद्यान्नों का आवश्यकता 52.74 मिलियन टन अनुमानित है। ओ.डब्ल्यू.एस. के लिए एन.एफ.एस.बी. के प्रावधानों के अनुसार, लगभग 8 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्नों की आवश्यकता अनुमानित है।

(ग) और (घ) दिनांक 30.4.2013 तक की स्थिति के अनुसार, सरकार ने रबी विपणन मौसम 2013-14 के दौरान 200.63 लाख टन गेहूं और खरीफ विपणन मौसम 2012-13 के दौरान 307.70 लाख टन चावल की खरीद की है। दिनांक 1.4.2013 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के स्टॉक की स्थिति 596.75 लाख टन है जो टी.पी.डी.एस. और ओ.डब्ल्यू.एस. आबंटनों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के स्टॉक की अनुकूल स्थिति को देखते हुए वर्तमान में इन वस्तुओं का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) टी.पी.डी.एस. को सुदृढ़ और सुप्रवाही बनाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार ने नियमित समीक्षा की है और निगरानी तंत्र एवं सतर्कता में सुधार कर टी.पी.डी.एस. की कार्यप्रणाली में पारर्शिता लाकर, संशोधित मॉडल नागरिक चार्टर को अपनाकर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) साधनों के प्रयोग कर और उचित दर दुकानों के प्रचालनों की व्यवहार्यता में सुधार करके टी.पी.डी.एस. की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए हैं।

**विवरण-I**

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक चावल और गेहूं का आबंटन और उठान*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 3884.250 | 3526.692 | 3676.480 | 3433.137 | 3738.252 | 3065.474 | 3822.816 | 3130.234 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 101.556 | 99.538 | 101.556 | 85.023 | 101.556 | 83.589 | 101.556 | 98.376 |
| 3. | असम | 1485.966 | 1400.233 | 1673.126 | 1591.641 | 1806.756 | 1662.751 | 1886.856 | 1830.998 |
| 4. | बिहार | 3437.481 | 2274.014 | 3543.192 | 2969.154 | 3650.312 | 2757.350 | 3703.872 | 2639.407 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 1091.952 | 1005.898 | 1168.932 | 1135.107 | 1218.752 | 1085.194 | 1244.112 | 1178.578 |
| 6. | दिल्ली | 592.548 | 577.275 | 595.734 | 607.303 | 597.858 | 545.295 | 598.920 | 566.777 |
| 7. | गोवा | 46.708 | 45.308 | 68.751 | 53.804 | 60.316 | 60.421 | 63.036 | 62.909 |
| 8. | गुजरात | 1618.488 | 1025.464 | 1885.998 | 1532.880 | 2018.738 | 1242.799 | 2085.108 | 1265.504 |
| 9. | हरियाणा | 980.472 | 501.671 | 685.242 | 613.097 | 732.422 | 586.431 | 756.012 | 465.415 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 497.466 | 461.812 | 508.988 | 486.462 | 519.146 | 512.663 | 527.940 | 524.927 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 756.804 | 758.854 | 757.104 | 749.115 | 756.804 | 743.485 | 756.804 | 760.644 |
| 12. | झारखंड | 1311.792 | 1038.280 | 1319.412 | 1032.747 | 1339.032 | 1022.038 | 1358.652 | 977.751 |
| 13. | कर्नाटक | 2167.492 | 2092.192 | 2260.476 | 2132.040 | 2386.646 | 2234.612 | 2806.928 | 2304.402 |
| 14. | केरल | 1301.604 | 1233.443 | 1399.646 | 1373.157 | 1431.674 | 1428.807 | 1472.688 | 1473.184 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 3030.870 | 2953.426 | 2610.454 | 2707.860 | 2680.736 | 2653.417 | 2736.426 | 3551.778 |
| 16. | महाराष्ट्र | 4509.359 | 3576.017 | 4490.412 | 3687.169 | 4647.114 | 3539.245 | 4819.044 | 3724.189 |
| 17. | मणिपुर | 117.146 | 122.104 | 141.844 | 71.209 | 160.446 | 144.884 | 170.952 | 172.661 |
| 18. | मेघालय | 147.276 | 145.315 | 182.928 | 156.605 | 181.696 | 182.690 | 188.580 | 189.600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | मिज़ोरम | 82.908 | 75.675 | 70.140 | 64.502 | 70.140 | 66.233 | 70.140 | 66.538 |
| 20. | नागालैण्ड | 129.546 | 134.532 | 126.876 | 138.126 | 126.876 | 140.094 | 126.876 | 135.953 |
| 21. | ओडिशा | 2115.852 | 2080.701 | 2221.788 | 2052.089 | 2118.908 | 2058.005 | 2194.266 | 2120.509 |
| 22. | पंजाब | 1213.920 | 987.526 | 786.348 | 680.707 | 814.100 | 686.355 | 827.976 | 613.964 |
| 23. | राजस्थान | 1945.464 | 1919.335 | 2037.128 | 1937.843 | 2115.140 | 2078.693 | 2179.500 | 2149.291 |
| 24. | सिक्किम | 44.220 | 44.206 | 44.250 | 43.000 | 44.270 | 44.936 | 44.280 | 45.046 |
| 25. | तमिलनाडु | 3767.832 | 3951.112 | 3722.832 | 3698.126 | 3722.832 | 3700.634 | 3722.832 | 3634.495 |
| 26. | त्रिपुरा | 302.004 | 279.176 | 302.622 | 249.020 | 308.034 | 275.381 | 304.836 | 289.291 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 7039.894 | 6455.013 | 6948.948 | 6555.953 | 7114.590 | 6645.333 | 7268.520 | 6568.015 |
| 28. | उत्तराखंड | 436.002 | 408.472 | 474.122 | 455.838 | 501.702 | 456.876 | 617.992 | 596.557 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 3316.544 | 3145.293 | 3601.864 | 3325.618 | 3763.754 | 3281.205 | 3857.196 | 3616.745 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 31.959 | 18.489 | 34.020 | 17.921 | 34.020 | 16.026 | 34.020 | 14.908 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 25.796 | 25.276 | 31.380 | 25.975 | 34.980 | 34.216 | 36.780 | 33.429 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 8.880 | 2.973 | 9.924 | 2.457 | 10.284 | 10.247 | 10.464 | 10.499 |
| 33. | दमन और दीव | 4.320 | 1.346 | 4.980 | 1.162 | 5.430 | 4.669 | 5.652 | 4.530 |
| 34. | लक्षद्वीप | 4.614 | 3.707 | 4.620 | 6.385 | 4.620 | 4.053 | 6.620 | 5.706 |
| 35. | पुदुचेरी | 53.712 | 32.317 | 56.112 | 48.435 | 58.912 | 47.816 | 60.312 | 53.313 |
| | जोड़ | 47602.697 | 42402.685 | 47547.329 | 43720.667 | 48876.848 | 43101.917 | 50468.564 | 44876.123 |

## विवरण-II

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2009-10 से 2010-11 के दौरान किए गए विशेष तदर्थ अतिरिक्त आबंटन के अंतर्गत खाद्यान्नों का आबंटन और उठान*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2009-10 | | | | | | 2010-11 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एम.एस.पी. आधारित/व्युत्पन्न मूल्यों पर आबंटन की तारीख जनवरी, 2010 | | उठान का % | गेहूं के लिए 8.45 रुपए/कि.ग्रा. और चावल के लिए 11.85 रुपये प्रति किलोग्राम/कि.ग्रा. की दर पर ए.ए.वाई./बी.पी.एल./ए.पी.एल. हेतु आबंटन 19.5.2010 | | उठान का % | गेहूं के लिए 8.45 रुपए/कि.ग्रा. और चावल के लिए 11.85 रुपये प्रति किलोग्राम/कि.ग्रा. की दर पर ए..पी.एल. हेतु आबंटन 06.01.2011 | | उठान का % | बी.पी.एल. निर्मम मूल्यों पर 7.9.2010 और 6.1.2011 को किया गया आबंटन | | उठान का % |
| | | आबंटन | उठान | | आबंटन | उठान | | आबंटन | उठान | | आबंटन | उठान | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 316.420 | 125.563 | 39.7 | 268.957 | 3.706 | 1.4 | 255.220 | 12.532 | 4.9 | 511.570 | 510.338 | 99.8 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4.840 | 0 | 0.0 | 4.114 | 2.190 | 53.2 | 3.104 | 2.404 | 77.4 | 12.592 | 7.180 | 57.0 |
| 3. | असम | 89.860 | 23.236 | 25.9 | 196.381 | 82.018 | 41.8 | 282.673 | 111.622 | 39.5 | 290.794 | 171.081 | 58.8 |
| 4. | बिहार | 237.580 | 0 | 0.0 | 201.943 | 24.960 | 12.4 | 116.258 | 20.751 | 17.8 | 500.214 | 325.882 | 65.1 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 88.220 | 50.367 | 57.1 | 149.974 | 41.787 | 27.9 | 205.047 | 143.700 | 70.1 | 143.784 | 194.411 | 135.2 |
| 6. | दिल्ली | 55.640 | 21.798 | 39.2 | 47.294 | 22.640 | 47.9 | 51.509 | 0 | 0.0 | 31.364 | 23.369 | 74.5 |
| 7. | गोवा | 6.400 | 0 | 0.0 | 5.440 | 0.002 | 0.0 | 5.904 | 3.007 | 50.9 | 3.680 | 3.374 | 91.7 |
| 8. | गुजरात | 175.140 | 9.025 | 5.2 | 148.869 | 16.141 | 10.8 | 144.063 | 14.590 | 10.1 | 162.572 | 132.874 | 81.7 |
| 9. | हरियाणा | 62.960 | 15.418 | 24.5 | 53.516 | 16.280 | 30.4 | 51.205 | 36.806 | 71.9 | 60.504 | 22.076 | 36.5 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 25.140 | 6.043 | 24.0 | 21.369 | 21.084 | 98.7 | 16.128 | 14.620 | 90.6 | 39.416 | 29.491 | 74.8 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 36.040 | 32.258 | 89.5 | 30.634 | 30.983 | 101.1 | 63.139 | 51.333 | 81.3 | 56.440 | 56.970 | 100.9 |
| 12. | झारखंड | 87.120 | 0 | 0.0 | 74.052 | 8.363 | 11.3 | 42.587 | 0.764 | 1.8 | 183.584 | 126.175 | 68.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | कर्नाटक | 188.740 | 73.685 | 39.0 | 160.429 | 51.525 | 32.1 | 136.922 | 12.552 | 9.2 | 239.946 | 233.571 | 97.3 |
| 14. | केरल | 122.200 | 8.242 | 6.7 | 153.870 | 116.062 | 75.4 | 179.893 | 127.906 | 71.1 | 125.653 | 125.553 | 99.9 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 194.060 | 0 | 0.0 | 164.951 | 13.322 | 8.1 | 121.077 | 11.933 | 9.9 | 516.324 | 6.668 | 1.3 |
| 16. | महाराष्ट्र | 354.540 | 0 | 0.0 | 301.359 | 40.694 | 13.5 | 242.956 | 27.145 | 11.2 | 501.060 | 286.014 | 57.1 |
| 17. | मणिपुर | 8.140 | 6.467 | 79.4 | 6.919 | 0 | 0.0 | 5.231 | 6.070 | 116.0 | 17.730 | 16.921 | 95.4 |
| 18. | मेघालय | 8.980 | 2.335 | 26.0 | 7.633 | 7.843 | 102.8 | 5.773 | 5.517 | 95.6 | 19.034 | 11.200 | 58.8 |
| 19. | मिज़ोरम | 3.340 | 3.340 | 100.0 | 5.678 | 2.781 | 49.0 | 18.149 | 17.599 | 97.0 | 10.214 | 11.436 | 112.0 |
| 20. | नागालैण्ड | 6.040 | 1.816 | 30.1 | 10.268 | 2.941 | 28.6 | 13.864 | 9.354 | 67.5 | 14.510 | 15.132 | 104.3 |
| 21. | ओडिशा | 135.820 | 5.693 | 4.2 | 115.447 | 0.135 | 0.1 | 75.819 | 12.006 | 15.8 | 252.906 | 190.414 | 75.3 |
| 22. | पंजाब | 79.520 | 0 | 0.0 | 67.592 | 59.295 | 87.7 | 276.145 | 70.905 | 25.7 | 35.888 | 28.664 | 79.9 |
| 23. | राजस्थान | 177.340 | 46.641 | 26.3 | 301.478 | 191.769 | 63.6 | 239.700 | 186.653 | 77.9 | 236.420 | 221.277 | 93.6 |
| 24. | सिक्किम | 2.100 | 0.938 | 44.7 | 2.285 | 1.277 | 55.9 | 1.646 | 0.841 | 51.1 | 4.498 | 4.499 | 100.0 |
| 25. | तमिलनाडु | 277.640 | 258.361 | 93.1 | 235.994 | 129.465 | 54.9 | 195.767 | 34.731 | 17.7 | 372.918 | 353.252 | 94.7 |
| 26. | त्रिपुरा | 14.440 | 0 | 0.0 | 12.274 | 0 | 0.0 | 9.269 | 0 | 0.0 | 22.622 | 22.623 | 100.0 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 522.830 | 0 | 0.0 | 444.406 | 114.226 | 25.7 | 335.641 | 4.160 | 1.2 | 818.880 | 508.498 | 62.1 |
| 28. | उत्तराखंड | 24.380 | 0 | 0.0 | 20.723 | 4.034 | 19.5 | 165.65 | 93.453 | 56.4 | 38.188 | 15.300 | 40.1 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 290.460 | 228.988 | 78.8 | 246.891 | 223.416 | 90.5 | 202.822 | 143.610 | 70.8 | 397.152 | 291.327 | 73.4 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1.620 | 0 | 0.0 | 1.377 | 0 | 0.0 | 1.150 | 0 | 0.0 | 2.146 | 0.455 | 21.2 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 4.060 | 0 | 0.0 | 3.451 | 0 | 0.0 | 3.907 | 3.116 | 79.8 | 1.764 | 0.555 | 31.5 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 0.720 | 0.720 | 100.0 | 0.612 | 0 | 0.0 | 0.391 | 0.391 | 100.0 | 1.382 | 0.692 | 50.1 |
| 33. | दमन और दीव | 0.510 | 0.300 | 58.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.478 | 0 | 0.0 | 0.268 | 0.112 | 41.8 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.220 | 0.220 | 100.0 | 0.187 | 0 | 0.0 | 0.174 | 0.724 | 416.1 | 0.230 | 0 | 0.0 |
| 35. | पुदुचेरी | 4.480 | 0.406 | 9.1 | 3.808 | 0.309 | 8.1 | 3.039 | 4.228 | 139.1 | 6.442 | 1.567 | 24.3 |
| | सकल जोड़ | 3607.540 | 921.860 | 25.6 | 3066.410# | 1229.248 | 40.1 | 2500.000# | 1185.023 | 47.4 | 5000.004# | 3948.951 | 79.0 |

#कुल मामलों में समग्र आबंटन के भीतर न उठाई गई मात्रा से किए गए पुन:आबंटन के कारण राज्यों को किए गए आबंटन का जोड़ सकल जोड़ के बराबर नहीं बनता है।

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान किए गए विशेष तदर्थ अतिरिक्त आबंटन के अंतर्गत खाद्यान्नों का आबंटन और उठान*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2011-12 | | | | | | 2012-13 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बी.पी.एल. निर्गम मूल्यों पर 16.5.2011 को किया गया बी.पी.एल. आबंटन | | उठान का % | गरीबतम जिलों को किया गया बी.पी.एल./ ए.ए.वाई. आबंटन $ | | उठान का % | बी.पी.एल. निर्गम मूल्यों पर जुलाई, 2012 को किया गया बी.पी.एल. आबंटन $ | | उठान का % | बी.पी.एल. निर्गम मूल्यों पर जुलाई, 2012 को किया गया बी.पी.एल. आबंटन $ | | उठान का % |
| | | आबंटन | उठान | | आबंटन | उठान | | आबंटन | उठान | | आबंटन | उठान | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 311.570 | 297.194 | 95.4 | 116.797 | 115.093 | 98.5 | 311.57 | 212.285 | 68.1 | 14.244 | 11.698 | 82.1 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 7.592 | 6.009 | 79.1 | 0.737 | 0.737 | 100.0 | 7.592 | 5.968 | 78.6 | 0.307 | 0.118 | 0.0 |
| 3. | असम | 220.794 | 199.829 | 90.5 | 15.34 | 14.544 | 94.8 | 190.794 | 131.8 | 69.1 | 26.273 | 19.739 | 75.1 |
| 4. | बिहार | 600.214 | 474.766 | 79.1 | 596.511 | 312.511 | 52.4 | 500.213 | 226.318 | 45.2 | 595.395 | 267.211 | 44.9 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 143.784 | 143.434 | 99.8 | 131.952 | 135.836 | 102.9 | 143.784 | 106.714 | 74.2 | 307.274 | 275.102 | 89.5 |
| 6. | दिल्ली | 31.364 | 29.976 | 95.6 | 0 | 0 | 0.0 | 31.364 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7. | गोवा | 3.680 | 3.849 | 104.6 | 0 | 0 | 0.0 | 3.68 | 2.173 | 59.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8. | गुजरात | 162.572 | 163.038 | 100.3 | 51.502 | 51.886 | 100.7 | 321.472 | 194.836 | 60.6 | 21.455 | 13.508 | 0.0 |
| 9. | हरियाणा | 60.504 | 39.618 | 65.5 | 9.739 | 3.391 | 34.8 | 60.504 | 59.606 | 98.5 | 7.184 | 3.969 | 55.4 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 39.416 | 27.489 | 69.7 | 11.537 | 11.4198 | 99.0 | 39.416 | 19.702 | 50.0 | 11.537 | 8.21 | 71.2 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 56.440 | 52.369 | 92.8 | 11.757 | 10.654 | 90.6 | 56.44 | 20.872 | 37.0 | 14.255 | 14.253 | 100.0 |
| 12. | झारखंड | 183.584 | 86.158 | 46.9 | 132.229 | 117.54 | 88.9 | 183.584 | 107.757 | 58.7 | 131.781 | 108.183 | 82.1 |
| 13. | कर्नाटक | 239.946 | 239.989 | 100.0 | 31.395 | 31.37 | 99.9 | 239.946 | 216.907 | 90.4 | 31.395 | 30.182 | 96.1 |
| 14. | केरल | 119.168 | 119.092 | 99.9 | 5.068 | 5.068 | 100.0 | 306.104 | 176.009 | 57.5 | 1.232 | 1.232 | 0.0 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 316.324 | 270.063 | 85.4 | 278.044 | 113.963 | 41.0 | 316.324 | 0 | 0.0 | 206.62 | 0 | 0.0 |
| 16. | महाराष्ट्र | 501.060 | 294.409 | 58.8 | 105.812 | 84.957 | 80.3 | 501.059 | 222.847 | 44.5 | 0 | 0 | 0.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | मणिपुर | 12.730 | 12.73 | 100.0 | 1.215 | 1.199 | 98.7 | 12.730 | 10.160 | 79.8 | 0.381 | 0.374 | 0.0 |
| 18. | मेघालय | 14.033 | 14.213 | 101.3 | 1.719 | 1.308 | 76.1 | 14.033 | 12.04 | 85.8 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19. | मिजोरम | 10.214 | 8.542 | 83.6 | 0.159 | 0.159 | 100.0 | 9.594 | 8.008 | 83.5 | 0.159 | 0.159 | 100.0 |
| 20. | नागालैण्ड | 19.510 | 19.615 | 100.5 | 0.315 | 0.376 | 119.4 | 17.01 | 17.075 | 100.4 | 0.315 | 0.254 | 80.6 |
| 21. | ओडिशा | 252.906 | 151.273 | 59.8 | 143.933 | 143.702 | 99.8 | 252.906 | 161.609 | 63.9 | 204.647 | 112.241 | 64.8 |
| 22. | पंजाब | 35.888 | 34.235 | 95.4 | 1.839 | 1.839 | 100.0 | 35.888 | 0 | 0.0 | 1.839 | 0 | 0.0 |
| 23. | राजस्थान | 186.420 | 179.772 | 96.4 | 99.054 | 70.182 | 70.9 | 186.42 | 141.755 | 76.0 | 81.278 | 78.217 | 96.2 |
| 24. | सिक्किम | 10.778 | 6.286 | 58.3 | 0.264 | 0.169 | 64.0 | 3.298 | 2.573 | 78.0 | 0.44 | 0.441 | 100.2 |
| 25. | तमिलनाडु | 377.918 | 378.43 | 100.1 | 40.948 | 40.359 | 98.6 | 508.918 | 452.559 | 88.9 | 40.948 | 39.285 | 95.9 |
| 26. | त्रिपुरा | 22.622 | 22.093 | 97.7 | 2.734 | 2.23 | 81.6 | 34.071 | 20.248 | 59.4 | 1.746 | 1.746 | 100.0 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 818.880 | 629.003 | 76.8 | 316.724 | 299.744 | 94.6 | 818.879 | 613.275 | 74.9 | 159.556 | 97.642 | 61.2 |
| 28. | उत्तराखंड | 38.188 | 31.891 | 83.5 | 2602 | 2.598 | 99.8 | 38.188 | 29.952 | 78.4 | 1.681 | 1.681 | 100.0 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 397.152 | 325.987 | 82.1 | 259.315 | 130.411 | 50.3 | 397.152 | 293.073 | 73.8 | 259.315 | 36.713 | 14.2 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 2.146 | 1.820 | 84.8 | 0 | 0 | 0.0 | 2.146 | 0.667 | 31.1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 1.764 | 1.635 | 92.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1.764 | 0.588 | 33.3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 1.382 | 0.017 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1.382 | 0.255 | 18.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33. | दमन और दीव | 0.268 | 0.032 | 11.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.268 | 0.165 | 61.6 | 0 | 0 | 0.0 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.230 | 0.230 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.23 | 0.207 | 90.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 35. | पुदुचेरी | 10.711 | 8.492 | 79.3 | 0 | 0 | 0.0 | 6.442 | 3 | 46.6 | 0 | 0 | 0.0 |
| | सकल जोड़ | 5000.004# | 4273.568 | 85.5 | 2369.241 | 1703.246 | 71.9 | 5000.000# | 3471.003 | 69.4 | 2121.237 | 1122.158 | 52.9 |

$विशेष आबंटन की तुलना में उठान फरवरी, 2013 तक का है तथा गरीबतम जिलों में किए गए आबंटन की तुलना में उठान मार्च, 2013 तक है।

#कुल मामलों में समग्र आबंटन के भीतर न उठाई गई मात्रा से किए गए पुन:आबंटन के कारण राज्यों को किए गए आबंटन का जोड़ सकल जोड़ के बराबर नहीं बनता है।

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान कल्याण स्कीमों के तहत खाद्यान्नों का राज्यवार आबंटन और उठान

(आंकड़े लाख टन में)

| स्कीम | 2009-2010 | | | | | | 2010-2011 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आबंटन# | | | उठान | | | आबंटन# | | | उठान | | |
| | चावल | गेहूं | जोड़ | चावल | गेहूं | जोड़ | चावल | गेहूं | जोड़ | चावल | गेहूं | जोड़ |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| मध्याह्न भोजन | 22.85 | 4.90 | 27.75 | 18.54 | 4.46 | 23.00 | 24.55 | 5.33 | 29.88 | 19.29 | 4.81 | 24.10 |
| गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम** | 3.44 | 5.82 | 9.26 | 2.40 | 5.13 | 7.53 | 6.00 | 9.00 | 15.00 | 2.93 | 7.54 | 10.47 |
| अन्नपूर्णा | 0.61 | 0.34 | 0.95 | 0.55 | 0.28 | 0.83 | 0.81 | 0.34 | 1.15 | 0.68 | 0.29 | 0.97 |
| कल्याणकारी संस्थाएं/होस्टल | 2.51 | 0.61 | 3.12 | 2.67 | 0.66 | 3.33 | 2.96 | 0.87 | 3.83 | 2.75 | 0.58 | 3.33 |
| एन.पी.ए.जी.# | 0.56 | 0.20 | 0.76 | 0.31 | 0.06 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.10 |
| ई.एफ.पी. | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| ग्रामीण अनाज बैंक | 0.09 | 0 | | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.09 |
| सबला | | | | | | | | | | | | |
| जोड़ | 30.24 | 11.87 | 42.11 | 24.69 | 10.65 | 35.34 | 34.50 | 15.60 | 50.10 | 25.96 | 13.27 | 39.23 |

(आंकड़े लाख टन में)

| स्कीम | | 2011-2012 | | | | | | 2012-2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटन | | | उठान | | | आबंटन | | | उठान (फरवरी, 2013 तक) | | |
| | | चावल | गेहूं | जोड़ | चावल | गेहूं | जोड़ | चावल | गेहूं | जोड़ | चावल | गेहूं | जोड़ |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| मध्याह्न भोजन | | 22.29 | 4.84 | 27.13 | 19.17 | 4.49 | 23.66 | 23.83 | 4.67 | 28.50 | 18.45 | 3.86 | 22.31 |
| गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम** | | 5.65 | 9.52 | 15.17 | 2.63 | 8.79 | 11.42 | 4.24 | 9.88 | 14.12 | 2.40 | 7.62 | 10.02 |
| अन्नपूर्णा | | 0.64 | 0.32 | 0.96 | 0.66 | 0.21 | 0.87 | 0.67 | 0.29 | 0.96 | 0.47 | 0.11 | 0.58 |
| कल्याणकारी संस्थाएं/होस्टल | | 2.55 | 0.79 | 3.34 | 1.80 | 0.40 | 2.20 | 2.21 | 0.87 | 3.08 | 2.21 | 0.48 | 2.69 |
| एन.पी.ए.जी.# | | | | | | | | | | | | | |
| ई.एफ.पी. | | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| ग्रामीण अनाज बैंक | | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| सबला | | 1.57 | 1.16 | 2.73 | 0.21 | 0.50 | 0.71 | 0.78 | 1.02 | 1.80 | 0.21 | 0.62 | 0.83 |
| जोड़ | | 32.93 | 16.63 | 49.56 | 24.67 | 14.43 | 39.10 | 31.91 | 16.73 | 48.64 | 23.91 | 12.70 | 36.61 |

उपरोक्त में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों के आंकड़े भी शामिल हैं।

उठान में बैकलॉग कोटा शामिल है।

#इसके अतिरिक्त गुजरात को एन.पी.ए.जी. के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में 10000 टन मक्का और वर्ष 2009-10 में 7650.86 टन मक्का आबंटित किया गया था।

**इसके अतिरिक्त 2011-12 के दौरान 9185 टन मक्का और 5399 टन ज्वार सहित 14.584 टन खाद्यान्न आबंटित किया गया है और वर्ष 2012-13 के दौरान 10.000 टन मक्का और 6.000 टन ज्वार सहित 16.000 टन खाद्यान्न आबंटित किया गया है।

**डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग प्रौद्योगिकी**

6512. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:**

**डॉ. मन्दा जगन्नाथ:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अपराधियों को पकड़ने के लिए डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में अपराधियों को पकड़ने के लिए ऐसी प्रौद्योगिकी के पूर्ण प्रयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) जी हां। सरकार ने देश में अपराधियों को पकड़ने के लिए केंद्र और राज्य के स्तरों पर डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग प्रौद्योगिकी की स्थापना की है। केंद्रीय स्तर पर चंडीगढ़, हैदराबाद और कोलकाता में स्थित तीन केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है और नई दिल्ली में स्थित एक केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। राज्य के स्तर पर 14 राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं अगरतला, बेंगलुरू, देहरादून, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जंगा (हिमाचल प्रदेश), करनाल, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, रांची और सागर (मध्य प्रदेश) में स्थित हैं, जिनके पास डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग की सुविधा उपलब्ध है। सभी फोरेंसिक डी.एन.ए. पोफाइलिंग केंद्र डी एन.ए. प्रोफाइलिंग करने की आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इसके अतिरिक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग एवं डायगनोस्टिक्स सेंटर, हैदराबाद है जो कि इसी प्रकार के उद्देश्यों को पूरा कर रहा है।

(ग) डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग सुविधाओं वाली प्रयोगशालाएं, उन्हें विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों एवं न्यायालयों द्वारा भेजे गए मामलों का नियमित आधार पर परीक्षण कर रही है।

**नई छात्रवृत्ति योजना**

6513. **श्री मधु गौड यास्खी:**

**श्री किसनभाई वी. पटेल:**

**श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:**

**श्री प्रदीप माझी:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु कोई नई छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और अब तक इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार और कक्षा-वार संवितरित राशि कितनी है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य और कक्षा-वार लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रो. बलराम नायक):** (क) सरकार ने नौवीं तथा दसवीं कक्षा में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की नई स्कीम दिनांक 1.7.2012 से आरंभ की है।

(ख) और (ग) यह एक खुली स्कीम है। इस स्कीम के तहत पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले अनुसूचित जाति के सभी छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ यह शामिल है कि छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख रूपये है। अनुमत छात्रवृत्ति की दर निम्नलिखित है:

| मद | दिवा छात्र | छात्रावास में रहने वाले |
|---|---|---|
| छात्रवृत्ति (रु. प्रति माह) (10 माह के लिए) | 150 | 350 |
| पुस्तकें तथा तदर्थ अनुदान (रु. प्रति वर्ष) | 750 | 1000 |

अनुसूचित जाति के विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता प्रदान करने की भी अनुमति है।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्यवार जारी केन्द्रीय सहायता तथा लाभार्थियों की संख्या (प्रत्याशित) संलग्न विवरण में दी गई है।

## *विवरण*

*नौवीं एवं दसवीं कक्षा के लिए नई मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति के तहत वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी केन्द्रीय सहायता तथा प्रत्याशित लाभार्थियों की संख्या*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र<br>सहायता<br>(लाख रुपये) | जारी केन्द्रीय<br>प्रत्याशित<br>संख्या | लाभार्थियों की |
|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 11299.11 | 444807 |
| 2. | बिहार | 5467.24 | 251908 |
| 3. | गोवा | 2.31 | 119 |
| 4. | गुजरात | 1155.74 | 47185 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 862.44 | 40933 |
| 6. | झारखंड | 1202.87 | 56948 |
| 7. | कर्नाटक | 4781.30 | 198200 |
| 8. | केरल | 1984.19 | 93034 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 9695.44 | 449942 |
| 10. | मणिपुर | 9.11 | 414 |
| 11. | ओडिशा | 4068.60 | 185690 |
| 12. | पंजाब | 2154.53 | 186097 |
| 13. | राजस्थान | 4396.23 | 209345 |
| 14. | सिक्किम | 8.02 | 382 |
| 15. | तमिलनाडु | 4113.93 | 162544 |
| 16. | त्रिपुरा | 534.22 | 25439 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 29484.36 | 1111909 |
| 18. | उत्तराखंड | 1597.18 | 76009 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 10320.00 | 515000 |
| | | 93136.82 | 4055896 |

### स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

6514. **चौधरी लाल सिंह:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वैच्छिक संगठनों और समितियों को प्रदान की गई सहायता अनुदान का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसमें क्या उपलब्धियां रहीं;

(ग) क्या सरकार अब तक प्राप्त परिणामों से संतुष्ट है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या कुछ संगठन उन्हें प्रदान की गई निधियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी संगठन-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

**संस्कृति मंत्री (श्री चन्द्रेश कुमारी):** (क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों में संलग्न विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों और समितियां आदि को संस्कृति मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त वित्तीय सहायता/अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन स्कीमों में से किसी के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कोई भी आवंटन नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) इस देश की कला, संस्कृति और समृद्ध विरासत के संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन करने संबंधी इसके बृहत्तर अधिदेश के भाग में, यह मंत्रालय विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित करता है, जिसके अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों और समितियों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, यह संभव नहीं है कि उपलब्धियों का परिणामी निर्धारण किया जा सके।

(ङ) और (च) जी, हां। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (यू.सी.) के ब्यौरे, जो इन वर्षों के लिए देय थे, निम्नानुसार हैं:-

| वर्ष | लंबित यू.सी. की संख्या |
|---|---|
| 2010-11 | 446 |
| 2011-12 | 1299 |
| 2012-13 | 164 |

अनुदानग्राही संगठनों से अपेक्षित है कि वे द्वितीय और अनुवर्ती किस्मों को निर्मुक्त करते समय पूर्व में आवंटित निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। किसी भी संगठन को कोई निधि निर्मुक्त नहीं की जाती है, यदि यह सरकार से प्राप्त किसी पूर्व अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

***विवरण***

*वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान चालू स्कीमों के अंतर्गत निर्मुक्त सहायता अनुदान*

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | स्कीम | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 (अप्रैल 2013 तक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | विनिर्दिष्ट मंच कला परियोजना के लिए व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता | 30.16 | 35.63 | 45.07 | शून्य |
| 2. | सांस्कृतिक विकास में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुसंधान सहायता हेतु वित्तीय सहायता (सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम) | 9.05 | 11.26 | 9.34 | शून्य |
| 3. | बौद्ध एवं तिब्बती सांस्कृतिक कला के परिरक्षण और विकास हेतु सहायता | 3.60 | 1.03 | 2.03 | शून्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों के लिए भवन निर्माण अनुदान | 1.27 | 1.64 | 1.06 | शून्य |
| 5. | क्षेत्रीय और स्थानी संग्रहालयों का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण | 14.82 | 15.79 | 13.94 | शून्य |
| 6. | हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए सहायता | 0.41 | 0.19 | 0.75 | शून्य |
| 7. | शताब्दी/वर्षगांठ समारोह स्कीम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान | 0.13 | 0.01 | शून्य | शून्य |
| 8. | राष्ट्रीय स्मारक विकास और अनुरक्षण स्कीम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान | 0.24 | शून्य | शून्य | शून्य |

**कृषि योजनाओं का विलय**

6515. **श्री आनंदराव अडसुल:**

**श्री धर्मेन्द्र यादव:**

**श्री मधु गौड यास्खी:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 52 संबंधी योजनाओं को सात मुख्य योजनाओं में आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा और इनकी संख्या में पर्याप्त कमी करने के लिए इनके समेकन हेतु संभावित उपाए सुझाने के लिए बी.के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता के अंतर्गत कोई समिति गठित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त समिति ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) और (ख) 12वीं योजना में संकेन्द्रित दृष्टिकोण के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग की 51 स्कीमों की 5 मिशनों, पांच केन्द्रीय स्कीमों व एक राज्य योजना स्कीम की पुन: संरचना की जा रही है। इन मिशनों/स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सी.एस.एस.) की पुन: संरचना को देखने के लिए योजना आयोग ने श्री बी.के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में समिति गठित की है ताकि इसका लचीलापन, पैमाना व कुशलता में वृद्धि की जा सके। समिति ने सितंबर, 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(ङ) और (च) चतुर्वेदी समिति की रिपोर्ट और 12वीं योजना दस्तावेज की सिफारिशों पर विचार करते हुए विभाग की स्कीमों की पुन: संरचना की जा रही है।

***विवरण***

**मिशन**

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)
2. राष्ट्रीय बागवानी मिशन
3. राष्ट्रीय तिलहन व आयल पाम मिशन (एन.एम.ओ.ओ.पी.)
4. सूक्ष्म सिंचाई/राष्ट्रीय कृषि विस्तार व प्रौद्योगिकी मिशन सहित राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एन.एम.एस.ए.)

**स्कीमें**

1. समेकित किसान आय सुरक्षा (आई.एस.एफ.आई.एस.)

2. समेकित कृषि संगणन्ना व सांख्यिकी स्कीम

3. समेकित कृषि विपणन स्कीम

4. समेकित कृषि सहकारिता स्कीम

5. सचिवालय आर्थिक सेवा

**राज्य योजना स्कीम**

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

**एस.सी./एस.टी. पर पुलिस अत्याचार**

6516. **श्री भक्त चरण दास:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में अनुसूचित जातियों (एस.सी.) और अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) समुदायों पर पुलिस अत्याचारों के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए ऐसे मामलों और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की ओडिशा सहित राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) से (ग) अनुसूचित जाति (एस.सी.) और अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) समुदाय के सदस्यों पर पुलिस अत्याचार की कुछ शिकायतें मिली हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2009-11 के लिए क्रमशः पंजीकृत मामलों, आरोपपत्रित पुलिस कर्मियों और दोषसिद्ध पुलिस कर्मियों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं, और इस प्रकार, एस.सी./एस.टी. के प्रति अपराधों सहित, अपराधों की रोकथाम, उनका पता लगाना, उनके पंजीकरण, जांच और अभियोजन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, केन्द्र सरकार एस.टी./एस.टी. के प्रति अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के मामले को अत्यधिक महत्व देती है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एस.सी./एस.टी. के प्रति अपराधों पर दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को एक विस्तृत परामर्शी पत्र भेजा है।

एस.सी./एस.टी. संबंधी परामर्शी-पत्र में अनेक कदमों का उल्लेख किया गया है, जैसे सांविधिक प्रावधानों और विद्यमान कानूनों का कठोर और विवेकपूर्ण प्रवर्तन; सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों और सेमिनार आदि द्वारा एस.सी./एस.टी. के प्रति अपराधों के बारे में विधि प्रवर्तन मशीनरी को सुग्राही बनाना; एस.सी./एस.टी. के प्रति अपराधों से संबंधित कानूनों के बारे में सामान्य जागरूकता सुधारना, हिंसा गाली-गलौज और शोषण के मामलों को रोकने के लिए सामुदायिक मॉनटरिंग प्रणाली विकसित करना; एस.सी./एस.टी. के प्रति अपराधों के मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज करने में कोई देरी नहीं करना; निवारक उपाय करने के लिए आर्थिक और सामाजिक अत्याचार संभावित क्षेत्रों की पहचान करना; अत्याचारों आदि के पीड़ितों के पुनर्वास के पर्याप्त उपाय करना इत्यादि।

***विवरण***

*वर्ष 2009-11 के दौरान पुलिस द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों के अन्तर्गत पंजीकृत मामले (सी.आर.), आरोपपत्रित पुलिस कर्मी (सी.एस.) और दोषसिद्ध पुलिस कर्मी (सी.वी.)*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सी.आर. | सी.एस. | सी.वी. | सी.आर. | सी.एस. | सी.वी. | सी.आर. | सी.एस. | सी.वी. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | बिहार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | झारखण्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | कर्नाटक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | केरल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | महाराष्ट्र | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | ओडिशा | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 21. | पंजाब | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | राज़स्थान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | उत्तराखण्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **कुल (राज्य)** | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | चण्डीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पुडुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल (संघ राज्य क्षेत्र) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल (अखिल भारत) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |

*[हिन्दी]*

**सी.एस.आर. के अंतर्गत लिए गए कार्य**

6517. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:**

**श्री पशुपति नाथ सिंह:**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोक उद्यम विभाग द्वारा सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों हेतु स्वीकृत वर्तमान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) नीति क्या है;

(ख) कोल इण्डिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा यह नीति राज्य और सहायक कंपनी-वार किस ढंग में लागू और कार्यान्वित की जा रही है और सी.आई.एल. और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सी.एस.आर. नीति के अंतर्गत सी.आई.एल. और इसकी सहायक कंपनियों के कार्यों की निगरानी के लिए अपनाया गया तंत्र क्या है;

(घ) क्या सरकार को कोयला कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. नीति के गेर-कार्यान्वयन के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य और सहायक कंपनी-वार क्या कार्रवाई की गई है?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील):** (क) सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) के संबंध में 09 अप्रैल, 2010 को दिशा-निर्देश जारी किए थे जिनमें संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) से संबंधित सामाजिक एवं पर्यावरण चिन्ताओं के साथ एकीकृत किये जाने वाले सी.एस.आर. के अधीन व्यवसाय प्लान की आवश्यकता है। कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की एक सी.एस.आर. नीति इन दिशा-निर्देशों पर आधारित है जो उसकी सहायक कंपनियों पर भी लागू है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीयता से संबद्ध नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो सार्वजनिक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह सी.आई.एल. के लिए भी लागू हैं।

(ख) सी.आई.एल. की सी.एस.आर. नीति के अनुसार सी.एस.आर. के अंतर्गत सहायक कंपनियों द्वारा परियोजना मुख्यालय के 25 कि.मी. के दायरे तथा राज्य, जहां सहायक कंपनियां संचालन कर रही हैं, में कार्यकलाप शुरू करने हेतु आबंटित बजट की 80% राशि परियोजना/खानों के 25 कि.मी. के दायरे में खर्च की जाती है तथा बजट की 20% राशि राज्य के अंदर खर्च की जाती है? सी.एस.आर. कार्यकलाप सी.आई.एल. द्वारा व्यापक रूप से उन क्षेत्रों में किया

जाएगा जो सहायक कंपनियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सी.एस.आर. में कई कार्यकलाप कवर किये गये हैं जिनमें शिक्षा, जलापूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक अधिकारिता, अवसंरचना विकास शामिल है।

वर्ष 2012-13 के दौरान सी.आई.एल. तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा वहन किये गये व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

| सहायक कंपनी | 31.03.2013 तक व्यय | वर्ष 2012-13 की निधि से प्रतिबद्ध/संस्वीकृत राशि | वर्ष 2012-13 (अनंतिम) के लिए उपयोग की गई कुल राशि |
|---|---|---|---|
| क | ख | ग | घ (ख+ग) |
| ई.सी.एल. | 8.94 | 16.06 | 25.00 |
| बी.सी.सी.एल. | 8.40 | 2.30 | 10.70 |
| सी.सी.एल | 12.15 | 33.15 | 45.30 |
| डब्ल्यू.सी.एल. | 20.21 | 12.13 | 32.34 |
| एस.ई.सी.एल. | 49.93 | 180.69 | 230.62 |
| एम.सी.एल. | 25.25 | 59.44 | 84.69 |
| एन.सी.एल. | 3.42 | 82.68 | 86.10 |
| सी.एम.पी.डी.आई.एल. | 0.84 | 0.79 | 1.63 |
| सी.आई.एल./एन.ई.सी. | 8.17 | 23.96 | 32.13 |
| कुल | 137.31 | 411.20 | 548.51 |

(ग) सी.आई.एल. एवं इसकी सहायक कंपनियां महाप्रबंधक की अध्यक्षता वाली अलग सी.एस.आर. विभागों के माध्यम से सी.एस.आर. कार्यकलाप शुरू कर रही है। इसके अलावा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल साइंसेज (टी.आई.एस.एस.) के साथ समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है जो कि सी.एस.आर. परियोजनाओं/प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए सहायता करने हेतु एक राष्ट्रीय सी.एस.आर. केन्द्र है। सी.एस.आर. प्रस्तावों पर विचार करने हेतु एक 6-सदस्यीय सी.एस.आर. समिति बनाई गई हैं। इसके अलावा, एक करोड़ तथा इससे अधिक वाली सी.एस.आर. परियोजनाओं/वित्तीय प्रस्तावों पर विचार करने तथा अनुमोदन हेतु एक बोर्ड स्तरीय सी.एस.आर. तथा धारंणीय विकास समिति गठित की गई है। सी.आई.एल. द्वारा शुरू किए सी.एस.आर. कार्यकलापों की मानीटरिंग कोयला मंत्रालय में सी.आई.एल. तथा इसकी सहायक कंपनियों के निष्पादन की नियमित समीक्षा के भाग के रूप में की जाती है।

(घ) और (ङ) सरकार को सी.आई.एल. अथवा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. नीति के कार्यान्वयन नहीं होने के संबंध में कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है। तथापि, सी.एस.आर. परियोजनाओं/प्रस्तावों के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले सुझावों को सी.आई.एल. एवं सहायक कंपनियों को नीति के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

**आंतरिक सुरक्षा संबंधी सम्मेलन**

6518. **श्री ए.टी. नाना पाटील:**

**श्री हर्ष वर्धन:**

**श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:**

**श्री एस.एस. रामासुब्बू:**

**श्री असादूद्दीन ओवेसी:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में आंतरिक सुरक्षा, पुलिस सुधारों संबंधी दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों, लोक

व्यवस्था प्रबंधन, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार, फेडरल (संघीय) अपराधों और विशेष कानूनों और लोक व्यवस्था के प्रबंधन में सिविल समाज और मीडिया की भूमिका पर नई दिल्ली में राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सम्मेलन में चर्चा और लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) से (ग) सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.) द्वारा तैयार की गई "लोक व्यवस्था: प्रत्येक के लिए न्याय....सबके लिए शांति" नामक शीर्षक वाली रिपोर्ट में कुल 165 सिफारिशें शामिल हैं। इन सिफारिशों में लोक व्यवस्था के क्षेत्र में व्यापक-शृंखलाबद्ध सुधार शामिल हैं। उनमें पुलिस सुधार, लोक व्यवस्था प्रबंधन, दंड न्याय प्रणाली में सुधार, फेडरल अपराध और विशेष कानून तथा लोक व्यवस्था के प्रबंधन में सिविल सोसायटी एवं मीडिया की भूमिका शामिल हैं। 5वीं रिपोर्ट दी गई कुल 165 सिफारिशों में से 153 सिफारिशें राज्य सरकारों से संबंधित हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार 5वीं रिपोर्ट और द्वितीय ए.आर.सी. में समविष्ट अधिकांश सिफारिशों का कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जाना है। अत: यह महत्वपूर्ण है कि इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व इन 153 सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किए जाएं। तदनुसार, इन 153 सिफारिशों पर राज्यों से टिप्पणी/विचार प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। इन 153 सिफारिशें पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए हाल ही में दिनांक 15.04.2013 को मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विचारों/टिप्पणियों के आलोक में अब इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

## विस्थापित कश्मीरियों को सहायता

**6519. श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक विस्थापित कश्मीरी को अनुग्रह राशि और ऋण के रूप में वितरित की गई राशि कितनी है;

(ख) जम्मू-कश्मीर और राज्य के बाहर विशेषकर दिल्ली में स्थित कैम्पों में ऐसे विस्थापित परिवारों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा विस्थापित कश्मीरियों को वापस कश्मीर घाटी में भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अब तक घाटी में वापस गए परिवारों की अनुमानित संख्या कितनी है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान कश्मीरी प्रवासियों को अनुग्रह राहत के रूप में संवितरित राशि निम्नवत है:

| वर्ष | संवितरित राशि (लाख रुपए में) |
|---|---|
| 2010-11 | 24.82 |
| 2011-12 | 13.49 |
| 2012-13 | 06.43 |

विगत तीन वर्षों के दौरान कश्मीरी प्रवासियों को कोई ऋण नहीं दिया गया है।

(ख) जम्मू एवं दिल्ली में शिविरों में रह रहे कश्मीरी प्रवासियों की संख्या निम्नवत है:

| | |
|---|---|
| **जम्मू** | |
| जगती शहर | 3498 परिवार |
| पुरकू शिविर | 256 परिवार |
| मुठी शिविर | 384 परिवार |
| नगरोटा शिविर | 384 परिवार |
| दिल्ली | दिल्ली में कोई शिविर नहीं है। |

(ग) कश्मीरी प्रवासियों की वापसी एवं पुनर्वास के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने अप्रैल, 2008 में 1618.40 करोड़ रु. के एक व्यापक पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में आवास, मार्गस्थ आवास, रोजगार/नकद राहत को जारी रखना आदि शामिल है।

(घ) एक परिवार घाटी में वापस गया है।

## अभियोजन हेतु स्वीकृति

**6520. श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किसी केन्द्रीय बल के सदस्यों के अभियोजन हेतु स्वीकृति जनवरी, 2011 से मंत्रालय के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) जी, नहीं। उपलब्ध रिकार्डो के अनुसार, माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किसी भी केन्द्रीय बल के सदस्यों के अभियोजन हेतु स्वीकृति का कोई भी मामला जनवरी, 2011 से मंत्रालय के पास लंबित नहीं है।

*[अनुवाद]*

### उच्च उत्पादन सब्जियां

**6521. श्री चार्ल्स डिएस:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक अनुसंधान संस्थानों ने विगत तीन वर्षों के दौरान आनुवांशिक रूप से संवर्धित सब्जियों के अतिरिक्त अधिक उत्पादन वाली सब्जी की किस्में विकसित की हैं;

(ख) यदि हां, तो विकसित किस्में कौन सी हैं और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि की मात्रा कितनी है; और

(ग) कृषि अनुसंधान संस्थानों के नाम क्या हैं और सब्जियों के उच्च उत्पादन हेतु अनुसंधान कार्य स्थलों की उपस्थिति क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) जी, हां।

(ख) भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आई.आई.एच.आर.) बेंगलुरू ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 10 सब्जी फसलों की 23 किस्में जारी की हैं। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किस्में हैं टमाटर अर्क सम्राट, अर्क रक्षक; तरबूज, अर्क मुथू; फ्रँच बीन; अर्क सारथ; लोबिया; अर्क मंगला; डोलिकोस बीन; अर्क सौम्या, अर्क सीरम, अर्क अमोघ, अर्क स्वागत; मटर; अर्क प्रिया, अर्क प्रमोद, अर्क अपूर्वा; प्याज; अर्क स्वादिष्ट, अर्क उज्ज्वल, अर्क विश्वास, अर्क सोना, अर्क अक्षय (एस.वाई.एन.-4), अर्क भीम (एस.वाई.एन.-6); चौलाई: अर्क समरक्षा, अर्क वर्णा; फूलगोभी: अर्क विमल (आई.आई.एच.आर.-316-1), अर्क स्फूर्ति (आई.आई.एच.आर.-371-1); धनिया: अर्क इशा।

भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (आई.आई.वी.आर.) वाराणसी द्वारा जारी किस्में टमाटर; काशी अभिमान; मिर्च; काशी सिंदूरी; लोबिया: काशी उन्नति, काशी निधि; डोलिकोस बीन काशी हरीतिमा; तोरी: काशी दिव्या; परवल: काशी अलंकार।

उपरोक्त ये सभी किस्में किसानों के खेतों में लोकप्रियता प्राप्त कर रही हैं जहां अपेक्षित मात्रा में इन किस्मों के गुणवत्ता बीज का उत्पादन किया गया है। इन किस्मों के खेत परीक्षणों में 15-20 प्रतिशत तक पैदावार में वृद्धि हुई है और किसानों के खेतों पर इनका प्रदर्शन किया गया है।

(ग) सब्जी फसलों पर कार्य कर रहे संस्थान हैं: आई.आई.एच.आर., बेंगलुरू; आई.आई.वी.आर., वाराणसी, डी.ओ.जी.आर., पुणे; सी.पी.-आर.आई., शिमला; सी.आई.ए.एच.ए. बीकानेर, सी.आई.टी.एच., श्रीनगर; वी.पी.के.ए.एस.ए. अल्मोड़ा; उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भाकृअप का अनुसंधान परिसर, बड़ापानी; पूर्वी क्षेत्र के लिए भाकृअप का अनुसंधान परिसर, पटना, सी.ए.आर.आई., पोर्ट ब्लेयर; आई.ए.-आर.आई., नई दिल्ली।

*[हिन्दी]*

### कोयला ब्लॉकों को पर्यावरणीय स्वीकृति

**6522. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी निजी कंपनियों को राज्य-वार कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने निजी कंपनियों को आबंटित कोयला ब्लॉकों के लिए पर्यावरणीय और वन स्वीकृति प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त में से कितने कोयला ब्लॉकों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है;

(घ) इन कोयला कंपनियों को पर्यावरणीय और वन स्वीकृति प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष कोयला ब्लॉकों को पर्यावरणीय स्वीकृति कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील):** (क) विभिन्न राज्येां में स्थित कोयला ब्लॉक जिन निजी कंपनियों को आबंटित किए गए हैं उनके ब्यौरे निम्नवत हैं:

| राज्य का नाम जहां कोयला ब्लॉक स्थित हैं | आबंटित कोयला ब्लॉकों की संख्या | उन निजी कंपनियों की संख्या जिन्हें कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए |
|---|---|---|
| छत्तीसगढ़ | 26 | 40 |
| झारखंड | 32 | 37 |
| मध्य प्रदेश | 11 | 13 |
| महाराष्ट्र | 19 | 24 |
| ओडिशा | 15 | 33 |
| पश्चिम बंगाल | 06 | 14 |

(ख) से (ङ) सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने सहित आबंटन पत्र के साथ संलग्न निर्धारित दिशानिर्देशों और लक्ष्य चार्ट के अनुसार कोयला ब्लॉक विकसित करने की जिम्मेदारी पूर्णांक आबंटिती कंपनी का है।

*[अनुवाद]*

**सुरक्षा प्रदान करने के लिए सी.आई.एस.एफ. की नई यूनिट**

6523. **श्री अवतार सिंह भडाना:**

**श्री जे.एम. आरुन रशीद:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) ने वी.वी.आई.पी./वी.आई.पी. सुरक्षा के संरक्षियों को जेड-प्लस श्रेणी प्रदान करने के लिए एक नई यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सी.आई.एस.एफ. संरक्षियों की जेड-प्लस श्रेणी का सामना करने के लिए कमांडों के एक विशिष्ट पूल का भी निर्माण कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वी.वी.आई.पी./वी.आई.पी. सुरक्षा हेतु सी.आई.एस.एफ. यूनिटों की स्थापना हेतु निर्धारित कुल राशि कितनी है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) के पास श्रेणीकृत संरक्षियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु पहले से ही एक समर्पित विशेष सुरक्षा समूह (एस.एस.जी.) हैं। एस.एस.जी. जिसके कार्मिकों की स्वीकृत संख्या 1200 है, का गठन श्रेणीकृत सुरक्षा कवर के तहत आने वाले संरक्षियों के संबंध में विद्यमान सुरक्षा व्यवस्थाओं को संपूरित और सुदृढ़ करने के लिए किया गया था।

(ग) और (घ) एस.एस.जी. कार्मिकों को विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात संरक्षियों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**सफेद चने का उत्पादन**

6524. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**

**श्री प्रदीप माझी:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में सफेद चने के उत्पादन और इसकी खेती के अंतर्गत क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत विश्व में सफेद चने के सबसे बड़े उत्पादकों ओर खपत करने वालों में से एक है और यदि हां, तो इसका तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सफेद चने के संबंध में व्यवस्थित और संगठित अनुसंधान हेतु कोई परियोजना प्रारंभ की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में इस फसल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रस्तावित अन्य नवाचारी उपाय क्या हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर)**: (क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष अर्थात 2009-10 से 2012-13 के दौरान सफेद चने के क्षेत्र एवं उत्पादन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) जी हां। 2011 के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, भारत विश्व में सफेद चने का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। भारत में सफेद चने के उत्पादन की तुलना में विश्व में अन्य मुख्य सफेद चना उत्पादक देशों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

| देश | उत्पादन (हजार टन) |
|---|---|
| भारत | 8221.10 |
| आस्ट्रेलिया | 513.34 |
| म्यांमार | 466.74 |
| तुर्की | 487.48 |
| ईथोपिया | 322.84 |
| पाकिस्तान | 496.00 |
| इरानी ईस्लामिक लोकतंत्र | 290.24 |
| कनाडा | 290.24 |
| तंजानिया संयुक्त लोकतंत्र | 71.18 |

टिप्पणी: 2010-11 के लिए भारत के आंकड़े सरकारी अनुमानों के अनुसार हैं।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) सफेद चने पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आई.आई.पी.आर.), कानपुर एवं अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत अपनी चालू योजना परियोजनाओं के माध्यम से क्रमबद्ध एवं सघन अनुसंधान कार्य करता है। इस अनुसंधान कार्यक्रम में स्थान विशिष्ट जलवायु लचीले उच्च पैदावार वाले सफेद चने की किस्मों तथा उन्नत उत्पादन एवं रक्षात्मक प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए मूल एवं नीतिगत अनुसंधान शामिल हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान सफेद चने की कुल 13 उच्च पैदावार वाली किस्में जारी की गई हैं। इसके अतिरिक्त, प्रमाणित बीजों में बढ़ोत्तरी करने के लिए सफेद चने की उन्नत किस्मों के 3078 टन प्रजनक बीजों का भी उत्पादन किया गया था ताकि किसानों को गुणवत्ता बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

(ङ) देश में सफेद चने सहित दलहनों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, भारत सरकार अनेक फसल विकास योजनाएं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही हैं अर्थात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन (एन.एफ.एस.एम.-दलहन), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) आदि। एकीकृत तिलहन, दलहन, पाम आयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम) के दलहन घटक को शामिल करके 1.4.2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को सुदृढ़ किया गया है। इसके अतिरिक्त, दलहनों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए ब्लॉक प्रदर्शनों के रूप में मुख्य प्रौद्योगिकियों के सक्रिय प्रचार-प्रसार की शुरुआत करने के लिए 2010-11 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 'त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (एउपी)' नामक एक नए कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा, 2012-13 के दौरान 19 मिलियन टन से भी अधिक दलहन उत्पादन को प्राप्त करने के लिए एक विशेष योजना की भी शुरुआत की गई है।

***विवरण***

*सफेद चने का क्षेत्र एवं उत्पादन*

| राज्य | क्षेत्र ('000 हेक्टेयर) | | | | उत्पादन ('000 टन) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13* | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **आन्ध्र प्रदेश** | 647.0 | 584.0 | 565.0 | 631.0 | 846.0 | 720.0 | 520.0 | 798.0 |
| असम | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| बिहार | 57.6 | 50.8 | 59.3 | 60.5 | 58.4 | 60.3 | 76.8 | 78.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| छत्तीसगढ़ | 252.2 | 251.9 | 241.6 | 241.6 | 221.9 | 241.5 | 240.4 | 240.4 |
| गुजरात | 132.0 | 176.0 | 240.0 | 150.0 | 125.0 | 200.0 | 273.0 | 171.0 |
| हरियाणा | 84.0 | 112.0 | 79.0 | 85.0 | 62.0 | 110.0 | 72.0 | 74.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.4 |
| जम्मू और कश्मीर | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| झारखण्ड | 63.0 | 69.9 | 127.5 | 130.3 | 57.6 | 73.5 | 136.0 | 108.1 |
| कर्नाटक | 972.0 | 959.0 | 803.0 | 1081.0 | 574.0 | 631.0 | 468.1 | 534.0 |
| मध्य प्रदेश | 3085.5 | 3112.1 | 3043.7 | 3140.5 | 3304.1 | 2686.6 | 3290.3 | 3500.0 |
| महाराष्ट्र | 1291.0 | 1438.0 | 1051.0 | 1219.0 | 1114.0 | 1300.0 | 815.0 | 950.0 |
| ओडिशा | 45.0 | 41.9 | 39.0 | 60.0 | 33.7 | 32.7 | 29.8 | 50.0 |
| पंजाब | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 4.0 | 3.4 | 2.7 | 2.0 | 4.8 |
| राजस्थान | 884.4 | 1783.3 | 1433.9 | 1480.0 | 534.6 | 1600.7 | 1061.1 | 1308.3 |
| तमिलनाडु | 7.4 | 7.3 | 8.6 | 9.8 | 4.5 | 4.9 | 5.5 | 6.3 |
| उत्तर प्रदेश | 618.0 | 570.0 | 577.0 | 600.0 | 509.0 | 530.0 | 684.0 | 711.0 |
| उत्तराखण्ड | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 2.0 |
| पश्चिम बंगाल | 21.8 | 22.1 | 23.3 | 25.0 | 24.2 | 23.7 | 24.4 | 28.0 |
| अन्य | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
| अखिल भारत | 8169.2 | 9185.6 | 8299.1 | 8925.1 | 7475.9 | 8221.1 | 7702.3 | 8567.8 |

*08.02.2013 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान

**क्षेत्रीय फिल्मों का संरक्षण/डिजिटलीकरण**

6525. **श्री एम.के. राघवन:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा मलयालम फिल्म उद्योग सहित क्षेत्रीय फिल्म उद्योग की फिल्मों की अभिलेखीय समृद्धता को बनाए रखने, डिजिटलीकरण, संरक्षण और जनता को सुलभ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) अब तक मलयालम भाषा सहित डिजिटलीकरण की नई फिल्मों का ब्यौरा क्या है और इन फिल्मों को थिएटरों में दिखाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में केरल सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मीडिया और मनोरंजन क्षेत्रों हेतु उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एन.एफ.ए.आई.) का गठन भारतीय सिनेमा की विरासत के सुरक्षोपाय हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। श्रव्य-दृश्य सामग्री की आशोध्य क्षति से बचने के लिए एन.एफ.ए.आई. ने अभी तक 566 फिल्मों का डिजिटीकरण किया है जिनमें मलयालम भाषा की फिल्में भी शामिल हैं, ऐसी फिल्मों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

| भाषा | फिल्मों की संख्या |
|---|---|
| असमिया | 13 |
| अंग्रेजी | 12 |
| हिंदी | 225 |
| कश्मीरी | 1 |
| मणिपुरी | 3 |
| उड़िया | 4 |
| तमिल | 56 |
| उर्दू | 4 |
| बंगाली | 80 |
| गुजराती | 4 |
| कन्नड़ | 20 |
| मलयालम | 51 |
| मराठी | 40 |
| पंजाबी | 3 |
| तेलुगू | 20 |
| मूक फिल्में | 30 |

उपरोक्त के अतिरिक्त, फिल्मी धरोहर के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन हेतु 'राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन' नामक एक व्यापक परियोजना की अभिकल्पना की गई है।

थिएटरों में फिल्म की सार्वजनिक स्क्रीनिंग निजी क्षेत्र की पहल है। तथापि, सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रतिलिप्याधिकार के स्वामियों के पूर्व अनुमोदन से फिल्मोत्सवों में संरक्षित एवं पुनर्स्थापित फिल्मों की गैर-व्यावसायिक स्क्रीनिंग करता ही है।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय दो संस्थाएं संचालित करता है जो पुणे और कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ऐनीमेशन एवं स्पेशल इफेक्ट में एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र मोहाली, पंजाब में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि ऐनीमेशन उद्योग में युवाओं की जाब कौशल प्रदान करने की बढ़ती जरूरत को पूरा किया जा सके।

मीडिया क्षेत्र में भारतीय जनसंचार संस्थान (आई.आई.एम.सी.) 12वीं योजना स्कीम 'आई.आई.एम.सी. के नए क्षेत्रीय केन्द्रों को खोला जाना' के अंतर्गत जम्मू (जम्मू और कश्मीर), आइजोल (मिजोरम), अमरावती (महाराष्ट्र) और कोट्टायम (केरल) में आई.आई.एम.सी. के चार नए क्षेत्रीय केंद्र स्थापित कर रहा है।

**एफ.एम. रेडियो स्टेशनों को प्रोत्साहन**

**6526. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:**

**श्री जगदीश सिंह राणा:**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देशभर में एफ.एम. रेडियो स्टेशनों के परिचालन को किसी प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अब तक की उपलब्धियों से संतुष्ट हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एफ.एम. रेडियो से सरकार द्वारा अर्जित राजस्व का राज्य/संघ राज्यक्षे-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) एक एफ.एम. स्टेशन की स्थापना पर आने वाला अनुमानित कुल व्यय कितना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) और (ख) निजी एजेंसियों के माध्यम से एफ.एम. रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार (चरण-III) संबंधी नीति दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रोत्साहन शामिल हैं:- एफ.डी.I + एफ.II को 20% से बढ़ाकर 26% करना, आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को इन्हें अपरिवर्तित रूप में प्रसारित करना, प्रसारक के चैनल के भीतर चैनलों की नेटवर्किंग और एक नगर में बहु-चैनलों की अनुमति इस नीति में पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू व कश्मीर तथा द्वीपीय भू-क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहनों की भी व्यवस्था है।

चरण-II की तुलना में चरण-III के लिए अनुमोदित नीति की मुख्य-मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आकाशवाणी (ए.आई.आर.) एफ.एम. रेडियो स्टेशनों और निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों के माध्यम से सरकार द्वारा पिछले

तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अप्रैल, 2013 तक) के दौरान अर्जित राजस्व के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-II और विवरण-III में दिए गए हैं।

(च) आकाशवाणी ने सूचना दी है कि एफ.एम. रेडियो स्टेशन की स्थापना में शामिल अनुमानित पूंजी लागत पांच करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये (अनुमानित) के बीच हो सकती है जोकि स्थान, ट्रांसमीटर की शक्ति और प्रदान की जा रही स्टूडियो सुविधाओं आदि पर निर्भर है।

जहां तक निजी एफ.एम. रेडियो का संबंध है, एफ.एम. रेडियो स्टेशन की स्थापना/उसके संचालन का सम्पूर्ण व्यय स्वयं निजी एफ.एम. आपरेटरों द्वारा वहन किया जाता है।

*विवरण-I*

*चरण-II की तुलना में चरण-III हेतु अनुमोदित नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:*

(i) रेडियो प्रचालकों को आकाशवाणी समाचार बुलेटिनों को केवल अपरिवर्तित रूप में प्रसारित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

(ii) कतिपय श्रेणियों जैसे खेल-कूद की घटनाओं, यातायात एवं मौसम, सांस्कृतिक समारोहों की कवरेज, उत्सवों, परीक्षाओं परीक्षाफलों, दाखिलों कैरियर संबंधी परामर्श, रोजगार अवसरों की उपलब्धता, नागरिक सुख सुविधाओं जैसे बिजली, पानी की आपूर्ति, प्राकृतिक आपदाएं, स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी आदि से संबंधित लोक उद्घोषणाओं के संबंध में स्थानीय प्रशासन द्वारा यथा प्रदत्त सूचना का प्रसारण गैर-समाचारां एवं सम-सामयिक घटनाओं का प्रसारण माना जाएगा तथा इसलिए वह अनुमत्य होगा।

(iii) निजी प्रचालकों को एक चैनल से अधिक परंतु किसी शहर में चैनलों की कुल संख्या के 40% से अधिक चैनलों का स्वामित्व रखने की अनुमति प्रदान की जाएगी जो कि शहर में न्यूनतम तीन विभिन्न प्रचालकों को प्रदान की गई अनुमति के अध्यधीन होगी।

(iv) लाइसेंस शुल्क का निर्धारण सकल राजस्व के 4 प्रतिशत अथवा बोली मूल्य के 2.5% जो भी अधिक हो, के रूप में किया जाएगा।

(v) एक निजी एफ.एम. रेडियो प्रसारण कंपनी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश की कुल सीमा 20% से बढ़ाकर 26% कर दी गई है।

(vi) संपूर्ण देश में इस समय अनुमति प्राप्त किसी क्षेत्र के 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के शहरों में नेटवर्किंग के बजाए निजी एफ.एम. प्रसारक के अपने नेटवर्क के भीतर चैनलों की नेटवर्किंग अनुमत्य होगी।

(vii) निजी एफ.एम. प्रसारकों को एल.ओ.आई. के जारी किए जाने के 3 माह की अवधि के भीतर सी.टी.आई. के निर्माण कार्य हेतु बेसिल के अलावा किसी अन्य एजेंसी का चयन करने का विकल्प प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है जिसके पूरा न होने पर बेसिल स्वचालित रूप से प्रणालीगत समाकलक हो जाएगा तथा सह-अवस्थिति सुविधाओं एवं सी.टी.आई. की स्थापना करेगा।

(xi) पूर्वोत्तर (एन.ई.) क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर (जे. ऍंड के.) और द्वीप-समूह क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन:

- पूर्वोत्तर (एन.ई.) क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर (जे. ऍंड के.) और द्वीप-समूह क्षेत्रों के प्राइवेट एफ.एम. रेडियो प्रसारकों को उस तारीख से जिस तारीख को वार्षिक लाइसेंस शुल्क देय होता है और पंद्रह (15) वर्षों की अनुमति अवधि प्रारंभ होती है, प्रारंभ में तीन वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क की आधी दर पर भुगतान करना अपेक्षित होगा।

- दिशा-निर्देशों के जारी होने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए संशोधित शुल्क संरचना भी इन राज्यों के मौजूदा प्रचालकों के लिए लागू की गई है, ताकि वे नए प्रचालकों के साथ प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें।

- शुल्क में छूट देने के अलावा, यह प्रस्ताव किया गया है कि ऐसे क्षेत्रों में समान श्रेणी के शहरों के लिए प्रसार भारती ढांचागत सुविधा पट्टे/किराए की आधी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

- किसी संस्था को राष्ट्रीय स्तर पर आबंटित किए जाने वाले चैनलों के स्वामित्व संबंधी सीमा को 15 प्रतिशत तक बनाए रखा गया है। तथापि, जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीप समूह क्षेत्रों में आवंटित चैनलों के 15 प्रतिशत की राष्ट्रीय सीमा के अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी ताकि ऐसे क्षेत्रों में चैनलों के लिए बोली प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके।

**विवरण-II**

*आकाशवाणी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों द्वारा अर्जित राजस्व*

(करोड़ रु. में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्त वर्ष 2010-11 | वित्त वर्ष 2011-12 | वित्त वर्ष 2012-13 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | गुजरात और संघ राज्य क्षेत्र-दमन और दीव | 0.8513 | 0.8671 | 0.2263 |
| 2. | कर्नाटक | 2.4791 | 2.2299 | 1.2662 |
| 3. | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ | 1.7131 | 1.7292 | 0.8702 |
| 4. | हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र-चंडीगढ़ | 3.7373 | 3.8074 | 0.5659 |
| 5. | तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी | 10.4919 | 14.1288 | 15.0564 |
| 6. | ओडिशा | 0.4368 | 0.5063 | 0.4576 |
| 7. | दिल्ली | 5.7320 | 6.0885 | 6.7647 |
| 8. | आन्ध्र प्रदेश | 1.3192 | 1.1820 | 1.1920 |
| 9. | राजस्थान | 0.3909 | 0.4034 | 0.0739 |
| 10. | उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड | 1.0729 | 0.9062 | 1.0633 |
| 11. | पश्चिम बंगाल/पूर्वोत्तर/सिक्किम | 2.2808 | 2.3826 | 1.1903 |
| 12. | महाराष्ट्र और गोवा | 3.3653 | 4.1881 | 2.2359 |
| 13. | बिहार और झारखंड | 3.7779 | 3.7206 | 0.2786 |
| 14. | जम्मू और कश्मीर | 0.4492 | 0.4386 | 0.1092 |
| 15. | केरल और संघ राज्य क्षेत्र-लक्षद्वीप | 1.6181 | 2.1665 | 1.6410 |
| 16. | केन्द्रीय विंडो बुकिंग के द्वारा सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (एल.आर.एस. को जोड़ा नहीं गया है) | 20.1929 | 24.5781 | 26.4032 |
| | कुल | 59.9087 | 69.3233 | 59.3947 |

*वर्तमान वर्ष के लिए (अर्थात अप्रैल, 2013 के लिए) आकाशवाणी की क्षेत्रीय इकाइयों से आंकड़े प्राप्त किए जाने शेष हैं।

**विवरण-III**

(करोड़ रु. में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्त वर्ष 2010-11 | वित्त वर्ष 2011-12 | वित्त वर्ष 2012-13 | वित्त वर्ष 2013-14 (30.04.2013 के अनुसार स्थिति) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 3.0707 | 3.6568 | 3.4497 | 0.8564 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.0033 | 0.0012 | 0.0065 | 0 |
| 3. | असम | 0.1423 | 0.2950 | 0.2260 | 0.0549 |
| 4. | बिहार | 0.3802 | 0.7159 | 0.5691 | 0.1212 |
| 5. | चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) | 0.7491 | 1.0319 | 0.9311 | 0.2529 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 0.3799 | 0.4253 | 0.4425 | 0.1106 |
| 7. | दिल्ली | 9.0655 | 11.9308 | 11.0283 | 2.6780 |
| 8. | गोवा | 0.1230 | 0.2132 | 0.1983 | 0.0465 |
| 9. | गुजरात | 2.9567 | 4.1153 | 3.5929 | 0.9173 |
| 10. | हरियाणा | 0.1765 | 0.2099 | 0.4010 | 0.0384 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 0.1381 | 0.1670 | 0.1803 | 0.0352 |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | 0.1392 | 0.1899 | 0.2545 | 0.0525 |
| 13. | झारखंड | 0.3346 | 0.5522 | 0.4607 | 0.1018 |
| 14. | कर्नाटक | 4.1619 | 5.8108 | 5.2374 | 1.4759 |
| 15. | केरल | 2.2111 | 2.5265 | 2.6630 | 0.7171 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 1.4858 | 1.7085 | 2.0731 | 0.4049 |
| 17. | महाराष्ट्र | 10.0588 | 12.8194 | 13.3346 | 3.1487 |
| 18. | मेघालय | 0.0339 | 0.0675 | 0.0492 | 0.0093 |
| 19. | मिज़ोरम | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0 |
| 20. | ओडिशा | 0.3410 | 0.5375 | 1.0004 | 0.0932 |
| 21. | पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र) | 0.2812 | 0.3637 | 0.3166 | 0.0791 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | पंजाब | 0.6847 | 1.0083 | 1.0079 | 0.2305 |
| 23. | राजस्थान | 1.6426 | 2.0536 | 1.7488 | 0.4536 |
| 24. | सिक्किम | 0.0155 | 0.0285 | 0.2268 | 0.0053 |
| 25. | तमिलनाडु | 5.4144 | 6.6937 | 6.1304 | 1.5413 |
| 26. | त्रिपुरा | 0.0041 | 0.0196 | 0.0081 | 0.0033 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 2.7284 | 3.2134 | 3.0195 | 0.7550 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 2.7238 | 4.0518 | 2.9738 | 0.7484 |
| | कुल | 49.4464 | 64.4073 | 61.5307 | 14.9313 |

*[हिन्दी]*

**फल और सब्जी से जुड़े सहकारी केन्द्र**

**6527. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रतिवर्ष सड़ने वाले फलों और सब्जियों की प्रमात्रा कितनी है;

(ख) क्या सरकार का दुग्ध सहकारी केन्द्रों की तर्ज पर फलों और सब्जियों के सहकारी केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की है कि किसानों को अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिले और बिचौलियों को हटा दिया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) सितंबर, 2012 में प्रकाशित केन्द्रीय कटाई पश्चात इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.पी.-एच.टी.ई.) की रिपोर्ट के अनुसार फलों व सब्जियों की वार्षिक क्षति 5.8 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की रेंज में अनुमानित है।

(ख) से (ङ) दुग्ध सहकारी समितियों की तर्ज पर फल व सब्जी सहकारी समितियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, शहरी क्लस्टर हेतु सब्जी पहल (वी.आई.यू.सी.) पर स्कीम के तहत किसान हित समूह (एफ.आई.जी.) व किसान उत्पादक संस्था (एफ.पी.ओ.) बनाने और उत्पादों, परिवहन, प्रसंस्करण, भण्डारण व प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर बिक्री हेतु और वित्तीय संस्थानों व एग्रीमेंट्स के साथ उनके टाईअप हेतु सहायता प्रदान की जा रही है।

इसके अलावा बागवानी उत्पादों की विपणन अवसंरचना स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.), पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन (एच.एम.एन.ई.एच.) व शहरी क्लस्टर हेतु सब्जी पहल (वी.आई.यू.सी.) के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ मोडल अधिनियम, 2003 की तर्ज पर इस मंत्रालय ने कृषि उपज विपणन समिति (ए.पी.एम.सी.) में संशोधन के मसले को शुरू किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यक्ष विपणन, किसान उपभोक्ता मण्डियां, निजी व सहकारी क्षेत्र में मण्डियों की स्थापना व ई-ट्रेडिंग, आदि का प्रावधान है।

ये उपाय बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के अलावा वैकल्पिक मण्डी चैनल प्रदान करेंगे।

**कलाकृतियों की तस्करी**

**6528. श्री हरीश चौधरी:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्राचीन कलाकृतियों की चोरी या अन्य तरीके से विदेशों में तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दर्ज ऐसे मामलों का राज्य/

संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) विदेशों से इन कलाकृतियों को वापस लाने के लिए अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्तमान में इन प्राचीन कलाकृतियों को विदेशों से वापस लाने के लिए भारतीय उच्चायोग के जरिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

**संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी)**: (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास उपलब्ध 2011-13 के आंकड़ों के अनुसार कलाकृतियों की चोरी और तस्करी होने की सूचना है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तस्करी और चोरी हुए पुरावशेषों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विदेशों से कलाकृतियों को वापस लाने के लिए कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों के साथ मिलकर उपयुक्त कदम उठाए हैं। पुरावशेषों को पुन: प्राप्त करने संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

***विवरण-I***

*भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित स्मारकों/स्थलों/संग्रहालयों से पुरावशेषों की तस्करी से संबंधित ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य | स्मारक/स्थल और जिले का नाम | वस्तु का विवरण | चोरी की तारीख | की गई कार्रवाई | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राजस्थान | मंदिर के भग्नावशेष, गडगच, अत्रु, जिला बारां | दो स्तंभों द्वारा आलंबित छतरी के नीचे खड़े अलंकृत मिथुर युग्म। पुरुष त्रिभंग मुद्रा में दाहिनी ओर खड़ा है और स्त्री तिरछे पांव किए हुए बांयी ओर खड़ी है। बलुआ पत्थर 68x58 से.मी. (सज्जित ऊपरी भाग सहित 128 से.मी.) | 22-23 अप्रैल, 2009 | एफ.आई.आर. दर्ज | बरामद नहीं |
| 2. | राजस्थान | मंदिर के भग्नावशेष, गडगच, अत्रु, जिला बारां | दो स्तंभों द्वारा आलंबित छतरी के नीचे खड़े पुरुष एवं नारी की सूक्ष्म रूप से तराशी गई मूर्तियां पुरुष त्रिभंग मुद्रा में और स्त्री बांयी ओर तिरछे पांव किए हुए और पुस्तक की तरह किसी वस्तु को पकड़कर खड़ी है। बलुआ पत्थर (सज्जित ऊपुरी भाग सहित 130 से.मी.) | 18-19 सितंबर, 2009 | एफ.आई.आर. दर्ज | बरामद नहीं |

**विवरण-II**

*पिछले तीन वर्षों, 2011-2013 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित स्मारकों/स्थलों/संग्रहालयों से पुरावशेषों की चोरी का ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य | 2011 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्मारक/स्थल और जिले का नाम | वस्तु का विवरण | चोरी की तारीख | की गई कार्रवाई | स्थिति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | प्राचीन विष्णु और मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर परिसर पेदामुदियम, वाई.एस.आर., जिला-कडप्पा | नंदी की एक मूर्ति | 17-18 मई, 2011 | एफ.आई.आर. दर्ज | बरामद नहीं किया गया है। |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | सौम्यनाथ स्वामी मंदिर, नंदलुरू, वाई.ई.एस.आर., जिला कडप्पा में महामंतापा | प्रस्तर निर्मित बड पोर्शन (पुष्प सज्जा) | 03.06.2011 | एफ.आई.आर. दर्ज | बरामद नहीं किया गया है। |
| | | | **2012** | | | |
| 1. | राजस्थान | चंद्रभागा झलरापाटन, जिला झालवाड़ के निकट | शिव-पार्वती की पत्थर की एक मूर्ति | 26-27 नवंबर, 2011 | एफ.आई.आर. दर्ज | बरामद नहीं किया गया है। |
| 2. | दिल्ली | भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली | हाथी दांत के हत्थे वाला एक छुरा | 21.12.2012 (एफ.आई.आर.) | एफ.आई.आर. दर्ज | बरामद नहीं किया गया है। |
| 3. | छत्तीसगढ़ | महादेव मंदिर, पाली, जिला कोरवा | ब्रह्मा और शिव (नटराज) की मूर्तियां | 01.09.2012 (एफ.आई.आर.) | एफ.आई.आर. दर्ज | बरामद नहीं किया गया है। |
| 4. | तमिलनाडु | टेप्पलकुलम युरानी, मदरापट्टी, कलातुर तालुक, जिला पुदुरकोट्टाई | ब्रह्मा की पत्थर की एक मूर्ति (1½ फीट) देवी की पत्थर की एक मूर्ति (1½ फीट) | 28.06.2012 | एफ.आई.आर. दर्ज | बरामद नहीं किया गया है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | असम | कामाख्या पहाड़ी, गुवाहाटी, जिला कामरूप में गणेश शिवलिंग, चार हाथोंवाली भैरवी, लघु शिखर वाली वेदिकाएं नरकासुर की आकृतियां, दो हाथों वाली भैरवी, प्रस्तर द्वार, चट्टान पर उत्कीर्ण नृत्य करती हुए भैरवी की आकृतियों नामक स्मारक | पुरातत्वीय प्रस्तर खंड (लम्बाई 42 x चौड़ाई 27.5 x ऊंचाई 19 सेमी.) | 13.06.2012 | एफ.आई.आर. दर्ज | बरामद नहीं किया गया है। |
| | | | **2013** | | | |
| 1. | कर्नाटक | सैन्यदुर्ग एवं रेणुका देवी मंदिर चंद्रगुट्टी, जिला शिमोगा से महिसासुरमर्दिनी की पत्थर की एक मूर्ति | महिसासुरमर्दिनी की एक पत्थर की मूर्ति | 11.1.2013 | एफ.आई.आर. दर्ज | बरामद नहीं किया गया है। |
| 2. | कर्नाटक | श्री वैद्येश्वर मंदिर, जिला मैसूर से पत्थर | दक्षिणामूर्ति की एक पत्थर की मूर्ति | 03.02.2013 | एफ.आई.आर. दर्ज | बरामद नहीं किया गया है। |
| 3. | छत्तीसगढ़ | उत्खनित तिवारदेव बुद्ध विहार, सिरपुर, जिला-महासमंद से पत्थर की एक मूर्ति | बैठे हुए बोधिसत्व की पत्थर की मूर्ति | 17.03.2013 | एफ.आई.आर. दर्ज | बरामद नहीं किया गया है। |

## विवरण-III

### विदेशों से पुरावशेषों की पुन:प्राप्ति

| क्र.सं. | वस्तु का वर्णन | क्षेत्र | जिस देश से पुन: प्राप्त किया गया | पुन: प्राप्ति की तारीख/वर्ष | पुन: प्राप्ति का तरीका | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | गचकारी निर्मित कटा हुआ सर | नालंदा, बिहार | यू.के. और फ्रांस | 1976 | ब्रिटिश म्युज्यिम, लंदन और फ्रांस की मैडम कृष्णा रोबाउंड द्वारा स्वैच्छिक रूप से वापस किया गया | पटना मंडल |
| 2. | चोल कालीन नटराज | शिवापुरम, तमिलनाडु | संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका | 1986 | यू.के. और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय मामले के माध्यम से | तमिलनाडु सरकार |
| 3. | तमलुक की टेराकोटा यक्षी | पश्चिम बंगाल | यू.के. | 1986 | लंदन में न्यायिक मामला दर्ज किया गया था परन्तु पुन: प्राप्ति के लिए न्यायालय से बाहर समझौता किया गया | सी.ए.जी. पुराना किला, नई दिल्ली |
| 4. | चोल कालीन नटराज | तिरुविलाक्कडी, तमिलनाडु | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1986 | भारत सरकार द्वारा 12.8.1985 को क्षतिपूर्ति करार के पश्चात् किमबेल आर्ट म्युज्यिम ने मूर्ति वापस कर दी | |
| 5. | चोल कालीन नटराज | पथुर, तमिलनाडु | यू.के. | 1991 | लंदन उच्च न्यायालय में न्यायिक मामला दर्ज करने और लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील के द्वारा पुन: प्राप्ति की गई | तमिलनाडु सरकार |
| 6. | भीतरगांव से टेराकोटा आकृतियां | उत्तर प्रदेश | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1991 | लॉस एंजेल्स कंट्री म्युज्यिम द्वारा मूर्ति को स्वैच्छिक रूप से लौटाया गया। | सी.ए.सी., पुराना किला, नई दिल्ली |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | अमीन स्तंभ | अमीन, हरियाणा | यू.के. | 1979-80 | स्वैच्छिक रूप से वापस किया गया। | राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली |
| 8. | बुद्ध की मूर्ति | बोध गया, बिहार | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1999 | मेट्रोपोलिटन म्युज्यिम ऑफ आर्ट, न्यूयार्क द्वारा बगैर किसी मौद्रिक क्षतिपूर्ति मांगे स्वैच्छिक रूप से वापस किया गया। | सी.ए.सी., पुराना किला, नई दिल्ली |
| 9. | कृष्णजन्मा की मूर्ति | धुबेला संग्रहालय छत्तरपुर (मध्य प्रदेश) | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1999 | कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया, न्यूयार्क की मध्यस्थता से वापस किया गया | धुबेला संग्रहालय, छतरपुर (मध्य प्रदेश) |
| 10. | चित्र | (i) चंडीगढ़ संग्रहालय | संयुक्त राज्य अमेरिका | 10-1-1990 | स्वैच्छिक रूप से वापस किया गया। | चंडीगढ़ संग्रहालय |
| | | (ii) चंडीगढ़ संग्रहालय | संयुक्त राज्य अमेरिका | 4-3-1979 | स्वैच्छिक रूप से वापस किया गया। | चंडीगढ़ संग्रहालय |
| 11. | लकुलिस की मूर्ति | जागेश्वर | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2000 | कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया, शिकागो द्वारा श्रीमती एल्सडोर्फ के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् स्वैच्छिक रूप से वापस किया गया। | सी.ए.सी., पुराना किला, नई दिल्ली |
| 12. | अलंकृत काष्ठनिर्मित पैनल (7) | राजस्थान | हालैंड | 2001 | स्वैच्छिक रूप से वापस किया गया। | सी.ए.सी., पुराना किला, नई दिल्ली |

**डी.टी.एच. सेवा**

**6529. श्री सतपाल महाराज:**

**श्री एस. पक्कीरप्पा:**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देशभर में दूरदर्शन और निजी कंपनियों की डायरेक्ट-टू-होम सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के सभी भागों को उक्त सेवाओं से कब तक कवर किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या प्रसार भारती ने दूरदर्शन के डी.टी.एच. प्लेटफॉर्म में शामिल करने के लिए निजी चैनलों के लिए लाइसेंस शुल्क में अत्यधिक बढ़ोत्तरी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उन सभी निजी समाचार और मनोरंजन चैनलों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने दूरदर्शन के डी.टी.एच. प्लेटफॉर्म में भागीदारी बंद कर दी है और वे चैनल जो लाइसेंस शुल्क में वृद्धि करने के पश्चात इस प्लेटफार्म मे शामिल हुए हैं; और

(च) दूरदर्शन के डी.टी.एच. प्लेटफॉर्म में उन लोकप्रिय निजी समाचार और मनोरंजन चैनलों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने हाल ही में इसे अस्वीकार कर दिया है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन 2004 से ही फ्री-टु-एयर डायरेक्ट-टु-होम (डी.टी.एच.) (के.यू.बैंड) सेवा "डी.डी. डायरेक्ट प्लस" प्रदान कर रहा है। इसके सिगनल को एक छोटे आकार के डिश रिसीव यूनिट की सहायता से पूरे देश में (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर) कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए दूरदर्शन की डी.टी.एच. सेवा सी-बैंड में संचालित की जा रही है। आज की तारीख को सरकार ने पैन इंडिया आधार पर डी.टी.एच. सेवा प्रदान करने के लिए छह भिन्न-भिन्न निजी संचालकों को लाइसेंस प्रदान किए हैं। इन डी.टी.एच. संचालकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(1) मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड (2) मैसर्स डिश टी.वी. इंडिया लिमिटेड (3) मैसर्स भारत विजनेस चैनल लिमिटेड (4) मैसर्स सन डायरेक्ट टी.वी. प्राइवेट लिमिटेड (5) मैसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड (6) मैसर्स रिलायन्स बिग टी.वी. लिमिटेड।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और साथ ही सार्वजनिक राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए ई-नीलामी शुरू की है। मूल्य का निर्धारण एक पारदर्शी बाजारोन्मुखी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।

(ङ) निम्नलिखित चैनलों ने ई-नीलामी शुरू होने के बाद डी.डी. डायरेक्ट प्लस पर अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं:-

(1) एस.वी. भक्ति (2) अमृता (3) टोटल टी.वी. (4) महुआ (5) जय हिंद (6) केरली (7) कलियगनर (8) ई-24 (9) ए.बी.एन. आन्ध्र ज्योति (10) एम.एच.-वन (11) न्यूज लाइव (12) आई.बी.एन. लोकमत (13) म्यूजिक इंडिया (14) प्रज्ञा (15) आर.के. न्यूज 16) पी.टी.सी.न्यूज (17) केयर वर्ल्ड (18) श्रद्धा टी.वी. (19) सहारा फिरंगी (20) जी सलाम।

निम्नलिखित चैनलों ने ई-नीलामी शुरू होने के बाद डी.डी.-डायरेक्ट प्लस पर अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं:

(1) जी 9X (2) कात्यायनी (3) आलमी सहारा (4) आस्था चैनल (5) दिव्या (6) न्यूज X (7) श्री न्यूज चैनल (8) सहारा समय नेशनल (9) वाट्स ऑन इंडिया (10) बी.4यू. मूवीज (11) बी.4यू. म्यूजिक (12) इंडिया न्यूज (13) जी जागरण (14) जी ई.टी.सी. बॉलीवुड (15) जी. स्माइल (16) दंगल (17) एंटर-10 म्यूजिक (18) आस्था भजन (19) दिशा (20) न्यूज एक्सप्रेस (21) न्यूज-24 (22) साधना नेशनल (23) चरदिकला टाइम टी.वी. (24) मंगल कलश (25) स्टार उत्सव (26) पी.-7 न्यूज (27) 9Xएम. (28) सिनेमा टी.वी. (29) संस्कार (30) डे ऐंड नाइट न्यूज (31) टी.वी.-24 न्यूज (32) न्यूज नेशन।

(च) दूरदर्शन डी.डी.-डायरेक्ट प्लस की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कई तरह की पहलें कर रहा है जिसके अंतर्गत वह चैनलों की संख्या बढ़ाकर लगभग 100 रहा है, बेहतर विपणन और विक्रय बाद की सेवाओं को प्रोत्साहित कर रहा है और लोकप्रिय चैनलों को अनुकूल शर्तें प्रदान करके प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

**आर.के.वी.वाई. और एन.एफ.एस.एम. के लिए आबंटन**

**6530. श्री रमाशंकर राजभर:**

**श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**

**श्री धर्मेन्द्र यादव:**

**श्री गजानन ध. बाबर:**

**श्री आनंदराव अडसुल:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास विलंब से बुआई के मामले में मध्यम और लघु अवधि वाली फसल प्रजातियों अथवा अन्य संस्तुत फसल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) के तहत विभिन्न राज्यों हेतु आवंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान आर.के.वी.वाई. और एन.एफ.एस.एम. के तहत प्रत्येक राज्य को किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन योजनाओं के संबंध में राज्यों से अधिक लचीलेपन की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर)**: (क) से (च) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.-एस.एम.) के तहत राज्यों को आवंटन महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार आवंटन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि मध्यम एवं लघु विधि वाली फसल किस्मों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है और किसानों को विभिन्न कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों के लिए संस्तुत फसल किस्मों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) राज्यों को कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में उनकी प्राथमिकता एवं कृषि जलवायु आवश्यकताओं के अनुसार हस्तक्षेपों के चयन, नियोजन, अनुमोदन एवं निष्पादन में पूर्ण शिथिलता प्रदान करता है। आर.के.वी.वाई. के तहत परियोजनाओं को संबंधित राज्यों के प्रमुख सचिवों की अध्यक्षता वाली राज्यस्तरीय संस्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एन.एफ.एस.एम. के तहत राज्यों को उनके आवंटन के 20 प्रतिशत की सीमा तक स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अंतर घटकीय परिवर्तन करने की शिथिलता प्राप्त है।

## *विवरण*

*आर.के.वी.वाई. एवं एन.एफ.एस.एम. के तहत राज्यवार आबंटन*

(करोड़ रु. में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | आवंटन 2010-11 | | आवंटन 2011-12 | | आवंटन 2012-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आर.के.वी.वाई. | एन.एफ.एस.एम. | आर.के.वी.वाई. | एन.एफ.एस.एम. | आर.के.वी.वाई. | एन.एफ.एस.एम. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 393.45 | 135.20 | 727.74 | 110.36 | 601.98 | 163.51 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 39.08 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 40.31 | 10.33 |
| 3. | असम | 256.87 | 67.33 | 227.77 | 37.75 | 399.57 | 41.85 |
| 4. | बिहार | 380.94 | 75.32 | 506.82 | 76.41 | 724.01 | 105.87 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 461.00 | 63.49 | 230.57 | 63.29 | 581.12 | 77.41 |
| 6. | गोवा | 11.31 | 0.00 | 49.55 | 0.00 | 62.43 | 0.00 |
| 7. | गुजरात | 353.45 | 39.09 | 515.48 | 30.27 | 586.87 | 54.79 |
| 8. | हरियाणा | 204.74 | 39.28 | 168.92 | 34.95 | 199.49 | 53.85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 94.85 | 0.00 | 99.93 | 0.00 | 73.48 | 21.99 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 162.16 | 0.00 | 103.03 | 3.59 | 112.08 | 17.34 |
| 11. | झारखण्ड | 160.96 | 27.20 | 168.56 | 27.10 | 241.55 | 37.00 |
| 12. | कर्नाटक | 284.03 | 90.32 | 595.90 | 80.31 | 586.52 | 123.05 |
| 13. | केरल | 192.35 | 2.62 | 173.93 | 3.04 | 282.26 | 2.59 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 589.09 | 214.76 | 398.37 | 174.03 | 448.13 | 266.01 |
| 15. | महाराष्ट्र | 653.00 | 168.58 | 727.67 | 151.67 | 1025.81 | 245.56 |
| 16. | मणिपुर | 24.81 | 0.00 | 22.25 | 0.00 | 52.94 | 12.16 |
| 17. | मेघालय | 46.12 | 0.00 | 14.66 | 0.00 | 105.34 | 9.30 |
| 18. | मिज़ोरम | 7.49 | 0.00 | 34.61 | 0.00 | 200.91 | 6.04 |
| 19. | नागालैंड | 13.24 | 0.00 | 37.54 | 0.00 | 85.75 | 11.64 |
| 20. | ओडिशा | 274.40 | 66.56 | 356.96 | 61.01 | 503.10 | 75.97 |
| 21. | पंजाब | 179.12 | 48.41 | 138.87 | 47.72 | 146.93 | 63.86 |
| 22. | राजस्थान | 572.47 | 107.60 | 685.04 | 94.67 | 363.09 | 2.08 |
| 23. | सिक्किम | 6.56 | 0.00 | 20.08 | 0.00 | 29.47 | 149.01 |
| 24. | तमिलनाडु | 225.71 | 48.44 | 333.06 | 36.58 | 659.68 | 52.06 |
| 25. | त्रिपुरा | 116.86 | 0.00 | 17.99 | 3.63 | 56.43 | 21.88 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 635.92 | 294.12 | 757.26 | 283.72 | 432.26 | 290.93 |
| 27. | उत्तराखण्ड | 2.61 | 0.00 | 131.77 | 0.00 | 44.36 | 21.92 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 476.15 | 65.43 | 476.65 | 57.03 | 464.81 | 59.32 |
| | कुल राज्य | 6662.00 | 1553.75 | 7729.24 | 1377.13 | 9110.68 | 1997.32 |

*[अनुवाद]*

### दया याचिका का निपटान

6531. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसा निर्णय लिया गया है कि दया याचिका का निपटान शीघ्र किया जाए और फांसी के संबंध में परिवारों को समय पर सूचना दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के प्रावधानों के अनुसार दया

याचिकाओं के निपटान हेतु सरकार द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाती है। चूंकि 'कारागार और इसमें बंद व्यक्ति' भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची-II के तहत राज्य का विषय है, इसलिए परिवारों को सूचित करने सहित मृत्युदण्ड दिए जाने, आदि का कार्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपने जेल मैनुअल/नियमों आदि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

**के.वी.केस का कार्यकरण**

6532. **श्री हेमानंद बिसवाल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.केस) के कार्यकरण की सहायता करने के किसी कार्यक्रम को लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में कार्यरत के.वी. केस की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 2009 से के.वी. केस हेतु बजट आवंटन और व्यय क्या है;

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के.वी.केस के कार्यकरण में सहायता दे रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) जी, हां।

(ख) देश में 632 कृषि विज्ञान केन्द्र (के.वी.के.) हैं।

(ग) वर्ष 2009 से के.वी.के. के लिए बजटीय आबंटन और खर्चों का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 16 स्टाफ, मुख्य बिल्डिंग, एक प्रशिक्षु छात्रावास, दो प्रदर्शन इकाईयों और छह आवासीय अपार्टमेंट सहित इसकी जरूरतों के अनुसार बिल्डिंग बुनियादी ढांचा, चारदीवारी और फार्म विकास, वाहनों की खरीद, उपकरणों, औजारों और यांत्रिक सहायता, और आवर्ती आकस्मिकों के लिए शतप्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा भा.कृ.अ.प. के आठ क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय तकनीकी, प्रशासनिक और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और कृ.वि. केन्द्रों की गतिविधियों की समीक्षा और निगरानी करते हैं।

***विवरण***

*वर्ष 2009-10 से के.वी.के. के लिए प्राप्त वर्षवार बजटीय आवंटन और खर्च*

(लाख रु. में)

| वर्ष | आबंटन | खर्च |
|---|---|---|
| 2009-10 | 29926.62 | 29926.62 |
| 2010-11 | 60227.28 | 60227.28 |
| 2011-12 | 49192.26 | 48917.63 |
| 2012-13 | 43178 | 30045 |
| 2013-14 (बी.ई.) | 47908.47 | |

**ग्रेनेड का विनिर्माण**

6533. **श्री सी. शिवासामी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी सूचनाएं हैं कि माओवादी ग्रेनेडों का विनिर्माण कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) जी, हां। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, संगठन अपनी सस्त्र विनिर्माण यूनिटों में कामचलाऊ (इम्प्रोवाइज) हथगोले (हैंड ग्रेनेड) और राकेट से दागे जाने वाले ग्रेनेड का विनिर्माण करता रहा है। सूचना अनुसार, सी.पी.आई. (माओवादी) छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार के अपने गढ़ वाले क्षेत्रों में कामचलाऊ ग्रेनेड का विनिर्माण करते हैं।

चूंकि 'पुलिस' एवं 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, इसलिए कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती है। केन्द्रीय सरकार आवश्यकतानुसार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रदान करके और ऐसे मामलों में आसूचना संबंधी ज़ानकारी को साझा करके राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है। इन विनिर्माण यूनिटों को ध्वस्त करने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में सी.पी.आई. (माओवादी) पार्टी पर प्रतिबंध, महत्वपूर्ण स्थानों पर बलों की तैनाती, ऐसे विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के विरुद्ध पुलिस की दृढ़ कार्रवाई तथा गहन आसूचना आधारित नक्सल रोधी अभियान शामिल है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार स्थिति की गहनता से मानीटरिंग

करती है और ऐसे क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य सरकारों को परामर्शी पत्र जारी करती है। हाल ही में इन प्रयासों के परिणामस्वरूप सी.पी.आई. (माओवादी) के तकनीक अनुसंधान एवं शस्त्र विनिर्माण (टी.आर.ए.एम.) यूनिट के प्रमुख की गिरफ्तारी हुई है जो सी.पी.आई. (माओवादी) के लिए शस्त्रों एवं गोला-बारूदों के डिजाइन, विकास तथा कामचलाऊ व्यवस्था से संबंधित कार्य के लिए जिम्मेदार था।

**टैगोर थियेटर का आधुनिकीकरण**

6534. **श्री एंटो एंटोनी:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केरल के तिरुवनंतपुरम में टैगोर थियेटर के आधुनिकीकरण हेतु केन्द्रीय अनुदान की मांग संबंधी एक परियोजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा यथा संस्तुत इस अनुदान को उस उद्देश्य के लिए कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

**संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) "टैगोर सांस्कृतिक परिसर स्कीम" के तहत केरल सरकार से टैगोर रंगमंच, तिरुवनंतपुरम के नवीकरण के लिए प्राप्त प्रस्ताव, 28.02.2012 को आयोजित की गई राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा गया था। केरल सरकार द्वारा उसकी संपूर्ण लागत का अनुमान 47.30 करोड़ रुपये था और इसके लिए संस्कृति मंत्रालय से 34.85 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता मांगी गई थी। राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति (एन.ए.सी.) ने अपनी उपर्युक्त बैठक में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (उसमें प्रस्तावित लघु सिनेमा खंड को छोड़कर) का अनुमोदन 41.05 करोड़ रु. की सीमा तक कर दिया था और इसके लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले 24.60 करोड़ रु. के अनुदान की सिफारिश एस.एफ.सी. के पुन: मूल्यांकन किए जाने की शर्त के अधीन कर दी थी। इसके पश्चात राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के अनुसार, एक उप-समिति ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की सटीकता और उसमें प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए 23.07.2012 को तिरुवनंतपुरम का दौरा किया। उप-समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। उसके प्राप्त होने पर प्रस्ताव को एस.एफ.सी. के मूल्यांकन के लिए प्रक्रियाधीन किया जाएगा। तथापि, यह निधियों की उपलब्धता के अधीन होगा।

*[हिन्दी]*

**सी.ए.एस. के तहत दिए गए चैनल**

6535. **श्री देवजी एम. पटेल:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सी.ए.एस.) के कार्यान्वयन हेतु परामर्श संबंधी प्रपत्र में यह प्रावधान है कि उपभोक्ता को अपने चैनलों के बुके को चुनने का विकल्प नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपभोक्ता सी.ए.एस. पैकेज के तहत उन्हें दिए जाने वाले चैनलों में से 90 प्रतिशत से अधिक चैनलों को देखने के इच्छुक नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दर्शकों को चैनलों को चुनने की स्वतंत्रता कब तक मिलने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) से (घ) सशर्त पहुंच प्रणाली (केस) का कार्यान्वयन 31 दिसंबर, 2006 से दिल्ली, मुंबई व कोलकाता के अधिसूचित शहरों में किया गया जबकि चेन्नै में इसका कार्यान्वयन वर्ष 2003 में किया गया। वर्ष 2011 में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन करके केस को डिजिटल संबोधनीय प्रणाली (डास) से प्रतिस्थापित किया गया। मंत्रालय ने दिनांक 11.11.2011 की अपनी अधिसूचना सां.आ.सं. 2534(ई.) के तहत डिजिटल संबोधनीय प्रणाली (डास) के चार चरणों में कार्यान्वयन हेतु तारीखें अधिसूचित की हैं।

डिजिटल संबोधनीय केबल टी.वी. प्रणालियों का प्रयोग करके केबल टी.वी. सेवाएं मुहैया कराते समय चैनलों व प्रशुल्क की पेशकश करने के तरीके को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (चौथा) (संबोधनीय प्रणालियां) प्रशुल्क (प्रशुल्क (प्रथम संशोधन) आदेश, दिनांकित 30.04.2012 के जरिए निर्धारित किया गया है। इस प्रशुल्क आदेश के अनुसार, सेवा प्रदाता अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध अपने सभी चैनलों की व्यष्टि आधार पर पेशकश करने के लिए अधिदेशित हैं। इसके अतिरिक्त, वे समूह (हाँ) के भाग के रूप में चैनलों की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे अपनी व्यवसाय-योजना के अनुसार, अपने चैनलों का कीमत-निर्धारण व पैकेजिंग कर सकते हैं।

संबोधनीय प्लेटफॉर्मों के प्रचालक प्रति माह 100/- रु. की अधिकतम कीमत (करों के अतिरिक्त) पर न्यूनतम 100 फ्री-टु-एयर (एफ.टी.ए.) चैनलों वाले बेसिक सर्विस टियर (बी.एस.टी.) की पेशकश

करने के लिए अधिदेशित हैं। तथापि, उपभोक्ता के पास इसे शुल्क-आधार पर लेने या न लेने का विकल्प है। इसके अतिरिक्त, बी.एस.टी. के स्थान पर उपभोक्ता प्रति माह अधिकतम 100/- रु. (करों के अतिरिक्त) पर, प्लेटफॉर्म पर प्रसारित अपनी पसंद के अधिकतम 100 एफ.टी.ए. चैनलों को भी शुल्क-आधार पर ले सकते हैं। उक्त प्रशुल्क आदेश के खंड 4(1घ) में प्रावधान है कि उपभोक्ता अपनी पसंद व बजट के अनुसार, केवल बी.एस.टी. का केवल एफ.टी.ए. चैनलों का केवल सशुल्क चैनलों या इनमें से किसी भी सम्मिश्रण का विकल्प अपना सकता है। उक्त प्रशुल्क आदेश में कीमतों में वृद्धि होने से उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने का प्रावधान है।

*[अनुवाद]*

**लुप्तप्राय भाषाएं**

6536. **श्री पी. करुणाकरन:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस देश की कई देशी भाषाओं को लुप्तप्राय भाषाओं की सूची में आबद्ध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या संस्कृति और भाषा के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है तथा ये लुप्तप्राय भाषाएं जिस संस्कृति से जुड़ी हैं वे भी लुप्तप्राय होने की कगार पर हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन भाषाओं और संस्कृतियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

**संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी):** (क) यूनेस्को ने, लुप्तप्राय भाषाओं पर 2009 की अपनी रिपोर्ट में उन 196 भारतीय भाषाओं/मातृभाषाओं को सूचीबद्ध किया है जो विभिन्न स्तरों पर लुप्त होने के संघर्ष से जूझ रही हैं। तथापि, उनमें से सभी भाषाएं लुप्तप्राय होने की स्थिति में नहीं हैं।

(ख) भाषाओं की लुप्तप्राय स्थिति का एक कारण यह हो सकता है कि उस भाषा के बोलने वाले लोग किसी अन्य भाषा को अपनाकर उसी भाषा में बातचीत करने लगे हैं या फिर जनसंख्या की आर्थिक-सामाजिक प्रतिकूलताओं के कारण इन भाषाओं के बोलने वालों की संख्या में कमी आ गई है।

(ग) जब कोई भी भाषा लुप्तप्राय हो जाती है तो उसके साथ ही संस्कृति और विरासत का भी लोप हो जाता है।

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी.आई.आई.एल.), मैसूर द्वारा 1000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली 520 भाषाओं/मातृभाषाओं के अनुरक्षण, परिरक्षण के लिए एक स्कीम लागू की जा रही है जिसमें सबसे कम बोलने वालों की भाषा से प्रारंभ करके बढ़ते हुए क्रम से बोलने वालों की संख्याओं वाली भाषाएं शामिल हैं।

**विकेन्द्रीकृत खरीद योजना**

6537. **श्री पोन्नम प्रभाकर:**

**श्री सुरेश कुमार शेटकर:**

**श्री प्रताप सिंह बाजवा:**

**श्रीमती श्रुति चौधरी:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विकेन्द्रीकृत खरीद योजना (डी.पी.एस.) के लक्ष्य और उद्देश्य तथा इससे होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्तमान में डी.पी.एस. का अनुसरण करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है और डी.पी.एस. में शामिल होने के लिए अन्य राज्यों को विश्वास में लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्षमता में वृद्धि करने और स्थानीय खरीद को प्रोत्साहित करने तथा दी जाने वाली खाद्य राजसहायता में कमी करने के उद्देश्य से खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद स्कीम वर्ष 1997-98 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत, खाद्यान्न की खरीद, इसके वैज्ञानिक भंडारण और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। विकेंद्रीकृत खरीद वाले राज्यों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उनकी आवश्यकता से अधिक खरीदे गए अधिशेष खाद्यान्न केंद्रीय पूल स्टाक हेतु भारतीय खाद्य निगम को दे दिए जाते हैं तथा किसी प्रकार की कमी की स्थिति में खाद्यान्नों की पूर्ति भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है।

विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली के तहत राज्यों को निम्नलिखित लाभ हैं:-

(i) राज्यों को खाद्यान्नों की खरीद और उनका वितरण करने के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाता है, इस प्रकार खाद्यान्नों की खरीद हेतु केंद्र सरकार की एजेंसियों पर निर्भरता कम होती है।

(ii) राज्य स्थानीय कृषि को बढ़ावा दे सकता है तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के कवरेज में वृद्धि कर सकता है।

(iii) अधिक स्थानीय उत्पादन और खरीद करने से राज्यों की बाहर से स्टॉक लाने में लगने वाले माल भाड़े की बचत होती है।

(iv) अधिक खरीद करने से उच्च लेवी और कर से संबंधित राज्य सरकारें अतिरिक्त राजस्व का अर्जन करेंगी।

(v) राज्यों को केंद्रीय पूल हेतु अधिक खाद्यान्नों देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होगी।

(ख) फिलहाल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली के तहत चावल की खरीद कर रहे हैं जबकि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2012-13 से विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली अपनाई है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और गुजरात विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली के अंतर्गत गेहूं की खरीद कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने रबी विपणन मौसम 2013-14 से आरम्भ में अलवर जिले में खरीद की विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है। विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली को अपनाने के लिए मामले को अन्य राज्यों के साथ भी उठाया जा रहा है। तथापि, दिल्ली, हरियाणा और सिक्किम की सरकारों ने अपनी अवसंरचनात्मक समस्याओं के कारण खाद्यान्नों की खरीद की विकेंद्रीकृत प्रणाली को अपनाने में अपनी असमर्थता जताई है।

*[हिन्दी]*

**सूक्ष्म जल संरक्षण परियोजनाएं**

6538. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पानी की कमी का सामना कर रहे क्षेत्रों में सूक्ष्म जल संरक्षण परियोजनाओं ने ग्रामीण जीवन को बदल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में जल की कमी का सामना कर रहे क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं के माध्यम से किसान के किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) और (ख) जी हां। विभिन्न बाह्य एजेंसियों द्वारा कराए गए अध्ययनों से पता चला है कि पनधारा विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत अपनाई गई सूक्ष्म जल संरक्षण संरचनाओं सहित विभिन्न मृदा और जल संरक्षण हस्तक्षेप से मृदा क्षरण की रोक में, स्वस्थाने आर्द्रता संरक्षण एवं भूजल का सुधार और छोटे जल संसाधन का सृजन सूक्ष्म जल संरक्षण संरचना में प्रभाव पड़ा है जिससे ग्रामीण व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक स्तर उन्नत हुआ है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार, के कृषि मंत्रालय भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने एवं सतत खाद्यान्न उत्पादन बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों/मिशनों नामत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.), राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (एन.एम.एम.आई.) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) कार्यान्वित कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में मृदा, वानस्पतिक कवर और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, संचयन और अवक्रमण विकास द्वारा पारस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए प्रमुख समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) कार्यान्वित कर रहा है।

इन स्कीमों/मिशनों ने सम्पूर्ण देश के वर्षा सिंचित/शुष्क क्षेत्रों में सूक्ष्म जल संरक्षण संरचनाओं का सृजन भी परिकल्पित है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कृषि भूमियों/उत्पाद का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के अलावा प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए विभिन्न हस्तक्षेप अपनाए गए हैं।

**दाउद इब्राहिम का प्रत्यर्पण**

6539. **श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:**

**श्रीमती रमा देवी:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993 में मुम्बई श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों के अभियुक्त दाउद इब्राहिम के प्रत्यर्पण की स्थिति क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** अभियुक्त वर्ष 1993 के मुम्बई श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में वांछित हैं और एक रेड कॉर्नर नोटिस संख्या ए-135/4-1993 अस्तित्व में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी उसके विरुद्ध एक विशेष नोटिस संख्या यू-65/

4-2006 जारी किया है। अभियुक्त का अभी तक पता नहीं लग पाया है। अभियुक्त का पता लगने पर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

*[अनुवाद]*

**पत्रिका स्वामियों द्वारा रिटर्न भरा जाना**

6540. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाओं के स्वामियों के लिए अपनी पत्रिकाओं और न्यूजप्रिंट/समाचारपत्रों के आयात/खरीद के लिए रिटर्न भरना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पत्रिका स्वामियों सहित उक्त स्वामियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने ऐसे नियमों की अनदेखी कर रिटर्न नहीं भरा है;

(ग) क्या सरकार का गत तीन वर्षों के लिए ऐसे प्रकाशकों को अपने रिटर्न भरने हेतु इन नियमों में छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाओं के स्वामियों/प्रकाशकों को अपने प्रकाशनों की प्रिंटिंग और प्रकाशन के लिए न्यूज प्रिंट आयात करने हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन करने पर अपनी वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है।

(ख) से (घ) पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय (आर.एन.आई.) ने निम्नलिखित विवरणानुसार पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया है:

| वर्ष | जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की संख्या |
|---|---|
| 2010-11 | 775 |
| 2011-12 | 1135 |
| 2012-13 | 1153 |

इन सभी प्रकाशनों ने आर.एन.आई. को वार्षिक विवरणियां जमा की हैं। अतः, इस संबंध में कोई चूक नहीं रह गई है।

*[हिन्दी]*

**पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 में संशोधन**

6541. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 में संशोधन करने के लिए कोई मसौदा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मसौदे की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस अधिनियम को कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है; और

(ग) निजी क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं की खरीद/बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

**संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी):** (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने न्यायाधीश (सेवा निवृत्त) मुकुल मुद्गल के अधीन एक समिति गठित की है। समिति ने पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 में संशोधन करने के लिए दिसम्बर 2011 में संस्कृति मंत्रालय को एक मसौदा प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है।

(ग) हालांकि निजी क्षेत्र में पुरातत्वीय महत्व की वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं है परंतु इस उद्देश्य के लिए आवश्यक लाइसेंस लेना पड़ता है।

**मोबाइल कनेक्शनों का दुरुपयोग**

6542. **श्री भूपेन्द्र सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि देशभर में जाली पहचानपत्रों पर सिम कार्डों की बिक्री हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सिम कार्डों का आतंकी गतिविधियों सहित आपराधिक गतिविधियों में दुरुपयोग हुआ है/हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे दर्ज मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) जी, हां। प्रत्यक्षतः जाली/नकली पहचान पत्रों के आधार पर सिम कार्ड बेचे जाने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ ऐसे मामले भी ध्यान में आये हैं, जिनमें सिमकार्डों का दुरुपयोग अपराधी गतिविधियों में किया गया है। इस प्रकार के मामलों का वर्ष वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

| वर्ष | मामलों की कुल संख्या |
|---|---|
| 2010 | 03 |
| 2011 | 01 |
| 2012 | 01 |
| 2013 | शून्य |

(घ) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और दिनांक 27.04.2012 के आदेश में निहित निदेशों के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 09.8.2012 के पत्र संख्या 800-09/2010-वी.ए.एस. के तहत नए मोंबाइल उपभोक्ताओं के सत्यापन हेतु नए अनुदेश जारी किए हैं, जिनमें जाली/नकली दस्तावेजों के आधार पर जारी मोबाइल सिमकार्डों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए दिशानिर्देश भी शामिल हैं। दूरसंचार विभाग द्वारा नियमित रूप से ग्राहकों का सत्यापन किया जा रहा है और इन नम्बरों को समाप्त करने, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर दंड लगाने और पुलिस शिकायत/एफ.आई.आर. दर्ज करने सहित आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

### जस्टिस मुखर्जी आयोग द्वारा जांच

6543. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गायब होने से संबंधित घटना की जांच जस्टिस मुखर्जी आयोग द्वारा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में इस आयोग द्वारा अब तक की गई जांच का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस आयोग द्वारा इस जांच कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले की जांच को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) से (च) नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के गायब होने के संबंध में न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग (जे.एम.सी.आई.) की जांच पहले ही पूर्ण हो चुकी है और उसकी रिपोर्ट, आयोग द्वारा 08 नवम्बर, 2005 को प्रस्तुत की जा चुकी है। रिपोर्ट को पहले ही 17 मई, 2006 को सदन के पटल पर रखा जा चुका है। न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग (जे.एम.सी.आई.) की रिपोर्ट के अनुसार, "नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु तथाकथित विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी।"

भारत सरकार ने न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग (जे.एम.सी.आई.) रिपोर्ट की विस्तृत रूप से जांच की है। न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग (जे.एम.सी.आई.) के ये निष्कर्ष कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई, ठोस सबूतों की अनुपलब्धता पर आधारित हैं। चूंकि न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग (जे.एम.सी.आई.) के निष्कर्ष गैर-निष्कर्षात्मक स्वरूप के हैं, अत: भारत सरकार न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग (जे.एम.सी.आई.) के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु/उनके गायब होने के बारे में गठित शाह नवाज कमेटी और न्यायमूर्ति खोसला आयोग की रिपोर्टों के आधार पर भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त, 1945 को विमान दुर्घटना में हुई।

*[अनुवाद]*

### सिर पर मैला ढोना

6544. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के तहत एक भी व्यक्ति को अभियोजित नहीं किया गया है जबकि देश में सिर पर मैला ढोने की समस्या व्यापक रूप से फैली हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन तथा इस देश से इस प्रथा की समाप्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार सिर पर मैला ढोने वालों को कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रही है ताकि वे अन्य पेशे को अपनाने में समर्थ हो सकें; और

(ङ) यदि हां, तो उन सिर पर मैला ढोने वालों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक)**: (क) और (ख) सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय, आयोग एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, जबकि इसे अधिनियम के तहत मामलों के अभियोजन के बारे में सूचना कुछ राज्यों से प्राप्त हुई है, दोषसिद्धि के बारे में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ इस मामले को नियमित रूप से उठाया जा रहा है। "शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने संबंधी अल्प लागत स्वच्छता स्कीम" के तहत, सभी संसूचित 2,51,963 शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने संबंधी परियोजनाओं को संस्वीकृत कर दिया गया है। राज्यों द्वारा इन सभी शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में सफलतापूर्वक परिवर्तन किए जाने की पुष्टि की गई है।

(घ) और (ङ) सरकार ने जनवरी, 2007 में "मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना" (एस.आर.एम.एस.) आरंभ की है, जिसके तहत पात्र अभिज्ञात मैनुअल स्केवेंजरों को स्व-रोजगार प्रदान करने हेतु इन्हें कौशल दक्षता प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

*विवरण*

*मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार स्कीम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | असम | 3224 |
| 2. | बिहार | 2400 |
| 3. | दिल्ली | 100 |
| 4. | गुजरात | 2553 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 617 |
| 6. | जम्मू और कश्मीर | 117 |
| 7. | झारखंड | 5750 |
| 8. | कर्नाटक | 0 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 14037 |
| 10. | महाराष्ट्र | 3655 |
| 11. | मेघालय | 0 |
| 12. | ओडिशा | 69 |
| 13. | पुदुचेरी | 12 |
| 14. | राजस्थान | 843 |
| 15. | तमिलनाडु | 5419 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 3744 |
| 17. | उत्तराखंड | 240 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 1129 |
| | कुल | 43909 |

**दूरदर्शन कार्यक्रमों संबंधी सर्वेक्षण**

6545. **श्री ए.के.एस. विजयन**: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/प्रसार भारती आवधिक रूप से देश में और मध्य पूर्व में दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों का कार्यनिष्पादन और प्रसारित कार्यक्रमों के दर्शकों की संख्या का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने सर्वेक्षण कराए गए और इन पर कितना खर्च आया तथा ऐसे सर्वेक्षणों के निष्कर्षों पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई;

(ग) क्या इस संबंध में कोई नया सर्वेक्षण किया गया है जबकि पिछले सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सूचना और मंत्रालय के प्रसारण राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्ष 2006-07 में मध्य पूर्व के सात देशों अर्थात बहराइन, यू.ए.ई., कुवैत, यमन, कतर और सऊदी अरब में डी.डी. इंडिया की पहुंच एवं प्रभाव पर एक सर्वेक्षण किया गया था। प्रसार भारती ने यह भी सूचित किया है कि "भारत में टेलीविजन श्रोतागण मापन" पर सूचना प्रौद्योगिकी (2008-09) संबंधी 67वीं संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, दूरदर्शन की श्रोतागण अनुसंधान इकाई (ए.आर.यू.) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक दूरदर्शन श्रोतागण अनुसंधान टेलीविजन रेटिंग (डार्ट) करता है। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों और कार्यक्रमों के श्रोताओं के आकलन हेतु भी सर्वेक्षण किए जाते हैं। दूरदर्शन द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान (अर्थात 2010-11 से 2012-13 तक) किए गए सर्वेक्षणों के ब्यौरे, उपगत लागत के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि मध्य पूर्व के लिए कोई नया सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि कार्यक्रमों की समग्र गुणवत्ता को सुधारने के लिए दूरदर्शन के ए.आर.यू. द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के निष्कर्षों को ध्यान में रखा जाता है।

## *विवरण*

*पिछले तीन वर्षों (2010-11, 2011-12 एवं 2012-13) के दौरान किए गए सर्वेक्षण और उन पर किया गया व्यय*

| क्र.सं. | किए गए सर्वेक्षण | की गई कार्रवाई | किया गया व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | पीपुल मीटर के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रमों की टी.आर.पी. के लिए टैम मीडिया रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक फीडबैक का विश्लेषण नियमित रूप से किया जा रहा है। | दूरदर्शन के विपणन प्रभाग वाणिज्यिक प्रयोजनों और कार्यक्रमों में सुधार लाने की दृष्टि से द्वारा शहरी क्षेत्रों की टी.आर.पी. का उपयोग किया जा रहा है। | 160 लाख रुपए + सेवा कर वार्षिक |
| 2. | दर्शक मापन से संबंधित संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2010 से 18 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में दर्शक अनुसंधान एकांशों द्वारा डार्ट (दूरदर्शन दर्शक अनुसंधान टेलीविजन रेटिंग) साप्ताहिक फीडबैक का अध्ययन किया जा रहा है। | दूरदर्शन के विपणन प्रभाग द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों और स्थानीय केन्द्र स्तर पर तथा दूरदर्शन महानिदेशालय स्तर पर कार्यक्रम निर्माताओं द्वारा कार्यक्रमों में सुधार लाने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों की टी.आर.पी. का उपयोग किया जा रहा है। | (2010-11) 129.71 लाख रुपए (2011-12) 209.00 लाख रुपए (2012-13) 199.00 लाख रुपए |
| 3. | दूरदर्शन के दर्शक अनुसंधान एकांश द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान डी.टी.एच. रिसीवर उपलब्ध कराने, उसकी उपयोगिता और दर्शकों की अनुभूति का सर्वेक्षण किया गया। | दूरदर्शन महानिदेशालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी गई है। | 23.04 लाख रुपए |
| 4. | आमिर खान द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक साइमल्कास्ट कार्यक्रम 'सत्यमेव जयते' पर विषयवस्तु विश्लेषण रिपोर्ट (2012) | महानिदेशक, दूरदर्शन को रिपोर्ट सौंप दी गई है। | 0.37 लाख रुपए |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | वर्ष 2012 में डी.डी. काशिर और कश्मीर के अन्य टी.वी. चैनलों की दर्शकता का अध्ययन | महानिदेशक, दूरदर्शन को रिपोर्ट सौंप दी गई है। | 2.15 लाख रुपए |
| 6. | जनवरी, 2013 माह के दौरान भोपाल, सिहोर, रायसेन और सागर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन कार्यक्रमों की दर्शकता के पैटर्न का अध्ययन। | दूरदर्शन केन्द्र, भोपाल को रिपोर्ट सौंप दी गई है। | 0.90 लाख रुपए |
| 7. | जनवरी, 2013 में कोयम्बतूर में टेलीविजन दर्शकता पर इलैक्ट्रिसिटी आउटएजिज के प्रभाव का सर्वेक्षण। | 26.04.2013 को दूरदर्शन केन्द्र, चेन्नै की कार्यक्रम बैठक में प्रस्तुत की गई। | 0.28 लाख रुपए |

*[हिन्दी]*

**सघन डेयरी विकास कार्यक्रम**

**6546. श्री सज्जन वर्मा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र को सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आई.डी.डी.पी.) के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने 8 परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है जो विभाग द्वारा 3806.62 लाख रुपये के कुल परिव्यय के साथ सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आई.डी.डी.बी.) के अधीन 18 जिलों को कवर करते हुए अनुमोदित हो गया है नामत: गुना, नरसिंहपुर, खारगांव, छत्तरपुर, सतना, रीवा, झबुआ, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, हरदा, बरवानी, नीमच, शियोनी, देवास, धार, खंडवा और बेतुल। दिनांक 30.04.2013 को अनुमोदित परियोजनाओं के अधीन 2623.16 लाख रुपये जारी किए गए हैं। ब्यौरा निम्नलिखित है:

| परियोजना सं. (परियोजना अवधि) | अनुमोदित परिव्यय | कुल जारी राशि | शामिल जिला | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| I और II (1993-94 से 1997-98) | 494.06 | 494.06 | गुना एवं नरसिंगपुर | पूर्ण |
| III और IV (1995-96 से 1997-98) | 475.28 | 475.28 | खारगांव, छत्तरपुर, सतना और रीवा | पूर्ण हुआ |
| V (2005-06 से 2008-09) | 228.89 | 192.44 | झबुआ | जारी |
| VI (2005-06 से 2008-09) | 420.58 | 361.77 | छिन्दवाड़ा और बालाघाट | जारी |
| VII (2006-07 से 2010-11 तक) | 14200.09 | 743.27 | हरदा, बरवानी, नीमच, शियोपुर और सियोनी | जारी |
| VIII (2011-12 से 2013-14 तक) | 765.72 | 356.34 | देवास, धार, खंडवा और बेतुल | जारी |
| कुल | 3806.62 | 2623.16 | | |

*[अनुवाद]*

## पी.डी.एस. के अंतर्गत उपभोग

**6547. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी-रेखा से नीचे रह रहे लोगों द्वारा खाद्यान्न का उपभोग उन्हें इसकी उपलब्धता की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं तथा देश में गरीबी-रेखा से नीचे रहने वाले लोगों एवं गरीबी-रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के खाद्यान्न-उपभोग की प्रगति-व्यक्ति मात्रा कितनी है; और

(ग) इस अंतराल को पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 के अनुसार वर्ष 2010 के दौरान अनाज (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता 401.7 ग्राम अर्थात औसतन 12.22 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009-10 की अवधि में एक माह में अनाज की प्रति व्यक्ति खपत ग्रामीण क्षेत्रों में 11.35 किलोग्राम और शहरी क्षेत्रों में 9.37 किलोग्राम थी। तथापि देश में गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों द्वारा खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत के बारे में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## फर्जी मुठभेड़ों और अ.जा./अ.ज.जा. पर अत्याचार संबंधी पैनल

**6548. श्री आर. ध्रुवनारायण:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में लोगों की विशेषकर अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों के व्यक्तियों की फर्जी-मुठभेड़ में हत्या और उन पर अत्याचार की जांच हेतु किसी पैनल की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त पैनल द्वारा सूचित किए व समाधान सुलझाए गए ऐसे मामलों की आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित राज्य-वार कुल संख्या कितनी है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार के पैनल की नियुक्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) से (ग) गृह मंत्रालय को ऐसे किसी भी पैनल की जानकारी नहीं है।

संविधान के अंतर्गत सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम करने, उसका पता लगाने, पंजीकरण, जांच और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

## खाद्यान्नों की मांग

**6549. श्री हरिभाऊ जावले:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जनसंख्या वृद्धि की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि कितनी है;

(ख) खाद्यान्नों की कीमतों को नियंत्रण में रखते हुए इनकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) खाद्यान्न के उत्पादन और उपभोग की वर्तमान स्थिति क्या है एवं मांग और आपूर्ति में अंतराल को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) जनगणना 2001 के आंकड़ों और जनसंख्या 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2001-2011 के दौरान देश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.64 प्रतिशत रही है अर्थात औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.76 प्रतिशत रही है। इसकी तुलना में तदनुरूपी अवधि के दौरान देश में खाद्यान्नों के उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.47 प्रतिशत रही है।

(ख) और (ग) कृषि मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.05.2013 को जारी, उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2012-13 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 2553.6 लाख टन होने का अनुमान है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय से उपलबध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010 में देश में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल वार्षिक उपलब्धता 159.5 किलोग्राम थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (50, 55, 61 और 66वें दौर) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2009-

10 में सभी अनाजों, दालों और दाल उत्पादों की कुल खपत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 146 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्रों के लिए 123.65 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष थी। इस प्रकार, वर्तमान में, देश में खाद्यान्नों की मांग और आपूर्ति के बीच कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। तथापि, भविष्य में मांग में किसी प्रकार की वृद्धि को पूरा करने के लिए देश में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का संबंधी समेकित स्कीम और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नामक अनेक फसल विकास योजनाएं/कार्यक्रम चला रही है। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त, वर्ष 2010-11 के दौरान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत में हरित क्रांति और वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में दालों एवं तिलहन के उत्पादन वाले 60,000 गांवों का विकास नामक दो नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसके अलावा, देश में दालों की खेती करने वाले 16 राज्यों में ब्लॉक प्रदर्शन के रूप में 'त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए.3पी.)' नामक नया कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। खाद्यान्नों के मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित खाद्यान्नों का केन्द्रीय निर्गम मूल्य वर्ष 2002 से बढ़ाया नहीं गया है। सरकार खुला बाजार बिक्री योजना के तहत चावल और गेहूं भी आबंटित करती है।

### लक्षद्वीप में होमगार्ड

**6550. श्री हमदुल्लाह सईद:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षद्वीप में तैनात होमगार्डों की सेवा को नियमित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) लक्षद्वीप में तैनात होमगार्डों के नियमितीकरण और अन्यत्र तैनात होमगार्डों के समान वेतन देना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दिनांक 28/02/2013 को आयोजित गृह मंत्री की सलाहकार समिति की बैठक में लक्षद्वीप में होमगार्डों को नियमित करने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस संबंध में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव जांच के लिए भेजेगा। गृह मंत्रालय ने दिनांक 14/03/2013 के पत्र द्वारा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से इस मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है। अब तक संघ राज्य क्षेत्र से लक्षद्वीप में होमगार्डों को नियमित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

### खाद्यान्नों का मालभाड़ा

**6551. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत खाद्यान्नों के उठान के लिए मालभाड़े पर छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### आकाशवाणी/दूरदर्शन के चैनल

**6552. श्री बदरुद्दीन अजमल:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे आकाशवाणी (डी.डी.) के क्षेत्रीय मनोरंजन चैनल का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार एवं ए.आई.आर./डी.डी. चैनल-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) असम राज्य में वर्तमान में चल रहे क्षेत्रीय चैनलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को असम सहित कई राज्यों से ए.आई.आर. और दूरदर्शन के अतिरिक्त क्षेत्रीय/समाचार चैनलों की स्थापना के कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त चैनलों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचना दी है कि इस समय देश

में आकाशवाणी स्टेशनों में आकाशवाणी के 119 क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन (असम के पांच स्टेशनों सहित) और 44 क्षेत्रीय समाचार एकक कार्य कर रहे हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और आकाशवाणी स्टेशन-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

आकाशवाणी का कोई अनन्य समाचार चैनल नहीं है। इस समय समाचार बुलेटिनों/समाचार अपडेट्स को सभी मौजूदा ए.एम./एफ.एम. चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है और इन्हें आकाशवाणी के वेबसाइटों www.allindiaradio.gov.in और www.newsonair.nic.in के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

दूरदर्शन के संबंध में, इस समय देश में 33 सैटेलाइट चैनल कार्य कर रहे हैं। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। असम में, 24 घंटे सैटेलाइट "डी.डी. नार्थ ईस्ट" को कार्यक्रम निर्माण केन्द्र (पी.पी.सी.), गुवाहाटी से अपलिंक किया गया है।

(ग) से (ङ) आकाशवाणी ने असम सहित राज्यों से अतिरिक्त क्षेत्रीय/समाचार चैनलों की स्थापना करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त नहीं किया है।

दूरदर्शन ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों (असम सहित) से अतिरिक्त क्षेत्रीय/समाचार टी.वी. चैनल शुरू करने के अनुरोध प्राप्त किए हैं। इनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

1. दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिल्चर और तुरा से सैटेलाइट चैनल शुरू करना।
2. दूरदर्शन, शिमला से 24 घंटे चैनल शुरू करना।
3. हरियाणा के लिए स्वतंत्र सैटेलाइट टी.वी. चैनल।
4. मणिपुर के लिए 24 घंटे सैटेलाइट चैनल।
5. दूरदर्शन केन्द्र जयपुर से 24 घंटे चैनल शुरू करना।
6. सिंधी चैनल शुरू करना।
7. दूरदर्शन केन्द्र, सम्बलपुर से सैटेलाइट चैनल शुरू करना।

इस समय उपर्युक्त सैटेलाइट चैनलों को शुरू करने के संबंध में कोई योजना नहीं है। तथापि, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर और राजस्थान राज्यों में सीमित समयावधि के राज्य नेटवर्क प्रसारण किए जा रहे हैं। इन नेटवर्कों की अपलिंकिंग क्रमश: दूरदर्शन केन्द्र शिमला, हिसार, इम्फाल और जयपुर से की जाती है। ओडिशा में, 24 घंटे के सैटेलाइट चैनल "डी.डी. उड़िया" को दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर से अपलिंक किया गया है।

*विवरण-I*

*वर्तमान आकाशवाणी क्षेत्रीय केंद्रों की सूची*

| क्र.सं. | केंद्र | राज्य |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | कुडप्पा | आन्ध्र प्रदेश |
| 2. | हैदराबाद | आन्ध्र प्रदेश |
| 3. | कोठागुडम | आन्ध्र प्रदेश |
| 4. | विजयवाड़ा | आन्ध्र प्रदेश |
| 5. | विशाखापटनम | आन्ध्र प्रदेश |
| 6. | इटानगर | अरुणाचल प्रदेश |
| 7. | पासीघाट | अरुणाचल प्रदेश |
| 8. | तवांग | अरुणाचल प्रदेश |
| 9. | तेजू | अरुणाचल प्रदेश |
| 10. | डिबरूगढ़ | असम |
| 11. | गुवाहाटी | असम |
| 12. | कोकराझार | असम |
| 13. | सिलचर | असम |
| 14. | तेजपुर | असम |
| 15. | भागलपुर | बिहार |
| 16. | दरभंगा | बिहार |
| 17. | पटना | बिहार |
| 18. | अम्बिकापुर | छत्तीसगढ़ |
| 19. | जगदलपुर | छत्तीसगढ़ |
| 20. | रायपुर | छत्तीसगढ़ |
| 21. | दिल्ली | दिल्ली |
| 22. | पणजी | गोवा |
| 23. | अहमदाबाद | गुजरात |
| 24. | अहदा | गुजरात |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 25. | भुज | गुजरात |
| 26. | राजकोट | गुजरात |
| 27. | वडोदरा | गुजरात |
| 28. | रोहतक | हरियाणा |
| 29. | धर्मशाला | हिमाचल प्रदेश |
| 30. | शिमला | हिमाचल प्रदेश |
| 31. | भदरवा | जम्मू और कश्मीर |
| 32. | जम्मू | जम्मू और कश्मीर |
| 33. | कारगिल | जम्मू और कश्मीर |
| 34. | लेह | जम्मू और कश्मीर |
| 35. | श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर |
| 36. | जमशेदपुर | झारखंड |
| 37. | रांची | झारखंड |
| 38. | बंगलौर | कर्नाटक |
| 39. | बेल्लारी | कर्नाटक |
| 40. | भदरावती | कर्नाटक |
| 41. | धारवाड़ | कर्नाटक |
| 42. | गुलबर्गा | कर्नाटक |
| 43. | हसन | कर्नाटक |
| 44. | मेडिकेरी (मरकारा) | कर्नाटक |
| 45. | मंगलौर/उदीपी | कर्नाटक |
| 46. | मैसूर | कर्नाटक |
| 47. | देविकुलम (इडुकी) | केरल |
| 48. | कन्नूर | केरल |
| 49. | कोजीकोड (कालीकट) | केरल |
| 50. | त्रिवन्थपुरम | केरल |
| 51. | त्रिवन्धपुरम | केरल |
| 52. | भोपाल | मध्य प्रदेश |
| 53. | छतरपुर | मध्य प्रदेश |
| 54. | ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| 55. | इंदौर | मध्य प्रदेश |
| 56. | जबलपुर | मध्य प्रदेश |
| 57. | रीवा | मध्य प्रदेश |
| 58. | शहडोल | मध्य प्रदेश |
| 59. | शिवपुरी | मध्य प्रदेश |
| 60. | औरंगाबाद | महाराष्ट्र |
| 61. | जलगांव | महाराष्ट्र |
| 62. | कोल्हापुर | महाराष्ट्र |
| 63. | मुम्बई | महाराष्ट्र |
| 64. | नागपुर | महाराष्ट्र |
| 65. | ओरस | महाराष्ट्र |
| 66. | परभणी | महाराष्ट्र |
| 67. | पुणे | महाराष्ट्र |
| 68. | रत्नागिरी | महाराष्ट्र |
| 69. | सांगली | महाराष्ट्र |
| 70. | इम्फाल | मणिपुर |
| 71. | इम्फाल | मेघालय |
| 72. | तुरा | मेघालय |
| 73. | आइजोल | मिज़ोरम |
| 74. | लुंगलेह | मिज़ोरम |
| 75. | कोहिमा | नागालैंड |
| 76. | भवानीपटना | ओडिशा |
| 77. | कटक | ओडिशा |
| 78. | जयपोर | ओडिशा |
| 79. | सम्बलपुर | ओडिशा |
| 80. | जालंधर | पंजाब |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 81. | बाड़मेर | राजस्थान |
| 82. | बीकानेर | राजस्थान |
| 83. | चुरू | राजस्थान |
| 84. | जयपुर | राजस्थान |
| 85. | जैसलमेर | राजस्थान |
| 86. | जोधपुर | राजस्थान |
| 87. | माउंट आबू | राजस्थान |
| 88. | सूरतगढ़ | राजस्थान |
| 89. | उदयपुर | राजस्थान |
| 90. | गंगटोक | सिक्किम |
| 91. | चेन्नई | तमिलनाडु |
| 92. | कोयम्बटूर | तमिलनाडु |
| 93. | कोडाईकनाल | तमिलनाडु |
| 94. | मदुरई | तमिलनाडु |
| 95. | ओटाकामुंड | तमिलनाडु |
| 96. | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु |
| 97. | तिरूनेलवेली | तमिलनाडु |
| 98. | तुतीकोरीन | तमिलनाडु |
| 99. | अगरतला | त्रिपुरा |
| 100. | चंडीगढ़ | संघ राज्य क्षेत्र |
| 101. | पुदुचेरी | संघ राज्य क्षेत्र (पुदुचेरी) |
| 102. | कावारती | संघ राज्य क्षेत्र |
| 103. | पोर्टब्लेयर | संघ राज्य क्षेत्र (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) |
| 104. | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| 105. | इलाहाबाद | उत्तर प्रदेश |
| 106. | गोरखपुर | उत्तर प्रदेश |
| 107. | कानपुर | उत्तर प्रदेश |
| 108. | लखनऊ | उत्तर प्रदेश |
| 109. | मथुरा | उत्तर प्रदेश |
| 110. | नजीबाबाद | उत्तर प्रदेश |
| 111. | ओबरा | उत्तर प्रदेश |
| 112. | रामपुर | उत्तर प्रदेश |
| 113. | वाराणसी | उत्तर प्रदेश |
| 114. | अल्मोड़ा | उत्तराखंड |
| 115. | गोपेश्वर (धमोली) | उत्तराखंड |
| 116. | पौड़ी | उत्तराखंड |
| 117. | कोलकाता | पश्चिम बंगाल |
| 118. | करसियौंग | पश्चिम बंगाल |
| 119. | सिलीगुड़ी | पश्चिम बंगाल |

*विवरण-II*

*वर्तमान आकाशवाणी क्षेत्रीय समाचार एकांश की सूची*

| क्र.सं. | राज्य | आकाशवाणी केंद्र का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | हैदराबाद |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | विजयवाड़ा |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर |
| 4. | असम | दिबरूगढ़ |
| 5. | असम | गुवाहाटी |
| 6. | असम | सिलचर |
| 7. | बिहार | पटना |
| 8. | छत्तीसगढ़ | रायपुर |
| 9. | गोवा | पणजी |
| 10. | गुजरात | अहमदाबाद |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 11. | गुजरात | भुज |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | शिमला |
| 13. | जम्मू और कश्मीर | जम्मू |
| 14. | जम्मू और कश्मीर | लेह |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर |
| 16. | झारखंड | रांची |
| 17. | कर्नाटक | बंगलौर |
| 18. | कर्नाटक | धारवाड़ |
| 19. | केरल | कालीकट |
| 20. | केरल | त्रिवेन्द्रम |
| 21. | मध्य प्रदेश | भोपाल |
| 22. | मध्य प्रदेश | इंदौर |
| 23. | महाराष्ट्र | औरंगाबाद |
| 24. | महाराष्ट्र | मुम्बई |
| 25. | महाराष्ट्र | नागपुर |
| 26. | महाराष्ट्र | पुणे |
| 27. | मणिपुर | इम्फाल |
| 28. | मेघालय | शिलांग |
| 29. | मिज़ोरम | आइजोल |
| 30. | नागालैंड | कोहिमा |
| 31. | ओडिशा | कटक |
| 32. | राजस्थान | जयपुर |
| 33. | सिक्किम | गंगटोक |
| 34. | तमिलनाडु | चेन्नई |
| 35. | तमिलनाडु | त्रीची |
| 36. | त्रिपुरा | अगरतला |
| 37. | संघ राज्य क्षेत्र | चंडीगढ़ |
| 38. | संघ राज्य क्षेत्र | पुदुचेरी |
| 39. | संघ राज्य क्षेत्र | पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) |
| 40. | उत्तर प्रदेश | गोरखपुर |
| 41. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ |
| 42. | उत्तराखंड | देहरादून |
| 43. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता |
| 44. | पश्चिम बंगाल | करसियांग |

***विवरण-III***

*दूरदर्शन उपग्रह चैनल*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| अखिल भारतीय चैनल: (5) | डी.डी. नेशनल<br>डी.डी. न्यूज | डी.डी. उर्दू | डी.डी. भारती | डी.डी. स्पोर्टस |
| क्षेत्रीय चैनल: (11) | डी.डी.पोढिगै<br>डी.डी. केरलम<br>डी.डी. सप्तगिरि | डी.डी. नॉर्थ ईस्ट<br>डी.डी. चंदना<br>डी.डी. सहयाद्री | डी.डी. उडिया<br>डी.डी. गिरनार<br>डी.डी. काशीर | डी.डी. बंगला<br>डी.डी. पंजाबी |
| राज्य नेटवर्क: (15) | उत्तराखंड<br>झारखण्ड<br>मेघालय<br>छत्तीसगढ़ | अरुणाचल प्रदेश<br>हिमाचल प्रदेश<br>मध्य प्रदेश<br>उत्तर प्रदेश | त्रिपुरा<br>मणिपुर<br>हरियाणा<br>मिज़ोरम | राजस्थान<br>नागालैंड<br>बिहार |
| अंतर्राष्ट्रीय चैनल: (1) | डी.डी. इंडिया | | | |
| डी.डी.-एच.डी.: (1) | डी.डी.-एच.डी. | | | |

**घरेलू कोयले का मूल्य**

6553. **श्रीमती श्रुति चौधरी:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का लक्ष्य घरेलू कोयले की कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बराबर रखने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील):** (क) से (ग) इस समय, नान-कोकिंग कोयले के उच्चतर ग्रेडों की कीमतें सरकार की एकीकृत ऊर्जा नीति में यथा संस्तुत छूट के साथ आयात समान कीमत पर निर्धारित की जाती हैं तथा धुले हुए कोकिंग कोयले की कीमतों के संबंध में, जिन्हें सहायक कोयला कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, आयात समान कीमत को देखते हुए इस्पात संयंत्रों के साथ बातचीत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। नान-कोकिंग कोयले के निम्न बेंड अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत से बहुत कम हैं।

**स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन संवितरण में अनियमितताएं**

6554. **श्री एस.एस. रामासुब्बू:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) थ्यागियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है जो देश में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन ले रहे हैं;

(ख) क्या उन स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन संवितरण एवं उनकी वास्तविकता के संबंध में बहुत सी अनियमितताओं का पता लगा है जिनके पास स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का मूल प्रमाणपत्र नहीं है और उन्हें अपनी पेंशन पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी पात्र स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन का संवितरण करने एवं सामने आई अनिमितताओं को दूर करने सहित प्रणाली के क्रियान्वयन में कमियों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार, लगभग 49,000 स्वतंत्रता सेनानी और उनके पात्र आश्रित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और राज्य के खजानों से स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इसका राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय सम्मान पेंशन केवल उन स्वतंत्रता सेनानियों को मंजूर की जाती है; जो पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं और अपने दावों के समर्थन में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विधिवत सथ्यापित और सिफारिश किए गए अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार, संबद्ध अवधि के रिकार्ड उपलब्ध न होने के मामले में, कारावास की यातना के मामले में सह-कैदी के प्रमाण पत्रों (सी.पी.सी.) और भूमिगत यातना के मामले में व्यक्तिगत जानकारी प्रमाण पत्र (पी.के.सी.) के रूप में सहायक साक्ष्य पर विचार किया जा सकता है; बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दावों और इनकी प्रमाणिकता के सत्यापन के पश्चात यह प्रमाणित करे कि दावा की गई यातना के समर्थन में सरकारी रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। फर्जी/धोखाधड़ीपूर्ण दावों से संबंधित शिकायतों/अभ्यावेदनों का निपटान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के परामर्श से सवतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, 1980 के लागू प्रावधानों के संदर्भ में उनकी जांच करने के पश्चात किया जाता है।

**सुपारी के उत्पादक**

6555. **श्री पी.सी. गद्दीगौदर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिना किसी शुल्क/कर के सुपारी के आयात से केवल गुटखा निर्माताओं को लाभ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश के अनुसार गुटखा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इससे सात लाख से अधिक सुपारी के उत्पादकों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है;

(ङ) डा. गोरख सिंह की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(च) सुपारी के उत्पादकों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) और (ख) समय-समय पर

निर्धारित न्यूनतम आयात मूल्य के माध्यम से सुपारी के आयात को विनियमित किया जा रहा है।

(ग) 1 अगस्त, 2011 के खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध), विनियमन, 2011, जिसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जारी किया गया, में निहित है कि खाद्य उत्पाद में ऐसा कोई पदार्थ नहीं होना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यह कि भी खाद्य उत्पाद में तंबाकू अथवा निकोटीन घटकों के रूप में उपयोग नहीं किए जाएंगे।

इस समय, 29 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने तंबाकू अथवा निकोटीन वाले गुटका और पान मसाला के विनिर्माण, बिक्री और भण्डारण पर प्रतिबंध लगाते हुए खाद्य सुरक्षा विनियमन के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी किए हैं।

(घ) से (च) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक में सुपारी उगाने वाले किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत, अनुप्पादक उद्यानों (जिनमें सुपारी के पीला पत्ता रोग (वाई.एल.डी.) प्रभावित बगीचे शामिल हैं, के पुनर्रुद्धार के लिए 705.08 लाख रु. की राशि प्रदान की गई। इस मिशन के अंतर्गत, सुपारी सहित बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए समेकित पोषक तत्व और कीटनाशी प्रबंधन के लिए भी की जाती है।

वर्ष 2011-12 के दौरान, कर्नाटक में मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के अंतर्गत, सरकार द्वारा 75,900 रु. प्रति मी. टन की दर पर सफेद और 97,900 रु. प्रति मी.टन की दर पर लाल किस्म की सुपारी के हिसाब से 8000 मी.टन सफेद और 4000 मी.टन लाल किस्म की सुपारी खरीदी गई।

*[हिन्दी]*

## मॉडल परिवहन प्रणाली

6556. **श्री बद्रीराम जाखड़:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र/बड़े शहरों में परिवहन, संचार एवं मॉडल परिवहन प्रणाली संबंधी योजना का क्रियान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी निधि आवंटित की गई है एवं इसके कार्यान्वयन की क्या स्थिति है;

(ग) क्या सरकार ने दैनिक यात्रियों को यातायात अवरोध, जाम, मार्ग परिवर्तन एवं वैकल्पिक मार्गों के संबंध में ऑनलाइन जानकारी/समाधान प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना/प्लान के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) सरकार ने देश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/बड़े शहरों में मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्यान्वयन किया है और 21 बस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम (बी.आर.टी.एस.) को अनुमोदित किया है जिसमें से 6 परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युवल मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के तहत शहरी यातायात प्रणाली हेतु बसों की खरीद के लिए 4723.97 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से 31 राज्यों/संघ क्षेत्रों को कुल 15260 बसों का अनुमोदन किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 13,500 अधुनातन बसों का प्रापण किया गया है। सरकार ने तेजी से बढ़ती हुई शहरी आबादी को आवागमन हेतु सुरक्षित वहनीय त्वरित, सुविधाजनक, विश्वसनीय और स्थायी सुगमता मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.)/बड़े शहरों में मेट्रो रेल परियोजना को भी अनुमोदित किया है।

(ग) से (ङ) दिल्ली पुलिस, यात्रियों की सूचना एवं जानकारी के लिए दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट www.delhitrafficpolice.nic.in और दिल्ली यातायात पुलिस के फेसबुक पृष्ठ पर यातायात संबंधी परामर्शी-पत्र, मार्ग मानचित्रों को दर्शाते हुए यातायात परिवर्तनों और विज्ञापनों को अपलोड करती है।

*[अनुवाद]*

## सुपारी का उत्पादन

6557. **श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में सुपारी के उत्पादन का राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान सुपारी का आयात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) और विकसित देशों से किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बंगलादेश की सीमा से सुपारी का अवैध आयात किए जाने की सूचना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) कर्नाटक सहित दक्षिणी राज्यों में फसल खराब होने के कारण सुपारी उत्पादकों की ओर से ऋण माफी हेतु प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर)**: (क) से (च) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान देश में सुपारी का राज्य-वार उत्पादन विवरण-I में दिया गया है।

सुपारी का देश-वार और वर्ष-वार आयात संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय सुपारी के पुनरुद्धार सहित देश में बागवानी के विकास से संबंधित सभी मामलों के प्रावधान हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नामत: पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एच.एम.एन.ई.एच.) और राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) कार्यान्वित करा रहा है। इन स्कीमों के अन्तर्गत समेकित पोषक तत्व एवं नाशीजीव प्रबंधन अपनाने तथा सुपारी बागान का पुनरुद्धार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बंगला देश की सीमा से सुपारी के अवैध आयात की कुछ मामलों की रिपोर्ट की गई है। कृषि एवं सहकारिता विभाग ने सुपारी उत्पादकों द्वारा सामना किए जा रहे अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय दल का गठन किया था। समिति के सिफारिशों के आधार पर वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने नाबार्ड के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक में किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए स्कीम गठित की है।

*विवरण-I*

*देश में सुपारी का उत्पादन: (उत्पादन '000 टन में)*

| राज्य | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13* |
|---|---|---|---|---|
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 5.20 | 5.80 | 5.95 | 5.95 |
| आन्ध्र प्रदेश | 0.20 | 0.20 | 8.51 | 8.85 |
| असम | 68.56 | 68.56 | 72.85 | 69.82 |
| गोवा | 2.80 | 2.82 | 2.87 | 2.87 |
| कर्नाटक | 258.68 | 279.08 | 380.80 | 396.10 |
| केरल | 116.76 | 99.91 | 117.30 | 117.30 |
| महाराष्ट्र | 3.60 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| मेघालय | 19.40 | 20.50 | 19.83 | 19.83 |
| मिज़ोरम | 12.00 | 12.50 | 12.39 | 19.39 |
| नागालैण्ड | 0.08 | 0.11 | 1.30 | 1.30 |
| पुदुचेरी | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| तमिलनाडु | 10.44 | 13.73 | 15.72 | 18.23 |
| त्रिपुरा | 8.60 | 9.92 | 17.73 | 17.77 |
| पश्चिम बंगाल | 21.16 | 21.16 | 21.80 | 21.89 |
| अखिल भारत | 527.54 | 537.63 | 680.71 | 702.96 |

*अग्रिम अनुमान

**विवरण-II**

*भारत में सुपारी आयात*

| वर्ष | इंडोनेशिया से | | बंगलादेश से | | कुल आयात (अन्य मूल से शासित) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा (टन) | मूल्य (रु. लाख) | मात्रा (टन) | मूल्य (रु. लाख) | मात्रा (टन) | मूल्य (रु. लाख) |
| 2009-10 | 23232 | 4160 | 6333 | 2092 | 39527 | 9441 |
| 2010-11 | 23293 | 5205 | 31673 | 11089 | 72697 | 24454 |
| 2011-12 | 5662 | 2172= | 55072 | 20102 | 71512 | 26354 |
| 2012-13 | 1645 | 1130 | 53264 | 27823 | 60590 | 32005 |

*अप्रैल से दिसंबर

## जीन के लिए पेटेंट

6558. **श्री वरुण गांधी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मोनसैंटों नामक अमरीकी कंपनी के बारे में जानकारी है जिसने भारतीय तरबूज में पाए जाने वाले जीन का पेटेंट ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्य देशों में मंजूर बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर कम्पनी के विरुद्ध कार्रवाई करने का मुद्दा भारत सरकार के केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एन.बी.ए.) के अधिकार क्षेत्र में आता है।

वर्तमान में, एन.बी.ए. आरोपित अतिक्रामकों के विरुद्ध इस मामले को दर्ज करने की कार्रवाई कर रहा है।

## ग्राम सभा और कृषि भूमि पर निर्माण

6559. **श्री रमेश राठौड़:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2011 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ग्राम सभा और कृषि भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में निर्माण के लिए योजनाएं स्वीकृत करता है जिसके बिना यह अप्राधिकृत है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के बारे में संबंधित एजेंन्सी को सूचना देना पुलिस का कार्य है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए दिनांक 30.03.2011 के आदेश संख्या एफ-27/एस.डी.एम./के.जी./2010/96 के माध्यम से दिल्ली के प्रत्येक जिले के प्रत्येक सब-डिवीजन के लिए सब-डिवीजन स्तर पर विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है।

(ख) और (ग) योजनाओं को स्वीकृति तभी दी जाती है जब निर्माण स्थल किसी अनुमोदित लेआउट प्लान का हिस्सा हो।

(घ) और (ङ) अवैध गतिविधियों के संबंध में दिल्ली पुलिस की भूमिका भू-स्वामी एजेंसियों को सूचित करने की है। सिविक एजेंसियों

से प्राप्त नोटिस पर पुलिस भी निर्माण कार्य को रोकने और निर्माण सामग्री जब्त करने की कार्रवाई करती है।

### नैफेड की गैर-उत्पादनकारी आस्तियां

6560. **श्री सुरेश कुमार शेटकर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैफेड का विचार अपनी गैर-उत्पादनकारी आस्तियों को निर्माण कंपनियों को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (ग) नैफेड ने सूचित किया है कि वित्त सेवा विभाग (डी.एफ.एस.) ने नैफेड को इसकी गैर निष्पादन परिसम्पतियों (एन.पी.ए.) से परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनी (ए.आर.सी.) के निष्पादन के सीमित उद्देश्य के लिए "वित्तीय संस्थान" के रूप में अधिसूचित किया है। चूंकि नैफेड प्रतिभूति पावति में पूर्वक्रयी एक योग्य संस्थागत क्रेता नहीं है अत: ए.आर.सी. अपनी वित्तीय परिसम्पत्तियां केवल नकद आधार पर ही खरीद सकता है। इसके अलावा नैफेड ने डी.एफ.एस. से अनुरोध किया है कि वह अधिसूचना में अन्य वित्तीय संस्थानों के अनुरूप संशोधन करें और प्रतिभूति रसीद के सम्मुख नैफेड की वित्तीय परिसम्पत्तियों को ए.आर.सी. को बिक्री सुविधा प्रदान करे अथवा उन्हें कमीशन आधार पर एन.पी.ए. की वसूली हेतु नैफेड के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करें।

### वस्तुओं के वैश्विक मूल्यों में गिरावट का प्रभाव

6561. **श्री पी.आर. नटराजन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गहराते यूरो जोन ऋण संकट के कारण वस्तुओं के वैश्विक मूल्यों में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारत के प्रमुख कृषि उत्पादन के निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है एवं देश को हुई विदेशी मुद्रा की हानि का अनुमानित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अनुमानित राजस्व की हानि को पूरा करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (ग) वस्तुओं की कीमतें उत्पादन और मांग पर निर्भर करती हैं और वे सदैव समान नहीं रहती। कृषि वस्तुओं में भी यही प्रक्रिया बनी रहती है और उनमें समय और सामग्री के अनुसार उतार चढ़ाव रहता है। पिछले वर्ष की तुलना में इस समय गेहूं, चावल और मक्का की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें उच्चतर हैं जबकि कपास, खाद्य तेलों और चीनी की कीमतें अपेक्षाकृत कम है।

तथापि, भारत का कृषि निर्यात और संबद्ध उत्पाद 2011-12 में 29.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2012-13 में 33.54 अमेरिकी डॉलर हो गया है।

*[हिन्दी]*

### किसानों के लिए नई योजना

6562. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में किसानों के लिए सब्सिडी दर पर बिजली पानी, उर्वरक और बीज प्रदान करने की एक नई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार राज्य सरकारों को कृषि के विकास के लिए उनके प्रयासों में सहायता करने तथा किसानों की स्थिति में सुधार लाने और साथ ही खेती को मितव्ययी रूप से व्यवहार्थ बनाए जाने के लिए सहायता मुहैया करा रही है।

*[अनुवाद]*

### कृषि उत्पादन संबंधी कार्य-समूह

6563. **श्री महाबली सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कार्य-समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कार्य-समूह की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (ग) सरकार ने वर्ष 2010 में माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता में कृषि उत्पादन पर एक कार्य समूह का गठन किया था। कार्य समूह ने बड़े स्तर पर सिफारिशें की जिनमें अन्य बातों के साथ शामिल हैं-उपज में सुधार किए जाने के उपाय; पूर्वी भारत में शीतकालीन चावल की खेती का विस्तार करना; विद्युत ऊर्जा उपलब्धता; जल नियंत्रण; उन्नत संकर बीज; बीज प्रतिस्थापन दर; उर्वरक उपयोग; कृषि व्यवसाय; निजी क्षेत्र का निवेश; विपणन; बीज और अन्य संबंधित क्षेत्र।

सरकार ने कार्य समूह की विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया। क्योंकि सिफारिशें भारत सरकार के विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से संबंधित हैं इसलिए इन्हें आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु उन्हें परिचालित किया गया था। सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। कृषि एवं सहकारिता विभाग इन सिफारिशों के कार्यान्वयन को मानिटर कर रहा है।

**रेलवे स्टेशनों को खतरा**

**6564. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**

**श्री भाष्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:**

**श्री संजय भोई:**

**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली, मुंबई आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर आतंकवादी हमले की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों से उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली, मुंबई आदि जैसे कुछेक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर आतंकी हमले की धमकियों को इंगित करने वाली किसी विशिष्ट आसूचना की जानकारी नहीं है। तथापि, विगत में आसूचना एजेंसियों की नोटिस में महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों को संभावित खतरों को इंगित करने वाली कई एक धमकी-पत्र, हॉक्स कॉल्स की जानकारी प्राप्त हुई थी।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र राज्य की सुरक्षा एजेंसियों को सितम्बर, 2012 से इस संबंध में तीन जानकारियां प्राप्त हुई थीं कि देश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों को आतंकी कार्रवाई का निशाना बनाया जा सकता है। इस सूचना को मुंबई पुलिस द्वारा रेलवे सहित सभी संबंधितों के साथ साझा किया गया तथा किसी भी अवांछित घटना को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की सलाह दी गई थी। होटलों, लॉज ओर अतिथि-गृहों तथा किराए के स्थानों में रह रहे किसी संदिग्ध व्यक्ति का पता लगाने के लिए इनकी नियमित नाकेबंदी और जांच की जाती है। बल की तैयारी को सुदृढ़ बनाने के लिए आवधिक रूप से नकली अभ्यास (माक ड्रिल) किए जाते हैं। पुलिस थाना स्तरों पर आतंकवाद-रोधी प्रकोष्ठ बनाए गए हैं तथा इन प्रकोष्ठों में कार्यरत अधिकारियों को आतंकवादियों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012-2013 में रेलवे स्टेशनों पर आतंकी हमलों की धमकियों के संबंध में दो सूचनाएं दिल्ली पुलिस को प्राप्त हुई थीं। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर रेलवे प्राधिकारियों ने रिकार्डिंग सिस्टम सहित सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित किए हैं, जिन्हें रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) द्वारा मानीटर किया जाता है। दिल्ली स्थिति सभी बड़े रेलवे स्टेशनों के मुख्य प्रवेश द्वारों पर अवरोधक (बैरीकेड्स) लगाए गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) द्वारा सभी प्रवेश द्वारों पर यात्रियों की समुचित रूप से जांच की जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) तथा जी.आर.पी. द्वारा रेलवे स्टेशन परिसरों तथा प्लेटफार्मों पर खड़ी गाड़ियों में प्रभावी गश्त लगाई जा रही है।

इसके अतिरिक्त, सरकार आतंकवादियों अथवा आतंकी समूहों/गुटों के देश के किसी भी भाग में किसी भी रूप में हमले करने संबंधी किसी अनिष्टकर डिजाइन/योजना को विफल करने के लिए सरकार कृत संकल्प है, क्योंकि इस तरह का कोई भी कृत्य आतंकी हमलों को जायज नहीं ठहरा सकता है। इसलिए, आतंकवादी गुटों द्वारा रची गई किसी भी संभावित डिजाइन और खतरों के बारे में आसूचना जानकारियों को राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाता है। बहु एजेंसी केन्द्र (एम.ए.सी.) को सुदृढ़ किया गया है तथा वास्तविक समय पर मिलान और अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ आसूचना को साझा करने के लिए इसे 24x7 आधार पर कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु पुनर्गठित किया गया है तथा स्थापित तंत्र के माध्यम से सुरक्षा आसूचना जानकारियों को संबंधित राज्यों के साथ साझा किया जाता है जिससे राज्यों और केन्द्रीय सुरक्षा तथा विधि प्रवर्तन एजेंसी के बीच नजदीकी समन्वय और आसूचना की साझेदारी तथा सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होता है। इसके परिणामस्वरूप, कई एक बड़े आतंकी माड्यूलों को ध्वस्त किया गया है।

**अपराध पता लगाने संबंधी निर्देश**

**6565. श्री राम सिंह राठवा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसे तंत्र को स्थापित करने का निर्देश दिया है जो महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों का समय पर पता लगाने में मदद करेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकारों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'लोक व्यवस्था' एवं 'पुलिस' राज्य के विषय हैं, अतः अपराध के निवारण, उसका पता लगाने, उसके पंजीकरण एवं जांच और अपनी विधि प्रवर्तक एजेंसियों की मशीनरी के माध्यम से अपराधियों पर मुकदमा चलाने के साथ-साथ नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा करने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपने-अपने यहां पर्यटक पुलिस तैनात करने का सुझाव दिया है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक सुरक्षा संगठनों के गठन के लिए दिशा-निर्देश भी तैयार किए हैं। उसने सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन के लिए आचार संहिता भी अपनाया है जोकि पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों, दोनों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के मल अधिकारों, जैसे उनकी प्रतिष्ठा, सुरक्षा तथा उत्पीड़न से मुक्ति के संबंध में चलाई जाने वाली पर्यटन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देती है।

## कृषि उत्पाद का व्यापार

6566. **श्री बैजयंत पांडा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिंस बाजार के विनियमन के लिए कोई तंत्र विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विशेष रूप से कृषि उत्पाद के व्यापार की निगरानी के लिए विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) जी. हां। वस्तु बाजार के दो भाग हैं अर्थात स्पॉट मार्केट और डेरिव्हेटिव मार्केट। कमोडिटी स्पॉट मार्केट राज्य सरकारों द्वारा संबंधित राज्य अधिनियमों के तहत विनियमित किए जाते हैं। जहां तक वायदा बाजारों के विनियमन का संबंध हैं, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम को वर्ष 1952 में अधिनियम किया गया था और कमोडिटी डेरिव्हेटिव मार्केट के विनियामक निकाय अर्थात वायदा बाजार की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। वर्तमान में अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के तहत छः नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज तथा सोलह रीजनल कमोडिटी एक्सचेंज वस्तुओं के अग्रिम व्यापार को संचालित कर रहे हैं। वस्तु वायदा बाजार में अग्रिम व्यापार के विनियमन के तीन स्तर हैं अर्थात केन्द्र सरकार, वायदा बाजार आयोग तथा मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंज/एसोसिएशन। वस्तु वायदा बाजारों के विनियमन की प्रणाली एक प्रभावी मूल्य खोज, पणधारियों को मूल्य जोखिम के प्रति सुरक्षा तथा बाजार में विश्वास संवर्धन को सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्यों में अपना योगदान देती है। वस्तुओं के संबंध में वायदा/अग्रिम व्यापार की अनुमति देने और एक्सचेंज/एसोसिएशनों को मान्यता प्रदान करने जिनके माध्यम से ऐसे व्यापार को अनुमति दी जाएगी आदि के संबंध में केन्द्र सरकार व्यापक नीति का निर्धारण करती है। वायदा बाजार आयोग विनियामक उपायों को निर्धारित करने, एक्सचेंज के नियमों तथा विनियमों जिनके तहत व्यापार किया जाएगा को अनुमोदित करने, विभिन्न संविदाओं में व्यापार की शुरुआत करने की अनुमति देने, सतत रूप से बाजार की मॉनीटरिंग करने और बाजार की संभाव्य या वास्तविक हेराफेरी, अधिक सट्टेबाजी या किसी अन्य प्रकार के बाजार दुरुपयोग के पगति अग्रिम अथवा उपचारी उपाय करने की भूमिका अदा करता है। मान्यताप्राप्त एक्सचेंज/एसोसिएशन, वायदा बाजार आयोग द्वारा अनुमोदित नियमों एवं विनियमों के उपबंधों के अनुसार दिन प्रतिदिन के व्यापार को सुगम बनाते हैं, उसका पर्यवेक्षण करते हैं तथा विनियमित करते हैं और एक स्वतः विनियामक संगठन के रूप में कार्य करते हैं।

(ग) और (घ) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

## दलालों पर खरीद

6567. **श्री मनोहर तिरकी :**

**श्री नरहरि महतो :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रापण में दलालों के शामिल होने के संबंध में कोई शिकायत/रिपोर्ट प्राप्त हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों

में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य-वार क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकारी एजेंसियों ने किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्न का केवल एक छोटे हिस्से का प्रापण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य-वार उठाए गए उपचारी कदमों सहित उक्त अवधि के दौरान उत्पादित और प्रापण किए गए खाद्यान्न की मात्रा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस)** : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) मौजूदा खरीद नीति के अनुसार निर्दिष्ट केन्द्रों पर बिक्री के लिए लाया गया समस्त खाद्यान्न, जो निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होता है, सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लिया जाता है। किसानों के पास अपनी उपज भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अथवा खुले बाजार में बेचने जो भी उनके लिए लाभप्रद हो, का विकल्प उपलब्ध है। चूंकि किसानों पर नुकसान उठा कर अपनी उपज बेचने की कोई बाध्यता नहीं है अत: सरकार उपज का वही हिस्सा खरीदती है जो बिक्री के लिए सरकारी खरीद एजेंसियों के पास लाया जाता है। उत्पादन, खरीद तथा उत्पादन की तुलना में खरीद के प्रतिशत का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं का राज्य-वार उत्पादन, खरीद तथा खरीद का प्रतिशत*

(लाख टन में)

| | उत्पादन (फसल वर्ष) | | | खरीद (रबी विपणन मौसम) | | | उत्पादन की तुलना में खरीद का प्रतिशत | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
| बिहार | 46.23 | 40.98 | 47.87 | 1.83 | 5.56 | 7.72 | 3.96 | 13.57 | 16.12 |
| गुजरात | 26.48 | 40.20 | 41.00 | 3.67 | 1.05 | 1.56 | 13.86 | 2.61 | 3.81 |
| हरियाणा | 105 | 116.30 | 126.84 | 63.35 | 69.28 | 86.65 | 60.33 | 59.57 | 68.30 |
| मध्य प्रदेश | 78.46 | 76.27 | 105.8 | 35.38 | 49.65 | 84.93 | 45.09 | 65.10 | 73.60 |
| महाराष्ट्र | 17.57 | 23.01 | 13.13 | - | - | - | - | - | 1.83 |
| पंजाब | 152.63 | 164.72 | 172.06 | 102.05 | 109.58 | 128.34 | 66.86 | 66.53 | 74.18 |
| राजस्थान | 68.27 | 72.15 | 93.19 | 4.76 | 13.03 | 19.64 | 6.97 | 18.06 | 21.06 |
| उत्तर प्रदेश | 278.1 | 300.01 | 302.93 | 16.73 | 34.61 | 50.63 | 6.02 | 11.54 | 16.71 |
| उत्तराखंड | 8.37 | 8.78 | 8.74 | 0.86 | 0.42 | 1.39 | 10.27 | 4.78 | 15.83 |
| पश्चिम बंगाल | 8.37 | 8.74 | 8.84 | 0.09 | - | - | - | - | 1.60 |
| अन्य | 17;62 | 17.58 | 18.63 | 0.11 | 0.17 | 0.62 | - | - | - |
| अखिल भारत जोड़ | 808.0 | 868.74 | 948.80 | 225.14 | 283.85 | 381.48 | 27.86 | 32.67 | 40.17 |

*पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान चावल का राज्यवार उत्पादन, खरीद और खरीद का प्रतिशत*

(लाख टन में)

| राज्य | उत्पादन | | | | खरीद | | | | उत्पादन की तुलना में खरीद का प्रतिशत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13* | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
| आन्ध्र प्रदेश | 142.41 | 105.38 | 144.18 | 128.88 | 75.4 | 96.09 | 75.42 | 48.09 | 63.63 | 71.55 | 66.65 | 58.49 |
| असम | 40.09 | 43.36 | 47.37 | 40.09 | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.17 | -- | 0.19 | 0.36 | 0.48 |
| बिहार | 55.9 | 35.99 | 31.02 | 72.01 | 8.9 | 8.83 | 15.34 | 12.48 | 19.37 | 24.73 | 28.47 | 21.42 |
| छत्तीसगढ़ | 43.92 | 41.1 | 61.59 | 60.28 | 33.51 | 37.46 | 41.15 | 48.02 | 64.85 | 81.53 | 60.82 | 68.26 |
| गुजरात | 13.03 | 12.92 | 14.97 | 17.64 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| हरियाणा | 32.98 | 36.25 | 34.72 | 37.59 | 18.19 | 16.87 | 20.07 | 26.03 | 43.21 | 50.18 | 48.59 | 53.39 |
| हिमाचल प्रदेश | 1.18 | 1.06 | 1.29 | 1.32 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| झारखंड | 34.2 | 15.38 | 11.10 | 34.18 | 0.23 | 0.002 | 2.75 | 1.88 | 3.95 | 1.50 | 0.00 | 8.78 |
| कर्नाटक | 38.02 | 36.91 | 41.88 | 40.38 | 0.86 | 1.8 | 3.56 | 0.72 | 2.81 | 2.33 | 4.30 | 9.00 |
| केरल | 5.9 | 5.98 | 5.23 | 5.55 | 2.61 | 2.63 | 3.76 | 0.92 | 40.17 | 43.65 | 50.29 | 65.38 |
| मध्य प्रदेश | 15.6 | 12.61 | 17.72 | 18.38 | 2.14 | 5.16 | 6.35 | 9.00 | 15.77 | 16.97 | 29.12 | 28.51 |
| महाराष्ट्र | 22.84 | 21.83 | 26.96 | 28.06 | 2.2 | 3.08 | 1.78 | 1.76 | 11.43 | 10.08 | 11.42 | 6.27 |
| ओडिशा | 68.12 | 69.18 | 68.28 | 58.15 | 24.96 | 24.65 | 28.66 | 28.71 | 40.96 | 36.08 | 36.10 | 49.34 |
| पंजाब | 110 | 112.36 | 108.37 | 105.42 | 92.75 | 86.35 | 77.31 | 85.57 | 77.75 | 82.55 | 79.68 | 73.34 |
| राजस्थान | 2.41 | 2.28 | 2.66 | 2.53 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | - | - |
| तमिलनाडु | 51.83 | 56.65 | 57.92 | 68.94 | 12.41 | 15.43 | 15.96 | 4.70 | 23.13 | 21.91 | 26.64 | 21.40 |
| उत्तर प्रदेश | 130.97 | 108.07 | 119.92 | 140.25 | 27.26 | 25.54 | 33.57 | 22.12 | 28.15 | 25.22 | 21.30 | 23.94 |
| उत्तराखंड | 5.82 | 6.08 | 5,50 | 5.99 | 3.75 | 4.22 | 3.78 | 4.57 | 59.97 | 61.68 | 76.73 | 63.64 |
| पश्चिम बंगाल | 150.37 | 143.4 | 130.46 | 148.53 | 12.4 | 13.1 | 20.41 | 14.36 | 11.09 | 8.65 | 10.04 | 13.97 |
| अन्य | 26.23 | 24.11 | 28.66 | 29.05 | 0.2 | 0.6 | 0.27 | -- | | - | | |
| अखिल भारत जोड़ | 991.82 | 890.93 | 959.80 | 1053.11 | 320.34 | 341.98 | 350.41 | 309.33 | 34.39 | 35.96 | 35.63 | 33.27 |

*दिनांक 02.05.2013 की स्थिति के अनुसार

### सकल घरेलू उत्पाद में लघु उद्योग का हिस्सा

6568. **श्री यशवंत लागुरी:**

**श्री एस. अलागिरी:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मॉल संस्कृति के विकास ओर संगठित खुदरा विक्रेताओं के प्रवेश के कारण देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में छोटे व्यापारियों/दुकानदारों की भागीदारी में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) छोटे व्यापारियों/दुकानदारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) से (ग) खुदरा व्यापार राज्य का विषय है। संगठित/असंगठित खुदरा व्यापारी अपनी दुकानों/मालों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों में संबंधित प्राधिकारियों के पास पंजीकृत करवाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारी की अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में खुदरा व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी स्वयं की नीति है। ऐसे कोई आंकड़े केन्द्रीकृत रूप नहीं रखे जा रहे हैं।

### संरक्षित स्मारकों के निकट भवनों का निर्माण

6569. **श्री यशवीर सिंह:**

**श्री नीरज शेखर:**

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के कर्मचारियों की सांठ-गांठ से प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम (संशोधन तथा अधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 के अधीन नियमों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए उत्तर प्रदेश में सारनाथ, वाराणसी सहित देश के विभिन्न हिस्सों में संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों के निकट आवासीय कालोनियों और बहुमंजिले भवनों का विकास/निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उत्तर प्रदेश सहित देश में रिपोर्ट किए गए इस प्रकार के मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मामले में जांच की है/जांच कराये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या रहा तथा दोषी व्यक्तियों/कर्मचारियों के खिलाफ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

**संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी):** (क) से (ङ) तेजी से हो रहे शहरीकरण, वाणिज्यीकरण और भूमि के मूल्य में वृद्धि के कारण सारनाथ, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) सहित देश में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण, कालोनियों और बहुमंजिले भवनों के निर्माण संबंधी घटनाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सामने आई हैं जिसमें प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 का उल्लंघन किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष नियम, 1959 के अनुसार ऐसी संरचनाओं को हटाने के लिए पुलिस में शिकायत/एफ.आई.आर. दर्ज कराने जैसी कार्रवाई करता है और ऐसे सभी मामलों के संबंध में नोटिस और आदेश निर्गत करता है। ढहाने संबंधी जारी आदेशों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। तथापि, इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किसी भी पदाधिकारी द्वारा की गई सांठ-गांठ के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना ध्यान से नहीं आई है। अनधिकृत निर्माण का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

### *विवरण-I*

*भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नियम 38(1) और 38(2) के अधीन दिनांक 01.01.2010 से 03.05.2013 तक जारी ढहाने संबंधी आदेशों की संख्या की सूची*

| क्र.सं. | मंडल | ढहाने संबंधी आदेशों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आगरा | 86 |
| 2. | भोपाल मंडल | 214 |
| 3. | चेन्नई मंडल | 2 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | चंडीगढ़ मंडल | 14 |
| 5. | धारवाड़ मंडल | 1 |
| 6. | दिल्ली मंडल | 363 |
| 7. | गोवा मंडल | 21 |
| 8. | लखनऊ मंडल | 4 |
| 9. | रायपुर मंडल | 18 |
| 10. | वडोदरा मंडल | 64 |
| 11. | देहरादून मंडल | 9 |
| 12. | जयपुर मंडल | 63 |
| 13. | शिमला मंडल | 11 |
| 14. | त्रिशूर मंडल | 16 |
| | कुल | 886 |

### *विवरण-II*

*देश में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के अंदर सूचित अनधिकृत निर्माणों की संख्या की राज्य-वार सूची*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | अनधिकृत निर्माणों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | निषिद्ध क्षेत्र में | विनियमित क्षेत्र में |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 393 | 221 |
| 2. | असम | 23 | 9 |
| 3. | बिहार | 75 | 112 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 40 | 8 |
| 5. | गोवा | 18 | 31 |
| 6. | गुजरात | 254 | 418 |
| 7. | हरियाणा | 170 | 61 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 71 | 64 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 77 | 127 |
| 10. | कर्नाटक | 931 | 714 |
| 11. | केरल | 52 | 365 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 570 | 916 |
| 13. | महाराष्ट्र | 346 | 295 |
| 14. | मेघालय | 1 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 15. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 757 | 409 |
| 16. | ओडिशा | 18 | 01 |
| 17. | पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र) | 44 | 133 |
| 18. | पंजाब | 97 | 88 |
| 19. | राजस्थान | 216 | 42 |
| 20. | तमिलनाडु | 494 | 409 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 750 | 525 |
| 22. | उत्तराखंड | 101 | 133 |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 54 | 10 |
| | कुल | 5552 | 5091 |

**प्रापण केंद्रों को बंद करना**

6570. **श्री एस. अलागिरी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात की सूचना/शिकायत प्राप्त हुई है कि विभिन्न राज्यों में प्रापण मौसम के दौरान कई प्रापण केंद्र बंद थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने केंद्र बंद कर दिए गए;

(ग) क्या सरकार ने किसानों पर इसके प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं और इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**विदेशियों के लिए गठित अधिकरणों द्वारा मामलों का निपटान**

6571. **श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विदेशियों के लिए गठित अधिकरण को संदर्भित मामलों तथा निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन अधिकरणों द्वारा अस्वीकृत मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन अधिकरणों द्वारा पहचान किए गए अवैध अप्रवासियों की संख्या कितनी है और उन पर क्या कार्रवाई की गयी है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विदेशियों के लिए अधिकरणों (एफ.टी.) को संदर्भित मामलों और निपटाए गए मामलों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

| वर्ष | एफ.टी. को संदर्भित मामलों की संख्या | निपटाए गए मामलों की संख्या |
|---|---|---|
| 2010 | 18328 | 8331 |
| 2011 | 8963 | 10989 |
| 2012 | 5894 | 11964 |
| 2013 (जनवरी, 2013 तक) | 1054 | 3143 |

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विदेशियों के लिए अधिकरणों (एफ.टी.) द्वारा पहचान किए गए अवैध आप्रवासियों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

| वर्ष | पहचान किए गए/ विदेशी के रूप में घोषित व्यक्तियों की संख्या (वर्ष 1971 से पहले और वर्ष 1971 की स्ट्रीम के बाद) | विदेशी घोषित, मतदाता सूचियों से उनके नाम हटाने हेतु भेजे गए व्यक्तियों की | निर्वासित/वापस भेजे गए/पकड़े गए/बंदी केन्द्रों में रखे गए घोषित विदेशियों | एफ.आर.आर.ओ.एस. में पंजीकृत घोषित विदेशियों के नाम (वर्ष 66-71 की स्ट्रीम) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2190 | 2190 | 140 | 48 |
| 2011 | 2414 | 2414 | 116 | 66 |
| 2012 | 2679 | 2964 | 52 | 205 |
| 2013 (जनवरी, 2013 तक) | 645 | 233 | 14 | 26 |

### सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों की चोरी

6572. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन गरीबों को बांटे जाने वाले अनाज की चोरी की घटनाओं की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार रिपोर्ट किए गए इन मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस संबंधी में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) जी, नहीं। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत गरीब को वितरण हेतु आशयित खाद्यान्नों की चोरी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

### एम.एन.आई.सी. का दुरुपयोग

6573. **श्रीमती भावना पाटील गवली:**
**श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान कार्ड (एन.एन.आई.सी.) को जारी कर व्यक्तिगत अधिकारों/निजता के अधिकार के उल्लंघन के संबंध में कोई अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और;

(ग) इन कार्डों के जारी करने के लिए संग्रहित निजी डाटा के दरुपयोग और सूचना डाटा को करप्ट करने के खिलाफ परिकल्पित सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एम.एन.-आई.सी.) जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) तैयार करने संबंधी स्कीम के अंतर्गत देश के 18 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के सभी सामान्य निवासियों को निवासी पहचान (स्मार्ट) पत्र (आर.आई.सी.) जारी करने संबंधी प्रस्तावों का व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया है एवं उनकी सिफारिश की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31.01.2013 को इस प्रस्ताव पर विचारऔर यह निदेश दिया है कि सर्वप्रथम इस प्रस्ताव पर मंत्रियों के एक समूह (जी.ओ.एम.) द्वारा विचार किया जाए। मंत्रियों के समूह का गठन किया जा चुका है और अब तक इसकी दो बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। वैयक्तिक अधिकारों/निजता के अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में कोई अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) इन पहचान पत्रों को जारी करने के लिए एकत्र किए गए वैयक्तिक आंकड़ों के दुरुपयोग ओर उन्हें खराब करने संबंधी प्रयासों को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षा उपाय किए गए हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रक्रियाएं लागू की गई हैं ताकि एकत्र किए गए आंकड़ों तक अनधिकृत पहुंच संभव न हो। इनमें बायोमेट्रिक नामांकन के पूरा होने के तत्काल बाद आंकड़ों को कोडीकृत (एन्क्रिप्शन) करना, आंकड़ों को कोडीकृत और जिप्ड टेम्पर प्रूफ रूप से आंकड़ा केंद्रों को अंतरित करना, वर्चुअल प्रोवाइडर्स, फायरवाल्स और प्रवेश रोधी प्रणाली जैसी मानक सुरक्षा अवसंरचना की व्यवस्था करना और आंकड़ों तक पहुंच को केवल अधिकृत कार्मिकों तक ही सीमित करना शामिल है। सभी निवासियों के बायोमेट्रिक विवरणों के डिजीटाइजेशन और एकत्रण के कार्य में लगे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) और सूचना तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डी.आई.टी.) को आंकड़ों की संरक्षा और सुरक्षा से संबंधित दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

जहां तक निवासी पहचान पत्रों का संबंध है, सुरक्षा उपायों में मूल उपस्कर विनिर्माता (ओ.ई.एम.) से चिप मॉड्यूल्स प्राप्त करना, गुलियोके पैटर्न, माइक्रो, टेक्स्ट, होलोग्राम, विशिष्ट क्रम संख्या, सुरक्षित परिवहन इत्यादि जैसी वास्तविक सुरक्षा विशेषताओं को शामिल करना तथा कुंजी (की) प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रानिक सुरक्षा संबंधी विशेषताओं की व्यवस्था करना शामिल है। पहचान पत्र वैयक्तिकरण केंद्रों को सी.सी.टी.वी. निगरानी, पहुंच नियंत्रण इत्यादि सुविधाओं से लैस उच्च सुरक्षा क्षेत्र में स्थित तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के परिसरों में स्थापित किया गया है। निवासी पहचान पत्रों की सुपुर्दगी डाक विभाग के एक सुरक्षित ट्रैकेबल सेपेरेट प्रोटोकाल के माध्यम से किए जाने की योजना है।

## पूर्वोत्तर परिषद

6574. **श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी**: क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने और पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हाल में पूर्वोत्तर परिषद द्वारा शुरू किए गए विशेष पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय में पूर्वोत्तर परिषद के बीच कार्यात्मक तथा पदानुक्रमिक संबंध क्या है;

(ग) क्या दोनों निकायों के बीच कार्यों की अति व्याप्ति के कारण कार्यक्रमों, नीतियों और इसके कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार)**: (क) पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी.) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है। पिछले इकतालीस वर्षों के दौरान एन.ई.सी. क्षेत्र के विकास में आने वाली मूल बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से एक नए आर्थिक प्रयास की गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए एन.ई.सी. ने कई पहलें की हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) एन.ई.सी. ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विजन 2020 दस्तावेज तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए रोडमैप उपलब्ध कराता है, लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करता है, चुनौतियों की पहचान करता है और कार्यान्वयन कार्यनीतियों का सुझाव देता है। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत योजना निर्माण में मदद करता है।

(ii) आरंभ से, एन.ई.सी. ने इस क्षेत्र में 9800 किलोमीटर लंबाई की सड़कों, 77 पुलों, 12 अंतर्राज्यीय बस टर्मिनलों/ ट्रक टर्मिनलों को संस्वीकृति प्रदान की है और उनका निर्माण कार्य पूरा किया है। एन.ई.सी. से सहायता प्राप्त सड़क परियोजनाएं अधिकतर क्षेत्रीय प्रकृति की हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) के सहयोग से एन.ई.सी. के सहयोग से एन.ई.सी. ने एन.ई.आर. में 10 हवाई अड्डों अर्थात् गुवाहाटी, लीलाबाड़ी, जोरहाट, डिब्रूगढ़, दीमापुर, सिलचर, तेजपुर, इम्फाल, अगरतला और उमरोई (मेघालय) का उन्नयन आरंभ किया है। अप्रैल, 2000 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार इन कार्यों के लिए वित्तपोषण पद्धति एन.ई.सी. द्वारा 60% और ए.ए.आई. द्वारा 40% है। वर्ष 2012-13 के दौरान एन.ई.सी. ने ऐसी ही वित्तपोषण पद्धति के आधार पर 5 अन्य हवाई अड्डा विकास परियोजनाओं की संस्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त, एन.ई.सी. द्वारा तेजु और लेंगुपुई हवाई अड्डों के विकास की संस्वीकृति दी है। हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए एन.ई.सी. ने 2002 से दिसंबर, 2011 तक इस क्षेत्र के भीतर हवाई सेवाओं के प्रचालन के लिए एलाएंस एयर को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण को भी सहायता दी है।

(iii) प्रारंभ से एन.ई.सी. ने एन.ई. क्षेत्र में संस्थापित क्षमता

में 694.50 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता (630 मेगावाट जल और 64.50 मेगावाट ताप) का योगदान दिया है। एन.ई.सी. वित्तपोषण के तहत ट्रांसमिशन, उपट्रांसमिशन और वितरण तथा उप स्टेशनों के उन्नयन जैसी 62 सिस्टम सुधार स्कीम आरंभ की गई हैं जिसमें 2022.52 सर्किट किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन/वितरण लाइनें, पूरे क्षेत्र में फैले कुल 1494.80 एम.वी.ए. क्षमता वाले उपस्टेशन शामिल हैं। एन.ई.सी. ने "सिक्किम सहित एन.ई. क्षेत्र में विद्युत प्रणालियों के ट्रांसमिशन और उप ट्रांसमिशन का सुदृढ़ीकरण" के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। एन.ई.सी. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत स्कीमों को व्यवहार्यता अंतरवित्तपोषण सहायता भी दे रहा है जिसमें सूक्ष्म/लघु जल विद्युत परियोजनाएं, सौ हाइब्रिड और पवन ऊर्जा परियोजनाएं आदि शामिल हैं।

(iv) उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (नेरकोरम्प) के संवर्धन सहित समुदाय आधारित संधारणीय आजीविका परियोजनाएं एन.ई.सी. और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित की जाती हैं। नेरकोरम्प जिसे मई 1999 में आरंभ किया गया था, 860 गांवों को कवर करती है और उत्तर पूर्व के कुछ अति दुर्गम दूरस्था पहाड़ी जिलों में बसे 38161 घरों तक पहुंच रखती है। नेरकोरम्प का चरण 1 जिसे सितंबर, 2008 में पूरा कर लिया गया था, के अंतर्गत असम, मणिपुर और मेघालय प्रत्येक राज्य के दो-दो जिलों को कवर किया गया था। इस परियोजना की सफलता के परिणामस्वरूप नेरकोरम्प चरण 2 अस्तित्व में आया जिसे वर्ष 2010-11 के दौरान अनुमोदित किया गया था जिसके तहत अगले पांच वर्षों में परियोजना के चरण-1 के साथ लगत 466 गांवों को कवर किया जाना है।

(ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, जैसाकि भारत सरकार के कार्य आबंटन नियमों में दिया गया है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास से संबंधित मामलों के लिए अधिदेशित है जिसमें, अन्य के साथ-साथ अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल का प्रबंधन शामिल है। यह मंत्रालय उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकासोन्मुखी विभिन्न परियोजनाओं और योजनागत स्कीमों के संबंध में केंद्रीय मंत्रालयों/लाइन मंत्रालयों के साथ सामन्वय स्थापित करता है। यह उत्तर पूर्वी राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीति और उनमें संशोधनों के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को सिफारिश करता है। यह एन.ई.सी. को एंकर करने के लिए मंत्रालय के रूप में भी कार्य करता है।

एन.ई.सी. डोनर मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है और पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा यथासंशोधित पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के अनुसार कार्य करता है। एन.ई.सी. के प्रमुख कार्यों में क्षेत्रीय नियोजन, राज्य सरकारों की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के माध्यम से परियोजनाओं/स्कीमों की निगरानी और निष्पादन करना शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**कोयले का उत्पादन और आपूर्ति**

**6575. श्री प्रदीप माझी:**

**श्री किसनभाई वी. पटेल:**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वर्ष 2012-13 के दौरान कोयले के उत्पादन और आपूर्ति में वृद्धि दर्ज की गयी;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में विभिन्न कोयला कंपनियों द्वारा दर्ज की गयी वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को कोयले की आपूर्ति में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कोयला कंपनी-वार निर्धारित आपूर्ति लक्ष्य और कोयले की वास्तविक आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत वर्ष की इसी अवधि की तुला में उक्त अवधि के दौरान रेल के लदान का दैनिक औसत क्या है?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील):** (क) से (ग) जी, हां। 2012-13 के दौरान कोयले के उत्पादन तथा आपूर्ति में वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे कोयले का उत्पादन और कंपनियों द्वारा कोयले की आपूर्ति/प्रेषण के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

(मिलियन टन में)

| वर्ष | कंपनी | लक्ष्य | उत्पादन | % वृद्धि | लक्ष्य | आपूर्ति | % वृद्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 (पी.) | सी.आई.एल. | 464.10 | 452.191 | 3.80% | 470.00 | 463.824 | 7.2% |
| | एस.सी.सी.एल. | 53.10 | 53.190 | 1.9% | 53.10 | 53.276 | 3.7% |
| | अन्य | 57.20 | 52.28 | 0.7% | 57.20 | 51.654 | 0.7% |
| | कुल | 574.40 | 557.661 | 3.3% | 580.30 | 568.754 | 6.2% |

(घ) प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना के अनुसार कोयला मंत्रालय स्वदेशी कोयला आपूर्ति योजना के भाग के रूप में क्षेत्रवार आपूर्ति लक्ष्यों को अंतिम रूप देता है, तथापि, जो उपभोक्ता-वार निर्धारित नहीं किया जाता है। तदनुसार, पिछले वर्ष (2011-12) की तुलना में 2012-13 के दौरान सी.आई.एल. और एस.सी.सी.एल. स्रोतों से एन.टी.पी.सी. के तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयले तथा कोयला उत्पादों की आपूर्ति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं। इसके अलावा, 2012-13 में पिछले वर्ष में 14.7% की वृद्धि के साथ एन.टी.पी.सी. को 105.4% की अधिकृत मात्रा की आपूर्ति की है।

(मिलियन टन में)

**2012-13 में एन.टी.पी.सी. के टी.पी.पी. को कोयले की आपूर्ति (अनंतिम)**

| कंपनी | 2012-13 | 2011-12 | % वृद्धि |
|---|---|---|---|
| | आपूर्ति | आपूर्ति | |
| सी.आई.एल. | 132.84 | 115.69 | 14.7% |
| एस.सी.सी.एल. | 13.45 | 14.04 | -4.2% |
| समग्र | 146.29 | 129.73 | 12.7% |

(ङ) पिछले वर्ष (2011-12) की तुलना में 2012-13 के दौरान सी.आई.एल. तथा एस.सी.सी.एल. से औसतन दैनिक रेक लदान के ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

**2012-13 में सी.आई.एल. का रेक लदान कार्य निष्पादन (अनंतिम)**

| कंपनी | औसतन दैनिक रेक लदान | | |
|---|---|---|---|
| | 2012-13 | 2011-12 | % वृद्धि |
| सी.आई.एल. | 186.2 | 1467.7 | 11.0% |
| एस.सी.सी.एल. | 23.0 | 21.5 | -7.0% |

*[हिन्दी]*

### गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य

6576. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**

**श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गेहूं उत्पादन की लागत की तुलना में केंद्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या गेहूं की उत्पादन की प्रति क्विंटल लागत 1613 रुपये है जबकि समर्थन मूल्य 1350 रुपये प्रति क्विंटल है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(घ) समर्थन मूल्य और लागत मूल्य में अंतर का क्या कारण है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) जी नहीं। संघ सरकार द्वारा घोषित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) अखिल भारतीय भारित औसत अदा की गई उत्पादन लागत की तुलना में अधिक है।

(ख) से (ङ) 2012-13 मौसम के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1350/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जबकि गेहूं की अखिल भारतीय भारित औसत अदा की गई उत्पादन लागत पारिवारिक श्रम सहित जैसाकि कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) द्वारा अनुमान लगाया गया है, 716 रुपये प्रति क्विंटल है।

*[अनुवाद]*

### सूर्य देवता के मंदिर का रख-रखाव

6577. **श्री नित्यानंद प्रधान:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ओडिशा के प्रसिद्ध सूर्य देवता मंदिर का रख-रखाव सरकार/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या ओडिशा राज्य सरकार ने मंदिर में आवश्यक मरम्मत के लिए कोई अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है;

(ङ) क्या सरकार/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का उक्त मंदिरों का बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित किए जाने के लिए कोई नियमित प्रबंधन करने का है: और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी):** (क) और (ख) जी नहीं। ओडिशा में सूर्य मंदिर, कोर्णाक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक संरक्षित स्मारक है और इसका संरक्षण/अनुरक्षण कार्य नियमित रूप से किया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) ओडिशा में कोर्णाक मंदिर के अनुरक्षण और परिरक्षण का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

(ङ) और (च) सूर्य मंदिर, कोर्णाक सहित स्मारकों के संश्रखण का कार्य एक सतत प्रक्रिया है जिसे उपलब्ध संसाधनों के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सी.बी.आर.आई. रूड़की, को संरचनात्मक जांच का कार्य सौंपा गया है। परिधीय विकास कार्य राष्ट्रीय सांस्कृति निधि के अंतर्गत इंडियन ऑयल फाउण्डेशन द्वारा शुरू किया जा रहा है जिसका नियंत्रण और पर्यवेक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाना है।

### सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारों के लिए निधि

6578. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:** क्या **उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए निधियां जारी करने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जाली/अपात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न प्रदान करने वालों को दंडित करने के लिए कोई उपाय किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण

प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) को सुदृढ़ और सुप्रवाही बनाने के लिए सरकार "सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण" तथा "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण" जैसी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधियां प्रदान करती है।

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण" स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित से संबंधित विभिन्न घटकों के लिए निधियां जारी की जाती हैं:

(1) टी.पी.डी.एस. वस्तुओं की ढुलाई करने वाले वाहनों पर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) सेट लगाना (2) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नागरिक आपूर्ति विभागों/निगमों के लिए अधिकारियों, सतर्कता समितियों के सदस्यों आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और टी.पी.डी.एस. के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और प्रबंधन से जुड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ स्तरीय अधिकारियों के लिए सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन; और (3) लक्षित लाभार्थियों पर टी.पी.डी.एस. के प्रभाव का मूल्यांकन करने और टी.पी.डी.एस. के कार्यान्वयन में कमियों को दूर करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन; और (4) टी.पी.डी.एस. लाभार्थियों में उनकी हकदारी और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करना। वर्ष 2012-13 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 80.76 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

"टी.पी.डी.एस. प्रचालन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण" स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। सरकार ने स्कीम का घटक-1 अनुमोदित किया है जिसमें राशन कार्डों/लाभार्थियों और अन्य आंकड़ों का डिजिटीकरण, आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टल की स्थापना और शिकायत निपटान तंत्र का गठन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान 41.69 करोड़ की राशि व्यय की गई।

(ग) और (घ) आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और उपलब्धता बनाए रखने एवं उनका वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए दिनांक 31 अगस्त, 2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 अधिसूचित किया गया है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को टी.पी.डी.एस. का सुचारू कार्यचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित कार्रवाई करना अधिदेशित है। इस आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन में किए गए किसी भी अपराध हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ने जाली/अपात्र राशन कार्डों को रद्द करने, आपराधिक मामले दर्ज करने आदि जैसी कार्रवाई करने की सूचना दी है। जाली राशन कार्ड किए जाने के लिए जिम्मेवार ठहराए गए स्टॉफ के विरूद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभागीय कार्रवाई जैसे निलंबन, एफ.आई.आर. दर्ज कराने और वसूली-कार्रवाई करने की सूचना दी गई है।

*[हिन्दी]*

**खाद्य पदार्थों का उत्पादन**

**6579. श्री जगदानंद सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत विश्व में खाद्यान्न, फल और सब्जियों के उत्पादन में अन्य देशों से काफी पीछे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई राज्य औसत राष्ट्रीय उत्पादन की तुलना में भी काफी पीछे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विश्व स्तर की उत्पादकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों की उत्पादकता को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) और (ख) विश्व के अन्य मुख्य उत्पादक देशों की तुलना में भारत में खाद्यान्नों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। यह देखा गया है कि भारत चीन के बाद फलों एवं सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद खाद्यान्नों में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

(ग) और (घ) कुछ राज्यों में, खाद्यान्नों, फलों एवं सब्जियों की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत कम है जबकि राज्यों में उत्पादकता राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है। देश में खाद्यान्नों, फलों तथा सब्जियों की उत्पादकता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ङ) खाद्यान्नों सहित कृषि फसलों में उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) कृषि जैविकीय क्षेत्रों के अनुसार फसल सुधार, स्थान विशिष्ट किस्मों की

विकास सहित भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उत्पादन एवं रक्षात्मक प्रौद्योगिकियों तथा गैर परम्परागत क्षेत्रों और मौसमों के लिए उपयुक्त किस्मों/आईब्रिडों से संबंधित मूल एवं नीतिगत अनुसंधान कार्य कर रहा है।

फलों एवं सब्जियों सहित बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, सरकार ने मिशन मोड दृष्टिकोण के रूप में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन सहित बागवानी के समय विकास के लिए शेष राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में दो केंद्रीय प्रोयोजित योजनाएं नामत: (i) पूर्वोत्तर एवं हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एच.एम.एन.ई.एच.) तथा: (ii) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एच.एच.एम.) क्रियान्वित कर रही है जिसमें बैकवर्ड एवं फारवर्ड समन्वय के माध्यम से उत्पादन, क्षेत्रीय विस्तार, पुराने एवं शिनायल बगीचों का पुनरूद्धार/पुन:रोपण, जन संसाधन का सृजन, संरक्षित खेती, कार्बनिक खेती, एकीकृत पोषाहार प्रबंधन (आई.एन.एम.)/एकीकृत कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.) को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, मानव संसाधन विकास, किसानों का अनावरण निरीक्षण, पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन (पी.एच.एम.) तथा विपण अंतर संरचना की स्थापना। इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत 2011-12, के दौरान शहरी समूह सब्जी पहल (वी.आई.यू.सी.) पर एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस योजना में खुली क्षेत्रीय परिसंपत्तियों एवं रक्षात्मक कवर के तहत सब्जियों की खेती को प्रारंभ करने, कार्बनिक खेती एकीकृत पोषाहार प्रबंधन/एकीकृत कीट प्रबंधन, पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन तथा कृषक रुची समूह (एफ.आई.जी.) और कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) को तैयार करने एवं बाजार संचय कर्ताओं और वित्तीय संस्थाओं के साथ उनके संबंधों को सुसाध्य करने के अलावा खुदरा स्तर तक विपणन के लिए सहायता दी जाती है।

उक्त के अतिरिक्त, उन्नत सब्जी किस्मों/हाईब्रिडों को विकसित करने, गुणवत्ता बीजों का उत्पादन करने तथा भिन्न-भिन्न राज्यों में उत्पादकता के अंतर को भरने के लिए क्षेत्रीय विशिष्ट सब्जी उत्पादन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एन.ए.आर.एस.) जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एस.ए.यू.) विश्वविद्यालय (एस.ए.यू.) एवं अन्य सार्वजनिक वित्त पोषित संगठन शामिल है, लगातार प्रयास कर रहा है। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में किसानों को बेहतर किस्मों/हाईब्रिडों वाली गुणवत्ता बीजों को प्रदान करने के लिए देश में निजी क्षेत्र भी सक्रिय रूप से कार्यरत है।

*विवरण-I*

*2011 के दौरान विश्व में अन्य प्रमुख उत्पादक देशों की तुलना में भारत में खाद्यान्नों, फलों तथा सब्जियों का उत्पादन*

उत्पादन ('000 टन)

| फल | | सब्जियां | | खाद्यान्न | |
|---|---|---|---|---|---|
| देश | उत्पादन | देश | उत्पादन | देश | उत्पादन |
| चीन | 134950.8 | चीन | 561744.8 | चीन | 525422.8 |
| भारत | 76424.2 | भारत | 156325.5 | संयुक्त राज्य संघ अमरीका | 388269.7 |
| ब्राजील | 40949.3 | संयुक्त राज्य संघ अमरीका | 34670.4 | भारत | 259323.1 |
| संयुक्त राज्य संघ | 27139.7 | टर्की | 27406.0 | इन्डोनेशिया | 83712.3 |
| इटली | 17352.7 | इरान | 25961.1 | ब्राजील | 81042.4 |
| इन्डोनेशिया | 17196.1 | मिश्र | 18945.5 | फ्रांस | 66626.9 |

टिप्पणी: कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जारी सरकारी अनुमान

स्रोत: कृषि खाद्य संगठन (एफ.ए.ओ.)

विवरण-II

फलों, सब्जियों तथा खाद्यान्नों की राज्यवार उत्पादकता

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | उत्पादकता (कि.ग्रा./हैक्टेयर) | | |
|---|---|---|---|
| | फल | सब्जियां | खाद्यान्न |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 9390 | 7059 | # |
| आन्ध्र प्रदेश | 14651 | 18191 | 2575 |
| अरुणाचल प्रदेश | 3629 | 13170 | # |
| असम | 12971 | 11368 | 1755 |
| बिहार | 14367 | 18629 | 2210 |
| छत्तीसगढ़ | 8717 | 13209 | 1442 |
| दादरा और नगर हवेली | एन.ए. | 5000 | # |
| दिल्ली | 17945 | 10989 | # |
| गोवा | 13903 | 12035 | # |
| गुजरात | 21266 | 19415 | 1840 |
| हरियाणा | 9615 | 13699 | 3770 |
| हिमाचल प्रदेश | 1901 | 18225 | 1883 |
| जम्मू और कश्मीर | 4041 | 22130 | 1566 |
| झारखण्ड | 10150 | 14939 | 2068 |
| कर्नाटक | 17237 | 16853 | 1463 |
| केरल | 8743 | 24327 | 2571 |
| लक्षद्वीप | 2178 | 1320 | # |
| मध्य प्रदेश | 21252 | 19879 | 1558 |
| महाराष्ट्र | 6908 | 15861 | 1029 |
| मणिपुर | 8225 | 9621 | # |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| मेघालय | 9864 | 9852 | # |
| मिज़ोरम | 6441 | 5996 | # |
| नागालैण्ड | 10318 | 6738 | # |
| ओडिशा | 6712 | 13757 | 1647 |
| पुदुचेरी | 21586 | 17597 | # |
| पंजाब | 19920 | 20600 | 4302 |
| राजस्थान | 12592 | 7085 | 1440 |
| सिक्किम | 1727 | 5202 | # |
| तमिलनाडु | 27398 | 31206 | 2533 |
| त्रिपुरा | 11702 | 16072 | # |
| उत्तर प्रदेश | 17519 | 22199 | 2498 |
| उत्तराखण्ड | 3996 | 11947 | 1965 |
| पश्चिम बंगाल | 14217 | 17614 | 2539 |
| अन्य | एन.ए. | एन.ए. | 2275 |
| कुल | 11715 | 17650 | 2086 |

#अन्यों में शामिल, एन.ए.: उपलब्ध नहीं

स्रोत: कृषि और सहकारिता विभाग

*[अनुवाद]*

**सीमा विवाद**

6580. **श्री राजू शेट्टी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो केंद्र सरकार को इस संबंध में महाराष्ट्र विधान सभा के जन प्रतिनिधियों से भी अभ्यावेदन मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बैठक का ब्यौरा और उसके निष्कर्ष क्या रहे हैं; और

(घ) इन राज्यों के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) से (ग) जी, नहीं। केंद्र सरकार ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित नहीं की है।

(घ) महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के दृष्टिकोण से केंद्र सरकार ने एक-सदस्यीय महाजन आयोग का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1967 में प्रस्तुत कर दी थी। यह विवाद अभी भी विद्यमान है क्योंकि कर्नाटक सरकार महाजन आयोग की सिफारिशों को पूर्णरूपेण कार्यान्वित कराना चाहती है, जबकि महाराष्ट्र सरकार को आयोग की सिफारिशें मंजूर नहीं हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में एक वाद दायर किया है, जो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई माननीय न्यायालय के निर्णय के परिणाम के आधार पर की जाएगी।

**बंगलौर में बम-विस्फोट**

6581. **श्री एस.आर. जेयदुरई:**

**श्री अब्दुल रहमान:**

**श्री अरविन्द कुमार चौधरी:**

**श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:**

**श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:**

**श्री निखिल कुमार चौधरी:**

**श्रीमती पुतुल कुमारी:**

**श्री हंसराज गं. अहीर:**

**श्री पशुपति नाथ सिंह:**

**श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला:**

**श्रीमती सुस्मिता बाउरी:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में बंगलौर में एक बम विस्फोट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी जान-माल की हानि की सूचना प्राप्त हुई है;

(ग) क्या उक्त विस्फोट का देश में हुए पिछले बम विस्फोटों के साथ कोई संबंध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई जांच और किए गए उपायों की स्थिति क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 17.4.2013 को राज्य बी.जे.पी. कार्यालय के लगभग 120 फीट उत्तर में मकान संख्या 74, साई निलय टेम्पल, स्ट्रीट, मल्लेश्वरम, बंगलुरू-74 के सामने लगभग 10.15 बजे पूर्वाह्न एक बम विस्फोट हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तथापि, 11 पुलिस कर्मियों सहित 16 व्यक्ति घायल हुए। विस्फोट और उसके परिणामस्वरूप लगी आग से तीन कारों और तीन दोपहिया वाहनों को भारी नुकसान हुआ जो उस मोटरसाइकिल के बगल में खड़े थे। विस्फोट की वजह से कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस वेन और आठ अन्य चारपहिया वाहन भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए।

(ग) से (ङ) प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह धमाका पार्क किए गए दोपहिया वाहन में हुए बम विस्फोट की वजह से हुआ। एन.आई.ए. एन.एस.जी., आई.बी. और सी.एफ.एस.एल. जो इस मामले की जांच कर रही है, राज्य पुलिस की सहायता कर रही हैं।

कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए, इनके समाधान की प्रारंभिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। तथापि, आंतकवाद एवं आंतरिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में इसकी जटिलता को देखते हुए इसका मुकाबला करना एक साझापूर्ण जिम्मेदारी है। भारत सरकार, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के माध्यम से राज्य सरकार के पुलिस बलों के आधुनिकीरण में उनकी सहायता करती रहती है। अतिवाद एवं आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए, भारत सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की नफरी का संवर्धन, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एन.एस.जी. हबों की स्थापना, आपात स्थिति में एन.एस.जी. कार्मिकों के आवागमन हेतु हवाई जहाज की मांग करने के लिए महानिदेशक, एन.एस.जी. को शक्तियां प्रदान करना, बहुत-अभिकरण एजेंसी को सुदृढ़ पुनर्गठित करना ताकि यह सही समय पर सूचना का मिलान करने और अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे प्रतिदिन (24x7) आधार पर कार्य कर सके, कठोर आप्रवासन नियंत्रण, सीमाओं पर चौबीसों घंटे निगरानी एवं अनुवीक्षण करके प्रभावकारी सीमा प्रबंधन, प्रेक्षण चौकियों की स्थापना, सीमा-बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था, अधुनातन एवं उच्च प्रौद्योगिकी निगरानी उपकरणों की तैनाती, आसूचना तंत्र का उन्नयन और तटीय सुरक्षा शामिल हैं। आतंकवाद का मुकाबला करने के दण्डात्मक उपायों

को कठोर बनाने हेतु विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को वर्ष 2008 और 2012 में संशोधित एवं अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों की जांच करने और अभियोजन चलाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया है। आतंकवादी खतरा-रोधी उपायों के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) का सृजन किया गया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया है ताकि उसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कतिपय श्रेणी के अपराधों को प्रेडिकेट अपराध के रूप में विधिविरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत लाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, सरकार सीमा-पार आतंकवाद एवं इसके वित्तपोषण सहित इससे जुड़े पहलुओं के मुद्दों को विभिन्न बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय मंचों पर उठाती रहती है।

**कृषि विकास के लिए लक्ष्य**

6582. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**

**श्री धर्मेन्द्र यादव:**

**श्री गजानन ध. बाबर:**

**श्री आनंदराव अडसुल:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित करने तथा इस क्षेत्र में उच्चतर वृद्धि के लिए रणनीति बनाने हेतु राज्य सरकारों, किसानों तथा कृषि आधारित उद्योगों सहित विभिन्न हित धारकों के साथ परामर्श क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका परिणाम क्या रहा;

(ग) अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नीति निर्माण में किसानों तथा गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (ङ) पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करने एवं नीतियों में संशोधन करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक निर्धारित पद्धति अपनायी जाती है। इसके अनुसार, 12वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के दौरान योजना आयोग ने सदस्य (कृषि), योजना आयोग की अध्यक्षता में निगरानी समिति तथा कुल 11 कार्यकारी समूहों का गठन किया था। कार्यकारी समूहों एवं निगरानी समितियों का प्रतिनिधित्व सुप्रसिद्ध व्यक्तियों/क्षेत्रीय विशेषज्ञों, कृषि संगठनों, राज्य कृषि आयोग के सदस्यों, सुविख्यात गैर सरकारी संगठनों, उद्योग प्रतिनिधियों तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अन्य पणधारियों ने किया था। कार्यकारी समूहों एवं निगरानी समितियों ने पूरे देश में पणधारियों के साथ बैठकों/परामर्शों संबंधी अनेकों पारियों का आयोजन किया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में कृषि क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत वृद्धि प्रतिवर्ष के लक्ष्य पर विचार किया गया है।

वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल मिशनों/योजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.), राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम आयल मिशन (एन.एम.एस.ए.), राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (नई), एकीकृत कृषि आय सुरक्षा योजना (आई.एस.एफ.आई.एस.) (नई), एकीकृत कृषि गणना एवं सांख्यिकी योजना (नई), एकीकृत कृषि विपणन योजना (नई), एकीकृत कृषि सहकारी योजना (नई) तथा सचिवालय आर्थिक सेवा।

12वीं पंचवर्षीय योजना को बनाने की प्रक्रिया में किसान एवं गैर सरकारी संगठन पहले से कार्यरत है।

*[हिन्दी]*

**चारा बैंकों की स्थापना**

**6583. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में चारा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र प्रायोजित चारा विकास कार्यक्रम के अधीन चारा बैंक स्थापित करने के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों को इस प्रकार की सहायता प्रदान करने का क्या मानदंड है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अधीन हासिल की गयी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चरण दास महंत):** (क) वर्ष 2012-13 के लिए केंद्रीय प्रायोजित चारा तथा आहार विकास योजना में 'चारा बैंकों की स्थापना' घटक सितंबर, 2012 में शामिल किया गया।

(ख) कोई भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार चारा बैंक स्थापित कर सकता है।

(ग) 2012-13 के दौरान चारा बैंकों की स्थापना के लिए किसी भी राज्य को कोई राशि जारी नहीं किया जा सकी क्योंकि कोई कोई व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा अब तक केंद्रीय प्रायोजित चारा तथा आहार विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त की गई वास्तविक तथा वित्तीय उपलब्धियों संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

### *विवरण*

*वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 में केंद्रीय प्रायोजित चारा तथा आहार विकास योजना के अंतर्गत उपलब्धियां*

(राशि: लाख रुपये में)

| वर्ष<br>ब्लॉक बनाने वाली यूनिट | विभिन्न घटकों के अंतर्गत वास्तविक प्रगति<br>चारा रिजर्व सहित चारागाहों का विकास | घास की प्राप्ति तथा वितरण | चारा बीजों प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण | बीज परीक्षण चॉफ कटर | हस्तचालित चालित चॉफ कटर | विद्युत बनाने वाली यूनिट की | साइलेज यूनिट की स्थापना | अजोला प्रोटीन उत्पादन की स्थापना | बाइपास खनिज मिश्रण तथा आहार पेलेटिंग यूनिट की स्थापना | क्षेत्र विशिष्ट | राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | 4 | 1691.5 | 24596 | 2 | 15853 | 4912 | 871 | 5508 | 2 | 4 | 4243.96 |
| 2010-12 | - | 887 | 24132 | 2 | 13362 | 1827 | 328 | 520 | - | - | 3251.00 |
| 2010-13 | 3 | 1495.5 | 87325.75 | - | 14884 | 5354 | 3126 | 18698 | - | - | 7459.40 |
| 2010-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## कृषि क्षेत्र में रोजगार

6584. **श्री पूर्णमासी राम:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि क्षेत्र में रोजगार की व्यापक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के लिए विभिन्न विशेषीकृत प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा प्रकाशित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार, 1993-94

से 2004-05 तक रोजगार के अवसरों में कृषि का योगदान 8.8 मिलियन था। ग्यारहवीं योजना में इसके योगदान में कोई बढ़ोत्तरी प्रक्षेपित नहीं हुई है तथा 12वीं योजना अवधि (2006-07 से 2016-17), के ऊपर 4 मिलियन कृषि कार्मिकों की निवल कमी हुई है। कृषि क्षेत्र में रोजगार में कोई बृहत बढ़ोत्तरी की संभावना नहीं है तथापि, कृषि उत्पादन विशेषकर कृषि प्रसंस्करण एवं सहायता अंत:संरचना में कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी के साथ अप्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि होने की संभावना है।

कृषि क्षेत्र में प्रारंभ में की गई अनेक योजनाओं का लक्ष्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है एवं इस पद्धति में अतिरिक्त आय एवं रोजगार अवसरों का भी सृजन करना है। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.), ग्रामीण भंडारण योजना, कृषि विपणन अंत:संचना का विकास, सूक्ष्म सिंचाई, ग्रामीण ऋण, एकीकृत तिलहन, दलहन, पामआयल एवं मक्का योजना (आई. सोपाम) तथा राष्ट्रीय बागवानी (एन.एच.एम.)।

ये योजनाएं कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी करने के अलावा ऑन फार्म एवं गैर फार्म रोजगार का भी सृजन करती है।

(घ) और (ङ) कृषि मंत्रालय द्वारा "कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यवसाय केंद्रों (ए.सी.ए.बी.सी.) की स्थापना" नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना अप्रैल 2002 से क्रियान्वयन के अधीन है ताकि सार्वजनिक विस्तार के प्रयासों की प्रतिपूर्ति, सहायता कृषि विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्यमों की स्थापना करने के लिए कृषि एवं शहरी क्षेत्रों के अर्हता धारक बेरोजगार युवाओं के लिए लाभप्रद स्वरोजगार अवसरों को सृजित किया जा सके। इस योजना के तहत, पूरे देश में अभिज्ञात नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (एन.टी.आई.) के माध्यम से कृषि उद्यमिता पर एक द्विमासिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा उसी काम के लिए बैंकों से ऋण लेने के लिए एक बैंक योग्य कृषि उद्यम परियोजना तैयार करने हेतु प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नोडल प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा हेन्ड होल्डिंग सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के प्रारंभ होने किया गया है तथा 12,992 कृषि उद्यमों की स्थापना की गई है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

***विवरण***

*राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान*

*कृषि क्लीनिक तथा कृषि-व्यवसाय केन्द्रों की योजना के तहत संस्थान-वार प्रगति*

**दिनांक 01.04.2002 से 31.03.2013**

| क्र.सं. | प्रशिक्षण संस्थानों का नाम | पूरे किए गए कार्यक्रमों की संख्या | प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या | स्थापित कृषि उद्यमों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **आन्ध्र प्रदेश** | | | |
| 1. | कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद | 1 | 33 | 0 |
| 2. | भोजा वेकंटा रेड्डी कृषि संस्थान, नंदयाल | 6 | 152 | 64 |
| 2. | भोजा वेकंटा रेड्डी कृषि संस्थान, नंदयाल | 6 | 152 | 64 |
| 3. | जलकृषि मत्स्यिकी संगठन तथा कल्याण संगठन, विजाग | 2 | 78 | 64 |
| 4. | उद्यमिता विकास केंद्र, हैदराबाद | 16 | 403 | 143 |
| 5. | आचार्य एन.जी. रंग कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद | 2 | 41 | 4 |
| 6. | नागार्जुना कृषि अनुसंधान एवं विकास संस्थान, हैदराबाद | 4 | 126 | 33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7. | सहभागिता ग्रामीण विकास पहलें, हैदराबाद | 20 | 604 | 246 |
| | **उप योग** | **51** | **1437** | **554** |
| | **असम** | | | |
| 8. | असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट | 3 | 45 | 15 |
| 9. | भारतीय कृषि-व्यापार व्यवसाय सोसाइटी, गुवाहाटी | 13 | 413 | 146 |
| | **उप योग** | **16** | **458** | **161** |
| | **बिहार** | | | |
| 10. | दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान, पटना | 6 | 183 | 20 |
| 11. | उद्यमिता विकास संस्थान, पटना | 16 | 511 | 176 |
| 12. | राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) | 3 | 61 | 4 |
| 13. | एन.सी.ए.डी.ए. कम्प्यूटर केंद्र, पटना | 14 | 474 | 160 |
| 14. | एन.के.सी. शैक्षिक ट्रस्ट, बासैन | 17 | 537 | 179 |
| 15. | एस.आर.आई.एस.टी.आई. संस्थान, पटना | 29 | 996 | 353 |
| | **उप योग** | **85** | **2762** | **892** |
| | **छत्तीसगढ़** | | | |
| 16. | भारतीय कृषि कॉलेज, दुर्ग | 3 | 105 | 67 |
| 17. | इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर | 4 | 123 | 63 |
| 18. | भारतीय कृषि व्यापार व्यवसाय सोसाइटी, रायपुर | 1 | 23 | 2 |
| 19. | श्रीराम प्रतिष्ठान मंडल, अबानपुर | 1 | 35 | 12 |
| | **उप योग** | **9** | **286** | **144** |
| | **दिल्ली** | | | |
| 20. | राष्ट्रीय उद्यमिता तथा छोटे व्यवसाय विकास संस्थान, नई दिल्ली | 0 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | **0** | **0** | **0** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | **गुजरात** | | | |
| 21. | भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, भट् | 3 | 71 | 32 |
| 22. | गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, आनंद | 3 | 80 | 15 |
| 23. | भारतीय कृषि व्यापार व्यवसाय सोसाइटी (आई.एस.ए.पी.), गुजरात | 1 | 7 | 0 |
| 24. | अंतराष्ट्रीय सार्वजनिक नेतृत्व स्कूल, अहमदाबाद | 16 | 496 | 203 |
| 25. | जय अनुसंधान संस्थान, वापी | 6 | 153 | 62 |
| 26. | मिटकॉन परामर्शी सेवा लिमिटेड (एस.सी.एस.एल.), अमरेली | 3 | 102 | 5 |
| 27. | विवेकानंदा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, कच्छ | 8 | 168 | 63 |
| | **उप योग** | **40** | **1077** | **380** |
| | **हरियाणा** | | | |
| 28. | सी.सी.एस. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार | 4 | 102 | 12 |
| 29. | भारतीय कृषि-व्यापार व्यवसाय सोसाइटी, करनाल | 12 | 407 | 147 |
| | **उप योग** | **16** | **509** | **159** |
| | **हिमाचल प्रदेश** | | | |
| 30. | हिमाचल परामर्शी संगठन लिमिटेड, शिमला | 1 | 35 | 0 |
| 31. | भारतीय कृषि व्यापार व्यवसाय सोसाइटी, सुंदरनगर | 11 | 367 | 105 |
| 32. | डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन | 1 | 18 | 3 |
| | **उप योग** | **13** | **420** | **108** |
| | **जम्मू और कश्मीर** | | | |
| 33. | भारतीय कृषि व्यापार व्यवसाय सोसाइटी, जम्मू | 12 | 375 | 68 |
| 34. | भारतीय कृषि व्यापार व्यवसाय सोसाइटी, श्रीनगर | 12 | 367 | 37 |
| 35. | शेरे-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू | 1 | 25 | 2 |
| 36. | राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर | 0 | 0 | 0 |
| 37. | शेरे-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर | 14 | 428 | 43 |
| | **उप योग** | **39** | **1195** | **150** |
| | **झारखण्ड** | | | |
| 38. | बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची | 4 | 101 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 39. | भारतीय कृषि व्यापार व्यवसाय सोसाइटी, बोकारो | 11 | 354 | 134 |
| 40. | ग्रामीण विकास एवं सामाजिक कल्याण संघ, देवघर | 1 | 28 | 2 |
| 41. | श्रीराम प्रतिष्ठान मंडल, बेलगांव | 3 | 72 | 8 |
| 42. | एस.आर.आई.एस.टी.आई. संस्थान, रांची | 1 | 35 | 0 |
| | **उप योग** | **20** | **590** | **144** |
| | **कर्नाटक** | | | |
| 43. | श्रीराम प्रतिष्ठान मंडल, बेलगांव | 6 | 204 | 82 |
| 44. | श्री श्री कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ट्रस्ट संस्थान | 1 | 15 | 0 |
| 45. | मेसर्स टेरा फर्मा जैव प्रौद्योगिकी लिमिटेड बंगलौर | 52 | 1743 | 712 |
| 46. | कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर | 17 | 515 | 221 |
| 47. | कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड | 4 | 119 | 33 |
| | **उप योग** | **80** | **2596** | **1048** |
| 48. | केरल कृषि विश्वविद्यालय, थ्रिसूर | 6 | 162 | 36 |
| | **उप योग** | **6** | **162** | **36** |
| | **मध्य प्रदेश** | | | |
| 49. | एग्रोवेब ऑन लाइन (प्राइवेट) लिमिटेड, इंदौर | 1 | 23 | 5 |
| 50. | केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल | 3 | 89 | 9 |
| 51. | भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल | 1 | 30 | 2 |
| 52. | भारतीय कृषि व्यापार व्यवसाय सोसाइटी, भोपाल | 9 | 271 | 106 |
| 53. | आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल | 6 | 220 | 80 |
| 54. | एम.पी. जल भूमि प्रबंधन संस्थान, भोपाल | 5 | 126 | 38 |
| | **उप योग** | **25** | **759** | **240** |
| | **महाराष्ट्र** | | | |
| 55. | कृष्णवाली अग्रिम कृषि संस्थान, संगाली | 53 | 1790 | 826 |
| 56. | कृष्णवाली अग्रिम कृषि संस्थान, नागपुर | 5 | 174 | 83 |
| 57. | कृष्णवाली अग्रिम कृषि संस्थान, उट्टूर | 6 | 210 | 136 |
| 58. | कृषि विज्ञान केंद्र, दुर्गापुर, अमरावती जिला | 12 | 385 | 127 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 59. | बारामती कृषि विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र, बारामती | 16 | 448 | 162 |
| 60. | कृषि विज्ञान केंद्र, बबलेश्वर | 12 | 359 | 180 |
| 61. | मिटकॉन परामर्शी सेवा लिमिटेड, पूणे | 51 | 1763 | 754 |
| 62. | महात्मा भूले कृषि विद्यापीठ, पूणे | 14 | 461 | 204 |
| 63. | श्रीराम प्रतिष्ठान मंडल, वडाला, सोलापुर | 16 | 552 | 291 |
| 64. | श्रीराम प्रतिष्ठान मंडल, ओस्मनाबाद | 6 | 200 | 86 |
| 65. | श्रीराम प्रतिष्ठान मंडल, रत्नागिरी | 5 | 173 | 53 |
| 66. | वसंत प्रकाश वशाख प्रतिष्ठान, संगाली | 7 | 187 | 67 |
| | **उप योग** | **203** | **6702** | **2969** |
| | **मणिपुर** | | | |
| 67. | सहकारी प्रबंधन संस्थान, इंफाल | 14 | 388 | 117 |
| | **उप योग** | **14** | **388** | **117** |
| | **मेघालय** | | | |
| 68. | ग्रामीण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आर.आर.टी.सी.) उमरान, मेघालय | 2 | 19 | 7 |
| | **उप योग** | **2** | **19** | **7** |
| | **मिजोरम** | | | |
| 69. | भारतीय कृषि व्यापार व्यवसाय सोसाइटी, आइज़ोल | 1 | 32 | 0 |
| | **उप योग** | **1** | **32** | **0** |
| | **नागालैण्ड** | | | |
| 70. | भारतीय कृषि व्यापार व्यवसाय सोसाइटी, नागालैंड | 5 | 146 | 11 |
| | **उप योग** | **5** | **146** | **11** |
| | **ओडिशा** | | | |
| 71. | अफीनिटी व्यापार स्कूल, खूर्दा | 2 | 63 | 23 |
| 72. | ओडिशा कृषि बढ़ावा एवं पूंजीनिवेश निगम लिमिटेड | 4 | 124 | 14 |
| 73. | कृषि प्रबंधन केंद्र, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर | 1 | 20 | 0 |
| 74. | मानव विकास केंद्र, भुवनेश्वर | 8 | 259 | 53 |
| 75. | केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक | 1 | 25 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 76. | एच.डी.एफ. स्कूल प्रबंधन, भुवनेश्वर | 1 | 17 | 7 |
| | **उप योग** | **17** | **508** | **103** |
| | **पुदुचेरी** | | | |
| 77. | स्वैच्छिक लोक सेवा संघ, पुदुचेरी | 9 | 313 | 151 |
| | **उप योग** | **9** | **313** | **151** |
| | पंजाब | | | |
| 78. | कृषि सहकारी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, जालंधर | 1 | 16 | 3 |
| 79. | केंद्रीय पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना | 1 | 17 | 6 |
| 80. | भारतीय कृषि व्यापार व्यवसाय सोसाइटी, अमृतसर | 11 | 374 | 127 |
| 81. | पंजाब कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान | 3 | 28 | 3 |
| | **उप योग** | **16** | **435** | **139** |
| | **राजस्थान** | | | |
| 82. | जयपुर व्यापार एवं वित्त प्रबंधन स्कूल, जयपुर | 36 | 1260 | 508 |
| 83. | मिटकॉन परामर्शी सेवा लिमिटेड (एम.सी.एस.एल.) जयपुर | 2 | 68 | 5 |
| 84. | महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर | 8 | 151 | 50 |
| 85. | एम.आर. मोरारका जी.डी.सी. ग्रामीण अनुसंधान संस्थान, जयपुर | 9 | 261 | 70 |
| 86. | राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान, जयपुर | 17 | 510 | 183 |
| 87. | राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुर | 4 | 108 | 37 |
| | **उप योग** | **76** | **2358** | **853** |
| | **तमिलनाडु** | | | |
| 88. | कृषि क्लिनिकल विकास ट्रस्ट, कोडैकनाल | 3 | 74 | 15 |
| 89. | वायोफार्म नोडल प्रशिक्षण संस्थान | 3 | 89 | 40 |
| 90. | कृषि एवं ग्रामीण रोजगार केंद्र, नामक्कल | 5 | 103 | 29 |
| 91. | वैकल्पिक ग्रामीण रोजगार केंद्र, नामक्कल | 23 | 726 | 394 |
| 92. | अंतर्राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी एवं टाक्सिकॉलजी संस्थान, पदप्पै | 3 | 61 | 35 |
| 93. | राष्ट्रीय कृषि संस्थान, चेन्नै | 6 | 144 | 65 |
| 94. | राजलक्ष्मी, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तिरुवन्नामलै | 3 | 99 | 40 |
| 95. | शनमुखा कला, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान अकादमी तंजावूर | 4 | 84 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 96. | स्वैच्छिक लोक सेवा संघ, मदुरै | 39 | 1355 | 793 |
| | **उप योग** | **89** | **2735** | **1426** |
| | **उत्तर प्रदेश** | | | |
| 97. | सम हिग्नबोटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद | 8 | 268 | 99 |
| 98. | कृषि एवं ग्रामीण विकास केंद्र, नोएडा | 15 | 459 | 203 |
| 99. | स.एस. आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर | 5 | 104 | 14 |
| 100. | इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंधन संस्थान, लखनऊ | 17 | 535 | 175 |
| 101. | भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली | 1 | 26 | 5 |
| 102. | जूबिलंट कृषि ग्रामीण विकास सोसाइटी, मोरादाबाद | 24 | 754 | 354 |
| 103. | कृषि विज्ञान केन्द्र, कौशांबी | 1 | 34 | 0 |
| 104. | नरेन्द्र देवा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नरेन्द्रनगर | 1 | 27 | 3 |
| 105. | राष्ट्रीय कृषि-वन अनुसंधान केन्द्र, झांसी | 4 | 107 | 37 |
| 106. | राजा दिनेश सिंह कृषि विज्ञान केन्द्र, प्रतापगढ़ | 1 | 27 | 10 |
| 107. | राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, वाराणसी | 10 | 321 | 97 |
| 108. | श्री मां गुरु ग्रामोद्योग संस्थान, वाराणसी | 88 | 3031 | 1873 |
| 109. | श्री मां गुरु ग्रामोद्योग संस्थान, झांसी | 12 | 405 | 205 |
| 110. | सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय | 1 | 30 | 1 |
| | **उप योग** | **188** | **6128** | **3076** |
| | **उत्तराखंड** | | | |
| 111. | जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर | 7 | 193 | 49 |
| 112. | भारतीय कृषि व्यापार व्यवसाय सोसाइटी, देहरादून, पश्चिम बंगाल | 2 | 70 | 17 |
| | **उप योग** | **9** | **263** | **66** |
| | **पश्चिम बंगाल** | | | |
| 113. | बिदान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, नदिया | 6 | 186 | 43 |
| 114. | भारतीय कृषि व्यापार व्यवसाय सोसाइटी (आई.एस.ए.पी.) पश्चिम बंगाल | 1 | 34 | 5 |
| 115. | नेताजी सुभाष क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान, कल्याणी | 5 | 139 | 9 |
| 116. | राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण | 1 | 28 | 0 |
| 117. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्क, आई.आई.टी., खडगपुर | 1 | 18 | 1 |
| | **उप योग** | **14** | **405** | **58** |
| | कुल | 1043 | 32683 | 12992 |

[अनुवाद]

**ऑयल पाम उत्पादकों की समस्या**

6585. **श्री खगेन दास:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सहित देश में ऑयल पाम के उत्पादकों पर ऑयल पाम के निर्यात के प्रतिकूल प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में ऑयल पाम किसानों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (ग) भारत से पाम ऑयल का निर्यात नगण्य है। वर्ष 2011-12 में भारत ने केवल 2252 एम.टी. परिष्कृत पाम ऑयल का निर्यात किया है।

**सी.आर.पी.एफ. को और अधिक शक्तियां**

6585. **श्री आर. थामराईसेलवन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कोई विधेयक पुर:स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) को स्थानीय पुलिस की मौजूदगी के बिना ही तलाशी लेने तथा गिरफ्तार करने के लिए और अधिक शक्तियां प्राप्त करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा विधेयक कब तक पुर:स्थापित किये जाने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार के पास कोई विधेयक पुर:स्थापित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिससे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) को स्थानीय पुलिस की मौजूदगी के बिना ही तलाशी लेने तथा गिरफ्तार करने के लिए और शाक्तियां प्राप्त होंगी।

**आपराधिक न्याय प्रणाली के संबंध में मालिमात समिति**

6587. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:**

**डा. मन्दा जगन्नाथ:**

**श्री पोन्नम प्रभाकर:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आपराधिक न्याय प्रणाली के संबंध में मालिमात समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति के विचारार्थ विषय क्या है;

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति की प्रमुख अनुशंसाएं क्या हैं;

(ङ) सरकार ने समिति की अनुशंसाओं पर क्या कार्रवाई की है; और

(च) सरकार द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) भारत सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के उपायों पर विचार करने के लिए दिनांक 24 नवंबर, 2000 को न्यायमूर्ति डा. वी.एस. मालिमात की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।

(ग) और (घ) समिति ने अप्रैल, 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बड़े प्रशासनिक और कानूनी परिवर्तन करने के लिए 158 सिफारिशें और सुझाव दिए गए हैं।

(ङ) और (च) प्रशासनिक उपायों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली सिफारिशों के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्शी पत्र जारी किए गए हैं। उन सिफारिशों के संबंध में, जिनमें लिए विभिन्न, कानूनों, अर्थात भारतीय दण्ड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता आदि में संशोधन करने की आवश्यकता है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विचार/टिप्पणियां मांगी गई हैं क्योंकि दंड विधि और दंड प्रक्रिया भारत के संविधान की सातवीं सूची की समवर्ती सूची में हैं जिनके लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने की आवश्यकता है। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय से भी प्रणाली में व्यापक संशोधनों/सुधारों का सुझाव देने के लिए मालिमात समिति की

सिफारिशों सहित संबंधित मुद्दों की पूरी तरह से जांच करने का अनुरोध किया गया है।

**स्वचालित मौसम केंद्र/वर्षा मापी गेज**

6588. **चौधरी लाल सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में स्वचालित मौसम केंद्रों तथा स्वचालित वर्षा मापकों की स्थापना के लिए दिशानिर्देशों की तैयारी हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने सरकार को अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने समिति की अनुशंसाओं/सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (च) कृषि वित्त निगम लि. द्वारा वर्ष 2010 में किए गए पायलट मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.) के मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिशों में से एक के अनुपालन में, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. (ए.आई.सी.) के चेयरमैन-सह-प्रबंध निदेशक तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) एवं राष्ट्रीय सहवर्ती प्रबंधन सेवा लि. (एन.सी.एम.एस.एल.) के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए स्वचालित मौसम केंद्रों (ए.डब्ल्यू.एस.) तथा स्वचालित वर्षा मापकों (ए.आर.जी.) की स्थापना किए जाने हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है। समिति ने मसौदा अंतरित रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे उनके विचार और टिप्पणियां जानने के लिए राज्य सरकारों सहित संबंधित एजेंसियों/विभागों को परिचालित कर दिया गया है।

**उपभोक्ता न्यायालयों में लंबित मामले**

6589. **श्री आनंदराव अडसुल:**

**श्री धर्मेन्द्र यादव:**

**श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**

**श्री गजानन ध. बाबर:**

**श्री मधु गौड यास्खी:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों में लंबित मामलों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या केंद्र सरकार विवादों के त्वरित समाधान तथा उपभोक्ता न्यायालयों पर मुकदमों के भार को कम करने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र-व्यापी उपभोक्ता नेटवर्क की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) राज्य आयोगों के स्थापना काल से दायर किए गए, निपटाए गए तथा लंबित पड़े मामलों की राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दिया गया है तथा जिला मंचों के स्थापना काल से दायर किए गए, निपटाए गए तथा लंबित मामलों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) से (घ) विवादों के शीघ्र समाधान तथा उपभोक्ता मंचों से मामलों के बोझ को कम करना सुनिश्चित करने के लिए मार्च, 2005 में 48.64 करोड़ रु. की लागत से 'कंम्प्यूटराईजेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑफ कंज्यूमर फोरा इन दि कन्ट्री (कॉन्फोनेट)' योजना की शुरूआत की गई। इस योजना के तहत पूरे देश में तीनों स्तरों पर सभी उपभोक्ता मंचों को जानकारी प्राप्त करने तथा मामलों के शीघ्र निपटान में सक्षम बनाने के लिए पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। इस परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) द्वारा टर्न-की आधार पर किया जा रहा है। योजना को 70.00 करोड़ रु. के कुल परिव्यय सहित 12वीं योजना के दौरान भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

*विवरण-I*

*राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य आयोगों में दायर किए गए/निपटाए गए/लंबित मामले*

(15.04.2013 को अद्यतन)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | स्थापना काल से अब तक दायर मामले | स्थापना काल से अब तक निपटाए गए मामले | लंबित मामले | निपटान का % | की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **राष्ट्रीय आयोग** | 80511 | 69835 | 10676 | 86.74 | 31.03.2013 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 28862 | 27630 | 1232 | 95.73 | 28.02.2013 |
| 2. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 42 | 38 | 4 | 90.48 | 31.01.2008 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 65 | 62 | 3 | 95.38 | 28.02.2013 |
| 4. | असम | 2577 | 1867 | 710 | 72.45 | 31.12.2012 |
| 5. | बिहार | 16735 | 11762 | 4973 | 70.28 | 31.12.2012 |
| 6. | चंडीगढ़ | 12324 | 12159 | 165 | 98.66 | 28.02.2013 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 8677 | 8066 | 611 | 92.96 | 28.02.2013 |
| 8. | दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली | 25 | 20 | 5 | 80.00 | 31.03.2011 |
| 9. | दिल्ली | 34828 | 32998 | 1830 | 94.75 | 28.02.2013 |
| 10. | गोवा | 2327 | 2268 | 59 | 97.46 | 28.02.2013 |
| 11. | गुजरात | 45146 | 37111 | 8035 | 82.20 | 28.02.2013 |
| 12. | हरियाणा | 42903 | 42783 | 120 | 99.72 | 28.02.2013 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 7895 | 7637 | 258 | 96.73 | 31.01.2013 |
| 14. | जम्मू और कश्मीर | 6695 | 6149 | 546 | 91.84 | 28.02.2013 |
| 15. | झारखंड | 5101 | 4601 | 500 | 90.20 | 31.12.2012 |
| 16. | कर्नाटक | 44651 | 39575 | 5076 | 88.63 | 28.02.2013 |
| 17. | केरल | 25613 | 24378 | 1235 | 95.18 | 31.01. 2013 |
| 18. | लक्षद्वीप | 17 | 16 | 1 | 94.12 | 28.02.2013 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 42017 | 37129 | 4888 | 88.37 | 28.02.2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | महाराष्ट्र | 57109 | 41344 | 15765 | 72.39 | 30.06.2012 |
| 21. | मणिपुर | 139 | 96 | 43 | 69.06 | 30.09.2008 |
| 22. | मेघालय | 262 | 175 | 87 | 66.79 | 31.10.2012 |
| 23. | मिज़ोरम | 201 | 196 | 5 | 97.51 | 28.02.2013 |
| 24. | नागालैण्ड | 25 | 6 | 19 | 24.00 | 31.12.2011 |
| 25. | ओडिशा | 21883 | 15667 | 6216 | 71.59 | 31.12.2012 |
| 26. | पुदुचेरी | 960 | 945 | 15 | 98.44 | 28.02.2013 |
| 27. | पंजाब | 29853 | 24015 | 5838 | 80.44 | 28.02.2013 |
| 28. | राजस्थान | 51653 | 47390 | 4263 | 91.75 | 28.02.2013 |
| 29. | सिक्किम | 42 | 41 | 1 | 97.62 | 31.12.2012 |
| 30. | तमिलनाडु | 24378 | 22235 | 2143 | 91.21 | 28.02.2013 |
| 31. | त्रिपुरा | 1428 | 1397 | 31 | 97.83 | 31.03.2013 |
| 32. | उत्तर प्रदेश | 673'35 | 39065 | 28270 | 58.02 | 31.01.2013 |
| 33. | उत्तराखंड | 4677 | 3869 | 808 | 82.72 | 28.02.2013 |
| 34. | पश्चिम बंगाल | 17301 | 15723 | 1578 | 90.88 | 31.12.2012 |
| | कुल | 603746 | 508413 | 95333 | 84.21 | |

**विवरण-II**

*जिला मंचों में दायर किए गए/निपटाए गए/लंबित मामले*

(15.04.2013 को अद्यतन)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | स्थापना काल से अब तक दायर मामले | स्थापना काल से अब तक निपटाए गए मामले | लंबित मामले | निपटान का % | की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 192976 | 187051 | 5925 | 96.93 | 28.02.2013 |
| 2. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 330 | 301 | 29 | 91.21 | 31.03.2006 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 404 | 338 | 66 | 83.66 | 28.02.2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | असम | 13704 | 11976 | 1728 | 87.39 | 31.08.2010 |
| 5. | बिहार | 90615 | 78922 | 11693 | 87.10 | 31.12.2012 |
| 6. | चंडीगढ़ | 47080 | 45923 | 1157 | 97.54 | 28.02.2013 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 37457 | 34297 | 3160 | 91.56 | 28.02.2013 |
| 8. | दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली | 162 | 144 | 18 | 88.89 | 31.03.2011 |
| 9. | दिल्ली | 249505 | 234740 | 14765 | 94.08 | 31.12.2012 |
| 10. | गोवा | 6398 | 5872 | 526 | 91.78 | 28.02.2013 |
| 11. | गुजरात | 174372 | 162680 | 11692 | 93.29 | 28.02.2013 |
| 12. | हरियाणा | 221606 | 203966 | 17640 | 92.04 | 28.02.2013 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 57256 | 53790 | 3466 | 93.95 | 28.02.2013 |
| 14. | जम्मू और कश्मीर | 20792 | 18855 | 1937 | 90.68 | 31.12.2007 |
| 15. | झारखंड | 33985 | 30720 | 3265 | 90.39 | 31.12.2012 |
| 16. | कर्नाटक | 156261 | 151305 | 4956 | 96.83 | 28.02.2013 |
| 17. | केरल | 181213 | 173306 | 7907 | 95.64 | 31.01.2013 |
| 18. | लक्षद्वीप | 76 | 65 | 11 | 85.53 | 28.02.2013 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 185866 | 170870 | 14996 | 91.93 | 28.02.2013 |
| 20. | महाराष्ट्र | 255993 | 236744 | 19249 | 92.48 | 30.06.2012 |
| 21. | मणिपुर | 1037 | 1012 | 25 | 97.59 | 30.09.2008 |
| 22. | मेघालय | 847 | 750 | 97 | 88.55 | 31.10.2012 |
| 23. | मिज़ोरम | 3466 | 2819 | 647 | 81.33 | 31.12.2010 |
| 24. | नागालैण्ड | 290 | 266 | 24 | 91.72 | 31.12.2011 |
| 25. | ओडिशा | 92978 | 86305 | 6673 | 92.82 | 31.12.2012 |
| 26. | पुदुचेरी | 2913 | 2714 | 199 | 93.17 | 28.02.2013 |
| 27. | पंजाब | 156386 | 150730 | 5656 | 96.38 | 28.02.2013 |
| 28. | राजस्थान | 292093 | 263447 | 28646 | 90.19 | 28.02.2013 |
| 29. | सिक्किम | 296 | 280 | 16 | 94.59 | 31.12.2012 |
| 30. | तमिलनाडु | 103246 | 97395 | 5851 | 94.33 | 28.02.2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | त्रिपुरा | 2793 | 2589 | 204 | 92.70 | 28.02.2013 |
| 32. | उत्तर प्रदेश | 567568 | 492545 | 75023 | 86.78 | 31.01.2013 |
| 33. | उत्तराखंड | 34959 | 32766 | 2193 | 93.73 | 28.02.2013 |
| 34. | पश्चिम बंगाल | 86109 | 81310 | 4799 | 94.43 | 31.12.2012 |
| | कुल | 3271032 | 3016793 | 254239 | 92.23 | |

**सिंचाई योजनाएं**

6590. **श्री अद्‌गुरु एच. विश्वनाथ:**

**श्री प्रताप सिंह बाजवा:**

**श्री हमदुल्लाह सईद:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय किसानों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन के अलावा कोई नई सिंचाई योजनाएं शुरू करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के तहत राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन की क्षमता तथा इसके कवरेज क्षेत्र को बढ़ाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने फसलों की खेती में लघु और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करने हेतु किसानों को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मिशन के सूक्ष्म सिंचाई स्कीम (एन.एम.एम.आई.) के वार्षिक बजट परिव्यय को लगभग 13 प्रतिशत तक बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 1500 करोड़ रुपये से 2013-14 वित्तीय वर्ष के लिए 1693 करोड़ रुपये कर दिया गया। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) एन.एम.एम.आई. स्कीम के तहत किसानों को प्रदर्शनी, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के प्रयोग पर शिक्षित किया।

***विवरण***

*राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत राज्य वार आवंटन*

(करोड़ रुपये में)

| राज्य | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|
| | आवंटन | आवंटन |
| 1 | 2 | 3 |
| आन्ध्र प्रदेश | 295.00 | 295.00 |
| बिहार | 70.00 | 70.00 |
| छत्तीसगढ़ | 40.00 | 40.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| गोवा | 0.39 | 0.40 |
| गुजरात | 190.00 | 200.00 |
| हरियाणा | 32.00 | 40.00 |
| झारखंड | 25.00 | 30.00 |
| कर्नाटक | 150.00 | 175.00 |
| केरल | 3.00 | 7.50 |
| मध्य प्रदेश | 100.00 | 110.00 |
| महाराष्ट्र | 250.00 | 250.00 |
| ओडिशा | 12.00 | 15.00 |
| पंजाब | 20.00 | 20.00 |
| राजस्थान | 150.00 | 150.00 |
| तमिलनाडु | 90.00 | 90.00 |
| उत्तर प्रदेश | 15.61 | 15.61 |
| पश्चिम बंगाल | 1.00 | 1.00 |
| उत्तर-पूर्व एवं हिमालयी राज्य | 50.00 | 45.85 |

*[हिन्दी]*

**एफ.सी.आई. के बेस डिपो**

6591. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय खाद्य निगम के उन बेस डिपो का ब्यौरा क्या है जो गरीबी रेखा के नीचे तथा गरीबी रेखा के ऊपर की श्रेणियों को एक साथ खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराते हैं;

(ख) क्या इन दोनों श्रेणियों को बेस डिपो से एक साथ ही खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) से (ग) राज्य सरकार अथवा उनके नामितियों के खाद्यान्नों की आपूर्ति करने वाला भारतीय खाद्य निगम का कोई भी डिपो, चाहे वह भारतीय खाद्य निगम का स्वयं का हो अथवा किराए का, गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) और गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) सहित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति कर सकता है।

**केबल प्रचालकों/बहु-प्रणाली प्रचालकों द्वारा उल्लंघन**

6592. **श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केबल टी.वी. के डिजीटीकरण के प्रथम चरण के पूरा होने के बावजूद बहु-प्रणाली प्रचालकों (एम.एस.ओ.) और स्थानीय केबल प्रचालकों सरकार/भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहे हैं/उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अपने द्वारा जारी नियमों/निर्देशों का उल्लंघन करने वाले उन केबल प्रचालकों/एम.एस.ओ. के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) से (ङ) डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरे देशभर में चार चरणों में पूरी करने की योजना बनाई गई है; जिसमें से चरण-I और चरण-II पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया में बहु-प्रणाली ऑपरेटर (एम.एस.ओ.) और स्थानीय केबल ऑपरेटर अहम पणधारक हैं और उनसे मंत्रालय एवं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन किए जाने की अपेक्षा की गई है।

जब कभी विनियामक ढांचे के प्रावधानों के उल्लंघन की किसी घटना की जानकारी मंत्रालय और ट्राई को प्राप्त होती है, तो प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाती है। डिजिटीकरण के चरण-I के कार्यान्वयन के दौरान मंत्रालय ने दो एम.एस.ओ. अर्थात स्वामी केबल टी.वी. नेटवर्क लिमिटेड, दिल्ली और होम केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के पंजीकरण को इस मंत्रालय के डिजिटल संबोधनीय प्रणाली के कार्यान्वयन से संबंधित अनिवार्य सूचना/आंकड़े/ब्यौरे देने संबंधी अनुदेशों का अनुपालन न करने के लिए रद्द कर दिया था। तथापि, बाद में एम.एस.ओ. ने इस मंत्रालय के अनुदेशों का अनुपालन करने इच्छा प्रकट की और इस तरह उनका पंजीकरण बहाल कर दिया गया।

*[अनुवाद]*

### आंग्ल-भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र

6593. **श्री चार्ल्स डिएस:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बदलते परिदृश्य में देश के आंग्ल-भारतीय समुदाय के अनूठी संस्कृति के प्रदर्शन तथा संरक्षण के लिए क्या आवश्यक कदम उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आंग्ल-भारतीय समुदाय की सघन आबादी वाले स्थानों में आंग्ल-भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आंग्ल-भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने/लोकप्रिय बनाने के लिए आंग्ल/भारतीय संस्कृति संग्रहालय की स्थापना करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) आंग्ल-भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने के संबंध में कहीं से भी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) जी नहीं।

(च) आंग्ल-भारतीय संस्कृति के संग्रहालय की स्थापना करने के संबंध में कहीं से भी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

### मीडिया के व्यक्तियों को सुविधाएं

6594. **श्री मानिक टैगोर:**

**श्रीमती श्रुति चौधरी:**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक पत्रकार कल्याण कोष बनाया था जिसमें अपने कार्य के दौरान गंभीर रूप से बीमार पड़ने, दुर्घटनाएं, अपंगता या घायल होने की स्थिति में पत्रकारों की सहायता के लिए इस कोष में से 90 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा तथा कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ग) प्रेस सूचना ब्यूरो (पी.बी.आई.) द्वारा प्रत्यायोजित मीडिया के व्यक्तियों को दी जा रही सुविधाओं/सुख-सुविधाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का पी.बी.आई. प्रत्यायोजित मीडिया के व्यक्तियों के साथ-साथ मीडिया के सभी लोगों को सी.जी.एच.एस. की सुविधाएं देने/उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के तहत कितने पी.बी.आई. प्रत्यायोजित मीडिया के व्यक्तियों सहित मीडिया के व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है और ऐसी सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) और (ख) भारत सरकार ने वर्ष 2001 में 5.00 करोड़ रुपये के कार्पस के एक "पत्रकार कल्याण निधि (जे.डब्ल्यू.एफ.)" का गठन किया था जिसका उद्देश्य भारत सरकार के मुख्यालयों या राज्य सरकारों के मुख्यालयों (राजधानियों) में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा प्रत्यायित पत्रकारों/उनके परिवारों को मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपये की एकमुख्त अनुग्रह सहायता प्रदान करना था। वर्ष 2001 से 2010 के दौरान 17 पत्रकारों/परिवारों को 1 लाख रुपये की दर से अनुग्रह सहायता प्रदान की गई।

इस योजना के वर्ष 2010 में संशोधित करके मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया। इस संशोधित योजना में बड़े रोगों के इलाज के लिए 3 लाख रुपये की लागत को कवर करने और दुर्घटनाओं से होने वाले गंभीर जख्मों जिनके लिए अस्पताल में भर्ती किया जाना आवश्यक हैं, के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता प्रदान किए जाने की भी व्यवस्था है। संशोधित योजना के अनुसार, इस योजना का लाभ गैर-प्रत्याशित पत्रकारों के लिए भी उपलब्ध है।

योजना में 1 फरवरी, 2013 से और संशोधन किया गया है और अब भुगतान कार्पस निधि के बजाए सामान्य बजटीय आबंटन से किया जाता है। संशोधित योजना के अंतर्गत तीन पत्रकारों/परिवारों को 5 लाख रुपये की दर से अनुग्रह सहायता दी जा चुकी है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार मुख्यालयों में प्रत्यायित पत्रकारों को विभिन्न अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जैसे रेल यात्रा में छूट, प्रेस पूल से सरकारी आवास, पत्रकार कल्याण योजना से वित्तीय सहायता और समाचार एकत्र करने के लिए सरकारी भवनों में जाने की छूट।

भारतीय प्रेस परिषद द्वारा प्रत्यायित मीडिया व्यक्तियों और उनके आश्रित परिजनों को केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इस श्रेणी में सी.जी.एच.एस. सेवाएं प्राप्त करने वाले 805 कार्डधारक और 1923 लाभार्थी हैं। वे सी.जी.एच.एस. औषधालय से ओ.पी.डी. सुविधाओं एवं दवाओं और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली इन-पेशेन्ट चिकित्सीय सुविधाओं के पात्र हैं। तथापि, सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उन्हें ओ.पी.डी. उपचार की अनुमति नहीं है। इनडोर उपचार के लिए, पत्रकार स्वयं को जारी सी.जी.एच.एस. कार्ड के आधार पर किसी भी सी.जी.एच.एस. सूचीबद्ध निजी अस्पताल में उपचार प्राप्त कर सकते हैं और अस्पताल उन सेवाओं, जिनके लिए वे सूचीबद्ध हैं, के लिए उनसे सी.जी.एच.एस. दरों पर शुल्क लेता है।

इस समय, अन्य सभी मीडिया व्यक्तियों को सी.जी.एच.एस. सेवाएं प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*[हिन्दी]*

### कोयला खान भविष्य निधि संगठन

**6595. श्री पशुपति नाथ सिंह:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सी.एम.पी.एफ.ओ.) द्वारा निविदा के आधार की बजाए विस्तार के आधार पर पहले ही लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रावधानों/नियमों के अनुरूप किया गया; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील):** (क) से (ग) आई.सी.आई.सी.आई. प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड मुम्बई को खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पोर्टफोलियों प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा दिनांक 11.12.2006 से एक वर्ष के लिए समझौते पर 23.11.2006 को हस्ताक्षर किए गए थे। निष्पादन तथा समान वित्तीय शर्तों पर दो वर्षों के लिए इसका विस्तार किया जा सकता था। आगे 11.12.2009 तक दो वर्षों के विस्तार के लिए दूसरे समझौते पर 12.07.2008 को हस्ताक्षर किए गए। दिनांक 14.01.2010 को इस समझौते का आगे नवीकरण करके अगले एक वर्ष की अवधि के लिए 11.12.2009 से 11.12.2010 तक प्रभावी किया गया जिसके लिए बी.ओ.टी., सी.एम.पी.एफ.ओ. से दिनांक 18.03.2010 को हुई अपनी बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की गयी थी। इसके अलावा, 31.112.2011 तक विस्तार किया गया था।

भारतीय स्टेट बैंक, पी.एम.एस. प्रभाग. मुम्बई को बी.ओ.टी. के अनुमोदन से सी.एम.पी.एफ.ओ. की सभी निधियों के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। 12.01.2012 को भारतीय स्टेट बैंक, पी.एम.एस. प्रभाग, मुम्बई के साथ 01.01.2012 से प्रभावी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

*[अनुवाद]*

**सूखे नारियल की खरीद**

6596. **श्री के.पी. धनपालनः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से सूखे नारियल की खरीद में मूल्य-अंतर की क्षतिपूर्ति देने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार सूखे नारियल की खरीद के लिए संपूर्ण घाटे की नेफेड द्वारा प्रतिपूर्ति की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार सूखे नारियल हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर)**: (क) और (ख) सूखे नारियल की खरीद में मूल्य अंतर की क्षतिपूर्ति देने के संबंध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह 2013 मौसम के लिए खोपरा के घोषित मूल्य के अतिरिक्त इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) में और अधिक बढ़ोतरी करें।

(ग) और (घ) इस संबंध में मामला सरकार के सक्रिय विचारार्थ है।

(ङ) और (च) सरकार ने पहले ही 2012 मौसम के लिए मिलिंग खोपरा हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को 5100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2013 मौसम के लिए 5250 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पिछले मौसम की तुलना में 150 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। इसी प्रकार बाल खोपरा के लिए इसे 5350 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पिछले मौसम की तुलना में 150 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।

**जटरोफा की खेती**

6597. **श्री एम.के. राघवनः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की केरल से बड़े पैमाने पर जटरोफा की खेती करने की योजना हैं; और

(ख) यदि हां, तो केरल में ऐसी खेती के लिए चयनित क्षेत्र का ब्यौरा तथा जैव-ईंधन के उत्पादन के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर)**: (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं होता।

**कृषि पर जलवायु का प्रभाव**

6598. **श्रीमती दर्शना जरदोशः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व जलवायु स्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के समन्वय से क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या आर्थिक घाटे को रोकने के लिए संभावित जलवायु स्थितियों के बारे में पहले ही किसानों को सूचित करने के लिए कोई उचित तंत्र स्थापित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर)**: (क) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) को समन्वित करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) का जलवायु परिवर्तन प्रभाग एक नोडल इकाई है और इस प्रकार, कृषि सहित अन्य मंत्रालयों के साथ इसका संपर्क है। टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.एस.ए.) एन.ए.पी.सी.सी. के तत्वाधान के तहत आने वाले 8 मिशनों में से एक है। कृषि सेक्टर में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना करने हेतु प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और क्षमता निर्माण सहित अनुकूल और न्यूनीकृत नीतियों के विकास हेतु "जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय पहल" (एन.आई.सी.आर.ए.) से एक नेटवर्क अनुसंधान परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, भा.कृ.अनु.प. राज्य सरकारों के सहयोग से कृषि एवं सम्बद्ध सैक्टरों पर जलवायु विपदाओं के प्रभावों का सामना करने के लिए जिला स्तर पर आकस्मिक योजनाएं तैयार कर रही है।

(ख) और (ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.) के भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) द्वारा दिए गए भावी मौसम संबंधी

पूर्वानुमान पर आधारित कृषि परामर्श जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं में जिला स्तर पर तैयार की गयी संकट सूचनाएं और चेतावनी शामिल हैं, को मल्टी-मोड प्रसारण प्रणालियों, जैसे-रेडियो, टी.वी., प्रिंट मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल तकनीक के माध्यम से किसान समुदाय में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, आई.सी.ए.आर. संस्थानों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) में स्थित 130 एग्रामेंट फील्ड यूनिट्स (ए.एम.एफ.यू.) द्वारा प्रसारित किया गया। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान (क्रीडा), हैदराबाद ने कृषि मौसम विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत इसके केन्द्रों के माध्यम से किसानों को इस संबंध में नियमित आधार पर कृषि परामर्श जारी किए हैं।

**बंदियों का प्रत्यार्पण**

6599. **श्री रुद्रमाधव राय:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बंदी प्रत्यार्पण अधिनियम, 2003 के तहत विभिन्न देशों के साथ समझौते किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है और इससे देश को किस हद तक लाभ होने की संभावना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) अब तक सरकार ने बंदी प्रत्यर्पण अधिनियम. 2003 के तहत दण्डादेशित व्यक्तियों के हस्तांतरण के संबंध में 18 देशों नामत: यूके (2005), मारिशस (2005), बुलगारिया (2007), कम्बोडिया (2007), फ्रांस (2008), मिस्र (2008), दक्षिण कोरिया (2010), सऊदी अरब (2010), ईरान (2010), श्रीलंका (2010), बांग्लादेश (2010), यू.ए.ई. (2011), मालदीव (2011), इजरायल (2012), बोस्निया और हरजेगोविना (2012), इटली (2012), तुर्की (2012) और थाइलैंड (2012) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 15 देशों के साथ समझौते प्रभावी हैं। ये समझौते दण्डादेशित व्यक्ति को अपने कारावास की शेष अवधि को अपने देश में पूरा करना सुगम बनाते हैं जो उन्हें अपने परिवारों और रिश्तेदारों के नजदीक रहने में समक्ष बनाता है जिससे उनके सामाजिक पुनर्एकीकरण में मदद मिलती है। दण्डादेशित व्यक्तियों के हस्तांतरण संबंधी समझौते के तहत अब तक 33 भारतीयों को विभिन्न देशों से वापस प्रत्यर्पित किया जा चुका है और 6 विदेशियों को भारत से उनके मूल देश में वापस प्रत्यर्पित किया गया है।

*[हिन्दी]*

**बौद्ध/जैन धर्म से संबंधित स्थलों का विकास**

6600. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य में वैशाली और केसरिया भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से संबंधित स्थल हैं और वे बौद्ध तथा जैन परिपथ के महत्वपूर्ण भाग हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों स्थलों के विकास के लिए किये गये कार्यों/किये जाने वाले संभावित कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा वहां महोत्सव/उत्सव मनाने के लिए क्या सहायता प्रदान की गई?

**संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी):** (क) उपलब्ध स्रोतों के अनुसार केसरिया भगवान बुद्ध से संबंधित है जबकि वैशाली भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों से संबंधित है। दोनों ही स्थान पर्यटक परिक्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कोल्हुआ सहित वैशाली और केसरिया स्थिति स्थलों के विकास के निमित्त उत्खनन, संरक्षण और अनुरक्षण कार्यों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय इस प्रकार है:

(रु. लाखों में)

| | |
|---|---|
| 2010-11 | 21.53 |
| 2011-12 | 19.80 |
| 2012-13 | 08.20 |

(ग) महोत्सव/त्यौहार के लिए संघ सरकार ने कोई सहायता प्रदान नहीं की है।

*[अनुवाद]*

**खाद्यान्नों का परिवहन**

6601. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:**

**श्री प्रबोध पांडा:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा अधिकांश खाद्यान्नों की अंतर राज्यीय ढुलाई की जाती है और रेकों की कमी तथा रेलवे द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण यह ढुलाई बुरी तरह प्रभावित होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक उपाय की परिकल्पना की गई है तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान रेकों की वार्षिक मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने देश भर में खाद्यान्नों के परिवहन के लिए समर्पित स्पेशल पर्पज व्हीकल शुरू करने का निर्णय लिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन वाहनों के प्रचालन के लिए किन संगठनों/संस्थानों को नामित किया गया;

(ङ) इस परियोजना में कितना व्यय होना है और इस धन की व्यवस्था किस प्रकार से किये जाने का विचार है तथा इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(च) इससे क्या-क्या लाभ होने की संभावना है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) जी, हां। खाद्यान्नों का अधिकांश अंतर्राज्यीय संचलन रेलवे द्वारा किया जाता है, जो कभी-कभी रैकों की कमी और रेलवे द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा मांगे गए रैकों और रेलवे द्वारा आपूर्ति किए गए रैकों का ब्यौरा निम्नवत् है:-

| वर्ष | योजना (रैक में) | प्रेषण (रैक में) |
|---|---|---|
| 2010-11 | 13003 | 10607 |
| 2011-12 | 13215 | 10969 |
| 2012-13 | 12466 | 10549 |
| अप्रैल, 2013 (अनंतिम) | 1085 | 1030 |

कुछ महीनों, विशेष रूप से अक्तूबर और मार्च के दौरान रेलवे द्वारा रैकों की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम की आवश्यकता के अनुसार नहीं हुई है। तथापि, रेलवे द्वारा रैकों की मौजूदा आपूर्ति सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त भंडारण क्षमता निर्मिग्त कर रहा है, ताकि कमी के मौसम के दौरान उपर्युक्त बफर स्टॉक निर्मित करने/बनाए रखने के लिए रेलवे से अधिकतम रैक प्राप्त किए जा सके। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत संचलन हेतु अपेक्षित खाद्यान्न की मात्रा और ढुलाई में किफायत को देखते हुए रेलवे का कोई विकल्प संभव नहीं है।

(ग) देश भर में खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए विशेष प्रयोजन साधन निर्मित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

**कोयला लिंकेज का आवंटन**

6602. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने मंत्रालय से खम्माम जिला में सुत्तुपल्ली टी.पी.ए. (60-ओ.एम.डब्ल्यू.) विद्युत परियोजना के लिए प्रतिवर्ष 3.25 मिलियन टन का कोयला लिंकेज का आवंटन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बारम्बार अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद सरकार द्वारा प्रस्ताव को अभी तक मंजूर नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस मामले में गति लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं या उठाए जा रहे हैं?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील):** (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 2008 में खम्माम जिले की सुत्तुपल्ली तापीय विद्युत स्टेशन (600 मेगावाट) के लिए कोयला लिंकेज का अनुरोध किया था। आवेदक के अनुरोध को सिफारिश हेतु विद्युत मंत्रालय को भेजा गया था। कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों ने 1,08,878 मे.वा. की क्षमता की क्षमता को कवर करते हुए कोयला आपूर्ति के लिए 175 आश्वासन पत्र (एल.ओ.ए.) जारी किए हैं। ग्यारहवीं योजना के अंतिम तीन वर्षों के दौरान लगभग 26,000 मे.वा.

की क्षमता ,चालू कर दी गई है तथा शेष लगभग 82,000 मे.वा. की क्षमता 12वीं योजना के दौरान और उसके बाद शुरू किए जाने की संभावना है। चूंकि विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए 80,000 मे.वा. से अधिक के आश्वासन पत्र पहले से ही विद्यमान हैं, अत: प्रथम दृष्ट्या 12वीं योजना की विद्युत परियोजनाओं के लिए नए कोल लिंकेज/एल.ओ.ए. प्रदान करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

**अनियत मजदूरों की सेवाओं को नियमित करना**

6603. **श्री हमदुल्लाह सईद:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षद्वीप द्वीप में विलवणीकरण संयंत्र में कुल कितने अनियत मजदूर कार्यरत हैं;

(ख) क्या लक्षद्वीप प्रशासन से इनकी सेवाओं को नियमित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) लक्षद्वीप द्वीप में विलवणीकरण संयंत्र में 63 अनियत मजदूर कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। लक्षद्वीप प्रशासन से विलवणीकरण संयंत्र में कार्यरत मजदूरों को समायोजित करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से जांच की गई थी। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है ओर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है।

**तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों पर हमला**

6604. **श्री पी.आर. नटराजन:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में अनुसूचित जातियों पर भीड़ द्वारा किए गए हमले की जांच करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन.सी.एस.सी.) ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो एन.सी.एस.सी. के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन प्रभावित अनु. जातियों हेतु पुनर्वास कार्य तथा मकानों के निर्माण की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस बात से अवगत है कि राज्य के स्वामित्व वाले निगम तमिलनाडु अदिद्रावीदर आवास और विकास निगम (टी.ए.एच.डी.सी.ओ.) ने धर्मपुरी जिला, तमिलनाडु में प्रभावित अनु. जातियों के लिए मकानों के निर्माण करने से मना कर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक):** (क) और (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन.सी.एस.सी.) ने इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया समाचार रिपोर्टों के आधार पर तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में प्रभावित क्षेत्रों का मौका मुआयना करने हेतु दौरा किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने यह रिपोर्ट दी है कि अनुसूचित जाति के लड़के का अन्य जाति की लड़की के साथ विवाह होने और इसके बाद संबंधित लड़की के पिता द्वारा आत्महत्या किए जाने के उपरांत जन विरोध शुरू हुआ। अन्य समुदायों के कुछ व्यक्तियों ने उधम मचाते हुए अनुसूचित जाति के सदस्यों के मकानों, दुकानों, घरेलू सामानों, इलेक्ट्रानिक उपकरणों, खाद्यान्नों तथा गाड़ियों में आग लगा दी। कीमती सामानों को भी लूट लिया गया।

पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, सी.आई.डी. तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पत्र के जवाब में यह बताया है कि प्रशासन ने, अन्य बातों के साथ-साथ, पीड़ित व्यक्तियों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं तथा राहत प्रदान करने संबंधी उपचारात्मक कदम उठाए हैं।

(ग) और (घ) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि धर्मपुरी में अनुसूचित जाति के प्रभावित व्यक्तियों के लिए मकानों का निर्माण कार्य मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा संचालित ग्रीन हाउस स्कीम (सी.एम.एस.-पी.जी.एच.एस.) के तहत जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.) धर्मपुरी जिला द्वारा आरंभ किया गया है।

**पुलिस स्टेशनों में बलात्कार पीड़ितों के लिए परामर्शदाता**

6605. **श्री वरुण गांधी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में ऐसे पुलिस थानों की संख्या का मूल्यांकन किया है जहां बलात्कार पीड़ितों के लिए परामर्शदाता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने देश में प्रत्येक पुलिस थाने में बलात्कार पीड़ितों के लिए परामर्शदाता की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) गृह मंत्रालय को इस संबंध में किसी ऐसे अध्ययन की जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय ने इस संबंध में ऐसा कोई भी निर्देश जारी नहीं किया है।

### एन.एस.एफ.डी.सी. को सुदृढ़ करना

6606. **श्री पोन्नम प्रभाकर:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को सुदृढ़ बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अपने-अपने राज्य निगमों को सुदृढ़ करने हेतु कोई सलाह/सुझाव जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की उन पर क्या प्रतिक्रिया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक):** (क) ओर (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) की प्राधिकृत शेयर पूंजी और प्रदत्त पूंजी क्रमश: 1000 करोड़ रुपये और 781.80 करोड़ रुपये है। सरकार एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा अनुमानित आवश्यकता के अनुसार एन.एस.एफ.डी.सी. को वार्षिक रूप से इक्विटी शेयर जारी करती है। एन.एस.एफ.डी.सी. को जारी किए गए इक्विटी शेयर में पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नानुसार बढ़ोत्तरी हुई है:

| वर्ष | जारी की गई शेयर इक्विटी (करोड़ रुपए में) |
|---|---|
| 2010-11 | 75.00 |
| 2011-12 | 85.00 |
| 2012-13 | 100.00 |

सरकार ने सुस्थापित संस्थानों के माध्यम से अनुसूचित जाति लाभार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत एन.एस.एफ.डी.सी. का वर्ष 2012-13 के दौरान वर्ष 2012-13 के लिए 84.45 लाख रुपये भी जारी किए थे।

(ग) और (घ) मंत्रालय, अन्य बातों के साथ-साथ, निगमों के साथ कार्य करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ आवधिक बैठकें करता है। इन निगमों से संबंधित मामलों को इस प्रकार की बैठकों की कार्य सूची में शामिल किया जाता है। एन.एस.एफ.डी.सी. की, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) को उनकी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण में उन्हें सहायता देने के लिए, निम्नलिखित प्रोत्साहन योजनाएं भी हैं:-

(i) वसूली अवसंरचना के विकास के लिए एस.सी.ए. के लिए प्रोत्साहन योजना (आई.एस.एस.डी.आर.आई.)।

(ii) एस.सी.ए. की रेटिंग और बेहतर कार्य निष्पादन करने वाले एस.सी.ए. को कार्य निष्पादन पुरस्कार की योजना।

### चीनी का निर्यात

6607. **श्री हरिभाऊ जावले:**

**श्री समीर भुजबल:**

**श्री पी.के. बिजू:**

**श्री ए. सम्पत:**

**श्री राजू शेट्टी:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीनी मौसम 2012-13 और 2013-14 के दौरान देश से निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा के संबंध में अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान निर्यात हेतु स्वीकृत चीनी की मात्रा दर्शाते हुए कुल कितनी चीनी का निर्यात अब तक किया गया;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान चीनी की उपलब्धता के साथ-साथ उसके मूल्यों पर इससे पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार मुक्त चीनी निर्यात नीति को अपनाना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस)**: (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 11 मई, 2012 की अधिसूचना के द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत चीनी के निर्यात के लिए निर्मुक्ति आदेशों की अपेक्षा को समाप्त कर दिया है। अब चीनी का निर्यात निर्बाध होता है बशर्ते कि विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.) के पास प्रमात्रा का पूर्व पंजीकरण कराया गया हो। निर्यात के लिए मौसम वार चीनी की प्रमात्रा निर्धारित नहीं की गई है। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालयय, कोलकाता के अनुसार वर्तमान चीनी मौसम 2012-13 के दौरान फरवरी 2013 तक 4.36 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया है जिसमें अग्रिम अनुज्ञप्ति योजना के अंतर्गत निर्यात की गई प्रमात्रा भी शामिल है। 2013-14 चीनी मौसम 1 अक्तूबर 2013 से प्रारम्भ होगा।

(ग) और (घ) लगभग 67 लाख टन के अग्रेनीत स्टॉक और लगभग 246 लाख टन के अनुमानित चीनी उत्पादन के साथ वर्तमान चीनी मौसम 2012-13 के दौरान चीनी की उपलब्धता का लगभग 313 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है जबकि 230 लाख टन की खपत होने का अनुमान लगाया गया है। इसलिए मौसम में चीनी की उपलब्धता पर्याप्त है और घरेलू बाजार में मूल्य वर्तमान में स्थिर हैं। शुरू होने वाले चीनी मौसम 2013-14 के लिए चीनी की सम्भावित उपलब्धता और मूल्यों पर इस के प्रभाव का आकलन करना अभी शीघ्रता करना होगा।

(ङ) जैसा कि उपरोक्त में इंगित किया गया है चीनी का निर्यात निर्बाध है बशर्ते कि डी.जी.एफ.टी. के पास प्रमात्रा का पंजीकरण कराया गया हो।

**बी.टी. कॉटन उत्पादकों को राहत**

6608. **श्री वैजयंत पांडा**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बी.टी. कॉटन उगाने वाले ऐसे किसानों जिन्हें नुकसान उठाना पड़ा है को राहत प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो प्रदान की गई राहत का तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राहत धनराशि का कुछ भाग बी.टी. बीज कंपनियों से वसूल किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर)**: (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं होता।

**उपभोक्ता न्यायालयों में रिक्तियां**

6609. **श्री यशवीर सिंह**:

**श्री नीरज शेखर**:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों में रिक्त पदों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या जिला उपभोक्ता न्यायालयों में न्यायिक सेवाओं से सेवानिवृत्त लोगों को नियुक्त किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन न्यायाधीशों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं है तथा यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों में रिक्त पदों को खुली भर्ती के माध्यम से भरने का है तथा यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी कितने मामले लंबित हैं एवं इसके क्या कारण हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस)**: (क) राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों तथा जिला मंचों के अध्यक्ष तथा सदस्यों के रिक्त पदों की राज्य-वार रिक्ति स्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है जो केन्द्र एवं राज्य सरकारों जैसे प्राधिकारियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में दी गई चुनिन्दा प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार न्यायिक सेवाओं से सेवानिवृत्त व्यक्तियों को जिला मंचों में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। सरकार

को इन न्यायाधीशों के कार्यनिष्पादन के संबंध में कोई सकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) केन्द्र सरकार, सभी संबंधितों जिसमें अन्यों के साथ-साथ भारत का उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय आयोग, केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग तथा सभी राज्य/संघ राजय क्षेत्र शामिल होते हैं, को रिक्त पदों के संबंध में परिपत्र परिचालित करके राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों के रिक्त पदों को भरती है। रिक्त पदों संबंधी परिपत्र का विज्ञापन अंग्रेजी और हिन्दी के अग्रणी दैनिक समाचार पत्रों में भी दिया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार राज्य आयोगों तथा जिला मंचों में रिक्त पदों को भरने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

(ङ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों अनुसार प्रत्येक शिकायत को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुना जाना चाहिए और यदि शिकायत के संबंध में किसी मूल्यांकन या वस्तुओं के परीक्षण की आवश्यकता न हो तो प्रतिपक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर-अंदर तथा यदि किसी मूल्यांकन या वस्तुओं के परीक्षण की आवश्यकता हो तो पांच महीनों के अंदर-अंदर शिकायत पर निर्णय लेने का प्रयास किया जाना चाहिए।

दिनांक 30.04.2013 की स्थिति के अनुसार देश में उपभोक्ता मंचों के स्थापना काल से दायर किए गए कुल 3959454 मामलों में से 90.90% की समग्र निपटान दर से अब तक 3599034 मामलों का निपटान किया जा चुका है जो व्यवरोधों के होते हुए भी संतोषजनक है। जहां तक निर्धारित समय सीमा के उपरांत लंबित पड़े मामलों का संबंध है, इस संबंध में आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

***विवरण***

*राज्य आयोगों और जिला मंचों में रिक्तियों की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी*

(30.04.2013 तक अद्यतन)

| क्र.सं. | राज्य | राज्य आयोग | | जिला मंच | | (22.03.2013 तक अद्यतन) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अध्यक्ष | सदस्य | अध्यक्ष | सदस्य | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **राष्ट्रीय आयोग** | 0 | 1 | | | **31.03.2013** |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1 | 0 | 9 | 7 | 28.02.2013 |
| 2. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3.2006 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.02.2013 |
| 4. | असम | 0 | 1 | 1 | 9 | 31.12.2012 |
| 5. | बिहार | 0 | 1 | 0 | 14 | 31.12.2012 |
| 6. | चण्डीगढ़ | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.02.2013 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 0 | 1 | 2 | 12 | 31.03.2013 |
| 8. | दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.03.2011 |
| 9. | दिल्ली | 0 | 1 | 0 | 1 | 28.02.2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.03.2013 |
| 11. | गुजरात | 0 | 0 | 2 | 1 | 31.03.2013 |
| 12. | हरियाणा | 0 | 1 | 8 | 13 | 28.02.2013 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.03.2013 |
| 14. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2011 |
| 15. | झारखंड | 0 | 0 | 3 | 12 | 31.03.2013 |
| 16. | कर्नाटक | 0 | 1 | 7 | 18 | 31.03.2013 |
| 17. | केरल | 0 | 1 | 0 | 1 | 30.05.2012 |
| 18. | लक्षद्वीप | 1 | 1 | 0 | 1 | 31.03.2013 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 0 | 1 | 1 | 12 | 28.02.2013 |
| 20. | महाराष्ट्र | 0 | 2 | 33 | 54 | 30.06.2012 |
| 21. | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.12.2008 |
| 22. | मेघालय | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.10.2012 |
| 23. | मिज़ोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.03.2010 |
| 24. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2011 |
| 25. | ओडिशा | 0 | 1 | 7 | 9 | 31.12.2012 |
| 26. | पुदुचेरी | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.12.2012 |
| 27. | पंजाब | 0 | 1 | 3 | 4 | 28.02.2013 |
| 28. | राजस्थान | 0 | 0 | 7 | 3 | 28.02.2013 |
| 29. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 4 | 31.12.2012 |
| 30. | तमिलनाडु | 0 | 1 | 8 | 33 | 28.02.2013 |
| 31. | त्रिपुरा | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.03.2013 |
| 32. | उत्तर प्रदेश | 0 | 6 | 14 | 11 | 31.01.2013 |
| 33. | उत्तराखंड | 0 | 0 | 0 | 5 | 28.02.2013 |
| 34. | पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2012 |
| | कुल | 4 | 21 | 106 | 245 | |

*[हिन्दी]*

## आतंकवाद से संबंधित डोजियर

6610. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद में लिप्त भगौड़ों के संबंध में कोई डोजियर तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार ने डोजियर स्वीकार कर लिया है और इस संबंध में भारतीय प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो आतंकवाद गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसे विचार-विमर्श के क्या परिणाम रहे?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) से (घ) भारत और पाकिस्तान के बीच 24-25 मई, 2012 को हुई गृह/आंतरिक सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान भारतीय पक्ष ने आतंकवाद के मुद्दे के संबंध में पाकिस्तान पक्ष को पांच डोजियर्स सुपुर्द किए। डोजियरों की विषयवस्तु को "गुप्त" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए इसका प्रकटन राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच डोजियरों की विषयवस्तु के बारे में कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है।

*[अनुवाद]*

## अनधिकृत निर्माण कार्यों की निगरानी करने के लिए नोडल संचालन समिति

6611. **श्री एस. अलागिरी:**

**श्रीमती रमा देवी:**

**श्री एन. कृष्टप्पः**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार/मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण और अवैध अतिक्रमणों की निगरानी करने और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए किसी नोडल संचालन समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसी गतिविधियों में लिप्त दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली पुलिस के दोषी/उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) "कल्याण संस्था सामाजिक कल्याणकारी संगठन बनाम भारत संघ व अन्य" के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमणों के मामलों की जाच के लिए नोडल संचालन समिति की नियुक्ति की है। इस समिति में दिल्ली नगर निगम के निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं:-

(i) अपर आयुक्त (अभियांत्रिकी)

(ii) मुख्य सतर्कता अधिकारी

(iii) मुख्य नगर नियोजक

(iv) मुख्य विधि अधिकारी

नोडल संचालन समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाती है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभी जोन के उपायुक्त शामिल होते हैं और इसमें अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की जाती है और संबंधित जोनल अधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उनका निपटारा किया जाता है तथा समिति के समक्ष कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

एन.डी.एम.सी. ने सूचित किया है कि वह उक्त समिति के दायरे में नहीं आता है।

दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि अनधिकृत निर्माण के संबंध में प्राप्त शिकायत को भू-स्वामी एजेंसियों को भेजा जाता है, जैसा कि डी.एम.सी. अधिनियम, 1957 की धारा 475 के अंतर्गत अधिदेश है। डी.एम.सी. अधिनियम की धारा 344 (2) के अंतर्गत डी.एम.सी. ने नोटिस मिलने पर दिल्ली पुलिस निर्माण कार्य को रोकने की भी कार्रवाई करती है और निर्माण सामग्री भी जब्त करती है।

अनधिकृत निर्माण में संलिप्त पाए गए दिल्ली पुलिस के कार्मिकों/अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| वर्ष | प्राप्त शिकायतों की संख्या | उन पुलिस कार्मिकों की संख्या जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2010-11 | 616 | 189 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2011-12 | 1476 | 101 |
| 2012-13 | 805 | 63 |
| 2013 (28.2.2013 तक) | 204 | शून्य |

*[हिन्दी]*

**केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट**

**6612. श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का आकलन करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा उक्त रिपोर्ट में क्या सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) भारत सरकार ने विगत वर्षों में हुए सामाजिक और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्यों के बीच की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में दिनांक 09.06.1983 को केंद्र-राज्य संबंध के प्रथम आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की और केंद्र-राज्य संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर 247 सिफारिशें कीं। आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, सरकार ने वर्ष 1990 में अंतर-राज्य परिषद (आई.एस.सी.) का गठन किया। 247 सिफारिशों में से, 180 सिफारिशें आई.एस.सी. द्वारा स्वीकार की गई थी और 65 सिफारिशें आई.एस.सी./मंत्रालयों इत्यादि द्वारा स्वीकार नहीं की गई थीं। दो सिफारिशें अभी भी स्टेकहोल्डरों के परामर्श से कार्यान्वयनाधीन हैं।

अंतर-राज्य परिषद सचिवालय (आई.एस.सी.एस.) द्वारा आई.एस.सी. की बैठक के कार्यवृत, सभी स्टेकहोल्डरों अर्थात राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को कार्यान्वयनार्थ और उनके द्वारा इस संबंध में किए गए कार्यान्वयन/की गई कार्रवाई को आई.एस.सी.एस. के अग्रेषित करने हेतु भेजा गया था। आई.एस.सी.एस., आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और अंतर-राज्य परिषद की सिफारिशों पर स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां/की गई कार्रवाई प्राप्त होने के पश्चात, एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट तैयार करता है जिसे कार्यवृत की मद के रूप में अंतर-राज्य परिषद की बैठकों में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

अंतर-राज्य परिषद सचिवालय ने सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर अंतर-राज्य परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों पर परिषद के समक्ष अभी तक छह अवसरों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जहां तक दो कार्यान्वयनाधीन सिफारिशों का संबंध है, अंतर राज्य परिषद, स्टेकहोल्डरों के परामर्श से हुई प्रगति की निगरानी करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

**दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार**

**6613. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:**

**श्रीमती रमा देवी:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) ने दिल्ली नगर निगम में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए सतर्कता विभाग की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त विभाग को कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने मामले सुलझाए गए/अनसुलझे रहे और सभी मामलों को सुलझाने के लिए क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम के सतर्कता विभागों की स्थापना दण्डात्मक एवं निरोधक सतर्कता का निष्पादन करने की समग्र जिम्मेवारी के साथ केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए की गई है। सतर्कता के दृष्टिकोण वाले दोष के आरोपों का पता लगाने की दृष्टि से सभी स्रोतों से सतर्कता विभाग में प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है। जब कभी भी सी.बी.आई./भ्रष्टाचार-निरोधक शाखा/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से कदाचार से संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त होती

है, तब प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों पर सी.बी.आई., राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार-निरोधक शाखा जैसी एजेंसियां कार्रवाई करती हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (31.03.2013 तक) के दौरान सी.बी.आई. ने दिल्ली नगर निगम के 333 अधिकारियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार-निरोधक शाखा ने 212 अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं।

*[अनुवाद]*

**खाद्य जांच प्रयोगशालाएं**

6614. **श्री राम सिंह राठवा:**

**श्री ई.जी. सुगावनम:**

**श्री बी.वाई. राघवेंद्र:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत खाद्य जांच प्रयोगशालाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है और इसमें रोजगाररत खाद्य विश्लेषकों की संख्या कितनी है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार उन्नयित की गई प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में ऐसी और प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार चयनित स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खाद्य संरक्षा के मानक लघु स्तरीय उद्योगों (एस.एस.आई.) और अन्य उद्योगों हेतु आरक्षित मदों के समान हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एस.एस.आई. हेतु आरक्षित खाद्य मदें कौन सी हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):** (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अधिनियम-2006 तथा एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे नियमों/विनियमों, 2011 के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण के लिए देश में 140 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। इनमें से 72 खाद्य प्रयोगशालाएं खाद्य नमूनों विवरण-I का विश्लेषण करने के लिए राज्य सरकारों के अंतर्गत हैं और 68 निजी प्रयोगशालाएं, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एवं व्यासमापन प्रत्यायन बोर्ड की मान्यता प्राप्त है, को एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा खाद्य नमूनों विवरण-II का विश्लेषण करने के लिए अधिकृत किया गया है। राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाली 72 प्रयोगशालाओं में 97 खाद्य विश्लेषक रोजगाररत हैं।

पिछले तीन वर्षों (2010-11, 2011-12 तथा 2012-13) के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदान-सहायता के रूप में प्राप्त वित्तीय सहायता से स्थापित/उन्नयित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। चालू वर्ष (2013-14) के दौरान कोई सहायता जारी नहीं की गई है।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना नहीं करता है। तथापि, यह इन प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(घ) और (ङ) एफ.एस.एस. (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य एडिटिव्ज) विनियमन, 2011, लघु उद्योगों सहित विभिन्न तथा उत्पादों एवं सभी खाद्य व्यापार प्रचालकों के लिए मानकों का निर्धारण करता है जिन्हें अधिसूचित मानकों का पालन करना चाहिए।

विकास आयुक्त (एस.एस.आई.) के कार्यालय, द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, "खाद्य एवं संबद्ध उद्योगों" के वर्ग में वर्तमान में, एस.एस.आई. (अब एम.एस.ई.) क्षेत्र में अनन्य रूप से विनिर्माण हेतु आरक्षित मदों की सूची, लघु उद्योग मंत्रालय के दिनांक 25 जुलाई, 1991 के राजपत्र की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 477(ङ) में निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | क्र.सं. (राजपत्र अधिसूचना के अनुसार) | उत्पाद कोड 20-21 | उत्पाद का नाम खाद्य एवं संबद्ध उद्योग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 3 | 20251 | अचार एवं चटनी |
| 2. | 7 | 205101 | ब्रेड |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | 11 | 21100102 | सरसों का तेल (निष्कर्षित विलायक को छोड़कर) |
| 4. | 13 | 21100104 | मूंगफली का तेल (निष्कर्षित विलायक को छोड़कर) |

**विवरण-I**

*72 राज्य/लोक खाद्य प्रयोगशालाएं*

| राज्य | प्रयोगशालाएं |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आन्ध्र प्रदेश | (1) मुख्य लोक विश्लेषक, राज्य खाद्य नियंत्रण प्रयोगशाला, औद्योगिक क्षेत्र नचराम, हैदराबाद-501507 |
| | (2) वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और लोक विश्लेषक, क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सरकारी अस्पताल परिसर, विशाखापत्तनम-530017 |
| असम | (1) लोक विश्लेषक, राज्य लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला बमुनिमैदान,गुवाहाटी-781020 |
| बिहार | (1) उप निदेशक-सह-लोक विश्लेषक खाद्य और दवा मिश्रित प्रयोगशाला, अगमकुंआ, पटना-800007 |
| झारखण्ड | (1) राज्य लोक विश्लेषक खाद्य और दवा प्रयोगशाला, नामकुम, रांची, झारखण्ड |
| गुजरात | (1) लोक खाद्य विश्लेषक जांच प्रभाग खाद्य एवं दवा प्रयोगशाला, पॉलिटैक्निक के पास बड़ोदरा-390002 |
| | (2) लोक खाद्य विश्लेषक जांच प्रभाग लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, |
| | (3) वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य प्रयोगशनला,भावनगर, उतराव, एस.बी.एस. के पीछे, जिमखाना शाखा, राजकोट (गुजरात) |
| | (4) लोक विश्लेषक, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला पी.एस.एम. विभाग, तृतीय तल, एन.एच.एल. मेडिकल कॉलेज, वी.एस. अस्पताल के पीछे, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद 380001 |
| | (5) लोक विश्लेषक, नगर पालिका स्वास्थ्य प्रयोगशाला, नगर निगम लहरीपुरा रोड, बडोदा-390001 |
| | (6) लोक विश्लेषक, नगर पालिका स्वास्थ्य प्रयोगशाला, नगर निगम लहरीपुरा रोड, कमरा सं. 304 से 308, तृतीय तल |
| | डॉ. अंबेडकर शॉपिंग सेंटर, अजंता सिनेमा के पीछे, रिंग रोड सूरत-395003 |
| हरियाणा | (1) लोक विश्लेषक , राज्य खाद्य एवं आबकारी प्रयोगशाला, हरियाणा सरकार, सेक्टर-9डी, चंडीगढ़-160011 |
| | (2) लोक विश्लेषक, जिला खाद्य प्रयोगशाला, सिविल अस्पताल, करनाल (हरियाणा) |
| हिमाचल प्रदेश | (1) लोक विश्लेषक, खाद परीक्षण प्रयोगशाला, कांडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश |

| 1 | 2 |
|---|---|
| जम्मू और कश्मीर | (1) लोक विश्लेषक खाद्य प्रयोगशाला, श्रीनगर, सी.डी. अस्पताल डल गेट के समीप, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) |
| | (2) लोक विश्लेषक खाद्य प्रयोगशाला, जम्मू केनल रोड, जम्मू-तवी (जम्मू और कश्मीर) |
| कर्नाटक | (1) वरिष्ट रसायनज्ञ एवं लोक विश्लेषक खाद्य एवं जल विश्लेषण सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान के.आर. सर्किल, शेशार्दी रोड, बंगलूर-560001 |
| | (2) लोक विश्लेषक, सहकारी प्रयोगशाला, दसप्पा मेटरनिटी होम, सिल्वर जुबली पार्क रोड, बंगलूरू-56001 |
| | (3) लोक विश्लेषक, सहकारी प्रयोगशाला, मैसूर नगर निगम, निगम कार्यालय भवन मैसूर (कर्नाटक) |
| | (4) प्रभागीय लोक विश्लेषक सह क्षेत्रीय सहायक, रसायन परीक्षण प्रयोगशाला, मैसूर प्रभाग, एन.पी.सी. अस्पताल परिसर, नजाराबाद, मैसूर-570010 |
| केरल | (1) मुख्य सरकारी विश्लेषक, सरकारी विश्लेषक प्रयोगशाला, रेड क्रास रोड, तिरूअनंतपुरम (केरल) |
| | (2) लोक विश्लेषक, क्षेत्रीय अन्वेक्षण प्रयोगशाला कक्कंड, पो.आ. एरणाकुलम, कोचीन-31 (केरल) |
| | (3) लोक विश्लेषक, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मल्लापंरबा, कोझीकोड-31 (केरल) |
| मध्य प्रदेश | (1) लोक विश्लेषक, संयुक्त खाद्य एंव औषधि प्रयोगशाला, ईदगाह हिल्स, भोपाल (मध्य प्रदेश) |
| | (2) लोक विश्लेषक, राज्य लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उज्जैन नगर निगम,उज्जैन (म.प्र.) |
| | (3) लोक विश्लेषक, खाद्य प्रयोगशाला, नगर निगम रोड़, इंदौर (म.प्र.) |
| छत्तीसगढ़ | लोक विश्लेषक, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, सिंह नर्सिंग होम परिसर, झूलेलाल धाम रोड, कोटोरा तालाब, रायपुर-492001 |
| महाराष्ट्र | (1) प्रभारी राज्य लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, आलंदी रोड़, सर्वेक्षण सं. 94/ए, विश्रत वदाई पुलिस स्टेशन के समीप, पुणे-411006 |
| | (2) लोक विश्लेषक, क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, निजाम बंगला कैंट, औरंगाबाद-431002 |
| | (3) लोक विश्लेषक, जिला लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सांई दर्शन भवन, 5 बाबा नगर, नांदेड-431602 |
| | (4) लोक विश्लेषक, क्षेत्रीय लोक स्वास्थय प्रयोगशाला, मानसिक अस्पताल के समीप एन.ए.डी.टी. के पीछे, छिंदवाक रोड, नागपुर-440022 |
| | (5) लोक विश्लेषक, जिला लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अमरावती (महाराष्ट्र) |
| | (6) लोक विश्लेषक, जिला स्वास्थ्य प्रयोगशाला, 120, साहू मार्केट यार्ड, कोल्हापुर-416005 |
| | (7) लोक विश्लेषक, नगर पालिका प्रयोगशाला, केंद्रीयकृत जी/नार्थ वार्ड, अधिकारी भवन, द्वितीय तल, कमरा सं. 49, जे.के. सावंत मार्ग, दादर, मुंबई-400028 |
| | (8) मुख्य रसायनज्ञ, जिला लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, धोबीघाट भवन, सिविल अस्पताल परिसर, जलगांव-425001 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | (9) लोक विश्लेषक, जिला लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, ओद्यौगिक क्षेत्र, सांगली-416416 |
| | (10) लोक विश्लेषक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोंकण भवन, छठा तल, न्यू बोम्बे-400614 |
| | (11) लोक विश्लेषक, जिला लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, नया सिविल अस्पताल परिसर, नासिक-422002 |
| नागालैंड | (1) लोक विश्लेषक, राज्य लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला (खाद्य प्रयोगशाला), कोहिमा (नागालैंड) |
| ओडिशा | (1) उपनिदेशक सह लोक विश्लेषक, राज्य लोक स्वास्थ्य प्रयोगशानला, सत्यनगर, भुवनेश्वर (ओडिशा) |
| पंजाब | (1) लोक विश्लेषक, पंजाब सरकार, राज्य खाद्य, औषधि एवं आबकारी प्रयोगशाला, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160017 |
| | (2) लोक विश्लेषक, जिला लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, नेहरू गार्डन, जालंधर (पंजाब) |
| | (3) लोक विश्लेषक, जिला लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, नया सिविल अस्पताल परिसर, पुराना सिविल अस्पताल, भटिंडा (पंजाब) |
| राजस्थान | (1) मुख्य लोक विश्लेषक, राजस्थान सरकार, खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, मंदिर मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर-302004 |
| | (2) लोक विश्लेषक, क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सी-27 रेलवे रोड, जोधपुर-342001 |
| | (3) लोक विश्लेषक, लोक-स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बी.एम. अस्पताल परिसर बीकनेर (राजस्थान) |
| | (4) लोक विश्लेषक, लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अलवर (राजस्थान) |
| | (5) लोक विश्लेषक, लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर (राजस्थान) |
| | (6) लोक विश्लेषक, लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, ई-1, कमला नगर, टी.बी. अस्पताल, अजमेर (राजस्थान) |
| | (7) लोक विश्लेषक, लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, श्री गंगानगर (राजस्थान) |
| | (8) लोक विश्लेषक, लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बांसवाड़ा (राजस्थान) |
| तमिलनाडु | (1) सरकारी विश्लेषक, खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, लोक स्वास्थ्य एवं निवारक औषधि विभाग, किंग इंस्टीट्यूट परिसर, गिंडी, चेन्नई-600032 |
| | (2) लोक विश्लेषक, खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला, प्रधान लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला परिसर, 107-ए, रेस कोर्स रोड़, कोयंबटूर-641018 |
| | (3) लोक विश्लेषक, खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला निगम, पुअर होम कंपाउंड, मदुरई-625020 |
| | (4) लोक विश्लेषक, खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला कॉलेज रोड़, तंजावुर-1 |
| | (5) प्रभारी, खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला, कामराज नगर कॉलोनी, सलेम-14 (तमिलनाडु) |
| | (6) लोक विश्लेषक, खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला, चेन्नई निगम, चेन्नई-600003 |
| | (7) लोक विश्लेषक, खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला, पल्लयम कुट्टई-627002 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| त्रिपुरा | (1) मुख्य विश्लेषक, क्षेत्रीय खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, राज्य लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, त्रिपुरा पश्चिम, अगरतला-799001 |
| उत्तर प्रदेश | (1) लोक विश्लेषक, उत्तर प्रदेश सरकार, चेतन विहार, नेहरू वाटिका के पीछे सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ-226020 |
| | (2) लोक विश्लेषक, राज्य लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला शिवपुर, वाराणसी (यू.पी.) |
| | (3) लोक विश्लेषक, राज्य लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, हल्वाई की बगीचा, मथुरा रोड़, आगरा (यू.पी.) |
| पश्चिम बंगाल | (1) लोक विश्लेषक, पश्चिम बंगाल सरकार, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं औषधि प्रयोगशाला- 2, कॉनवेंट लेन, कोलकाता-700015 |
| | (2) लोक विश्लेषक, जिला लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुर्शीदाबाद, सीएमओ कार्यालय परिसर, पो.आ. बरहामपुर, मुर्शीदाबाद (पश्चिम बंगाल) |
| | (3) लोक विश्लेषक, लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जीएम अस्पताल, पो.ओ. नेताजी सुभाष सेनेटोरियम, कल्याणी-741251 नादीया (पश्चिम बंगाल) |
| | (4) लोक विश्लेषक, कोलकाता निगम, केंद्रीय प्रयोगशाला, 1-2ए, हॉग स्ट्रीट, कोलकाता-700013 |
| | (5) लोक विश्लेषक, आसनसोल माइन्स बोर्ड ऑफ हैल्थ लेबोरेट्री, आसनसोल, जिला वर्धमान-713304 |
| दिल्ली | (1) लोक विश्लेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, पी.एफ.ए. निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ए-20, लॉरेंस रोड, ओद्यौगिक क्षेत्र, दिल्ली -110035 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | (1) प्रभारी लोक विश्लेषक, खाद्य प्रयोगशाला, जी.बी. पंत अस्पताल परिसर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर-744103 |
| गोवा | (1) लोक विश्लेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, पणजी, गोवा-703001 |
| पुदुचेरी | (1) लोक विश्लेषक, लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला कार्यालय, इंदिरा नगर, गोरीमेदु, पुदुचेरी-605006 |
| मेघालय | (1) लोक विश्लेषक, मेघालय सरकार, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, शिलाँग (मेघालय) |

***विवरण-II***

*एक वर्ष के लिए एफ.एस.एस. विनियम के अंतर्गत लिए गए खाद्य नमूनों के विश्लेषण के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा अधिसूचित एन.ए.बी.एल. प्रत्यायित खाद्य प्रयोगशालाओं की सूची*

| क्षेत्र | क्र.सं. | पता | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | |
| दक्षिणी क्षेत्र (केरल, तमिलनाडु, | 1. | बेंगलुरू टेस्ट हाउस, बेंगलुरू | सं. 65 20वां मुख्य, मेरिनहल्ली, विजय नगर, बेंगलुरु-56040<br>दूरभाष: 23356415, 23388895, 23502689<br>ई-मेल: testhouse@satyam. net.in,bthindia@hotmail.com | श्री वर्गीस चेकव (सी.ई.ओ.) |

| 1 | 2 | 3 | | |
|---|---|---|---|---|
| कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, पुदुचेरी लक्षद्वीप) | 2. | टी.यू.वी. एस.यू.डी साउथ एशिया प्रा.लि.बेंगलुरू | सं.-ए 151, दूसरा सी मेन रोड, पीन्या इंडस्ट्रियल इस्टेट, दूसरा चरण-बेंगलुरू-56058 दूरभाष: 080-39289855, 011-30889611, 09871177915 ई.मेल: पंकज.जैमिनी@ टी.यू.वी.-एस.यू.डी.इन.,बी.सी. एथल@टी.यू.वी-एस.यू.डी.इन | श्री पंकज जैमिनी (सहायक उपाध्यक्ष, खाद्य और कृषि) |
| | 3. | एस.जी.एस. इंडिया प्रा.लि. मल्टी लेबोरट्रीज, चैन्नई | भारतीय स्टेट बैंक के सामने 28 बी./1 (एस.पी), 28 बी./2 (एस.पी) दूसरा मेन रोड, अम्बात्तूर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, चैन्नई-600058 दूरभाष: 044-66081779, 09840984458 ई.मेल: कृष्णकुमार.गोपालन@एस.जी.एस.कोम | श्री जी. कृष्णकुमार क्वालिटी मैनेजर |
| | 4. | टी.ए. लेब्स प्रा.लि. चैन्नई | सं. 17, न्यू स्ट्रीट कौत्तूर, चैन्नई-600085, तमिलनाडु दूरभाष: 044-30402020, 42104470, 097911070003 ई.मेल: तलब्स@ट्रयानालिटका.कोम | कैप्टन यू. भारतराज (एम.डी) |
| | 5. | स्टर्लिंग टेस्ट हाउस, कोचीन | उचिक्कल लेन, पूनीथूरिया, पो.ओ.कोच्चि-682038 दूरभाष: 0484-2306598, 2301582 ई.मेल:-स्टर्लिगहाउस@एशियानेटइंडिया.कोम | श्री शिवदास मेनन (एम.डी.) |
| | 6. | चैन्नई मेटेक्स लेब प्रा.लि. (मेटेक्स लेबोरेट्रीज ऑफ इंडिया), चेन्नई | जोठी काम्पलेक्स नं. 83, एम.के.एन. रोड, गुंइडी, चैन्नई तमिलनाडु दूरभाष: 044-52179490, 52179491,09841078949 ई-मेल: टेस्ट@मेटेक्सलेब.कोम | श्री वी.के सेल्वाकुमार (एम.डी.) |
| | 7. | विमता लेब्स लि, हैदराबाद | प्लॉट नं.-5, एलेक्जेडरिया नोलेज पार्क, जेनोम वैली, शमीरपेट, हैदराबाद-500078, आन्ध्र प्रदेश दूरभाष: 040-39848484, 27264141 फैक्स-040-27263657 ई.मेल-अनु@विमता.कोम,क्वालिटी@विमता.कोम | डॉ. एन.वी.रामाराव |
| | 8. | एस.जी.एस. इंडिया प्रा.लि., कोचीन | एस्पिनवेलबिल्डिंग सुब्रमण्डि रोड, विलिंडन आइसलेंड, चौराचन्दनपुर, 682003, केरल दूरभाष: 0484-2668913, 2668914, फैक्स: 0484-22668912 ई.मेल- बेवी उमामाहेश्वरन@एसजीएस.कोम | डॉ. उमा, माहेश्वरन |
| | 9. | भगवती अन्ना प्रयोगशाला लि., हैदराबाद | प्लॉट नं. 7-2-सी/ 7 और 8, इंडस्ट्रियल इस्टेट, संत नगर, हैदराबाद शहरी-500018, आन्ध्र प्रदेश दूरभाष: 040-23810505, 9394878649, ई.मेल- प्रेमचन्द@ भगवाथियानालेब्स.कोम,लेब@,भगवाथियानालेब्स.कोम | पदम प्रिया (निदेशक) |
| | 10. | एन.सी.एम.एस. | डी.नं. 4-7-18/6बी, राघवेन्द्र नगर, नचराम, हैदराबाद शहरी-500076, आन्ध्र प्रदेश दूरभाष: 04044858686, 09347782507, 09346232210, 02266466852 फैक्स-022-40419193 ई.मेल-क्वालिटी@एन.सी.एम.एस.एल.कोम, गनेश.आर@ एन.सी.एम.एस.एल.कोम,@ एन.सी.एम.एस. एल.कोम | डॉ. गणेश राममूर्ति हैड टेस्टिंग एण्ड सर्टिफिकेशन |

| 1 | 2 | | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| | 11. | सरगम प्रयोगशाला | #2, रामापुरम रोड, मनपक्कम, चैन्नई- 600089, तमिलनाडु दूरभाष: 044-22491117/ 6736/2069, 098402076878 फैक्स-044-22491651 ई.मेल- इन्क्वायरी@ सरगम लेब्स.कोम, एस.आर@ सरगमलेब्स.कोम | श्री के. एस.अन्नापूर्णि (मुख्य) |
| | 12. | एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, कोचीन | (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार), 27/1767ए, शिपयार्डक्वाटर्स रोड, पानमपिल्ली नगर (दक्षिण), कोचि-682036, केरल<br>दूरभाष: 0484-2316945, 2316946, 231694, 08089162951<br>फैक्स: 0484-2316948<br>ई-मेल:ई.आई.ए.कोचिलेब@ ईआईसीइंडिया, गवर्नमेंट.इन | श्री राजेश के. सिन्हा, संयुक्त निदेशक |
| | 13. | क्यू.पी.एस. बायोसर्व इंडिया प्रा.लि., हैदराबाद | ऐनालाइटीकल डिवीज, डी-53, आई.डी.ए., फेस-1, जैदीमेटला, हैदराबाद-50055, आन्ध्र प्रदेश<br>दूरभाष: 040-23195257<br>फैक्स: 040-2377087 ई-मेल: इन्फो@बायोसर्व.को.इन, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू क्यूपीएसबायोसर्व.कोम | श्री बी.बी.एस. शिवप्रसाद |
| | 14. | एस.जी.एस. इंडिया प्रा.लि., बेंगलुरु | 23, आंकड़े, 29 मेन उपहला चरण, बी.टी.एम.लायोट, बेंगलुरु-56068, कर्नाटक दूरभाष: 080-67261461,<br>09880271145 ई-मेल: साजन.मरीन@एसजीएस.कोम | मनोजीत पाल (मुख्य खाद्य सर्विसेज)+919871995085 |
| | 15. | इंटरफील्ड प्रयोगशालाएं, कोचीन | 13/1208 इंटरप्रिंट हाउस, कारूवेलीपोडी, कोचि-682005, केरल दूरभाष: 0484-2210915, 2211838, 09895132741<br>फैक्स: 0484-2212465 ई-मेल: एनालिसिस@ आईएफलेव.इन<br>ईमेल: मेल@इंटरफील्डलेबोरेट्रीज.कॉम | सुश्री बीना तिलक, मैनेजर क्यू.ए. |
| | 16. | शिव एनालाइटीकल (इंडिया) लि., बेंगलुरु | प्लाट नं. 24डी (पी) और 34 डील, कियादव इंडस्ट्रियल एरिया, बेंगलुरु, होसकोट-562114, कर्नाटक दूरभाष: 080-27971322/1726/1430/1431, 9900242040/41<br>फैक्स: 080-27971321<br>ई-मेल: इन्फो@शिवाटेक-इंडिया.कॉम | श्री के.बी.एस.एस. सीताराम हैड आपरेशंस |
| | 17. | इंस्टीट्यूट फॉर एनालाइसिस ऑफ डेयरी, फूड एण्ड कल्चर प्रयोगशाला (आई.ए.डी.एफ.ए.सी.), | नं. 8, सिद्धि विनायक कॉम्पलेक्स, नगरभावी दूसरा चरण, दूसरा खण्ड, नजदीक बी.डी.ए. कॉम्पलेक्स, 80 फुटा रिंग रोड, बेंगलुरू-56072, कर्नाटक दूरभाष: 080-23186906-10, 9845900842, 9845445842<br>ई-मेल: आईएडीएफएसी@जीमेल.कोम | मि. रमेश जम्पाला |

| 1 | 2 | | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| | 18. | यूरोफाइंस एनालाइटीकल सर्विसेज इंडिया प्रा.लि. | #183, गायत्री टेक पार्क प्रथम मंजिल, ई.पी.आई.पी., दूसरा चरण, व्हाइटफीड, बेंगलुरु शहरी-560066, कर्नाटक<br>दूरभाष: 080-30706666 फैक्स: 080-41680405<br>ई-मेल: फूडइंडिया@यूरोफिंस.काम | मि. रमेश जम्पाला |
| | 19. | एक्सपोर्ट इंपेक्शन एजेंसी, चैन्नई | छठी मंजिल, सी.एम.डी.ए., टॉवर-II, 1-गांधी इरविन रोड, एगमोर, चैन्नई-600008, तमिलनाडु दूरभाष: 044-2855228241-422855284 फैक्स-044-28552840<br>ई-मेल: ई.आई.ए.-चेन्नईलेब@ईआईसीइंडिया, गवर्नमेंट.इन | मि. आनन्द गुप्ता |
| | 20. | सी. प्रयोगशाला, अरूर, केरल | 13/99ए, केल्ट्रोन रोड, अरूर, केरल-688534<br>दूरभाष: 0478-2871375, (2871376, 2871377, 2874483<br>फैक्स: 0478-2871378<br>ई-मेल: सीफूडपार्क@हाटमेल.कॉम, स्पिलारूर@बीएसएनएल.इन | वी. राजगोपाल (निदेशक तक) |
| पश्चिम क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, मध्य प्रदेश) | 21. | एस.जी.एस. इंडिया प्रा.लि., अहमदाबाद | 201, सुमेल II, एस.जी. हाईवे, गुरुद्वारा के पास, थालतेज, अहमदाबाद-38005 गुजरात, दूरभाष: 079-26854360, 26854327<br>फैक्स: 079-26854380 ई-मेल: हरेन्द्र सोलंकी@एस.जी.एस.कॉम | मि. पूर्वी शाह |
| | 22. | एनकोन प्रयोगशाला प्रा.लि. नागपुर | एफ.पी.-34, 35 बूटीबोरी, खाद्य पार्क फाइव स्टार इंडस्ट्रियल इस्टेट, नागपुर 4441122, महाराष्ट्र<br>दूरभाष: 0712; 2242077, 09373287475<br>ई-मेल: एनाकॉमलेबएनजीपी@जीमेल.कॉम | डॉ. एस.डी. गरवे (निदेशक) |
| | 23. | गुजरात प्रयोगशाला, अहमदाबाद | एफ.-17, महादेवपुरा मार्केट, पुलिस आयुक्त के कार्यालय के पास, शाहीबाग, अहमदाबाद-380004, गुजरात<br>दूरभाष-079-256226040, 25624821<br>ई-मेल: गुजलेब@जीमेल.कोम | श्री हसमुख अमीन (सी.ई.ओ.) |
| | 24. | एस.जी.एस. इंडिया प्रा.लि., इन्दौर | 1-बी. प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इन्दौर-45208, मध्य प्रदेश | श्री राजेश चनपुरा (प्रयोगशाला प्रभारी) |
| | 25. | जियो-कैम प्रयोगशालाएं प्रा.लि. मुम्बई | प्रगति, एडजेसेंट टू क्रॉम्पटन ग्रीव्स, कंजुरमार्ग (ई.), मुम्बई-400042 | मि.पी. सुरेश बाबू मैनेजर क्वालिटी एश्यारैंस |
| | 26. | इनवीरोकेअर प्रयोगशाला प्रा.लि., मुम्बई | इनवीरो हाउस, प्लॉट नं. ए-7, एम.आई.डी.सी., बागले इंडस्ट्रियल इस्टेट, मेन रोड, थाणे-400604, महाराष्ट्र | डॉ. नीलेश अमृतकर, निदेशक प्रयोगशाला |
| | 27. | काली प्रयोगशाला प्रा.लि. भोपाल | एच.एक्स.-21, ई-7, एरिया कॉलोनी भोपाल-462016, मध्य प्रदेश | श्री वी.जी. नरूला (निदेशक) |
| | 28. | साइंटीफिक प्रिजन प्रा.लि. मुम्बई | डी-101, कैलाश इंडस्ट्रियल कॉम्पलेक्स, विखरोली-हीरानन्दिनी लिंक रोड, बिखरोली (पश्चिम) मुम्बई-400079, महाराष्ट्र | डा. रवीन्द्र के. मारीवाला (निदेशक) |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 29. | चोकसी प्रयोगशाला लि., इन्दौर | 6/3, मनोरमागंज इन्दौर-452001, मध्य प्रदेश | श्री व्यंगेश चोकसी (निदेशक) |
| 30. | राष्ट्रीय कृषि और खाद्य विश्लेषक और अनुसंधान संस्थान, पुणे | दूसरी और तीसरी मंजिल एम.सी.सी.आई.ए. बिल्डिंग, तिलक रोड, स्वारगाटे, पुणे-411002, महाराष्ट्र | श्री विनय ओसवाल (निदेशक) |
| 31. | एनालाइटीकल और इनवीरोनमेंटल, सर्विसेज, बडोदरा | दूसरी मंजिल, सी.आई.सी. बिल्डिग, 122, जी.आई.डी.सी. मकरपुरा, बडोदरा-39010, गुजरात | श्री बी.आर. नरेन्द्र (सी.ई.ओ. एण्ड पार्टनर) |
| 32. | मूवी इंडिया प्रा.लि. पुणे | सर्वे नं. 42, 3/1 और 3/2, सब-तालुका, मुलशी, पुणे-411921 | श्री कोस्तुभ कोर्डे |
| 33. | सीनियर्स एण्ड कंसलटेंट को-ऑप, सोसा, लि. नासिक | सर्वे नं. 102, प्लॉट नं. 26, वदला पाथडीर रोड, इंदिरानगर, नासिक-42209, महाराष्ट्र | सुश्री अपर्णा एस. फरांडे, सी.ई.ओ. |
| 34. | माइक्रो कैम, सिलीकर प्रा.लि., मुम्बई | माइक्रो कैम हाउस, ए-513, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आई.डी.सी., महापे, नवी मुम्बई-400701 | डॉ. दीपा भाजेकर, प्रबंध निदेशक |
| 35. | हाइजिन एण्ड हैल्थ प्रयोगशाला, पुणे | ए-512/513, चतुर्थ तल, मेगा केन्द्र, मेगरापाथ, सोलापुर रोड, हडपसार, पुणे-411028 | डॉ. अभय एम. देसाई (निदेशक) |
| 36. | लेबल एनालाइटीकल प्रयोगशाला प्रा.लि. मुंबई | रिलेबल हाउस, गाला नं. 125/139, इंडियन कोरपोरेशन के सामने गजानन पैट्रोल पम्प, मनकोली, भिवंडी, थाणे-421302, महाराष्ट्र | मि. मीनल सतघारे, प्रयोगशाला प्रभारी |
| 37. | सी प्रयोगशालाएं, मुंबई | (ए. डिवीजन ऑफ डॉ. अमीन कंट्रोलर प्रा.लि.) 501/502,मलिन इंडस्ट्रियल ईस्टेट, अभ्युदय नगर, कोटल ग्रीन ऑफ टी.जे. रोड, मुम्बई-400033 | डॉ. प्रदीप मोरे (हेड प्रयोगशाला) |
| 38. | प्रयोगशाला, प्रा.लि. पुने | प्लॉट नं. 1 और 2, गेट नं. 27 नांदेड फाटा, सिंघड रोड़, पुणे-411041, महाराष्ट्र<br>दूरभाष: 020-24395052, 65213313<br>ई-मेल: मारक्लब@वीएसएनएल.लैब@डाटावन.इन | डॉ. (मिसस) बी.एस. केसकर प्रबंध निदेशक |
| 39. | क्षण एजेंसी प्रयोगशाला, मुंबई | पाइलेट टेस्ट हाऊस, ई-3, एम.आई.डी.सी. मारो, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400093, महाराष्ट्र दूरभाष-022-2836-3401<br>फैक्स-022- 28369868<br>ई-मेल: पीटीएच_लैब@आईसीइंडिया.जीओवी.इन | डॉ. एस.एन. द्विवेदी |
| 40. | दी साऊथ एशिया प्रा.लि. मुंबई | ऑफ साकी विहार रोड, साकीनाका, अंधेरी ईस्ट, दूरभाष: 022-30823082 फैक्स: 022-30829595<br>ई-मेल: पंकज.जैमिनी@टीवी-एसयूडी.इन इनफो@टीयूवी-एसयूडी.इन | पंकज जैमिनी (सहायक उपाध्यक्ष-खाद्य एवं कृषि) |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| | 41. रिसर्च फाउंडेशन, दमन | प्लॉट सं. 338/1 क्रिकेट ग्राउंड के पीछे, कच्ची घाम, दमन-396210 दूरभाष: 0260-2244766, 09377004366<br>ई-मेल: लैलार्स@कोणार्कग्रुप.कोम | डॉ. लैला राजधानी |
| | 42. इंडिया प्रा.लि. गांधीधाम | प्लॉट सं. 156-157, जी.आई.डी.सी., ओसलो मेन रोड, गांधी धाम-370201, गुजरात | डॉ. मनीष पांडे |
| | 43. टैस्ट हाऊस, अहमदाबाद | एल-13, 14, समृद्धि भवन, पुराने गुजरात, उच्च न्यायालय के पीछे, सतार तालुका सोसाइटी, प्रो. ओ. नवजीवन, अहमदाबाद-380014, गुजरात दूरभाष: 079-22168817, 09825063601<br>फैक्स: 079-22168817<br>ई-मेल: जीटीएचएचडी@याहू.इन | श्री ए.एन. बरूआ |
| पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, ओडिशा बिहार, झारखण्ड सिक्किम, | 44. एस.जी.एस. इंडिया प्रा.लि. कोलकाता | 620, डायमंड हार्बर रोड, बैहाला इंडस्ट्रीयल कॉम्पलैक्स, फेस-II, प्रथम मंजिल, कोलकाता-700034, पश्चिम बंगाल<br>दूरभाष: 033-64996700, 64996701, 09831186795<br>ई-मेल-एनईएमएआईएल, घोश@एसजीएस.सीओएम | श्री मनोजित पाल (हैड) |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ, असम | 45. मित्रा एस.के. प्रा.लि. कोलकाता | सांची सेंट (पांचवीं मंजिल), 74 बी, आचार्य जगदीश चन्द्र रोड, कोलकाता-700009, पश्चिम बंगाल<br>दूरभाष: 033-22172249, 40143000, 22650006<br>फैक्स: 033-22447482<br>ई-मेल: इन्फो@एमआईटीआरएसके.सीओएम | श्री चरणजीत सेन (बी.पी.) |
| अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, | 46. कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कोलकाता | डिपार्टमेंट ऑफ केमीकल टेक्नोलॉजी, 92 आचार्य प्रेफुला चन्द रोड, कोलकाता-700009, पश्चिम बंगाल<br>दूरभाष: 033-23509937/8386/6387, एक्स: 276<br>ई-मेल: एमजीएचईएमटीसीएच@सीएएलयूएनआईवी.एसी.इन | डॉ. एस. घोष असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉ. महुआ घोष असिस्टेंट प्रोफेसर |
| नागालैंड) | 47. राज्य सरकार (लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला), कोलकाता | पश्चिम बंगाल लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, 2, कोनवेंअ रोड, कोलकाता-700015, पश्चिम बंगाल दूरभाष: 03323295974/ 23299225 फैक्स: 033 23297289 | डॉ. अरूदत्तगुप्ता, खाद्य विश्लेषक |
| | 48. एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी प्रयोगशाला, कोलकाता | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 14/1बी, इजरा स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल<br>दूरभाष: 033-22355004/222352651/22352652<br>फैक्स: 033-22354562<br>ई-मेल: ई.आई.ए.-कोलकाता @ | श्री मनोरंजन मंथन, उप निदेशक |

| 1 | 2 | 3 | | |
|---|---|---|---|---|
| उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पंजाब, हरियाणा) | 49. | टी.यू.वी. एस.यू.डी. एशिया प्रा.लि., नई दिल्ली | सी-153/1, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 दूरभाष:011-30889611, 09717990290 फैक्स: 011-30889595 ई-मेल: इन्फो@ टी.यू.वी.-एस.यू.डी.इन | श्री प्रदीप गुप्ता, वरिष्ठ विपणन प्रबंधक |
| | 50. | फिक्की अनुसंधान एवं विश्लेषण केन्द्र, नई दिल्ली | प्लॉट सं. 2ए, सैक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110077 दूरभाष: 011-25360791-55, 45333500-520 ई-मेल: फ्रेक@ फिक्की.कॉम | श्री अतुल कुमार |
| | 51. | अमोल फार्मास्युटिकल्स प्रा.लि. गुड़गांव | विश्लेषण प्रभाग, ई-362-364, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर-302022, राजस्थान दूरभाष: 0141-2771132, 2771007/8, 9829578338 फैक्स-0141-2770744 ई-मेल-अमोल@डाटाइन्फोसिस.नेट ई-मेल-ज्योतिकौर@ अमोल फार्मास्युटिकल्स.कोम | ज्योतिकौर (निदेशक) |
| | 52. | ए.ई.एस. प्रयोगशाला प्रा.लि., नोएडा | बी-118, फेस-II, नोएडा-201304, उत्तर प्रदेश दूरभाष: 0120-3047900 फैक्स-0120-47052526 ई-मेल: सपोर्ट@ एईएसलेबस.कोम | श्री विशाल अरोरा, निदेशक |
| | 53. | एवन फूड प्रयोगशाला दिल्ली | सी-35/23, लारेंस रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110035 दूरभाष: 011-27188661, 27183536, 27101997, 09810004270 फैक्स: 011-47052526 ई-मेल: अलफूडलेब@याहू.को.इन. इन्फो@ एवनएग्रो.कोम | डॉ. एन.सी. बसंतिया (तकनीकी निदेशक) |
| | 54. | इंटरटेक इंडिया प्रा.लि. गुडगांव | (फूड सर्विस) प्लांट नं. 68, उद्योग विहार, फेस-1, गुडगांव, हरियाणा-122016 दूरभाष: 0124-4840603, 09650601103 ई-मेल: इमरान.खान@इंटरटेक.कॉम | डॉ. इमरान खान, प्रबंधक, खाद्य परीक्षण एवं विश्लेषण |
| | 55. | साफीस्टीकेटेड इंडस्ट्रियल मेटीरियल्स एनालाइटीकल प्रयोगशाला प्रा.लि. दिल्ली | ए-3/7, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली-110064 दूरभाष: 011-43854300-29 ई-मेल-सीमालेबस@सीमालेब.को.इन. टेस्टिंग@सीमालेब.को.इन | जे.एस. चड्ढा (निदेशक) |
| | 56. | पंजाब बायोटैक्नोलॉजी इन्क्यूवेटर, मोहाली | एस.सी.ओ.-7 और 8 (शीर्षतल), फेस-5, एस.ए.एस. नगर, मोहाली-160059, पंजाब दूरभाष: 172-5020895, 5020894, 5093595 फैक्स: 172-5020895 ई-मेल-पीबीटीआई2005@याहू.कोम | डॉ. एस.एस. मारवाह मुख्य कार्यकारी अधिकारी |

| 1 | 2 | 3 | | |
|---|---|---|---|---|
| | 57. | दिल्ली टेस्ट हाउस, दिल्ली | ए-62/3, जी.टी. करनाल रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हंस सिनेमा के पीछे, आजादपुर, नई दिल्ली-110033<br>दूरभाष: 011-47075555<br>ई-मेल-इन्फो@ दिल्लीटेस्टहाउस.कोम | श्री एम.सी. गोयल, निदेशक |
| | 58. | फेयर लेब्स प्रा.लि., गुडगांव | पी-94, सैक्टर-30, गुडगांव-122002, हरियाणा<br>दूरभाष: 124-4223207-08, 4034205<br>फैक्स: 124-4036038<br>ई-मेल-फेयरलेब्स@ फेयरलेब्स.कोम | श्री डी. माथुर (निदेशक) |
| | 59. | स्पेक्ट्रो एनालिटीकल लेब्स, लि., दिल्ली | ई-41, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-II, नई दिल्ली-110020<br>दूरभाष: 011-40522000, 41611000, 09999704001<br>ई-मेल-के.के.एम.@स्पेक्ट्रो.इन.केयर@ स्पेक्ट्रो.इन | डॉ. कमल के. मेहता (वरिष्ठ उपाध्यक्ष) |
| | 60. | ओजोन फार्मास्युटिकल्स लि. बहादुरगढ़ | (एनालिटीकल लेब) 639-640, प्रथम मंजिल, एम.आई.एफ., बहादुरगढ़-124507, हरियाणा<br>दूरभाष: 01276-2565825<br>ई-मेल-आजोनलेब@ ओजोनजीपी.कोम | श्री मंजू बेजर्ड, (सहायक तकनीकी प्रबंधक) |
| | 61. | इंटरनेशनल टेस्टिंग सेंटर, पंचकुला | 86, औद्योगिक क्षेत्रफेस-1, पंचकुला-134109 दूरभाष: 0172-2565825, ई-मेल: आईटीसी-86@याहू.कोम | डॉ. केशोराम गुप्ता (सी.ई.ओ.) |
| | 62. | चोकसी लेबोरट्रीज लि. पंचकुला | प्लॉट सं. 362, औद्योगिक क्षेत्र, फेस-II, पंचकुला-734112, हरियाणा दूरभाष: 0172-5048600, 5048601<br>ई-मेल-पंचकुला@चोकसीलेब.कोम. जोशी_102@याहू.कोम | श्री सतीश जोशी (निदेशक) |
| | 63. | आरब्रो फार्मास्युटिकल लि., दिल्ली | विश्लेषण प्रभाग, 4/9 औद्योगिक क्षेत्र, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015, दूरभाष: 01145754575<br>ई-मेल: आर.ब्रोलेब@आरब्रोफार्मा.कोम | डॉ. सौरव अरोरा (कार्यकारी निदेशक) |
| | 64. | एडवांस रिसर्च एण्ड एनालिटीकल सर्विसेज, गाजियाबाद | सी-8, सैक्टर-12, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम तल, गाजियाबाद-201009, उत्तर प्रदेश, दूरभाष: 0120-2740390<br>ई-मेल: इन्फो@अरासिंदिया.कोम | श्री नीरज कुमार मिश्रा (सी.ई.ओ.) |
| | 65. | आई.टी.एल. लेब्स प्रा.लि. नई दिल्ली | बी-283-284, मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेस-1, दिल्ली-11083<br>दूरभाष: 011-27915654, 65368717, 27915608, 43889900<br>फैक्स: 27923339<br>ई-मेल: आईटीएल94@होटमेल.कोम., आईटीएललेब्स@जीमेल.कोम | |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 66. | एस.जी.एस. इंडिया. प्रा.लि. गुडगांव | 267 उद्योग विहार, फेस-4, गुड़गांव-122015, हरियाणा<br>दूरभाष: 0124-6776070, 09871995085,<br>फैक्स: 2399765<br>ई-मेल: डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एस.जी.एस.कॉम | श्री मनोजीत पाल (प्रमुख) |
| 67. | बाली टेस्ट हाउस प्रा.लि. लुधियाना | गली नं. 12, जीवन नगर, फोकल, प्वाइंट, फेस-5, लुधियाना पंजाब-141010<br>दूरभाष: 0161-6540109, 09216110109<br>फैक्स: 0161-2743263<br>ई-मेल: इन्फो@बीटीएचको.इन | श्री अभिषेक बाली |
| 68. | श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिल्ली | 19, विश्वविद्यालय रोड, नई दिल्ली-110007, दिल्ली<br>दूरभाष: 011-27667267, 27667860<br>फैक्स: 011-27667676, 22667207<br>ई-मेल: श्रीडीएलएचआई.@बीएसएनएल.कोम | डॉ. के.एम. चाको |

## *विवरण-III*

*खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से सहायता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य-वार वितरण*

(लाख रुपए)

| क्र.सं. | राज्य | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | परियोजनाओं की सं. | राशि | परियोजनाओं की सं. | राशि | परियोजनाओं की सं. | राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | - | - | - | - | 1 | 62.30 |
| 2. | असम | - | - | - | - | - | - |
| 3. | गुजरात | 1 | 72.112 | 1 | 69.696 | 1 | 99.66 |
| 4. | हरियाणा | 1 | 29.274 | - | - | 1 | 55.55 |
| 5. | केरल | 1 | 38.00 | 1 | 59.50 | - | - |
| 6. | महाराष्ट्र | 3 | 246.284 | 2 | 142.114 | 1 | 18.09 |
| 7. | मणिपुर | 1 | 71.972 | - | - | - | - |
| 8. | नई दिल्ली | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | ओडिशा | - | - | - | - | 1 | 25.40 |
| 10. | पंजाब | 1 | 6.896 | 2 | 175.18 | - | - |
| 11. | सिक्किम | - | - | - | - | 1 | 34.72 |
| 12. | तमिलनाडु | - | - | 1 | 100.00 | 1 | 90.87 |
| 13. | त्रिपुरा | 1 | 90.644 | - | - | - | - |
| 14. | उत्तर प्रदेश | - | - | - | - | 1 | 335.12 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | 2 | 124.064 | - | - | - | - |
| | कुल | 11 | 679.246 | 7 | 546.49 | 8 | 721.71# |

#जारी की गई यह तो पहली किस्त है और जारी मामलों को छोड़ दिया गया है।

**स्पॉट कमोडिटी एक्सचेंज**

**6615. श्री पी. करुणाकरन:** क्या **क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकार द्वारा अधिकृत कोई स्पॉट कमोडिटी एक्सचेंज प्रचालित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे एक्सचेंजों के क्या नाम हैं;

(ख) ऐसे एक्सचेंजों के उद्देश्य और कार्य क्या हैं; और

(ग) ये कमोडिटी फ्यूचर मार्किट से किस प्रकार भिन्न हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) सरकार ने, भावी संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 27 के तहत एक दिवसीय भावी संविदा में व्यापार के लिए तीन इलैक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंजों नामत: नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि., एन.सी.डी.ई. एक्स स्पॉट एक्सचेंज लि., और नेशनल ए.पी.एम.सी. लि., को छूट प्रदान की है।

(ख) और (ग) स्पॉट एक्सचेंजों का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, विविध प्रकार की वस्तुओं की संविदाओं के व्यापार के लिए प्लेटफार्म प्रदान करना और इस प्रकार देश के विभिन्न हिस्सों से क्रेताओं और विक्रेताओं को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है जबकि कमोडिटी फ्यूटर एक्सचेंज, भावी संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के तहत विनियमित भवी संविदाओं के विनियमन और नियंत्रण से संबंधित संघ हैं।

*[हिन्दी]*

**भवनों में अग्नि सुरक्षा**

**6616. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने 29 मई, 2003 को उन भवनों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाने का आदेश दिया हे जो 15 मीटर से अधिक ऊंचे हैं और जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में अग्नि सुरक्षा के पूर्वोपाय नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन भवनों के स्वामियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने आज की तिथि तक उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया है/पालन नहीं किया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) और (ख) दिल्ली अग्नि शमन सेवा ने सूचित किया है कि रिट याचिका (सिविल) संख्या 2710/1998 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार बनाम डा. बी.एल. वढ़ेरा नामक मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने भवन उप-नियम, 1983 के खंड 6.2.4.1 के अंतर्गत शामिल भवनों में अग्नि सुरक्षा के प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए थे।

(ग) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, दिल्ली अग्नि शमन सेवा ने अग्नि सुरक्षा प्रणाली की स्थिति की जांच करने के लिए 2377 भवनों का निरीक्षण किया। इनमें से अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से 527 भवनों को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी किए गए, अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन न करने की वजह से 690 भवनों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए गए थे और दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) द्वारा 747 भवनों को कम ऊंचाई वाली श्रेणी के रूप में घोषित किया गया था।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2002 और दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम, 2010 बनाए हैं, जो भवनों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में अधिक व्यापक कानून है। उक्त अधिनियम और नियम दिनांक 1.7.2010 से लागू हुए थे।

भवनों का निर्माण पूरा होने पर अग्नि सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन की जांच करने और अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

**सरकारी वैबसाइट का हैक किया जाना**

6617. **श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की सरकारी वैबसाइटों/डाटा के हैकिंग के संबंध में कोई रिपोर्ट/शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त इस प्रकार की रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषियों के खिलाफ क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है और सरकारी वैबसाइट संवेदनशील डाटा को हैक किए जाने से रोकने के लिए क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) भारतीय कंप्यूटर आपात कार्रवाई दल (सी.ई.आर.टी.-इन) को सूचित की गई और उसके द्वारा पता लगाई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2010, 2011, 2012 और 2013 (मार्च तक) के दौरान हैक की गईं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सरकारी वेबसाइटों की कुल संख्या क्रमशः 303, 308, 371 और 48 थी।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सरकारी वेबसाइटों/संवेदनशील आंकड़ों की हैकिंग को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं, उनमें से कुछेक विवरण के रूप में संलग्न हैं।

*विवरण*

(i) सभी नई सरकारी वेबसाइटों और अनुप्रयोगों को होस्ट करने से पहले उनकी साइबर सुरक्षा से संबंधित जांच की जाती है। वेबसाइटों और अनुप्रयोगी की जांच उनके होस्ट होने के पश्चात भी नियमित आधार पर की जाती है।

(ii) यह अनिवार्य बनाया गया है कि सभी सरकारी वेबसाइटों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.), शिक्षा एवं अनुसंधान नेटवर्क (ई.आर.एन.ई.टी.) अथवा देश के किसी अन्य सुरक्षा अवसंरचना सेवा प्रदाता की अवसंरचना पर होस्ट किया जाता है।

(iii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.), जो सरकारी वेबसाइटों को होस्ट करता है, सतत रूप से अपनी होस्टिंग अवसंरचना की सुरक्षा स्थिति का उन्ययनन और सुधार करता रहता है।

(iv) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) को ऐसी किसी वेबसाइट को होस्ट न करने का निदेश दिया गया है जिनकी साइबर सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में जांच नहीं की गई है।

(v) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के साइबर हमले और सुरक्षा भंग से संबंधित मुद्दों का निराकरण करने के लिए विधिक ढांचे का प्रावधान किया गया है।

(vi) भारतीय कंप्यूटर आपात कार्रवाई दल (सी.ई.आर.टी.-इन) नियमित आधार पर अद्यतन साइबर खतरों और इनके रोधी उपायों के संबंध में सतर्कता उपाय और परामर्शी पत्र जारी करता है। सी.ई.आर.टी. इन ने वेबसाइटों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं जो उसकी वेबसाईट (www.cert-in.org.in) पर उपलब्ध हैं। सी.ई.आर.टी.-इन, वेबसाइटों की सुरक्षित होस्टिंग के संबंध में सिस्टम संचालकों को जागरूक बनाने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

**खाद्यान्न भंडार न उठाना**

**6618. श्री जगदानंद सिंह:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जो राज्य उन्हें आवंटित खाद्यान्न कोटा नहीं उठाते, उनका खाद्यान्न भंडार वापस केंद्रीय पूल को व्यपगत हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्न आवंटन व उसकी उठाई सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों द्वारा उन्हें आवंटित खाद्यान्न का भंडार न उठाए जाने के कारण गोदामों में भारी मात्रा में भंडार इकट्ठा हो जाता है ओर बफर स्टाक बढ़ जाता है जिससे भंडारण क्षमता निरुद्ध होती है और केंद्र सरकार पर आर्थिक भार पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्तावधि के दौरान संचित बफर स्टाक की मात्रा कितनी रही; और

(ङ) विनिर्धारित सीमा से अधिक इस अतिशेष बफर स्टॉक के संचय, जिससे गोदाम भर जाता है और परवर्ती मौसमों में खाद्यान्न क्रय प्रभावित होता है, से उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) केंद्रीय पूल से सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्नों में से न उठाई गई मात्रा केंद्रीय पूल का ही भाग होती है। विगत 3 वर्षों के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं के तहत राज्य-वार आवंटन और उठान का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से विवरण-IV में दिया गया है।

(ग) और (घ) केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल के रिकार्ड उत्पादन के अलावा, खाद्यान्नों के पूरे कोटे का उठान न करने से भी केंद्रीय पूल के स्टाक में वृद्धि हुई है। विगत 3 वर्षों के दौरान न्यूनतम बफर मानदण्डों की तुलना में केंद्रीय पूल में स्टॉक की स्थिति संलग्न विवरण-V में दी गई है। इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए बफर रखरखाव लागत निम्नानुसार है:-

| वर्ष | बफर रखरखाव लागत (दर रुपए/क्विंटल) प्रतिवर्ष |
|---|---|
| 2010-11 | 408.42 |
| 2011-12 | 426.42 |
| 2012-13 (संशोधित अनुमान) | 545.82 |

(ङ) केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों के प्राप्त स्टाक को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार खाद्यान्नों का निर्यात करने के अलावा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामान्य आवंटन से अतिरिक्त आवंटन कर रही है।

*विवरण-I*

*सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आबंटन*

(हजार टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान | आबंटन | उठान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 3676.480 | 3433.137 | 3738.252 | 3065.474 | 3822.816 | 3130.234 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 101.556 | 85.023 | 101.556 | 83.589 | 101.556 | 98.376 |
| 3. | असम | 1673.126 | 1591.641 | 1806.756 | 1662.751 | 1886.856 | 1830.998 |
| 4. | बिहार | 3543.192 | 2969.154 | 3650.312 | 2757.350 | 3703.872 | 2639.407 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | छत्तीसगढ़ | 1168.032 | 1135.107 | 1218.752 | 1085.194 | 1244.112 | 1178.578 |
| 6. | दिल्ली | 595.734 | 607.303 | 597.858 | 545.295 | 598.920 | 566.777 |
| 7. | गोवा | 68.751 | 53.804 | 60.316 | 60.421 | 63.036 | 62.909 |
| 8. | गुजरात | 1885.998 | 1532.880 | 2018.738 | 1242.799 | 2085.108 | 1265.504 |
| 9. | हरियाणा | 685.242 | 613.097 | 732.422 | 586.431 | 756.012 | 465.415 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 508.988 | 486.462 | 519.146 | 512.663 | 527.940 | 524.927 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 757.104 | 749.115 | 756.804 | 743.485 | 756.804 | 760.644 |
| 12. | झारखंड | 1319.412 | 1032.747 | 1339.032 | 1022.038 | 1358.652 | 977.751 |
| 13. | कर्नाटक | 2260.476 | 2132.040 | 2386.646 | 2234.612 | 2806.928 | 2304.402 |
| 14. | केरल | 1399.646 | 1373.157 | 1431.674 | 1428.807 | 1472.688 | 1473.184 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 2610.454 | 2707.860 | 2680.736 | 2653.417 | 2736.426 | 3551.778 |
| 16. | महाराष्ट्र | 4490.412 | 3687.169 | 4647.114 | 3539.245 | 4819.044 | 3724.189 |
| 17. | मणिपुर | 141.844 | 71.209 | 160.446 | 144.884 | 170.952 | 172.661 |
| 18. | मेघालय | 182.928 | 156.605 | 181.696 | 182.690 | 188.580 | 189.600 |
| 19. | मिज़ोरम | 70.140 | 64.502 | 70.140 | 66.233 | 70.140 | 66.538 |
| 20. | नागालैण्ड | 126.876 | 138.126 | 126.876 | 140.094 | 126.876 | 135.953 |
| 21. | ओडिशा | 2221.788 | 2052.089 | 2118.908 | 2058.005 | 2194.266 | 2120.509 |
| 22. | पंजाब | 786.348 | 680.707 | 814.100 | 686.355 | 827.976 | 613.964 |
| 23. | राजस्थान | 2037.128 | 1937.843 | 2115.140 | 2078.693 | 2179.500 | 2149.291 |
| 24. | सिक्किम | 44.250 | 43.000 | 44.270 | 44.936 | 44.280 | 45.046 |
| 25. | तमिलनाडु | 3722.832 | 3698.126 | 3722.832 | 3700.634 | 3722.832 | 3634.495 |
| 26. | त्रिपुरा | 302.622 | 249.020 | 308.034 | 275.381 | 304.836 | 289.291 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 6948.948 | 6555.953 | 7114.590 | 6645.333 | 7268.520 | 6568.015 |
| 28. | उत्तराखंड | 474.122 | 455.838 | 501.702 | 456.876 | 617.992 | 596.557 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 3601.864 | 3325.618 | 3763.754 | 3281.205 | 3857.196 | 3616.745 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 34.020 | 17.921 | 34.020 | 16.026 | 34.020 | 14.908 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 31.380 | 25.975 | 34.980 | 34.216 | 36.780 | 33.429 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 9.924 | 2.457 | 10.284 | 10.247 | 10.464 | 10.499 |
| 33. | दमन और दीव | 4.980 | 1.162 | 5.430 | 4.669 | 5.652 | 4.530 |
| 34. | लक्षद्वीप | 4.620 | 6.385 | 4.620 | 4.053 | 6.620 | 5.706 |
| 35. | पुदुचेरी | 56.112 | 48.435 | 58.912 | 47.816 | 60.312 | 53.313 |
| | जोड़ | 47547.329 | 43720.667 | 48876.848 | 43101.917 | 50468.564 | 44876.123 |

## विवरण-II

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 2010-11 के दौरान किए गए विशेष तदर्थ अतिरिक्त आवंटनों के खाद्यान्नों का आवंटन और उठान*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2011-12 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ए.ए.वाई./बी.पी.एल./ए.पी.एल. के लिए आबंटन 19.5.2010 गेहूं के लिए 8.45 रुपए/कि.ग्रा. और चावल के लिए 11.85 रुपए/कि.ग्रा. की दर पर | | % उठान | ए.पी.एल. के लिए आवंटन 06.01.2011 गेहूं के लिए 8.45 रुपए/कि.ग्रा. और चावल के लिए 11.85 रुपए/कि.ग्रा. की दर पर | | % उठान | बी.पी.एल. निर्गम मूल्य पर 7.9.2010 और 6.1.2011 को किया गया बी.पी.एल. आबंटन | | % उठान |
| | | आबंटन | उठान | | आबंटन | उठान | | आबंटन | उठान | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 268.957 | 3.706 | 1.4 | 255.220 | 12.532 | 4.9 | 511.570 | 510.338 | 99.8 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4.114 | 2.190 | 53.2 | 3.104 | 2.404 | 77.4 | 12.592 | 7.180 | 57.0 |
| 3. | असम | 196.381 | 82.018 | 41.8 | 282.673 | 111.62lछ | 39.5 | 290.794 | 171.081 | 58.8 |
| 4. | बिहार | 201.943 | 24.960 | 12.4 | 116.258 | 20.151 | 17.8 | 500.214 | 325.882 | 65.1 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 149.974 | 41.787 | 27.9 | 205.047 | 143~700 | 70.1 | 143.784 | 194.411 | 135.2 |
| 6. | दिल्ली | 47.294 | 22.640 | 47.9 | 51.509 | 0 | 0.0 | 31.364 | 23.369 | 74.5 |
| 7. | गोवा | 5.440 | 0.002 | 0.0 | 5.904 | 3.007 | 50.9 | 3.680 | 3.374 | 91.7 |
| 8. | गुजरात | 148.869 | 16.141 | 10.8 | 144.063 | 14.590 | 10.1 | 162.572 | 132.874 | 81.7 |
| 9. | हरियाणा | 53.516 | 16.260 | 30.4 | 51.205 | 36.806 | 71.9 | 60.504 | 22.076 | 36.5 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 21.369 | 21.084 | 98.7 | 16.128 | 14.620 | 90.6 | 39.416 | 29.491 | 74.8 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 30.634 | 30.983 | 101.1 | 61.139 | 51.333 | 81.3 | 56.440 | 56.970 | 100.9 |
| 12. | झारखंड | 74.052 | 8.363 | 11.3 | 42.587 | 0.764 | 1.8 | 183.584 | 126.175 | 68.7 |
| 13. | कर्नाटक | 160.429 | 51.525 | 32.1 | 136.922 | 12.552 | 9.2 | 239.946 | 233.571 | 97.3 |
| 14. | केरल | 153.870 | 116.062 | 75.4 | 179.893 | 127.906 | 71.1 | 125.653 | 125.553 | 99.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | मध्य प्रदेश | 164.951 | 13.322 | 8.1 | 121.077 | 11.933 | 9.9 | 516.324 | 6.668 | 1.3 |
| 16. | महाराष्ट्र | 301.359 | 40.694 | 13.5 | 242.956 | 27.145 | 11.2 | 501.060 | 286.014 | 57.1 |
| 17. | मणिपुर | 6.919 | 0 | 0.0 | 5.231 | 6.070 | 116.0 | 17.730 | 16.921 | 95.4 |
| 18. | मेघालय | 7.633 | 7.843 | 102.8 | 5.773 | 5.517 | 95.6 | 19.034 | 11.200 | 58.8 |
| 19. | मिजोरम | 5.678 | 2.781 | 49.0 | 18.149 | 17.599 | 97.0 | JO,214 | 11.436 | 112.0 |
| 20. | नागालैण्ड | 10.268 | 2.941 | 28.6 | 13.864 | 9.354 | 67,5 | 14.510 | 15.132 | 104.3 |
| 21. | ओडिशा | 115.447 | 0.135 | 0.1 | 75.819 | 12.006 | 15.8 | 252.906 | 190.414 | 75.3 |
| 22. | पंजाब | 67.592 | 59.295 | 87.7 | 276.145 | 70.905 | 25.7 | 35.888 | 28.664 | 79.9 |
| 23. | राजस्थान | 301.478 | 191.769 | 63.6 | 239.700 | 186.653 | 77.9 | 236.420 | 221.277 | 93.6 |
| 24. | सिक्किम | 2.285 | 1.277 | 25.9 | 1.646 | 0.841 | 51.1 | 4.498 | 4.499 | 100.0 |
| 25. | तमिलनाडु | 235.994 | 129.465 | 54.9 | 195.767 | 34,731 | 17,7 | 372.918 | 353.252 | 94.7 |
| 26. | त्रिपुरा | 12.274 | 0 | 0.0 | 9,269 | 0 | 0,0 | 22.622 | 22.623 | 100.0 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 444.406 | 114.226 | 25.7 | 335.641 | 4.160 | 1.2 | 818.880 | 508.498 | 62.1 |
| 28. | उत्तराखंड | 20.723 | 4.034 | 19.5 | 165.65 | 93.453 | 56.4 | 38.188 | 15.300 | 40.1 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 246.891 | 223.416 | 90.5 | 202.822 | 143.610 | 70.8 | 397.152 | 291.327 | 73.4 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1.377 | 0 | 0.0 | 1.150 | 0 | 0.0 | 2.146 | 0.455 | 21.2 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 3.451 | 0 | 0.0 | 3.907 | 3.116 | 79.8 | 1.764 | 0.555 | 31.5 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 0.612 | 0 | 0.0 | 0.391 | 0.391 | 100.0 | 1.382 | 0.692 | 50.1 |
| 33. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0.0 | 0.478 | 0 | 0.0 | 0.268 | 0.112 | 41.8 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.187 | 0 | 0.0 | 0.174 | 0.724 | 416.1 | 0.230 | 0 | 0.0 |
| 35. | पुदुचेरी | 3.808 | 0.309 | 8.1 | 3.039 | 4.228 | 139.1 | 6.442 | 1.567 | 24.3 |
| | सकल जोड़ | 3066.410# | 1229.248 | 40.1 | 2500.000# | 1185.023 | 47.4 | 5000.004# | 3948.951 | 79.0 |

#समग्र आबंटन में से न उठाई गई मात्रा से पुन: आबंटन करने के कारण कतिपय मामलों में राज्यों को किए गए आबंटन में दर्शाए गए सकल जोड़ के साथ कुल को जोड़ा नहीं जा सकता है।

## विवरण-III

*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2010-11 और 2012-13 के दौरान किए गए विशेष तदर्थ अतिरिक्त आवंटनों के खाद्यान्नों का आवंटन और उठान*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2011-12 | | | | | | 2012-13 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बी.पी.एल. निर्गम मूल्य पर 16.5.2011 को किया गया बी.पी.एल. आबंटन | | % उठान | निर्धनतम जिलों को किया गया बी.पी.एल./ए.ए.वाई. आबंटन $ | | % उठान | बी.पी.एल. निर्गम मूल्यों पर जुलाई, 2012 में किया गया बी.पी.एल. आबंटन $ | | % उठान | निर्धनतम जिलों को किया गया बी.पी.एल./ए.ए.वाई. आबंटन $ | | % उठान |
| | | आबंटन | उठान | | आबंटन | उठान | | आबंटन | उठान | | आबंटन | उठान | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 311.570 | 297.194 | 95.4 | 116.797 | 115.093 | 98.5 | 311.57 | 212.285 | 68.1 | 14.244 | 11.698 | 82.1 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 7.592 | 6.009 | 79.1 | 0.737 | 0.737 | 100.0 | 7.592 | 5.968 | 78.6 | 0.307 | 0.118 | 0.0 |
| 3. | असम | 220.794 | 199.829 | 90.5 | 15.34 | 14.544 | 94.8 | 190.794 | 131.8 | 69.1 | 26.273 | 19.739 | 75.1 |
| 4. | बिहार | 600.214 | 474.766 | 79.1 | 596.511 | 312.511 | 52.4 | 500.213 | 226.318 | 45.2 | 595.395 | 267.211 | 44.9 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 143.784 | 143.434 | 99.8 | 131.952 | 135.836 | 102.9 | 143.784 | 106.714 | 74.2 | 307.274 | 275.102 | 89.5 |
| 6. | दिल्ली | 31.364 | 29.976 | 95.6 | 0 | 0 | 0.0 | 31.364 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7. | गोवा | 3.680 | 3.849 | 104.6 | 0 | 0 | 0.0 | 3.68 | 2.173 | 59.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8. | गुजरात | 162.572 | 163.038 | 100.3 | 51.502 | 51.886 | 100.7 | 321.472 | 194.836 | 60.6 | 21.455 | 13.508 | 0.0 |
| 9. | हरियाणा | 60.504 | 39.618 | 65.5 | 9.739 | 3.391 | 34.8 | 60.504 | 59.606 | 98.5 | 7.184 | 3.969 | 55.4 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 39.416 | 27.489 | 69.7 | 11.537 | 11.4198 | 99.0 | 39.416 | 19.702 | 50.0 | 11.537 | 8.21 | 71.2 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 56.440 | 52.369 | 92.8 | 11.757 | 10.654 | 90.6 | 56.44 | 20.872 | 37.0 | 14.255 | 14.253 | 100.0 |
| 12. | झारखंड | 183.584 | 86.158 | 46.9 | 132.229 | 117.54 | 88.9 | 183.584 | 107.757 | 58.7 | 131.781 | 108.183 | 82.1 |
| 13. | कर्नाटक | 239.946 | 239.989 | 100.0 | 31.395 | 31.37 | 99.9 | 239.946 | 216.907 | 90.4 | 31.395 | 30.182 | 96.1 |
| 14. | केरल | 119.168 | 119.092 | 99.9 | 5.068 | 5.068 | 100.0 | 306.104 | 176.009 | 57.5 | 1.232 | 1.232 | 0.0 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 316.324 | 270.063 | 85.4 | 278.044 | 113.963 | 41.0 | 316.324 | 0 | 0.0 | 206.62 | 0 | 0.0 |
| 16. | महाराष्ट्र | 501.060 | 294.409 | 58.8 | 105.812 | 84.957 | 80.3 | 501.059 | 222.847 | 44.5 | 0 | 0 | 0.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | मणिपुर | 12.730 | 12.73 | 100.0 | 1.215 | 1.199 | 98.7 | 12.730 | 10.160 | 79.8 | 0.381 | 0.374 | 0.0 |
| 18. | मेघालय | 14.033 | 14.213 | 101.3 | 1.719 | 1.308 | 76.1 | 14.033 | 12.04 | 85.8 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19. | मिजोरम | 10.214 | 8.542 | 83.6 | 0.159 | 0.159 | 100.0 | 9.594 | 8.008 | 83.5 | 0.159 | 0.159 | 100.0 |
| 20. | नागालैण्ड | 19.510 | 19.615 | 100.5 | 0.315 | 0.376 | 119.4 | 17.01 | 17.075 | 100.4 | 0.315 | 0.254 | 80.6 |
| 21. | ओडिशा | 252.906 | 151.273 | 59.8 | 143.933 | 143.702 | 99.8 | 252.906 | 161.609 | 63.9 | 204.647 | 112.241 | 64.8 |
| 22. | पंजाब | 35.888 | 34.235 | 95.4 | 1.839 | 1.839 | 100.0 | 35.888 | 0 | 0.0 | 1.839 | 0 | 0.0 |
| 23. | राजस्थान | 186.420 | 179.772 | 96.4 | 99.054 | 70.182 | 70.9 | 186.42 | 141.755 | 76.0 | 81.278 | 78.217 | 96.2 |
| 24. | सिक्किम | 10.778 | 6.286 | 58.3 | 0.264 | 0.169 | 64.0 | 3.298 | 2.573 | 78.0 | 0.44 | 0.441 | 100.2 |
| 25. | तमिलनाडु | 377.918 | 378.43 | 100.1 | 40.948 | 40.359 | 98.6 | 508.918 | 452.559 | 88.9 | 40.948 | 39.285 | 95.9 |
| 26. | त्रिपुरा | 22.622 | 22.093 | 97.7 | 2.734 | 2.23 | 81.6 | 34.071 | 20.248 | 59.4 | 1.746 | 1.746 | 100.0 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 818.880 | 629.003 | 76.8 | 316.724 | 299.744 | 94.6 | 818.879 | 613.275 | 74.9 | 159.556 | 97.642 | 61.2 |
| 28. | उत्तराखंड | 38.188 | 31.891 | 83.5 | 2602 | 2.598 | 99.8 | 38.188 | 29.952 | 78.4 | 1.681 | 1.681 | 100.0 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 397.152 | 325.987 | 82.1 | 259.315 | 130.411 | 50.3 | 397.152 | 293.073 | 73.8 | 259.315 | 36.713 | 14.2 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 2.146 | 1.820 | 84.8 | 0 | 0 | 0.0 | 2.146 | 0.667 | 31.1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 1.764 | 1.635 | 92.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1.764 | 0.588 | 33.3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 1.382 | 0.017 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1.382 | 0.255 | 18.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33. | दमन और दीव | 0.268 | 0.032 | 11.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.268 | 0.165 | 61.6 | 0 | 0 | 0.0 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.230 | 0.230 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.23 | 0.207 | 90.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 35. | पुदुचेरी | 10.711 | 8.492 | 79.3 | 0 | 0 | 0.0 | 6.442 | 3 | 46.6 | 0 | 0 | 0.0 |
| | सकल जोड़ | 5000.004# | 4273.568 | 85.5 | 2369.241 | 1703.246 | 71.9 | 5000.000# | 3471.003 | 69.4 | 2121.237 | 1122.158 | 52.9 |

$एस.पी.एल. आबंटन की तुलना में उठान फरवरी, 2013 तक का है तथा निर्धनतम जिले को किए गए आबंटन की तुलना में उठान मार्च, 2013 तक का है।

#समग्र आबंटन में से न उठाई गई मात्रा से पुन: आबंटन करने के कारण कतिपय मामलों में राज्यों को किए गए आबंटन में दर्शाए गए सकल जोड़ के साथ कुल को जोड़ा नहीं जा सकता है।

*विवरण-IV*

*विगत 3 वर्षों के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत खाद्यान्नों का राज्य-वार आवंटन और उठान*

| क्र.सं. | राज्य | 2011-12 | | | | | | 2012-13 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटन* | | | उठान | | | आबंटन* | | | उठान | | |
| | | चावल | गेहूं | जोड़ | चावल | गेहूं | जोड़ | चावल | गेहूं | जोड़ | चावल | गेहूं | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 336.351 | 73.352 | 409.703 | 335.969 | 25.155 | 361.124 | 351.278 | 54.938 | 406.216 | 262.821 | 53.555 | 316.376 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4831 | 0000 | 4.831 | 2764 | 0 | 2.764 | 8746 | 0.000 | 8746 | 6708 | 0 | 6.708 |
| 3. | असम | 109999 | 0000 | 109.999 | 95049 | 0 | 95.049 | 136855 | 0000 | 136855 | 107697 | 0 | 107.697 |
| 4. | बिहार | 239.470 | 11.995 | 251.465 | 204.458 | 10.11 | 214.568 | 252.990 | 12.091 | 265.081 | 198.886 | 6.369 | 205.255 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 130.947 | 34.401 | 165.348 | 128.310 | 32.969 | 161.279 | 163.372 | 41.900 | 204.272 | 149.698 | 41.459 | 191.157 |
| 6. | दिल्ली | 18.629 | 18.763 | 37.392 | 14.318 | 14.618 | 28.936 | 17.557 | 17.693 | 35.250 | 15.391 | 15.440 | 30.831 |
| 7. | गोवा | 2.940 | 2.668 | 5.608 | 2.055 | 2.089 | 4.144 | 4.635 | 4.384 | 9.019 | 2.913 | 2.751 | 5.664 |
| 8. | गुजरात | 52.180 | 132.844 | 185.024 | 48.388 | 124.651 | 173.039 | 53.960 | 135.033 | 188.993 | 51.258 | 139.204 | 190.462 |
| 9. | हरियाणा | 31.699 | 47.566 | 79.265 | 21.288 | 36.657 | 57.945 | 32.326 | 63.564 | 95.890 | 27.639 | 55.430 | 83.069 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 23.410 | 5.841 | 29.521 | 22.444 | 6.802 | 29.246 | 24.915 | 7.084 | 31.999 | 24.800 | 6.823 | 31.623 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 28.586 | 0.000 | 28.586 | 23.712 | 0.84 | 24.552 | 36.451 | 3.000 | 39.451 | 26.878 | 0.000 | 26.878 |
| 12. | झारखंड | 113.889 | 1.261 | 115.150 | 108.702 | 0 | 108.702 | 174.654 | 3.712 | 178.366 | 84.352 | 0.000 | 84.352 |
| 13. | कर्नाटक | 186.842 | 84.809 | 271.651 | 156.178 | 10.559 | 166.737 | 197.079 | 69.352 | 266.431 | 165.326 | 10.982 | 176.308 |
| 14. | केरल | 89.645 | 10.723 | 100.374 | 82.375 | 9.361 | 91.736 | 75.407 | 25.777 | 101.184 | 68.382 | 10.962 | 79.344 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 128.462 | 349.816 | 478.278 | 125.457 | 326.126 | 451.583 | 138.121 | 337.811 | 475.932 | 121.821 | 321.939 | 443.121 |
| 16. | महाराष्ट्र | 558.330 | 129.505 | 687.835 | 285.205 | 101.615 | 386.820 | 316.460 | 111.021 | 427.481 | 267.704 | 83.470 | 351.174 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | मणिपुर | 26.761 | 0.142 | 26.903 | 10.313 | 0.057 | 10.370 | 17.385 | 0.071 | 17.456 | 19.805 | 0.060 | 19.865 |
| 18. | मेघालय | 12.395 | 0.000 | 12.395 | 9.537 | 0 | 9.537 | 34.705 | 0.000 | 34.705 | 14.902 | 0.000 | 14.902 |
| 19. | मिज़ोरम | 6.051 | 1.217 | 7.260 | 5.711 | 1.217 | 6.928 | 6.042 | 2.215 | 8.257 | 5.909 | 2.216 | 8.125 |
| 20. | नागालैण्ड | 22.047 | 4.059 | 26.106 | 23.557 | 4.061 | 27.618 | 25.552 | 2.792 | 28.344 | 21.945 | 2.793 | 24.738 |
| 21. | ओडिशा | 301.470 | 19.820 | 321.290 | 267.240 | 20.018 | 287.258 | 216.703 | 100.689 | 317.392 | 198.242 | 78.331 | 276.573 |
| 22. | पंजाब | 28.401 | 30.315 | 58.716 | 29.136 | 30.149 | 59.285 | 37.555 | 39.669 | 77.224 | 30.809 | 32.101 | 62.910 |
| 23. | राजस्थान | 47.642 | 162.150 | 209.792 | 47.110 | 141.12 | 188.230 | 46.666 | 164.015 | 210.681 | 41.921 | 144.569 | 186.490 |
| 24. | सिक्किम | 2.798 | 0.350 | 3.148 | 2.757 | 0 | 2.896 | 3.044 | 0.470 | 3.514 | 3.051 | 0.303 | 3.354 |
| 25. | तमिलनाडु | 159.201 | 39.720 | 198.921 | 134.867 | 85.247 | 220.114 | 162.631 | 55.785 | 218.416 | 134.356 | 111.014 | 245.370 |
| 26. | त्रिपुरा | 27.054 | 0.000 | 27.054 | 27.834 | 0 | 27.834 | 32.070 | 0.000 | 32.070 | 31.301 | 0.000 | 31.301 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 244.214 | 366.151 | 610.365 | 191.137 | 340.037 | 531.174 | 174800 | 351.423 | 526.223 | 170.994 | 322.098 | 493.092 |
| 28. | उत्तराखंड | 25.096 | 9.282 | 34.378 | 21.131 | 2.97 | 24.101 | 23.751 | 18.948 | 42.699 | 21.656 | 0.000 | 21.656 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 345.636 | 0.969 | 346.6 | 165732 | 0427 | 166.159 | 267087 | 1.439 | 268 526 | 185096 | 0993 | 186.089 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.958 | 0.022 | 0.980 | 0671 | 0 | 0.671 | 1.378 | 0113 | 1.491 | 1.260 | 0.073 | 1.333 |
| 31. | चंडीगढ़ | 0.976 | 0.646 | 1.622 | 0833 | 0372 | 1.205 | 0.827 | 0.602 | 1429 | 0.753 | 0382 | 1.135 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 1.074 | 0.139 | 1.213 | 0154 | 0011 | 0.165 | 1.143 | 0.134 | 1277 | 0.978 | 0.044 | 1.022 |
| 33. | दमन और दीव | 0.450 | 0.000 | 0.450 | 0145 | 0 | 0.145 | 0.365 | 0.000 | 0365 | 0.401 | 0 | 0.401 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.269 | 0 000 | 0.269 | 0000 | 0 | 0.000 | 0.245 | 0.000 | 0 245 | 115 | 0 | 0.115 |
| 35. | पुदुचेरी | 2.350 | 0.000 | 2.350 | 1 420 | 0 | 1.420 | 2.476 | 0.000 | 2476 | 1560 | 0 | 1.560 |
| | जोड़ | 3311.053 | 1538 532 | 4849.585 | 2595 957 | 1327 377 | 3923.334 | 3038 231 | 1625.725 | 4663.956 | 2466.689 | 1443.361 | 3910.050 |

| क्र.सं. | राज्य | 2012-13 (फरवरी, 13 तक) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटन*** | | | उठान | | |
| | | चावल | गेहूं | जोड़ | चावल | गेहूं | जोड़ |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 271.385 | 58.916 | 330.301 | 252.944 | 40.997 | 293.941 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 7.182 | 0.000 | 7.182 | 7.905 | 0.000 | 7.905 |
| 3. | असम | 133.536 | 0.019 | 133.555 | 85.445 | 0.000 | 85.445 |
| 4. | बिहार | 380.021 | 15.720 | 395.741 | 217.002 | 4.448 | 221.450 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 171.937 | 65.118 | 237.055 | 131.784 | 58.551 | 190.335 |
| 6. | दिल्ली | 16.203 | 16.328 | 32.531 | 12.025 | 12.216 | 24.241 |
| 7. | गोवा | 3.625 | 3.253 | 6.878 | 2.605 | 2.629 | 5.234 |
| 8. | गुजरात | 57.171 | 153.118 | 210.289 | 46.757 | 126.291 | 173.058 |
| 9. | हरियाणा | 36.805 | 67.137 | 103.942 | 27.698 | 43.736 | 71.434 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 22.936 | 10.547 | 33.483 | 20.744 | 8.011 | 28.755 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 33.550 | 3.000 | 36.550 | 24.452 | 0.181 | 24.643 |
| 12. | झारखंड | 94.469 | 0.000 | 94.469 | 75.678 | 1.085 | 76.763 |
| 13. | कर्नाटक | 250.465 | 87.314 | 337.779 | 197.062 | 64.392 | 261.454 |
| 14. | केरल | 71.586 | 15.272 | 86.858 | 71.371 | 4.410 | 75.781 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 161.540 | 284.342 | 445.882 | 118.313 | 216.802 | 335.115 |
| 16. | महाराष्ट्र | 330.566 | 128.016 | 458.582 | 260.297 | 82.297 | 342.594 |
| 17. | मणिपुर | 22.722 | 0.059 | 22.781 | 14.986 | 0.059 | 15.045 |
| 18. | मेघालय | 14.440 | 0.000 | 14.440 | 12.662 | 0.000 | 12.662 |
| 19. | मिज़ोरम | 6.469 | 2.220 | 8.689 | 5.032 | 1.666 | 6.698 |

| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | नागालैण्ड | 22.116 | 2.792 | 24.908 | 22.049 | 2.604 | 24.653 |
| 21. | ओडिशा | 224.727 | 109.512 | 334.239 | 181.388 | 91.496 | 272.884 |
| 22. | पंजाब | 38.856 | 39.934 | 78.790 | 21.077 | 30.013 | 51.090 |
| 23. | राजस्थान | 43.096 | 152.535 | 195.931 | 32.096 | 113.694 | 145.790 |
| 24. | सिक्किम | 3.140 | 0.621 | 3.761 | 2.704 | 0.000 | 2.704 |
| 25. | तमिलनाडु | 168.416 | 58.267 | 226.683 | 122.829 | 44.839 | 167.668 |
| 26. | त्रिपुरा | 29.850 | 0.000 | 29.850 | 26.974 | 0.000 | 26.974 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 219.074 | 367.013 | 586.087 | 177.940 | 318.132 | 496.072 |
| 28. | उत्तराखंड | 24.235 | 22.552 | 46.787 | 21.578 | 0.000 | 21.578 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 323.405 | 8.399 | 331.804 | 184.159 | 0.492 | 184.651 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1.408 | 0.011 | 1.419 | 0.872 | 0.000 | 0.872 |
| 31. | चंडीगढ़ | 1.136 | 0.793 | 1.929 | 8.967 | 1.055 | 10.042 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | 1.295 | 0.085 | 1.380 | 0.911 | 0.049 | 0.960 |
| 33. | दमन और दीव | 0.424 | 0.000 | 0.424 | 0.417 | 0.000 | 0.417 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0.255 | 0.000 | 0.255 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 35. | पुदुचेरी | 2.390 | 0.000 | 2.390 | 1.382 | 0.000 | 1.382 |
| | जोड़ | 3190.431 | 1672.893 | 4863.324 | 2390.145 | 1270.145 | 3660.290 |

*वर्ष 2010-11 के दौरान अन्य कल्याण योजनाओं के तहत खाद्यान्नों का कुल आबंटन 50.10 लाख टन है। तथापि, 16.11 लाख टन खाद्यान्नों का उप-आवंटन संबंधित मंत्रालय/विभाग/भारतीय खाद्य निगम से अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। **वर्ष 2011-12 के दौरान अन्य कल्याण योजनाओं के तहत खाद्यान्नों का कुल आबंटन 49.56 लाख टन है। तथापि, डब्ल्यू.बी.एन.वी. स्कीम के तहत 15.17 लाख टन की तुलना में 1.47 लाख टन, सबला के तहत 2.73 लाख टन की तुलना में 1.34 लाख टन तथा कल्याण संस्थान स्कीम के तहत 3.34 लाख टन की तुलना में 0.11 लाख टन के आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/भारतीय खाद्य निगम से अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। ***वर्ष 2012-13 के दौरान अन्य कल्याण योजनाओं के तहत खाद्यान्नों का कुल आवंटन 49.26 लाख टन है। तथापि, सबला के तहत 2.09 लाख टन की तुलना में 0.31 लाख टन तथा डब्ल्यू.बी.एन.पी. के तहत 14.45 लाख टन की तुलना में 0.39 लाख टन का आबंटन अब तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त नहीं हुआ है। नोट: गुजरात को एन.पी.ए.जी. के तहत 2009-10 में 7650.86 टन मक्के का आबंटन किया गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान 14.584 टन मोटे अनाज जिसमें 9185 टन मक्का और 5399 टन ज्वार शामिल है, का आबंटन किया गया है तथा वर्ष 2012-13 के दौरान 16.000 टन खाद्यान्न जिसमें 10,000 टन मक्का और 6.000 टन ज्वार शामिल है, का आवंटन किया गया है।

*विवरण-V*

*न्यूनतम बफर मानदंडों की तुलना में केन्द्रीय मूल में स्टॉक की स्थिति*

(लाख टन में)

| निम्न तारीख को | गेहूं | | चावल | | जोड़ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | न्यूनतम बफर मानदंड | वास्तविक स्टॉक | न्यूनतम बफर मानदंड | वास्तविक स्टॉक | न्यूनतम बफर मानदंड | वास्तविक स्टॉक |
| 1.4.2010 | 70.00 | 161.25 | 142.00 | 267.13 | 212.00 | 428.38 |
| 1.7.2010 | 201.00 | 335.84 | 118.00 | 242.66 | 319.00 | 578.50 |
| 1.10.2010 | 140.00 | 277.77 | 72.00 | 184.44 | 212.00 | 462.21 |
| 1.1.2011 | 112.00 | 215.40 | 138.00 | 255.80 | 250.00 | 471.20 |
| 1.4.2011 | 70.00 | 153.64 | 142.00 | 288.20 | 212.00 | 441.84 |
| 1.7.2011 | 201.00 | 371.49 | 118.00 | 268.57 | 319.00 | 640.06 |
| 1.10.2011 | 140.00 | 314.26 | 72.00 | 203.59 | 212.00 | 517.85 |
| 1.1.2012 | 112.00 | 256.76 | 138.00 | 297.18 | 250.00 | 553.94 |
| 1.4.2012 | 70.00 | 199.52 | 142.00 | 333.50 | 212.00 | 533.02 |
| 1.7.2012 | 201.00 | 498.08 | 118.00 | 307.08 | 319.00 | 805.16 |
| 1.10.2012 | 140.00 | 431.52 | 72.00 | 233.73 | 212.00 | 665.25 |
| 1.1.2013 | 112.00 | 343.83 | 138.00 | 322.21 | 250.00 | 666.04 |
| 1.4.2013 | 70.00 | 242.07 | 142.00 | 354.68 | 212.00 | 596.75 |

बफर मानदण्डों में 1.7.2008 से 30 लाख टन गेहूं और 1.1.2009 से 20 लाख टन चावल का रणनीतिक रिजर्व शामिल है।

**अनुसूचित जाति सूची में जातियों को शामिल करना**

6619. **श्री भूपेंद्र सिंह:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रजक (धोबी) जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है;

(ख) क्या केंद्र सरकार को रजक (धोबी) को अनुसूचित जातियों में शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार, जनप्रतिनिधियों और अन्य से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिकिया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक):** (क) बिहार राज्य के संबंध में रजक (रजक (धोबी) नहीं) को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 14.7.2006 के अपने पत्र के जरिए, समस्त मध्य प्रदेश राज्य में रजक (धोबी) जाति को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश की थी। इस प्रस्ताव पर अनुमोदित तौर-तरीकों के अनुसार कार्रवाई की

गई थी। इस मामले में भारत के महापंजीयक (आर.जी.आई.) की टिप्पणियां इस मंत्रालय के दिनांक 8.3.2007 के पत्र के जरिए मध्य प्रदेश सरकार को उनकी तरफ से उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी गई है।

*[अनुवाद]*

**कपास उत्पादन**

6620. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**

**श्री गजानन ध. बाबर:**

**श्री धर्मेन्द्र यादव:**

**श्री मधु गौड यास्खी:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कॉटन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन का मिनी मिशन II जोकि एक केंद्र प्रायोजित योजना है को संपूर्ण देश में लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत कपास उत्पादकों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू सत्र के दौरान कपास उत्पादन के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार 13 मुख्य कपास उत्पादक राज्यों में वर्ष 2001-02 से कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-II का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न आदानों जैसे बीजों, कृषि उपकरणें, जल-बचत यंत्रों, बायो-एजेंटों/जैव-कीट-नाशकों, समेकित कीट प्रबंधन, प्रदर्शनों के माध्यम से फसल उत्पादन व संरक्षण प्रौद्योगिकियों के अंतरण, कृषक फील्ड स्कूलों (एफ.एफ.एस.) के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण, कृमिनाशी प्रबंधन (आई.आर.एम.), ऑन लाईन कीट निगरानी, फ्रंटलाईन प्रदर्शनों आदि; जिन्हें आई.सी.ए.आर. और एस.ए.यू. संस्थाओं तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, पर सहायता मुहैया कराई जाती है।

पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान स्कीम के तहत मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है:

| क्र.सं. | वर्ष | राशि (रु. लाख में) |
|---|---|---|
| 1. | 2010-11 | 1979.00 |
| 2. | 2011-12 | 1495.00 |
| 3. | 2012-13 | 1500.00 |

(घ) अब तक वर्तमान मौसम के दौरान कपास उत्पादन के लक्ष्य को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ङ) कपास उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-II के अंतर्गत सहायता प्रस्तुत की जा रही है।

*[हिन्दी]*

**आई.पी.एस. अधिकारियों की कमी**

6621. **श्री पूर्णमासी राम:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) अधिकारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इनकी वर्तमान संख्या कितनी है और आई.पी.एस. अधिकारियों की राज्य-वार पृथक-पृथक कितनी आवश्यकता है।;

(ग) क्या सरकार को आई.पी.एस. अधिकारियों में बड़े पैमाने में अंतर्विरोध के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है जिससे केंद्रीय और राज्य सुरक्षा/पुलिस बलों की प्रचालन क्षमता प्रभावित हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती परीक्षा आयोजित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) आई.पी.एस. अधिकारियों की राज्यवार विद्यमान संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) रिकार्डों के अनुसार, इस मंत्रालय में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार ने आई.पी.एस. की भर्ती का एक वैकल्पिक तरीका अर्थात सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (एन.सी.ई.) आरंभ की है। पहली एन.सी.ई.-2012 की लिखित परीक्षा मई, 2012 में यू.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित की गई थी और उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच के साथ-साथ साक्षात्कार अगस्त, 2012 में आयोजित किए गए हैं। तथापि, सी.ए.टी. गुवाहाटी ने एल.सी.ई. नियमों को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ इस मंत्रालय ने माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है और मामले की सुनवाई अंतिम चरण में है।

***विवरण***

*दिनांक 01.01.2013 की स्थिति के अनुसार आई.पी.एस. अधिकारियों की राज्य-वार संख्या*

| क्र.सं. | राज्य | स्वीकृत संख्या | पदस्थ | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01. | आन्ध्र प्रदेश | 258 | 209 | 49 |
| 02. | ए.जी.एम.यू.टी. | 295 | 207 | 88 |
| 03. | असम-मेघालय | 188 | 144 | 44 |
| 04. | बिहार | 231 | 181 | 50 |
| 05. | छत्तीसगढ़ | 103 | 71 | 32 |
| 06. | गुजरात | 195 | 159 | 36 |
| 07. | हरियाणा | 137 | 102 | 35 |
| 08. | हिमाचल प्रदेश | 89 | 68 | 21 |
| 09. | जम्मू और कश्मीर | 147 | 112 | 35 |
| 10. | झारखण्ड | 135 | 104 | 31 |
| 11. | कर्नाटक | 205 | 135 | 70 |
| 12. | केरल | 163 | 106 | 57 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 291 | 233 | 58 |
| 14. | महाराष्ट्र | 302 | 201 | 101 |
| 15. | मणिपुर-त्रिपुरा | 156 | 105 | 51 |
| 16. | नागालैण्ड | 70 | 35 | 35 |
| 17. | ओडिशा | 188 | 104 | 84 |
| 18. | पंजाब | 172 | 128 | 44 |
| 19. | राजस्थान | 205 | 161 | 44 |
| 20. | सिक्किम | 32 | 29 | 03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 21. | तमिलनाडु | 263 | 209 | 54 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 489 | 375 | 114 |
| 23. | उत्तराखण्ड | 69 | 59 | 10 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 347 | 253 | 94 |
| | 2012 बैच के आई.पी.एस. प्रोबेशनर | | 147 | |
| | | 4730 | 3637 | 1093 |

*[अनुवाद]*

**नक्सल प्रभावित राज्यों में सी.आर.पी.एफ. की तैनाती**

6622. **श्री आर. थामराईसेलवन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने नक्सल हिंसा से प्रभावित राज्यों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) को तैनात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन राज्यों में तैनात किए गए ऐसे बलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में अधिक सी.आर.पी.एफ. कार्मिकों की तैनाती की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) जी, हां। केंद्र सरकार ने नक्सल विरोधी कार्रवाई करने में राज्य पुलिस की सहायता करने के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) को तैनात किया है। सी.ए.पी.एफ. (सी.आर.पी.एफ. सहित) की तैनाती एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है और राज्य सरकारों द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं, बल की उपलब्धता और विशेष स्थान पर सुरक्षा की स्थिति पर आधारित होती है। सी.ए.पी.एफ. (सी.आर.पी.एफ. सहित) की तैनाती समय-समय पर बदलती रहती है। तथापि, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में इस समय सी.ए.पी.एफ. की कुल 532 कंपनियां तैनात की गयी हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा सहित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कुछ राज्यों ने सी.आर.पी.एफ. सहित सी.ए.पी.एफ. की अतिरिक्त बटालियनों की मांग की है। जैसाकि ऊपर बताया गया है, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में अतिरिक्त बटालियनों की तैनाती के संबंध में निर्णय राज्य सरकारों की आवश्यकता, बल की उपलब्धता और अन्य बुनियादी वास्तविकताओं के आधार पर लिया जाता है। हाल ही में, राज्य सरकारों के अनुरोध पर विचार करते हुए गृह मंत्रालय द्वारा झारखंड, ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ को सी.आर.पी.एफ. की 05 बटालियनों सहित सी.ए.पी.एफ. की 10 अतिरिक्त बटालियनें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

**गेहूं बोनस**

6623. **श्री आनंदराव अडसुल:**

**श्री गजानन ध. बाबर:**

**श्री मधु गौड यास्खी:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के तहत किसानों को गेहूं बोनस प्रदान करने के लिए विशेष पैकेज देने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या एम.एस.पी. के तहत किसानों को बोनस देने के लिए केंद्र सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बोनस योजना के तहत शामिल की जानी

वाली फसलों का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (ग) 1650 रुपये प्रति क्विंटन से 2200 रु. प्रति क्विंटल के बीच गेहूं के बोनस तथा उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए विभिन्न राज्यों से अभ्यावेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

सरकार, गेहूं सहित मुख्य कृषि जिन्सों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों, संबंधित राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों को ध्यान में रखती है।

2012-13 मौसम के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1350/- रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है जो 716/- रुपये प्रति क्विंटल तक कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमानित पारिवारिक श्रम सहित अखिल भारतीय औसत अदा की गई उत्पादन लागत के ऊपर पर्याप्त मुनाफा प्रदान करता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## कोयले का आयात

**6624. श्री पी. विश्वनाथन:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वर्ष 2012-13 के लिए कोयले का आयात करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो सी.आई.एल. द्वारा कितनी मात्रा का आयात किया जाना है और आयात की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या प्राधिकरण ने सी.आई.एल. को स्वतंत्र विद्युत उत्पादनकर्ताओं (आई.पी.पी.) को राजसहायता प्राप्त दर पर कोयला आपूर्ति करने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो सी.आई.एल. को होने वाला अनुमानित नुकसान कितना है और वे कारण और परिस्थितियां क्या हैं जिनके अंतर्गत सी.आई.एल. आयातित कोयले की लागत से कम मूल्य पर बेचेगी;

(ङ) क्या सी.आई.एल. के पास स्वतंत्र विद्युत उत्पादनकर्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाले घरेलू कोयले के मूल्य में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील):** (क) से (च) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) के साथ विचार-विमर्श से घरेलू कोयले के साथ आयातित कोयले के मूल्य की पूलिंग संबंधी रिपोर्ट तैयार की गई थी तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा उसे कोयला मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था। अन्य विकल्पों सहित रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

दिनांक 01.01.2000 से कोयला मूल्यों के नियंत्रण मुक्त होने के पश्चात, कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) समय-समय पर इसकी सहायक कंपनियों द्वारा उत्पादित कोयले के विभिन्न ग्रेडों के मूल्यों का निर्धारण कर रही है।

*[हिन्दी]*

## दूरदर्शन/आकाशवाणी परियोजनाओं के लक्ष्य और उपलब्धियां

**6625. श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत उच्च शक्ति, कम शक्ति और अति उच्च शक्ति के ट्रांसमीटरों की स्थानवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में नये स्थानों पर उच्च शक्ति के ट्रांसमीटरों की स्थापना की योजना को स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त ट्रांसमीटरों को कब तक स्थापित किए जाने/प्रचालित किए जाने की संभावना है;

(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा अन्य नेटवर्कों की विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में सरकार/प्रसार भारती द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने वित्तीय लक्ष्यों और प्रसार भारती द्वारा उक्त परियोजनाओं के संबंध में प्राप्त की गई भौतिक/वास्तविक उपलब्धियों की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान प्रगति की गति धीमी रहने के क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):**

(क) प्रसार भारती ने सूचित किया हे कि इस समय देशभर में 376 आकाशवाणी केंद्रों से विभिन्न क्षमताओं के 546 ए.एम./एफ.एम. ट्रांसमीटर कार्यशील हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, इस समय देश में 1415 ट्रांसमीटर {एच.पी.टी.-215, एल.पी.टी.-811, वी.एल.पी.टी.-389} कार्य कर रहे हैं। राज्य-वार अवस्थिति-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। 11वीं योजना स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित देश में 22 उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों की स्थापना की जा रही है जिन्हें वर्ष 2013-14 से 2014-15 में इन स्कीमों के अंतर्गत परिकल्पित प्रचालन एवं रखरखाव (ओ. ऐंड एम.) स्टॉफ की उपलब्धता के आधार पर कार्यशील बनाए जाने की संभावना है। ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, 11वीं योजना के दौरान 100 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली रेडियो और टीवी कवरेज के सुदृढ़ीकरण संबंधी स्कीम अनुमोदित की गई थी। इस स्कीम में, अन्य बातों के साथ-साथ, नाथ टॉप, ग्रीन रिज, हिमबोटिंगला एवं राजौरी (डी.डी. एवं डी.डी. न्यूज) में पांच उच्च शक्ति टीवी ट्रांसमीटरों की स्थापना की परियोजनाएं शामिल हैं। इन ट्रांसमीटरों के लिए स्थलों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। मौजूदा संकेतों के अनुसार, उपर्युक्त ट्रांसमीटरों को चरणबद्ध रूप में वर्ष 2014 तक स्थापित किए जाने की संभावना है।

(घ) से (च) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष प्रत्येक के दौरान आकाशवाणी (ए.आई.आर.) और दूरदर्शन की विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में प्रसार भारती (पी.बी.) द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-IV एवं विवरण-V में दिया गया है।

वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे समय-समय पर किया जा रहा है। कमी के मुख्य कारण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त स्थल मुहैया कराने में होने वाले विलंब, स्थानीय समस्याओं के कारण कुछेक स्थलों पर भवन/टावरों के निर्माण कार्य में विलंब, उपस्कर की मांग एवं आपूर्ति में विलंब, स्कीमों के अनुमोदन तथा स्थलों के अधिग्रहण में प्रक्रियात्मक विलंब से संबंधित है।

*विवरण-I*

*वर्तमान आकाशवाणी केंद्रों की सूची मी.वेव/एफ.एम./शार्ट वेव प्रेषित्रों सहित*

| क्र.सं. | केन्द्र | राज्य | प्रेषित्र प्रकार/क्षमता | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | मी.विव./(ए.एम.) | एफ.एम. | शार्ट वेव/(ए.एम.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | अदिलाबाद | आन्ध्र प्रदेश | 1 कि.वा.* | | |
| 2. | अनंतपुर | आन्ध्र प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 3. | अडोनी | आन्ध्र प्रदेश | | 100 वाट | |
| 4. | बांसवाड़ा | आन्ध्र प्रदेश | | 100 वाट | |
| 5. | काकीनाडा | आन्ध्र प्रदेश | | 100 वाट | |
| 6. | करीमनगर | आन्ध्र प्रदेश | | 5 कि.वा. | |
| 7. | कामारेडी | आन्ध्र प्रदेश | | 100 वाट | |
| 8. | कुडप्पा | आन्ध्र प्रदेश | 100 कि.वा. | | |
| 9. | हैदराबाद | आन्ध्र प्रदेश | 200 कि.वा. | 10 कि.वा. | 50 कि.वा. |
| | | | 20 कि.वा. | 10 कि.वा. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | कोठागुडम् | आन्ध्र प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 11. | कुरनूल | आन्ध्र प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 12. | मचरेला | आन्ध्र प्रदेश | | 3 कि.वा. | |
| 13. | महबूबनगर | आन्ध्र प्रदेश | | 10 कि.वा. | |
| 14. | मरकापरम् | आन्ध्र प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 15. | नांडयाल | आन्ध्र प्रदेश | | 100 वाट | |
| 16. | नेलीर | आन्ध्र प्रदेश | | 100 वाट | |
| 17. | निजामाबाद | आन्ध्र प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 18. | ओनगोले | आन्ध्र प्रदेश | | 100 वाट | |
| 19. | श्रीकाकुलम | आन्ध्र प्रदेश | | 1 कि.वा. | |
| 20. | सूर्यापेट | आन्ध्र प्रदेश | | 1 कि.वा. | |
| 21. | तिरूपती | आन्ध्र प्रदेश | | 10 कि.वा.<br>3 कि.वा. | |
| 22. | विजयवाड़ा | आन्ध्र प्रदेश | 100 कि.वा.<br>1 कि.वा.* | 10 कि.वा.<br>1 कि.वा. | |
| 23. | विशाखापटनम् | आन्ध्र प्रदेश | 100 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 24. | वारंगल | आन्ध्र प्रदेश | | 10 कि.वा. | |
| 25. | एलौग | अरूणाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 26. | बासर | अरूणाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 27. | बोमडिला | अरूणाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 28. | डिओनाली | अरूणाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 29. | गेकू | अरूणाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 30. | हवाई | अरूणाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 31. | हुनली | अरूणाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 32. | ईटानगर | अरूणाचल प्रदेश | 100 कि.वा. | 10 कि.वा. | 50 कि.वा. |
| 33. | कलकटैंग | अरूणाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 34. | मेओ | अरूणाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 35. | नामसाई | अरूणाचल प्रदेश | | 100 वाट | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36. | पासीघाट | अरूणाचल प्रदेश | 10 कि.वा. | 100 वाट | |
| 37. | रोंइग | अरूणाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 38. | सीपा | अरूणाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 39. | तालिहा | अरूणाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 40. | तवांग | अरूणाचल प्रदेश | 10 कि.वा. | 100 वाट | |
| 41. | तेजू | अरूणाचल प्रदेश | 10 कि.वा. | 100 वाट | |
| 42. | योमचा | अरूणाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 43. | जिमीथांग | अरूणाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 44. | जीरो | अरूणाचल प्रदेश | 1 कि.वा. | 100 वाट | |
| 45. | धुबरी | अरूणाचल प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 46. | डिब्रूगढ़ | असम | 300 कि.वा. | 1 कि.वा.<br>100 वाट | |
| 47. | दिफू | असम | 1 कि.वा. | | |
| 48. | गुवाहाटी | असम | 100 कि.वा.<br>10 कि.वा. | 10 कि.वा.<br>100 वाट | 50 कि.वा.<br>50 कि.वा. |
| 49. | हाफलांग | असम | | 6 कि.वा. | |
| 50. | जोरहट | असम | | 10 कि.वा. | |
| 51. | कोकराझार | असम | 20 कि.वा. | 100 वाट | |
| 52. | मारघेरेता | असम | | 100 वाट | |
| 53. | नजीरा | असम | | 100 वाट | |
| 54. | नार्थ लखीमपुर | असम | | 100 वाट | |
| 55. | नोगांग | असम | | 6 कि.वा. | |
| 56. | सिलचर | असम | 20 कि.वा. | 100 वाट | |
| 57. | तेजपुर | असम | 20 कि.वा. | 1 कि.वा. | |
| 58. | तिनसुकिया | असम | | 100 वाट | |
| 59. | औरंगाबाद | बिहार | | 100 वाट | |
| 60. | भागलपुर | बिहार | 20 कि.वा. | | |
| 61. | दरभंगा | बिहार | 20 कि.वा. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. | गया | बिहार | | 100 वाट | |
| 63. | किशनगंज | बिहार | | 100 वाट | |
| 64. | पटना | बिहार | 100 कि.वा. | 6 कि.वा.<br>10 कि.वा. | |
| 65. | पुर्णिया | बिहार | | 6 कि.वा. | |
| 66. | सासाराम | बिहार | | 6 कि.वा. | |
| 67. | सीतामढ़ी | बिहार | | 100 वाट | |
| 68. | अम्बिकापुर | छत्तीसगढ़ | 20 कि.वा. | | |
| 69. | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ | | 6 कि.वा. | |
| 70. | जगदलपुर | छत्तीसगढ़ | 100 कि.वा. | 100 वाट | |
| 71. | मानेन्द्रगढ़ | छत्तीसगढ़ | | 100 वाट | |
| 72. | रायगढ़ | छत्तीसगढ़ | | 6 कि.वा. | |
| 73. | रायपुर | छत्तीसगढ़ | 100 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 74. | सरायपल्ली | छत्तीसगढ़ | | 1 कि.वा. | |
| 75. | कोंटा | छत्तीसगढ़ | | 100 वाट | |
| 76. | दिल्ली | दिल्ली | 200 कि.वा. 'ए'<br>100 कि.वा. 'बी'<br>20 कि.वा. 'सी'<br>10 कि.वा. 'डी'<br>20 कि.वा. एन.सी. | 20 कि.वा.<br>10 कि.वा. | 100 कि.वा. (2)<br>250 कि.वा. (7) |
| 77. | पणजी | गोवा | 100 कि.वा.<br>20 कि.वा. | 6 कि.वा. | 250 कि.वा.<br>250 कि.वा. |
| 78. | अहमदाबाद | गुजरात | 200 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 79. | अहवा | गुजरात | 1 कि.वा. | 100 वाट | |
| 80. | भरूच | गुजरात | | 100 वाट | |
| 81. | भावनगर | गुजरात | | 100 वाट | |
| 82. | भुज | गुजरात | 20 कि.वा. | | |
| 83. | द्वारिका | गुजरात | | 100 वाट | |
| 84. | गोधरा | गुजरात | | 6 कि.वा. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85. | हिम्मतनगर | गुजरात | 1 कि.वा. | | |
| 86. | जामनगर | गुजरात | | 100 वाट | |
| 87. | मेहसाना | गुजरात | | 100 वाट | |
| 88. | पोरबंदर | गुजरात | | 100 वाट | |
| 89. | राजकोट | गुजरात | 300 कि.वा.<br>1000 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 90. | सूरत | गुजरात | | 10 कि.वा. | |
| 91. | वड़ोदरा | गुजरात | | 10 कि.वा. | |
| 92. | अंबाला | हरियाणा | | 100 वाट | |
| 93. | हिसार | हरियाणा | | 6 कि.वा. | |
| 94. | कुरूक्षेत्र | हरियाणा | | 10 कि.वा. | |
| 95. | रोहतक | हरियाणा | 20 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 96. | सिरसा | हरियाणा | | 100 वाट | |
| 97. | बारमौर | हिमाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 98. | वरथेन | हिमाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 99. | बिलासपुर | हिमाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 100. | चम्बा | हिमाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 101. | धर्मशाला | हिमाचल प्रदेश | | 10 कि.वा. | |
| 102. | हमीरपुर | हिमाचल प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 103. | कसौली | हिमाचल प्रदेश | | 10 कि.वा. | |
| 104. | केलौंग | हिमाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 105. | किनौर (कल्पा) | हिमाचल प्रदेश | 1 कि.वा. | | |
| 106. | कुल्लू | हिमाचल प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 107. | मंडी | हिमाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 108. | मनाली | हिमाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 109. | रामपुर | हिमाचल प्रदेश | | 100 वाट | |
| 110. | शिमला | हिमाचल प्रदेश | 100 कि.वा. | 10 कि.वा. | 50 कि.वा. |
| 111. | सुंदरनगर | हिमाचल प्रदेश | | 100 वाट | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112. | भदरवा | जम्मू और कश्मीर | | 6 कि.वा. | |
| 113. | बिमबरगली | जम्मू और कश्मीर | | 100 वाट | |
| 114. | डिसकिट | जम्मू और कश्मीर | 1 कि.वा. | | |
| 115. | द्रास | जम्मू और कश्मीर | 1 कि.वा. | 100 वाट | |
| 116. | गुरेज | जम्मू और कश्मीर | | 100 वाट | |
| 117. | जम्मू | जम्मू और कश्मीर | 300 कि.वा. | 3 कि.वा.<br>10 कि.वा. | 50 कि.वा. |
| 118. | कारगिल | जम्मू और कश्मीर | 1 कि.वा.<br>200 कि.वा. | 100 वाट | |
| 119. | कठुआ | जम्मू और कश्मीर | | 10 कि.वा. | |
| 120. | खलसी | जम्मू और कश्मीर | 1 कि.वा. | | |
| 121. | कुपवाड़ा | जम्मू और कश्मीर | 20 कि.वा. | | |
| 122. | लेह | जम्मू और कश्मीर | 20 कि.वा. | 100 वाट | 10 कि.वा. |
| 123. | मंगलादेवी फोर्ट | जम्मू और कश्मीर | | 100 वाट | |
| 124. | नौशेरा | जम्मू और कश्मीर | 20 कि.वा. | | |
| 125. | न्योमा | जम्मू और कश्मीर | 1 कि.वा. | | |
| 126. | पदम् | जम्मू और कश्मीर | 1 कि.वा. | 100 वाट | |
| 127. | पहलगाम | जम्मू और कश्मीर | | 100 वाट | |
| 128. | पुंछ | जम्मू और कश्मीर | | 6 कि.वा. | |
| 129. | राजौरी | जम्मू और कश्मीर | | 10 कि.वा. | |
| 130. | श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर | 300 कि.वा.<br>10 कि.वा. | 10 कि.वा.<br>10 कि.वा. | 50 कि.वा. |
| 131. | त्रिसुरू | जम्मू और कश्मीर | 1 कि.वा. | 100 वाट | |
| 132. | टिठवाल | जम्मू और कश्मीर | | 100 वाट | |
| 133. | तराल | जम्मू और कश्मीर | | 100 वाट | |
| 134. | उधमपुर | जम्मू और कश्मीर | | 100 वाट | |
| 135. | उरी | जम्मू और कश्मीर | | 100 वाट | |
| 136. | चाईबासा | झारखंड | | 6 कि.वा. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137. | डालटनगंज | झारखंड | | 10 कि.वा. | |
| 138. | धनबाद | झारखंड | | 100 वाट | |
| 139. | हजारीबाग | झारखंड | | 6 कि.वा. | |
| 140. | जमशेदपुर | झारखंड | 10 कि.वा.* | 6 कि.वा. | |
| 141. | रांची | झारखंड | 100 कि.वा. | 6 कि.वा.<br>10 कि.वा. | 50 कि.वा. |
| 142. | बंगलौर | कर्नाटक | 200 कि.वा. | 10 कि.वा.<br>10 कि.वा.<br>1 कि.वा. | 500 कि.वा. (6) |
| 143. | बेल्लारी | कर्नाटक | | 10कि.वा. | |
| 144. | भदरावती | कर्नाटक | 20 कि.वा. | | |
| 145. | बीजापुर | कर्नाटक | | 6 कि.वा. | |
| 146. | चित्रदुर्ग | कर्नाटक | | 6 कि.वा. | |
| 147. | देवेनगीरि | कर्नाटक | | 100 वाट | |
| 148. | धारवाड़ | कर्नाटक | 200 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 149. | गुलबर्गा | कर्नाटक | 20 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 150. | हसन | कर्नाटक | | 6 कि.वा. | |
| 151. | होसदुर्ग | कर्नाटक | | 100 वाट | |
| 152. | होसपेट | कर्नाटक | | 10 कि.वा. | |
| 153. | करवार | कर्नाटक | | 3 कि.वा. | |
| 154. | कुमाटा | कर्नाटक | | 100 वाट | |
| 155. | मेडिकेरी (मरकारा) | कर्नाटक | | 6 कि.वा. | |
| 156. | मंगलोर/उदीपी | कर्नाटक | 20 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 157. | मैसूर | कर्नाटक | | 10 कि.वा. | |
| 158. | रायचूर | कर्नाटक | | 6 कि.वा. | |
| 159. | सागर | कर्नाटक | | 100 वाट | |
| 160. | श्रीनगेरी | कर्नाटक | | 100 वाट | |
| 161. | तुमकुर | कर्नाटक | | 100 वाट | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 162. | अलापुझां (एलेपी) | केरल | 200 कि.वा. | | |
| 163. | इडुकी (देविकुलम) | केरल | | 6 कि.वा.<br>100 वाट | |
| 164. | कन्नूर | केरल | | 6 कि.वा. | |
| 165. | कालपेटा | केरल | | 100 वाट | |
| 166. | कासरगोड़ | केरल | | 100 वाट | |
| 167. | कोचीन | केरल | | 10 कि.वा.<br>10 कि.वा. | |
| 168. | कोजीकोड़ (कालीकट) | केरल | 100 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 169. | मंजेरी | केरल | | 3 कि.वा. | |
| 170. | पुनालूर | केरल | | 100 वाट | |
| 171. | विचूर | केरल | 100 कि.वा. | | |
| 172. | त्रिवन्थपुरम् | केरल | 20 कि.वा. | 10 कि.वा. | 50 कि.वा. |
| 173. | बालाघाट | मध्य प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 174. | बेतुल | मध्य प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 175. | भोपाल | मध्य प्रदेश | 10 कि.वा. | 6 कि.वा. | 50 कि.वा. |
| 176. | चंदेरी | मध्य प्रदेश | | 100 वाट | |
| 177. | छत्तरपुर | मध्य प्रदेश | 20 कि.वा. | | |
| 178. | छिंदवाड़ा | मध्य प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 179. | गुना | मध्य प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 180. | ग्वालियर | मध्य प्रदेश | 20 कि.वा. | | |
| 181. | हरदा | मध्य प्रदेश | | 100 वाट | |
| 182. | इंदौर | मध्य प्रदेश | 200 कि.वा. | 6 कि.वा. | |
| 183. | जबलपुर | मध्य प्रदेश | 200 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 184. | खंडवा | मध्य प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 185. | मंडला | मध्य प्रदेश | | 1 कि.वा. | |
| 186. | मंदसौर | मध्य प्रदेश | | 100 वाट | |
| 187. | नीमच | मध्य प्रदेश | | 100 वाट | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 188. | पंचमढ़ी | मध्य प्रदेश | | 100 वाट | |
| 189. | राजगढ़ | मध्य प्रदेश | | 3 कि.वा. | |
| 190. | रीवा | मध्य प्रदेश | 20 कि.वा. | | |
| 191. | सागर | मध्य प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 192. | शहडोल | मध्य प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 193. | शिवपुरी | मध्य प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 194. | सतना | मध्य प्रदेश | | 100 वाट | |
| 195. | उज्जैन | मध्य प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 196. | अहमदनगर | महाराष्ट्र | | 6 कि.वा. | |
| 197. | अकोला | महाराष्ट्र | | 6 कि.वा. | |
| 198. | औरंगाबाद | महाराष्ट्र | | 10 कि.वा. | |
| 199. | बीड | महाराष्ट्र | | 6 कि.वा. | |
| 200. | ब्रहमपुरी | महाराष्ट्र | | 100 वाट | |
| 201. | बुलडाना | महाराष्ट्र | | 100 वाट | |
| 202. | चंद्रपुर | महाराष्ट्र | | 6 कि.वा. | |
| 203. | धूले | महाराष्ट्र | | 6 कि.वा. | |
| 204. | गढ़ाचिरौली | महाराष्ट्र | | 100 वाट | |
| 205. | गोंडिया | महाराष्ट्र | | 100 वाट | |
| 206. | जलगांव | महाराष्ट्र | 20 कि.वा. | | |
| 207. | जलाना | महाराष्ट्र | | 100 वाट | |
| 208. | कोल्हापुर | महाराष्ट्र | | 6 कि.वा. | |
| 209. | मुम्बई | महाराष्ट्र | 100 कि.वा. 'ए'<br>100 कि.वा. 'बी'<br>50 कि.वा. | 10 कि.वा.<br>10 कि.वा. | 100 कि.वा.<br>50 कि.वा. |
| 210. | मालेगांव | महाराष्ट्र | | 100 वाट | |
| 211. | नागपुर | महाराष्ट्र | 300 कि.वा.<br>1000 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 212. | नांडेड | महाराष्ट्र | | 6 कि.वा. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 213. | नासिक | महाराष्ट्र | | 6 कि.वा. | |
| 214. | ओरस | महाराष्ट्र | | 5 कि.वा. | |
| 215. | ओसमानाबाद | महाराष्ट्र | | 6 कि.वा. | |
| 216. | परभणी | महाराष्ट्र | 20 कि.वा. | | |
| 217. | पुणे | महाराष्ट्र | 100 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 218. | रत्नागिरी | महाराष्ट्र | 20 कि.वा. | | |
| 219. | सांगली | महाराष्ट्र | 20 कि.वा. | | |
| 220. | सतारा | महाराष्ट्र | | 6 कि.वा. | |
| 221. | शोल्हापुर | महाराष्ट्र | | 10 कि.वा. | |
| 222. | वरधा | महाराष्ट्र | | 100 वाट | |
| 223. | यावतमल | महाराष्ट्र | | 6 कि.वा. | |
| 224. | चंडेल | मणिपुर | | 100 वाट | |
| 225. | चुराचांदपुर | मणिपुर | | 6 कि.वा. | |
| 226. | इम्फाल | मणिपुर | 300 कि.वा. | 10 कि.वा. | 50 कि.वा. |
| 227. | कांगपोकपी | मणिपुर | | 100 वाट | |
| 228. | मोरेह | मणिपुर | | 100 वाट | |
| 229. | परबंग | मणिपुर | | 100 वाट | |
| 230. | सेनापती | मणिपुर | | 100 वाट | |
| 231. | चेरापुंजी | मेघालय | | 100 वाट | |
| 232. | जोवाई | मेघालय | | 6 कि.वा. | |
| 233. | नांगस्टोन | मेघालय | 1 कि.वा. | | |
| 234. | शिलांग | मेघालय | 100 कि.वा. | 10 कि.वा.<br>100 वाट | 50 कि.वा. |
| 235. | तुरा | मेघालय | 20 कि.वा. | | |
| 236. | विलियमनगर | मेघालय | 1 कि.वा. | | |
| 237. | आइजोल | मिज़ोरम | 20 कि.वा. | 6 कि.वा. | 10 कि.वा. |
| 238. | लाइसावाई | मिज़ोरम | | 100 वाट | |
| 239. | लौंगतिलाई | मिज़ोरम | | 100 वाट | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240. | लुंगलेह | मिज़ोरम | | 6 कि.वा. | |
| 241. | रंगदिल | मिज़ोरम | | 100 वाट | |
| 242. | सइहा | मिज़ोरम | 1 कि.वा. | 100 वाट | |
| 243. | दीमापुर | नागालैंड | | 100 वाट | |
| 244. | कोहिमा | नागालैंड | 100 कि.वा. | 1 कि.वा. (अंतरिम सेट अप) | 50 कि.वा. |
| 245. | मोकाकुचंग | नागालैंड | | 6 कि.वा. | |
| 246. | मोन | नागालैंड | 1 कि.वा. | | |
| 247. | समतोर | नागालैंड | | 100 वाट | |
| 248. | त्यनुसैंग | नागालैंड | 1 कि.वा. | | |
| 249. | अनगुल | ओडिशा | | 100 वाट | |
| 250. | बलीगुरहा | ओडिशा | | 100 वाट | |
| 251. | बारीपदा | ओडिशा | | 5 कि.वा. | |
| 252. | बरहामपुर | ओडिशा | | 6 कि.वा. | |
| 253. | भवानीपटना | ओडिशा | 200 कि.वा. | | |
| 254. | बोलांगीर | ओडिशा | | 6 कि.वा. | |
| 255. | कटक | ओडिशा | 300 कि.वा.<br>1 कि.वा.* | 6 कि.वा. | |
| 256. | देवगढ़ | ओडिशा | | 100 वाट | |
| 257. | जैपोर | ओडिशा | 100 कि.वा. | | 50 कि.वा. |
| 258. | जोरांडा | ओडिशा | 1 कि.वा. | | |
| 259. | क्योंझार | ओडिशा | 1 कि.वा.* | | |
| 260. | नौपारा | ओडिशा | | 100 वाट | |
| 261. | पारादीप | ओडिशा | | 100 वाट | |
| 262. | पारलखेमुंडी | ओडिशा | | 100 वाट | |
| 263. | पुरी | ओडिशा | | 3 कि.वा. | |
| 264. | रायगाडा | ओडिशा | | 100 वाट | |
| 265. | राउरकेला | ओडिशा | | 6 कि.वा. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 266. | सम्बलपुर | ओडिशा | 100 कि.वा. | | |
| 267. | सोरो | ओडिशा | 1 कि.वा. | | |
| 268. | सुंदरगढ़ | ओडिशा | | 100 वाट | |
| 269. | भटिंडा | पंजाब | | 6 कि.वा. | |
| 270. | फिरोजपुर | पंजाब | | 100 वाट | |
| 271. | जांलधर | पंजाब | 300 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 272. | गुरदासपुर | पंजाब | 200 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 273. | पटियाला | पंजाब | | 6 कि.वा. | |
| 274. | अजमेर | राजस्थान | 200 कि.वा. | | |
| 275. | अलवर | राजस्थान | | 10 कि.वा. | |
| 276. | अनुपगढ़ | राजस्थान | | 100 वाट | |
| 277. | बांसवाड़ा | राजस्थान | | 10 कि.वा. | |
| 278. | बाड़मेर | राजस्थान | 20 कि.वा. | | |
| 279. | बीकानेर | राजस्थान | 20 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 280. | भरतपुर | राजस्थान | | 100 वाट | |
| 281. | चित्तौड़गढ़ | राजस्थान | | 10 कि.वा. | |
| 282. | चुरू | राजस्थान | | 6 कि.वा. | |
| 283. | जयपुर | राजस्थान | 1 कि.वा.* | 6 कि.वा. | 50 कि.वा. |
| 284. | जैसलमेर | राजस्थान | | 10 कि.वा. | |
| 285. | झालावाड़ | राजस्थान | | 6 कि.वा. | |
| 286. | झुनझुनु | राजस्थान | | 100 वाट | |
| 287. | जोधपुर | राजस्थान | 300 कि.वा. | 6 कि.वा. | |
| 288. | करौली | राजस्थान | | 100 वाट | |
| 289. | कोटा | राजस्थान | 20 कि.वा. | | |
| 290. | मांउट आबू | राजस्थान | | 6 कि.वा. | |
| 291. | नागौर | राजस्थान | | 6 कि.वा. | |
| 292. | नाथद्वारा | राजस्थान | | 100 वाट | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 293. | सवाई माधोपुर | राजस्थान | | 6 कि.वा. | |
| 294. | सूरतगढ़ | राजस्थान | 300 कि.वा. | | |
| 295. | उदयपुर | राजस्थान | 20 कि.वा. | 1 कि.वा.<br>(अंतरिम सेट अप) | |
| 296. | गंगटोक | सिक्किम | 20 कि.वा. | 100 वाट<br>10 कि.वा. | 10 कि.वा. |
| 297. | नामची | सिक्किम | | 100 वाट | |
| 298. | रोंगली | सिक्किम | | 100 वाट | |
| 299. | रोंगपो | सिक्किम | | 100 वाट | |
| 300. | तासीडिंग | सिक्किम | | 100 वाट | |
| 301. | येंगयेंग | सिक्किम | | 100 वाट | |
| 302. | जोरेथैंग | सिक्किम | | 100 वाट | |
| 303. | चेन्नई | तमिलनाडु | 200 कि.वा. 'ए'<br>20 कि.वा. 'बी'<br>20 कि.वा. | 20 कि.वा.<br>20 कि.वा. | 50 कि.वा.<br>100 कि.वा. |
| 304. | कोयम्बटूर | तमिलनाडु | 20 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 305. | धर्मापुरी | तमिलनाडु | | 10 कि.वा. | |
| 306. | कोडाईकनाल | तमिलनाडु | | 10 कि.वा. | |
| 307. | मदुरई | तमिलनाडु | 20 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 308. | नागरकोइल | तमिलनाडु | | 10 कि.वा. | |
| 309. | ओटाकामुंड | तमिलनाडु | 1 कि.वा. | 100 वाट | |
| 310. | रामेश्वरम | तमिलनाडु | | 100 वाट | |
| 311. | सलेम (यारकुड) | तमिलनाडु | | 100 वाट | |
| 312. | तिरूचिरापल्ली | तमिलनाडु | 100 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 313. | तिरूनलवेली | तमिलनाडु | 20 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 314. | थनजावार | तमिलनाडु | | 100 वाट | |
| 315. | थिरूपतूर | तमिलनाडु | | 100 वाट | |
| 316. | तूतीकोरीन | तमिलनाडु | 200 कि.वा. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 317. | वैलोर | तमिलनाडु | | 100 वाट | |
| 318. | अगरतला | त्रिपुरा | 20 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 319. | अमरपुर | त्रिपुरा | | 100 वाट | |
| 320. | बेलोनिया | त्रिपुरा | | 6 कि.वा. | |
| 321. | कैलाशहर | त्रिपुरा | | 6 कि.वा. | |
| 322. | खोवाई | त्रिपुरा | | 100 वाट | |
| 323. | सबरूम | त्रिपुरा | | 100 वाट | |
| 324. | तेलीमूरा | त्रिपुरा | | 100 वाट | |
| 325. | चंडीगढ़ | संघ राज्य क्षेत्र | | 6 कि.वा.<br>10 कि.वा. | |
| 326. | दमन | संघ राज्य क्षेत्र | | 3 कि.वा. | |
| 327. | कराईकल | संघ राज्य दीव क्षेत्र (पुदुचेरी) | | | 6 कि.वा. |
| 328. | पांडिचेरी | संघ राज्य क्षेत्र (पुदुचेरी) | 20 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 329. | सिलवासा | संघ राज्य क्षेत्र (दादरा और नगर हवेली) | | 100 वाट | |
| 330. | कावारती | संघ राज्य क्षेत्र (लक्षद्वीप) | 1 कि.वा. | 100 वाट | |
| 331. | पोर्टब्लेयर | संघ राज्य क्षेत्र (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) | 100 कि.वा. | 10 कि.वा. | 10 कि.वा. |
| 332. | आगरा | उत्तर प्रदेश | 20 कि.वा. | | |
| 333. | अलीगढ़ | उत्तर प्रदेश | | 6 कि.वा. | 250 कि.वा. (4) |
| 334. | इलाहाबाद | उत्तर प्रदेश | 20 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 335. | बहराइच | उत्तर प्रदेश | | 100 वाट | |
| 336. | बरेली | उत्तर प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 337. | बलरामपुर | उत्तर प्रदेश | | 100 वाट | |
| 338. | फैजाबाद | उत्तर प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 339. | गोरखपुर | उत्तर प्रदेश | 100 कि.वा. | 10 कि.वा. | 50 कि.वा. |
| 340. | हरदोई | उत्तर प्रदेश | | 100 वाट | |
| 341. | झांसी | उत्तर प्रदेश | | 6 कि.वा. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 342. | कानपुर | उत्तर प्रदेश | | 10 कि.वा.<br>1 कि.वा. | |
| 343. | लखीमपुरखीरी | उत्तर प्रदेश | | 10 कि.वा. | |
| 344. | लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 300 कि.वा. | 10 कि.वा.<br>10 कि.वा. | 50 कि.वा. |
| 345. | महोबा | उत्तर प्रदेश | | 100 वाट | |
| 346. | मथुरा | उत्तर प्रदेश | 1 कि.वा. | 100 वाट | |
| 347. | नजीबाबाद | उत्तर प्रदेश | 200 कि.वा. | | |
| 348. | ओवरा | उत्तर प्रदेश | | 6 कि.वा. | |
| 349. | उरई | उत्तर प्रदेश | | 100 वाट | |
| 350. | पीलीभीत | उत्तर प्रदेश | | 100 वाट | |
| 351. | रामपुर | उत्तर प्रदेश | 20 कि.वा. | 1 कि.वा. | |
| 352. | वाराणसी | उत्तर प्रदेश | 100 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| 353. | अल्मोड़ा | उत्तराखंड | 1 कि.वा. | | |
| 354. | वचेर | उत्तराखंड | | 100 वाट | |
| 355. | भटवारी | उत्तराखंड | | 100 वाट | |
| 356. | गोपेश्वर (चमोली) | उत्तराखंड | 1 कि.वा. | 100 वाट | |
| 357. | खेतीखान | उत्तराखंड | | 100 वाट | |
| 358. | कालागढ़ | उत्तराखंड | | 100 वाट | |
| 359. | काशीपुर | उत्तराखंड | | 100 वाट | |
| 360. | मसूरी | उत्तराखंड | | 10 कि.वा. | |
| 361. | नैनीताल | उत्तराखंड | | 100 वाट | |
| 362. | प्रतापनगर | उत्तराखंड | | 100 वाट | |
| 363. | पौड़ी | उत्तराखंड | 1 कि.वा.<br>100 वाट | | |
| 364. | पिथौरागढ़ | उत्तराखंड | 1 कि.वा.<br>100 वाट | | |
| 365. | राजगड़ी | उत्तराखंड | | 100 वाट | |
| 366. | तनकनपुर | उत्तराखंड | | 100 वाट | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 367. | उखीमठ | उत्तराखंड | | 100 वाट | |
| 368. | उत्तरकाशी | उत्तराखंड | 1 कि.वा. | | |
| 369. | आसनसोल | पश्चिम बंगाल | | 6 कि.वा. | |
| 370. | बेलूरघाट | पश्चिम बंगाल | | 100 वाट | |
| 371. | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | | 100 वाट | |
| 372. | कोलकाता | पश्चिम बंगाल | 200 कि.वा. 'ए'<br>100 कि.वा. 'बी'<br>20 कि.वा.<br>1000 कि.वा. | 20 कि.वा.<br>10 कि.वा. | 50 कि.वा. |
| 373. | करसियांग | पश्चिम बंगाल | 1 कि.वा.* | 5 कि.वा. | 50 कि.वा. |
| 374. | मुर्शीदाबाद | पश्चिम बंगाल | | 6 कि.वा. | |
| 375. | शांतिनिकेतन | पश्चिम बंगाल | | 3 कि.वा. | |
| 376. | सिलीगुड़ी | पश्चिम बंगाल | 200 कि.वा. | 10 कि.वा. | |
| | कुल | 548 ट्रांसमिटर | 143<br>(मी. वेव) | 355<br>(एफ.एम.) | 48<br>(शार्ट वेव) |

*एफ.एम. प्रेपित्र से बदले जा रहे हैं।

*विवरण-II*

*राज्यवार दूरदर्शन केन्द्र*

**दूरदर्शन केन्द्र**

| राज्य | नियमित | आर.जी.जी.एल.वी. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **आन्ध्र प्रदेश** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (14)** | | |
| अनंतपुर | तिरुपति | विजयवाड़ा (डी.डी. न्यूज) |
| हैदराबाद | विजयवाड़ | विशखापट्टनम (डी.डी. न्यूज) |
| कुरनूल | विशाखापट्टनम | राजमुंदरी (डी.डी. न्यूज) |
| नांदयाल | वारंगल | महबूब नगर (अंतरिम सेट अप) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| राजमुंदरी | हैदराबाद (डी.डी. न्यूज) | |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (80)** | | |
| आचम्पेट | कारीमनगर | पुंगानूर |
| अदिलाबाद | कावली | राजमपेट |
| अदोनी | खम्मम | राजगडंम |
| अलगड्डा | कोल्हापुर | सिद्दीपेट |
| अमलापुरम | कोस्गी | सिरपुर |
| बांसवाड़ा | काटागुडम | श्रीकाकुलम |
| बेलमपल्ली | कुप्पन | सिरीसिल्ला |
| भद्राचलम | एल.आर पल्ली | तालकोंडापल्ली |
| भैंसा | मचेरला | ताम्बलापल्ली |
| भीमाडोलू | मछलीपट्टनम | तंडूर |
| भीमावरम | मदनापल्ली | तेक्काली |
| बोबिली | मदुगुला | तिरूपति |
| चितूर | मंडास्सा | तुनी |
| कुडप्पा | मरकापुर | उदयगिरि |
| दारसी | मेडक | वेलडांडा |
| देवरकोंडा | | वेमलवाड़ा |
| इमिगानुर | मिरियालगुड़ा | विनुकौंडा |
| गड़वाल | नगर करनूल | विशाखापट्नम |
| गिड्डालूर | नालगोंडा | वनपार्थी |
| गुंटकल | नारायणपेट | येल्लांडु |
| हिन्दूपुर | नेल्लूर | जाहिराबाद |
| जदचेरला | निर्मल | आत्माकुर (डी.डी. न्यूज) |
| जग्तियाल | निजामाबाद | काकीनाडा (डी.डी. न्यूज) |
| कादिरी | ओंगोल | नरसारावपेट (डी.डी. न्यूज) |
| काकीनाडा | पेडापल्ली | नेल्लूर (डी.डी. न्यूज) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| कामरेड्डी | प्रोड्डुतूर | पेडनंदीपड्डु (डी.डी. न्यूज) |
| कंडुकुर | पुलामनेर | विशाखापट्टनम (डी.डी. न्यूज) |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (10)** | | |
| चिंतापल्ली | माडिपार्डु | पार्वतीपुरम |
| दतालूर | माडिपाडु | सीतामपेट्टा |
| इच्छापूरम | पडेरू | श्रीसेलम |
| काणिगिरि | | |
| **ट्रांसपोजर (1)** | | |
| विजयवाड़ा | | |
| अरूणाचल प्रदेश | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)** | | |
| ईटानगर | | |
| ईटानगर (डी.डी. न्यूज) | | |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)** | | |
| मियाओ | तेजु | |
| पासीघाट | | |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (39)** | | |
| अलांग | हायुलियांग | रूपा |
| बडीरीजो | हुंली | सागली |
| बसर | इंकियांग | संग्राम |
| बोलेंग | कलाकतांग | सेईजोसा |
| बोमडिला | खिमयांग | सेप्पा |
| चांगलांग | खोंसा | तलिहा |
| च्यांगताजो | मरियांग | तवांग |
| दपोरिजो | मेचुका | तिरबीन |
| दारक | मुक्तो | टुटिंग |
| देवमाली | नाम्पोंग | योमचा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| दिरांग | नामसाई | जीरो |
| गेकु | पालीन | |
| गेंसी | रागा | |
| हवाई | रोइंग | |
| **ट्रांसपोजर (1)** | | |
| सांखी व्यू | | |
| **असम** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (6)** | | |
| डिब्रुगढ़ | सिलचर | गुवाहाटी (डी.डी. न्यूज) |
| गुवाहाटी | कोकराझार | सिलचर (डी.डी. न्यूज) |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (21)** | | |
| बोकाखाट | हेफ्लांग | नजीरा |
| बोंगाईगांव | हटसिंहमारी | नार्थ लखीमपुर |
| धुबरी | होजई | सतरासल |
| दीफु | जोरहट | सोनारी |
| गोलपाड़ा | लमडिंग | तेजपुर |
| गोहपुर | मारगेरिटा | तिनसुखिया |
| गोलाघाट | नागांव | डिब्रुगढ़ (डी.डी. न्यूज) |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)** | | |
| डिग्बोई | | |
| **ट्रांसपोजर (1)** | | |
| गुवाहाटी | | |
| **बिहार** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (6)** | | |
| कटिहार | पटना | पटना (डी.डी. न्यूज) |
| मुजफ्फरपुर | सहरसा | मुजफ्फरपुर (डी.डी. न्यूज) |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (34)** | | |
| औरंगाबाद | जमुई | रक्सोल |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| बांका | खगड़िया | रोसेरा |
| बेगुसराय | किशनगंज | सासाराम |
| बेतिया | लखीसराय | शेखपुरा |
| भभुआ | मधेपुरा | सिकंदरा |
| भागलपुर | मधुबनी | सिमरी बख्तियारपुर |
| बक्सर | मोतिहारी | सीतामढ़ी |
| दरभंगा | मुंगेर | सिवान |
| दाऊदनगर | नवादा | सुपोल |
| फॉरबिसगंज | फूलपारस | गया (डी.डी. न्यूज) |
| गया | रामनगर | दरभंगा (डी.डी. न्यूज) |
| गोपालगंज | | |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)** | | |
| मसरख | मारहौरा | |
| **छत्तीसगढ़** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (5)** | | |
| जगदलपुर | अम्बिकापुर | रायपुर (डी.डी. न्यूज) |
| रायपुर | बिलासपुर | |
| **अल्प शक्ति ट्रासंमीटर (15)** | | |
| बेलडिला | कोंटा | पांडरिया |
| चम्पा | कोरबा | पेंडरा रोड |
| डूंगरगढ़ | कुरसिया | रायगढ़ |
| कांकेर | मनिंदरगढ़ | राजहारा झांरडिल्ली |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (8)** | | |
| बीजापुर | कोंडागांव | पाथलगांव |
| देवभोग | कोयलीबेडा | सांरगगढ़ |
| जसपुर नगर | पाखंजोर | |
| **गोवा** | | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)** | | |
| पणजी | पणजी (डी.डी. न्यूज) | |
| **गुजरात** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (11)** | | |
| अहमदाबाद | राधनपुर | सूरत (डी.डी. न्यूज) |
| भुज | सूरत | राजकोट (डी.डी. न्यूज) |
| द्वारका | वडोदार | वडोदरा (डी.डी. न्यूज) |
| राजकोट | अहमदाबाद (डी.डी. न्यूज) | |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (54)** | | |
| आहवा | गोधरा | पलीताना |
| अम्बाजी | इदेर | पुरांदरा (मोबाइल) |
| आमोद | जामजोधपुर | पोरबंदर |
| अमरेली | जामनगर | राजपिपला |
| बांतवा | झगडिया | रापड़ |
| भरूच | जूनागढ़ | राजुला |
| भावनगर | केवडिया कालोनी | सांजेली |
| बोटाड | खम्बत | शामलाजी |
| छोटा उदयपुर | खंबालिया | सोनगढ़ |
| डेडियापाडा | लिम्बडी | सुरेन्द्र नगर |
| दीसा | लुनावाड़ा | थारड़ |
| देवगढ़ बेरिया | महुवा | उमरगांव |
| धंधुखा | मांगरोल (जूनागढ) | ऊना |
| धारंगाधरा | मांगरोल (सूरत) | वलसाड |
| धर्मपुर | मेहसाणा | विरावल |
| धारी | मोदासा | भावनगर (डी.डी. न्यूज) |
| धोराजी | मोरवी | जामनगर (डी.डी. न्यूज) |
| दोहाद | पालनपुर | गांधीनगर (डी.डी. न्यूज) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)** | | |
| काकरापर | नेतरांग | सागवाडा |
| **हरियाणा** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)** | | |
| भिवानी | महम | भिवानी (डी.डी. न्यूज) |
| चरखी दादरी | नारनौल | करनाल (डी.डी. न्यूज) |
| फतेहाबाद | रिवाड़ी | कुरूक्षेत्र (डी.डी. न्यूज) |
| फिरोजपुर झिरका | रोहतक | मंडी डबवाली (डी.डी. न्यूज) |
| जींद | सिरसा | नारनौल (डी.डी. न्यूज) |
| कैथल | टोहाना | यमुनानगर (डी.डी. न्यूज) |
| महेन्द्रगढ़ | अम्बाला (डी.डी. न्यूज) | |
| **हिमाचल प्रदेश** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (5)** | | |
| धर्मशाला | शिमला | कसौली (डी.डी. न्यूज) |
| कसौली | शिमला (डी.डी. न्यूज) | |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (8)** | | |
| बिलासपुर | मंडी | सुजानपुर |
| कुल्लू | रामपुर | मंडी (डी.डी. न्यूज) |
| मनाली | सुदंरनगर | |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (39)** | | |
| आझु फोर्ट | दियार | पालमपुर |
| आवाहदेवी | हमीरपुर | परवाणु |
| आशापुरी | होली | पिरभायनू |
| बैजनाथ | जहालमा | रोहरू |
| बांदला | जतिनगिरि (फूलाधार) | ससरकाघाट |
| बंजार | जोगिन्द्र नगर | शिवबदर |
| भरमौर | काजा | थानेदार |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| भारती | कल्पा | तीसा |
| बिजली महादेव | कारसोग | उदयपुर |
| चम्बा | केलोंग | ऊना |
| चौपाल | खारा पत्थर | वीर |
| चौरीखास | कोटखाई | |
| चिरगांव | नेहरी | |
| डलहौजी | निचार | |
| **ट्रांसपोजर** (2) | | |
| डाल्टनगंज | जमशेदपुर (डी.डी. न्यूज) | रांची (डी.डी. न्यूज) |
| रांची | जमशेदपुर(डी.डी. न्यूज) | |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर** (19) | | |
| बरहरवा | घाटशिला | नोआमुंडी |
| बोकारो | गोड्डा | सरायकेला |
| चाईबासा | गुमला | छतरा |
| देवघर | हजारीबाग | बोकारो (डी.डी. न्यूज) |
| धनबाद | कोडरमा | धनबाद (डी.डी. न्यूज) |
| दुमका | लोहारदगा | |
| गिरिडीह | मुशाबनी | |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर** (3) | | |
| सिमडेगा | रामगढ़ हिल | गढ़वा (डी.डी. न्यूज) |
| **जम्मू और कश्मीर** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर** (13) | | |
| जम्मू | सांभा | श्रीनगर (डी.डी. कशीर) |
| कठुआ | गुरेज | गुरेज (डी.डी. न्यूज) |
| लेह | टिथवाल | टिथवाल (डी.डी. कशीर) |
| पुंछ | जम्मू (डी.डी. न्यूज) | कुपवाड़ा (डी.डी. कशीर) |
| श्रीनगर | नौशैरा (डी.डी. न्यूज) | पुंछ (डी.डी. कशीर) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| कुपवाडा | सांभा (डी.डी. न्यूज) | |
| नौशेरा | श्रीनगर (डी.डी. न्यूज) | |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (87)** | | |
| अबरान | बारामुला | बिलावर |
| अर्धकुंवारी | बेसकेंप (सियाचिन) | भदर्वा |
| अरनास | बास्गो | बोध खुरबू |
| अश्मुकान | बसोली | बोनियार |
| बनिहाल | बटालिक | बुडहाल |
| बानी | बटोट | चकरोई |
| चाननी | कुद | रामबन |
| चुसुल | लोलाब वेल्ली | रामकोट |
| चुमाथांग | लाती | रामनगर |
| दाह | लोरान | रिंगडोम गोम्पा |
| दसकित | माचिल | शक्ति |
| धार | महोर | सनासर |
| डोडा | मंडी | सांकू |
| डोमचुक | मनीगम | सोनमर्ग |
| द्रास | मंजाकोट | सोपियां |
| फातुला | मंसुर | सुध महादेव |
| गुजरों नगरोटा | मेंढर | तंग्त्से |
| हांले | मोहरा | तंगमार्ग |
| हीरानगर | मुलबेख | तातापानी |
| ईचर | नगरोटा | थानामंडी |
| जज्झर कोटली | नीमू | ठाठरी |
| कालाकोट | न्येमा | टिलेल |
| कंगन | नौगाम | तिमसोगाम |
| कारगिल | पदम | तराल |
| खालसी | पहलगाम | तुरतुक |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| खरयु | पणिक्केर | उडी |
| किश्तवाड | पोनी | यूसमर्ग |
| कोटरंका | पुलवामा | जंगला |
| **ट्रांसपोजर** (1) | | |
| सुरनकोट | | |
| कर्नाटक | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर** (12) | | |
| बंगलुरू | मेंगलूर | बंगलुरू (डी.डी. न्यूज) |
| धारवाड | हासन | गुलबर्गा (डी.डी. न्यूज) |
| शिमोगा | रायचूर | मैसूर (डी.डी. न्यूज) |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर** (49) | | |
| अरसीकेरे | बीदर | गोकक |
| अथानी | बीजापुर | हरफनहल्ली |
| बगलकोट | चिकमगलूर | हतीहाल |
| बंतवाल | चित्रदुर्ग | हिरीपुर |
| बसावा कल्याण | चिकोडी | होलनरसीपुर |
| बेलगाम | हंडेली | होसदुर्ग |
| बेल्लारी | दावणगेरे | होसपेट |
| बेलथांगडी | गडग बेतगारी | हुंगोंड |
| भटकल | गंगावटी | इंडी |
| करवार | मुडारगी | सिरसी |
| कोलार गोल्ड फील्ड | पावगडा | तालीकोटा |
| कोप्पा | पूटटूर | तिपतूर |
| कुमता | रामदुर्ग | तुम्कूर |
| मेडीकेरी | रानीबेन्नूर | उडिपी |
| मुधोल | सागर | बेल्लारी (डी.डी. न्यूज) |
| मुदीगेरे | सिंधनूर | दावणगेरे (डी.डी. न्यूज) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| संदूर | | |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (7)** | | |
| बडामी | मधुगिरी | श्रृंगेरी |
| हुविन हिपारगी | सकलेशपुर | सुलया |
| कुडलिगी | | |
| केरल | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (7)** | | |
| कोझिकोड | कन्नूर (अंतरिम) | कोच्चि (डी.डी. न्यूज) |
| कोच्चि | कोझिकोड (डी.डी. न्यूज) | तिरूवनंतपुरम (डी.डी. न्यूज) |
| तिरूवनंतपुरम | | |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (22)** | | |
| अडूर | कायमकुलम | शोरनूर |
| अट्टापड्डी | कोट्टरकारा | तेल्लीचेरी |
| चंगनचेरी | मल्लापुरम | तोडुपुझा |
| चेंगनूर | मंजेरी | त्रिशूर |
| इडुकी | पाला | कन्नूर (डी.डी. न्यूज) |
| कलपेटटा | पालघाट | त्रिशूर (डी.डी. न्यूज) |
| कान्हनगढ़ | पत्तनमतिट्टा | |
| कासरगोड़ | पुन्नालूर | |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (4)** | | |
| देवीकोलम | इरतुपेटटा | |
| कांजीरापल्ली | मुण्डाकायम | |
| **मध्य प्रदेश** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (12)** | | |
| भोपाल | शाहडोल | भोपाल (डी.डी. न्यूज) |
| ग्वालियर | गुना | इंदौर (डी.डी. न्यूज) |
| इंदौर | सागर | जबलपुर (डी.डी. न्यूज) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| जबलपुर | छतरपुर | ग्वालियर (डी.डी. न्यूज) |
| इंदौर | सागर | जबलपुर (डी.डी. न्यूज) |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (60)** | | |
| अगर | जाओरा | नीमच |
| अशोकनगर | झाबुआ | पन्ना |
| बडा मलहेरा | करैरा | पंचमढ़ी |
| बडवानी | केलारस | पिपरिया |
| बालाघाट | खंडवा | राधोगढ़ |
| बरेली | खुरई | रतलाम |
| बेतुल | खुरई | रतलाम |
| भंडेर | कुकदेश्वर | रीवा |
| भानपुरा | कुक्शी | सतना |
| भिंड | कुरवाई | शिवनी |
| बिजयपुर | लहर | शाजापुर |
| बुरहानपुर | लखनादोन | शिवपुर |
| चंदेरी | मैहर | शिवपुरी |
| छिंदवाडा | मलंजखंड | सीधी |
| दमोह | मांडला | सिंधवा |
| दतिया | मंदसौर | सिंगरौली |
| गरोट | मुलतई | सीतामऊ |
| गदरवारा | मुरवारा | शिरोंज |
| हरदा | नागदा | टीकमगढ़ |
| इटारसी | नरसिंहपुर | उज्जैन |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (6)** | | |
| अम्बाजोई | पुणे | पुणे (डी.डी. न्यूज) |
| औरंगाबाद | रत्नागिरि | औरंगाबाद (डी.डी. न्यूज) |
| चंद्रपुर | जलगांव | अंबाजोगई (डी.डी. न्यूज) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| मुबई | मुंबई (डी.डी. न्यूज) | मुंबई (डिजीटल) |
| नागपुर | नागपुर (डी.डी. न्यूज) | |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर** (88) | | |
| अचलपुर | अर्वी | चिखली |
| अकोट | बदलापुर | चिपलुन |
| अहेरी | बारशी | दरियापुर |
| अहमदनगर | भामरागढ़ | देवरूख |
| अकलकोट | बीड | धडगांव |
| अकलुज | ब्रह्मपुरी | धर्माबाद |
| अकोला | बुल्ढाणा | धुले |
| अमलनेर | चंदुर | दिगलुर |
| अमरावती | नांदेड | गढ़चिरोली |
| गोंडिया | नंदरबार | शिरपुर |
| हिंगनघाट | नासिक | शोलापुर |
| हिंगोली | नवापुर | सिरोंचा |
| इंचलकरांजी | उस्मानाबाद | तुमसर |
| जालना | पंढ्रकावडा | उमेरगा |
| कांकोली | पंढ्रकावडा | उमेरगा |
| कराड़ | परभनी | वानी |
| करांजा | पाटना (सतारा) | वर्धा |
| खामगांव | फाल्टन | वाशिम |
| खानापुर | पुलगांव | यवतमाल |
| खोपाली | पुसाद | अकोला (डी.डी. न्यूज) |
| किनवत | राजापुर | अमरावती (डी.डी. न्यूज) |
| कोल्हापुर | रावेर | भंडारा (डी.डी. न्यूज) |
| माहाड | रिसोड | धुले (डी.डी. न्यूज) |
| मालेगांव | संगमनेर | कोल्हापुर (डी.डी. न्यूज) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| मंगल वेढ़ा | सांगली | मालेगांव (डी.डी. न्यूज) |
| मनगांव | सतना | नांदेड (डी.डी. न्यूज) |
| मनमाड | सतारा | नासिक (डी.डी. न्यूज) |
| मेहेकर | शहाड | सांगली (डी.डी. न्यूज) |
| म्हासले | शिर्डी | शोलापुर (डी.डी. न्यूज) |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (20)** | | |
| अम्बेट | कंरजा (वर्धा) | पिम्पलनेर-साकरी |
| अर्जुनी | करजत | सकोली |
| अष्टी | खेड | सिंदेवाही |
| भोकर | कोरेगांव | तिवसा |
| चिकलधारा | करखेडा | वंसतगढ़ |
| चिमुर | मलकापुर | वाई |
| जुन्नार | मलवान | |
| **मणिपुर** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)** | | |
| इम्फाल | चुडाचांदपुर | इम्फाल (डी.डी. न्यूज) |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)** | | |
| ऊखरूल | | |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (4)** | | |
| चन्देल | मोर | |
| कंगपोकपी | सेंनापति | |
| **मेघालय** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (4)** | | |
| शिलांग | तुरा (डी.डी. न्यूज) | |
| तुरा | शिलांग (डी.डी. न्यूज) | |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)** | | |
| जोवई | विलियमनगर | चेरापूंजी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर** (2) | | |
| बाघमारा | नोंगस्टाइन | |
| **ट्रांसपोजर** (1) | | |
| शिलांग | | |
| **मिजोरम** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर** (3) | | |
| आइजोल | लुंगलेई | आइजोल (डी.डी. न्यूज) |
| **नागालैण्ड** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर** (3) | | |
| कोहिमा | मोकोकचुंग | कोहिम (डी.डी. न्यूज) |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर** (3) | | |
| दीमापुर | तुएंनसांग | मोकोकचुंग (डी.डी. न्यूज) |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर** (6) | | |
| मोन | सताखा | वोखा |
| फेक | शामतोर | जुन्हेबोटो |
| **ट्रांसपोजर** (2) | | |
| कोहिमा | बडा बस्ती | |
| **ओडिशा** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर** (7) | | |
| बालेश्वर | संबलपुर | कटक (डी.डी. न्यूज) |
| भवानीपटना | बरहामपुर | संबलपुर (डी.डी. न्यूज) |
| कटक | | |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर** (69) | | |
| आनंदपुर | जोडा | पुरी |
| अंगुल | कबिसूर्यनगर | रायंरगपुर |
| अथामलिक | कामाख्या नगर | राजराणापुर |
| बहाल्डा | कंरजिया | राजगंगापुर |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| बालंगीर | क्योझारगढ़ | रायगढ़ |
| बालीगुढ़ा | खांडपाड़ा | रेढाखोल |
| बानापुर | खरियार | राऊरकेला |
| बारगढ़ | कोरापुट | सिमलीगुड़ा |
| बारीपाड़ा | कोटपाड | सोनपुर |
| भद्रक | कुचिंदा | सोहेला |
| भांजनगर | लुथेरंपक | सुन्दरगढ़ |
| भुवन | मलकानगिरि | तल्चेर |
| बीरमित्रपुर | मोहना | तुशारा |
| बोनाई | नरसिंहपुर | उमरकोट |
| बोध | नवरंगपुर | बालश्वर (डी.डी. न्यूज) |
| ब्रजराजनगर | नौवापाड़ा | बलियापाल (डी.डी. न्यूज) |
| चिकति | पदमपुर | भुवनेश्वर (डी.डी. न्यूज) |
| दशरथपुर | पदमपुरम | धेनकनाल (डी.डी. न्यूज) |
| देवगढ़ | पहुआ | दुधारकोट (डी.डी. न्यूज) |
| धेनकनाल | पल्लाहारा | केन्द्रपाड़ा (डी.डी. न्यूज) |
| दुर्गापुर | पारादीप | तिरटोल (डी.डी. न्यूज) |
| जी उदयगिरी | परलाखेमुंडी | |
| गोंडिया | पाटनगढ़ | |
| जेपोर | फूलबनी | |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (18)** | | |
| ओल | कोकसारा | सबडेगा |
| बड़ा बारब | लांजीगढ़ | सिमलिपालगढ़ |
| जयापटना | नागची | थाऊमल रामपुर |
| कलामपुर | नयागढ़ | राऊरकेला (डी.डी. न्यूज) |
| काशीपुर | पैकमल | ललितगिरी (डी.डी. न्यूज) |
| **ट्रांसपोजर (1)** | | |
| सुनबेडा | | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **पंजाब** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर** (7) | | |
| अमृतसर | फाजिल्का | अमृतसर (डी.डी. न्यूज) (अंतरिम) |
| भटिंडा | जालंधर (डी.डी. न्यूज) | भटिंडा (डी.डी. न्यूज) |
| जालंधर | | |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर** (5) | | |
| फिरोजपुर | पठानकोट | अबोहर (डी.डी. न्यूज) |
| गुरदासपुर | पटियाला | |
| **ट्रांसपोजर** (1) | | |
| तलवाड़ा | | |
| राजस्थान | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर** (11) | | |
| बाड़मेर | जोधपुर | बूंदी (डी.डी. न्यूज) |
| बूंदी | अजमेर | जयपुर (डी.डी. न्यूज) |
| जयपुर | बीकानेर | जोधपुर (डी.डी. न्यूज) |
| जैसलमेर | अजमेर (डी.डी. न्यूज) | |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर** (69) | | |
| अलवर | झालावाड़ | रायसिंह नगर |
| अनूपगढ़ | झंझुनू | राजगढ (चूरू) |
| बाली | कर्णपुर | रतनगढ़ |
| बासवाडा | कारौली | रावतसर |
| बारन | केसरियाजी | सागवाड़ा |
| बड़ी सदरी | खाजुवाला | सालुमबेर |
| बाडमेर | खेतड़ी | सरदारशहर |
| बसावा | किशनगढ़ वास (अलवर) | सवाई माधोपुर |
| भादरा | कोटपुतली | शाहपुरा |
| भरतपुर | कुशालगढ़ | सीकर |
| भीलवाड़ा | मकराना | सिरोही |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| भींमल | माऊंट आबू | सोजात |
| चिड़ावा | नगर | श्रीडूंगरगढ़ |
| चितौड़गढ़ | नागौर | सुजानगढ़ |
| चुरु | नाथद्वारा | सूरतगढ़ |
| डीग | नवलगढ़ | तारानगर |
| डुंगरपुर | नोहर | टोंक |
| गंगानगर | नोखा | उदयपुर |
| हनुमानगढ़ | फलोदी | अलवर (डी.डी. न्यूज) |
| हिंडोन | पिलोनी | बांसी (डी.डी. न्यूज) |
| जैसलमेर | पिरावा | बीकानेर (डी.डी. न्यूज) |
| जालौर | प्रतापगढ़ | उदयपुर (डी.डी. न्यूज) |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (17)** | | |
| आमेट | गंगापुर (भीलवाड़ा) | राजगढ़ (अलवर) |
| आंधी | कोटरा | रावतभाटा |
| भीम | कुंभलगढ़ | सिकराई |
| चौमहला | लक्ष्मणगढ़ | टिबी |
| फतेहपुर | नीम का थाना | |
| **ट्रांसपोजर (2)** | | |
| जमुआ रामगढ | लालसोत | |
| **सिक्किम** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)** | | |
| गंगटोक | गंगटोक (डी.डी. न्यूज) | |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (6)** | | |
| ग्लालशिंग | नामची | सिंगटाम |
| मांगन | रंगपो | जोरथांग |
| **तमिलनाडु** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10)** | | |
| चेन्नै | धर्मपुरी | कोडैकनाल (डी.डी. न्यूज) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| कोडैकनाल | तिरूनेलवेली | चेन्नै (पोढिगै चैनल) |
| रामेश्वरम | चेन्नै (डी.डी. न्यूज) | चेन्नै (डिजिटल) |
| कुंभकोणम | | |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (53)** | | |
| अरनी | नागपट्टिनम | तिरूवनामलै |
| अम्बासमुद्रम | नागरकोइल | तूतिकोरिन |
| अम्बर | नाट्टम | उदगमंडलम |
| आरकोट | नेवेली | उदुमलपेट |
| अतूर | पलनी | वंदावासी |
| चेय्यर | पट्टुकोट्टै | वनियमबाडी |
| चिदम्बरम | पेरामपेट | वेल्लौर |
| कोयम्बतूर | पोलाची | विल्लुपुरम |
| कुन्नूर | पुदुकोट्टै | कोयम्बटूर (डी.डी. न्यूज) |
| कोर्टलाभ | राजपालयम | इरोड (डी.डी. न्यूज) |
| कड़डालूर | सेलम | मदूरै (डी.डी. न्यूज) |
| धेनकनिकोट्टा | शंकरन कोविल | सेलम (डी.डी. न्यूज) |
| इरोड | तंजावुर | तिरूचिरापल्ली (डी.डी. न्यूज) |
| गुडियाटम | तिरूवयारू | तिरूचिरापल्ली (डी.डी. न्यूज) |
| कालाकुरचि | तिंडिवनम | तिरूपट्टूर (डी.डी. न्यूज) |
| कृष्णागिरी | तिरूचेंदूर | तूतिकोरिन (डी.डी. न्यूज) |
| मारतंडम | तिरूचिरापल्ली | वेल्लौर (डी.डी. न्यूज) |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (7)** | | |
| जिंजी | तिरूवनामलै | वालपरै |
| कांचीपुरम | | |
| मेट्टुपालयम | | |
| **ट्रांसपोजर (1)** | | |
| डिंडिगुल | | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **त्रिपुरा** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)** | | |
| अगरतला | अगरतला (डी.डी. न्यूज) | |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (6)** | | |
| अंबासा | अमरपुर | जोलेबारी |
| कैलाशहर | तेलियामुरा | कैलाशहर (डी.डी. न्यूज) |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)** | | |
| धर्मनगर | | |
| **ट्रांसपोजर (1)** | | |
| बेल्लोनिया | | |
| **उत्तर प्रदेश** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (18)** | | |
| आगरा | मऊ | इलाहाबाद (डी.डी. न्यूज) |
| बरेली | बांदा | गोरखपुर (डी.डी. न्यूज) |
| गोरखपुर | लखीमपुर | कानपुर (डी.डी. न्यूज) |
| कानपुर | फैजाबाद | लखनऊ (डी.डी. न्यूज) |
| लखनऊ | आगरा (डी.डी. न्यूज) | वाराणसी (डी.डी. न्यूज) |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (62)** | | |
| अकबरपुर | जगदीशपुर | रायबरेली |
| अलीगढ़ | झांसी | रामपुर |
| अमरोहा | कर्वी | रथ |
| अथडमा | कासगंज | रूदौली |
| औरेया | कोसी | संभल |
| बहराइच | लालगंज (राय बरेली) | शाहजहांपुर |
| बलिया | ललितपुर | सिकन्दरपुर |
| बलरामपुर | महोबा | सुल्तानपुर |
| बस्ती | महरोनी | तालबेहात |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| बिधुना | मैनपुरी | थिरवा |
| छिबरामऊ | मथुरा | अलीगढ़ (डी.डी. न्यूज) |
| देवरिया | मऊ रानीपुर | आजमगढ़ (डी.डी. न्यूज) |
| दुधीनगर | मुहम्मदाबाद | झांसी (डी.डी. न्यूज) |
| एटा | मुरादाबाद | लालगंज (डी.डी. न्यूज) |
| इटावा | ननपाड़ा | मऊ (डी.डी. न्यूज) |
| फर्रूखाबाद | नरौरा | मुरादाबाद (डी.डी. न्यूज) |
| गंज डुंडवारा | ओबरा | रासरा (डी.डी. न्यूज) |
| गौरीगंज़ | ओरई | शाहजहांपुर (डी.डी. न्यूज) |
| गोंडा | पीलीभीत | सुल्तानपुर (डी.डी. न्यूज) |
| हरदोई | पूरनपुर | |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (4)** | | |
| खूबिया नांगल | मनकापुर | |
| माणिकपुर | ठाकुरद्वारा (डी.डी. न्यूज) | |
| **उत्तराखंड** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)** | | |
| मसूरी | मसूरी (डी.डी. न्यूज) | |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (17)** | | |
| बछेर | काशीपुर | पौड़ी |
| चम्पावत | खेतीखान | पिथौरागढ़ |
| डाक पत्थर | कोटद्वार | टनकपुर |
| हल्द्वानी | नैनी डांडा | हरिद्वार (डी.डी. न्यूज) |
| हरिद्वार | नैनीताल | खेतीखान (डी.डी. न्यूज) |
| कालागढ | नई टिहरी | |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (33)** | | |
| अल्मोड़ा | दुगड्डा | मुनसियारी |
| अरौली (बनौली) | फाटा | नंदप्रयाग |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| बद्रीनाथ | गज्जा | नौगांवखल |
| बागेश्वर | घंडयाल | ऊखीमठ |
| बसोत | गोपेश्वर | पोखरी |
| भटियारी | जोशीमठ | प्रतापनगर |
| चौखटिया | कलजीखल | राजगढ़ी |
| देवप्रयाग | कर्णप्रयाग | रानीखेत |
| देवाल | कौसानी | रूद्रप्रयाग |
| धारचूला | मानेश्वर | थराली |
| डीडीहाट | मनीला | उत्तरकाशी |
| **ट्रांसपोजर (2)** | | |
| मसूरी | श्रीनगर | |
| **पश्चिम बंगाल** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (14)** | | |
| आसनसोल | शांतिनिकेतन | आसनसोल (डी.डी. न्यूज) |
| कोलकाता | बालूरघाट | कोलकाता (डी.डी. न्यूज) |
| कृष्णानगर | खड़गपुर | कोलकाता (बांगला चैनल) |
| कर्सियांग | कर्सियांग (डी.डी. न्यूज) | कोलकाता (डिजिटल) |
| मुर्शिदाबाद | मुर्शिदाबाद (डी.डी. न्यूज) | |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (21)** | | |
| अलीपुरद्वार | दार्जिलिंग | माल्दा |
| बाधमंडी | फरक्का | मेदिनीपुर |
| बलरामपुर | गढ़बेटा | पुरूलिया |
| बर्धमान | झाल्दा | रानाघाट |
| विष्णुपुर | झाडग्राम | रायना |
| कोंतई | कालिंपोंग | शांतिनिकेतन (डी.डी. न्यूज) |
| कुचबिहार | कालना | बसंती (डी.डी. न्यूज) |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)** | | |
| इगरा | | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)** | | |
| पोर्ट ब्लेयर | पोर्ट ब्लेयर (डी.डी. न्यूज) | |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)** | | |
| कार निकोबार | कार निकोबार (डी.डी. न्यूज) | |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (24)** | | |
| बारातांग | कालीघाट | स्वराजग्राम |
| कैम्पबेल बे | काचल | ट्रेसा |
| चोवड़ा | लॉग आईलैंड | कैम्पबेल बे (डी.डी. न्यूज) |
| डिग्लीपुर | मायाबंदर | डिगलीपुर (डी.डी. न्यूज) |
| हरीनगर | नानकॉवरी | हटबे (डी.डी. न्यूज) |
| हैवलॉक | नील आईलैंड | मायाबंदर (डी.डी. न्यूज) |
| हटबे | राम कृष्णापुरम | नानकॉवरी (डी.डी. न्यूज) |
| कदमतला | रंगत | रंगत (डी.डी. न्यूज) |
| **चंडीगढ़** | | |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)** | | |
| चंडीगढ़ | | |
| दादरा और नगर हवेली | | |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)** | | |
| सिलवास | | |
| **दमन और दीव** | | |
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)** | | |
| दमन | दीव | |
| **दिल्ली** | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)** | | |
| दिल्ली | दिल्ली (डिजीटल) | दिल्ली (डी.डी. न्यूज) |
| **लक्षद्वीप** | | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)** | | |
| कावारती | | |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (15)** | | |
| मिनीकॉय | कदमत | कावारती (डी.डी. न्यूज) |
| अगाति | कल्पेनी | मिनीकॉय (डी.डी. न्यूज) |
| अमीनी | किल्टन | आंड्रोट (डी.डी. न्यूज) |
| चेतलत | अमीनी (डी.डी. न्यूज) | कल्पेनी (डी.डी. न्यूज) |
| पुदुचेरी | | |
| **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1)** | | |
| कराइकल | पुदच्चेरी (डी.डी. न्यूज) | |
| **अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)** | | |
| माहे | यनम | |

***विवरण-III***

*स्थानों की सूची, जहां जहां उच्च क्षमता ट्रांसमीटर की स्थापना नए स्थानों पर की जा रही है*

| क्र.सं. | राज्य/यू.टी. | स्थान | एफ.एम./मी.वेव. प्रेषित्र की क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | आदिलाबाद | 10 कि.वा. एफ.एम. |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | पासीघाट | 10 कि.वा. एफ.एम. |
| 3. | गुजरात | जूनागढ़ | 10 कि.वा. एफ.एम. |
| 4. | जम्मू और कश्मीर | ग्रीन रीज | 10 कि.वा. एफ.एम. |
| 5. | जम्मू और कश्मीर | हिमबोटिंग्ला | 10 कि.वा. एफ.एम. |
| 6. | जम्मू और कश्मीर | नाथाटोप | 10 कि.वा. एफ.एम. |
| 7. | झारखंड | धनबाद | 10 कि.वा. एफ.एम. |
| 8. | महराष्ट्र | अमरावती | 10 कि.वा. एफ.एम. |
| 9. | ओडिशा | क्योंझार | 10 कि.वा. एफ.एम. |
| 10. | पंजाब | अमृतसर | 20 कि.वा. एफ.एम. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11. | पंजाब | फाजिल्का | 20 कि.वा. एफ.एम. |
| 12. | राजस्थान | चौटन हिल | 20 कि.वा. एफ.एम. |
| 13. | त्रिपुरा | लौंगथराई | 5 कि.वा. एफ.एम. |
| 14. | उत्तर प्रदेश | बांदा | 10 कि.वा. एफ.एम. |
| 15. | उत्तर प्रदेश | मउनाथभंजन | 10 कि.वा. एफ.एम. |
| 16. | उत्तर प्रदेश | राइबरेली | 20 कि.वा. एफ.एम. |
| 17. | उत्तराखंड | बागेश्वर | 5 कि.वा. एफ.एम. |
| 18. | उत्तराखंड | देहरादून | 10 कि.वा. एफ.एम. |
| 19. | उत्तराखंड | हल्दवानी | 10 कि.वा. एफ.एम. |
| 20. | पश्चिम बंगाल | बलूरघाट | 10 कि.वा. एफ.एम. |
| 21. | पश्चिम बंगाल | वर्द्धमान | 10 कि.वा. एफ.एम. |
| 22. | पश्चिम बंगाल | कूचबिहार | 10 कि.वा. एफ.एम. |

### *विवरण-IV*

*वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान आकाशवाणी की मुख्य. परियोजनाओं के वास्तिवक लक्ष्य/ उपलब्धियां*

| स्कीम/परियोजनाएं | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | | 2013-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (अ) जारी स्कीमें | | | | | | | | |
| **1. जम्मू और कश्मीर विशेष पैकेज-II** | | | | | | | | - |
| 62.5 के.वी.ए डी.जी. सेट की खरीद | - | - | - | - | - | - | | - |
| 15 के.वी.ए डी.जी. सेट की खरीद | - | - | - | - | - | - | | - |
| यू.पी.एस. की खरीद | - | - | - | - | - | - | | - |
| 500 के.वी.ए. डी.जी. सेट की खरीद | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1000 के.वी.ए. डी.जी. सेट की खरीद | - | - | - | - | - | - | | - |
| **2. मीडियम वेव सेवाओं का विस्तार** | - | - | - | - | - | - | | - |
| सिविल निर्माण कार्य पूरा किया गया | - | - | - | - | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संस्थापन कार्य पूरा किया गया | - | - | - | - | - | - | | - |
| **3. एफ.एम सेवाओं का विस्तार** | | | | | | | | |
| स्थलों का अधिग्रहण | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | प्रयास जारी है। |
| मदन निमार्ण कार्य पूरा किया गया | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - |
| स्टूडियो संस्थापन कार्य पूरा किया गया | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| ट्रांसमीटर हेतु आदेश दिए गए | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | - | - |
| संस्थापन कार्य पूरा किया गया | 6 | 6 | 36 | 35 | 6 | 6 | 5 | - |
| **4. प्रोडक्शन सुविधाओं और विविध स्कीमों का डिजिटलीकरण** | | | | | | | | |
| रिवयिंग कनसोल की खरीद | - | - | - | - | - | - | - | - |
| डंविग कनसोल की खरीद | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ट्रांसमिशन कनसोल की खरीद | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| रिकार्डिग कनसोल की खरीद | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| **5. स्टूडियो सुविधाओं एवं विविध स्कीमों का स्वाचालन और उपस्करों को बदलना** | | | | | | | | |
| हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली की खरीद | - | - | - | - | - | - | - | - |
| हार्ड एण्ड सर्वर की खरीद | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | - | - |
| हार्ड एण्ड सर्वर का संस्थापन कार्य पूरा किया गया | - | - | - | - | - | - | 48 | कार्य प्रगति पर |
| **4 स्थानों पर स्थाई स्टूडियो** | | | | | | | | |
| सिविल निर्माण कार्य पूरा किया गया | - | - | - | - | - | - | - | - |
| संस्थापन कार्य पूरा किया गया | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| डिजिटल अपलिंक का प्रयधान | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| राजकोट में 1000 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का बदलाव | | | | | | | | |
| सिविल निर्माण का कार्य पूरा किया गया | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ट्रांसमीटर निर्माण कार्य पूरा किया गया | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ट्रांसमीटर की प्राप्ति | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संस्थापन का कार्य पूरा किया गया | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| **6. पूर्वोत्तर विशेष पैकेज** | | | | | | | | |
| 1 किलोवाट एफ एम ट्रांसमीटर के साथ नए एफ एम केन्द्र | - | - | - | - | - | - | - | - |
| स्थलों का अधिग्रहण | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | जगह का अधिग्रहण जल्द कर लिया जाएगा। |
| भवन निर्माण कार्य पूरा किया गया | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | प्रगति पर |
| ट्रांसमीटरों का खरीद | - | - | - | - | - | - | - | - |
| संस्थापन का कार्य पूरा किया गया | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | प्रगति पर |
| सिलचर में 5 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर | | | | | | | | |
| सिविल निर्माण कार्य पूरा किया गया | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ट्रांसमीटर की खरीद | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ट्रांसमीटर की संस्थापना | | | | | | | | |
| गंगलोक में 10 किलोवाट एफ.एम ट्रांसमीटर | | | | | | | | |
| सिविल निर्माण कार्य पूरा किया गया | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ट्रांसमीटर की खरीद | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ट्रांसमीटर की संस्थापना | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| डी.एस.एन.जी. प्रणाली | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| चिनसुरा में 1000 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर | | | | | | | | |
| सिविल निर्माण कार्य पूरा किया गया | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ट्रांसमीटर के आदेश दिया गया | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ट्रांसमीटर की प्राप्ति | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ट्रांसमीटर की संस्थापना | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कावारती के लिए 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर | | | | | | | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ट्रांसमीटर के आदेश दिया गया | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ट्रांसमीटर की प्राप्ति | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ट्रांसमीटर की संस्थापना | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | प्रक्रियाधीन है। |
| **7. कर्मचारियों के लिए आवास** | | | | | | | | |
| दिल्ली में 323 स्टॉफ क्वाटरों का निर्माण | - | - | - | - | - | - | - | - |
| दिल्ली में 203 स्टॉफ क्वाटरों का निर्माण | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| मुम्बई में 63 स्टाफ क्वाटरों का निर्माण | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | प्रक्रियाधीन है। |
| **(द) नई स्कीमें** | | | | | | | | |
| **1. आकाशवाणी नेटवर्क का डिजिटलीकरण** | | | | | | | | |
| 10 किलोवाट मीडियम वेव मोबाइल ट्रांसमीटरों (6) की खरीद | | | | | | | | |
| आर्डर दिया गया | - | - | - | - | - | - | - | - |
| उपस्कर की प्राप्ति | 6 | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| ट्रांसमीटर की संस्थापना | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - |
| स्टूडियों ट्रांसमीटर लिंक (35) की खरीद | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। |
| आर.एन. लिंक (44) की खरीद | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| **ट्रांसमीटर, स्टूडियो और कन्क्टीविटी की मुख्य स्कीम का अनुमोदन** | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| मुख्य उपस्करों की एन.आई.टी. जारी | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| शेष उपस्करों की एन.आई.टी जारी | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| सिविल आकलन की स्वीकृति | - | - | 31 | 31 | - | - | - | - |
| सिविल निर्माण कार्य पूरा किया गया | - | - | - | - | 31 | 31 | - | - |
| हैड हैल्ड रिकाडर्र की खरीद (579) | | | | | | | | |
| आर्डर दिया गया | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| उपस्कर की प्राप्ति | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| पोर्टेबल डिजिटल रिकाडर्र (494) की खरीद | | | | | | | | |
| आर्डर दिया गया | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उपस्कर की प्राप्ति | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| कंसोल मे डिजिटल फोन (290) की खरीद | | | | | | | | |
| आर्डर दिया गया | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| उपस्कर की प्राप्ति | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ओबी मिक्चर (368) की खरीद | | | | | | | | |
| आर्डर दिया गया | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| उपस्कर की प्राप्ति | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 300 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (6) की खरीद | | | | | | | | |
| आर्डर दिया गया | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| उपस्कर की प्राप्ति | - | - | - | - | - | - | 1 | आर्डर दिया जा चुका है। |
| 200 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (10) की खरीद | | | | | | | | |
| आर्डर दिया गया | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| उपस्कर की प्राप्ति | - | - | - | - | - | - | 1 | आर्डर दिया जा चुका है। |
| 100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (11) की खरीद | | | | | | | | |
| आर्डर दिया गया | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| उपस्कर की प्राप्ति | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | आर्डर दिया जा चुका है। |
| 50 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (1) की खरीद | | | | | | | | |
| आर्डर दिया गया | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। |
| उपस्कर की प्राप्ति | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (6) की खरीद | | | | | | | | |
| आर्डर दिया गया | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ट्रांसमीटर की प्राप्ति | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 500 किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर (1) की खरीद | | | | | | | | |
| आर्डर दिया गया | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| ट्रांसमीटर की प्राप्ति | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| उपस्करों की स्थापना | - | - | - | - | - | - | 1 | प्रगति पर |
| 250 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (2) की खरीद | | | | | | | | |
| आर्डर दिया गया | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| उपस्करों की प्राप्ति | - | - | - | - | - | - | - | आर्डर दिया जा चुका है। |
| 100 किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर (2) की खरीद | | | | | | | | |
| आर्डर दिया गया | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। |
| 10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (5) की खरीद | | | | | | | | |
| आर्डर दिया गया | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| उपस्करों की प्राप्ति | - | - | - | - | - | - | 1 | आर्डर दिया जा चुका है। |
| 6 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (27) की खरीद | | | | | | | | |
| आर्डर दिया गया | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| उपस्करों की प्राप्ति | - | - | - | - | - | - | 1 | आर्डर दिया जा चुका है। |
| 5 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (12) की खरीद | | | | | | | | |
| आर्डर दिया गया | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| ट्रांसमीटर की प्राप्ति | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| उपस्करों की स्थापना | - | - | - | - | - | - | - | प्रगति पर |
| 1 किलोवाट एफ.एम ट्रांसमीटर (12) की खरीद | | | | | | | | |
| आर्डर दिया गया | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ट्रांसमीटर की प्राप्ति | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| उपस्करों की स्थापना | - | - | - | - | - | - | 1 | प्रगति पर |
| 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (100) की खरीद | | | | | | | | |
| आर्डर दिया गया | - | - | 1 | 1 | - | - | | |
| ट्रांसमीटर की प्राप्ति | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| उपस्करों की स्थापना | - | - | - | - | - | - | - | प्रगति पर |
| **2. विदेश सेवाओं का सुदृढ़ीकरण** | | | | | | | | |
| पी.ए.सी. आधार पर खरीद का अनुमोदन | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| कन्वर्सन उपकरण के लिए आर्डर दिया गया | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | प्रगति पर |
| **3. ई-गवर्नेंस** | | | | | | | | |
| स्कीमों का अनुमोदन | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 12वीं योजना के लिए आस्थगित |
| सिविल आकलन की स्वीकृति | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 12वीं योजना के लिए आस्थगित |
| **4. आर.एण्ड.डी. और नई टेक्नोलोजी** | | | | | | | | |
| वेबकास्टिंग के लिए स्कीम का अनुमोदन | - | - | - | - | - | - | - | - |
| वेबकास्टिंग के लिए प्रणाली का विकास | - | - | - | - | - | - | - | - |
| वेबसाइट का परिनियोजन | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **5. जम्मू और कश्मीर विशेष पैकेज फेज-III** | | | | | | | | |
| स्कीम का अनुमोदन | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| मुख्य उपस्करों के लिए एनआईटी | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| स्थलों का अधिग्रहण (3 स्थानो) | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर (4) की खरीद | | | | | | | | |
| आर्डर दिया गया | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| उपस्कर की प्राप्ति | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| उपस्कर की स्थापना | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 10 किलोवाट एफ.एम.+टी.वी. ट्रांसमीटरों (3) की खरीद | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एन.आई.टी. जारी | - | - | - | 1 | 1 | - | - | पुन: निविदाएं आमंत्रित की गई है। |
| आर्डर दिया गया | - | - | - | - | - | - | 1 | निविदा प्रक्रियाधीन है। |
| नौशेरा के लिए 10 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर की खरीद | | | | | | | | |
| एन.आई.टी जारी | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | पुन: निविदाएं आमंत्रित की गई है। |
| आर्डर दिया गया | - | - | - | - | - | - | 1 | टेण्डर प्रक्रियाधीन है। |
| सिविल कार्य | - | - | - | - | - | - | 1 | सिविल आकलन स्वीकृत |
| राजौरी के लिए 05 किलोवाट टी.वी. ट्रांसमीटर (2) की खरीद | | | | | | | | |
| एन.आई.टी. जारी | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| आर्डर दिया गया | - | - | - | - | - | - | 1 | निविदा प्रक्रियाधीन है। |

***विवरण-V***

*2010-11 से 2013-14 के दौरान दूरदर्शन के लक्ष्य/उपलब्धियां*

**1. भौतिक लक्ष्य / उपलब्धियां (प्रमुख परियोजनाएं)**

| परियोजनाएं | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | | 2013-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धियां | लक्ष्य | उपलब्धियां | लक्ष्य | उपलब्धियां | लक्ष्य | उपलब्धियां (अप्रैल, 2013 तक) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| स्टूडियो परियोजनाएं (नई/अतिरिक/स्थायी संरचना) | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो डिजीटलीकरण परियोजनाएं | 15 | - | 31 | - | 39 | - | 39 | - |
| भू केंद्र परियोजनाएं | 6 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | - |
| डी.टी.एच. प्लेटफार्म का उन्नयम (59 चैनल से 97 चैनल) | | | | | | | | |
| एच.पी.टी. परियोजनाएं | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | - |
| ऑटोमोड एलपीटी परियोजनाएं | 50 | 20 | 12 | 10 | 50 | 2 | 110 | - |
| वी.एल.पी.टी. परियोजनाएं | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

*अधिकांश उपस्कर खरीद कर संस्थापित कर दिए गए हैं। कैमरा चेन खरीदे जाने हैं।

1. **वित्तीय लक्ष्य/उपलब्धियां**

| वर्ष | एस.बी.जी. (करोड़ रुपए) | व्यय (करोड़ रुपए) |
|---|---|---|
| 2010-11 | 100.00 | 68.10 |
| 2011-12 | 196.51 | 137.90 |
| 2012-13 | 226.00 | 208.08 |
| 2013-14 | 205.50 | |

**काजू का उत्पादन**

6626. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में काजू के उत्पादन में वृद्धि की संभावना है;

(ख) यदि हां, राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान काजू उत्पादक राज्यों के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की है और काजू से रस निकालने के लिए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु स्वीकृत/प्रदान किए गए अग्रिम ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (घ) वर्तमान मौसम के दौरान गोवा सहित देश में काजू के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। काजू का राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

देश में काजू सहित बागवानी फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें अर्थात पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एच.एम.एन.ई.एच.) तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) कार्यान्वित कर रहा है। इन मिशनों के तहत, पौध रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु नर्सरियों की स्थापना, नए बागानों की स्थापना, जराजीर्ण फलोद्यानों के पुनरूद्धार, जल संसाधनों के सृजन, प्रौद्योगिकियों के अंतरण, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन, विपणन अवसंरचना आदि के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है। एच.एम.एन.ई.एच. के तहत बागवानी उत्पाद के लिए प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए भी सहायता मुहैया कराई जाती है। उपलब्ध वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

*विवरण-I*

*काजू का उत्पादन ('000 एम.टी.)*

| राज्य | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13* |
|---|---|---|---|---|
| केरल | 66.00 | 71.00 | 74.00 | 76.96 |
| कर्नाटक | 53.00 | 57.00 | 66.00 | 68.64 |
| गोवा | 26.00 | 24.00 | 28.80 | 29.95 |
| महाराष्ट्र | 198.00 | 208.00 | 216.00 | 224.64 |
| तमिलनाडु | 60.00 | 65.00 | 60.00 | 62.40 |
| आन्ध्र प्रदेश | 99.00 | 107.00 | 113.60 | 118.14 |
| ओडिशा | 84.00 | 91.00 | 96.00 | 99.84 |
| पश्चिम बंगाल | 10.00 | 11.00 | 11.60 | 12.06 |
| अन्य | 17.00 | 19.00 | 59.21 | 59.05 |
| कुल | 613.00 | 653.00 | 725.21 | 751.69 |

*प्रथम अग्रिम अनुमान

*विवरण-II*

1. **काजू और कोको के नए बागान का विकास**

नई पौध रोपण के लिए 4 है. प्रति लाभार्थी की अधिकतम सीमा तक 20,000 रु. है. की दर पर सहायता दी जाती है।

2. **माडल काजू नर्सरियों की स्थापना**

बड़ी नर्सरी (4.00 है.) को 12.50 लाख रु. और छोटी नर्सरी (2.00 है.) के लिए 6.25 लाख रु. तक सीमित परियोजना की लागत के 50 प्रतिशत की दर पर पार्श्वांत ऋण पूंजी राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

3. **काजू का फ्रंटलाईन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन**

किसानों के खेतों में प्रदर्शन आयोजित किए जाने के लिए 3 वर्षों की अवधि हेतु अधिकतम 30,000 रु. प्रति है. के साथ श्रम अधिभारों को छोड़कर परियोजना लागत के 75 प्रतिशत की दर पर वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

4. **जल संसाधनों का सृजन**

व्यक्तिगत/समुदाय आधार पर 2 हे. के न्यूनतम क्षेत्र के लिए 60,000 रु. प्रति यूनिट तक समिति यूनिट की लागत सृजन के 50 प्रतिशत की दर पर जल संसाधनों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

5. **प्रौद्योगिकी प्रसार हेतु फसल संवर्धन का प्रचार**

राज्य स्तरीय संगोष्ठियों के आयोजन के लिए 2.00 लाख रु. तथा जिला स्त्रीय संगोष्ठी के लिए 50.000 रु. की दर पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

6. **काजू पर प्रशिक्षण**

वैज्ञानिक काजू खेती पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए 50 किसानों के प्रति बैच 90,000 रु. की दर पर वित्तीय सहायता।

7. **विगोपन दौरा**

प्रशिक्षण-सह-फील्ड दौरे को शामिल करते हुए विगोपन दौरों के लिए बोर्डिंग, लॉजिंग, प्रशिक्षण किट तथा यात्रा भत्ते के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

*[अनुवाद]*

**बुलेट प्रूफ व्हीकल्स की आपूर्ति**

6627. **श्री एंटो एंटोनी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को केरल राज्य सरकार से उनके पुलिस विभाग हेतु बुलेट प्रूफ व्हीकल्स और जैमर्स की खरीद और आपूर्ति के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) जी, हां।

(ख) गृह मंत्रालय को मार्च, 2013 में केरल सरकार से, अन्य बातों के साथ-साथ केरल पुलिस को प्रति वाहन 80 लाख रुपये की लागत से दो बुलेट प्रूफ वाहन और प्रति वाहन 1.75 करोड़ रुपये की लागत से दो जैमर वाहन उपलब्ध कराने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार को इस प्रस्ताव को वर्ष 2013-14 के लिए राज्य पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत राज्य की वार्षिक कार्य योजना में शामिल करना अपेक्षित है, जिसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार से प्रस्ताव मांगा गया है।

**गैर-लाइसेंसी हथियार**

6628. **श्री नवीन जिंदल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लाइसेंसी और गैर-लाइसेंसी हथियारों का उपयोग कर किए गए कुल कितने अपराध सामने आए हैं तथा तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जब्त किए गए गैर-लाइसेंसी/अवैध/निशिद्ध हथियारों की कुल राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा यथा संकलित वर्ष 2009, 2010 और 2011 के संबंध में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करके हत्या किए गए पीड़ित व्यक्तियों की संख्या संबंधी आंकड़े और आयुध अधिनियम, 1959 के तहत पंजीकृत मामलों की संख्या संबंधी आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। एन.सी.आर.बी. द्वारा वर्ष 2012 तथा चालू वर्ष के संबंध में ऐसे आंकड़े अभी संकलित नहीं किए गए हैं।

(ख) वर्ष 2010, 2011 और 2012 के दौरान एन.सी.आर.बी. द्वारा यथासंकलित हथियारों की बरामदगी संबंधी आंकड़े संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। एन.सी.आर.बी. द्वारा चालू वर्ष के संबंध में ऐसे आंकड़े अभी संकलित नहीं किए गए हैं।

(ग) कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है और यह उम्मीद की जाती है कि राज्य सरकारें आयुध अधिनियम, 1959 के तहत होने वाले अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाएंगी। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अवैध हथियारों और गोला-बारूद की तलाश करने/उन्हें जब्त करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

***विवरण-I***

*वर्ष 2009-2011 के दौरान आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करके की गई हत्या के पीड़ितों की संख्या*

| क्र.सं. | राज्य | 2009 | | 2010 | | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लाइसेंसी | गैर-लाइसेंसी | लाइसेंसी | गैर-लाइसेंसी | लाइसेंसी | गैर-लाइसेंसी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 3. | असम | 5 | 20 | 8 | 23 | 8 | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 9 | 709 | 10 | 684 | 7 | 500 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 43 | 0 | 59 | 42 | 15 |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 6 | 15 | 3 | 6 | 7 | 9 |
| 8. | हरियाणा | 29 | 128 | 17 | 126 | 16 | 118 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 14 | 43 | 10 | 77 | 4 | 47 |
| 11. | झारखंड | 0 | 326 | 8 | 223 | 30 | 418 |
| 12. | कर्नाटक | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| 13. | केरल | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 48 | 111 | 43 | 148 | 45 | 164 |
| 15. | महाराष्ट्र | 5 | 37 | 7 | 49 | 7 | 67 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 107 | 3 | 37 | 4 | 28 |
| 17. | मेघालय | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 18. | मिज़ोरम | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 19. | नागालैंड | 2 | 22 | 2 | 15 | 3 | 15 |
| 20. | ओडिशा | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 12 |
| 21. | पंजाब | 46 | 5 | 65 | 8 | 60 | 15 |
| 22. | राजस्थान | 12 | 59 | 19 | 46 | 9 | 45 |
| 23. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 5 |
| 25. | त्रिपुरा | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 172 | 745 | 114 | 778 | 135 | 1049 |
| 27. | उत्तराखंड | 1 | 63 | 1 | 29 | 5 | 32 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 1 | 187 | 1 | 306 | 2 | 317 |
| | **कुल राज्य** | **369** | **2656** | **337** | **2650** | **398** | **2905** |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | चंडीगढ़ | अं | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र | 2 | 64 | 2 | 72 | 6 | 59 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल संघ क्षेत्र राज्य | 2 | 66 | 3 | 73 | 6 | 59 |
| | कुल अखिल भारत | 371 | 2722 | 340 | 2723 | 404 | 2964 |

*[हिन्दी]*

## दूरदर्शन केंद्रों में अपलिंकिंग/डाउन लिंकिंग सुविधाएं

6629. **श्री सज्जन वर्मा:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मध्य प्रदेश सहित देश में सभी दूरदर्शन केंद्रों में अपलिंकिंग और डाउन लिंकिंग सुविधा प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो मध्य प्रदेश सहित देश के दूरदर्शन केंद्रों में अपलिंकिंग और डाउन लिंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सैटेलाइट अपलिंकिंग सुविधा ऐसे दूरदर्शन केंद्रों में प्रदान की गई है जहां कार्यक्रमों की अपलिंकिंग की आवश्यकता है। डाउनलिंकिंग सुविधा सैटेलाइट के माध्यम से कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए सभी दूरदर्शन केंद्रों में उपलब्ध कराई गई है।

(ख) और (ग) सैटेलाइट अपलिंकिंग सुविधा वर्तमान में देश के 36 दूरदर्शन केंद्रों पर उपलब्ध है। निम्नलिखित पांच अतिरिक्त दूरदर्शन केंद्रों में सैटेलाइट अपलिंकिंग सुविधा स्थापित करने की परियोजना 11वीं योजना स्कीम के हिस्से के रूप में कार्यान्वित की जा रही है:

(1) इंदौर (मध्य प्रदेश)

(2) जलपाईगुडी (पश्चिम बंगाल)

(3) विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)

(4) राजकोट (गुजरात)

(5) गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)

उपर्युक्त पांच परियोजनाओं को चालू वर्ष के दौरान शुरू कर दि जाने की संभावना है।

*[अनुवाद]*

## अनधिकृत कालोनियां का नियमितीकरण

6630. **श्री रुद्रमाधव राय:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में अनेक अनधिकृत और फर्जी कालोनियों, बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों को दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) और दिल्ली की अन्य सिविक प्राधिकरणों द्वारा कानूनी रूप दिया गया था और नियमित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कालोनियों के नियमितीकरण के लिए कदम

उठाने से पूर्व प्रत्येक अनधिकृत कालोनी का वास्तविक सत्यापन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में पालन किए गए/पालन किए जाने हेतु प्रस्तावित दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)**: (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

**आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर विवाद**

6631. **श्री असादूद्दीन ओवेसी**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हाल ही में कुछ आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार, विभिन्न राज्यों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच गंभीर विरोधाभास है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह)**: (क) से (ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विभिन्न राज्य और सुरक्षा एजेंसियां एक साथ मिलकर काम करें और देश में आतंकवादियों की गिरफ्तारी सहित आंतरिक सुरक्षा संबंधी मामलों में किसी भी कार्रवाई में उन्हें साथ ले कर चला जाए। इस प्रकार के सभी उपाय सक्रिय रूप से इसलिए किए जाते हैं ताकि इस प्रकार के मामलों में उनमें मतभेद होने की किसी भी प्रकार की संभावना समाप्त की जा सके। तथापि, कानून एवं व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं, इसलिए इनसे निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, आंतरिक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करते हुए आतंकवाद से मुकाबला करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। केंद्र और राज्य स्तरों पर आसूचना एजेंसियों के बीच गहन और प्रभावी समन्वय मौजूद है। संभावित इरादों और खतरों से साझा किया जाता है। बहु एजेंसी केंद्र को सुदृढ़ और पुनर्गठित किया गया है ताकि यह समय पर सूचना के संग्रहण तथा अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ आसूचना के आदान-प्रदान हेतु चौबीसों घंटे कार्य कर सके और स्थापित तंत्र के माध्यम से संबंधित राज्यों के साथ सुरक्षा संबंधी आसूचना का आदान-प्रदान किया जाता है, जिससे राज्यों, केंद्रीय सुरक्षा और विधि प्रवर्तन एजेंसी के बीच गहन समन्वय और आसूचना का आदान-प्रदान तथा सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होता है। इसके परिणामस्वरूप कई बड़े आतंकी माड्यूलों का भंडाफोड़ किया गया है।

**पुलिस पदाधिकारियों हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया**

6632. **श्री पी.आर. नटराजन**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पुलिस अधिकारियों द्वारा यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करते वक्त अपनाई जाने वाली मानक प्रचालन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पुलिस अधिकारियों द्वारा मानक प्रचालन प्रक्रिया के कठोर अनुपालन के लिए कोई निगरानी तंत्र है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की जांच की पुलिस अधिकारियों द्वारा उपेक्षा किए जाने का कोई मामला प्रकाश में आया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान जिम्मेदवार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) पुलिस कार्मिकों द्वारा ऐसी मानक प्रचालन प्रक्रिया के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह)**: (क) से (च) भारत के संविधान के अंतर्गत 'पुलिस' राज्य का विषय होने के कारण यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करने के लिए कोई राष्ट्रीय मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) नहीं है। तथापि, दिल्ली पुलिस ने बलात्कार के मामलों की जांच करते समय अपनाई जाने वाली विस्तृत एस.ओ.पी. वर्ष 2005 का स्थायी आदेश संख्या 313 जारी किया है।

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एस.ओ.पी. के अनुसार, डी.सी.पी./जिला प्रभारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उसके कनिष्ठ राजपत्रित अधिकारी एस.ओ.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार मामलों का पर्यवेक्षण करें।

**भारतीय जैव सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना**

6633. **श्री वैजयंत पांडा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पौधों तथा जानवरों को होने वाली बीमारियों, कमियों तथा अवांछित जीवों की रोक, नियंत्रण, समाप्ति, प्रबंधन हेतु एक भारतीय जैव सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय मंचों/समूहों ने कृषि क्षेत्र में पहले से चली आ रही नियामक निकायों के रूप में कार्यों की अतिव्याप्ति पर कोई विरोध दर्ज किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) और (ख) पौधों व पशुओं के कीटों व रोगों तथा अवांछित जीवों की रोकथाम, नियंत्रण, उन्मूलन तथा प्रबंधन के लिए कृषि जैव-सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना में सक्षम बनने के लिए सरकार ने 11 मार्च, 2013 को लोकसभा में कृषि जैव सुरक्षा विधेयक, 2013 पेश किया है ताकि कृषि जैव सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके तथा पौधों, पौध उत्पादों, पशुओं, पशु उत्पादों, जलीय जीवों के आयातों व निर्यातों तथा कृष्य रूप से महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों और इससे जुड़े या इससे प्रासंगिक मामलों के विनियमन को सरल बनाए जाने के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा किया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**डी.डी. उर्दू चैनल के कार्यक्रम**

6634. **श्री यशवीर सिंह:**
**श्री नीरज शेखर:**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन (डी.डी.) उर्दू चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम के अधिकांश दर्शक किसी खास समुदाय के हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त चैनल ने हाल ही में "टेस्ट की बात है" नामक कुकिंग कार्यक्रम प्रसारित किया था जिसमें सूअर का मांच बनाने की विधि बताई गई थी जिसने अपने दर्शक के एक वर्ग की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाई और उक्त समुदाय ने इसका भारी विरोध किया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त मुद्दे की जांच करवाई/जांच करने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या रहे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार/प्रसार भारती द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है कि इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में टी.वी. चैनल पर प्रकाशित न किए जाए?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि डी.डी. उर्दू चैनल उर्दू जानने और उर्दू बोलने वाले सभी धर्मों/क्षेत्रों के लोगों द्वारा देखा जाता है। "टेस्ट की बात है" कार्यक्रम भारत के विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के पकवानों और संस्कृति पर आधारित धारावाहिक है। इस धारावाहिक के अंतर्गत 09.04.2013 को प्रसारित किए गए कार्यक्रम में पूर्वी इसाई समुदाय के पांच पसंदीदा पकवानों पर चर्चा की गई थी जिसमें पोर्क विंदालू की चर्चा इनमें से केवल एक के रूप में ही की गई थी।

(घ) और (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि मामले की दूरदर्शन महानिदेशक द्वारा विस्तार से जांच की गई थी।

**सांस्कृतिक कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए वेबसाइट**

6635. **श्री वरूण गांधी:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत और विदेश में आयोजित भारतीय सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक समर्पित वेबसाइट स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उससे क्या सफलता प्राप्त हुई;

(घ) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों के दौरान कोई नया सांस्कृतिक त्यौहार शुरू किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

**संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी):** (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत सांस्कृतिक संगठनों की अपनी-अपनी वेबसाइट हैं और उनके द्वारा भारत तथा विदेश में आयोजित सांस्कृतिक और परंपरागत समारोहों के ब्यौरे उनकी संबंधित वेबसाइटों पर अपलोड किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

## पुलिस और बंद समर्थकों के बीच टकराव

6636. **श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न राजनीतिक दलों/संगठनों द्वारा आयोजित बंद के दौरान पुलिस और बंद समर्थकों के बीच हुए हिंसक टकराव के परिणामस्वरूप हिंसक घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रिपोर्ट की गई ऐसी घटनाओं की कुल संख्या कितनी है तथा विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष चालू वर्ष के दौरान उक्त घटनाओं में राज्य-वार अलग-अलग कितने व्यक्ति/पुलिस कार्मिक मारे गए/घायल हुए; और

(ग) बंद के दौरान होने वाली हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी किए गए परामर्श/दिशा-निर्देश का ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

## खरीद पर व्यय में संशोधन

6637. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने खाद्यान्नों की खरीद के संबंध में थोक वस्तु परिवहन प्रभार, चीनी संबंधी मार्जिन तथा आनुषांगिक प्रभार के भुगतान में आवश्यक संशोधन के लिए प्रस्ताव सौंपे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सन् 2008 एवं 2011 के बीच सौंपे गए इन प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया राज्य सरकारों को भेजी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो सरकार उपर्युक्त प्रस्तावों पर शीघ्रता से कब तक विचार करेगी एवं राज्यों को अपनी स्वीकृति से अवगत कराएगी?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2008 और 2011 के बीच की अवधि के दौरान 13 राज्य सरकारों ने विभिन्न अवधियों के लिए थोक ढुलाई प्रभार सहित नेवी चीनी मार्जिनों में संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। केंद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 2004-05 से 2007-08, राजस्थान के लिए 2007-08 से 2010-11, छत्तीसगढ़ के लिए 2004-05 से 2009-10 और कर्नाटक के लिए 2002-03 से 2008-09 हेतु थोक ढुलाई प्रभारों सहित लेवी चीनी मार्जिन में पहले ही संशोधन कर दिया है। उपर्युक्त अवधि के दौरान शेष 9 राज्यों अर्थात केरल, गुजरात, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से प्राप्त लेवी मार्जिन संबंधी प्रस्ताव अपूर्ण हैं और उनमें पाई गई त्रुटियों/कमियों के बारे में सूचना उन्हें दे दी गई है। संबंधित राज्य सरकारों से पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के छह माह की अवधि के भीतर मार्जिनों में संशोधन करना केंद्रीय सरकार का प्रयास रहता है।

जहां तक खाद्यान्नों के खरीद संबंधी आनुषंगिक प्रभारों में संशोधन का संबंध है, भारत सरकार, प्रक्रिया के अनुसार खाद्यान्नों (गेहूं, चावल और मोटे अनाज) के खरीद संबंधी आनुषंगिक प्रभारों को विपणन मौसम के प्रारंभ में अंतिम तौर पर निर्धारित करती है और विपणन मौसम के बाद राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षित लेखों और वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर प्रभारों का अंतिम निर्धारण करती है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

*[हिन्दी]*

## राज्यों में सी.ए.पी.एफ. की तैनाती

6638. **श्री जगदानंद सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा कार्यों में राज्यासों की सहायता करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.) तैनात किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को राज्यों द्वारा प्रतिनियोजित सी.ए.पी.एफ. का पूरा उपयोग नहीं किए जाने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ङ) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राज्यों को विश्वास में लिए बिना सी.ए.पी.एफ. को वापस बुला लिया जाता है जिससे राज्यों में कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह):** (क) और (ख) विधि एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। लोक व्यवस्था को बनाए रखने में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए उनके अनुरोध पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध कराए जाते हैं; आंतरिक सुरक्षा से जूझ रहे विभिन्न राज्यों में इन बलों की तैनाती समग्र सुरक्षा परिदृश्य तथा इन बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को विभिन्न राज्यों में तैनात किया गया है। किसी भी राज्य में सी.ए.पी.एफ. की तैनाती का स्तर परिवर्तनशील होता है तथा उभरती सुरक्षा स्थिति के आधार पर बदलती है।

सी.ए.पी.एफ. की तैनाती के स्तर का खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं किया जाता है।

(ग) से (च) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) के उपयोग का स्तर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होता है तथा राज्य पुलिस नेतृत्व के अतिसक्रिय आशय पर निर्भर करता है। गृह मंत्रालय विभिन्न राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के उपयोग के स्तर की समीक्षा करता है तथा बुरी तरह प्रभावित एवं नए उभरते खतरों के आलोक में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की आवश्यकता का मूल्यांकन भी करता है। उपर्युक्त परिवर्तनशील मानदंडों के आधार पर अलग-अलग समय में कुछ राज्यों में बल के स्तरों में वृद्धि तथा अन्य राज्यों में कमी की जाती है। ऐसे पुनर्वितरण के दौरान यदि संबंधित राज्य सरकारें अपने दृष्टिकोण रखती हैं तथा किसी खास स्थान में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को बनाए रखने की जरूरत पर जोर देती हैं तो ऐसे अनुरोधों पर वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र की समग्र स्थिति के दायरे के भीतर मेरिट के आधार पर विचार किया जाता है।

*[अनुवाद]*

**आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता**

**6639. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्गो सेवा की अनुपलब्धता के कारण देश में आवश्यक वस्तुओं की सुपुर्दगी प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की सुविधाजनक उपलब्धता और उत्पादकों के लिए अच्छा लाभ सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक नीति व्यवस्था स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ होने की संभावना है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) से (घ)ऐसे कोई विशिष्ट मामले सरकार के ध्यान में नहीं लाए गए। तथापि, देश के कुछेक भागों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला में मौसमी और अस्थायी बाधाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने और उन्हें बेईमान व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 को प्रशासित कर रहा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2006 के जरिए संशोधित किया गया है जिसे 24 दिसंबर, 2006 को अधिनियमित किया गया है। इस संशोधन से केंद्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की सूची को कांट-छांट करके ऐसी सभी वस्तुओं को हटा दिया है जिनकी वर्तमान संदर्भ में कोई प्रासंगिकता नहीं है और मुक्त व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाने के लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को रखा गया है जो जीवन के लिए आवश्यक है, अथवा जो किसानों और गरीबी रेखा से नीचे के बड़े वर्ग के हित में है।

चोरी बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 जिसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जमाखोरी और चोर बाजारी आदी जैसी अनैतिक व्यापार पद्धतियों के निवारण

हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है, राज्य सरकारों को, ऐसे व्यक्तियों जिनकी गतिविधियां समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधक पाई जाती है, को नजरबंद करने की शक्तियां प्रदान करता है।

**रेडियो स्टेशन शुरू किया जाना**

6640. **श्रीमती जे. हेलन डेविडसन:**

**श्री एस. सेम्मलई:**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में कोनम में स्थानीय रेडियो स्टेशन को एक पूर्णरूपेण रेडियो स्टेशन के रूप में शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या निजी एफ.एम. प्रसारण स्टेशन राज्य के स्वामित्व वाले/द्वारा संचालित प्रसारण स्टेशन के लाभ ले लेते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में नगरकोइल में स्थित आकाशवाणी के एक स्थानीय रेडियो स्टेशन ने एक पूर्ण संपन्न रेडियो स्टेशन के रूप में कार्य करना पहले ही आरंभ कर दिया है जो कोनम को भी कवर करता है। वर्तमान में, कन्याकुमारी जिले के कोनम में एक अलग आकाशवाणी पूर्ण संपन्न स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव/स्कीम नहीं है।

(घ) और (ङ) निजी एजेंसियों के माध्यम से एफ.एम. रेडियो प्रसारण के विस्तार की नीति (चरण-II) का उद्देश्य आकाशवाणी के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए निजी एजेंसियों को आकर्षित करना है जिसके अंतर्गत स्थानीय विषय-वस्तु और उपयोगिता के कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले, गुणवत्ता का सुधार एवं प्राप्ति और सृजन में समर्पित स्थानीय प्रतिभाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाले और रोजगार सृजन करने वाले रेडियो स्टेशनों का संचालन किया जाता है।

**गेहूं के लिए समान मूल्य**

6641. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आटा मिल संचालकों ने खुले बाजार बिक्री योजना (ओ.एम.एस.एस.) के अंतर्गत आपूर्ति किए जा रहे गेहूं के लिए समान मूल्य की मांग करते हुए सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) जी, हां। देश भर में खुला बाजार बिक्री योजना गेहूं हेतु एकसमान मूल्य निर्धारित करने के लिए कर्नाटक रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और तमिलनाडु रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

थोक उपभोक्ताओं को निविदा बिक्री हेतु 15 नवम्बर, 2012 से शुरू करके मार्च, 2013 तक खुला बाजार बिक्री योजना गेहूं का आरक्षित मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया था:-

1. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए रबी विपणन मौसम 2012-13 हेतु गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (1285/- रुपये प्रति क्विंटल) तथा खरीद पर लागू राज्यवार वैधानिक प्रभार और लेवियां।

2. चंडीगढ़ को छोड़कर अन्य खपत वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इस स्कीम के अंतर्गत गेहूं रबी विपणन मौसम 2012-13 हेतु गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (1285/- रुपये प्रति क्विंटल) जमा पंजाब में खरीद पर लागू वैधानिक प्रभार और लेवी तथा लुधियाना से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की राजधानी तक मालभाड़ा जारी किया गया था।

3. चंडीगढ़ के लिए गेहूं का मूल्य पंजाब के समान निर्धारित किया गया था।

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों हेतु खुला बाजार बिक्री योजना थोक स्कीम के अंतर्गत गेहूं का रिजर्व मूल्य लुधियाना से संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी तक माल भाड़ा प्रभारों को ध्यान में रखते हुए इस आशय से निर्धारित किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत गेहूं का आरक्षित मूल्य निर्धारित करते समय गेहूं की ढुलाई की राज्यवार लागत जोड़ी जानी चाहिए। देश भर में खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत गेहूं हेतु एकसमान मूल्य निर्धारित करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया।

### बी.पी.एल. संबंधी सीमा

6642. **श्रीमती श्रुति चौधरी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों (बी.पी.एल.) के लिए नई सीमा को जाति जनगणना होने के पश्चात ही लागू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आवंटन करने के लिए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग योजना आयोग के वर्ष 1993-94 के गरीबी अनुमानों तथा 1 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों अथवा वास्तव में पहचान किए गए परिवारों तथा उन्हें जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो, के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या का उपयोग करता है। इन अनुमानों के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की स्वीकृत संख्या 6.52 करोड़ है जिसमें अंत्योदय अन्न योजना के 2.43 करोड़ परिवार शामिल हैं।

फिलहाल, नई बी.पी.एल. सीमा लागू करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*[हिन्दी]*

### पाकिस्तानी जेल में भारतीय नागरिक

6643. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **गृह मंत्री** दिनांक 20.03.2013 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3792 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रामदास पुत्र श्री बिजली सुहानी की राष्ट्रीयता की पुष्टि बिहार सरकार से हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पाकिस्तानी जेल से इस व्यक्ति की रिहाई की वर्तमान स्थिति क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** (क) से (ग) बिहार सरकार ने दिनांक 03.05.2013 के अपनु पत्र द्वारा पुष्टि की है कि श्री रामदास, पुत्र श्री बिजली सुहानी एक भारतीय नागरिक है और गांव सोनियापुर विजय, छपरा, मिठनसराय, पोस्ट मुस्तफापुर, थाना अहियापुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार का निवासी है। उसकी दिमागी हालत कथित रूप से ठीक नहीं नहीं थी और वह दिनांक 30.09.2010 से लापता है। उसकी राष्ट्रीयता की पुष्टि के आधार पर पाकिस्तानी सेल से उसकी रिहाई और भारत में प्रत्यावर्तन हेतु कार्रवाई पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ परामर्श करके विदेश मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

*[अनुवाद]*

### उत्पादन अनुदान के अंतर्गत वित्त पोषण

6644. **श्री पी.सी. गद्दीगौदर:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्पादन अनुदान के अंतर्गत वित्त पोषण की अधिकतम सीमा एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत अनुदानों की मंजूरी/जारी करने में देर होने की शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है एवं इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी ):** (क) जी, हां।

(ख) इसे भास्कर घोष समिति की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2008 में ही दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

### कुक्कट उद्योग हेतु पुनरूद्धार पैकेज

6645. **श्री आधि शंकर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह कुक्कुट उद्योग हेतु पुनरूद्धार पैकेज दे

क्योंकि सोया और मकई जैसे मुक्कुट खाद्य के कच्चे माल की कीमत में हुई अभूतपूर्व वृद्धि से यह उद्योग संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि मकई का मूल्य 1170 रु. प्रति क्विंटल से बढ़कर 3512 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस वर्तमान संकट से निपटने के लिए इस उद्योग को पुनरुद्धार पैकेज देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत)**: (क) और (ख) सरकार के पास राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति (एन.ई.सी.सी.) से एक याचिका प्राप्त हुई है, जिसमें मक्का और सोया, जो कुक्कुट उद्योग के मुख्य आहार संघटक हैं, की कीमतों के असामान्य रूप से बढ़ने के कारण आए गंभीर संकट का उल्लेख किया गया है।

एन.ई.सी.सी. के अभ्यावेदन में कई कार्रवाईयों की मांग की गई है, जैसे कुक्कुट उद्योग द्वारा लिए गए आवधिक ऋणों की अदायगी पर एक वर्ष की अवधि के लिए अधिस्थगन, बकाया आवधिक ऋणों को पुन: निर्धारण, 2-3 वर्षों के लिए ब्याज में 6% की आर्थिक सहायता प्रदान करना, भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्षतिग्रस्त गेहूं तथा चावल को विशेष तौर पर कुक्कुट उद्योग से जुड़े किसानों के प्रयोग हेतु आबंटित करना तथा शून्य सीमा शुल्क दर पर किसानों के लिए सोया मील का आयात करना।

(ग) से (ङ) पिछले वर्ष के दौरान सोया तथा मक्का, दोनों की कीमतों में परिवर्तन हुआ है तथा मूल्य मानीटरिंग एकक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, अप्रैल के अंतिम सप्ताह (25 अप्रैल, 2013) की स्थिति के अनुसार, मक्का तथा सोयाबीन के बीज के वर्तमान मूल्य, थोक मंडी दरों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश: लगभग 5% तथा 21% की वृद्धि दर्शाते हैं। आहार संघटकों की कीमत को कम करने के लिए अगस्त, 2012 में आहार संघटकों की कीमत को कम करने के लिए भारत सरकार ने वितेलित सोया सत्व, मूंगफली तेल खली/तेल खली मील, सूरजमुखी तेल खली/तेल खली मील, कनोला तेल खली/तेल खली मील, सरसों तेल खली/तेल खली मील के मामले में 31 मार्च, 2013 तक आयात शुल्क की सामान्य दरों को शून्य कर दिया है। सितंबर, 2012 में मक्का भूसी पर आयात शुल्क माफ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने जुलाई, 2011 में राज्यों के उन विभागों तथा एजेंसियों को शामिल किया है जिनके पास भारतीय खाद्य निगम के आहार श्रेणी के स्टाक के लिए खुली बोली (निविदा/नीलामी) के लिए पात्र कुक्कुट आहार विनिर्माण संयंत्र हैं, बशर्ते कि वे अपने पास आहार स्टाक विनिर्माण संयंत्र और/अथवा कुक्कुट आहार विनिर्माण संयंत्र होने की पुष्टि करते हों।

### सशस्त्र बलों द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराध

**6646. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जस्टिस वर्मा समिति ने यह सुझाव दिया है कि सशस्त्र बलों द्वारा महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध का विचारण सामान्य आपराधिक कानून के तहत किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह)**: (क) और (ख) जी, हां। जस्टिस वर्मा समिति ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 6 में निम्नलिखित संशोधनों का सुझाव दिया है:-

> "केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए किसी भी कृत्य अथवा कृत्य किए जाने के आशय के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन, मुकदमा अथवा अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी।"
>
> "परंतु यह कि यदि उस व्यक्ति ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, धारा 354ए, धारा 354बी, धारा 354सी, धारा 376 (1), धारा 372 (2), धारा 376 (3), धारा 376ए, धारा 376 बी, धारा 376सी, धारा 376डी अथवा धारा 376ई के अधीन अपराध किया हो तो किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।"

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 197 में यह उल्लेख है कि कोई न्यायालय, सरकार की पूर्व मंजूरी के बगैर किसी भी न्यायाधीश अथवा सरकारी सेवक द्वारा किए गए किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, यदि वह कथित अपराध उसके सरकारी कर्त्तव्य का निर्वहन करते समय अथवा कार्य करने के आशय से किया गया हो। किसी

सरकारी सेवक द्वारा किए गए बलात्कार के अपराध को किसी प्रकार की आधिकारिक ड्यूटी के दौरान किया जाने वाला कार्य नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से मंजूरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 में भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन किया गया है और धारा 376 (2) (सी) में वर्णित हालातों के अधीन सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा किया गया बलात्कार कम से कम 10 वर्ष की अवधि के कठोर कारावास के साथ दण्डनीय है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में एक व्याख्या समाविष्ट की गई है, जो कि अभियोजन के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता से संबंधित मामले को स्पष्ट करता है, जो निम्नानुसार है:

*"व्याख्या:- किसी भी प्रकार की शंका को दूर करने के लिए यहां यह घोषित किया जाता है कि भारतीय दण्ड संहित की धारा 166ए, 166बी, 354, 354ए, 354बी, 354डी, 370, 375, 376, 376ए, 376सी, 376डी अथवा धारा 509 के अधीन किए गए किसी भी अपराध के दोष के आरोपित किसी सरकारी सेवक के मामले में किसी प्रकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।"*

## खाद्य राजसहायता

6647. **श्री जोस के. मणि:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2012-13 के दौरान खाद्य राजसहायता के रूप में कुल कितनी राशि व्यय की गई है और खाद्य राजसहायता के रूप में कितना प्रतिशत जी.डी.पी. व्यय किया गया है;

(ख) क्या ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल सहित कुछ राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) पर केंद्र सरकार द्वारा प्रदान राजसहायता से अधिक व्यय करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) वर्ष 2012-13 के दौरान खाद्य राजसहायता के रूप में 84554.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी, जो सकल घरेलू उत्पाद की 0.85 प्रतिशत (लगभग) थी।

(ख) और (ग) भारत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आर्थिक लागत और लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित केंद्रीय निर्गम मूल्य के अंतर की प्रतिपूर्ति खाद्य राजसहायता के रूप में करती है। तथापि कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्यान्नों को केंद्रीय निर्गम मूल्य से कम मूल्य वितरित करके खाद्यान्नों पर और सब्सिडी देती है, जिसका अतिरिक्त व्यय संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वयं के संसाधनों से वहन किया जाता है।

## उपभोक्ता जागरूकता

6648. **श्री संजय निरूपम:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उपभोक्ताओं को एक छोटा प्रतिशत ही अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ता न्यायालयों का आश्रय लेते हैं और उपभोक्ता अधिकारों तथा जनता में उपभोक्ता अधिनियम/ उपभोक्ता न्यायालयों के बारे में जागरूकता के अभाव के कारण उपभोक्ता मामलों में भी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं में उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में अधिक जागरूकता विकसित करने के लिए आक्रामक अभियान चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) आनुभविक आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संलग्न विवरण के अनुसार गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय आयोग सहित विभिन्न उपभोक्ता मंचों में उपभोक्ता मामलों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है उपभोक्ता जागरूकता के लिए प्रभावशाली और सतत् अभियानों ने जनसाधारण में उपभोक्ता अधिकारों के उत्तरोत्तर दावे में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(ग) और (घ) उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में जागरूकता का प्रसार करने के लिए सरकार के पास पहले से ही "जागो ग्राहक जागो" शीर्षक के तहत एक योजनागत स्कीम है। 11वीं योजना के अंतर्गत कुल परिव्यय 409.00 करोड़ रुपये था और 12वीं योजना के अंतर्गत प्रस्तावित परिव्यय 409.29 करोड़ रुपये है।

### विवरण

*उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के आरम्भ से लेकर दायर की गईं/निपटाई गई उपभोक्ता शिकायतों की कुल संख्या*

(31.12.2010 तक अद्यतन)

| क्र.सं. | एजेन्सी का नाम | आरम्भ से लेकर दायर किए गए मामले | आरम्भ से लेकर निपटाए गए मामले | लंबित मामले | निपटान का प्रतिशत | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय आयोग | 67764 | 59151 | 8613 | 87.29% | |
| 2. | राज्य आयोग | 532126 | 429183 | 102943 | 80.65% | |
| 3. | जिला मंच | 2954573 | 2702087 | 252486 | 91.45% | |
| | कुल | 3554463 | 3190421 | 364042 | 89.76% | |

(31.01.2012 तक अद्यतन)

| क्र.सं. | एजेन्सी का नाम | आरम्भ से लेकर दायर किए गए मामले | आरम्भ से लेकर निपटाए गए मामले | लंबित मामले | निपटान का प्रतिशत | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय आयोग | 72863 | 63370 | 9493 | 86.97% | |
| 2. | राज्य आयोग | 564322 | 469062 | 95260 | 83.12% | |
| 3. | जिला मंच | 3111930 | 2863438 | 248492 | 92.01% | |
| | कुल | 3749115 | 3395870 | 353245 | 90.58% | |

(28.02.2013 तक अद्यतन)

| क्र.सं. | एजेन्सी का नाम | आरम्भ से लेकर दायर किए गए मामले | आरम्भ से लेकर निपटाए गए मामले | लंबित मामले | निपटान का प्रतिशत | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय आयोग | 78980 | 68364 | 10616 | 86.56% | |
| 2. | राज्य आयोग | 599523 | 505194 | 94329 | 84.27% | |
| 3. | जिला मंच | 3255328 | 3002328 | 253000 | 92.32% | |
| | कुल | 3933831 | 3575886 | 357945 | 90.90% | |

### गेहूं के निर्यात में हानि

6649. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भण्डारण और परिवहन के दौरान हुई क्षति के कारण 2012-13 के दौरान गेहूं के निर्यात में हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी हानियों को रोकने/न्यूनतम करने के लिए कोई प्रविधि तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार, कवर्ड भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए निजी उद्यमियों, केंद्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगम के माध्यम से निजी उद्यमी गारंटी स्कीम कार्यान्वित कर रही है। दिनांक 31.3.2013 तक 19 राज्यों में लगभग 197 लाख टन क्षमता का निर्माण अनुमोदित किया गया है, जिसमें से 69.92 लाख टन क्षमता का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त दीर्घावधिक वैज्ञानिक भंडारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने निजी उद्यमी गारंटी स्कीम की समग्र संस्वीकृत क्षमता के भीतर साइलोज में 20 लाख टन भंडारण क्षमता का निर्माण भी अनुमोदित किया है।

### फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना

6650. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने/स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) से (ग) सरकार विभिन्न भारतीय भाषाओं में सौंदर्य और तकनीकी दृष्टि से उत्कृष्ट फिल्मों के निर्माण, उन्हें भारत एवं विदेशों में आयोजित विभिन्न उत्सवों में प्रस्तुत करने एवं हमारी फिल्मी विरासत के संरक्षण/पुनर्स्थापना के लिए विभिन्न योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रही है।

(घ) प्रत्येक वर्ष विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निर्मित की जाती है।

विभिन्न भारतीय भाषाओं में निर्मित सिनेमाई, विषय और सौंदर्य की दृष्टि से उत्कृष्ट कई फीचर और गैर-फीचर फिल्में 'भारतीय पैनोरमा' के अंतर्गत चुनी जाती हैं। इन फिल्मों को कई फिल्मोत्सवों में प्रस्तुत किया जाता है और भारत तथा विदेशों में उन्हें स्क्रीन किया जाता है।

प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में क्षेत्रीय फिल्मों को समुचित पहचान प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली फिल्मों को भी विभिन्न उत्सवों में स्क्रीन किया जाता है।

*[हिन्दी]*

### भारतीय प्रेस परिषद की जवाबदेही

6651. **डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद (पी.सी.आई.) एक सांविधिक निकाय है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रेस परिषद की वर्तमान संरचना अधिदेश कर्तव्य और जवाबदेही क्या है;

(ग) भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष पद के लिए आवश्यक अर्हता और योग्यता क्या है;

(घ) क्या पी.सी.आई. के अध्यक्ष द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर प्रतिकूल टिप्पणी की रिपोर्ट है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** (क) भारतीय प्रैस परिषद एक कानूनी सांविधिक न्यायिक-कल्प स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत की गई है।

(ख) प्रेस परिषद में एक अध्यक्ष और 28 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से 20 सदस्य परिषद द्वारा प्रत्यायित और अधिसूचित ऐसे प्रेस संगठनों/समाचार एजेंसियों के प्रतिनिधि होते हैं जिनका संबंध समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों के संपादक, कार्यरत पत्रकार और मालिक एवं प्रबंधक जैसी श्रेणियों से होता है। इसके अतिरिक्त, पांच सदस्य संसद के दोनों सदनों से नामित होते हैं और अन्य तीन संस्कृति, साहित्य क्षेत्र और विधि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनमें साहित्य अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय बार काउंसिल से नामित एक-एक सदस्य होता है।

भारतीय प्रेस परिषद का उद्देश्य देश में प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करना और साथ ही समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना है। परिषद के कार्य प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13(2) के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं जिन्हें संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) परिषद के कार्य-निष्पादन की समीक्षा संसद द्वारा इसके समक्ष प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से की जाती है। प्रेस परिषद अधिनियम में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के पद के लिए अपेक्षित पात्रता एवं अर्हता का उल्लेख नहीं है परंतु पारंपरिक रूप से परिषद की शुरूआत से ही इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश द्वारा की गई है। प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(2) के अंतर्गत अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जिसका नामांकन राज्य सभा के सभापति, लोक सभा के अध्यक्ष और उप धारा (6) के अंतर्गत परिषद के सदस्यों द्वारा चुने गए एक व्यक्ति को मिलाकर बनी समिति द्वारा किया गया हो।

(घ) और (ङ) इस संबंध में मीडिया में रिपोर्टें आई हैं तथापि, भारतीय प्रेस परिषद की ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

## *विवरण*

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 का सार

**परिषद की शक्तियां एवं कार्य:**

13. (1) परिषद का उद्देश्य भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर बनाये रखना तथा उनमें सुधार करना होगा।

(2) परिषद अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगी; अर्थात्-

(क) समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों द्वारा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में उनकी सहायता करना:

(ख) समाचारपत्रों समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए उच्च वृतिक स्तर के अनुसार एक आचार-संहिता बनाना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों की ओर से लोक-रुचि के उच्च स्तर बनाये रखे जायें और नागरिकों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों दोनों की सम्यक भावना का पोषण करना;

(घ) उन सब व्यक्तियों में जो पत्रकारिता की वृत्ति में लगे हुए हैं, उत्तरदायित्व और लोक-सेवा की भावना प्रोत्साहित करना;

(ङ) ऐसी किसी भी बात पर जिससे लोकहित और लोक-महत्व के समाचार के प्रदाय और प्रसार का निर्बन्धन संसाध्य हो विचार करते रहना;

(ञ) भारत में किसी समाचारपत्र या समाचार एजेंसियों द्वारा किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त सहायता के मामलों का जिनके अंतर्गत वे मामले भी हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसे निर्देशित किए जायें या किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के संगम या अन्य संगठन द्वारा उसकी जानकारी में लाए जाएं, पुनर्विलोकन करते रहना;

परंतु इस खंड को कोई बात भारत के किसी भी समाचारपत्र या समाचार एजेंसी द्वारा किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त सहायता के किसी मामले में किसी अन्य ऐसी रीति से जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे, कार्यवाही करने से केंद्रीय सरकार की प्रतिवारित नहीं करेगी;

(छ) विदेशी समाचारपत्रों के, जिनके अंतर्गत किसी राजदूतावास द्वारा या भारत में विदेशी राज्य के किसी प्रतिनिधि द्वारा निकासी गयी पत्रिकाएं भी हैं, अध्ययन का भार अपने ऊपर लेना, उनका परिचालन और प्रभाव;

स्पष्टीकरण-इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "विदेशी राज्य" पद का वही अर्थ होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 87 (क) में है; (1908 का 5)

(ज) समाचारपत्र निकालने या उसके प्रकाशन में या समाचार एजेंसियों में लगे व्यक्तियों के सभी वर्गों में उचित कृत्यिक संबंध की अभिवृद्धि करना;

परंतु इस खण्ड की कोई बात परिषद उन विवादों की बाबत कोई कृत्य सौंपने वाली नहीं समझी जायेगी जिन पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 लागू है, (1947 का 14);

(झ) समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के संकेद्रण या उनके अन्य पहलुओं से संबंधित ऐसी घटना पर निगाह रखना जिनका प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है;

(ल) ऐसे अध्ययन कार्य हाथ में लेना जो परिषद को सौंपे जायें और किसी ऐसे विषय के बारे में अपनी राय प्रकट करना जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाये;

(ट) ऐसे अन्य कार्य करना जो उपयुक्त कृत्यों के निर्वहन के आनषंगिक या साधक हों।

**फसल विविधता**

6652. **श्री अर्जुन राम मेघवाल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूमि की जैव विविधता के संरक्षण और कृषि क्षेत्र में मृदा और जल के अत्यधिक उपयोग की रोकथाम के लिए फसल विविधीकरण करने के उद्देश्य से किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में फसल विविधीकरण के प्रोत्साहन के लिए राज्य-वार क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों (के.वी.के.) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों द्वारा फसल विविधीकरण क्षेत्र में क्या प्रमुख पहल किए गए हैं; और

(ङ) देश में उपर्युक्त पहलों के परिणामस्वरूप किसानों को क्या लाभ प्राप्त हुए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर):** (क) से (ग) विभिन्न कृषि-परिस्थितिकी के अनुकूल मृदा और जल के अधिक दोहन को दूर करने के लिए राज्यों में विभिन्न फसलों जैसे दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, फल एवं सब्जियों का संवर्धन करने के लिए भारत सरकार विभिन्न फसल विकास स्कीमों जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.), सघन कदन्न संवर्धन के जरिए पोषद तत्व सुरक्षा के लिए पहल (आई.एन.एस.आई.एम.पी.), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.), समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम प्रौद्योगिकी मिशन (आईसोपान) आदि कार्यान्वित कर रही है। इन स्कीमों के तहत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष का राज्यवार आवंटन और निर्मुक्ति ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II, III, और IV में दिया गया है।

2013-14 बजट में वास्तविक हरित क्रांति राज्यों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में फसल विविधीकरण के लिए प्रौद्योगिकीय नवाचार और कृषि सततता के लिए किसानों को वैकल्पिक फसलों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये राशि प्रदान की गई।

(घ) और (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के कृषि विज्ञान केंद्रों (के.वी.के.) किसान खेतों में फसल उत्पादकता और फसल अपनानें को प्रोत्साहित करने के लिए परिवर्तित उत्पादन प्रौद्योगिकियों के प्रसार करने के लिए देश भर में विभिन्न फसलों के फ्रंट लाईन प्रदर्शनियां आयोजित करते हैं।

***विवरण-I***

*2010-11 से 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-आवंटन, निर्मुक्ति*

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य | 2010-11 | | 2011-12 | | 2013 | | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन* | निर्मुक्त | आवंटन* | निर्मुक्त | आवंटन* | निर्मुक्त | आवंटन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 135.20 | 119.42 | 110.36 | 88.87 | 163.51 | 152.94 | |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | | | | | 10.33 | 10.33 | |
| 3. | असम | 67.33 | 66.58 | 37.75 | 36.58 | 41.85 | 30.86 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 75.32 | 51.56 | 76.41 | 74.87 | 105.87 | 65.72 | |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 63.49 | 19.54 | 63.29 | 55.25 | 77.41 | 52.6 | 2250 करोड़ रुपये 2013-14 के लिए राज्यवार आवंटन प्रगति में है। |
| 6. | गुजरात | 39.09 | 23.89 | 30.27 | 28.31 | 54.79 | 54.5 | |
| 7. | हरियाणा | 39.28 | 35.75 | 34.95 | 27.07 | 53.85 | 46.53 | |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | | | | | 21.99 | 20.25 | |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 2.69 | 17.34 | 11.87 | |
| 10. | झारखण्ड | 27.20 | 16.49 | 27.10 | 12.2 | 37 | 24.79 | |
| 11. | कर्नाटक | 90.32 | 72.52 | 80.31 | 73.26 | 123.05 | 110.21 | |
| 12. | केरल | 2.62 | 2.10 | 3.04 | 2.28 | 2.59 | 1.37 | |
| 13. | मध्य प्रदेश | 214.76 | 160.72 | 174.03 | 146.82 | 266.01 | 247.15 | |
| 14. | महाराष्ट्र | 168.58 | 147.12 | 151.67 | 135.85 | 245.56 | 241.81 | |
| 15. | मणिपुर | | | | | 12.16 | 12.16 | |
| 16. | मेघालय | | | | | 9.3 | 9.3 | |
| 17. | मिज़ोरम | | | | | 6.04 | 6.04 | |
| 18. | नागालैंड | | | | | 11.64 | 11.64 | |
| 19. | ओडिशा | 66.56 | 58.53 | 61.01 | 64.76 | 75.97 | 63.52 | |
| 20. | पंजाब | 48.41 | 37.57 | 47.72 | 35.18 | 63.86 | 37.93 | |
| 21. | सिक्किम | | | | | 2.08 | 2.08 | |
| 22. | राजस्थान | 107.60 | 76.05 | 94.67 | 79.28 | 149.01 | 126.42 | |
| 23. | तमिलनाडु | 48.44 | 30.08 | 36.58 | 34.54 | 52.06 | 39.7 | |
| 24. | त्रिपुरा | | | 3.63 | 3.63 | 21.88 | 21.84 | |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 294.12 | 177.57 | 283.72 | 244.96 | 290.93 | 211.03 | |
| 26. | उत्तराखण्ड | | | | | 21.92 | 16.25 | |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 65.43 | 33.94 | 57.03 | 38.58 | 59.32 | 41.89 | |
| | कुल | 1553.75 | 1129.43 | 1377.13 | 1184.98 | 1997.32 | 1670.73 | |

*पिछले वर्ष की अव्ययित शेष शामिल है।

### *विवरण-II*

*2010-11 से 2013-14 के दौरान आर.के.वी.वाई. के तहत आवंटन और निर्मुक्ति*

(करोड़ रु. में)

| क्र.सं. | राज्य | 2010-11 | | 2011-12 | | 2013 | | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | निर्मुक्त | आवंटन | निर्मुक्त | आवंटन | निर्मुक्त | आवंटन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 393.45 | 432.29 | 727.74 | 734.20 | 601.98 | 577.79 | |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 39.08 | 28.95 | 8.26 | 10.68 | 40.31 | 24.94 | |
| 3. | असम | 256.87 | 216.87 | 227.77 | 227.77 | 399.57 | 399.57 | |
| 4. | बिहार | 380.94 | 415.10 | 506.82 | 506.82 | 724.01 | 700.2 | |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 461.00 | 503.42 | 230.57 | 212.61 | 581.12 | 571.22 | |
| 6. | गोवा | 11.31 | 7.07 | 49.55 | 24.78 | 62.43 | 35.27 | |
| 7. | गुजरात | 353.45 | 388.63 | 515.48 | 515.48 | 586.87 | 610.87 | |
| 8. | हरियाणा | 204.74 | 226.80 | 168.92 | 176.87 | 199.49 | 179.88 | |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 94.85 | 94.85 | 99.93 | 99.93 | 73.48 | 59.27 | |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 162.16 | 96.42 | \03.03 | 63.03 | 112.08 | 103.22 | |
| 11. | झारखण्ड | 160.96 | 96.90 | 168.56 | 174.56 | 241.55 | 219.38 | |
| 12. | कर्नाटक | 284.03 | 284.03 | 595.90 | 595.90 | 586.52 | 549.15 | 9954 करोड़ रुपये 2013-14 के लिए राज्यवार आवंटन प्रगति में है। |
| 13. | केरल | 192.35 | 149.65 | 173.93 | 182.89 | 282.26 | 253.03 | |
| 14. | मध्य प्रदेश | 589.09 | 559.18 | 398.37 | 398.37 | 448.13 | 448.13 | |
| 15. | महाराष्ट्र | 653.00 | 653.00 | 727.67 | 735.44 | 1025.81 | 1050.81 | |
| 16. | मणिपुर | 24.81 | 15.50 | 22.25 | 22.25 | 52.94 | 47.97 | |
| 17. | मेघालय | 46.12 | 46.12 | 14.66 | 20.44 | 105.34 | 22.68 | |
| 18. | मिज़ोरम | 7.49 | 3.75 | 34.61 | 36.63 | 200.91 | 184.73 | |
| 19. | नागालैण्ड | 13.24 | 13.25 | 37.54 | 37.54 | 85.75 | 85.75 | |
| 20. | ओडिशा | 274.40 | 274.40 | 356.96 | 356.96 | 503.1 | 468.28 | |
| 21. | पंजाब | 179.12 | 179.12 | 138.87 | 145.87 | 146.93 | 86.83 | |
| 22. | राजस्थान | 572.47 | 628.01 | 685.04 | 692.08 | 363.09 | 348.18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | सिक्किम | 6.56 | 6.56 | 20.08 | 24.64 | 29.47 | 15.21 | |
| 24. | तमिलनाडु | 225.71 | 250.03 | 333.06 | 333.06 | 659.68 | 613.27 | |
| 25. | त्रिपुरा | 116.86 | 116.48 | 17.99 | 25.63 | 56.43 | 56.43 | |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 635.92 | 695.36 | 757.26 | 762.83 | 432.26 | 294.52 | |
| 27. | उत्तराखण्ड | 2.6\ | 1.31 | 131.77 | 128.84 | 44.36 | 8.21 | |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 476.15 | 335.98 | 476.65 | 486.65 | 464.81 | 374.58 | |
| | कुल राज्य | 6662.00 | 6719.03 | 7729.24 | 7732.75 | 9110.68 | 8389.37 | |

## *विवरण-III*

*आइसोपाम के तहत 2010-11 से 2012-13 निधियों का आवंटन और निर्मुक्ति*

(करोड़ रुपये)

| राज्य | 2010-11 | | 2011-12 | | 2013 | | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | निर्मुक्त | आवंटन | निर्मुक्त | आवंटन | निर्मुक्त | आवंटन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| आन्ध्र प्रदेश | 5756.71 | 5756.71 | 2835.34 | 2835.34 | 1793.33 | 1793.33 | 300 करोड़ रुपये 2013-14 के लिए राज्यवार आवंटन प्रगति में है। |
| असम | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| बिहार | 799.20 | 799.20 | 917.64 | 917.64 | 919.23 | 919.23 | |
| छत्तीसगढ़ | 1166.91 | 1166.91 | 1175.81 | 1175.81 | 755.46 | 755.46 | |
| गुजरात | 1785.77 | 1785.77 | 3034.00 | 3034.00 | 517.96 | 517.96 | |
| गोवा | | 0.00 | 0.00 | 0.100 | 0.00 | 0.00 | |
| हरियाणा | 503.11 | 503.11 | 722.80 | n.2.80 | 434.60 | 434.60 | |
| हिमाचल प्रदेश | 89.26 | 89.26 | 82.99 | 81..99 | 65.25 | 65.25 | |
| जम्मू और कश्मीर | 132.48 | 132.48 | 205.97 | 205.97 | 41.95 | 41.95 | |
| कर्नाटक | 5748.55 | 5748.55 | 4754.50 | 4754.50 | 1481.31 | 1481.31 | |
| केरल | | | 22.68 | n.68 | 0.00 | 0.00 | |
| मध्य प्रदेश | 5619.36 | 5619.36 | 7429.34 | 7429.34 | 5690.65 | 5690.65 | |
| महाराष्ट्र | 5498.36 | 5498.36 | 8091.28 | 8091.28 | 3669.88 | 3669.88 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मिज़ोरम | 876.84 | 876.84 | 362.00 | 361.45 | 0.00 | 0.00 | |
| ओडिशा | 3050.00 | 3050.00 | 3960.97 | 3SI60.97 | 1068.43 | 1068.43 | |
| पंजाब | 60.77 | 60.77 | 140.27 | 140.27 | 0.00 | 0.00 | |
| राजस्थान | 5070.90 | 5070.90 | 5250.97 | 5250.97 | 3688.64 | 3688.64 | |
| तमिलनाडु | 1132.56 | 1132.56 | 1267.90 | 1267.90 | 821.94 | 821.94 | |
| त्रिपुरा | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| उत्तर प्रदेश | 1221.88 | 1221.88 | 1289.53 | n89.S3 | 666.41 | 666.41 | |
| पश्चिम बंगाल | 614.18 | 614.18 | 100.00 | 100.00 | 664.96 | 664.96 | |
| कुल | 39126.84 | 39126.84 | 41644.00 | 41643.45 | 22280.00 | 22280.00 | |

*विवरण-IV*

*राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्यवार आवंटन और निर्मुक्ति*

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य | 2010-11 | | 2011-12 | | 2013 | | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन (भारत सरकार का हिस्सा) | निर्मुक्त | आवंटन (भारत सरकार का का हिस्सा) | निर्मुक्त | आवंटन (भारत सरकार का का हिस्सा) | निर्मुक्त | आवंटन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 105.18 | 105.18 | 105.40 | 92.70 | 116.45 | 87.34 | |
| 2. | बिहार | 38.25 | 0.00 | 34.00 | 20.00 | 46.75 | 35.06 | |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 97.75 | 96.57 | 93.50 | 85.00 | 106.25 | 91.36 | |
| 4. | गोवा | 4.25 | 2.12 | 2.98 | 2.00 | 3.40 | 1.25 | |
| 5. | गुजरात | 62.90 | 54.97 | 76.50 | 92.78 | 106.25 | 100.13 | |
| 6. | हरियाणा | 68.85 | 51.50 | 80.751 | 76.23 | 90.95 | 90.62 | |
| 7. | झारखण्ड | 42.50 | 16.00 | 51.00 | 42.16 | 63.75 | 47.81 | |
| 8. | कर्नाटक | 112.20 | 93.25 | 106.25 | 99.71 | 119.00 | 113.04 | |
| 9. | केरल | 71.30 | 44.00 | 65.45 | 53.45 | 72.25 | 35.00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | मध्य प्रदेश | 85.00 | 51.00 | 72.25. | 55.00 | 55.25 | 30.09 | 2013-14 के लिए कुल आवंटन 1600 करोड़ रुपये है। राज्यवार कार्यवाही योजना प्रगति में है। |
| 11. | महाराष्ट्र | 127.50 | 126.14 | 127.50 | 93.75 | 136.00 | 127.87 | |
| 12. | ओडिशा | 55.25 | 32.59 | 53.55 | 46.73 | 68.00 | 65.80 | |
| 13. | पंजाब | 42.50 | 35.00 | 46.75 | 46.74 | 62.90 | 57.90 | |
| 14. | राजस्थान | 59.50 | 40.00 | 59.501 | 40.00 | 80.75 | 41.20 | |
| 15. | तमिलनाडु | 110.50 | 77.50 | 123.25 | 62.00 | 68.00 | 56.00 | |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 106.25 | 54.00 | 102.00 | 51.00 | 59.50 | 32.36 | |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 44.10 | 28.80 | 42.5 | 25.50 | 38.25 | 19.00 | |
| 18. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 3.40 | 1.52 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 2.65 | |
| 19. | पुदुचेरी | 0.84 | 0.56 | 1.28 1 | 0.64 | 0.91 | 0.46 | |
| 20. | दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | |
| 21. | लक्षद्वीप | 1.35 | 0.00 | 0.00 : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | कुल राज्य | 1239.37 | 910.70 | 1248.41 | 988.39 | 1297.18 | 1034.94 | |

*[अनुवाद]*

**हरित भंडारण सुविधाएं**

**6653. श्री ई. जी. सुगावनम:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर में हरित भंडारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और विकास के लिए नई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देशभर में भंडार गोदामों में खाद्यान्नों की चोरी और बर्बादी को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने हाल ही में दिल्ली में नरेला तथा महाराष्ट्र में पुणे स्थित एफ.सी.आई. डिपुओं का परीक्षण आधार पर आधुनिकीकरण किया है।

इसके अलावा, पूरे देश में हरित भंडारण सुविधाओं का सृजन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने खाद्य भंडारण डिपुओं में वर्षा जल संचयन प्रणाली तथा सौर पैनलों की शुरुआत की है। विगत तीन वर्षों में सृजित सुविधाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| वर्ष | वर्षा जल संचयन संरचनाओं की संख्या | सौर पैनलों की संख्या |
|---|---|---|
| 2010-11 | 65 | 11 |
| 2011-12 | 75 | 17 |
| 2012-13 | 72 | - |

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसके पास भंडारित खाद्यान्नों की बर्बादी को रोकने तथा खाद्यान्नों की गुणवत्ता के परिरक्षण के लिए सभी सावधानियां बरती जाती हैं। कीडों/कीटों के नियंत्रण के लिए रोगनिरोधी तथा रोगहर उपाय नियमित रूप से किए जाते

हैं चूहों के नियंत्रण के लिए भी प्रभावी उपाय किए जाते हैं। भंडारण में रखे खाद्यान्नों का समुचित परिरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से गुणवत्ता जांच की जाती है। कैप में रखे खाद्यान्नों के स्टाक के लिए पर्याप्त डनेज सामग्री प्रदान की जाती है। डनेज सामग्री को साफ तथा विसंक्रमित किया जाता है। कैप में रखे स्टाक को वर्षा, धूप, आदि से बचाने के लिए प्रत्येक चट्टे को पॉलिथीन के कवर से ढंका जाता है और नाइलोन की रस्सियों से बांध जाता है। राज्य सरकारों/एजेंसियों द्वारा कैप भंडारण में गेहूं का भारतीय खाद्य निगम तथा संबंधित राज्य सरकारों/एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर संयुक्त निरीक्षण किया जाता है। स्टाक सामान्यत: 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' के सिद्धांत पर जारी किए जाते हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चोरी को रोकने के निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

1. चारदीवारी पर कांटेदार तारों की बाड़ लगाना, गोदामों/परिसरों में स्ट्रीट लाईट का प्रावधान तथा शेडों को उचित तरीके से तालाबंद करना।

2. स्टॉक की सुरक्षा के लिए सुरक्षा स्टॉफ तथा विशेष पुलिस अधिकारी तैनात किए जाते हैं।

3. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशील डिपुओं/गोदामों में राज्य सशस्त्र पुलिस की तैनाती की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**अध्यक्ष महोदया:** सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**पूर्वाह्न 11.04 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 12.00½ बजे**

*इस समय श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी, श्री घनश्याम अनुरागी, शेख सैदुल हक, श्री शेर सिंह घुबाया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।*

*...(व्यवधान)*

---

**अपराह्न 12.01 बजे**

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** पत्र सभा पटल पर रखे जाऐंगे।

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

**उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार):** महोदय, मैं श्री प्रफुल पटेल की ओर से संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदनों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2013 का संख्यांक 2)-(अनुपालन लेखापरीक्षा) के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं-

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 9055/15/13]

*...(व्यवधान)*

**संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 9056/15/13]

(3) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्रीमती चन्द्रेश कुमारी]

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 9057/15/13]

(5) (एक) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 9058/15/13]

*...(व्यवधान)*

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस):** महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (2013 का संख्यांक 7)-भारतीय खाद्य निगम में भंडारण प्रबंध और खाद्यान्न की ढुलाई का निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी प्रसंस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 9059/15/13]

**उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 9060/15/13]

(2) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 9061/15/13]

*...(व्यवधान)*

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों एवं अंशकालिक सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें नियम, 2013 जो 12 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 167(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) कार्यक्रम कार्यकारी भर्ती विनियम, 2013 जो 22 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन.-10/5/2013-पी.पी.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) प्रसारण कार्यकारी भर्ती विनियम, 2013 जो 22 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन.-10/6/2013-पी.पी.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(चार) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) कैमरामैन-ग्रेड-II भर्ती विनियम, 2013 जो 20 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन.-10/32/2013-पी.पी.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (प्रधान लिपिक/सहायक) भर्ती विनियम, 2013 जो 22 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन.-10/4/2013-पी.पी.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(छह) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (इंजीनियरी सहायक) भर्ती विनियम, 2013 जो 22 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन.-10/2/2013-पी.पी.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(सात) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (तकनीशियन) भर्ती विनियम, 2013 जो 22 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन.-10/3/2013-पी.पी.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(9) उपर्युक्त (1) के मद संख्या (चार) से (सात) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी. 9062/15/13]

(3) प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 26 के अंतर्गत प्रेस परिषद् (वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन) संशोधन विनियम, 2012 जो 10 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-4/18/2011-पी.सी.आई. (प्रशा.) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 9063/15/13]

**कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल)**: महोदय, मैं श्री प्रतीक पाटील की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 9064/15/13]

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला मंत्रायल के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) (एक) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड ऑर्गनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड ऑर्गनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9066/15/13]

...*(व्यवधान)*

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह)**: महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2779(अ) से का.आ. 2786(अ) जो 24 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन किए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 78(अ) जो 31 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 964(अ) जो 15 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन किए जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 1071(अ) जो 29 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश के रूप में श्री एस. विजय कुमार का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 9067/15/13]

(2) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2787(अ) से का.आ. 2790(अ) जो 24 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक (क) की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 269(अ) से का.आ. 271(अ) जो 22 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने हेतु न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 9068/15/13]

[श्री तारिक अनवर]

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर)**: महोदय, मैं डॉ. चरण दास महंत की ओर से वर्ष 2013-2014 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 9069/15/13]

*...(व्यवधान)*

---

## कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

### 36वां और 37वां प्रतिवेदन

**अपराह्न 12.01½ बजे**

**श्री कल्याण बनर्जी** (श्रीरामपुर): कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) खान मंत्रालय से संबंधित "खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2011" के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

(2) कोयला मंत्रालय से संबंधित "कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक, 2012" के बारे में 37वां प्रतिवेदन।

---

**अपराह्न 12.02 बजे**

## मंत्री द्वारा वक्तव्य

### खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

*[अनुवाद]*

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर)**: महोदय में लोक सभा की माननीय अध्यक्षा के निर्देशों के अनुसरण में संबंधी स्थायी कृषि समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह डा. चरणदास महंत की ओर से यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

कृषि संबंधी स्थायी समिति का 42वां प्रतिवेदन संसद में दिनांक 26 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन अनुदानों की मांगों-(2012-13) से संबंधित है।

उक्त 42वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा 8 सिफारिशें/टिप्पणियां की गई थीं जिन पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी। ये सिफारिशें अवसंरचना विकास; मेगा खाद्य पार्क; शीत श्रृंखला; मूल्य वृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना एवं आधुनिकीकरण स्कीम; स्ट्रीट फूड गुणवत्ता उन्नयन स्कीम; गुणवत्ता आश्वासन स्कीम, कोडेक्स मानक एवं अनुसंधान एवं विकास व अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप; बूचड़खाना स्कीमों से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा समिति को दी गई सूचना मेरे वक्तव्य के संलग्नक में दी गई है और उसे सभा-पटल पर रख दिया गया है। मैं संलग्नक में दी गई सारी सामग्री पढ़कर सभा का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

*...(व्यवधान)...*

---

**अपराह्न 12.03 बजे**

## नियम 377 के अधीन मामले*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय**: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। माननीय सदस्यगण प्रथा के अनुसार स्वयं सभा पटल पर तत्काल पर्ची रख दें।

### (एक) देश के विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों की शिकायतों को दूर किए जाने की आवश्यकता

**श्री एंटो एंटोनी** (पथनमथीट्टा): मैं सरकार से गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए अलग सेवा और पेंशन नियम बनाने का अनुरोध करता हूं। यद्यपि विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी कठिन दशाओं में भी अत्यंत समर्पण के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तथा उनकी सेवा और पेंशन के लाभ बिल्कुल पर्याप्त नहीं हैं। उदाहरण के लिए, वे अपने परिवार से अलग हो गए हैं और दूर-दराज के स्थानों में रहना पड़ता है। उनके सेवा काल के दौरान उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं। उन्हें पर्यावरण संबंधी

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 9070/15/13

समस्याओं के सामना करने से लेकर असामाजिक तत्वों से निपटने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन कर्मियों के जीवन को सदैव खतरा रहता है। तथापि, उन्हें पर्याप्त सेवा लाभ नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, सेवा निवृत्ति के पश्चात, इन कर्मियों एवं उनके परिवार को सेवाकाल के दौरान दिये जाने वाले सीमित विशेषाधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। इससे उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस संबंध में विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों की शिकायतों का समाधान करें।

**(दो) कर्नाटक में चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मैसूर-बन्नूर-मालावलि, कोलेगक-मेट्टूर-सलेम तथा नंजनगुड-चारमराजनगर राज्य राजमार्गों का उन्नयन करके राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने की आवश्यकता**

**श्री आर. ध्रुवनारायण** (चामराजनगर): मैं सरकार का ध्यान अपने चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (कर्नाटक राज्य) में तीन राज्य राजमार्गों के राष्ट्रीय राजमार्गों में उन्नयन हेतु तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता के संबंध में आकर्षित करना चाहूंगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, उद्योगों, चीनी कारखानों और कृषि, को विकास ऐतिहासिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और विश्व के सभी क्षेत्रों से पर्यटकों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित तीन राज्य राजमार्गों का उन्नयन आवश्यक है:- (1) मैसूर-बन्नूर-मालावलि, 47 किमी. जो एन.एच.-212 और 209 को जोड़ता है और मैसूर तथा माण्डया जिलों को आगे जोड़ता है। (2) कोलेगल-मेट्टूर-सलेम 180 कि.मी.-जो एन.एच.209 और 7 को जोड़ता है जो आगे कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ता है तथा (3) नंजनगुड-चामराजनगर 42 किमी. की तुप्त कड़ी जो कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ती है। ये मुद्दे काफी समय से लंबित हैं और स्थानीय लोगों के हित में कार्य को पूर्ण करने की आवश्यकता है। पहले कई अवसरों पर मामले को उठाए जाने के बावजूद, अब तक इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और राज्य के साथ-साथ देश के आर्थिक विकास के लिए मैं पीठ के माध्यम से माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से उपर्युक्त तीन राज्य राजमार्गों के राष्ट्रीय राजमार्गों में उन्नयन को स्वीकृति देने और यथाशीघ्र उचित अनुदान जारी करने के लिए अनुरोध करता हूं।

**(तीन) उत्तराखंड से संबंधित विभागों द्वारा संविदा कामगारों को सीधा रोजगार दिए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री सतपाल महाराज** (गढ़वाल): मैं सरकार का ध्यान देश के पढ़े-लिखे बेरोजगारों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश का युवा वर्ग विशेषकर उत्तराखंड में रमसा, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों में किसी उपनल/एजेंसी के माध्यम से संविदा पर कार्यरत होता है परंतु ऐसा देखने में आया है कि उपनल विभाग से पूरा पैसा ले उन्हें पूरे वेतन का भुगतान नहीं करती है। इसी प्रकार की शिकायतें सिर्फ उत्तराखंड से ही नहीं अपितु देश के अन्य राज्यों से भी आ रही हैं। जब सरकारी विभाग संविदा पर रोजगार प्रदत्त करवाने वाले उपनल को पूरा भुगतान करते हैं तो वह स्वयं भी संविदा पर नियुक्ति कर सकते हैं जिससे यह सिस्टम पारदर्शी रहेगा और हमारे युवा1ओं का शोषण नहीं होगा।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसी योजना तैयार कर क्रियान्वित करें जिससे संविदा पर नौकरी के लिए उपनल का माध्यम न अपना सरकारी विभाग स्वयं ही सीधे अभ्यार्थी को रोजगार प्रदान करे।

**(चार) केरल के विशेषत: वयनाड जिले में हैजा उन्मूलन के लिए तत्काल प्रभावी उपाय किये जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री एम.आई. शानवास** (वयनाड): यह अत्यंत चिंता का विषय है कि राज्य सरकार द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार सभी उपाय करने के बावजूद भी केरल में हैजा जैसा रोग हावी है। वयनाड, एक जनजातीय और कृषि प्रधान जिला है जहां स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी अवसंरचना का पूर्ण रूप से विकास किया जाना बाकी है। यह क्षेत्र हैजा जैसी महामारी से प्राय: प्रभावित रहता है। 37 से अधिक व्यक्तियों में हैजा का लक्षण पाया गया है। इस वर्ष तीन लोगों की मौत हुई है और वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 हेतु आंकड़ा क्रमश: छह और आठ है। यह विपत्ति गंभीर है क्योंकि मारे गये लोगों में से अधिकांश जनजातीय हैं।

इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, मैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वयनाड जिले पर विशेष ध्यान दें और राष्ट्रीय हैजा और आंत्र रोग संस्थान, जो इस रो के संबंध में अनुसंधान करता है, की सेवाएं जी जाएं और इस जिले में इस रोग के संबंध में जानकारी के लिए एक विशेषज्ञ दल वहां भेंजे और एक रिपोर्ट यथा शीघ्र प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त में मंत्रालय से मोबाइल मेडिकल यूनिट इकाई उपलब्ध कराने और विशेष रूप से जनजातीय बस्तियों के लिए और अधिक आशा कर्मियों को भेजने का भी अनुरोध करता हूं।

[श्री एम. कृष्णास्वामी]

**(पांच) तमिलनाडु के अरानी में रेशम पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री एम. कृष्णास्वामी** (अरानी): मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अरानी में एक रेशम पार्क की स्थापना करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

अरानी रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कांचीपुरम साड़ियों के बाद इनका दूसरा स्थान है। अरानी के आसपास रेशम की साड़ियों और हथकरघों के लिए बुनकरों की बहुत मांग है। इस संबंध में मैंने तत्कालीन वस्त्र मंत्री श्री दयानिधि मारन को एक अभ्यावेदन दिया था और उस समय उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि अरानी में एक रेशन पार्क की स्थापना की जाएगी। संबंधित अधिकारियों ने बैंगलोर से अरानी शहर का दौरा किया और भूमि का सर्वेक्षण किया। परंतु इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जनता की मांग और स्थानीय बुनकरों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह प्रश्न संसद में भी उठाया था तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को भी पत्र लिखा था। उन्होंने सभा में आश्वासन दिया था तथा माननीय अध्यक्ष ने भी मामले में हस्तक्षेप किया था तथा संबंधित मंत्री से इस समस्या का समाधान करने के लिए आग्रह किया था।

तदनुसार, मैं सरकार से अरानी में हजारों परिवारों के लाभार्थ तथा इस क्षेत्र और इसके आसपास स्थित रेशम उद्योग को सुरक्षित रखने के लिए अरानी में एक रेशम पार्क की स्थापना करने का अनुरोध करता हूं।

**(छह) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड को अपने ग्राहकों के भुगतान का निपटान करने के लिए राहत पैकेज दिए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री जगदम्बिका पाल** (डुमरियागंज): उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में कार्यरत लाखों लोगों का धन जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में जमा है। जिला सहकारी बैंक पैसा न होने के कारण लोगों के जमा पैसों का भुगतान करने में असमर्थ है। यहां तक बैंक कर्मचारी भी वेतन भुगतान न मिल पाने के कारण आर्थिक तंगी से त्रस्त हो गए हैं। 31 मार्च सन् 2004 के बैंक संतुलन पत्र के आधार पर वैद्यनाथन कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर संबंधित पैकेज बनाकर नाबार्ड (लखनऊ) को प्रस्तुत किया जा चुका है, परंतु पैकेज का धन प्राप्त न होने के कारण आर्थिक संकट दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिससे क्षेत्र की जनता में काफी रोष एवं क्षोभ है। अतः इस मामले को देखते हुए भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करके तुरंत कार्यवाही करें।

**(सात) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश करने वाली समस्याओं से निपटने के लिए अर्थोपाय सुझाने के हेतु एक विशेष केंद्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री विलास मुत्तेमवार** (नागपुर): मैं विदर्भ क्षेत्र के किसानों की दुर्दशा से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों की तुलना में विदर्भ क्षेत्र में जल और सिंचाई सुविधाओं की अत्यधिक कमी है जिसके परिणामस्वरूप वहां किसान सबसे अधिक पीड़ित हैं। दुर्भाग्यवश, समस्या के गंभीर प्रभावों को कम करने के लिए कोई उल्लेखनीय कदम नहीं उठाया गया है और इसके फलस्वरूप विदर्भ क्षेत्र में लगातार फसलें उत्पादन नहीं हो पा रहा है। किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य न दिए जाने, सिंचाई सुविधाओं की कमी, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की बर्बादी होने, लंबे समय तक विद्युत आपूर्ति के ठप्प रहने, सिंचाई प्रयोजनों हेतु पंपों के काम न करने आदि के कारण यह समस्या और गंभीर हो गई है। ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना से क्षेत्र में पहले से ही विद्यमान जल अभाव की समस्या और गंभीर हो जाएगी। सिंचाई परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कारण यह क्षेत्र पहले से ही पीड़ित रहा है। विदर्भ क्षेत्र के किसान इस दयनीय स्थिति का नियमित रूप से सामना कर रहे हैं और केंद्र तथा राज्य के स्तर पर इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। इस दयनीय स्थिति के कारण किसानों द्वारा आत्महत्याओं की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। वर्ष 2001 से 2013 के बीच नागपुर मंडल के एक जिले में तथा अमरावती मंडल के पांच जिलों में लगभग 9390 किसानों ने आत्महत्या की है। जून 2012 से अप्रैल 2013 तक केवल एक वर्ष के समय में ही लगभग 1605 किसानों ने आत्महत्या की है। सरकार द्वारा समय-समय पर किसानों की स्थिति में पूर्ण रूप से सुधार नहीं आया है और आत्महत्या की घटनाएं लगातार हो रही हैं।

ऐसी स्थिति में न केवल किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की समस्या का समाधान तलाशने अपितु किसानों को पर्याप्त आर्थिक और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

अतः, मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि स्थिति की गंभीरता

का आकलन करने के लिए वहां एक विशेष दल भेजा जाए। तथा कम से कम 5000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और अन्य सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करते हुए किसानों के समक्ष सतत रूप से आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए अर्थोपाय सुझाए जाएं।

*[अनुवाद]*

**(आठ) राजस्थान के जैसलमेर जिले में चिन्नेवाला टिब्बा गैस क्षेत्र में ओ.एन.जी.सी. द्वारा गैस भंडार का दोहन किए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री राम सिंह कस्वां** (चुरू): राजस्थान के जैसलमेर जिले में काफी बड़े क्षेत्र में गैस के अथाह भंडार मिले हैं। ओ.एन.जी.सी. द्वारा सर्वेक्षण करने पर चिन्नेवाला टिब्बा में बहुत उच्च श्रेणी की गैस के विशाल भण्डार का पता चला है, जहां चार कुएं भी तैयार हो गए हैं। इस क्षेत्र में गैस का प्रेशर 160 केजी है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सर्वोत्तम है और इस गैस के जलने की क्षमता भी सर्वोत्तम है। चिन्नेवाला गैस फील्ड एरिया में कुएं तैयार हुए 9-10 वर्ष हो गए हैं, फिर भी गैस का दोहन नहीं किया जा रहा है। अगर ओ.एन.जी.सी. द्वारा उक्त फील्ड से गैस का दोहन किया जाता है तो इस सरकारी उपक्रम को करोड़ों रुपयों का प्रतिमाह फायदा होगा। राजस्थान राज्य विद्युत निगम उक्त फील्ड से गैस लेने को तैयार है। मेरा सरकार से आग्रह है कि अविलम्ब उक्त क्षेत्र से गैस दोहन के लिए ओ.एन.जी.सी. को निर्देश जारी किया जाये एवं सरकार उपक्रम ओ.एन.जी.सी. से ही इसका दोहन करवाए।

**(नौ) गुजरात में साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की हिम्मतनगर तहसील में किसानों को रेल लाइनों के नीचे पानी की पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता**

**श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा): मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा (गुजरात) के हिम्मतनगर तहसील के सूरजपुर गांव के किसानों ने अपनी जमीन उदयपुर-हिम्मतनगर (उ.प. रेलवे) रेल लाईन के लिए दी थी। रेल लाईन बीच में से गुजरने की वजह से किसानों के खेत दो भागों में बंट गए हैं। अब सिंचाई हेतु 4 इंच व्यास की पाइप लाईन रेल लाईन के नीचे से ले जाने के लिए रेल विभाग की अनुमति जरूरी होती है। किसानों द्वारा अनुमति मांगने पर रेलवे विभाग ने किसानों को एक भारी रकम का एस्टीमेट दे दिया जो कि गरीब किसानों के लिए बहुत ज्यादा है। इस अनुमति के बाद भी निर्माण का खर्च तो किसानों को ही अलग से करना पड़ता है। इसमें स्थानीय किसानों श्री धुलाभाई पटेल को क्रमश: 2,20,526 रु. अमृतभाई पटेल को 2,84,033 रु. तथा श्री भीखा भाई पटेल को 1,40,019 रु. का एस्टीमेट रेलवे द्वारा दिया गया है। जब कि उस खेत की कीमत भी 3 लाख रुपये नहीं है। जिन किसानों ने राष्ट्रहित में अपनी जमीन दे दी, उन्हीं से रेलवे द्वारा ऐसा अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में सरकार से मेरी मांग है कि गरीब किसानों को परेशान न किया जाए तथा किसानों को मुफ्त सिंचाई की अनुमति देने का प्रावधान किया जाए।

**(दस) देश में बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने तथा बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु उपयुक्त व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता**

**श्री वीरेन्द्र कुमार** (टीकमगढ़): देश की राजधानी दिल्ली में भी एक लाख से अधिक श्रमिक बाल मजदूर कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में 15 जुलाई, 2009 से 31 दिसंबर, 2011 तक बाल मजदूरी के 389 प्रकरण दर्ज किए गए। बाल मजदूरी से 3257 बच्चों को मुक्त कराया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 जुलाई, 2009 को राजधानी में बाल मजदूरी समाप्त करने के संबंध में सरकार, श्रम विभाग और पुलिस को निर्देश दिया था कि हर माह कम से कम 500 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करायें तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें। इस आदेश को अब तक लागू नहीं किया गया है।

अत: केंद्र सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली सहित देश के सभी राज्यों से बाल मजदूरी को समाप्त करने तथा उनके पुनर्वास के समुचित प्रबंध करने की शीघ्र कार्यवाही करने की व्यवस्था करें।

**(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में किसानों को गेहूं का लाभकारी मूल्य दिए जाने की आवश्यकता**

**श्री आर.के. सिंह पटेल** (बांदा): मैं सरकार का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में आकृष्ट कराना चाहूंगा कि देश का किसान गेहूं का समर्थन मूल्य लागत मूल्य के बराबर भी नहीं पाता है। रासायनिक खाद, डीजल तथा महंगे कृषि यंत्रों ट्रैक्टर आदि के बढ़े हुए दामों के कारण उत्पादन लागत 1500 रु. प्रति क्विंटल के हिसाब से आ रही है, जबकि किसानों के लागत मूल्य से डेढ़ गुना यानि 2250 रु. प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य दिया जाए।

वर्तमान समय में गेहूं की सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीद हो रही है। क्रय केंद्रों पर किसान परेशान हो रहे हैं। किसान कई-कई दिनों तक ट्राली में गेहूं लादकर क्रय केंद्रों पर लाइन में खड़ा रहता है। क्रय केंद्र में कमीशन लेकर गेहूं की तौल हो रही है। कमीशन न देने वाले किसानों को क्रय केंद्रों से लौटाया जा रहा है।

[श्री आर.के. सिंह पटेल]

उ.प्र. में लोक सभा क्षेत्र बांदा के बांदा एवं चित्रकूट जनपदों में क्रय केंद्रों पर किसानों की लंबी लाइन लगी है। किसान परेशान हैं तथा आंदोलन को बाध्य हो रहा है।

अत: इस अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने के साथ मेरे लोक सभा क्षेत्र बांदा के जनपद बांदा एवं चित्रकूट में गेहूं खरीद समय से कराने की मांग करता हूं।

**(बारह) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बरहज बाजार से फैजाबाद तक रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता**

**श्री गोरख प्रसाद जायसवाल** (देवरिया): मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया जिले के लिए 2005 के रेल बजट में बरहज बाजार से फैजाबाद के बीच नई रेलवे लाईन बिछाने हेतु सर्वे कार्य पूरा हो गया है। उसके क्या परिणाम रहे हैं उसका अता पता नहीं है। बरहज बाजार से फैजाबाद के बीच का क्षेत्र रेलवे की सुविधा एवं रेलवे विकास से पूरी तरह से वंचित है। आजादी के 65 साल के बाद इस क्षेत्र को रेलवे सुविधा से विंचित किया जाना जनहित एवं संतुलित विकास पर कुठाराघात है। बरहज बाजार से फैजाबाद के रेलवे मार्ग के बनने से देवरिया को प्रदेश के दक्षिण एवं पश्चिम जिलों से आसानी से जोड़ा जा सकता है। रेलवे का उद्देश्य देश का संतुलित विकास में सहयोग करना है। बरहज में रेलवे की काफी भूमि बेकार में पड़ी है और देवरिया पूर्वांचल का एक व्यापारिक केंद्र है। इस बेकार की भूमि पर माल गोदाम बनाने का प्रस्ताव कई वर्षों से दिया जा रहा है, परंतु आज तक सरकार ने इस पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं की है। देवरिया में रेलवे सुविधाओं एवं रेलवे विकास के अभाव में पूर्व संपन्न यह जिला आज पिछड़ रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि बरहज बाजार से फैजाबाद के बीच नई रेलवे लाईन बिछाने की योजना एवं निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जाये।

**(तेरह) बिहार के काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डिहरी प्रखंड में रसोई गैस लीक होने के कारण हुए जान-माल के नुकसान की घटना की जांच कराने तथा प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता**

**श्री महाबली सिंह** (काराकाट): मेरे संसदीय क्षेत्र काराकाट (बिहार) के डिहरी प्रखंड के न्यू एरिया में दिनांक 24.3.2012 को एल.पी.जी. गैस का रिसाव हो जाने के कारण करीब 4 घर जलकर राख हो गये। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गयी जिसमें 6 बच्चे, दो महिलाएं एवं 1 पुरुष शामिल हैं साथ ही 3 बुरी तरह झुलस भी गए और 26 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद भारत सरकार एवं विभाग की ओर से कोई जांच दल घटनास्थल पर पहुंच नहीं सका है और न ही मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा दिया गया है।

अत: मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस घटना की जांच कराकर मृतकों के परिवार वालों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए।

**(चौदह) कंधमाल जिले तथा देश के अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड के टावरों को चालू किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री रुद्रमाधव राय** (कंधमाल): सरकार एल.डब्ल्यू.ई. क्षेत्रों में 2200 टेलीकॉम टावरों की स्थापना करने की योजना बना रही है। मैं सरकार का ध्यान बी.एस.एन.एल. के 25 टावरों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं जिनकी स्थापना वर्ष 2008 में कंधमाल जिले और अन्य एल.डब्ल्यू.ई. क्षेत्रों में की गई थी परंतु, उन्हें अभी तक चालू नहीं किया गया है। सरकार को इन टावरों का किराया देने और उनकी सुरक्षा खर्च के कारण भारी नुकसान हो रहा है जबकि इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए इनका विशेष रूप से कोई महत्व नहीं है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि पहले प्रयास में, वर्ष 2008 में या उसके बाद लगाए गए टेलीकाम टावरों को प्राथमिकता के आधार पर चालू किया जाए। सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करनी चाहिए जो कि इन टावरों को चालू करने में अनावश्यक विलंब कर रहे हैं और भारी वित्तीय हानि पहुंचा रहे हैं। यह विलंब उग्रवादी समूहों की गतिविधियों निगरानी रखने वाले आसूचना एजेंसियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कार्यकरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

मेरा सरकार से पुन: अनुरोध है कि सबसे पहले कंधमाल जिले (ओडिशा) और अन्य एल.डब्ल्यू.ई. क्षेत्रों में स्थापित टेलीकॉम टावरों को चालू किया जाए और तत्पश्चात इन क्षेत्रों में नए टेलीकॉम टावर स्थापित किए जाएं।

**(पंद्रह) महाराष्ट्र के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छावनी क्षेत्र के निकट घोषित रक्षा भूमि को खाली कराए जाने संबंधी आदेश का कार्यान्वयन निलंबित किए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री चंद्रकांत खैरे** (औरंगाबाद): मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद

महाराष्ट्र में मिलिटरी छावनी के पास 11 एकड़ जमीन पर चार पूर्वजों से यहां पर ईसाई संप्रदाय के लोग रहते हैं एवं इसी भूमि पर चर्च, चर्च गर्ल्स होस्टल, क्रिस्चियन चर्च हाई स्कूल, क्रिस्चियन प्राईमरी स्कूल भी है। हाल ही में छावनी परिषद ने इनकी जमीन को छावनी की जमीन घोषित किया है परंतु दस्तावेज के आधार पर यह जमीन 1875 से नासिक डायोसेसिन काउंसिल पी.टी.आर.डी. 2 की थी जिसे क्रिस्चियन मिशनरी ट्रस्ट को 1924 में सौंप दिया है। खेद की बात है कि सूखे की हालत में इस जमीन के सभी लोगों को 2 मई 2013 तक जमीन छोड़ने के लिए मिलिटरी प्रशासन द्वारा कह दिया गया है उसके बाद इस जमीन पर सभी स्कूलों, चर्च एवं ईसाई समुदाय के लोगों के घर को गिरा दिया जायेगा। जैसा कि सदन जानता है कि महाराष्ट्र में भयंकर सूखा पड़ा है एवं मराठावाड़ा में पांच दिनों में एक दिन पानी मिल रहा है ऐसी स्थिति में इनके परिवार के साथ काफी ज्यादती होगी। इस संबंध में मिलिटरी छावनी की कार्यवाही को वर्षाकाल तक रोका जाये एवं वर्षाकाल के बाद दस्तावेज के आधार पर आग्र की कार्यवाही की जाये।

सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद, महाराष्ट्र के छावनी परिषद द्वारा उपरोक्त स्कूलों, चर्च एवं ईसाई समुदाय के घरों को गिराने की कार्यवाही रोकी जाये एवं वर्षाकाल के बाद दस्तावेज के आधार पर आगे के कार्यवाही की जाये।

*[अनुवाद]*

**(सोलह) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत तमिलनाडु के केरोसीन आवंटन कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता**

**श्री एस. सेम्मलई** (सलेम): केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत तमिलनाडु के केरोसीन आवंटन में क्रमिक कमी से उसकी उपलब्धता में कमी हाई है जिससे राज्य में गरीब परिवारों की स्थिति दयनीय हो गयी है। तमिलनाडु की काफी जनसंख्या के पास एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं है और वे खाना बनाने के लिए केरोसिन पर निर्भर हैं। एल.पी.जी. की कमी के परिणामस्वरूप नए सिलेण्डरों के मिलने में देरी होती है।

तमिलनाडु में, समाज के वंचित वर्गों द्वारा मुख्य तौर पर खाना बनाने के लिए केरोसीन का उपयोग किया जाता है। तमिलनाडु में 1,02,23,981 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं हैं और 49.38 लाख के पास एकल एल.पी.जी. कनेक्शन है और इन दोनों ही श्रेणियों को केरोसीन की आपूर्ति की जाती है। चूंकि वहां बिजली की भारी कमी है, इसलिए रोशनी के लिए केरोसीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमिलनाडु के लिए प्रति माह 65,140 किलोलीटर केरोसीन के कोटे की आवश्यकता है। अब इसे घटाकर 29,060 किलोलीटर कर दिया गया है। इसलिए, केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार की मांग की वास्तविक आवश्यकता और पात्रता के आधार पर तमिलनाडु को केरोसीन का आवंटन करने के लिए तार्किक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

**(सत्रह) पारादीप पत्तन न्यास, ओडिशा में कार्यरत संविदा कामगारों को पर्याप्त मजदूरी तथा अन्य सेवा लाभ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता**

**श्री बिभु प्रसाद तराई** (जगतसिंहपुर): मैं पारादीप पत्तन न्यास में कार्यरत कुशल और अकुशल संविदा कामगारों के समक्ष आ रही परेशानियों का मुद्दा उठाना चाहता हूं। यह चिंता का एक विषय है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा पिछले कुछ समय से बड़ी संख्या में कामगारों को संविदा पर रखा जा रहा है जिसके फलस्वरूप पारादीप पत्तन न्यास में सीधे रोजगार की संख्या घट रही है। यह देखा गया है कि जो संविदाकर्मी पंद्रह सालों से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं और सीधे भर्ती कर्मचारियों के जैसा अथवा उसी प्रकार का काम कर रहे हैं उन्हें मामूली मजदूरी मिल रही है और वे अन्य सांविधिक प्रावधानों यथा ई.पी.एफ., बोनस, छुट्टियों की संख्या, काम के घंटे आदि से भी वंचित है। इस संबंध में, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि उप मुख्य श्रम आयुक्त, धनबाद ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में यथा निर्धारित अधिसूचित रोजगार के अलावा अन्य कार्य कर रहे पारादीप पत्तन न्यास के संविदाकर्मियों की मजदूरी दर और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करते हुए ठेकाश्रम (विनियमन और उत्पादन) केंद्रीय नियम, 1971 के नियम 25 (2) (पांच)(क)/(ख) के अंतर्गत दिनांक 10 नवंबर, 2004 को आदेश संख्या 35(1)/2002 उपमुश्रआ जारी किया है। अपने आदेश में उपमुख्य श्रम आयुक्त ने संविदाकर्मियों को दी जा रही न्यूनतम मजदूरी में 76% की बढ़ोत्तरी का सुझाव दिया है। परंतु उपमुख्यश्रम आयुक्त, धनबाद के उक्त आदेश को पारादीप पत्तन न्याय द्वारा पालन नहीं की जा रहा है। क्योंकि मुख्य नियोक्ता और संविदाकर्मियों की नियुक्ति करने वाले ठेकेदार लगातार ठेकाश्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 का उल्लंघन कर रहे हैं। इस संबंध में, मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि पारादीप पत्तन, न्यास, ओडिशा में कार्यरत ठेका कामगारों के हितों की रक्षा और कल्याण के लिए ठेकाश्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के साथ-साथ उप मुख्य श्रम आयुक्त, धनबाद के दिनांक 10 नवंबर, 2004 के आदेश का भी अनुपालन किया जाए।

**(अठारह) बिहार के शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में नक्सल प्रभावितों परिवारों को मुआवजा दिए जाने तथा इन जिलों में विकास योजनाएं भी शुरू किए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली): बिहार राज्य में नक्सली हिंसा में सन् 2010, 2011, 2012 और 2013 में अब तक क्रमशः

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

97, 63, 44 और 17 लोग मारे गये, लेकिन मुझे खेद है कि सरकारी योजनायें जैसे सुरक्षा संबंधी खर्च योजना के अधीन किन्हीं पीड़ित परिवार को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नही की गई और 22 नक्सल प्रभावित जिले में केवल 11 जिलों में ही विशेष विकास की योजनायें चलायी जा रही हैं जो गलत है। यहां तक कि शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले नक्सली हिंसा से ज्यादा पीड़ित हैं, उन्हें भी छोड़ दिया गया है।

अत: आग्रह है कि नक्सली हिंसा से सभी पीड़ित कुल 221 परिवारों को घोषित योजनांतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कराया जाये और इन तीनों जिलों में विशेष विकास योजना चलायी जाये क्योंकि ये जिले भी नक्सली हिंसा से ज्यादा प्रभावित हैं।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** सभा अपराह्न 1.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 12.04 बजे**

*तत्पश्चात, लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 1.00 बजे**

*लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे पुन: समवेत हुई*

**[श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए]*

...*(व्यवधान)*

**अपराह्न 1.00¼ बजे**

*इस समय श्री गणेश सिंह, श्री धनश्याम अनुरागी, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्री एस. सेम्मलई और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।*

...*(व्यवधान)*

---

**अपराह्न 1.01 बजे**

## राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011—जारी

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** अब हम मद संख्या 14, यथा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 पर चर्चा करेंगे। श्री भक्त चरण दास अब अपनी बात रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री भक्त चरण दास** (कालाहांडी): सभापति महोदय, कल मैंने अपनी बात रखनी शुरू की तो हाउस की कार्यवाही स्थगित हो गई।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन से कहना चाहता हूं कि यह जो बिल मान्यवर मंत्री महोदय ने प्रस्तावित किया है।...*(व्यवधान)* इस बिल से भारत की दो करोड़ पच्चीस लाख गर्भवती महिलाओं को पर-मंथ एक हजार रुपया मिलेगा।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** कृपया नामों का उल्लेख मत करिए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री भक्त चरण दास:** जिन गरीब माताओं के बच्चे मत जाते हैं, वे सब इससे बेनिफिटेड होंगी।...*(व्यवधान)* इस बिल से, जो डैस्टीट्यूट्स हैं...*(व्यवधान)* जो होमलेस हैं...*(व्यवधान)* उनके लिए व्यवस्था की गई है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** कृपया अपने अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री भक्त चरण दास:** सभापति महोदय, इस बिल के पास होने से गरीब लोग बेनिफिटेड होंगे।...*(व्यवधान)*...

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** सभा कल 8 मई, 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 1.00 बजे**

*तत्पश्चात, लोक सभा बुधवार 8 मई, 2013/18 वैशाख, 1935 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

## अनुबंध-I

### तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | तारांकित प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री वैजयंत पांडा<br>श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव | 561 |
| 2. | श्री मनोहर तिरकी<br>श्री के. सुधाकरण | 562 |
| 3. | श्री यशवंत लागुरी<br>श्री मनसुखभाई डी. वसावा | 563 |
| 4. | श्री यशवीर सिंह<br>श्री नीरज शेखर | 564 |
| 5. | श्री हरिभाऊ जावले | 565 |
| 6. | श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण<br>श्री दानवे रावसाहेब पाटील | 566 |
| 7. | श्री वरूण गांधी | 567 |
| 8. | श्री ए. सम्पत | 568 |
| 9. | श्री एस. अलागिरी<br>श्री गणेश सिंह | 569 |
| 10. | श्री एकनाथ महादेव गायकवाड<br>श्री आनंद प्रकाश परांजपे | 570 |
| 11. | श्री एस. पक्कीरप्पा<br>श्री महेश जोशी | 571 |
| 12. | कुमारी सरोज पाण्डेय<br>श्री ए.के.एस. विजयन | 572 |
| 13. | श्री के. सुगुमार<br>श्री सज्जन वर्मा | 573 |
| 14. | श्री रमेश राठौड़ | 574 |
| 15. | श्री एन. चेलुवरया स्वामी<br>श्री धनजंय सिंह | 575 |
| 16. | डॉ. किरोड़ी लाल मीणा | 576 |
| 17. | श्री बसुदेव आचार्य<br>डॉ. रामचन्द्र डोम | 577 |
| 18. | श्री एल. राजगोपाल | 578 |
| 19. | श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव<br>श्री चंद्रकांत खैरे | 579 |
| 20. | श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे | 580 |

### अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री ए.के.एस. विजयन | 6545, |
| 2. | श्री अधलराव पाटील शिवाजी | 6453, 6330, 6582, 6589, 6620 |
| 3. | श्री आधि शंकर | 6425, 6645 |
| 4. | श्री आनंदराव अडसुल | 6515, 6530, 6582, 6589, 6623 |
| 5. | श्री जय प्रकाश अग्रवाल | 6519, 6591, 6625 |
| 6. | श्री राजेन्द्र अग्रवाल | 6428, 6625 |
| 7. | श्री हंसराज गं. अहीर | 6451, 6541, 6581 |
| 8. | श्री बदरुद्दीन अजमल | 6427, 6552 |
| 9. | श्री जयवंत गंगाराम आवले | 6494 |
| 10. | श्री कीर्ति आजाद | 6509 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 11. | श्री गजानन ध. बाबर | 6530, 6582, 6589, 6620, 6623 |
| 12. | श्री प्रताप सिंह बाजवा | 6450, 6537, 6590 |
| 13. | डॉ. बलीराम | 6500 |
| 14. | डॉ. शफीकुर्ररहान बर्क | 6486 |
| 15. | श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर | 6508 |
| 16. | श्रीमती सुस्मिता बाउरी | 6581 |
| 17. | श्री अवतार सिंह भडाना | 6498, 6523 |
| 18. | श्री सुदर्शन भगत | 6496 |
| 19. | श्री ताराचन्द भगोरा | 6470 |
| 20. | श्री संजय भोई | 6564 |
| 21. | श्री समीर भुजबल | 6607 |
| 22. | श्री पी.के. बिजू | 6511, 6607 |
| 23. | श्री कुलदीप बिश्नोई | 6467 |
| 24. | श्री हेमानंद बिसवाल | 6435, 6532 |
| 25. | श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी | 6511 |
| 26. | श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला | 6518, 6581 |
| 27. | श्री सी. शिवसामी | 6436, 6533 |
| 28. | श्री हरीश चौधरी | 6528 |
| 29. | श्री अरविन्द कुमार चौधरी | 6581 |
| 30. | श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण | 6562, 6610 |
| 31. | श्री हरिश्चंद्र चव्हाण | 6479, 6581, 6592, 6626 |
| 32. | श्री एन.एस.वी. चित्तन | 6487 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 33. | श्री निखिल कुमार चौधरी | 6581 |
| 34. | श्रीमती श्रुति चौधरी | 6463, 6537, 6553, 6594 |
| 35. | श्री भक्त चरण दास | 6516 |
| 36. | श्री खगेन दास | 6474, 6478, 6585 |
| 37. | श्री राम सुन्दर दास | 6496 |
| 38. | श्रीमती जे. हेलन डेविडसन | 6510, 6640 |
| 39. | श्री कालीकेश नारायण सिंह देव | 6444 |
| 40. | श्रीमती रमा देवी | 6539, 6611, 6613 |
| 41. | श्री के.पी. धनपालन | 6441, 6596 |
| 42. | श्री संजय धोत्रे | 6472 |
| 43. | श्री आर. ध्रुवनारायण | 6457, 6548 |
| 44. | श्रीमती ज्योति धुर्वे | 6457, 6548 |
| 45. | श्री चार्ल्स डिएस | 6521, 6593 |
| 46. | श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर | 6490, 6512, 6573, 6587 |
| 47. | श्री पी.सी. गद्दीगौदर | 6466, 6555, 6644 |
| 48. | श्री एकनाथ महादेव गायकवाड | 6487, 6564 |
| 49. | श्रीमती मेनका गांधी | 6474, 6495 |
| 50. | श्री वरुण गांधी | 6558, 6605, 6635 |
| 51. | श्री डी.बी. चन्द्रे गौड़ा | 6502, 6581, 6646 |
| 52. | डॉ. सुचारू रंजन हल्दर | 6478 |
| 53. | श्री सैयद शाहनवाज हुसैन | 6513, 6517 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 54. | श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव | 6539, 6613 |
| 55. | डॉ. मन्दा जगन्नाथ | 6512, 6587 |
| 56. | श्री बद्रीराम जाखड़ | 6447, 6468, 6556 |
| 57. | श्रीमती दर्शना जरदोश | 6431, 6598 |
| 58. | श्री हरिभाऊ जावले | 6549, 6607 |
| 59. | श्री नवीन जिन्दल | 6455, 6544, 6628 |
| 60. | डॉ. मुरली मनोहर जोशी | 6493, 6576 |
| 61. | श्री प्रहलाद जोशी | 6434, 6557 |
| 62. | श्री दिलीप सिंह जूदेव | 6424 |
| 63. | श्री पी. करुणाकरन | 6433, 6498, 6536, 6615 |
| 64. | श्री कपिल मुनि करवारिया | 6496 |
| 65. | डॉ. किरोड़ी लाल मीणा | 6572 |
| 66. | श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे | 6494 |
| 67. | श्री एन. कृष्टप्प | 6478, 6611 |
| 68. | श्री पी. कुमार | 6497 |
| 69. | श्रीमती पुतुल कुमारी | 6581 |
| 70. | श्री एन. पीताम्बर कुरुप | 6498 |
| 71. | श्री यशवंत लागुरी | 6568 |
| 72. | श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम | 6440, 6460, 6578 |
| 73. | श्री सतपाल महाराज | 6529 |
| 74. | श्री नरहरि महतो | 6567 |
| 75. | श्री भर्तृहरि महताब | 6472 |
| 76. | श्री प्रदीप माझी | 6492, 6513, 6524, 6575 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 77. | श्री जोस के. मणि | 6647 |
| 78. | श्री दत्ता मेघे | 6503 |
| 79. | श्री अर्जुन राम मेघवाल | 6505, 6652 |
| 80. | श्री महाबल मिश्रा | 6504 |
| 81. | श्री गोपीनाथ मुंडे | 6507 |
| 82. | श्री सुरेन्द्र सिंह नागर | 6482, 6498, 6583 |
| 83. | श्री श्रीपाद येसो नाईक | 6484 |
| 84. | श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव | 6498, 6547, 6617 |
| 85. | श्री संजय निरुपम | 6648 |
| 86. | कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद | 6469 |
| 87. | श्री असादूद्दीन ओवेसी | 6430, 6518, 6531, 6602, 6617 |
| 88. | श्री पी.आर. नटराजन | 6459, 6561, 6604, 6632 |
| 89. | श्री वैजयंत पांडा | 6566, 6608, 6633 |
| 90. | श्री प्रबोध पांडा | 6449, 6511, 6601 |
| 91. | श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय | 6497, 6522 |
| 92. | श्री आनंद प्रकाश परांजपे | 6487, 6564 |
| 93. | श्री देवजी एम. पटेल | 6438, 6535 |
| 94. | श्री आर.के. सिंह पटेल | 6489 |
| 95. | श्री किसनभाई वी. पटेल | 6492, 6513, 6524, 6575 |
| 96. | श्री ए.टी. नाना पाटील | 6518 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 97. | श्रीमती भावना पाटील गवली | 6490, 6573 |
| 98. | श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर | 6487, 6564 |
| 99. | श्री पोन्नम प्रभाकर | 6440, 6537, 6587, 6606 |
| 100. | श्री नित्यानंद प्रधान | 6473, 6577 |
| 101. | श्री पन्ना लाल पुनिया | 6496, 6520 |
| 102. | श्री एम.के. राघवन | 6525, 6597 |
| 103. | श्री बी.वाई. राघवेन्द्र | 6458, 6614 |
| 104. | श्री अब्दुल रहमान | 6502, 6581 |
| 105. | श्री रमाशंकर राजभर | 6530 |
| 106. | श्री पूर्णमासी राम | 6506, 6584, 6621 |
| 107. | श्री जगदीश सिंह राणा | 6461, 6511, 6526 |
| 108. | श्री जे.एम. आरुन रशीद | 6523 |
| 109. | श्री रमेश राठौड़ | 6478, 6559 |
| 110. | श्री रामसिंह राठवा | 6446, 6565, 6514, 6637 |
| 111. | श्री अशोक कुमार रावत | 6447, 6571, 6612, 6636 |
| 112. | श्री अर्जुन राय | 6493 |
| 113. | श्री रुद्रमाधव राय | 6471, 6599, 6630 |
| 114. | श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी | 6462, 6551, 6639, 6641 |
| 115. | श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी | 6499 |
| 116. | श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी | 6498 |
| 117. | प्रो. सौगत राय | 6498 |
| 118. | श्री एस. अलागिरी | 6568, 6570, 6611 |
| 119. | श्री एस. सेम्मलई | 6488, 6640 |
| 120. | श्री एस. पक्कीरप्पा | 6529 |
| 121. | श्री एस.आर. जेयदुरई | 6483, 6581 |
| 122. | श्री एस.एस. रामासुब्बू | 6464, 6518 6554 |
| 123. | श्री ए. सम्पत | 6511, 6607 |
| 124. | श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना | 6498 |
| 125. | श्री हमदुल्लाह सईद | 6432, 6550, 6590, 6603 |
| 126. | श्री नीरज शेखर | 6569, 6609, 6634 |
| 127. | श्री सुरेश कुमार शेटकर | 6445, 6504, 6537, 6560 |
| 128. | श्री राजू शेट्टी | 6501, 6580, 6607 |
| 129. | श्री एंटो एंटोनी | 6437, 6490, 6534, 6627 |
| 130. | श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल | 6475 |
| 131. | श्री जी.एम. सिद्देश्वर | 6511, 6526 |
| 132. | श्री भूपेन्द्र सिंह | 6452, 6542, 6619 |
| 133. | श्री जगदानंद सिंह | 6477, 6579, 6618, 6638 |
| 134. | श्री के.सी. सिंह 'बाबा' | 6426 |
| 135. | श्री महाबली सिंह | 6429, 6563 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 136. | श्री पशुपति नाथ सिंह | 6481, 6517, 6581, 6595 |
| 137. | श्री राधा मोहन सिंह | 6476 |
| 138. | डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह | 6527, 6600, 6643 |
| 139. | श्री रतन सिंह | 6570 |
| 140. | श्री रवनीत सिंह | 6456 |
| 141. | श्री सुशील कुमार सिंह | 6478 |
| 142. | श्री यशवीर सिंह | 6569, 6609, 6634 |
| 143. | चौधरी लाल सिंह | 6514, 6588 |
| 144. | श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह | 6576 |
| 145. | श्री राजय्या सिरिसिल्ला | 6650 |
| 146. | डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी | 6651 |
| 147. | श्री ई.जी. सुगावनम | 6442, 6614, 6653 |
| 148. | श्री एन. चेलुवरया स्वामी | 6540, 6601 |
| 149. | श्री मानिक टैगोर | 6448, 6594 |
| 150. | श्रीमती अन्नू टन्डन | 6443 |
| 151. | श्री जगदीश ठाकोर | 6496 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 152. | श्री अनुराग सिंह ठाकुर | 6649 |
| 153. | श्री आर. थामराईसेलवन | 6439, 6586, 6622 |
| 154. | श्री पी.टी. थॉमस | 6494 |
| 155. | श्री मनोहर तिरकी | 6567 |
| 156. | श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी | 6491, 6574 |
| 157. | श्री लक्ष्मण टुडु | 6465 |
| 158. | श्री हर्ष वर्धन | 6518 |
| 159. | श्री मनसुखभाई डी. वसावा | 6489 |
| 160. | श्री सज्जन वर्मा | 6546, 6629 |
| 161. | श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ | 6485, 6590 |
| 162. | श्री पी. विश्वनाथन | 6624 |
| 163. | श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे | 6454, 6543, 6616 |
| 164. | श्री धर्मेन्द्र यादव | 6515, 6530, 6582, 6589, 6620 |
| 165. | श्री हुक्मदेव नारायण यादव | 6480 |
| 166. | श्री मधु गौड यास्खी | 6513, 6515, 6589, 6620, 6623 |

## *अनुबंध-II*

### *तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका*

| | | |
|---|---|---|
| कृषि | : | 567, 570, 571, 578, 580 |
| कोयला | : | |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण | : | 561, 565, 569, 572, 577 |
| संस्कृति | : | 573 |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास | : | |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | : | 575 |
| गृह | : | 563, 564, 574, 576, 579 |
| सूचना और प्रसारण | : | 566, 568 |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता | : | 562 |

### *अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका*

| | | |
|---|---|---|
| कृषि | : | 6428, 6429, 6430, 6433, 6434, 6437, 6438, 6451, 6456, 6462, 6463, 6474, 6476, 6480, 6481, 6482, 6484, 6489. 6491, 6501, 6510, 6515, 6521, 6524, 6527, 6530, 6532, 6538, 6546, 6555, 6557, 6558, 6560, 6561, 6562, 6563, 6576, 6579, 6582, 6583, 6584, 6585, 6588, 6590, 6596, 6597, 6598, 6608, 6620 6623, 6626, 6633, 6645, 6652 |
| कोयला | : | 6431, 6453, 6457, 6469, 6477, 6517, 6522, 6553, 6575, 6595, 6602, 6624 |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण | : | 6435, 6441, 6443, 6449, 6455, 6459, 6468, 6487, 6494, 6511, 6537, 6547, 6549. 6551, 6566, 6567, 6568, 6570, 6572, 6578, 6589, 6601, 6607, 6609, 6615, 6618, 6637, 6639, 6641, 6642, 6647, 6648, 6649, 6653 |
| संस्कृति | : | 6445, 6464, 6465, 6466, 6483, 6500, 6514, 6528, 6534, 6536, 6541, 6569, 6577, 6593, 6600, 6635, 6644 |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास | : | 6427, 6574 |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | : | 6447, 6507, 6614 |

| | | |
|---|---|---|
| गृह | : | 6432, 6436, 6439, 6442, 6458, 6460, 6461, 6467, 6470, 6471, 6472, 6473, 6475, 6485, 6486, 6488, 6490, 6496, 6497, 6499, 6502, 6503, 6505, 6506, 6508, 6509, 6512, 6516, 6518, 6519, 6520, 6523, 6531, 6533, 6539, 6542, 6543, 6548, 6550, 6554, 6556, 6559, 6564, 6565, 6571, 6573, 6580, 6581, 6586, 6587, 6599, 6603, 6605, 6610, 6611, 6612, 6613, 6616, 6617, 6621, 6622, 6627, 6628, 6630, 6631, 6632, 6636, 6638, 6643, 6646 |
| सूचना और प्रसारण | : | 6425, 6440, 6444, 6440, 6446, 6448, 6450, 6452, 6454, 6479, 6493, 6525, 6526, 6529, 6535, 6540, 6545, 6552, 6592, 6594, 6625, 6629, 6634, 6640, 6650, 6651 |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता | : | 6424, 6426, 6478, 6492, 6495, 6498, 6504, 6513, 6544, 6604, 6606, 6619. |

## इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

**http://www.parliamentofindia.nic.in**

## लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

## लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और बंगाल ऑफसैट वर्कस, 335 खजूर रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित।